

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित   | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय       | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम   | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |  | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |                                | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |                             |
|--|---|---------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|---|-----------------------------|
|  |   |                                 | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य                           | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि                  |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य                |
| 1  | 2   | 3                               | 4  | 5                                      | 6  | 7                              | 8   | 9   | 10                          |
| <b>विभाग - 01 सामान्य प्रशासन विभाग</b>  |   |                                 |  |  |  |                                |   |   |                             |
| <b>विभागाध्यक्ष - 0101 सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग</b>             |   |                                 |  |  |  |                                |   |   |                             |
| <b>5163</b>  | सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल की स्थापना |                                 | 1,026.00   | प्रशासनिक भवन निर्माण एवं स्थापना व्यय | 296.00   | भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है |   | 600.00  | भवन निर्माण पूर्ण होगा      |
| <b>5668</b>  | राज्य सूचना आयोग का भवन निर्माण           |                                 | 200.00   | प्रशासनिक भवन निर्माण                  | 125.00   | भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है |   | 200.00  | भवन निर्माण पूर्ण होगा      |
|  | <b>विभागाध्यक्ष योग</b>                   |                                 | <u>1,226.00</u>  |  | <u>421.00</u>  |                                |   | <u>800.00</u>   |                             |
| <b>विभागाध्यक्ष - 0117 महानिदेशक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, मध्य प्रदेश</b> |   |                                 |  |  |  |                                |   |   |                             |
|  | प्रशासनिक भवन का निर्माण                  | संबंधित को स्थानांतरित किया गया | 200.00   | भवन निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया।    | 150.00   | कार्य प्रगति पर है             |   | 400.00  | प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य |
|  | <b>विभागाध्यक्ष योग</b>                   |                                 | <u>200.00</u>  |  | <u>150.00</u>  |                                |   | <u>400.00</u>   |                             |
|  | <b>विभाग</b>                              |                                 | <u>1,426.00</u>  |  | <u>571.00</u>  |                                |   | <u>1,200.00</u>   |                             |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित   | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय  | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |  | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |  |
|--|--|-------------------------------|--|--|--|---------------|---|---|--|
|  |  |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य   | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य   |
| 1  | 2  | 3                             | 4  | 5  | 6  | 7             | 8   | 9   | 10   |
| <b>विभाग - 02 गृह विभाग</b>  |  |                               |  |  |  |               |   |   |  |
| <b>विभागाध्यक्ष - 0204 महानिदेशक, पुलिस, मध्य प्रदेश</b>   |  |                               |  |  |  |               |   |   |  |
| <b>3059 भवन एवं आवास गृहों का निर्माण</b>  |  |                               |  |  |  |               |   |   |  |
| 85 पुलिस कर्मियों को सर्वसुविधा युक्त आवास उपलब्ध कराना ।  | 85 पुलिस कर्मियों को सर्वसुविधा युक्त आवास उपलब्ध कराना ।  |                               | 882.00   | 85 पुलिस कर्मियों को सर्वसुविधा युक्त आवास उपलब्ध कराना ।  | 0.00   |               |   | 696.40  | 85 पुलिस कर्मियों को सर्वसुविधा युक्त आवास उपलब्ध कराना ।  |
| <b>5554 साइबर अपराध अन्वेषण</b>  |  |                               |  |  |  |               |   |   |  |
| योजना के क्रियान्वयन हेतु भोपाल में साइबर सेल भवन का निर्माण,  | योजना के क्रियान्वयन हेतु भोपाल में साइबर सेल भवन का निर्माण,  |                               | 91.00  | योजना के क्रियान्वयन हेतु भोपाल में साइबर सेल भवन का निर्माण,  | 0.00   |               |   | 91.00   | योजना के क्रियान्वयन हेतु भोपाल में साइबर सेल भवन का निर्माण,  |
| <b>5555 बड़े शहरो एवं संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा</b>   |  |                               |  |  |  |               |   |   |  |
| रु0100.00 से इन्दौर शहर की सुरक्षा व रु0 50.00 लाख से ओकारेश्वर मंदिर खडवा हेतु सिटी सर्विलेंस सिस्टम व अन्य आसूचना/ सुरक्षा उपकरणों का क्रय किया जावेगा । | रु0100.00 से इन्दौर शहर की सुरक्षा व रु0 50.00 लाख से ओकारेश्वर मंदिर खडवा हेतु सिटी सर्विलेंस सिस्टम व अन्य आसूचना/ सुरक्षा उपकरणों का क्रय किया जावेगा । |                               | 150.00   | रु0100.00 से इन्दौर शहर की सुरक्षा व रु0 50.00 लाख से ओकारेश्वर मंदिर खडवा हेतु सिटी सर्विलेंस सिस्टम व अन्य आसूचना/ सुरक्षा उपकरणों का क्रय किया जावेगा । | 0.00   |               |   | 150.00  | रु0100.00 से इन्दौर शहर की सुरक्षा व रु0 50.00 लाख से ओकारेश्वर मंदिर खडवा हेतु सिटी सर्विलेंस सिस्टम व अन्य आसूचना/ सुरक्षा उपकरणों का क्रय किया जावेगा । |
| <b>5556 इन्टीग्रेटेड ट्रेनिंग काम्पलेक्स</b>   |  |                               |  |  |  |               |   |   |  |
| प्रशिक्षण हेतु प्रशासकीय भवनों का निर्माण व अन्य निर्माण कार्य ।   | प्रशिक्षण हेतु प्रशासकीय भवनों का निर्माण व अन्य निर्माण कार्य ।   |                               | 1,000.00   | प्रशिक्षण हेतु प्रशासकीय भवनों का निर्माण व अन्य निर्माण कार्य ।   | 0.00   |               |   | 248.60  | प्रशिक्षण हेतु प्रशासकीय भवनों का निर्माण व अन्य निर्माण कार्य ।   |
| <b>विभागाध्यक्ष योग</b>  |  |                               | 2,123.00   |  | 0.00   |               |   | 1,186.00  |  |
| <b>विभाग</b>   |  |                               | 2,123.00   |  | 0.00   |               |   | 1,186.00  |  |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 03 जेल विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 0302 महानिरीक्षक, जेल**

**5044 जेलों का आधुनिकीकरण**

|   |  |       |  |       |  |                 |       |   |
|---|--|-------|--|-------|--|-----------------|-------|---|
| (1) 15 जेलों हेतु मोटर साईकिल का क्रय (2) 09 जेलों पर गौशाला के संचालन पर व्यय (3) स्थाई सम्पत्तियों का अनुरक्षण एवं पुरानी जेलों में सुधार | वाहनों हेतु राशि के पुनर्विनियोजन न होने के कारण सम्पूर्ण राशि जेलों को आवंटित कर भवनों में अनुरक्षण कार्य कराया गया । 09 जेलों पर गौशालाओं के संचालन हेतु राशि व्यय की गई । | 21.00 | 15 मोटर साईकिल क्रय, 09 गौशालाओं का संचालन एवं स्थाई सम्पत्तियों का अनुरक्षण । | 20.99 | वाहनों हेतु राशि के पुनर्विनियोजन न होने के कारण सम्पूर्ण राशि जेलों को वाहनों हेतु राशि के पुनर्विनियोजन न होने के कारण सम्पूर्ण राशि जेलों को जेल भवनों का अनुरक्षण एवं 09 जेलों पर गौशालाओं का सफल संचालन । | -----निरंक----- | 80.00 | जेल भवनों का अनुरक्षण, 09 गौशालाओं का संचालन एवं 30 जेलों हेतु आटा पीसने की मशीनें, 250 बॉकी-टॉकी संयंत्र का क्रय । |
|---|--|-------|--|-------|--|-----------------|-------|---|

**5048 बंदियों के लिये औद्योगिक प्रशिक्षण**

|  |   |        |   |       |   |                 |        |  |
|--|---|--------|---|-------|---|-----------------|--------|--|
| (1)29 जेलों पर औद्योगिक इकाईयों के विस्तार अंतर्गत सिलाई,कढ़ाई,चमड़ा एवं राजमिस्त्री प्रशिक्षण (2)के0जेलों पर कंबल निर्माण हेतु कच्चे माल का क्रय,यातायात व्यय एवं प्रोसिसिंग व्यय (3) बंदियों हेतु इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्रशिक्षण सीआईडीसी के माध्यम से (4)सीआईडीसी के माध्यम से 07 के0जेलों पर मेट का प्रशिक्षण (5)11 सर्किल जेलां पर बंदियों को एमईएस का प्रशिक्षण (6)बंदियों हेतु इग्नू द्वारा संचालित पाठ्यक्रम (7)जिला जेल धार एवं बैतूल पर बंदियों हेतु आईटीआई की स्थापना । | डिप्लोमा प्रशिक्षण हेतु सीआईडीसी को भुगतान किया गया। मेट प्रशिक्षण हेतु सीआईडीसी को भुगतान किया गया, ऊन क्रय करने हेतु एनएचडीसी को भुगतान किया गया, इकाईयों के विस्तार हेतु जेलों को राशि आवंटित की गई। | 183.39 | इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्रशिक्षण सीआईडीसी के माध्यम से (4)सीआईडीसी के माध्यम से 07 के0जेलों पर मेट का प्रशिक्षण (5)11 सर्किल जेलां पर बंदियों को डिप्लोमा, मेट,एमईएस,इग्नू पाठ्यक्रम प्रशिक्षण एवं कंबल निर्माण तथा आईटीआई की स्थापना । | 75.78 | डिप्लोमा प्रशिक्षण हेतु सीआईडीसी को भुगतान किया गया। मेट प्रशिक्षण हेतु सीआईडीसी को भुगतान किया गया, ऊन क्रय करने हेतु एनएचडीसी को भुगतान किया गया, इकाईयों के विस्तार हेतु जेलों को राशि आवंटित की गई। | -----निरंक----- | 132.40 | डिप्लोमा, मेट,एमईएस,इग्नू पाठ्यक्रम प्रशिक्षण एवं कंबल निर्माण तथा आईटीआई की स्थापना । |
|--|---|--------|---|-------|---|-----------------|--------|--|

**5823 आटोमेटिक रोटी मेकिंग प्लांट**

|  |  |       |  |      |  |  |      |  |
|--|--|-------|--|------|--|--|------|--|
| 08 जेलों पर आटोमेटिक रोटी मेकिंग प्लांट की स्थापना । | स्थाई वित्तीय समिति के जेलों पर आटोमेटिक रोटी मेकिंग प्लांट की स्थापना | 84.00 | 08 जेलों पर आटोमेटिक रोटी मेकिंग प्लांट की स्थापना । | 0.00 | स्थाई वित्तीय समिति के 03 जेलों पर आटोमेटिक रोटी मेकिंग प्लांट की स्थापना की | स्थाई वित्तीय समिति के 03 जेलों पर आटोमेटिक रोटी मेकिंग प्लांट की स्थापना की | 0.00 |  |
|--|--|-------|--|------|--|--|------|--|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित  | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय  | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10)        |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां          |                          | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये)                              |              |
|---|--|-------------------------------|---|--------------|---|--------------------------|---|--|--------------|
|   |  |                               | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि   | भौतिक उपलब्धि            |   | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य |
| 1   | 2  | 3                             | 4   | 5            | 6   | 7                        | 8   | 9  | 10           |
| <b>विभाग - 03 जेल विभाग</b>   |  |                               |   |              |   |                          |   |  |              |
| <b>विभागाध्यक्ष - 0302 महानिरीक्षक, जेल</b>                                   |  |                               |   |              |   |                          |   |  |              |
|   |  | की कार्यवाही प्रचलन में।      |   |              |   | कार्यवाही प्रचलन में।    | कार्यवाही प्रचलन में।                             |  |              |
| 6855-जेलों एवं जिला<br>न्यायालयों के मध्य वीडियो<br>कान्फ्रेसिंग की व्यवस्था- | जिला जेल,शाजापुर एवं<br>संबंधित न्यायालय के मध्य<br>वीडियो कान्फ्रेसिंग की<br>व्यवस्था।              | 7.00                          | जिला जेल,शाजापुर एवं<br>संबंधित न्यायालय के मध्य<br>वीडियो कान्फ्रेसिंग की<br>व्यवस्था। | 5.77         | जिला जेल,शाजापुर एवं<br>संबंधित न्यायालय के मध्य<br>वीडियो कान्फ्रेसिंग की व्यवस्था<br>।          | -----निरंक-----<br>----- | 49.10   | जेलों एवं न्यायालयों के<br>मध्य वीडियो कान्फ्रेसिंग<br>की व्यवस्था।                                  |              |
| 5826-रीजनल इन्स्टीट्यूट<br>ऑफ करेक्शन<br>एडमिनिस्ट्रेशन                       | केन्द्रीय जेल, भोपाल<br>परिसर में रीजनल<br>इन्स्टीट्यूट ऑफ<br>करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन<br>का निर्माण। | 9.00                          | केन्द्रीय जेल, भोपाल<br>परिसर में रीजनल<br>इन्स्टीट्यूट ऑफ<br>करेक्शनल                  | 0.00         | केन्द्रीय जेल, भोपाल परिसर में<br>रीजनल इन्स्टीट्यूट ऑफ<br>करेक्शनल<br>एडमिनिस्ट्रेशन का निर्माण। | -----निरंक-----<br>----- | 10.00   | केन्द्रीय जेल, भोपाल<br>परिसर में रीजनल<br>इन्स्टीट्यूट ऑफ<br>करेक्शनल<br>एडमिनिस्ट्रेशन का निर्माण। |              |
|   | <b>विभागाध्यक्ष योग</b>  |                               | 304.39  |              | 102.54  |                          |   | 271.50   |              |
|   | <b>विभाग</b>   |                               | 304.39  |              | 102.54  |                          |   | 271.50   |              |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 04 वित्त विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 0404 आयुक्त, संस्थागत वित्त**

**5247 आम आदमी बीमा योजना**

|                    |            |      |  |      |   |          |   |
|--------------------|------------|------|--|------|---|----------|---|
| आम आदमी बीमा योजना | बीमा योजना | 0.00 | ग्रामीण भूमीहीन परिवार के मुखिया सदस्य का बीमा | 0.00 | वित्तीय वर्ष 2009-10 में योजना का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है । | 1,500.00 | योजना हेतु वर्ष 2010-11 में बजट का प्रावधान संस्थागत वित्त म.प्र. द्वारा किया गया है तथा योजना का क्रियान्वयन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जायेगा । |
|--------------------|------------|------|--|------|---|----------|---|

**5614 जनश्री बीमा योजना**

|                   |            |      |  |      |   |          |  |
|-------------------|------------|------|--|------|---|----------|--|
| जनश्री बीमा योजना | बीमा योजना | 0.00 | गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार में से ग्रामीण भूमीहीन परिवार को छोड़कर अन्य परिवार मुखिया सदस्य का बीमा | 0.00 | वित्तीय वर्ष 2009-10 में योजना का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है । | 1,800.00 | योजना हेतु वर्ष 2010-11 में बजट का प्रावधान संस्थागत वित्त म.प्र. द्वारा किया गया है तथा योजना का क्रियान्वयन शहरी क्षेत्र में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जायेगा । |
|-------------------|------------|------|--|------|---|----------|--|

**5631 वित्तीय समावेशन हेतु अधोसंरचना विकास**

|  |        |  |      |   |       |        |   |
|--|--------|--|------|---|-------|--------|---|
| प्रदेश में आइ.टी आधारित वित्तीय समावेशन हेतु बैंको के माध्यम से आवश्यक अधोसंरचना विकसित करना | 200.00 | प्रदेश में आइ.टी आधारित वित्तीय समावेशन हेतु बैंको के माध्यम से आवश्यक अधोसंरचना विकसित करने हेतु राज्य शासन का अंशदान बैंको को उपलब्ध कराना । | 0.00 | बैंकों से राशि की मांग न होने के कारण व्यय निरंक है । | निरंक | 300.00 | प्रदेश में आई टी. आधारित वित्तीय समावेशन हेतु बैंको के माध्यम से आवश्यक अधोसंरचना विकसित करने हेतु राज्य शासन का अंशदान बैंको का उपलब्ध कराना । |
|--|--------|--|------|---|-------|--------|---|

**5632 जन निजी भागीदारी अंतर्गत अधोसंरचना विकास हेतु अग्रिम**

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 04 वित्त विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 0404 आयुक्त, संस्थागत वित्त**

|   |        |  |      |  |        |  |
|---|--------|--|------|--|--------|--|
| म.प्र. अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड को जन निजी भागीदारी परियोजनाओं हेतु वाईबिलिटी गैप फण्डिंग हेतु अनुदान/अग्रिम उपलब्ध कराना | 300.00 | प्रदेश में जन-निजी भागीदारी के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं अंतर्गत राज्य शासन के हिस्से की राशि उपलब्ध कराने हेतु म.प्र. अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड को अग्रिम/अनुदान उपलब्ध कराना । | 0.00 | शासकीय विभागों से वाईबिलिटी गैप फण्डिंग की मांग न होने के कारण व्यय निरंक है । | 100.00 | प्रदेश में जन निजी भागीदारी के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं अंतर्गत राज्य शासन के हिस्से की राशि उपलब्ध कराने हेतु म.प्र. अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड का अग्रिम/अनुदान उपलब्ध कराना । |
|---|--------|--|------|--|--------|--|

**5652 परियोजना विकास निधि हेतु फण्ड बोर्ड को अनुदान**

|   |        |   |      |  |       |   |
|---|--------|---|------|--|-------|---|
| म.प्र. अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड को परियोजना विकास निधि की स्थापना हेतु अनुदान । | 200.00 | प्रदेश में जन-निजी भागीदारी के माध्यम से परियोजनाएँ विकसित करने हेतु म.प्र. अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड के अंतर्गत परियोजना विकास निधि की स्थापना करना । | 0.00 | विभाग से राशि की मांग न होने के कारण व्यय निरंक है । | 50.00 | प्रदेश में जन निजी भागीदारी के माध्यम से परियोजनाएँ विकसित करने हेतु म.प्र. अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड के अंतर्गत परियोजना विकास निधि की स्थापना करना । |
|---|--------|---|------|--|-------|---|

**7315 शासकीय कार्य प्रबंधन का सुदृढीकरण**

|                                   |          |   |        |                    |          |   |
|-----------------------------------|----------|---|--------|--------------------|----------|---|
| शासकीय कार्य प्रबंधन का सुदृढीकरण | 1,000.00 | निम्नांकित गतिविधियां की जाना प्रस्तावित है ।<br>1. लिंग आधारित बजट तैयार करना<br>2. शासन के राजस्व, व्यय और देयताओं के पूर्वानुमान के बेहतर तरीकों का इस्तेमाल करने हेतु राज्य का मध्यावधि राजकोषीय ढांचा तैयार करना ।<br>3. पांच विभागों हेतु तैयार किये गये मध्यावधि व्यय ढांचे का पुरीक्षण करते हुए वर्ष 2009-10में पुनः पुनरीक्षित मध्यावधि व्यय ढांचा तैयार करना ।<br>4. राज्य सरकार के | 675.00 | कार्य प्रगति पर है | 1,000.00 | डी.एफ.आई.डी की सहायता से शासकीय कार्य प्रबंधन परियोजना के क्रियान्वयन अंतर्गत निम्न गतिविधियां की जाना प्रस्तावित है:-<br>1. विभाग की आवश्यकता के आधार पर लिंग आधारित बजट तैयार करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना ।<br>2. शासन के राजस्व व्यय और देयताओं के पूर्वानुमान के बेहतर तरीकों का इस्तेमाल करने हेतु राज्य का मध्यावधि राजकोषीय ढांचा तैयार करना । |
|-----------------------------------|----------|---|--------|--------------------|----------|---|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित                        | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |   | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |   |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|--|---|--|---------------|---|---|---|
|   |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य  | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य  |
| 1   | 2                                   | 3                             | 4  | 5   | 6  | 7             | 8   | 9   | 10  |
| <b>विभाग - 04 वित्त विभाग</b>                     |                                     |                               |  |   |  |               |   |   |   |
| <b>विभागाध्यक्ष - 0404 आयुक्त, संस्थागत वित्त</b> |                                     |                               |  |   |  |               |   |   |   |
|   |                                     |                               |  | विभिन्न विभागों द्वारा क्रय की जाने वाली सामग्री हेतु वर्तमान परिदृश्य के आधार पर क्रय हेतु आवश्यक दस्तावेज तैयार करना ।<br>5. राज्य सरकार द्वारा चिन्हित 5 उपक्रमों के विधिक परिसमापन हेतु आवश्यक कार्यवाही करना ।<br>6. राज्य सरकार द्वारा पूर्व में किये गये कोषालय कम्प्यूटरीकरण को उन्नत करना ।<br>7. पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण मेन्युअल तैयार करना । |  |               |   |   | 3.पंच विभागों हेतु तैयार किये गये मध्यावधि व्यय ढांचे का पुनरीक्षण करते हुए वर्ष 2010-11 में पुनः पुनरीक्षित मध्यावधि व्यय ढांचा तैयार करना ।<br>4. राज्य सरकार द्वारा चिन्हित 5 उपक्रमों के विधिक परिसमापन हेतु आवश्यक कार्यवाही करना ।<br>6. राज्य सरकार द्वारा पूर्व में किये गये कोषालय कम्प्यूटरीकरण को उन्नत करना ।<br>7.पंचायती राज्य संस्थाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण मेन्युअल तैयार करना । |
|   |                                     |                               | 1,700.00   |   | 675.00   |               |   | 4,750.00  |   |
|   |                                     |                               | 1,700.00   |   | 675.00   |               |   | 4,750.00  |   |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित  | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय  | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |  | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये)  |              |
|---|--|-------------------------------|--|--------------|--|--|---|--|--------------|
|   |  |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि  |   | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य |
| 1   | 2  | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7  | 8   | 9  | 10           |
| <b>विभाग - 05 वाणिज्यिक कर विभाग</b>  |  |                               |  |              |  |  |   |  |              |
| <b>विभागाध्यक्ष - 0503 महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक अधीक्षक भोपाल ( म. प्र. )</b>             |  |                               |  |              |  |  |   |  |              |
| पंजीयन विभाग के अन्तर्गत<br>ई-स्टाम्पिंग व्यवस्था तथा<br>पंजीयन प्रक्रिया का<br>कम्प्यूटराईजेशन । | प्रोजेक्ट मैनेजमेंट<br>कंसल्टेंट तथा साफ्टवेयर<br>वेन्डर की नियुक्ति ।<br>साफ्टवेयर वेन्डर द्वारा<br>एप्लीकेशन साफ्टवेयर<br>तैयार किया जा रहा है । | 2,300.00                      | हार्डवेयर वेन्डर की<br>पुनर्नियुक्ति का कार्य ।                                  | 4.45         | हार्डवेयर वेन्डर की पुनर्नियुक्ति<br>के लिए टेन्डर डाक्यूमेंट तैयार<br>किया जा रहा है ।  | हार्डवेयर वेन्डर<br>आई.टी.आई.लिमिटेड द्वारा<br>निर्धारित समय सीमा में<br>हार्डवेयर सप्लाई नहीं करने के<br>कारण | 2,500.00  | साफ्टवेयर निर्माण<br>उपरांत एस.टी.क्यू.सी. द्वारा<br>तैयार एप्लीकेशन साफ्टवेयर<br>की टेस्टिंग तथा हार्डवेयर<br>वेन्डर की पुनर्नियुक्ति का<br>कार्य । |              |
| <b>विभागाध्यक्ष योग</b>   |  |                               | 2,300.00   |              | 4.45   |  |   | 2,500.00   |              |
| <b>विभाग</b>  |  |                               | 2,300.00   |              | 4.45   |  |   | 2,500.00   |              |



**परिणामी बजट 2010-2011**

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 07 राजस्व विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 0704 आयुक्त, भू अभिलेख, भू परिमाण एवं बन्दोबस्त ग्वालियर ( म. प्र. )**

|  |   |  |          |                           |       |                        |                                |        |                          |
|--|---|--|----------|---------------------------|-------|------------------------|--------------------------------|--------|--------------------------|
| <b>0908 कृषि संगणना</b>  |   |  | 97.21    |                           | 0.00  |                        |                                | 0.00   |                          |
| <b>2817 फसलों की सांख्यिकी में सुधार की योजना</b>  |   |  | 105.19   |                           | 0.00  |                        |                                | 0.00   |                          |
| <b>3542 मुख्य फलों के क्षेत्रफल तथा उत्पादन संबंधी अनुमानों को समय पर भेजने की योजना</b>   |   |  | 94.59    |                           | 0.00  |                        |                                | 0.00   |                          |
| <b>5045 केडेस्ट्रल सर्वे नक्शों का डिजिटलईजेशन</b>   |   |  | 78.00    |                           | 78.00 | 11 जिले                | —                              | 5.00   | 1 जिला                   |
| प्रदेश के समस्त जिलों में खसरो की कम्प्यूटरीकृत नक्शों के साथ-साथ भूमि के नक्शों का कम्प्यूटरीकृत अक्ष कषकों को उपलब्ध कराना                                   | योजना के पूर्ण होने के उपरांत प्रदेश के भू-अभिलेख कार्यक्रम को ई-गवर्नेंस के अन्तर्गत अधिक सुदृढ़ और कारगर किया जा सकेगा  |  |          |                           |       |                        |                                |        |                          |
| <b>5070 भू-अभिलेख जिला प्रशासन के स्तरों के सुधार की योजना</b>   |   |  | 485.00   | 93 तहसील, 5 राज्य, 2 वाहन | 0.00  | कार्यवाही जारी         | व्यय की कार्यवाही की जा रही है | 290.00 | 47 तहसील, 2 राज्य        |
| तहसीलों में स्थापित कम्प्यूटरों का उन्नयन एवं नवीन तकनीकी यंत्रों/उपकरणों की स्थापना एवं भू-प्रबंधन मोबाईल यूनिटों का गठन एवं राजस्व प्रशासन का अध्ययन एवं शोध | कम्प्यूटर के उन्नयन हो जाने से कषकों को उनके भू-अभिलेख की प्रतियां तत्काल उपलब्ध हो सकेगी । 2- कषकों की मौके पर जाकर समस्या का निराकरण 3- राजस्व प्रशासन में ओर गति लाने के लिये अन्य राज्यों के राजस्व प्रशासन के कार्यप्रणाली का अध्ययन |  |          |                           |       |                        |                                |        |                          |
| <b>5160 कम आबादी वाली तहसीलों में आवसीय परिसर का निर्माण</b>   |   |  | 1,233.00 | 45 जिलों (रा0यो0आ0        | 12.33 | 45 जिले ( भौतिक लक्ष्य | —                              | 513.00 | 11 जिले (रा0यो0आ0 द्वारा |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 07 राजस्व विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 0704 आयुक्त, भू अभिलेख, भू परिमाण एवं बन्दोबस्त ग्वालियर ( म. प्र. )**

|                                 |   |  |                                      |  |          |  |  |                               |  |
|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|----------|--|--|-------------------------------|--|
| में शासकीय आवास गहों का निर्माण | कर्मचारियों के लिये आवास गह उपलब्ध कराये जाने पर उनकी कार्य क्षमता में बद्धि होगी साथ ही आकस्मिक अवसरों पर वे तत्काल उपलब्ध हो सकेंगे |  | द्वारा जिला योजना अन्तर्गत अनुमोदित) |  | अनुसार ) |  |  | जिला योजना अन्तर्गत अनुमोदित) |  |
|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|----------|--|--|-------------------------------|--|

**6337 भू-अभिलेख का अद्यतीकरण**

|  |  |          |         |      |                        |   |          |                  |
|--|--|----------|---------|------|------------------------|---|----------|------------------|
| इण्टर कनेक्टिविटी, डिजिटिजेशन कार्य, डाटा सेन्टर, सर्वे/री सर्वे एवं मॉडर्न रिकॉर्ड रूम लेण्ड रिकॉर्ड मेनेजमेन्ट कार्य | भू-अभिलेखों का सर्वेक्षण, भू-मापन सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त अभिलेखों का आधुनिक पद्धति से अद्यतन किया जाना | 2,800.00 | 10 जिले | 0.00 | व्यय की कार्यवाही जारी | — | 2,200.00 | 6 जिले, 25 तहसील |
|--|--|----------|---------|------|------------------------|---|----------|------------------|

**6980 आयुक्त भू-अभिलेख**

|                               |  |          |   |       |                      |   |          |   |
|-------------------------------|--|----------|---|-------|----------------------|---|----------|---|
| विभागीय विभिन्न निर्माण कार्य | विभाग के विभिन्न शासकीय कार्यलय भवनों का निर्माण कार्य | 1,876.00 | रा0नि0/पटवारी- 90 भवन, रिकॉर्ड रूम-4, जिला कार्यालय भवन-3, तहसील/उप तहसील कार्यालय भवन-30 | 18.76 | पूर्ण लक्ष्य प्राप्त | — | 2,159.70 | रा0नि0/पटवारी - 155, रिकॉर्ड रूम -10, संभागीय कार्यालय -2, जिला कार्यालय-5 तहसील, कार्यालय -6 |
|-------------------------------|--|----------|---|-------|----------------------|---|----------|---|

**7603 राष्ट्रीय फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन**

|  |  |       |  |      |                   |   |      |                 |
|--|--|-------|--|------|-------------------|---|------|-----------------|
| फसल कटाई प्रयोगों के माध्यम से फसलवार औसत उत्पादन एवं फसल क्षति का पता लगाना | फसल बीमा योजना के अन्तर्गत प्रत्येक निधसर्सकरित फसल के लिये पटवारी हल्कों में 10-10 फसल कटाई प्रयोग किसे जावेंगे | 10.00 | सम्पूर्ण प्रदेश में फसल कटाई प्रयोगों का क्रियान्वयन | 0.00 | कार्यवाही जारी है | — | 5.00 | सम्पूर्ण प्रदेश |
|--|--|-------|--|------|-------------------|---|------|-----------------|

**8162 सिंचाई सांख्यिकीय के युक्तियुक्त करण की योजना**

|  |  |       |  |      |  |  |      |  |
|--|--|-------|--|------|--|--|------|--|
|  |  | 17.53 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
|--|--|-------|--|------|--|--|------|--|

**8850 भूमिहीनो को निजी भूमि क्रय कर पट्टे पर दिये जाने की योजना**

|  |  |       |                                    |      |  |   |       |                      |
|--|--|-------|------------------------------------|------|--|---|-------|----------------------|
| अ0जा0/अ0ज0जा0 के आवासहीन व्यक्तियों को | अ0जा0/अ0ज0जा0 के आवासहीन व्यक्तियों को | 10.00 | 20 आदिवासी एवं 13 अनुसूचित जाति के | 0.10 | राशि का आवंटन जिलों को किया जा चुका है भौतिक | — | 30.25 | 42 आदिवासी, 40 अ0जा0 |
|--|--|-------|------------------------------------|------|--|---|-------|----------------------|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित   | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण                                       | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|  |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1  | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |
| <b>विभाग - 07 राजस्व विभाग</b>   |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| <b>विभागाध्यक्ष - 0704 आयुक्त, भू अभिलेख, भू परिमाण एवं बन्दोबस्त ग्वालियर ( म. प्र. )</b> |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| आवास हेतु प्लॉट की सुविधा उपलब्ध कराना   |                                     |                               | आवास हेतु प्लॉट की सुविधा उपलब्ध कराना   |              | व्यक्तियों को लाभान्वित करना   |               | उपलब्धि जिलों से अप्राप्त है  |   |              |
| <b>9981 लघु सिंचाई योजनाओं की संगणना मानदेय तथा अन्य आकस्मिक व्यय</b>                      |                                     |                               | 66.68  |              | 0.00   |               | 0.00  |   |              |
| <b>विभागाध्यक्ष योग</b>  |                                     |                               | <b>6,873.20</b>  |              | <b>109.19</b>  |               | <b>5,202.95</b>   |   |              |
| <b>विभागाध्यक्ष - 0705 नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री</b>                               |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| <b>3427 मशीनों और उपकरण छपाई की मशीनों की खरीद</b>   |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| मुद्रण मशीनों का क्रय  |                                     |                               | मुद्रण गुणवत्ता में सुधार  |              | 20.00  |               | आवंटित राशी के विरुद्ध मशीन क्रय हेतु। क्रय आदेश दिनांक 12-1-2009 को जारी किये गये हैं। |   | 0.00         |
|  |                                     |                               |  |              |  |               | निल, मशीन दिनांक 15-3-2010 तक प्राप्त हो जायेंगी।                                       |   | निल          |
| <b>विभागाध्यक्ष योग</b>  |                                     |                               | <b>20.00</b>   |              | <b>0.00</b>  |               | <b>20.00</b>  |   |              |
| <b>विभाग</b>   |                                     |                               | <b>6,893.20</b>  |              | <b>109.19</b>  |               | <b>5,222.95</b>   |   |              |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित                               | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम                     | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |                                  | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |                                  | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |                                  |
|--|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---|----------------------------------|
|  |                                     |   | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य                     | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि                    |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य                     |
| 1  | 2                                   | 3   | 4  | 5                                | 6  | 7                                | 8   | 9   | 10                               |
| <b>विभाग - 09 खेल एवं युवक कल्याण विभाग</b>              |                                     |   |  |                                  |  |                                  |   |   |                                  |
| <b>विभागाध्यक्ष - 0903 संचालक, खेल एवं युवक कल्याण</b>   |                                     |   |  |                                  |  |                                  |   |   |                                  |
| <b>1079 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण</b>                      |                                     |   |  |                                  |  |                                  |   |   |                                  |
| 80000 खिलाड़ी  |                                     | निर्धारित लक्ष्य से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया । | 59.00  |                                  | 59.00  | 106734 खिलाड़ी                   | कोई कमी नहीं                                      | 29.90   | 90000 खिलाड़ी                    |
| <b>1190 ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता</b>                   |                                     |   |  |                                  |  |                                  |   |   |                                  |
| 44000 खिलाड़ी  |                                     | योजना परिवर्तन होने से परिणाम अपेक्षित            | 35.00  | 44000 खिलाड़ी                    | 0.00   | 0                                | योजना परिवर्तन होना                               | 15.00   | 0                                |
| <b>1567 खेल विकास सुधार हेतु अनुदान</b>                  |                                     |   |  |                                  |  |                                  |   |   |                                  |
| 210 ग्रामीण खेल प्रशिक्षक                                | उपयुक्त                             |   | 22.50  | 210 संविदा ग्रामीण खेल प्रशिक्षक | 12.00  | 180 संविदा ग्रामीण खेल प्रशिक्षक | —   | 22.00   | 210 संविदा ग्रामीण खेल प्रशिक्षक |
| <b>3459 महिला खेलकूद प्रतियोगिता</b>                     |                                     |   |  |                                  |  |                                  |   |   |                                  |
| महिला खिलाड़ी  |                                     | प्रतियोगिता सम्पन्न होने पर                       | 35.00  | 44000 महिला खिलाड़ी              | 35.00  | अनुमानित 44000 महिला खिलाड़ी     | कोई नहीं  | 40.00   | 50000 महिला खिलाड़ी              |
| <b>4938 युवा संधि को अनुदान</b>                          |                                     |   |  |                                  |  |                                  |   |   |                                  |
| 1 संस्था   | 1 संस्था                            |   | 598.99   | 1 संस्था                         | 498.00   | 1 संस्था                         | कोई नहीं  | 627.53  | 1 संस्था                         |
| <b>5001 म. प्र. खेल प्राधिकरण को अनुदान</b>              |                                     |   |  |                                  |  |                                  |   |   |                                  |
| 1 संस्था   | 1 संस्था                            |   | 52.00  | 1 संस्था                         | 52.00  | 1 संस्था                         | कोई कमी नहीं                                      | 60.00   | 1 संस्था                         |
| <b>5159 खेल अकादमियों की स्थापना</b>                     |                                     |   |  |                                  |  |                                  |   |   |                                  |
| खेल अकादमी   |                                     | उपयुक्त परिणाम प्राप्त हुए हैं ।                  | 1,451.34   | 6 अकादमी                         | 1,200.00   | 13 खेल अकादमी                    | —   | 1,610.00  | 13 खेल अकादमी                    |
| <b>5731 क्रिकेट अकादमी ग्वालियर को अनुदान</b>            |                                     |   |  |                                  |  |                                  |   |   |                                  |
| 1 क्रिकेट अकादमी   | उपयुक्त                             |   | 50.00  | 1 क्रिकेट अकादमी                 | 45.00  | 1 क्रिकेट अकादमी                 | कोई नहीं  | 40.00   | 1 क्रिकेट अकादमी                 |
| <b>5834 पायका ( पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान )</b> |                                     |   |  |                                  |  |                                  |   |   |                                  |

**परिणामी बजट 2010-2011**

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित                                     | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम  | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |   | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |   | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |   |
|--|-------------------------------------|--|--|---|--|---|---|---|---|
|  |                                     |  | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य                            | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि                           |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य                            |
| 1  | 2                                   | 3  | 4  | 5                                       | 6  | 7                                       | 8   | 9   | 10                                      |
| <b>विभाग - 09 खेल एवं युवक कल्याण विभाग</b>                    |                                     |  |  |   |  |   |   |   |   |
| <b>विभागाध्यक्ष - 0903 संचालक, खेल एवं युवक कल्याण</b>         |                                     |  |  |   |  |   |   |   |   |
| 2304 ग्राम पंचायत एवं 33<br>जनपद पंचायत                        |                                     | भारत सरकार से राशि<br>अपेक्षित होने से परिणाम<br>जनवरी 2010 तक प्राप्त<br>होगे । | 800.00   | 2304 ग्राम पंचायत एवं 33<br>जनपद पंचायत | 800.00   | 2304 ग्राम पंचायत एवं 33<br>जनपद पंचायत | —   | 2,300.00  | 2304 ग्राम पंचायत एवं 33<br>जनपद पंचायत |
| <b>6239 खेल परिषद को खेल सामग्री का क्रय</b>                   |                                     |  |  |   |  |   |   |   |   |
| 50 खेल प्रशिक्षण केन्द्र                                       |                                     | उपयुक्त  | 30.00  | 50 केन्द्र                              | 28.00  | 50 केन्द्र                              | कोई कमी नहीं                                      | 29.25   | 50 केन्द्र                              |
| <b>6703 स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना निर्माण</b>                 |                                     |  |  |   |  |   |   |   |   |
| 25 स्टेडियम  |                                     | 25 स्टेडियम  | 1,400.00   | 25 स्टेडियम                             | 1,200.00   | 25 स्टेडियम                             | —   | 1,650.00  | 30 स्टेडियम                             |
| <b>6975 प्रशिक्षकों का मानदेय</b>                              |                                     |  |  |   |  |   |   |   |   |
| संविदा जिला प्रशिक्षक  |                                     | 150 संविदा जिला प्रशिक्षक  | 118.44   | 150 प्रशिक्षक                           | 900.00   | 150 प्रशिक्षक                           | कोई कमी नहीं                                      | 129.32  | 150 प्रशिक्षक                           |
| <b>8840 खिलाड़ियों को प्रोत्साहन</b>                           |                                     |  |  |   |  |   |   |   |   |
| 40000 खिलाड़ी  |                                     | 40000 खिलाड़ी  | 629.53   | 40000 खिलाड़ी                           | 503.62   | 40000 खिलाड़ी                           | —   | 700.00  | 45000 खिलाड़ी                           |
| <b>8841 मूलभूत सुविधाओं के विकास सुधार हेतु - स्टेडियम आदि</b> |                                     |  |  |   |  |   |   |   |   |
| 15 विभागीय<br>स्टेडियम/खेल मैदान                               |                                     | 15 स्टेडियम  | 73.50  | 15 स्टेडियम                             | 58.00  | 15 स्टेडियम                             | कोई कमी नहीं ।                                    | 80.00   | 20 स्टेडियम                             |
| <b>9226 महिला हॉकी अकादमी की स्थापना</b>                       |                                     |  |  |   |  |   |   |   |   |
| 1 महिला हॉकी अकादमी  |                                     | महिला हॉकी खिलाड़ी   | 70.00  | (1महिला अकादमी )25<br>खिलाड़ी           | 65.00  | (1 महिला अकादमी )<br>50खिलाड़ी          | कोई कमी नहीं                                      | 65.00   | (1 महिला अकादमी )<br>50खिलाड़ी          |
| <b>विभागाध्यक्ष योग</b>  |                                     |  | 5,460.30   |   | 5,455.62   |   |   | 7,398.00  |   |
| <b>विभाग</b>   |                                     |  | 5,460.30   |   | 5,455.62   |   |   | 7,398.00  |   |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 10 वन विभाग

विभागाध्यक्ष - 1003 मुख्य वन संरक्षक ( बजट एवं लेखा आयोजनेत्तर )

4462 वन प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन

35.00

0.00

0.00

विभागाध्यक्ष योग

35.00

0.00

0.00

विभागाध्यक्ष - 1004 मुख्य वन संरक्षक ( विकास - आयोजना )

1594 राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्यों का विकास बांधवगढ कान्हा, राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर प्रोजेक्ट

17,523.41

प्रदेश के 4 टाईगर रिजर्व (बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, तथा संजय में वन्यप्राणी संरक्षण हेतु अधोसंरचना विकास का कार्य - जल स्रोतों का विकास (300 नग), लेन्टाना उन्मूलन कार्य (15000 हेक्टर), पशु अवरोधक दीवाल/फेंसिंग (45 कि.मी.) संचार साधनों का विकास हेतु वायरलेस उपकरण क्रय (50 नग), आवासीय/कार्यालय भवन निर्माण (20 नग) जनहानि एवं पशुहानि के प्रकरणों में क्षतिपूर्ति का भुगतान, सड़क निर्माण/उन्नयन (35 कि.मी.) पशु टीकारण कार्य, विस्थापन कार्य (5000 परिवार), वाहन क्रय प्रचार प्रसार, सेमीनार/सम्मेलन इत्यादि।

1,684.56

केन्द्र शासन से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण वर्तमान में केवल सुरक्षा एवं पेट्रोलिंग कार्य हेतु लगाये गये मजदूरों को भुगतान किया जा रहा है, तथा विगत वर्ष की शेष राशि रु. 1524.68 लाख विस्थापन कार्य पर व्यय किया है।

केन्द्र शासन से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण

9,525.00

प्रदेश के 4 टाईगर रिजर्व (बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, तथा संजय में वन्यप्राणी संरक्षण हेतु अधोसंरचना विकास का कार्य - जल स्रोतों का विकास (330 नग), पशु अवरोधक दीवाल/फेंसिंग (45 कि.मी.) लेन्टाना उन्मूलन कार्य (16000 हेक्टर), संचार साधनों का विकास हेतु वायरलेस उपकरण क्रय (50 नग), आवासीय/कार्यालय भवन निर्माण (30 नग) जनहानि एवं पशुहानि के प्रकरणों में क्षतिपूर्ति का भुगतान, सड़क निर्माण/उन्नयन (50 कि.मी.) पशु टीकारण कार्य, विस्थापन कार्य (4000 परिवार), वाहन क्रय प्रचार प्रसार, सेमीनार/सम्मेलन इत्यादि।

2536 पर्यावरण वानिकी

600.00

0.00

0.00

2723 प्रशासन सुदृढीकरण

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 10 वन विभाग

विभागाध्यक्ष - 1004 मुख्य वन संरक्षक (विकास - आयोजना)

क्रय:- 100 कम्प्यूटर तथा जी.आई.एस. केन्द्र की स्थापना हेतु आवश्यक उपकरण, स्केनर प्लोटर, 25 डिजिटल मानचित्र तथा 30 उपग्रह छायाचित्र। मरम्मत एवं रखरखाव:- संचार प्रणाली, 5000 वायरलेस सेट्स रखरखाव, 300 कम्प्यूटर/लेपटाप, मोबाइल का भुगतान एवं 220 बेट्री क्रय तथा पी.आर.एस. की कनेक्टिविटी इत्यादि कार्य।

क्रय:- 100 कम्प्यूटर तथा जी.आई.एस. केन्द्र की स्थापना हेतु आवश्यक उपकरण, स्केनर प्लोटर, 25 डिजिटल मानचित्र तथा 30 उपग्रह छायाचित्र। मरम्मत एवं रखरखाव:- संचार प्रणाली, 5000 वायरलेस सेट्स रखरखाव, 300 कम्प्यूटर/लेपटाप, मोबाइल का भुगतान एवं 220 बेट्री क्रय तथा पी.आर.एस. की कनेक्टिविटी इत्यादि कार्य।

300.00

16 वनवृत्तों व 62 क्षेत्रीय वनमण्डलों तथा 450 वन परिक्षेत्रों में संचार प्रणाली/डाटा सेंटर का सुदृढीकरण, क्षेत्रीय कार्यालयों के लिये डाटा संग्रहण हेतु स्टालेंशन एवं आपरेशन उपकरणों एवं प्रशिक्षण क्षेत्रीय स्तर हेतु। सर्वे उपकरणों का रखरखाव एवं रिप्लेसमेंट। 4900 मोबाइल फोनों के माध्यम से एफ.ए.एम.एस. का अनुश्रवण।

125.00

कार्य सतत् प्रकृति के है, जो प्रगतिरत् है।

871.80

क्रय:- 300 पी.डी.ए. 15 कम्प्यूटर तथा जी.आई.एस. केन्द्र की स्थापना हेतु आवश्यक उपकरण, स्केनर प्लोटर, 20 डिजिटल मानचित्र तथा 13 उपग्रह छायाचित्र। मरम्मत एवं रखरखाव:- संचार प्रणाली 5000 वायरलेस सेट्स 300 कम्प्यूटर 1900 जी.एस.एम./जी.पी.आर.एस. , 12 बोर की 557 बंदूके। वायरलेस/जी.एस.एम./जी.पी.आर.एस. की कनेक्टिविटी हेतु।

क्रय:- 100 कम्प्यूटर तथा जी.आई.एस. केन्द्र की स्थापना हेतु आवश्यक उपकरण, स्केनर प्लोटर, 25 डिजिटल मानचित्र तथा 30 उपग्रह छायाचित्र। मरम्मत एवं रखरखाव:- संचार प्रणाली, 5000 वायरलेस सेट्स रखरखाव, 300 कम्प्यूटर/लेपटाप, मोबाइल का भुगतान एवं 220 बेट्री क्रय तथा पी.आर.एस. की कनेक्टिविटी इत्यादि कार्य।

300.00

16 वनवृत्तों व 62 क्षेत्रीय वनमण्डलों तथा 450 वन परिक्षेत्रों में संचार प्रणाली/डाटा सेंटर का सुदृढीकरण, क्षेत्रीय कार्यालयों के लिये डाटा संग्रहण हेतु स्टालेंशन एवं आपरेशन उपकरणों एवं प्रशिक्षण क्षेत्रीय स्तर हेतु। सर्वे उपकरणों का रखरखाव एवं रिप्लेसमेंट। 4900 मोबाइल फोनों के माध्यम से एफ.ए.एम.एस. का अनुश्रवण।

125.00

कार्य सतत् प्रकृति के है, जो प्रगतिरत् है।

871.80

सूचना प्रौद्योगिकी की दिशा में उन्नत श्रेणी के लेपटॉप, कम्प्यूटर, मोबाइल, पीडीए, इन्टरनेट आदि की सुविधा उपलब्ध कराना।

2962 बिगड़े वनों का सुधार

446.90

0.00

0.00

3146 भूमि संरक्षण योजनाएं

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 10 वन विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 1004 मुख्य वन संरक्षक (विकास - आयोजना)**

|  |   |          |  |        |   |  |           |  |
|--|---|----------|--|--------|---|--|-----------|--|
| 200 हेक्टेयर क्षेत्रफल में भू-जल संरक्षण कार्य-चेकडेम, गली प्लगिंग, कन्दूर टैंचिंग एवं अन्य अस्थाई निर्माण कार्य।  | कार्य पूर्ण।  | 56.00    | भू-जल संरक्षण कार्य-चेकडेम, गली प्लगिंग, कन्दूर टैंचिंग एवं अन्य अस्थाई निर्माण कार्य।   | 22.00  | कार्य प्रगतिरत है।  |  | 48.36     | भू-जल संरक्षण कार्य-चेकडेम, गली प्लगिंग, कन्दूर टैंचिंग एवं अन्य अस्थाई निर्माण कार्य।   |
| <b>3730 प्रोजेक्ट टाइगर</b>  |   |          |  |        |   |  |           |  |
| राज्य के 2 राष्ट्रीय उद्यानों कान्हा तथा पेंच में वन्यप्राणी संरक्षण हेतु अधोसंरचना विकास का कार्य- जल स्रोतों का विकास (200 नग) लेन्टाना उन्मूलन कार्य (1250 हें0), पशु अवरोधक दीवाल/फेसिंग (20 कि.मी.) संचार साधनों का विकास हेतु वायरलेस उपकरण क्रय (20 नग), आवासीय/कार्यालय भवन निर्माण (10 नग), जल हानि एवं पशु हानि के प्रकरणों में क्षतिपूर्ति का भुगतान, सड़क निर्माण/उन्नयन (25 कि.मी.) पशु टीकाकरण कार्य, वाहन क्रय, प्रचार-प्रसार, सेमीनार/सम्मेलन इत्यादि कार्य। | 24 जल स्रोतों का विकास, 1125 हेक्टेयर में लेन्टाना उन्मूलन, 12 वायरलेस उपकरणों का क्रय, 4 भवनों का निर्माण एवं 1 वाहन का क्रय किया गया। पशु टीकाकरण कार्य, वाहन क्रय, प्रचार-प्रसार, सेमीनार/सम्मेलन इत्यादि कार्य। | 9,630.10 | प्रदेश के 2 टाईगर रिजर्व (कान्हा एवं पेंच) में वन्यप्राणी संरक्षण हेतु अधोसंरचना विकास का कार्य - जल स्रोतों का विकास (210 नग), लेन्टाना उन्मूलन कार्य (5000 हेंक्टर), पशु अवरोधक दीवाल/फेसिंग (30 कि.मी.) संचार साधनों का विकास हेतु वायरलेस उपकरण क्रय (40 नग), आवासीय/कार्यालय भवन निर्माण (10 नग) जनहानि एवं पशुहानि के प्रकरणों में क्षतिपूर्ति का भुगतान, सड़क निर्माण/उन्नयन (20 कि.मी.) पशु टीकाकरण कार्य, विस्थापन कार्य (1000 परिवार), वाहन क्रय प्रचार प्रसार, सेमीनार/सम्मेलन इत्यादि। | 168.01 | केन्द्र शासन से स्वीकृति न मिलने के कारण वर्तमान में केवल सुरक्षा एवं पेट्रोलिंग कार्य हेतु लगाये गये मजदूरों को भुगतान किया जा रहा है। | केन्द्र शासन से स्वीकृति न मिलने के कारण | 13,427.15 | प्रदेश के 2 टाईगर रिजर्व (कान्हा एवं पेंच) में वन्यप्राणी संरक्षण हेतु अधोसंरचना विकास का कार्य - जल स्रोतों का विकास (215 नग), लेन्टाना उन्मूलन कार्य (4000 हेंक्टर), पशु अवरोधक दीवाल/फेसिंग (20 कि.मी.) संचार साधनों का विकास हेतु वायरलेस उपकरण क्रय (30 नग), आवासीय/कार्यालय भवन निर्माण (10 नग) जनहानि एवं पशुहानि के प्रकरणों में क्षतिपूर्ति का भुगतान, सड़क निर्माण/उन्नयन (20 कि.मी.) पशु टीकाकरण कार्य, विस्थापन कार्य (1000 परिवार), वाहन क्रय प्रचार प्रसार, सेमीनार/सम्मेलन इत्यादि। |
| <b>4342 सड़क भवन एवं चौकी निर्माण कार्य</b>  |   |          |  |        |   |  |           |  |
| विभिन्न स्तर के क्षेत्रीय वन कर्मचारियों के 133 आवास भवनों का निर्माण, रेस्ट हाउस मरम्मत एवं वन भवन निर्माण तथा क्षतिपूर्ति  | विभिन्न स्तर के क्षेत्रीय वन कर्मचारियों के 263 आवास भवनों का निर्माण, रेस्ट हाउस मरम्मत एवं वन भवन निर्माण तथा   | 1,900.00 | विभिन्न स्तर के क्षेत्रीय वन कर्मचारियों के 175 आवास भवनों का निर्माण, रेस्ट हाउस मरम्मत एवं वन भवन निर्माण तथा क्षतिपूर्ति  | 0.00   | कार्य सतत् प्रकृति का है, जो प्रगतिरत है।   |  | 2,600.00  |  |



परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित   | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|  |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1  | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |
| <b>विभाग - 10 वन विभाग</b>   |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| <b>विभागाध्यक्ष - 1004 मुख्य वन संरक्षक (विकास - आयोजना)</b>   |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| इत्यादि कार्य। अन्दरूनी वन क्षेत्रों में 90 वन सुधार चौकियों एवं 90 लाईन क्वार्टर का निर्माण।  |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| क्षतिपूर्ति इत्यादि कार्य। 4 नवीन विश्राम ग्रहों का निर्माण, अन्दरूनी वन क्षेत्रों में 15 वन सुधार चौकियों एवं 15 लाईन क्वार्टर का निर्माण।  |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| इत्यादि कार्य। अन्दरूनी वन क्षेत्रों में 15 लाईन क्वार्टर का निर्माण।  |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| <b>5105 संरक्षित क्षेत्रों में स्थित ग्रामों के लिये ईको विकास योजना</b>   |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास/ चारागाह एवं जलाऊ वृक्षारोपण/वैकल्पिक रोजगार/प्रशिक्षण/कृषि एवं पशु सुधार।  |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| योजना में प्रावधानित राशि रु0 200.00 लाख समर्पित। व्यय की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण।   |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| 50.00 ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास/चारागाह एवं जलाऊ वृक्षारोपण/वैकल्पिक रोजगार/प्रशिक्षण/कृषि एवं पशु सुधार इत्यादि।   |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| 0.00 निरंक   |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| सक्षम वित्तीय समिति के स्वीकृति न मिलने के कारण  |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| 50.00 ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास/चारागाह एवं जलाऊ वृक्षारोपण/वैकल्पिक रोजगार/प्रशिक्षण/कृषि एवं पशु सुधार इत्यादि।   |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| <b>5108 अध्ययन एवं अनुसंधान</b>  |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर को विशिष्ट अध्ययन/अनुसंधान परियोजनाओं हेतु अनुदान।   |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर को विशिष्ट अध्ययन/अनुसंधान परियोजनाओं हेतु अनुदान। कार्य पूर्ण।  |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| 68.40 विशिष्ट अध्ययन/अनुसंधान परियोजनाओं हेतु अनुदान।  |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| 50.40 कार्य सतत् प्रकृति का है।  |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| 68.40 विशिष्ट अध्ययन/अनुसंधान परियोजनाओं हेतु अनुदान।  |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| <b>5109 संरक्षित क्षेत्रों से ग्रामों का पुर्नवास एवं संरक्षित क्षेत्रों में अधिकारों के अर्जन हेतु मुआवजा</b>   |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| माधव राष्ट्रीय उद्यान एवं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में ग्रामों के विस्थापन कार्य हेतु।   |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| माधव राष्ट्रीय उद्यान एवं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में ग्रामों के विस्थापन हेतु राशि का उपयोग किया गया।  |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| 100.00 4 ग्रामों का पुनर्वास कार्य एवं अधिकारों के अर्जन हेतु मुआवजा भुगतान। पुनर्वास स्थल पर कृषि योग्य भूमि तैयारी/सिंचाई सुविधा/पहुँचमार्ग/सामुदायिक सुविधायें/पुनर्वास हेतु प्रोत्साहन राशि/भवन निर्माण इत्यादि। |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| 0.00 निरंक   |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| वर्तमान में बजट आवंटन नहीं किये जाने के कारण   |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| 110.00 संरक्षित क्षेत्र से 11 परिवारों का विस्थापन   |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| <b>5231 लघु वनोपज संघ को अनुदान</b>  |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| 372.00   |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| 0.00   |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| 0.00   |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 10 वन विभाग

विभागाध्यक्ष - 1004 मुख्य वन संरक्षक (विकास - आयोजना)

5317 गहन वन प्रबंधन

|   |   |          |  |      |  |        |   |
|---|---|----------|--|------|--|--------|---|
| 13 टाटा 207, 17100 कारतूस क्रय, 7 चौकी लाईन क्वार्टर, 5 बैरियर, 12 मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय तथा 2 राष्ट्रीय उद्यानों को शस्त्र प्रशिक्षण एनआईसी साफ्टवेयर, एडॉस इमेजरी, साफ्टवेयर/एडॉस साफ्टवेयर अपग्रेडेशन, सर्वे ऑफ इंडिया की डाटा शीट डेल सर्वर, बीएसएनएल बिजनेस प्लान/बीएसएनएल भोपाल को 32 सर्किट 2 एम.बी.पी.एस./बीएसएनएल से ई.वी.डी. डाटा कार्य का क्रय, एस.एस.सी. सर्टिफिकेट/जी.पी.एस. टूल्स एक्सट्रानेट/यू.टी.एम. एक्सट्रानेट/200 कम्प्युटर क्रय लीज लाईन/एन.आर.एस.ए. हैदराबाद डाटा शीट एवं अन्य सहायक उपकरण का क्रय। | 13 टाटा 207, 17100 कारतूस क्रय, 7 चौकी लाईन क्वार्टर, 5 बैरियर, 12 मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय तथा 2 राष्ट्रीय उद्यानों को शस्त्र प्रशिक्षण एनआईसी साफ्टवेयर, एडॉस इमेजरी, साफ्टवेयर/एडॉस साफ्टवेयर अपग्रेडेशन, सर्वे ऑफ इंडिया की डाटा शीट डेल सर्वर, बीएसएनएल बिजनेस प्लान/बीएसएनएल भोपाल को 32 सर्किट 2 एम.बी.पी.एस./बीएसएनएल से ई.वी.डी. डाटा कार्य का क्रय, एस.एस.सी. सर्टिफिकेट/जी.पी.एस. टूल्स एक्सट्रानेट/यू.टी.एम. एक्सट्रानेट/200 कम्प्युटर क्रय लीज लाईन/एन.आर.एस.ए. हैदराबाद डाटा शीट एवं अन्य सहायक उपकरण का क्रय। | 1,521.97 | वनों की अग्नि सुरक्षा, 10 वन सुरक्षा चौकियों/लाईन क्वार्टर का निर्माण, 5 बैरियर का निर्माण, 20 बहुउद्देशीय वाहनों का क्रय, 1000 जी.पी.एफ. फारेस्ट नेटवर्क का संचालन, सेटेलाइट इमेजिनरी के माध्यम से वन संसाधनों का विश्लेषण, सेटेलाइट आधारित सविलेन्सी सिस्टम का विकास, कर्मचारियों का शस्त्र प्रशिक्षण। | 0.00 | लक्ष्य 31.03.10 तक पूर्ण कर लिये जायेंगे। कार्य प्रगतिरत्। | 425.00 | वन चौकियों का निर्माण, कर्मचारियों को प्रशिक्षण, बैरियर एवं चैक पोस्ट का निर्माण, वाहन क्रय, अग्नेय शस्त्रों का क्रय, कम्प्युटर का क्रय, वन अग्नि नियंत्रण एवं प्रबंध के लिये उपकरणों एवं साफ्टवेयर का क्रय, वन सीमाओं के सीमांकन एवं सर्वे के लिये जीपीएस एवं सेटेलाइट चित्र क्रय। |
|---|---|----------|--|------|--|--------|---|

5651 वनों का विकास

278.84

0.00

0.00

5828 वन्य प्राणी द्वारा फसल क्षति का मुआवजा

50.00

संरक्षित क्षेत्रों से लगे हुये क्षेत्रों में किसानों की फसल वन्यप्राणियों के द्वारा क्षति

0.00

निरंक

क्षेत्रीय कार्यालयों से मांग के अनुसार आवंटन किया जा रहा है।

200.00

संरक्षित क्षेत्रों से लगे हुये क्षेत्रों में किसानों की फसल वन्यप्राणियों के द्वारा क्षति

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित                                   | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय       | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |  | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण          | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये)                  |   |
|--|---|-------------------------------|--|--|--|---------------|--|--|---|
|  |   |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य   | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |  | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य  |
| 1  | 2   | 3                             | 4  | 5  | 6  | 7             | 8  | 9  | 10  |
| <b>विभाग - 10 वन विभाग</b>                                   |   |                               |  |  |  |               |  |  |   |
| <b>विभागाध्यक्ष - 1004 मुख्य वन संरक्षक (विकास - आयोजना)</b> |   |                               |  |  |  |               |  |  |   |
|  |   |                               |  | पहुचाने पर राजस्व<br>अधिकारियों के द्वारा<br>आंकलित किये गये<br>प्रकरणों के भुगतान हेतु।   |  |               |  | पहुचाने पर राजस्व<br>अधिकारियों के द्वारा<br>आंकलित किये गये<br>प्रकरणों के भुगतान हेतु। |   |
| 5830   | ईको पर्यटन विकास बोर्ड को अनुदान          |                               | 100.00   |  | 0.00   |               |  | 0.00   |   |
| 6397   | लोक वानिकी एवं रोपणियों में पोधा तैयारी   |                               | 968.90   |  | 0.00   |               |  | 0.00   |   |
| 6539   | राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास |                               | 854.67   | प्रदेश के 2 राष्ट्रीय उद्यान<br>(वन विहार एवं माधव) तथा<br>21 अभ्यारण्यों में वन्यप्राणी<br>संरक्षण हेतु अधोसंरचना<br>विकास का कार्य—जल<br>स्रोतों का विकास (340<br>नग), लेन्टाना उन्मूलन<br>कार्य (1600 हैं.), पशु<br>अवरोधक दीवाल/फेसिंग<br>(30 कि.मी.) संचार साधनों<br>का विकास हेतु वायरलेस<br>क्रय (50 नग),<br>आवासीय/कार्यालय भवन<br>निर्माण (20 नग), जल<br>हानि एवं पशु हानि के<br>प्रकरणों में क्षतिपूर्ति का<br>भुगतान, सड़क<br>निर्माण/उन्नयन (35<br>कि.मी.), पशु टीकारण<br>कार्य, वाहन क्रय,<br>प्रचार-प्रसार,<br>सेमीनार/सम्मेलन इत्यादि<br>कार्य। | 0.00   | निरंक         | केन्द्र शासन से स्वीकृति विलंब<br>से प्राप्त होने के कारण। | 761.90   | प्रदेश के 2 राष्ट्रीय उद्यान<br>(वन विहार एवं माधव)<br>तथा 21 अभ्यारण्यों में<br>वन्यप्राणी संरक्षण हेतु<br>अधोसंरचना विकास का<br>कार्य—जल स्रोतों का<br>विकास (300 नग), लेन्टाना<br>उन्मूलन कार्य (1000 हैं.),<br>पशु अवरोधक<br>दीवाल/फेसिंग (20<br>कि.मी.) संचार साधनों का<br>विकास हेतु वायरलेस क्रय<br>(30 नग),<br>आवासीय/कार्यालय भवन<br>निर्माण (15 नग), जल<br>हानि एवं पशु हानि के<br>प्रकरणों में क्षतिपूर्ति का<br>भुगतान, सड़क<br>निर्माण/उन्नयन (30<br>कि.मी.), पशु टीकारण<br>कार्य, वाहन क्रय,<br>प्रचार-प्रसार,<br>सेमीनार/सम्मेलन इत्यादि<br>कार्य। |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित                                   | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय     | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |   | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |   |
|--|---|-------------------------------|--|---|--|---------------|---|---|---|
|  |   |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य  | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य  |
| 1  | 2                                       | 3                             | 4  | 5   | 6  | 7             | 8   | 9   | 10  |
| <b>विभाग - 10 वन विभाग</b>                                   |   |                               |  |   |  |               |   |   |   |
| <b>विभागाध्यक्ष - 1004 मुख्य वन संरक्षक (विकास - आयोजना)</b> |   |                               |  |   |  |               |   |   |   |
| <b>6733</b>  | राष्ट्रीय जल तंत्र संरक्षण का कार्यक्रम |                               | 54.00  | माधव राष्ट्रीय उद्यान एवं रातापानी अभ्यारण्य में जल तंत्र संरक्षण-प्रशिक्षण, जागरूकता, अभियान ईको विकास योजना, जलग्रहण तंत्र उपचार आदि कार्य। | 0.00   | निरंक         | केन्द्र शासन के द्वारा स्वीकृति न मिलने के कारण   | 59.00   | माधव राष्ट्रीय उद्यान एवं रातापानी अभ्यारण्य में जल तंत्र संरक्षण-प्रशिक्षण, जागरूकता, अभियान ईको विकास योजना, जलग्रहण तंत्र उपचार आदि कार्य। |
| <b>6853</b>  | ओंकारेश्वर निधि से व्यय                 |                               | 200.00   |   | 0.00   |               |   | 0.00  |   |
| <b>6898</b>  | वनों के अनुरक्षण हेतु अनुदान            |                               | 2,307.45   |   | 0.00   |               |   | 0.00  |   |
| <b>7882</b>  | कार्य आयोजनाओं का क्रियान्वयन           |                               | 16,097.27  |   | 0.00   |               |   | 0.00  |   |
|  | <b>विभागाध्यक्ष योग</b>                 |                               | <u>53,779.91</u>   |   | <u>2,174.97</u>  |               |   | <u>29,018.41</u>  |   |
|  | <b>विभाग</b>                            |                               | 53,814.91  |   | 2,174.97   |               |   | 29,018.41   |   |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित  | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |   | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |   | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण                        | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |   |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|--|---|--|---|--|---|---|
|   |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य  | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि   |  | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य  |
| 1   | 2                                   | 3                             | 4  | 5   | 6  | 7   | 8  | 9   | 10  |
| <b>विभाग - 11 वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग</b>  |                                     |                               |  |   |  |   |  |   |   |
| <b>विभागाध्यक्ष - 1102 आयुक्त, उद्योग</b>   |                                     |                               |  |   |  |   |  |   |   |
| <b>1175 ग्रामीण उद्यमी विकास योजना प्रशिक्षण</b>  |                                     |                               |  |   |  |   |  |   |   |
|   | 65 कार्यक्रम                        |                               | 39.00  | 65 कार्यक्रम  | 21.43  | 37 कार्यक्रम  |  | 42.60   | 65 कार्यक्रम  |
| <b>3801 लघु उद्योगों को ब्याज अनुदान</b>  |                                     |                               |  |   |  |   |  |   |   |
|   | इकाईयों की संख्या                   |                               | 624.21   | 250   | 558.27   | 274   |  | 1,715.76  | 500   |
| <b>4197 शासकीय कर्मचारियों एवं अशासकीय व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण प्रोग्राम, स्टडी टूर</b> |                                     |                               |  |   |  |   |  |   |   |
|   | 50                                  | 45                            | 8.50   | 200   | 7.56   | 150   |  | 11.01   | 250   |
| <b>5100 विभागीय ऑनलाईन सेवाओं का विकास</b>  |                                     |                               |  |   |  |   |  |   |   |
|   | लागू नहीं                           | लागू नहीं                     | 46.75  | लागू नहीं   | 13.29  | लागू नहीं   | निविदा प्रक्रिया प्रचलन में है।  | 45.70   | लागू नहीं   |
| <b>5101 सीपेट को अधोसंरचना अनुदान</b>   |                                     |                               |  |   |  |   |  |   |   |
|   | इकाईयों की संख्या                   |                               | 0.01   | 1   | 0.00   | 0   |  | 40.00   | 1   |
| <b>5406 लघु उद्योगों की संगणना</b>  |                                     |                               |  |   |  |   |  |   |   |
|   | लक्ष्य निर्धारित नहीं               | लक्ष्य निर्धारित नहीं         | 28.74  | अपंजीकृत सूक्ष्म, लघु उद्योगों का सैम्पल सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया जाना        | 21.84  | अपंजीकृत सूक्ष्म, लघु उद्योगों का सैम्पल सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया जाना        |  | 0.00  | अपंजीकृत सूक्ष्म, लघु उद्योगों का सैम्पल सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया जाना        |
| <b>5492 भारत ओमान रिफाईनरी लि. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट टैक्स की प्रतिपूर्ति</b>                  |                                     |                               |  |   |  |   |  |   |   |
|   | इकाईयों की संख्या                   | इकाई संख्या                   | 3,500.00   | 1 इकाई - भारत-ओमान रिफाईनरी लि. बीना को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट टैक्स की प्रतिपूर्ति | 1,695.72   | 1 इकाई - भारत-ओमान रिफाईनरी लि. बीना को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट टैक्स की प्रतिपूर्ति |  | 2,000.00  | 1 इकाई - भारत-ओमान रिफाईनरी लि. बीना को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट टैक्स की प्रतिपूर्ति |
| <b>5493 दिल्ली मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर निगम में धनवेष्ठन</b>                                |                                     |                               |  |   |  |   |  |   |   |
|   |                                     |                               | 100.00   |   | 0.00   |   | राजस्व अनुभाग की योजना में राशि का प्रावधान कराने हेतु समर्पित की गई है। | 0.01  |   |
| <b>5528 जॉब फेयर</b>  |                                     |                               |  |   |  |   |  |   |   |
|   | नियोजित आवेदकों की                  | 3767                          | 15.00  | 8000  | 6.92   | 3767  |  | 22.32   | 11000   |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित                         | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय                           | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम                                  | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |  | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |  | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |  |
|--|---|--|--|--|--|--|---|---|--|
|  |   |  | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य   | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि  |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य   |
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8   | 9   | 10   |
| <b>विभाग - 11 वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग</b> |   |  |  |  |  |  |   |   |  |
| <b>विभागाध्यक्ष - 1102 आयुक्त, उद्योग</b>          |   |  |  |  |  |  |   |   |  |
| संख्या   |   |  |  |  |  |  |   |   |  |
| <b>5529</b>  | <b>कैरियर काउन्सिलिंग</b>                                     |  |  |  |  |  |   |   |  |
|  | आवेदकों की संख्या   | 7008   | 28.00  | 8000   | 10.47  | 7008   |   | 40.10   | 12000  |
| <b>5531</b>  | <b>डेरिटेनेशन म.प्र.-इन्वेस्टमेन्ट ड्राइव</b>                 |  |  |  |  |  |   |   |  |
|  | लक्ष्य निर्धारित नहीं   | लक्ष्य निर्धारित नहीं  | 100.00   | खाद्य प्रसंस्करण पर<br>आधारित मीट का आयोजन                     | 100.00   | आयोजन की प्रारंभिक तैयारियों<br>हेतु राशि व्यय                       |   | 100.00  | लक्ष्य निर्धारित नहीं  |
| <b>5816</b>  | <b>डी.एम.आई.सी. परियोजना हेतु प्रशासनिक तंत्र</b>             |  |  |  |  |  |   |   |  |
|  | लक्ष्य निर्धारित नहीं   | लक्ष्य निर्धारित नहीं  | 600.00   | लक्ष्य निर्धारित नहीं  | 0.00   |  |   | 100.00  | लक्ष्य निर्धारित नहीं  |
| <b>6058</b>  | <b>एपेरल ट्रेनिंग एवं डिजाइन सेन्टर हेतु अधोसंरचना अनुदान</b> |  |  |  |  |  |   |   |  |
|  | एपेरल ट्रेनिंग एवं डिजाईन<br>सेन्टर हेतु अधोसंरचना<br>अनुदान  | एपेरल ट्रेनिंग एवं डिजाईन<br>सेन्टर हेतु अधोसंरचना<br>अनुदान   | 0.00   |  | 0.00   |  |   | 77.00   | एपेरल ट्रेनिंग एवं डिजाईन<br>सेन्टर हेतु अधोसंरचना<br>अनुदान   |
| <b>6059</b>  | <b>कम्पोजिट कार्यालय भवनो का निर्माण</b>                      |  |  |  |  |  |   |   |  |
|  | कम्पोजिट कार्यालय भवनों<br>का निर्माण                         |  | 0.00   |  | 0.00   |  |   | 103.00  | कम्पोजिट कार्यालय भवनों<br>का निर्माण                          |
| <b>6114</b>  | <b>सिद्धगवां जल प्रदाय योजना</b>                              |  |  |  |  |  |   |   |  |
|  | सिद्धगवां जलप्रदाय योजना                                      | सिद्धगवां औद्योगिक क्षेत्र<br>में जल प्रदाय योजना का<br>उन्नयन | 0.00   | 0  | 0.00   | 0  | 0   | 100.00  | सिद्धगवां औद्योगिक क्षेत्र में<br>जल प्रदाय योजना का<br>उन्नयन |
| <b>6749</b>  | <b>भू-अर्जन, सर्वे एवं डिमाकॅशन, सर्विस चार्ज</b>             |  |  |  |  |  |   |   |  |
|  | भूमि अधिग्रहण   |  | 400.00   | 50 हैक्टेअर  | 45.46  | 10 हैक्टेअर  | भू-अर्जन प्रक्रिया में लगने वाले<br>समय के कारण   | 1,000.00  | 125 हैक्टेअर   |
| <b>6750</b>  | <b>अधोसंरचना विकास</b>  |  |  |  |  |  |   |   |  |
|  | औद्योगिक क्षेत्रों में<br>अधोसंरचना विकसित करना               |  | 350.25   | सड़क निर्माण एवं<br>डामरीकरण— 4000 मीटर,<br>नाली निर्माण— 3500 | 259.29   | सड़क निर्माण एवं डामरीकरण—<br>3000 मीटर,<br>नाली निर्माण— 3000 मीटर, |   | 382.00  | सड़क निर्माण एवं<br>डामरीकरण— 4000 मीटर,<br>नाली निर्माण— 3500 |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित                         | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय                          | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम                                      | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |   | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |  | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण               | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये)                         |   |
|--|--|--|--|---|--|--|---|---|---|
|  |  |  | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य  | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि  |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  | 8   | 9   | 10  |
| <b>विभाग - 11 वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग</b> |  |  |  |   |  |  |   |   |   |
| <b>विभागाध्यक्ष - 1102 आयुक्त, उद्योग</b>          |  |  |  |   |  |  |   |   |   |
|  |  |  |  | मीटर,<br>ह्यूम पाईप पुलिया- 20<br>नग,<br>जलप्रदाय परियोजना- 2,<br>विद्युत प्रदाय परियोजना-<br>3   |  | ह्यूम पाईप पुलिया- 15 नग,<br>जलप्रदाय परियोजना- 2,<br>विद्युत प्रदाय परियोजना- 2 |   | मीटर,<br>ह्यूम पाईप पुलिया- 20<br>नग,<br>जलप्रदाय परियोजना- 2,<br>विद्युत प्रदाय परियोजना-<br>3 |   |
| <b>6819</b>  | विद्युत देयक प्रतिपूर्ति                                     |  |  |   |  |  |   |   |   |
|  | इकाईयों की संख्या  |  | 85.00  | इकाईयों की संख्या   |  | 0.00   | योजनांतर्गत स्वीकृति जारी<br>नहीं होने से                       | 159.32  |   |
| <b>6820</b>  | क्लस्टरों की स्थापना   |  |  |   |  |  |   |   |   |
|  | क्लस्टर  |  | 0.01   |   |  | 0.00   |   | 10.00   | क्लस्टर   |
| <b>6927</b>  | बीमार लघु उद्योगों के पुनर्जीवन की योजना                     |  |  |   |  |  |   |   |   |
|  | लक्ष्य निर्धारित नहीं  | जिला व्यापार एवं उद्योग<br>केन्द्रों से अब तक प्रस्ताव<br>अप्राप्त | 30.00  | लक्ष्य निर्धारित नहीं   |  | 0.00   | जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों<br>से अब तक प्रस्ताव अप्राप्त | 23.00   | लक्ष्य निर्धारित नहीं   |
| <b>7430</b>  | परियोजना प्रतिवेदन व्यय प्रतिपूर्ति                          |  |  |   |  |  |   |   |   |
|  | इकाईयों की संख्या  |  | 32.10  | 20  |  | 19.71  | 19  | 47.90   | 30  |
| <b>7432</b>  | अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय प्रचार-प्रसार योजना |  |  |   |  |  |   |   |   |
|  | लक्ष्य निर्धारित नहीं  | लक्ष्य निर्धारित नहीं  | 160.00   | अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में<br>म.प्र. की सहभागिता,<br>गणतंत्र दिवस पर चलित<br>झांकी का प्रदर्शन,<br>प्रचार-प्रसार जागरूकता<br>शिविर का आयोजन,<br>सेमीनार का आयोजन |  | 113.24   |   | 160.00  | अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में<br>म.प्र. की सहभागिता,<br>गणतंत्र दिवस पर चलित<br>झांकी का प्रदर्शन,<br>प्रचार-प्रसार जागरूकता<br>शिविर का आयोजन,<br>सेमीनार का आयोजन |
| <b>7433</b>  | गुणवत्ता प्रमाणीकरण व्यय प्रतिपूर्ति                         |  |  |   |  |  |   |   |   |
|  | इकाईयों की संख्या  | इकाईयों की संख्या  | 31.50  | 35  |  | 9.41   | 12  | पर्याप्त प्रकरण प्राप्त नहीं होने<br>से   | 26.50 25  |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित   | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय  | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10)   |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |   | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये)  |              |
|--|--|-------------------------------|--|--------------|--|---|---|--|--------------|
|  |  |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि   |   | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य |
| 1  | 2  | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7   | 8   | 9  | 10           |
| <b>विभाग - 11 वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग</b>   |  |                               |  |              |  |   |   |  |              |
| <b>विभागाध्यक्ष - 1102 आयुक्त, उद्योग</b>  |  |                               |  |              |  |   |   |  |              |
| <b>7690 पावरलूम बुनकरों को रियायती दर पर विद्युत प्रदाय/ब्याज अनुदान</b>   |  |                               |  |              |  |   |   |  |              |
| म.प्र. में कुल 4176 पावरलूम इकाईयां स्थापित हैं, जिन्हें प्रतिमाह उनकी विद्युत खपत के आधार पर वितरण किया जाता है तथा संघ एवं समिति को ब्याज अनुदान दिया जाता है। | प्रदेश में पावरलूम उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने और आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से रियायती दर पर विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना। | 750.00                        | म.प्र. में कुल 4176 पावरलूम इकाईयां स्थापित हैं, जिन्हें प्रतिमाह उनकी विद्युत खपत के आधार पर वितरण किया जाता है तथा संघ एवं समिति को ब्याज अनुदान दिया जाता है। | 256.63       | 3840 पावरलूम इकाईयों को प्रतिमाह विद्युत खपत अनुसार भुगतान किया गया।                     | विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा मांग नहीं किये जाने के कारण | 800.40  | म.प्र. में कुल 4176 पावरलूम इकाईयां स्थापित हैं, जिन्हें प्रतिमाह उनकी विद्युत खपत के आधार पर वितरण किया जाता है तथा संघ एवं समिति को ब्याज अनुदान दिया जाता है। |              |
| <b>7880 उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना</b>  |  |                               |  |              |  |   |   |  |              |
| इकाईयों की संख्या  | इकाईयों की संख्या  | 800.00                        | 20   | 704.71       | 14   |   | 11,616.12   | 41   |              |
| <b>7883 विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र में एपेरल पार्क की स्थापना</b>   |  |                               |  |              |  |   |   |  |              |
| एपेरल पार्क की स्थापना   | एपेरल पार्क की स्थापना   | 100.00                        | एपेरल पार्क की स्थापना   | 100.00       | एपेरल पार्क की स्थापना   |   | 7.62  | एपेरल पार्क की स्थापना   |              |
| <b>7884 विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र की स्थापना हेतु भूअर्जन</b>  |  |                               |  |              |  |   |   |  |              |
| भूमि अधिग्रहण  |  | 600.00                        | 44   | 600.00       | 44   |   | 303.09  | 22   |              |
| <b>7891 रानी दुर्गावती सहायता योजना</b>  |  |                               |  |              |  |   |   |  |              |
| हितग्राहियों की संख्या   | हितग्राहियों की संख्या   | 1,763.90                      | 3500   | 1,351.46     | 1491   |   | 2,204.66  | 3500   |              |
| <b>8808 सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य</b>  |  |                               |  |              |  |   |   |  |              |
| शिक्षित बेरोजगारों का डाटाबेस तैयार करना   | 3500 डाटाबेस तैयार किया गया  | 70.94                         | 6000   | 10.85        | 3500   |   | 48.36   | 1. वेबबेस्ड कम्प्यूटरीक<br>रोजगार कार्यालय-13<br>2. ऑनलाईन रोजगार कार्यालय-13<br>3. डाटाबेस-5000   |              |
| <b>9068 औद्योगिक इकाइयों को लागत पूंजी अनुदान</b>  |  |                               |  |              |  |   |   |  |              |
| इकाईयों की संख्या  | इकाईयों की संख्या  | 856.45                        | 100  | 690.28       | 104  |   | 2,145.26  | 230  |              |
| <b>विभागाध्यक्ष योग</b>  |  |                               | 11,120.36  |              | 6,596.54   |   |   | 23,331.73  |              |
| <b>विभाग</b>   |  |                               | 11,120.36  |              | 6,596.54   |   |   | 23,331.73  |              |



परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित  | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय                                   | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |  | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |   | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |   |
|---|---|-------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|
|   |   |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य                                 | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि   |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य  |
| 1   | 2   | 3                             | 4  | 5  | 6  | 7   | 8   | 9   | 10  |
| <b>विभाग - 12 खनिज साधन विभाग</b>   |   |                               |  |  |  |   |   |   |   |
| <b>विभागाध्यक्ष - 1202 संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, भोपाल ( मध्य प्रदेश )</b>                    |   |                               |  |  |  |   |   |   |   |
| <b>0182 अन्य खनीजों का सर्वेक्षण</b>  |   |                               |  |  |  |   |   |   |   |
|   |   |                               | 422.66   |  | 0.00   |   |   | 0.00  |   |
| चूनापत्थर, डोलोमाइट एवं लौह अयस्क हेतु पूर्वक्षण कार्य।<br>चार जिलों की खनिज तालिका तैयार करना। | खनिज खोज एवं सतत अनुसंधानीय प्रक्रिया है अतः मापे जाने में कठिनाई है। |                               | 422.66   | सर्वेक्षण 12000 वर्ग किलोमीटर वेधन 5000 मीटर | 125.32   | सितम्बर 09 तक सर्वेक्षण 80 वर्ग किलोमीटर वेधन 813.55 मीटर |   | 525.26  | राज्य स्तरीय भू-वैज्ञानिक कार्यक्रम मण्डल की बैठक उपरान्त निर्धारित किया जाता है। |
| <b>2294 निर्देशन</b>  |   |                               |  |  |  |   |   |   |   |
|   |   |                               | 110.10   |  | 0.00   |   |   | 0.00  |   |
| 1000 से कम होने के कारण परिणामी बजट में सम्मिलित नहीं। (वेतन भत्ते एवं स्थापना व्यय छोड़कर)     |   |                               |  |  |  |   |   |   |   |
| <b>2713 प्रयोगशाला</b>  |   |                               |  |  |  |   |   |   |   |
|   |   |                               | 21.18  |  | 0.00   |   |   | 0.00  |   |
| 1000 से कम होने के कारण परिणामी बजट में सम्मिलित नहीं। (वेतन भत्ते एवं स्थापना व्यय छोड़कर)     |   |                               |  |  |  |   |   |   |   |
| <b>3595 मेसर्स कोल इंडिया लि. के लिए कोल पूर्वक्षण</b>  |   |                               |  |  |  |   |   |   |   |
|   |   |                               | 145.76   |  | 0.00   |   |   | 0.00  |   |
| आयोजना सीमा में नहीं।   |   |                               |  |  |  |   |   |   |   |
| <b>विभागाध्यक्ष योग</b>   |   |                               | 1,122.36   |  | 125.32   |   |   | 525.26  |   |
| <b>विभाग</b>  |   |                               | 1,122.36   |  | 125.32   |   |   | 525.26  |   |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 13 ऊर्जा विभाग

विभागाध्यक्ष - 1301 सचिव, म. प्र.शासन, ऊर्जा विभाग

2967 बिजली बोर्ड को अन्य उधार

|   |   |        |  |      |  |        |   |
|---|---|--------|--|------|--|--------|---|
| सर्वेक्षण एवं अनुसंधान (चंबल इत्यादि नयी परियोजनाओं हेतु) - नये ताप एवं जल विद्युत गृहों के निर्माण हेतु उपयुक्त स्थलों के चयन के लिए सर्वेक्षण एवं अनुसंधान। | नये ताप एवं जल विद्युत गृहों के निर्माण हेतु उपयुक्त स्थलों के चयन के लिए सर्वेक्षण एवं अनुसंधान। | 1.00   | बाणसागर ताप वि. परि. (2 गुणित 800 मेगा.), कान्हन (2 गुणित 45 मेगा.), सोन (5 गुणित 20 मेगा.), चंबल फेस-2 (270 मेगा.) व गांधीसागर फेस-2 (4 गुणित 40 मेगा.) जल विद्युत परियोजनाओं के सर्वेक्षण व अनुसंधान कार्य।  | 0.00 | बाणसागर ताप वि. परि. (2 गुणित 800 मेगा.), कान्हन (2 गुणित 45 मेगा.), सोन (5 गुणित 20 मेगा.), चंबल फेस-2 (270 मेगा.) व गांधीसागर फेस-2 (4 गुणित 40 मेगा.) जल विद्युत परियोजनाओं के सर्वेक्षण व अनुसंधान कार्य।  | 160.00 | नये ताप एवं जल विद्युत गृहों के निर्माण हेतु उपयुक्त स्थलों के चयन के लिए सर्वेक्षण एवं अनुसंधान।   |
| ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के अन्तर्गत उत्पादन संयंत्रों की कार्य क्षमता, उपयोगिता/उपलब्धता तथा शेष आयु बढ़ाने हेतु।            | उत्पादन संयंत्रों की कार्य क्षमता, उपयोगिता/उपलब्धता तथा शेष आयु बढ़ाना।                          | 999.00 | 1. अमरकंटक ताप विद्युत गृह की 120 मेगावाट इकाई क्रमांक-4 के टरवाईन जनरेटर एवं ऑक्सलरीज् के नवीनीकरण कार्य।<br>2. सतपुड़ा ताप विद्युत गृह क्रमांक-1 की 5गुणित 62.5 मेगावाट इकाईयों में 3 नग बॉयलर फीड पम्प का बदलाव कार्य।<br>3. संजय गाँधी ताप विद्युत गृह क्रमांक-1 की 2गुणित 210 मेगावाट इकाईयों में एच.पी.हीटर का बदलाव कार्य।<br>4. संजय गाँधी ताप विद्युत गृह क्रमांक-1 की 210 मेगावाट इकाई में 1 नग जनरेटर ट्रांसफार्मर का बदलाव कार्य | 2.00 | 1. अमरकंटक ताप विद्युत गृह की 120 मेगावाट इकाई क्रमांक-4 के टरवाईन जनरेटर एवं ऑक्सलरीज् के नवीनीकरण कार्य पूर्ण।<br>2. सतपुड़ा ताप विद्युत गृह क्रमांक-1 की 5गुणित 62.5 मेगावाट इकाईयों में 3 नग बॉयलर फीड पम्प का बदलाव कार्य पूर्ण।<br>3. संजय गाँधी ताप विद्युत गृह क्रमांक-1 की 2गुणित 210 मेगावाट इकाईया में एच.पी. हीटर का बदलाव कार्य पूर्ण।<br>4. संजय गाँधी ताप विद्युत गृह क्रमांक-1 की 210 मेगावाट इकाई में 1 नग जनरेटर ट्रांसफार्मर का बदलाव कार्य पूर्ण | 940.00 | 1. सतपुड़ा ताप विद्युत गृह की इकाई क्रमांक 6,7,8 एवं 9 में विस्तृत नवीनीकरण कार्यो को प्रारंभ करना। ये कार्य 2012-13 तक पूर्ण किये जाने प्रस्तावित हैं। |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 13 ऊर्जा विभाग

विभागाध्यक्ष - 1301 सचिव, म. प्र.शासन, ऊर्जा विभाग

3220 म.प्र. ऊर्जा विकास निगम को सहायक अनुदान

|   |  |          |   |        |  |     |          |  |
|---|--|----------|---|--------|--|-----|----------|--|
| बायोगैस संयंत्र , ग्रामीण विधुतीकरण , वायु ऊर्जा कार्यक्रम , बायोमास कार्यक्रम , सौर हाईब्रिड संयंत्र , सौर तापीय कार्यक्रम ,सौर फोटोवोल्टिक कार्यक्रम , ऊर्जा संरक्षण। | परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के दोहन को कम करना एवं ग्रामीण अंचलों में सुचारु रूप से अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों द्वारा विद्युत का प्रदाय वायु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन सौर ताप द्वारा गर्म जल संयंत्रों से गर्म जल प्राप्त करना । | 1,240.00 | 2000 , बायोगैस संयंत्र , 100 ग्रामों का विधुतीकरण , 5 वायु ऊर्जा मनीटोरिंग स्टेशन, बायोमास से 6 ग्राम विधुतीकरण , 125 वायु एवं 200 कि.वा. क्षमता के सौर हाईब्रिड संयंत्र , सौर फोटोवोल्टिक , 300 सौर लालटेन , 300 घरेलू बत्ती , 700 सडक बत्ती, सौर तापीय 1250 नग गर्म जल संयंत्र एवं 3000 नग सौर कुकर । | 524.90 | 735, बायोगैस 73 ग्रामों का विधुतीकरण एवं 27 का कार्य प्रगति पर , वायु उर्जा के अन्तर्गत 8.80 मे.वा., बायोमास से 0.30 मे.वा., 24 कि.वा. क्षमता के सौर विण्ड हाईब्रिड , 4.50 कि.वा. सौर ए.सी./डी.सी. हाईब्रिड , 374 सडक बत्ती एवं 66 घरेलू बत्ती , 46,500 लीटर प्रतिदिन क्षमता के गर्म जल संयंत्र एवं 67 नग सौर कुकर । | --- | 1,310.00 | 2000 , बायोगैस संयंत्र , 201 ग्रामों का विधुतीकरण , 50मे.वा.क्षमता की वायु ऊर्जा स्टेशन, बायोमास से 80मे.वा विधुतीकरण , 150 कि.वा. क्षमता के सौर हाईब्रिड संयंत्र , सौर फोटोवोल्टिक , 325 सौर लालटेन ,550 घरेलू बत्ती , 2500 सडक बत्ती, सौर तापीय 100000 लीटर प्रति दिन क्षमता के गर्म जल संयंत्र एवं 1000 नग सौर कुकर । |
|---|--|----------|---|--------|--|-----|----------|--|

5114 विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत डी.एफ.आई.डी. से अनुदान

|   |  |          |  |        |  |     |          |  |
|---|--|----------|--|--------|--|-----|----------|--|
| विजनिंस प्लान, इंवेस्टमेंट प्लान, टेरिफ फाइलिंग इत्यादि हेतु (डिफिड से अनुदान)। | विजनिंस प्लान, इंवेस्टमेंट प्लान, टेरिफ फाइलिंग इत्यादि हेतु । | 2,000.00 | विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (द्वितीय चरण)। | 833.00 | विद्युत क्षेत्र सुधार कार्य प्रगति पर। | --- | 2,000.00 | विजनिंस प्लान, इंवेस्टमेंट प्लान, टेरिफ फाइलिंग इत्यादि हेतु । |
|---|--|----------|--|--------|--|-----|----------|--|

5523 कृषि उपयोग के लिये स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था हेतु धनवेधन

|                   |                  |        |  |        |   |     |          |   |
|-------------------|------------------|--------|--|--------|---|-----|----------|---|
| फीडर विभक्तिकरण । | फीडर विभक्तिकरण। | 800.00 | 1. 731 कि.मी. 11 के.व्ही. लाईनो का निर्माण।<br>2. 169 कि.मी. वितरण लाईनों का निर्माण।<br>3. 1032 नंबर वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना। | 600.00 | 1. 907 कि.मी. 11 के.व्ही. लाईनो का निर्माण।<br>2. 291 कि.मी. वितरण लाईनों का निर्माण।<br>3. 206 नंबर वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना। | --- | 3,004.00 | 1. 495 कि.मी. 11 के.व्ही. लाईनो का निर्माण।<br>2. 105 कि.मी. वितरण लाईनों का निर्माण।<br>3. 569 नंबर वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना। |
|-------------------|------------------|--------|--|--------|---|-----|----------|---|

5607 कृषकों को नवीन विद्युत कनेक्शन हेतु म.प्र.रा.वि.मं./उत्तरवर्ती कम्पनियों को अनुदान

|   |                             |          |   |          |   |     |          |   |
|---|-----------------------------|----------|---|----------|---|-----|----------|---|
| नवीन कृषि पंपों के कनेक्शन हेतु अनुदान। | नवीन कृषि पंपों के कनेक्शन। | 7,200.00 | 1. 926 कि.मी. 11 के.व्ही. लाईनो का निर्माण।<br>2. 713 कि.मी. वितरण लाईनों का निर्माण। | 4,107.00 | 1. 280 कि.मी. 11 के.व्ही. लाईनो का निर्माण।<br>2. 141 कि.मी. वितरण लाईनों का निर्माण। | --- | 1,500.00 | 1. 281 कि.मी. 11 के.व्ही. लाईनो का निर्माण।<br>2. 405 कि.मी. वितरण लाईनों का निर्माण। |
|---|-----------------------------|----------|---|----------|---|-----|----------|---|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 13 ऊर्जा विभाग

विभागाध्यक्ष - 1301 सचिव, म. प्र.शासन, ऊर्जा विभाग

|             |   |  |           |  |   |  |   |   |           |  |
|-------------|---|--|-----------|--|---|--|---|---|-----------|--|
|             |   |  |           | 3. 2433 नंबर वितरण<br>ट्रांसफार्मरों की स्थापना।   |   | 3. 1025 नंबर वितरण<br>ट्रांसफार्मरों की स्थापना। |   | 3. 424 नंबर वितरण<br>ट्रांसफार्मरों की स्थापना। |           |  |
| <b>6869</b> | <b>राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना</b>                  |  |           |  |   |  |   |   |           |  |
|             | ग्रामों / मजरों / टोलों /<br>दलित बस्तियों का<br>विद्युतीकरण। | ग्रामों / मजरों / टोलों<br>/ दलित बस्तियों का<br>विद्युतीकरण।  | 2,333.33  | 1. 11 के.वी. लाइनें<br>5895 कि.मी.<br>2. वितरण लाइनें<br>2616 कि.मी.<br>3. वितरण ट्रांसफामर<br>6980 नग   | — | 791.00   | 1. 11 के.वी. लाइनें<br>1061 कि.मी.<br>2. वितरण लाइनें<br>795 कि.मी.<br>3. वितरण ट्रांसफामर<br>1607 नग   | —   | 3,000.00  | 1. 11 केवी लाइनें — 6424<br>किमी<br>2. वितरण लाइनें — 3334<br>किमी<br>3. वितरण ट्रांसफामर —<br>7166 नग   |
| <b>6929</b> | <b>पारेषण प्रणाली कार्यों के लिये धनवेष्ठन</b>                |  |           |  |   |  |   |   |           |  |
|             | पारेषण प्रणाली का<br>सुदृढीकरण एवं उन्नयन।                    | पारेषण प्रणाली का<br>सुदृढीकरण एवं उन्नयन<br>कर प्रदेश की पारेषण<br>क्षमता में वृद्धि करना तथा<br>विद्युत उपभोक्ताओं को<br>उच्च गुणवत्ता की विद्युत<br>प्रदाय करना।                              | 45,100.00 | भौतिक—<br>1.1512 सर्किट कि.मी.<br>पारेषण लाइनों का निर्माण<br>।<br>2.2964 एम.वी.ए. कुल<br>क्षमता के अति उच्च दाब<br>उपकेन्द्रों का निर्माण।<br>वित्तीय —<br>1.वर्ष 2009-10 के दौरान<br>52100 लाख रु. का निवेश<br>।                                     |   | 44,778.00  | भौतिक —<br>1.589 सर्किट कि.मी. पारेषण<br>लाइनों का निर्माण।<br>2.2426 एम.वी.ए. कुल क्षमता के<br>अति उच्च दाब उपकेन्द्रों का<br>निर्माण।<br>वित्तीय —<br>1.वर्ष 2009-10 के दौरान<br>दिसंबर 2009 तक 44778 लाख<br>रु. का व्यय।                           |   | 27,500.00 | भौतिक —<br>1.2072 सर्किट कि.मी.<br>पारेषण लाइनों का निर्माण<br>।<br>2.2055 एम.वी.ए. कुल<br>क्षमता के अति उच्च दाब<br>उपकेन्द्रों का निर्माण।<br>वित्तीय —<br>1.वर्ष 2010-11 के दौरान<br>29500 लाख रु. का<br>निवेश।                                     |
| <b>7900</b> | <b>उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण</b>               |  |           |  |   |  |   |   |           |  |
|             | उप-पारेषण एवं वितरण<br>प्रणाली का सुदृढीकरण एवं<br>उन्नयन।    | उप-पारेषण एवं वितरण<br>प्रणाली का सुदृढीकरण<br>एवं उन्नयन कर प्रदेश की<br>उप-पारेषण एवं वितरण<br>क्षमता में वृद्धि करना तथा<br>विद्युत उपभोक्ताओं को<br>उच्च गुणवत्ता की विद्युत<br>प्रदाय करना। | 54,878.00 | भौतिक —<br>1.1418 कि.मी. 33 के.वी.<br>लाइनों का निर्माण।<br>2.3340 कि.मी. 11 के.वी.<br>लाइनों का निर्माण।<br>3.263 नंबर पावर<br>ट्रांसफार्मरों की स्थापना।<br>4.38177 नंबर वितरण<br>ट्रांसफार्मरों की स्थापना।<br>वित्तीय —<br>1.वर्ष 2009-10 के दौरान |   | 28,092.00  | भौतिक —<br>1.1071 कि.मी. 33 के.वी.<br>लाइनों का निर्माण।<br>2.2821 कि.मी. 11 के.वी.<br>लाइनों का निर्माण।<br>3.134 नंबर पावर ट्रांसफार्मरों<br>की स्थापना।<br>4.6630 नंबर वितरण<br>ट्रांसफार्मरों की स्थापना।<br>वित्तीय —<br>1.वर्ष 2009-10 के दौरान |   | 69,036.00 | भौतिक —<br>1.1294 कि.मी. 33 के.वी.<br>लाइनों का निर्माण।<br>2.5752 कि.मी. 11 के.वी.<br>लाइनों का निर्माण।<br>3.179 नंबर पावर<br>ट्रांसफार्मरों की स्थापना।<br>4.30689 नंबर वितरण<br>ट्रांसफार्मरों की स्थापना।<br>वित्तीय —<br>1.वर्ष 2009-10 के दौरान |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 13 ऊर्जा विभाग

विभागाध्यक्ष - 1301 सचिव, म. प्र.शासन, ऊर्जा विभाग

रु. 60444 लाख रु. का  
निवेश।

दिसंबर 2009 तक 38349 लाख  
रु. का व्यय

रु. 73540 लाख रु. का  
निवेश।

9250 सतपुड़ा ताप विद्युत विस्तार इकाई हेतु धनवेष्ठन

|   |   |          |   |          |  |     |          |  |
|---|---|----------|---|----------|--|-----|----------|--|
| सारणी ताप विद्युत गृह<br>विस्तार इकाई क्रमांक 10 व<br>11(2 गुणित 250 मेगावाट)<br>परियोजना से राज्य की<br>विद्युत उत्पादन क्षमता में<br>500 मेगावाट की वृद्धि। | 1. 11 वीं योजना के<br>दौरान विद्युत उत्पादन<br>क्षमता में 500 मेगावाट की<br>वृद्धि।<br>2. 10वीं इकाई -<br>जनवरी 2012<br>3. 11वीं इकाई - मार्च<br>2012 | 6,900.00 | 1. परियोजना स्थल का<br>समतलीकरण कार्य।<br>2. मेन पावर ब्लॉक सिविल<br>निर्माण कार्य।<br>3. मुख्य पावर संयंत्रों का<br>प्रदाय।<br>4. शेष संयंत्रों का प्रदाय।<br>5. रेलवे परिवहन प्रणाली<br>के निर्माण कार्य। | 1,820.00 | 1. परियोजना स्थल का<br>समतलीकरण कार्य प्रगति पर।<br>2. मेन पावर ब्लॉक सिविल<br>निर्माण कार्य प्रगति पर।<br>3. मुख्य पावर संयंत्रों का प्रदाय<br>प्रगति पर।<br>4. शेष संयंत्रों का प्रदाय प्रगति<br>पर।<br>5. रेलवे परिवहन प्रणाली के<br>निर्माण कार्य प्रगति पर। | --- | 3,196.00 | 1. परियोजना स्थल का<br>समतलीकरण कार्य।<br>2. मेन पावर ब्लॉक सिविल<br>निर्माण कार्य।<br>3. मुख्य पावर संयंत्रों का<br>प्रदाय।<br>4. शेष संयंत्रों का प्रदाय।<br>5. कोयला एवं अन्य<br>सामग्री के परिवहन हेतु<br>रेलवे परिवहन प्रणाली के<br>निर्माण<br>कार्य। |
|---|---|----------|---|----------|--|-----|----------|--|

9252 मालवा ताप विद्युत परियोजना हेतु धनवेष्ठन

|  |   |          |   |          |  |     |           |   |
|--|---|----------|---|----------|--|-----|-----------|---|
| श्री सिंगाजी (मालवा) ताप<br>विद्युत परियोजना (2गुणित<br>600 मेगावाट), पुरनी,<br>जिला-खण्डवा -<br>परियोजना से राज्य की<br>विद्युत उत्पादन क्षमता में<br>1200 मेगावाट की वृद्धि। | 11वीं पंचवर्षीय योजना में<br>परियोजना से राज्य की<br>विद्युत उत्पादन क्षमता में<br>1200 मेगावाट की वृद्धि।<br>दोनों इकाईयों को मार्च<br>2012 में क्रियाशील<br>करना। | 5,600.00 | 1. परियोजना स्थल का<br>समतलीकरण।<br>2. मुख्य पावर संयंत्रों के<br>निर्माण कार्य।<br>3. शेष संयंत्रों के निर्माण<br>कार्य।<br>4. रेलवे परिवहन प्रणाली<br>के निर्माण कार्य।<br>5. कॉलोनी निर्माण कार्य। | 2,806.00 | 1. परियोजना स्थल का<br>समतलीकरण कार्य प्रगति पर।<br>2. मुख्य पावर संयंत्रों के निर्माण<br>कार्य प्रगति पर।<br>3. शेष संयंत्रों के निर्माण कार्य<br>प्रगति पर।<br>4. रेलवे परिवहन प्रणाली के<br>निर्माण कार्य प्रगति पर।<br>5. कॉलोनी निर्माण कार्य प्रगति<br>पर। | --- | 23,804.00 | 1. मुख्य पावर संयंत्रों के<br>निर्माण कार्य।<br>2. शेष संयंत्रों के निर्माण<br>कार्य।<br>3. रेलवे परिवहन प्रणाली<br>के निर्माण कार्य।<br>4. कॉलोनी निर्माण कार्य। |
|--|---|----------|---|----------|--|-----|-----------|---|

विभागाध्यक्ष योग

1,27,051.33

84,353.90

1,35,450.00

विभाग

1,27,051.33

84,353.90

1,35,450.00

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित  | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम   | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |                        | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |                        | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |                        |
|---|-------------------------------------|---|--|------------------------|--|------------------------|---|---|------------------------|
|   |                                     |   | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य           | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि          |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य           |
| 1   | 2                                   | 3   | 4  | 5                      | 6  | 7                      | 8   | 9   | 10                     |
| <b>विभाग - 14 किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग</b>   |                                     |   |  |                        |  |                        |   |   |                        |
| <b>विभागाध्यक्ष - 1402 संचालक, कृषि, भोपाल</b>  |                                     |   |  |                        |  |                        |   |   |                        |
| <b>0118 अधिनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द</b>   |                                     |   |  |                        |  |                        |   |   |                        |
| वेतन मद की योजना  |                                     | वेतन  | 114.90   | वेतन                   | 875.89   | वेतन                   | जनवरी से मार्च तक वेतन दिया जाना शेष है।          | 129.48  | वेतन मद                |
| <b>0894 कृषि उत्पादन कार्यक्रम संबंधी सूचना एवं प्रसारण</b>   |                                     |   |  |                        |  |                        |   |   |                        |
| प्रचार प्रसार की योजना  |                                     | प्रचार प्रसार की योजना  | 95.00  | प्रचार प्रसार की योजना | 330.99   | प्रचार प्रसार की योजना | कार्यक्रम जारी है।                                | 100.00  | प्रचार प्रसार की योजना |
| <b>0921 राष्ट्रीय दलहन विकास योजना</b>  |                                     |   |  |                        |  |                        |   |   |                        |
| प्रदेश में दलहनी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि करना।  |                                     | प्रदेश में दलहनी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि करना।  | 14,789.20  | 42.72 लाख टन           | 638.06   | आपेक्षित               | कार्यक्रम जारी                                    | 1,333.20  | 42.92 लाख टन           |
| <b>0927 राष्ट्रीय तिलहन विकास योजना</b>   |                                     |   |  |                        |  |                        |   |   |                        |
| प्रदेश में तिलहन फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देना।   |                                     | प्रदेश में तिलहन फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देना।   | 3,984.48   | 70.97 लाख टन           | 1,215.58   | आपेक्षित               | कार्यक्रम जारी                                    | 3,808.72  | 76.03 लाख टन           |
| <b>1106 गहन कपास विकास परियोजना</b>   |                                     |   |  |                        |  |                        |   |   |                        |
| कपास को उत्पादन को बढ़ावा देना।   |                                     | कपास को उत्पादन को बढ़ावा देना।   | 105.08   | 8.93 लाख गांठे         | 28.11  | आपेक्षित               | कार्यक्रम जारी                                    | 855.08  | 9.60 लाख गांठे         |
| <b>1107 गहन तिलहन विकास कार्यक्रम</b>   |                                     |   |  |                        |  |                        |   |   |                        |
| प्रदेश में तिलहन फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देना।   |                                     | प्रदेश में तिलहन फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देना।   | 1,034.20   | 70.97 लाख टन           | 220.18   | आपेक्षित               | कार्यक्रम जारी है।                                | 908.48  | 76.03 लाख टन           |
| <b>1455 जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्व विद्यालय जबलपुर को अनुदान</b>  |                                     |   |  |                        |  |                        |   |   |                        |
| कृषि वैज्ञानिकों द्वारा नवीन किस्मों का अनुसंधान कर कृषकों को उच्च उत्पादकता वाली किस्में उपलब्ध कराने एवं कृषकों की नवीन |                                     | कृषि वैज्ञानिकों द्वारा नवीन किस्मों का अनुसंधान कर कृषकों को उच्च उत्पादकता वाली किस्में उपलब्ध कराने एवं कृषकों | 307.32   | सहायक अनुदान           | 230.49   | सहायक अनुदान           | कार्यक्रम जारी                                    | 353.12  | सहायक अनुदान           |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित  | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेश | निर्धारित प्रदेश<br>का परिणाम   | कालम-2 अनुसार प्रदेश के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |  | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |   | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेश के लिये) |  |
|---|-------------------------------------|---|--|--|--|---|---|---|--|
|   |                                     |   | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य   | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि   |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य   |
| 1   | 2                                   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7   | 8   | 9   | 10   |
| <b>विभाग - 14 किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग</b>   |                                     |   |  |  |  |   |   |   |  |
| <b>विभागाध्यक्ष - 1402 संचालक, कृषि, भोपाल</b>  |                                     |   |  |  |  |   |   |   |  |
| तकनीको का अनुसंधान करने हेतु जे.एन.क.वि.वि जबलपुर को सहायक अनुदान दिया जाता है।   |                                     | की नवीन तकनीको का अनुसंधान करने हेतु जे.एन.क.वि.वि जबलपुर को सहायक अनुदान दिया जाता है। |  |  |  |   |   |   |  |
| <b>1580 मेक्रोमेनेजमेन्ट योजना</b>  |                                     |   |  |  |  |   |   |   |  |
| प्रदेश में कृषि के समन्वित विकास की दृष्टि से मोटा अनाज की फालों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के साथ जलग्रहण क्षेत्र विकास, नदीघाटी/बाढ़ उन्मुख क्षेत्र विकास, भू-जल संवर्धन, गन्ना विकास, उर्वरक संतुलित उपयोग तथा आइ.एन.एम. की योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। |                                     |   | 8,520.70   | एकीकृत मोटा अनाज कार्यक्रम उत्पादन लक्ष्य-130.25 लाख टन, गन्ना विकास कार्यक्रम उत्पादन लक्ष्य-3.60 लाख टन, राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम उपचारिक क्षेत्र-41188 हैक्टेयर, नदी घाटी/बाढ़उन्मुख क्षेत्र विकास कार्यक्रम, उपचारिक क्षेत्र-29 हजार हैक्टेयर, भू-जल संवर्धन-184 परकोलेशन टैंक निर्माण। | 3,426.50   | एकीकृत मोटा अनाज कार्यक्रम उत्पादन उपलब्धि -आपेक्षित गन्ना विकास कार्यक्रम उत्पादन, उपलब्धि -आपेक्षित, राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम उपचारिक क्षेत्र-12356 हैक्टेयर, नदी घाटी/बाढ़उन्मुख क्षेत्र विकास कार्यक्रम, उपचारिक क्षेत्र-16524 हैक्टेयर, भू-जल संवर्धन-61 परकोलेशन टैंक निर्माण। | कार्यक्रम जारी                                    | 10,738.50   | एकीकृत मोटा अनाज कार्यक्रम उत्पादन लक्ष्य-127.98 लाख टन, गन्ना विकास कार्यक्रम उत्पादन लक्ष्य-3.71 लाख टन, राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम उपचारिक क्षेत्र-50 हजार हैक्टेयर, नदी घाटी/बाढ़उन्मुख क्षेत्र विकास कार्यक्रम, उपचारिक क्षेत्र-30 हजार हैक्टेयर, भू-जल संवर्धन-182 परकोलेशन टैंक निर्माण। |
| <b>1896 तिलहन विकास योजना</b>   |                                     |   |  |  |  |   |   |   |  |
| प्रदेश में तिलहन फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देता।   |                                     |   | 1,013.72   | 70.97 लाख टन   | 266.22   | आपेक्षित  | कार्यक्रम जारी                                    | 883.20  | 76.03 लाख टन   |
| <b>1918 दलहन फसलों का उत्पादन</b>   |                                     |   |  |  |  |   |   |   |  |
| प्रदेश में दलहनी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि करना।  |                                     |   | 753.48   | 42.72 लाख टन   | 44.87  | आपेक्षित  | कार्यक्रम जारी                                    | 569.32  | 42.92 लाख टन   |
| <b>2791 प्रायवेट एजेन्सियों, ठेकेदार द्वारा कृषकों के खेतों पर सफल नलकूप खनन पर सहायता</b>  |                                     |   |  |  |  |   |   |   |  |
| कृषकों के खेतों पर नलकूप खनन कर सि.चाई क्षमता   |                                     |   | 426.36   | नलकूप खनन संख्या - 2809  | 191.83   | नलकूप खनन संख्या - 715  | कार्यक्रम जारी                                    | 540.17  | नलकूप खनन संख्या - 3601  |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित  | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय  | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |   | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |   | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |   |
|---|--|-------------------------------|--|---|--|---|---|---|---|
|   |  |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य  | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि   |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य  |
| 1   | 2  | 3                             | 4  | 5   | 6  | 7   | 8   | 9   | 10  |
| <b>विभाग - 14 किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग</b>   |  |                               |  |   |  |   |   |   |   |
| <b>विभागाध्यक्ष - 1402 संचालक, कृषि, भोपाल</b>  |  |                               |  |   |  |   |   |   |   |
| वृद्धि करना।  |  | क्षमता वृद्धि करना।           |  |   |  |   |   |   |   |
| <b>3142 भूमि संरक्षण कटावरोधक बंधन की योजना</b>   |  |                               |  |   |  |   |   |   |   |
| वेतन मद की योजना  | वेतन   |                               | 548.21   | वेतन मद की योजना  | 507.38   | वेतन  | जनवरी मार्च तक का वेतन दिया जाना शेष है।          | 691.15  | वेतन मद की योजना  |
| <b>3733 राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना</b>   |  |                               |  |   |  |   |   |   |   |
| वेतन मद की योजना  | वेतन   |                               | 4,434.06   | वेतन मद की योजना  | 3,478.56   | वेतन मद की योजना  | जनवरी मार्च तक का वेतन दिया जाना शेष है।          | 5,218.46  | वेतन मद की योजना  |
| <b>4103 विश्व बैंक की सहायता से गहन विस्तार परियोजना</b>  |  |                               |  |   |  |   |   |   |   |
| वेतन मद की योजना  | वेतन मद की योजना   |                               | 1,497.15   | वेतन मद की योजना  | 1,145.63   | वेतन मद की योजना  | जनवरी मार्च तक का वेतन दिया जाना शेष है।          | 1,694.58  | वेतन मद की योजना  |
| <b>4254 शुष्क कृषि क्षेत्र में जलग्रहण का विकास</b>   |  |                               |  |   |  |   |   |   |   |
| वेतन मद की योजना  | वेतन मद की योजना   |                               | 103.31   | वेतन मद की योजना  | 72.88  | वेतन मद की योजना  | जनवरी से मार्च तक वेतन दिया जाना शेष है।          | 70.94   | वेतन मद की योजना  |
| <b>4325 सघन कपास विकास कार्यक्रम</b>  |  |                               |  |   |  |   |   |   |   |
| कपास को उत्पादन को बढ़ावा देना।   | कपास को उत्पादन को बढ़ावा देना।  |                               | 697.32   | 8.93 लाख गाठें  | 259.46   | आपेक्षित  | कार्यक्रम जारी है।                                | 855.08  | 9.60 लाख गाठें  |
| <b>4956 सघन कपास विकास कार्यक्रम</b>  |  |                               |  |   |  |   |   |   |   |
| कपास को उत्पादन को बढ़ावा देना।   | कपास को उत्पादन को बढ़ावा देना।  |                               | 324.20   | 8.93 लाख गाठें  | 111.58   | आपेक्षित  | कार्यक्रम जारी                                    | 383.36  | 9.60 लाख गाठें  |
| <b>5081 सूरज धारा योजना</b>   |  |                               |  |   |  |   |   |   |   |
| बीज अदला-बदली कार्यक्रम-21162.75 हैक्टेयर<br>बीज स्ववलम्बन कार्यक्रम-6046.50 हैक्टेयर<br>बीज उत्पादन कार्यक्रम-3023.25 हैक्टेयर | बीज अदला-बदली कार्यक्रम-26154.21 हैक्टेयर<br>बीज स्ववलम्बन कार्यक्रम-8344.75 हैक्टेयर<br>बीज उत्पादन कार्यक्रम-930.18 हैक्टेयर |                               | 604.65   | बीज अदला-बदली कार्यक्रम-21202.65 हैक्टेयर<br>बीज स्ववलम्बन कार्यक्रम-6057.90 हैक्टेयर<br>बीज उत्पादन कार्यक्रम-3028.95 हैक्टेयर | 414.87   | बीज अदला-बदली कार्यक्रम-23855.18 हैक्टेयर<br>बीज स्ववलम्बन कार्यक्रम-9456.71 हैक्टेयर<br>बीज उत्पादन कार्यक्रम-483.630 हैक्टेयर | कार्यक्रम जारी है।                                | 702.90  | बीज अदला-बदली कार्यक्रम-24601.50 हैक्टेयर<br>बीज स्ववलम्बन कार्यक्रम-7029.00 हैक्टेयर<br>बीज उत्पादन कार्यक्रम-3514.50 हैक्टेयर |



परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित  | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय   | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10)   |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां   |                    | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये)  |              |
|---|---|-------------------------------|--|--------------|--|--------------------|---|--|--------------|
|   |   |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि      |   | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य |
| 1   | 2   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7                  | 8   | 9  | 10           |
| <b>विभाग - 14 किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग</b>   |   |                               |  |              |  |                    |   |  |              |
| <b>विभागाध्यक्ष - 1402 संचालक, कृषि, भोपाल</b>  |   |                               |  |              |  |                    |   |  |              |
| <b>5210 मक्का उत्पादन का विशेष कार्यक्रम</b>  |   |                               |  |              |  |                    |   |  |              |
| उत्पादन लक्ष्य 20.20 लाख टन (योजना 5210 एवं 6430 के उत्पादन लक्ष्य सम्मिलित रूप से)   | उत्पादन पूर्ति 11.44 लाख टन (योजना 5210 एवं 6430 के उत्पादन लक्ष्य सम्मिलित रूप से)   | 212.36                        | उत्पादन लक्ष्य 17.10 लाख टन (योजना 5210 एवं 6430 के उत्पादन लक्ष्य सम्मिलित रूप से)  | 33.37        | आपेक्षित   | कार्यक्रम जारी है। | 230.44  | उत्पादन लक्ष्य 14.09 लाख टन (योजना 5210 एवं 6430 के उत्पादन लक्ष्य सम्मिलित रूप से)  |              |
| <b>5358 बैलगाड़ी पर अनुदान</b>  |   |                               |  |              |  |                    |   |  |              |
| बैलगाड़ी वितरण - 1000   | बैलगाड़ी वितरण - 24   | 10.00                         | बैलगाड़ी वितरण - 200   | 0.75         | बैलगाड़ी वितरण - 15  | कार्यक्रम जारी है। | 10.00   | बैलगाड़ी वितरण - 200   |              |
| <b>5359 बलराम तालाब</b>   |   |                               |  |              |  |                    |   |  |              |
| किसानों के खेतों पर बड़े कषको के स्वयं के खेतों में तालाबों का निर्माण कर पर्षा जल को संगहित कर सिंचाई क्षमता में वद्धि तालाब निर्माण संख्या - 6574   | तालाब निर्माण संख्या - 3738   | 1,940.00                      | तालाब निर्माण संख्या - 3630  | 933.33       | तालाब निर्माण संख्या - 1602  | कार्यक्रम जारी है। | 2,530.70  | तालाब निर्माण संख्या - 3630  |              |
| <b>5361 कृषि में महिलाओं की भागीदारी</b>  |   |                               |  |              |  |                    |   |  |              |
| कक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने एवं कौशल्य विकास करने हेतु तकनीकी प्रशिक्षण - 626 अनुश्रवण भ्रमण - 1776 स्व सहायता समूह निर्माण संख्या- 1734 स्व सहायता समूह गठन प्रशिक्षण -298 विशेष प्रशिक्षण - 304 अन्तर जिला भ्रमण - 94 मानव संसाधन विकास - 47 | तकनीकी प्रशिक्षण - 626 अनुश्रवण भ्रमण - 1776 स्व सहायता समूह निर्माण संख्या- 1734 स्व सहायता समूह गठन प्रशिक्षण -298 विशेष प्रशिक्षण - 304 अन्तर जिला भ्रमण - 94 मानव संसाधन विकास - 47 | 100.00                        | तकनीकी प्रशिक्षण - 376 अनुश्रवण भ्रमण - 1878 स्व सहायता समूह निर्माण संख्या- 313 स्व सहायता समूह गठन प्रशिक्षण -313 विशेष प्रशिक्षण - 60 | 76.58        | तकनीकी प्रशिक्षण - 430 अनुश्रवण भ्रमण - 1361 स्व सहायता समूह निर्माण संख्या- 823 स्व सहायता समूह गठन प्रशिक्षण -255 विशेष प्रशिक्षण - 142 अन्तर जिला भ्रमण - 28 मानव संसाधन विकास - 16 | कार्यक्रम जारी -   | 100.00  | तकनीकी प्रशिक्षण - 376 अनुश्रवण भ्रमण - 1878 स्व सहायता समूह निर्माण संख्या- 313 स्व सहायता समूह गठन प्रशिक्षण -313 विशेष प्रशिक्षण - 60 |              |
| <b>5363 कृषि महाविद्यालय के लिये अनुदान</b>   |   |                               |  |              |  |                    |   |  |              |
| कृषि विश्वविद्यालय को   | कृषि विश्वविद्यालय को   | 804.31                        | कृषि विश्वविद्यालय को  | 402.15       | कृषि विश्वविद्यालय को सहायक  |                    | 774.82  | कृषि विश्वविद्यालय को  |              |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित                          | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय  | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम  | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |  | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |  | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |   |
|---|--|--|--|--|--|--|---|---|---|
|   |  |  | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य   | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि  |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य  |
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8   | 9   | 10  |
| <b>विभाग - 14 किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग</b> |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| <b>विभागाध्यक्ष - 1402 संचालक, कृषि, भोपाल</b>      |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| सहायक अनुदान  |  |  | सहायक अनुदान   |  |  | सहायक अनुदान   |   | सहायक अनुदान  |   |
| <b>5454</b>   | <b>सागर में प्रशिक्षण भवन एवं छात्रावास निर्माण</b>                                      |  |  |  |  |  |   |   |   |
|   | सागर में कृषि प्रशिक्षण केन्द्रभवन एवं छात्रावास निर्माण                                 | सागर में कृषि प्रशिक्षण केन्द्रभवन एवं छात्रावास निर्माण                               | 100.00   | सागर में कृषि प्रशिक्षण केन्द्रभवन एवं छात्रावास निर्माण           | 0.00   | सागर में कृषि प्रशिक्षण केन्द्रभवन एवं छात्रावास निर्माण |   | 50.00   | सागर में कृषि प्रशिक्षण केन्द्रभवन एवं छात्रावास निर्माण              |
| <b>5626</b>   | <b>राष्ट्रीय कृषि विकास योजना</b>  |  |  |  |  |  |   |   |   |
|   |  |  | 37,527.27  |  | 12,262.60  |  |   | 18,351.00   |   |
| <b>5647</b>   | <b>कृषकों को सिंचाई उपकरणों के लिए विशेष सहायता टाप-अप अनुदान</b>                        |  |  |  |  |  |   |   |   |
|   |  |  | 1,267.72   |  | 472.11   |  |   | 1,767.69  |   |
| <b>5664</b>   | <b>राजमाता विजयाराजे सिंधिया, कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर की स्थापना</b>                 |  |  |  |  |  |   |   |   |
|   | सहायक अनुदान   | सहायक अनुदान   | 307.32   | सहायक अनुदान   | 153.66   | सहायक अनुदान   |   | 353.13  | सहायक अनुदान  |
| <b>6410</b>   | <b>गौबर गैस तथा बायो गैस संयंत्र की स्थापना</b>  |  |  |  |  |  |   |   |   |
|   | बायो गैस संयंत्रों पर टाप अप अनुदान एवं वेतन मद से संबंधित बायो गैस संयंत्र- 12750       | बायो गैस संयंत्र- 12230  | 397.00   | बायो गैस संयंत्र- 12750  | 98.65  | बायो गैस संयंत्र- 1214                                   |   | 463.75  | बायो गैस संयंत्र- 12800   |
| <b>6430</b>   | <b>राष्ट्रीय मक्का विकास योजना</b>   |  |  |  |  |  |   |   |   |
|   | 5210 में सम्मिलित  | 5210 में सम्मिलित  | 481.44   | 5210 में सम्मिलित  | 19.13  | 5210 में सम्मिलित  |   | 409.72  |   |
| <b>6891</b>   | <b>राज्य स्तरीय कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान</b>                                   |  |  |  |  |  |   |   |   |
|   |  |  | 656.00   |  | 394.76   |  |   | 656.00  |   |
| <b>7772</b>   | <b>कृषकों के लिये प्रशिक्षण सह प्रदर्शन कार्यक्रम</b>                                    |  |  |  |  |  |   |   |   |
|   | आन कैम्पर प्रशिक्षण संख्या-1902<br>कृषक भ्रमण संख्या-238<br>सेमीनार-119<br>इन्टर फ़ैस-58 | आन कैम्पर प्रशिक्षण संख्या-813<br>कृषक भ्रमण संख्या-185<br>सेमीनार-91<br>इन्टर फ़ैस-43 | 552.00   | कृषक भ्रमण संख्या-21<br>सेमीनार-18<br>इन्टर फ़ैस-8<br>कृषि मेला-16 | 398.16   |  |   | 552.00  | कृषक भ्रमण संख्या-238<br>सेमीनार-119<br>इन्टर फ़ैस-58<br>कृषि मेला-30 |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित                          | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय  | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम  | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |  | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |   | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |  |
|---|--|--|--|--|--|---|---|---|--|
|   |  |  | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य   | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि   |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य   |
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7   | 8   | 9   | 10   |
| <b>विभाग - 14 किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग</b> |  |  |  |  |  |   |   |   |  |
| <b>विभागाध्यक्ष - 1402 संचालक, कृषि, भोपाल</b>      |  |  |  |  |  |   |   |   |  |
| कृषि मेला-30 कृषि मेला-30                           |  |  |  |  |  |   |   |   |  |
| <b>8173</b>   | उज्जैन में कृषक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना   |  | 50.00  |  | 0.00   |   |   | 20.00   |  |
| <b>8768</b>   | राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना  |  |  |  |  |   |   |   |  |
|   | प्राकृतिक आपदाओं में<br>कृषकों की क्षति पूर्ति<br>आंकलन के आधार पर की<br>जाती है   | प्राकृतिक आपदाओं में<br>कृषकों की क्षति पूर्ति<br>आंकलन के आधार पर<br>की जाती है   | 2,480.56   | प्राकृतिक आपदाओं में<br>कृषकों की क्षति पूर्ति<br>आंकलन के आधार पर की<br>जाती है   | 5,516.02   | प्राकृतिक आपदाओं में कृषकों<br>की क्षति पूर्ति आंकलन के<br>आधार पर की जाती है   |   | 6,106.32  | प्राकृतिक आपदाओं में<br>कृषकों की क्षति पूर्ति<br>आंकलन के आधार पर की<br>जाती है   |
| <b>8769</b>   | अन्नपूर्णा योजना   |  |  |  |  |   |   |   |  |
|   | बीज अदलाबदली कार्यक्रम<br>-18412.45 हैक्टैयर<br>बीज स्वांलवन कार्यक्रम<br>-5260.70 हैक्टैयर<br>बीज उत्पादन कार्यक्रम -<br>2630.35 हैक्टैयर | बीज अदलाबदली कार्यक्रम<br>-29312.11 हैक्टैयर<br>बीज स्वांलवन कार्यक्रम<br>-10072.95 हैक्टैयर<br>बीज उत्पादन कार्यक्रम -<br>610.67 हैक्टैयर | 528.31   | बीज अदलाबदली कार्यक्रम<br>-18412.45 हैक्टैयर<br>बीज स्वांलवन कार्यक्रम<br>-5260.70 हैक्टैयर<br>बीज उत्पादन कार्यक्रम -<br>2630.35 हैक्टैयर | 261.30   | बीज अदलाबदली कार्यक्रम<br>-19246.44 हैक्टैयर<br>बीज स्वांलवन कार्यक्रम<br>-6279.80 हैक्टैयर<br>बीज उत्पादन कार्यक्रम -<br>386.25 हैक्टैयर |   | 607.85  | बीज अदलाबदली कार्यक्रम<br>-21274.60 हैक्टैयर<br>बीज स्वांलवन कार्यक्रम<br>-6078.50 हैक्टैयर<br>बीज उत्पादन कार्यक्रम -<br>3039.25 हैक्टैयर |
| <b>8792</b>   | राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना  |  |  |  |  |   |   |   |  |
|   | 8768 में सम्मिलित  | 8768 में सम्मिलित  | 3,625.67   | 8768 में सम्मिलित  | 0.00   | 8768 में सम्मिलित   |   | 0.00  | 8768 में सम्मिलित  |
| <b>8808</b>   | सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य  |  |  |  |  |   |   |   |  |
|   | सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी<br>कार्य   |  | 92.50  |  | 17.71  |   |   | 262.80  |  |
| <b>9181</b>   | जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के लिये सहायक अनुदान  |  |  |  |  |   |   |   |  |
|   | सहायक अनुदान   | सहायक अनुदान   | 588.33   | सहायक अनुदान   | 441.31   | सहायक अनुदान  |   | 774.82  | सहायक अनुदान   |
| <b>9185</b>   | बीज ग्राम योजना  |  |  |  |  |   |   |   |  |
|   | बीज वितरण -12313.22<br>किवंटल<br>प्रशिक्षण- 439<br>भण्डार कोठी-730   | बीज वितरण -12313.22<br>किवंटल<br>प्रशिक्षण- 439<br>भण्डार कोठी-730   | 501.32   | बीज वितरण<br>-225.66 किवंटल<br>प्रशिक्षण- 6579<br>भण्डार कोठी-2694   | 154.21   | बीज वितरण -12313.22<br>किवंटल<br>प्रक्रियाधीन   |   | 1,556.00  | बीज वितरण -12313.22<br>किवंटल<br>प्रशिक्षण- 439<br>भण्डार कोठी-730   |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित  | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेश | निर्धारित प्रदेश<br>का परिणाम  | कालम-2 अनुसार प्रदेश के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |  | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |   | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण  | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेश के लिये) |  |
|---|-------------------------------------|--|--|--|--|---|--|---|--|
|   |                                     |  | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य   | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि   |  | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य   |
| 1   | 2                                   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7   | 8  | 9   | 10   |
| <b>विभाग - 14 किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग</b>   |                                     |  |  |  |  |   |  |   |  |
| <b>विभागाध्यक्ष - 1402 संचालक, कृषि, भोपाल</b>  |                                     |  |  |  |  |   |  |   |  |
| <b>9187 राज्य कृषक आयोग</b>   |                                     |  |  |  |  |   |  |   |  |
|   |                                     |  | 150.00   |  | 25.36  |   |  | 125.00  |  |
| <b>9197 राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था का गठन व संचालन</b>   |                                     |  |  |  |  |   |  |   |  |
| सहायक अनुदान  |                                     | सहायक अनुदान   | 25.00  | सहायक अनुदान   | 0.00   | सहायक अनुदान  |  | 25.00   | सहायक अनुदान   |
| <b>9247 कृषि महाविद्यालय, गंजबासोदा की स्थापना एवं अधोसंरचना अनुदान</b>   |                                     |  |  |  |  |   |  |   |  |
|   |                                     |  | 83.00  |  | 0.00   |   |  | 0.00  |  |
| <b>विभागाध्यक्ष योग</b>   |                                     |  | 91,833.45  |  | 35,120.24  |   |  | 65,562.78   |  |
| <b>विभागाध्यक्ष - 1405 संचालक, कृषि अभियांत्रिकी, भोपाल</b>   |                                     |  |  |  |  |   |  |   |  |
| <b>1580 मेक्रोमेनेजमेन्ट योजना</b>  |                                     |  |  |  |  |   |  |   |  |
| कृषकों को अनुदान पर<br>हस्तचलित/बैलचलित यंत्र<br>, शक्तिचलित यंत्र, पावर<br>टिलर, ट्रैक्टर, कम्बाईन<br>हार्वैस्टर आदि का प्रदाय<br>किया जाना। |                                     | नवीन एवं उन्नत कृषि<br>यंत्रों के उपयोग का<br>बढ़ावा देते हुए फसलों की<br>उत्पादकता में वृद्धि एवं<br>कृषि लागत में कमी कर<br>कृषकों की आर्थिक एवं<br>सामाजिक स्थिति में सुधार<br>लाना है। | 571.84   | हस्तचलित/बैलचलित यंत्र<br>56042 नग<br>शक्तिचलित नग - 2371<br>नग,<br>पावर टिलर एवं ट्रैक्टर-<br>422 नग                            | 160.00   | हस्तचलित/बैलचलित यंत्र<br>-40587 नग<br>शक्तिचलित नग - 1115 नग,<br>पावर टिलर एवं ट्रैक्टर- 398<br>नग | अनुसूचित जाति एवं जनजाति<br>के कृषकों की आर्थिक स्थिति<br>ठीक न होने के कारण<br>योजनान्तर्गत 25 प्रतिश<br>अनुदान होने के बावजूद भी<br>कृषि यंत्र कय नहीं कर पाते हैं<br>जिससे अनुदान राशि का<br>उपयोग नहीं हो पाता है।                               | 600.00  | हस्तचलित/बैलचलित यंत्र<br>60000 नग<br>शक्तिचलित नग - 3500<br>नग,<br>पावर टिलर एवं ट्रैक्टर-<br>700 नग                            |
| <b>6697 नवीन उन्नत कृषि उपकरणों का कृषकों के खेतों में परीक्षण</b>  |                                     |  |  |  |  |   |  |   |  |
| कृषकों के खेतों में नवीन<br>कृषि उपकरणों का प्रशिक्षण,<br>परीक्षण तथा प्रदर्शन  |                                     | कृषकों को नवीन कृषि<br>यंत्रों से अवगत कराना एवं<br>उन यंत्रों का प्रशिक्षण,<br>रखरखाव संबंधी जानकारी<br>देना।   | 75.00  | कृषकों के खेतों में<br>प्रदर्शन-1900 प्रदर्शन<br>कृषक -60 प्रशिक्षण<br>नवीन उन्नत कृषि<br>उपकरणों का कय - 60<br>नग कराये जावेगें | 6.00   | कृषकों के खेतों में प्रदर्शन-230<br>प्रदर्शन<br>कृषक -6 प्रशिक्षण                                   | प्रशिक्षण के मद में भारत<br>सरकार द्वारा प्रशिक्षण के<br>मापदण्ड में निर्धारित राशि कम<br>किये जाने के कारण व्यय कम<br>हुआ एवं प्रदर्शन की राशि<br>भारत सरकार से विलंब से<br>प्राप्त होने के कारण प्रदर्शन<br>मद में प्रदर्शन नहीं कराये जा<br>सकें। | 75.00   | कृषकों के खेतों में<br>प्रदर्शन-1900 प्रदर्शन<br>कृषक -60 प्रशिक्षण<br>नवीन उन्नत कृषि<br>उपकरणों का कय - 60<br>नग कराये जावेगें |
| <b>8174 मशीन, ट्रैक्टर स्टेशन योजनाओं का सुदृढीकरण</b>  |                                     |  |  |  |  |   |  |   |  |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित                                  | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय  | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10)    |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |                              | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये)             |              |
|---|--|-------------------------------|---|--------------|--|------------------------------|---|---|--------------|
|   |  |                               | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि                |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1   | 2  | 3                             | 4   | 5            | 6  | 7                            | 8   | 9   | 10           |
| <b>विभाग - 14 किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग</b>         |  |                               |   |              |  |                              |   |   |              |
| <b>विभागाध्यक्ष - 1405 संचालक, कृषि अभियांत्रिकी, भोपाल</b> |  |                               |   |              |  |                              |   |   |              |
| ट्रैक्टर एवं उससे संबंधित<br>सहायक उपकरणों का क्रय<br>करना। | कृषकों की<br>आवश्यकतानुसार ट्रैक्टरों<br>एवं नवीन कृषि यंत्रों का<br>क्रय कर कृषि कार्य हेतु<br>उपलब्ध कराया जाना। | 96.00                         | 16 ट्रैक्टर 50 पी.टी.ओ.<br>हार्स पावर से अधिक एवं<br>उनके सहायक उपकरणों<br>का क्रय। | 96.00        | 16 ट्रैक्टर 50 पी.टी.ओ. हार्स<br>पावर से अधिक एवं उनके<br>सहायक उपकरणों का क्रय।         | क्रय की कार्यवाही चल रही है। | 85.00   | 10 ट्रैक्टर 50 पी.टी.ओ.<br>हार्स पावर से अधिक एवं<br>उनके सहायक उपकरणों<br>का क्रय। |              |
| <b>विभागाध्यक्ष योग</b>                                     |  |                               | 742.84  |              | 262.00   |                              | 760.00  |   |              |
| <b>विभाग</b>  |  |                               | 92,576.29   |              | 35,382.24  |                              | 66,322.78   |   |              |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित   | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय  | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |               | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |                |
|--|--|-------------------------------|--|---------------|--|---------------|---|---|----------------|
|  |  |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य  | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य   |
| 1  | 2  | 3                             | 4  | 5             | 6  | 7             | 8   | 9   | 10             |
| <b>विभाग - 15 सहकारिता विभाग</b>   |  |                               |  |               |  |               |   |   |                |
| <b>विभागाध्यक्ष - 1502 आयुक्त (सहकारिता) एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, भोपाल</b> |  |                               |  |               |  |               |   |   |                |
| 0968   | कैलारस सहकारी शक्कर कारखाना की अंशपूजी में धनवेष्ठन  |                               | 15.00  | 1 कारखाना     | 0.00   |               |   | 15.00   | 1 कारखाना      |
| 3242   | म.प्र. राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा निर्गमित ऋण पत्रों का क्रय   |                               | 100.00   | 1/38 बैंक     | 100.00   | 1/38 बैंक     |   | 100.00  | 1/38 बैंक      |
| 3699   | राज्य सहकारी संघ तथा जिला सहकारी संघ के गठन की योजना   |                               | 35.00  | 1/38 संघ      | 35.00  | 1/38 संघ      |   | 40.00   | 1/38 संघ       |
| 5006   | जनजाति सेवा समितियों को प्रबंधकीय अनुदान   |                               | 65.38  | 545 संस्थायें | 33.43  | 280 संस्थायें |   | 72.74   | 606 संस्थायें  |
| 6243   | ग्रिड गोदाम निर्माण हेतु अनुदान  |                               | 262.00   | 262 गोदाम     | 101.63   | 102 गोदाम     |   | 336.00  | 336 गोदाम      |
| 6965   | एकीकृत सहकारी विकास परियोजना (12 जिले)   |                               | 1,100.00   | 15 परियोजनाएँ | 1,100.00   | 15 परियोजनाएँ |   | 2,400.00  | 15 परियोजनाएँ  |
| 7827   | अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने हेतु राज्य शासन का अंशदान म.प्र. राज्य सहकारी बैंक |                               | 295.00   | 1/38 बैंक     | 295.00   | 1/38 बैंक     |   | 302.50  | 1/38 बैंक      |
| 8808   | सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य  |                               | 15.00  | 20 कम्प्यूटर  | 0.00   |               |   | 15.00   | 20 कम्प्यूटर   |
| 9254   | सहकारी बैंकों के माध्यम से अल्पकालीन कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान   |                               | 4,938.62   | 735000 कृषक   | 2,063.52   | 350000 कृषक   |   | 10,000.00   | 100000000 कृषक |
| <b>विभागाध्यक्ष योग</b>  |  |                               | <b>6,826.00</b>  |               | <b>3,728.58</b>  |               |   | <b>13,281.24</b>  |                |

**परिणामी बजट 2010-2011**

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |
|                            | <b>विभाग</b>                        |                               | 6,826.00   |              | 3,728.58   |               |   | 13,281.24   |              |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित   | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |   | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |  | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |  |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|--|---|--|--|---|---|--|
|  |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य  | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि  |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य   |
| 1  | 2                                   | 3                             | 4  | 5   | 6  | 7  | 8   | 9   | 10   |
| <b>विभाग - 16 श्रम विभाग</b>   |                                     |                               |  |   |  |  |   |   |  |
| <b>विभागाध्यक्ष - 1602 आयुक्त, श्रम</b>  |                                     |                               |  |   |  |  |   |   |  |
| 2837 बंधक मजदूरों की पुनर्वास योजना  |                                     |                               | 20.00  |   | 0.00   |  |   | 0.00  |  |
| 6380 इंदौर में स्थित हाइजिन लैब का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन   |                                     |                               | 32.00  |   | 0.00   |  |   | 0.00  |  |
| <b>विभागाध्यक्ष योग</b>  |                                     |                               | <b>52.00</b>   |   | <b>0.00</b>  |  |   | <b>0.00</b>   |  |
| <b>विभागाध्यक्ष - 1603 संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं</b>  |                                     |                               |  |   |  |  |   |   |  |
| " योजना का नाम" - पीथमपुर सेक्टर 3 व 4<br>7646 नवीन औषधालयों की<br>स्थापना "पीथमपुर सेक्टर "<br>पीथमपुर सेक्टर 3 व 4 के<br>श्रमिकों को चिकित्सा<br>सुविधा उपलब्ध कराना । |                                     |                               | 123.16   | पीथमपुर सेक्टर 3 व 4 के<br>बीमित श्रमिकों को पूर्ण<br>चिकित्सा सुविधा उपलब्ध<br>कराना । | 95.00  | पीथमपुर सेक्टर 3 व 4 के<br>बीमित श्रमिकों को पूर्ण<br>चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई<br>जा रही है । |   | 110.90  | वित्तीय वर्ष 2010-11 में<br>भी पूर्ण चिकित्सा सुविधा<br>उपलब्ध कराना । |
| <b>विभागाध्यक्ष योग</b>  |                                     |                               | <b>123.16</b>  |   | <b>95.00</b>   |  |   | <b>110.90</b>   |  |
| <b>विभाग</b>   |                                     |                               | <b>175.16</b>  |   | <b>95.00</b>   |  |   | <b>110.90</b>   |  |



परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित                              | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय  | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम  | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |   | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |   |  | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |   |
|---|--|--|--|---|--|---|--|---|---|---|
|   |  |  | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य  | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि   | प्रावधानित राशि  |   | भौतिक लक्ष्य  |   |
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   | 8  | 9   | 10  |   |
| <b>विभाग - 17 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग</b> |  |  |  |   |  |   |  |   |   |   |
| <b>विभागाध्यक्ष - 1704 संचालक, चिकित्सा सेवाएं</b>      |  |  |  |   |  |   |  |   |   |   |
| <b>0264</b>   | अन्य सेवाएं तथा पूर्तियां  |  |  |   |  |   |  |   |   |   |
|   |  |  | 15.00  |   | 0.00   |   |  |   | 0.00  |   |
| <b>2498</b>   | परम्परागत गर्भ निरोधक का प्रदाय  |  |  |   |  |   |  |   |   |   |
|   |  |  | 500.00   |   | 0.00   |   |  |   | 0.00  |   |
| <b>2818</b>   | फाइलेरिया  |  |  |   |  |   |  |   |   |   |
|   | वर्ष में जनसंख्या को<br>गोलिया सेवन कराने का<br>लक्ष्य रखा है।   | वर्ष में जनसंख्या को<br>गोलिया सेवन कराने का<br>लक्ष्य रखा है।   | 17.17  |   | 0.00   |   |  |   | 17.17   | वर्ष में जनसंख्या को<br>गोलिया सेवन कराने का<br>लक्ष्य रखा है।  |
| <b>4245</b>   | शीत च्चर   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |
|   | रक्त पट्टी कलेक्शन<br>प्रतिशत  | वर्ष में जनसंख्या का 10<br>प्रतिशत।  | 871.50   | 89.86 लाख रक्त पट्टी<br>बनाना।  | 188.69   | 75.33 लाख रक्त पट्टी बनी<br>(माह अक्टूबर 2009)  | नहीं   |   | 1,006.00  | 90.28 लाख रक्त पट्टी<br>बनाना।  |
| <b>4510</b>   | सामूहिक शिक्षा   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |
|   |  |  | 50.00  |   | 0.00   |   |  |   | 0.00  |   |
| <b>5056</b>   | सामुदायिक स्वास्थ्य/ उप स्वास्थ्य/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |
|   | 19 सामुदायिक स्वास्थ्य<br>केन्द्र , 13 प्राथमिक स्वास्थ्य<br>केन्द्र तथा 4 उप स्वास्थ्य<br>केन्द्र के भवन पूर्ण किये<br>गये। | 4 सामुदायिक स्वास्थ्य<br>केन्द्र , 1 प्राथमिक<br>स्वास्थ्य केन्द्र तथा 4 उप<br>स्वास्थ्य केन्द्र के भवन<br>पूर्ण किये गये। | 724.74   | 19 सामुदायिक स्वास्थ्य<br>केन्द्र , 13 प्राथमिक<br>स्वास्थ्य केन्द्र तथा 62 उप<br>स्वास्थ्य केन्द्र के भवन पूर्ण<br>किये गये। | 343.23   | 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ,<br>1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा<br>4 उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन<br>पूर्ण किये गये। | निर्माण एजेसियों द्वारा निर्माण<br>के प्रति गंभीर नहीं होने से<br>निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया<br>गया। |   | 1,067.73  | 18 सामुदायिक स्वास्थ्य<br>केन्द्र , 11 प्राथमिक<br>स्वास्थ्य केन्द्र तथा 52 उप<br>स्वास्थ्य केन्द्र के भवन पूर्ण<br>किये गये। |
| <b>5613</b>   | राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |
|   | राष्ट्रीय बीमा योजना   | गरीब रोगियों को बीमा<br>के आधार पर चिकित्सा<br>सुविधा उपलब्ध कराना।  | 0.00   |   | 0.00   |   |  |   | 6,000.00  | गरीब रोगियों को बीमा के<br>आधार पर चिकित्सा<br>सुविधा उपलब्ध कराना।   |
| <b>5724</b>   | राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |
|   | राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य<br>मिशन के अन्तर्गत राज्यांश   | राज्यांश एन.आर.एच.एम.<br>के खाते में जमा किया  | 11,300.00  | राज्यांश एन.आर.एच.एम. के<br>खाते में जमा किया गया।  | 3,694.67   | राज्यांश एन.आर.एच.एम. के<br>खाते में जमा किया गया।  | नहीं।  |   | 12,708.95   | राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य<br>मिशन के अन्तर्गत   |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित                              | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय   | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम  | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |  | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |  | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |   |
|---|---|--|--|--|--|--|---|---|---|
|   |   |  | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य   | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि  |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य  |
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8   | 9   | 10  |
| <b>विभाग - 17 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग</b> |   |  |  |  |  |  |   |   |   |
| <b>विभागाध्यक्ष - 1704 संचालक, चिकित्सा सेवाएं</b>      |   |  |  |  |  |  |   |   |   |
| गया।  |   |  |  |  |  |  |   |   |   |
| राज्यांश।   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |
| <b>6106</b>   | यूनिवर्सल इमोनाइजेशन  |  | 1,200.00   |  | 0.00   |  |   | 0.00  |   |
| <b>6845</b>   | आई.डी.एस.पी. प्रोजेक्ट  |  |  |  |  |  |   |   |   |
|   | वैक्टोरिया जनित रोगों का<br>फैलाव रोकना।  | वैक्टोरिया जनित रोगों का<br>फैलाव रोका जा रहा है।                                    | 60.00  | वैक्टोरिया जनित रोगों का<br>फैलाव रोका जा रहा है।  | 0.00   | 0  | नहीं।   | 60.00   | वैक्टोरिया जनित रोगों का<br>फैलाव रोकना।  |
| <b>6882</b>   | सामुदायिक स्वास्थ्य/ उप स्वास्थ्य/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण ( नाबाई )                        |  |  |  |  |  |   |   |   |
|   | 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,<br>22 उप स्वास्थ्य केन्द्र के<br>भवन पूर्ण किये जायेंगे।                         | 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,<br>5 उप स्वास्थ्य केन्द्र के<br>भवन पूर्ण किये गये।    | 485.11   | 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,<br>22 उप स्वास्थ्य केन्द्र के<br>भवन पूर्ण किये जायेंगे।    | 49.85  |  |   | 150.00  | 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,<br>25 उप स्वास्थ्य केन्द्र के<br>भवन पूर्ण किये जायेंगे।    |
| <b>6920</b>   | नाबाई की सहायता से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण   |  |  |  |  |  |   |   |   |
|   | 18 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र<br>तथा 51 उप स्वास्थ्य केन्द्र<br>के भवन पूर्ण किये जायेंगे।                      | 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र<br>तथा 3 उप स्वास्थ्य केन्द्र<br>के भवन पूर्ण किये गये। | 690.00   | 18 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र<br>तथा 51 उप स्वास्थ्य केन्द्र<br>के भवन पूर्ण किये जायेंगे। | 78.08  | 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा<br>3 उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन<br>पूर्ण किये गये। |   | 100.00  | 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र<br>तथा 25 उप स्वास्थ्य केन्द्र<br>के भवन पूर्ण किये जायेंगे। |
| <b>7317</b>   | ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन   |  |  |  |  |  |   |   |   |
|   | ग्रामीण चिकित्सालयों में<br>बेहतर चिकित्सा सुविधाएं<br>उपलब्ध कराना।  | ग्रामीण चिकित्सालयों में<br>बेहतर चिकित्सा सुविधाएं<br>उपलब्ध कराई जा रही<br>है।     | 1,017.47   | ग्रामीण चिकित्सालयों में<br>बेहतर चिकित्सा सुविधाएं<br>उपलब्ध कराई जा रही है।              | 436.52   | 0  | नहीं।   | 1,052.05  | ग्रामीण चिकित्सालयों में<br>बेहतर चिकित्सा सुविधाएं<br>उपलब्ध कराना।                      |
| <b>7648</b>   | अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण  |  |  |  |  |  |   |   |   |
|   | 10 शहरी संस्थाओं के भवन<br>पूर्ण किये जायेंगे।  | 4 शहरी संस्थाओं के भवन<br>पूर्ण किये गये।  | 1,492.65   | 10 शहरी संस्थाओं के<br>भवन पूर्ण किये जायेंगे।   | 417.88   | 4 शहरी संस्थाओं के भवन पूर्ण<br>किये गये।  |   | 1,120.00  | 10 शहरी संस्थाओं के<br>भवन पूर्ण किये जायेंगे।  |
| <b>7871</b>   | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वा. केन्द्रों का निर्माण-मूलभूत सेवाओं के लिये |  |  |  |  |  |   |   |   |
|   | 10 सामुदायिक स्वास्थ्य<br>केन्द्र, 9 प्राथमिक स्वास्थ्य<br>केन्द्र तथा 65 उप स्वास्थ्य                          | 4 सामुदायिक स्वास्थ्य<br>केन्द्रों, 5 उप स्वास्थ्य<br>केन्द्र के भवन पूर्ण किये      | 908.07   | 10 सामुदायिक स्वास्थ्य<br>केन्द्र, 9 प्राथमिक स्वास्थ्य<br>केन्द्र तथा 65 उप स्वास्थ्य     | 287.54   | 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 5<br>उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन पूर्ण<br>किये गये। |   | 1,400.00  | 14 सामुदायिक स्वास्थ्य<br>केन्द्र, 10 प्राथमिक स्वास्थ्य<br>केन्द्र तथा 50 उप स्वास्थ्य   |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित   | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय   | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम  | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |  | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |   | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |  |
|--|---|--|--|--|--|---|---|---|--|
|  |   |  | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य   | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि   |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य   |
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7   | 8   | 9   | 10   |
| <b>विभाग - 17 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग</b>            |   |  |  |  |  |   |   |   |  |
| <b>विभागाध्यक्ष - 1704 संचालक, चिकित्सा सेवाएं</b>                 |   |  |  |  |  |   |   |   |  |
|  | केन्द्र के भवन पूर्ण किये जायेंगे।  | गये।   |  | केन्द्र के भवन पूर्ण किये जायेंगे।   |  |   |   | केन्द्र के भवन पूर्ण किये जायेंगे।                                      |  |
| <b>8798</b>  | <b>चिकित्सालयों का उन्नयन</b>   |  |  |  |  |   |   |   |  |
|  | चिकित्सालयों में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना।                            | चिकित्सालयों में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।  | 1,203.56   | चिकित्सालयों में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।  | 708.50   | 0   | नहीं।   | 1,434.12  | चिकित्सालयों में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना।   |
|  | <b>विभागाध्यक्ष योग</b>   |  | <u>20,535.27</u>   |  | <u>6,204.96</u>  |   |   | <u>26,116.02</u>  |  |
| <b>विभागाध्यक्ष - 1706 नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन</b>        |   |  |  |  |  |   |   |   |  |
| <b>1070</b>  | <b>खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम (खाद्य प्रयोग शाला सहित)</b>               |  |  |  |  |   |   |   |  |
|  |   |  | 18.50  |  | 0.00   |   |   | 0.00  |  |
| <b>750</b>   | <b>औषधि नियंत्रण</b>  |  |  |  |  |   |   |   |  |
|  |   |  | 38.75  |  | 0.00   |   |   | 0.00  |  |
|  | <b>विभागाध्यक्ष योग</b>   |  | <u>57.25</u>   |  | <u>0.00</u>  |   |   | <u>0.00</u>   |  |
| <b>विभागाध्यक्ष - 1707 संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण</b> |   |  |  |  |  |   |   |   |  |
| <b>0336</b>  | <b>ऑक्जीलियरी नर्स, मिड वाइफ एवं हेल्थ विजिटर्स को परिवार कल्याण का प्रशिक्षण</b> |  |  |  |  |   |   |   |  |
|  | राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम तथा मातृ  | जनसंख्या नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं का सुचारु रूप से क्रियान्वयन किया जाना है। | 1,100.23   | वर्ष 2009-10 के दौरान निम्नानुसार उपलब्धियां प्राप्त की जावेगी।<br>नसबंदी - 5.25 लाख<br>लूप निवेशन - 5.00 लाख<br>ओ.पी.यूजर्स - 5.75 लाख<br>निरोध यूजर्स - 14.00 लाख<br>संस्थागत प्रसव - 8.50 लाख<br>प्रसवपूर्व पंजीयन- 20.80 लाख | 608.40   | वर्ष 2009-10 के दौरान निम्नानुसार उपलब्धियां तिमाही रूप से प्राप्त की जावेगी।<br>प्रथम तिमाही:-<br>नसबंदी - 1.00 लाख<br>लूप निवेशन - 1.50 लाख<br>ओ.पी. यूजर्स - 2.00 लाख<br>निरोध यूजर्स - 4.65 लाख<br>संस्थागत प्रसव - 2.12 लाख<br>प्रसवपूर्व पंजीयन- 5.20 लाख<br>द्वितीय तिमाही:-<br>नसबंदी - 1.00 लाख<br>लूप निवेशन - 1.50 लाख<br>ओ.पी. यूजर्स - 2.00 लाख<br>निरोध यूजर्स - 4.65 लाख | कोई नहीं।   | 1,259.10  | वर्ष 2010-11 के दौरान निम्नानुसार उपलब्धियां प्राप्त की जावेगी।<br>नसबंदी - 7.00 लाख<br>लूप निवेशन - 6.20 लाख<br>ओ.पी.यूजर्स - 8.30 लाख<br>निरोध यूजर्स - 18.60 लाख<br>संस्थागत प्रसव - 8.50 लाख<br>प्रसवपूर्व पंजीयन- 20.80 लाख |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 17 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 1707 संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण**

संस्थागत प्रसव - 2.12 लाख  
प्रसवपूर्व पंजीयन- 5.20 लाख  
तृतीय तिमाही:-  
नसबंदी - 2.50 लाख  
लूप निवेशन - 1.60 लाख  
ओ.पी. यूजर्स - 2.15 लाख  
निरोध यूजर्स - 4.65 लाख  
संस्थागत प्रसव - 2.13 लाख  
प्रसवपूर्व पंजीयन- 5.20 लाख  
चतुर्थ तिमाही:-  
नसबंदी - 2.50 लाख  
लूप निवेशन - 1.60 लाख  
ओ.पी. यूजर्स - 2.15 लाख  
निरोध यूजर्स - 4.65 लाख  
संस्थागत प्रसव - 2.13 लाख  
प्रसवपूर्व पंजीयन- 5.20 लाख

**0621 अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र**

|   |                                    |           |   |           |                                    |           |           |   |
|---|------------------------------------|-----------|---|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|---|
| परिवार कल्याण कार्यक्रम का सुचारु रूप से संचालन करना। | जानकारी सरल कं. 1 में सम्मिलित है। | 12,507.38 | परिवार कल्याण कार्यक्रम का सुचारु रूप से संचालन करना। | 10,072.04 | जानकारी सरल कं. 1 में सम्मिलित है। | कोई नहीं। | 15,047.40 | परिवार कल्याण कार्यक्रम का सुचारु रूप से संचालन करना। |
|---|------------------------------------|-----------|---|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|---|

**1007 क्षेत्रीय परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र**

|   |                                   |        |   |        |                                   |           |        |   |
|---|-----------------------------------|--------|---|--------|-----------------------------------|-----------|--------|---|
| परिवार कल्याण कार्यक्रम का सुचारु रूप से संचालन करना। | जानकारी सरल कं.1 में सम्मिलित है। | 184.06 | परिवार कल्याण कार्यक्रम का सुचारु रूप से संचालन करना। | 115.52 | जानकारी सरल कं.1 में सम्मिलित है। | कोई नहीं। | 192.42 | परिवार कल्याण कार्यक्रम का सुचारु रूप से संचालन करना। |
|---|-----------------------------------|--------|---|--------|-----------------------------------|-----------|--------|---|

**1508 जिला स्तरीय अमला**

|  |                                    |          |  |          |                                    |           |          |  |
|--|------------------------------------|----------|--|----------|------------------------------------|-----------|----------|--|
| परिवार कल्याण कार्यक्रम का सुचारु रूप से संचालित करना। | जानकारी सरल कं. 1 में सम्मिलित है। | 2,703.74 | परिवार कल्याण कार्यक्रम का सुचारु रूप से संचालित करना। | 1,859.29 | जानकारी सरल कं. 1 में सम्मिलित है। | कोई नहीं। | 3,114.11 | परिवार कल्याण कार्यक्रम का सुचारु रूप से संचालित करना। |
|--|------------------------------------|----------|--|----------|------------------------------------|-----------|----------|--|

**2703 प्रत्यक्ष व्यय**

|  |                                    |          |  |        |                                    |           |          |  |
|--|------------------------------------|----------|--|--------|------------------------------------|-----------|----------|--|
| परिवार कल्याण कार्यक्रम का सुचारु रूप से संचालित करना। | जानकारी सरल कं. 1 में सम्मिलित है। | 1,351.89 | परिवार कल्याण कार्यक्रम का सुचारु रूप से संचालित करना। | 880.88 | जानकारी सरल कं. 1 में सम्मिलित है। | कोई नहीं। | 1,501.80 | परिवार कल्याण कार्यक्रम का सुचारु रूप से संचालित करना। |
|--|------------------------------------|----------|--|--------|------------------------------------|-----------|----------|--|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित   | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|  |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1  | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |
| <b>विभाग - 17 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग</b>            |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| <b>विभागाध्यक्ष - 1707 संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण</b> |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| <b>2880 बहुउद्देशिय कार्यकर्ता योजना</b>                           |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| परिवार कल्याण कार्यक्रम का सुचारु रूप से संचालित करना।             | जानकारी सरल कं. 1 में सम्मिलित है।  | 378.20                        | परिवार कल्याण कार्यक्रम का सुचारु रूप से संचालित करना।                           | 249.71       | जानकारी सरल कं. 1 में सम्मिलित है।   | कोई नहीं।     | 478.20  | परिवार कल्याण कार्यक्रम का सुचारु रूप से संचालित करना।                  |              |
| <b>3704 राज्य स्तरीय परिवार कल्याण संगठन</b>                       |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| परिवार कल्याण कार्यक्रम का सुचारु रूप से संचालित करना।             | जानकारी सरल कं. 1 में सम्मिलित है।  | 166.39                        | परिवार कल्याण कार्यक्रम का सुचारु रूप से संचालित करना।                           | 112.69       | जानकारी सरल कं. 1 में सम्मिलित है।   | कोई नहीं।     | 187.76  | परिवार कल्याण कार्यक्रम का सुचारु रूप से संचालित करना।                  |              |
| <b>विभागाध्यक्ष योग</b>  |                                     | 18,391.89                     |  | 13,898.53    |  |               | 21,780.79   |   |              |
| <b>विभाग</b>   |                                     | 38,984.41                     |  | 20,103.49    |  |               | 47,896.81   |   |              |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 18 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग**  
**विभागाध्यक्ष - 1802 संचालक, नगर प्रशासन, भोपाल**

**0179 सफाई कामगारों के लिए समूह बीमा योजना**

|   |   |       |  |       |   |       |  |
|---|---|-------|--|-------|---|-------|--|
| सफाई कामगार की सेवा में रहते हुये मृत्यु होने पर उनके परिवार का आर्थिक लाभ पहुंचाने की दृष्टि से उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति का एक मुश्त राशि का भुगतान किया जाता है । | सफाई कामगार की सेवा में रहते हुये सामान्य मृत्यु होने पर दावेदार की रूपये 50000 तथा दुर्घटना ग्रस्त होने पर रूपये 1,00 लाख का भुगतान किया जा रहा है । | 64.80 | इस योजना के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित करना संभव नहीं है । | 64.80 | - | 71.28 | इस योजना के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित करना संभव नहीं है । |
|---|---|-------|--|-------|---|-------|--|

**5126 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना**

|  |  |          |  |          |  |          |  |
|--|--|----------|--|----------|--|----------|--|
| केन्द्र प्रवर्तित योजना है इसके अंतर्गत शहरी गरीबों को स्वरोजगार एवं मजदूरी पर रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित है । | 1. शहरी स्वरोजगार (हितग्राही) 5206<br>2. प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रशिक्षार्थी) 38244<br>3. महिला एवं बच्चों का विकास कार्यक्रम (समूह) 487<br>4. शहरी मजदूरी रोजगार योजना ( मानव दिवस) 687080 | 1,735.07 | 1. शहरी स्वरोजगार (हितग्राही) 5206<br>2. प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रशिक्षार्थी) 38244<br>3. महिला एवं बच्चों का विकास कार्यक्रम (समूह) 487<br>4. शहरी मजदूरी रोजगार योजना ( मानव दिवस) 687080 | 1,469.49 |  | 1,936.66 | 1. शहरी स्वरोजगार (हितग्राही) 5206<br>2. प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रशिक्षार्थी) 38244<br>3. महिला एवं बच्चों का विकास कार्यक्रम (समूह) 487<br>4. शहरी मजदूरी रोजगार योजना ( मानव दिवस) 687080 |
|--|--|----------|--|----------|--|----------|--|

**5169 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम**

|  |  |          |  |          |  |          |   |
|--|--|----------|--|----------|--|----------|---|
| पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिये नोडल विभाग बनाया गया है। इस विभाग के द्वारा 0.50 पैसे प्रति छात्र प्रतिदिन की मांग से राशि उपलब्ध करायी जाती है। | शहरी क्षेत्रों के प्राथमिक तथा माध्यमिक शालाओं के 1057070 विद्यार्थियों को पोस्टिक भोजन उपलब्ध कराया गया है। | 1,456.49 | 1057070 विद्यार्थियों को पोस्टिक भोजन उपलब्ध कराया जायेगा। | 1,332.01 | 1057070 विद्यार्थियों को पोस्टिक भोजन उपलब्ध कराया जायेगा। | 3,946.08 | शहरी क्षेत्रों के प्राथमिक तथा माध्यमिक शालाओं के 105770 विद्यार्थियों को पोस्टिक भोजन उपलब्ध कराया जायेगा। |
|--|--|----------|--|----------|--|----------|---|

**5185 मूलभूत सेवाओं के लिये एक मुश्त अनुदान**

|  |   |          |  |          |   |      |
|--|---|----------|--|----------|---|------|
| आयोग के अनुशंसा के अनुसार नगरीय निकायों को | प्रदेश के 14 नगर निगमों, 87 नगर पालिकाओं और | 2,235.00 | प्रत्येक निकाय में 1 कार्य किया जायेगा कुल 338 | 2,235.00 | प्रत्येक निकाय में 1 कार्य किया जायेगा कुल 338 कार्य होंगे। | 0.00 |
|--|---|----------|--|----------|---|------|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित   | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय  | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |   | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |   | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |   |
|--|--|-------------------------------|--|---|--|---|---|---|---|
|  |  |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य  | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि   |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य  |
| 1  | 2  | 3                             | 4  | 5   | 6  | 7   | 8   | 9   | 10  |
| <b>विभाग - 18 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग</b>  |  |                               |  |   |  |   |   |   |   |
| <b>विभागाध्यक्ष - 1802 संचालक, नगर प्रशासन, भोपाल</b>  |  |                               |  |   |  |   |   |   |   |
| कार्य योजना के अनुसार राशि दी जायेगी इससे नगरीय क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, डाटाबेस तथा जलप्रदाय के कार्यों को किया जायेगा। | 237 नगर पंचायतों को यह राशि दी जायेगी। नगरीय निकाय इस राशि में से 50 प्रतिशत ठोस अपशिष्ट, 2 प्रतिशत डाटाबेस तथा 48 प्रतिशत जलप्रदाय हेतु व्यय करेगी। |                               |  | कार्य होंगे।  |  |   |   |   |   |
| <b>5522 राज्य शहरी स्वच्छता मिशन</b>   |  |                               |  |   |  |   |   |   |   |
| राज्य के नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं का विकास।   | व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक शौचालय एवं सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य होगा।   |                               | 854.70   | 2514 व्यक्तिगत शौचालय, 21 सामुदायिक शौचालय एवं 2 सार्वजनिक शौचालय स्वीकृत किये गये हैं, व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक तथा सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण कार्य कराया जायेगा। | 200.90   | 2514 व्यक्तिगत शौचालय, 21 सामुदायिक शौचालय एवं 2 सार्वजनिक शौचालय स्वीकृत किये गये हैं, व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक तथा सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण कार्य प्रगति पर है। |   | 1,125.02  | योजना मांग आधारित होने के कारण भौतिक लक्ष्य निर्धारित करना संभव नहीं। |
| <b>5726 म. प्र. शहरी अधोसंरचना कोष</b>   |  |                               |  |   |  |   |   |   |   |
|  |  |                               | 100.00   |   | 0.00   |   |   | 100.00  |   |
| <b>5864 हाथ टेला एवं सायकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना</b>   |  |                               |  |   |  |   |   |   |   |
| हाथटेला एवं साईकिल रिक्शा चालकों के समग्र कल्याण एवं पुर्नवास हेतु   | हाथटेला एवं साईकिल रिक्शा चालकों की सर्वेक्षित संख्या 65000  |                               | 1,060.00   | सर्वेक्षित संख्या 65000   | 60.00  | 7287 प्रकरणों पर कार्यवाही।   |   | 500.00  | इस योजना के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित करना संभव नहीं है।               |
| <b>6047 स्थानीय निकायों को प्रशिक्षण हेतु अनुदान</b>   |  |                               |  |   |  |   |   |   |   |
| निर्वाचित जन प्रतिनिधियों तथा अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण।  |  |                               | 10.00  | 333 प्रशिक्षणार्थी  | 193.00   | 1128 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया।  | -   | 10.00   | 1000 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।                             |
| <b>6981 जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवी मिशन</b>  |  |                               |  |   |  |   |   |   |   |
| शहरी अधोसंरचना एवं गर्वनेन्स तथा गरीबों के   | शहरों में जलप्रदाय, जलमल निकासी प्रणाली,   |                               | 18,878.00  | स्वीकृत परियोजनाओं का 25 प्रतिशत क्रियान्वयन वर्ष   | 16,955.04  | परियोजना में 25 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।   |   | 34,540.03   | स्वीकृत परियोजनाओं में आगामी 25 प्रतिशत कार्य                         |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 18 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग**  
**विभागाध्यक्ष - 1802 संचालक, नगर प्रशासन, भोपाल**

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>लिये बुनियादी सुविधायें<br/>उपलब्ध कराकर शहरों का<br/>समग्र विकास।</p> | <p>यातायात एवं परिवहन<br/>संबंधी अधोसंरचना<br/>सुविधाओं का विकास<br/>2. गरीबों के आवास<br/>निर्माण तथा गंदी बस्तियों<br/>का<br/>व्यवस्थापन/पुनर्स्थापन<br/>आदि संबंधित परियोजना<br/>को लागू करने हेतु प्रदेश<br/>के भोपाल, इंदौर,<br/>जबलपुर, उज्जैन नगर<br/>निगमों</p> | <p>के दौरान सुनिश्चित किया<br/>जायेगा। प्रगति की<br/>त्रैमासिक समीक्षा वित्तीय<br/>उपलब्धि के साथ की<br/>जावेगी।</p> | <p>वर्ष के दौरान किया जाना<br/>सुनिश्चित किया जायेगा।<br/>प्रगति की त्रैमासिक समीक्षा<br/>वित्तीय उपलब्धि के साथ<br/>की जावेगी।</p> |
|---|---|--|---|

**6982 एकीकृत शहरी एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम**

|  |   |                 |              |             |  |  |                 |                               |
|--|---|-----------------|--------------|-------------|--|--|-----------------|-------------------------------|
| <p>गंदी बस्ती क्षेत्रों में रहने<br/>वाले गरीबों के लिये<br/>आवासों का निर्माण एवं<br/>अधोसंरचना का विकास।</p> | <p>6 परियोजनाओं के लिये<br/>भारत सरकार से राशि<br/>प्राप्त होने के कारण<br/>आवासों का निर्माण कार्य<br/>प्रगति पर है।</p> | <p>2,594.00</p> | <p>10000</p> | <p>0.00</p> | <p>1352 आवासों का निर्माण<br/>प्रगति पर।</p> | <p>भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त<br/>न होने के कारण</p> | <p>3,682.51</p> | <p>8854 आवासों का निर्माण</p> |
|--|---|-----------------|--------------|-------------|--|--|-----------------|-------------------------------|

**6987 देवास जिले के शहरी क्षेत्रों का विकास**

|   |  |               |               |                         |             |
|---|--|---------------|---------------|-------------------------|-------------|
| <p>नागदा तालाब जलप्रदाय,<br/>राजानल जलप्रदाय योजना,<br/>देवास नगर में नाला<br/>निर्माण, देवास के विभिन्न<br/>इलाकों में सड़क निर्माण<br/>कार्य।</p> | <p>नागदा तालाब जलप्रदाय,<br/>राजानल जलप्रदाय<br/>योजना, देवास नगर में<br/>नाला निर्माण, देवास के<br/>विभिन्न इलाकों में सड़क<br/>निर्माण कार्य पूर्ण कराया<br/>जायेगा।</p> | <p>625.00</p> | <p>375.00</p> | <p>कार्य प्रगति पर।</p> | <p>0.00</p> |
|---|--|---------------|---------------|-------------------------|-------------|

**7321 गरीबों के लिये शहरी सेवा कार्यक्रम**

|  |   |                 |   |                 |  |   |                 |  |
|--|---|-----------------|---|-----------------|--|---|-----------------|--|
| <p>1. शासन/निकाय स्तर पर<br/>दक्षता उन्नयन एवं शहरी<br/>सुधारों को लागू करना।<br/>वित्तीय सुधार लागू करना।</p> <p>2. निकायों में ई-गवर्नेंस<br/>लागू करना।</p> | <p>शासन/निकाय स्तर पर<br/>दक्षता उन्नयन एवं शहरी<br/>सुधारों को लागू करने के<br/>संबंध, वित्तीय सुधार लागू<br/>करना, निकायों में<br/>ई-गवर्नेंस लागू करना,<br/>सामुदायिक विकास संबंधी</p> | <p>5,500.00</p> | <p>कॉलम नं-2 में अंकित<br/>विवरण अनुसार चयनित<br/>किये गये सुधार कार्य एवं<br/>अधोसंरचना विकास के<br/>कार्य वर्ष 2009-10 में<br/>निरंतर प्रगति पर है।</p> | <p>1,922.40</p> | <p>1. इसके तहत प्रदेश के सभी<br/>14 नगर निगमों को कम्प्यूटर<br/>सेट उपलब्ध कराये गये तथा<br/>कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया<br/>गया।</p> <p>2. निकायों द्वारा भौगोलिक<br/>सूचना प्रणाली जीआईएस.</p> | <p>स्थानीय निकायों के निर्वाचन<br/>के कारण, उपयुक्त टेंडर/रेट<br/>प्राप्त न होने के कारण<br/>रि-टेंडर होने से</p> | <p>7,005.41</p> | <p>कॉलम नं-2 में अंकित<br/>विवरण अनुसार चयनित<br/>किये गये सुधार कार्य एवं<br/>अधोसंरचना विकास के<br/>कार्य वर्ष 2010-11 में<br/>निरंतर चालू रहेंगे।</p> |
|--|---|-----------------|---|-----------------|--|---|-----------------|--|



परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 18 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग**  
**विभागाध्यक्ष - 1802 संचालक, नगर प्रशासन, भोपाल**

3. सामुदायिक विकास।
4. गंदी बस्तियों में  
अधोसंरचनात्मक विकास।

सुधार कार्यों में विभिन्न कंसलटेंट की नियुक्ति की गई है, तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर क्रय स्थापित किये गये हैं। कंसलटेंट से प्राप्त रिपोर्ट्स पर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। गंदी बस्तियों में अधोसंरचनात्मक विकास के कार्य प्रारंभ किये जा चुके हैं।

- आधारित मानचित्रों की सहायता से संपत्तियों के एकीकरण का डेटाबेस तैयार करने व संपत्तिकर एवं अन्य सेवा संदाय प्रणालियों के एकीकरण का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
3. क्षेत्रीय स्तर पर संपर्क हेतु 1000 ईमेल पत्तों के साथ विभाग की इंटरैक्टिव वेबसाईट का निर्माण किया गया है।
4. भोपाल नगर निगम में म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जा रहा है।
5. भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं ग्वालियर नगर निगमों में सिटिजन सर्विस सेन्टर की स्थापना की गई है।
6. जबलपुर नगर निगम में "परफार्मेंस मैनेजमेन्ट सिस्टम" एवं रिकार्ड मैनेजमेन्ट सिस्टम का कार्य शुरू किया गया है।
7. 10 नगर निगमों में सम्पत्तिकर/जलकर/जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्रों से संबंधित समस्त डाटा का डिजिटिजेशन किया जा रहा है एवं वर्तमान में उज्जैन, देवास, खण्डवा, सागर में यह सुविधा ऑनलाईन कर दी गई है।
8. सभी 14 नगर निगमों को टेलीसमाधान कॉल सेन्टर से जोड़ा गया है जिसके अन्तर्गत नागरिक नगर निगम सेवाओं से संबंधित शिकायतें टॉल फ्री नम्बर 155343 पर कर सकते

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 18** नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग  
**विभागाध्यक्ष - 1802** संचालक, नगर प्रशासन, भोपाल

है।

9. उज्जैन, ग्वालियर, इंदौर नगर निगम में आटोमेटेड बिल्डिंग अप्रूवल प्लान सिस्टम लागू की जा रही है।

1. भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर नगरों में संपत्तियों का सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ कर संपत्ति के अभिलेखों को अद्यतन करने, लेखा एवं वित्तीय नियम निर्मित करने, सम्पत्तिकर, उपभोक्ता शुल्कों, सेवा प्रभार के युक्तियुक्तकरण हेतु मापदण्ड तय कर उन्हें लागू करने व निगमों के बेहतर वित्तीय प्रबन्धन हेतु आदर्श प्रक्रियाओं का मेनुअल तैयार कराया गया।

2. भोपाल, इन्दौर ग्वालियर एवं जबलपुर नगरों में लेखा सुधार प्रणाली की स्थापना के तहत 1 अप्रैल 2007 की स्थिति में ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार की जा चुकी है तथा अन्य निकाय भी इस दिशा में कार्य करना प्रारंभ कर चुके हैं।

3. भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं ग्वालियर नगर निगमों को वर्ष 2008 की स्थिति में ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करने हेतु नियमित रूप से तकनीकी सहायता एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया जा रहा है।

4. प्रदेश के 11 नगर निगमों जबलपुर, उज्जैन, देवास, रतलाम, खण्डवा, बुरहानपुर, सागर, सतना, रीवा, सिंगरौली

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 18 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग  
विभागाध्यक्ष - 1802 संचालक, नगर प्रशासन, भोपाल

एवं कटनी में पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत प्रोजेक्ट तैयार करने हेतु कन्सलटेन्ट फर्म की नियुक्ति की गई है।

5. प्रदेश के नगर निगमों कटनी देवास, रतलाम में दोहरी लेखा प्रणाली के लिए तकनीकी सहायकता प्रदाय करने हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म की नियुक्ति की गयी है। प्रदेश के शेष नगर निगमों रीवा, सतना, सिंगरोली, सागर, बुरहानपुर, खण्डवा एवं उज्जैन की प्रारंभिक बैलेंस शीट एवं हेंडहोल्डिंग सपोर्ट के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म की नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।

1. परियोजना के अन्तर्गत 135 गंदी बस्तियों का चयन किया जा चुका है, जिनमें मूलभूत अधोसंरचना विकास का कार्य किया जा रहा है।

2. चार शहरों भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर में चयनित गंदी बस्तियों में रहने वाले 7200 शहरी गरीबों को रोजगार देने संबंधी उन्नति कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है।

3. गंदी बस्ती अधिसूचित करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये है।

4. गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का आकलन एवं उसे सुधार करने के उपाय के संबंध में अध्ययन कराया गया।

5. प्रदेश के चार बड़े नगर

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 18 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग  
विभागाध्यक्ष - 1802 संचालक, नगर प्रशासन, भोपाल

निगमों में चयनित गंदी बस्तीयों में सामुदायिक विकास एवं स्वच्छता के लिए एजेन्सी की नियुक्ति की गई है।

6. प्रदेश के 6 नगर निगमों ग्वालियर, देवास, रीवा, रतलाम, बुरहानपुर एवं कटनी में "सिटी डब्लपमेन्ट प्लान" के लिए कन्सलटेन्ट फर्म की नियुक्ति की कार्यवाही की जा चुकी है तथा सिंगरौली, सतना, सागर एवं खण्डवा नगर निगमों के लिए कन्सलटेन्ट फर्म की नियुक्ति की जा रही है।

7. गन्दी बस्ती क्षेत्रों में सामाजिक बुलाईयों, घरेलू/महिला हिंसा अशिक्षा दूर करने आदि क्षेत्रों में समुदाय द्वारा कम्युनिटी इनिशिएटिव फण्ड (सी.आई.एफ.) के माध्यम कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है।

1. भोपाल, इन्दौर ग्वालियर एवं जबलपुर नगर निगमों में सिटीजन सर्विस सेन्टर की स्थापना की गई है।

2. भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर में मल्टीपरपरज हाउसहोल्ड सर्वे एवं इंदौर नगर निगम में सोशियो-इकॉनामिक सर्वे का कार्य किया जा रहा है।

3. नगर निगमों द्वारा प्रदत्त सेवाओं में सुधार करने हेतु "सर्विस लेबल बेंचमार्किंग" का कार्य 14 नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत किया जा रहा है। इसमें चार सेवाओं जलप्रदाय,

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 18** नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग  
**विभागाध्यक्ष - 1802** संचालक, नगर प्रशासन, भोपाल

सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा ड्रेनेज से संबंधित आंकड़ों (डाटा) की पुष्टि करते हुए बेस लाइन का मापन कार्य किया जावेगा। बेस लाइन असेसमेन्ट होने के पश्चात "इन्फार्मेशन सिस्टम इम्प्रूवमेन्ट प्लान तथा परफारमेंस इम्प्रूवमेन्ट प्लान" बनाया जाकर इन्हें क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है। (अ) प्रथम समूह में भोपाल इन्दौर उज्जैन देवास खण्डवा रतलाम एवं बुरहानपुर नगर निगमों के लिए नियमानुसार निजि कम्पनी से करार किया गया है तथा (ब) द्वितीय समूह में ग्वालियर, जबलपुर, सागर, सतना, कटनी, रीवा तथा सिंगरौली नगर निगमों के लिए भारत सरकार के निर्देश अनुसार यह कार्य एडमिनिस्ट्रेटिव स्टॉफ कॉलेज ऑफ इंडिया (एएससीआई), हैदराबाद की सहायता से किया जा रहा है।

4. नगर पालिक निगमों में कार्यरत स्वास्थ्य संरक्षकों की कार्यक्षमता में वृद्धि के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

**7893** 12 वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार नगरीय निकायों को एक मुश्त अनुदान

|  |  |          |   |      |   |      |
|--|--|----------|---|------|---|------|
| आयोग के अनुशंसा के अनुसार नगरीय निकायों को कार्य योजना के अनुसार राशि दी जायेगी इससे नगरीय क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, डाटाबेस तथा जलप्रदाय के कार्यो को किया जायेगा। | प्रदेश के 14 नगर निगमों, 87 नगर पालिकाओं और 237 नगर पंचायतों को यह राशि दी जायेगी। नगरीय निकाय इस राशि में से 50 प्रतिशत ठोस अपशिष्ट, 2 प्रतिशत डाटाबेस तथा 48 प्रतिशत | 4,985.00 | प्रत्येक निकाय में 1 कार्य किया जायेगा कुल 338 कार्य होंगे। | 0.00 | प्रत्येक निकाय में 1 कार्य किया जायेगा कुल 338 कार्य होंगे। | 0.00 |
|--|--|----------|---|------|---|------|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित   | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय   | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |   | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|--|---|-------------------------------|--|--------------|--|---|---|---|--------------|
|  |   |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि                                       |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1  | 2   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7   | 8   | 9   | 10           |
| <b>विभाग - 18 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग</b>  |   |                               |  |              |  |   |   |   |              |
| <b>विभागाध्यक्ष - 1802 संचालक, नगर प्रशासन, भोपाल</b>  |   |                               |  |              |  |   |   |   |              |
| जलप्रदाय हेतु व्यय करेगी।  |   |                               |  |              |  |   |   |   |              |
| <b>7905 नगर निगमों में मूलभूत सुविधाओं का विकास</b>  |   |                               |  |              |  |   |   |   |              |
| प्रदेश के महानगरों में अधोसंरचना विकास के लिये ए.डी.बी.से प्राप्त होने वाले ऋण से योजनाओं का क्रियान्वयन।  | जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र से अधोसंरचना विकास।  | 31,350.49                     | 11 पैकेज के कार्य पूर्ण तथा 22 पैकेज में कार्य प्रगति पर।                        | 12,181.32    | 12 पैकेज के कार्य पूर्ण तथा 21 पैकेज में कार्य प्रगति पर।                                |   | 25,197.90   | 30 पैकेज के कार्य पूर्ण तथा 17 पैकेज में कार्य प्रगति पर।               |              |
| <b>7986 राजधानी में मूलभूत सुविधाओं का विकास</b>   |   |                               |  |              |  |   |   |   |              |
| अधोसंरचना विकास के लिये ए.डी.बी.से प्राप्त होने वाली ऋण की राशि सं राजधानी में अधोसंरचना का विकास।         | जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में अधोसंरचना विकास  | 6,149.50                      | 4 पैकेज के कार्य पूर्ण तथा 10 पैकेज में कार्य प्रगति पर।                         | 2,192.00     | 4 पैकेज के कार्य पूर्ण तथा 10 पैकेज में कार्य प्रगति पर।                                 |   | 5,802.10  | 5 पैकेज के कार्य पूर्ण तथा 6 पैकेज में कार्य प्रगति पर।                 |              |
| <b>9206 राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली कार्यक्रम</b>   |   |                               |  |              |  |   |   |   |              |
| शहरों के जी.आई.एस. एवं यूटीलिटी मैप तैयार करना तथा चयनित शहरों में एवं राज्य स्तर पर डाटा बैंक तैयार करना। | देवास, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, सतना, उज्जैन तथा भोपाल (यूटिलिटी मैपिंग) के जी.आई.एस.मानचित्र सर्वे ऑफ इंडिया से तैयार कराये जाना तथा डाटा बैंक का कार्य पूर्ण करना। | 10.00                         |  | 0.00         |  | सर्वे ऑफ इंडिया से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण। | 10.00   | वित्त वर्ष 2010-11 में उक्त कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।    |              |
| <b>विभागाध्यक्ष योग</b>  |   |                               | 77,608.05  |              | 39,180.96  |   | 83,926.99   |   |              |
| <b>विभाग</b>   |   |                               | 77,608.05  |              | 39,180.96  |   | 83,926.99   |   |              |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 19 लोक निर्माण विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 1902 प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग**

**0948 केन्द्रीय सड़क निधि**

|   |                     |           |     |          |     |                              |           |   |
|---|---------------------|-----------|-----|----------|-----|------------------------------|-----------|---|
| वर्ष के अंत 280 किमी मार्गों को पूर्ण करना। | कार्य प्रगति पर है। | 12,940.35 | 280 | 6,307.33 | 179 | सीमा पुनरिक्षित करने के कारण | 25,000.00 | वर्ष के अंत 410 किमी मार्गों को पूर्ण करने का लक्ष्य। |
|---|---------------------|-----------|-----|----------|-----|------------------------------|-----------|---|

**1023 खजाना और लेखा प्रशासन (कोषालय/ उप कोषालयों भवनों का निर्माण) वित्त आयोग**

|  |  |       |  |      |  |                        |        |  |
|--|--|-------|--|------|--|------------------------|--------|--|
| विभाग द्वारा स्वीकृतिया प्राप्त होने के पश्चात कार्यों को पूर्ण करने का लक्ष्य है। | विभाग द्वारा स्वीकृतिया प्राप्त होने के पश्चात कार्यों को पूर्ण किया जाना संभव होगा। | 14.00 |  | 0.00 |  | स्वीकृति प्राप्त नहीं। | 168.00 | स्वीकृतिया प्राप्त होने के पश्चात कार्यों को पूर्ण किया जाना |
|--|--|-------|--|------|--|------------------------|--------|--|

**1171 ग्रामीण (क्षेत्रों) परिवार कल्याण केन्द्रों का विस्तार**

|  |  |       |    |      |  |                        |      |  |
|--|--|-------|----|------|--|------------------------|------|--|
| वर्ष में प्राप्त स्वीकृतियों के अनुसार कार्यों को पूर्ण किया जावेगा। | वर्ष में प्राप्त स्वीकृतियों के अनुसार कार्यों को पूर्ण जाना | 25.00 | 13 | 0.00 |  | स्वीकृति प्राप्त नहीं। | 0.00 |  |
|--|--|-------|----|------|--|------------------------|------|--|

**1222 मूलभूत न्यूनतम सेवा के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण**

|   |  |          |          |          |          |  |           |  |
|---|--|----------|----------|----------|----------|--|-----------|--|
| वर्ष के अंत 280 किमी तक कार्यों को पूर्ण करना। प्रथम त्रैमास में 45 किमी तृतीय त्रैमास में 60 किमी तथा चतुर्थ त्रैमास में 175 किमी का उन्नयन कार्य किया जायेगा। | माह दिसम्बर तक कुल 190 किमी का उन्नयन कार्य पूर्ण किया गया है। | 8,981.00 | 280 किमी | 7,718.43 | 190 किमी |  | 11,211.50 | वर्ष के अंत निर्धारित कार्यों को पूर्ण करना। |
|---|--|----------|----------|----------|----------|--|-----------|--|

**1481 जिला प्रशासन**

|   |  |       |   |       |  |   |        |   |
|---|--|-------|---|-------|--|---|--------|---|
| राजस्व विभाग से संबंधित भवनों का निर्माण उनकी स्वीकृति के अनुसार किया जावेगा। | स्वीकृति के अनुसार कार्य प्रगति पर है। | 86.00 | 3 | 72.00 |  | कलेक्टर ग्वालियर भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। | 500.00 | राजस्व विभाग से संबंधित भवनों का निर्माण उनकी स्वीकृति के अनुसार किया जावेगा। |
|---|--|-------|---|-------|--|---|--------|---|

**1513 जिले की मुख्य सड़कों का निर्माण**

|   |                                     |          |          |          |          |  |      |  |
|---|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|--|------|--|
| मुख्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन 170 किमी | माह दिसम्बर तक किमी मार्ग का उन्नयन | 6,642.00 | 170 किमी | 1,339.00 | 115 किमी |  | 0.00 |  |
|---|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|--|------|--|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 19 लोक निर्माण विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 1902 प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग**

का किया जायेगा। कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

**1924 दस्यु प्रभावित क्षेत्रों में सड़क और पुल का निर्माण**

|  |  |        |         |       |        |        |  |
|--|--|--------|---------|-------|--------|--------|--|
| दस्यु प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण/उन्नयन 11 कि.मी. पूर्ण करने का लक्ष्य है। | कार्य प्रगति पर है एवं माह दिसम्बर 2009 तक कुल किमी सड़कों का निर्माण/उन्नयन कार्य पूर्ण हो चुका है। | 500.00 | 11 किमी | 14.00 | 5 किमी | 100.00 | दस्यु प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण/उन्नयन 5 किमी का लक्ष्य है। |
|--|--|--------|---------|-------|--------|--------|--|

**2407 निर्वाचन**

|   |   |       |   |      |  |                   |      |
|---|---|-------|---|------|--|-------------------|------|
| निर्वाचन विभाग के भवनों का निर्माण /उन्नयन कार्य किया जाना। | स्वीकृतियों के अनुसार कार्य प्रगति पर है। | 10.00 | 1 | 0.00 |  | स्वीकृति अप्राप्त | 0.00 |
|---|---|-------|---|------|--|-------------------|------|

**2450 न्याय प्रशासन**

|   |   |          |    |          |    |                     |          |   |
|---|---|----------|----|----------|----|---------------------|----------|---|
| वर्ष के अंत तक 30 कोर्ट भवनों का निर्माण कार्य किया जावेगा। | माह दिसम्बर 2009 में कुल नग 15 भवनों कार्य पूर्ण किया जा चुका है। | 2,500.00 | 30 | 1,726.94 | 15 | कार्य प्रगति पर है। | 2,600.00 | वर्ष के अंत तक 30 कोर्ट भवनों का निर्माण कार्य किया जावेगा। |
|---|---|----------|----|----------|----|---------------------|----------|---|

**2457 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम ( ग्रामीण सड़को सहित )**

|  |   |           |          |           |          |  |           |  |
|--|---|-----------|----------|-----------|----------|--|-----------|--|
| वर्ष के अंत 530 किमी तक निर्धारित कार्यों को पूर्ण करना जिसमें आदीवासी क्षेत्र की सड़के भी सम्मिलित हैं। प्रथम त्रैमास में 60 किमी तृतीय त्रैमास में 105 किमी तथा चतुर्थ त्रैमास में 365 किमी का उन्नयन कार्य किया जायेगा। | माह दिसम्बर तक कुल 230 किमी के मार्गों का कार्य पूरा किया जा चुका है। | 14,246.15 | 530 किमी | 12,079.14 | 300 किमी |  | 23,679.09 | वर्ष के अंत तक निर्धारित कार्यों को पूर्ण करने का लक्ष्य है। |
|--|---|-----------|----------|-----------|----------|--|-----------|--|

**3115 भू अर्जन हेतु मुआवजा ( भारत )**

|                                    |  |          |  |          |  |  |        |                                 |
|------------------------------------|--|----------|--|----------|--|--|--------|---------------------------------|
| भू-अर्जन हेतु मुआवजा दिया जाता है। | भू-अर्जन हेतु सविकति अनुसार मुआवजा दिया जाता है। | 2,900.00 |  | 1,884.00 |  |  | 800.00 | भू-अर्जन हेतु मुआवजा दिया जाना। |
|------------------------------------|--|----------|--|----------|--|--|--------|---------------------------------|



परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित  | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय  | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |  |
|---|--|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--|
|   |  |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य   |
| 1   | 2  | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10   |
| <b>विभाग - 19 लोक निर्माण विभाग</b>   |  |                               |  |              |  |               |   |   |  |
| <b>विभागाध्यक्ष - 1902 प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग</b>                                |  |                               |  |              |  |               |   |   |  |
| <b>3539 मुख्य जिला सड़कें</b>   |  |                               |  |              |  |               |   |   |  |
| आदिवासी क्षेत्रों में मुख्य<br>जिला मार्गों का<br>निर्माण/उन्नयन 40 किमी<br>का किया जायेगा। | माह दिसम्बर तक<br>किमी मार्गों का<br>निर्माण/उन्नयन कार्य पूर्ण<br>किया गया है।              |                               | 3,090.50   | 40           | 646.48   | 30            |   | 0.00  |  |
| <b>3849 लोक निर्माण कर्मचारियों के लिये आवास गृहों का निर्माण</b>                           |  |                               |  |              |  |               |   |   |  |
| विभागीय 2 आवासीय भवनों<br>का निर्माण कार्य किया<br>जावेगा।                                  |  |                               | 35.00  | 2            | 0.00   |               | वर्षान्त तक राशि का पूर्ण<br>उपयोग किया जावेगा    | 50.00   | वर्षान्त तक राशि का पूर्ण<br>उपयोग किया जावेगा   |
| <b>4149 वृहद पुलों का निर्माण</b>   |  |                               |  |              |  |               |   |   |  |
| 26 वृहद पुलों का निर्माण<br>किया जावेगा।  | माह दिसम्बर 2009 तक<br>10 वृहद पुलों का कार्य<br>पूर्ण किया जा चुका है।<br>शेष प्रगति पर है। |                               | 3,900.00   | 26           | 3,377.61   | 10            |   | 7,335.50  | 12 वृहद पुलों का निर्माण<br>किया जावेगा।   |
| <b>4220 शिक्षा - चिकित्सा महाविद्यालय</b>   |  |                               |  |              |  |               |   |   |  |
| वर्ष के अन्त तक 2<br>चिकित्सा शिक्षा विभाग के<br>भवनों का निर्माण कार्य<br>किया जायेगा।     | माह दिसम्बर के अंत तक<br>कार्य प्रगति पर है।   |                               | 138.85   | 2            | 244.58   |               | निर्माण कार्य प्रगति पर है।                       | 1,004.00  | वर्ष के अन्त तक 2<br>चिकित्सा शिक्षा विभाग के<br>भवनों का निर्माण कार्य का<br>लक्ष्य है। |
| <b>4416 सर्वेक्षण</b>   |  |                               |  |              |  |               |   |   |  |
|   |  |                               | 2,600.00   |              | 8.17   |               |   | 100.00  |  |
| <b>4485 सामान्य प्रशासन विभाग - भवन</b>   |  |                               |  |              |  |               |   |   |  |
| वर्ष के अंत तक प्रशासनिक<br>भवन का निर्माण किया<br>जायेगा।                                  |  |                               | 92.00  | 1            | 0.00   |               | स्वीकृति अप्राप्त                                 | 0.00  |  |
| <b>4727 हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार</b>  |  |                               |  |              |  |               |   |   |  |
| 3 हवाई पट्टीयों का निर्माण<br>कार्य किया जावेगा।  | कार्य प्रगति पर है।  |                               | 599.62   | 3            | 233.87   | 1             |   | 700.00  | 2 हवाई पट्टीयों का<br>निर्माण कार्य किया   |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित                                   | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय                                 | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम   | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |  |
|--|---|---|--|--------------|--|---------------|---|---|--|
|  |   |   | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य   |
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10   |
| <b>विभाग - 19 लोक निर्माण विभाग</b>                          |   |   |  |              |  |               |   |   |  |
| <b>विभागाध्यक्ष - 1902 प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग</b> |   |   |  |              |  |               |   |   |  |
| जावेगा।  |   |   |  |              |  |               |   |   |  |
| <b>5003</b>  | <b>म.प्र. सड़क विकास कार्यक्रम</b>                                  |   |  |              |  |               |   |   |  |
|  | वर्ष के अन्त तक 50 किमी लंबाई की सड़क कार्य पूर्ण किया जावेगा।      | कार्य प्रगति पर है। दिसम्बर 2009 तक कुल 50किमी मार्ग का कार्य पूर्ण किया गया। | 9,385.92   | 50           | 9,385.92   | 53            |   | 58,298.00   | वर्ष के अन्त तक 410 किमी लंबाई की सड़क कार्य पूर्ण किया जावेगा।    |
| <b>5139</b>  | <b>मुख्य जिला मार्गों का उन्नयन</b>                                 |   |  |              |  |               |   |   |  |
|  | वर्ष के अंत तक 150 किमी सड़कों का निर्माण/उन्नयन कार्य किया जायेगा। |   | 8,040.00   | 150          | 0.00   |               |   | 7,500.00  |  |
| <b>5225</b>  | <b>पुलो का निर्माण ( नाबाई )</b>                                    |   |  |              |  |               |   |   |  |
|  | वर्ष के अंत तक 8 वृहद पुलों का कार्य पुर्ण किया जावेगा।             | 2 पुलों का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष प्रगति पर है।                          | 1,200.00   | 8            | 877.90   |               |   | 1,450.00  | वर्ष के अंत तक 8 वृहद पुलों का कार्य पुर्ण किया जावेगा।            |
| <b>5226</b>  | <b>ग्रामीण सड़को का निर्माण ( नाबाई )</b>                           |   |  |              |  |               |   |   |  |
|  | वर्ष के अंत तक 170 किमी सड़कों का निर्माण/उन्नयन कार्य किया जायेगा। | दिसम्बर 2009 तक कुल 90 किमी मार्गों का कार्य पूर्ण हो चुका है।                | 6,411.35   | 170          | 3,077.76   | 137           |   | 5,957.50  | वर्ष के अंत तक किमी सड़कों का निर्माण/उन्नयन कार्य किया जायेगा।    |
| <b>5495</b>  | <b>राज्य राजमार्ग का उन्नयन ( एम. पी. आर. डी. सी. )</b>             |   |  |              |  |               |   |   |  |
|  |   |   | 9,037.50   |              | 8,607.95   | 33            |   | 8,911.00  | वर्ष के अंत तक 15 किमी सड़कों का निर्माण/उन्नयन कार्य किया जायेगा। |
| <b>5876</b>  | <b>वाणिज्यिक कर विभाग के लिए जांच चौकियों का भवन निर्माण</b>        |   |  |              |  |               |   |   |  |
|  |   |   | 100.00   |              | 0.00   |               | कार्य की स्वीकृति नहीं।                           | 15.00   | वर्ष के अंत तक 2 जांच चौकियों का निर्माण किया जायेगा।              |
| <b>5904</b>  | <b>नक्सल प्रभावित क्षेत्रों</b>                                     |   |  |              |  |               |   |   |  |
|  |   |   | 0.00   |              | 0.00   |               |   | 5,400.00  | नक्सल प्रभावित सड़को के  |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 19 लोक निर्माण विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 1902 प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग**

सडको का निर्माण

निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष  
2010-11 में 25 कि.मी. का  
लक्ष्य रख गया है।

**6222 न्याय प्रशासन (स्टाफ के आवासगृहों का निर्माण)**

वर्ष के अंत तक 400 कार्य प्रगति पर है।  
आवासीय भवनों का निर्माण  
कार्य पूर्ण किया जायेगा।

1,500.00 400

529.34 175

1,600.00 वर्ष के अंत तक 100  
आवासीय भवनों का  
निर्माण कार्य पूर्ण किया  
जायेगा।

**6331 अन्तर्राज्यीय/आर्थिक महत्व की सड़कों का निर्माण**

वर्ष के अंत तक 30 किमी कार्य प्रगति पर है।  
सड़कों का निर्माण/उन्नयन  
कार्य किया जावेगा।

3,100.00 30

1,713.89 38

1,270.00 वर्ष के अंत तक 50 किमी  
सड़कों का  
निर्माण/उन्नयन कार्य  
किया जावेगा।

**6405 जेल भवनों का निर्माण**

वर्ष के अंत तक 8 भवनों कार्य प्रगति पर है।  
का निर्माण किया जायेगा।

69.97 8

7.79 3

138.70 वर्ष के अंत तक 4 भवनों  
का निर्माण किया जायेगा।

**6589 नाबार्ड ऋण सहायता के अन्तर्गत वृहद पुलों का निर्माण**

वर्ष के अंत तक 10 वृहद कार्य प्रगति पर है।  
पुलों का निर्माण किया  
जावेगा।

2,600.00 10

2,336.84

4,049.50 वर्ष के अंत तक 7 वृहद  
पुलों का निर्माण किया  
जावेगा।

**6590 नाबार्ड ऋण सहायता के अन्तर्गत मार्गों का निर्माण**

वर्ष के अंत तक 304 किमी कार्य प्रगति पर है। माह  
का निर्माण/उन्नयन कार्य दिसम्बर तक 150 किमी  
किया जावेगा। का कार्य पूर्ण किया है।

10,653.00 304 किमी

7,324.19 200 किमी

11,538.76 वर्ष के अंत तक 300 किमी  
का निर्माण/उन्नयन कार्य  
किया जावेगा।

**6651 रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण**

वर्ष के अंत तक 3 रेल्वे कार्य प्रगति पर है।  
ओव्हर ब्रिज का निर्माण  
कार्य किया जावेगा।

2,840.00 3

2,202.98 कार्य प्रगति पर है।

2,800.00 वर्ष के अंत तक 1 रेल्वे  
ओव्हर ब्रिज का निर्माण  
कार्य किया जावेगा।

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित  | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |   |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|---|
|   |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य  |
| 1   | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10  |
| <b>विभाग - 19 लोक निर्माण विभाग</b>   |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |   |
| <b>विभागाध्यक्ष - 1902 प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग</b>                |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |   |
| <b>6841 म.प्र. सड़क विकास निगम के माध्यम से सड़कों का निर्माण</b>           |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |   |
| वर्ष के अंत तक 134 किमी सड़कों का निर्माण /उन्नयन कार्य किया जावेगा।        | कार्य प्रगति पर है।                 |                               | 6,063.60   | 134 किमी     | 5,703.80   | 90 किमी       |   | 8,798.00  | वर्ष के अंत तक 25 किमी सड़कों का निर्माण /उन्नयन कार्य किया जावेगा। |
| <b>6991 12वें वित्त आयोग की राशि से आधारभूत सड़कों का विकास</b>             |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |   |
| वर्ष के अंत तक 100 किमी सड़कों का निर्माण /उन्नयन कार्य किया जावेगा।        | कार्य प्रगति पर है।                 |                               | 9,900.00   | 100 किमी     | 4,073.98   | 75 किमी       |   | 0.00  |   |
| <b>7085 सड़क निर्माण कार्य ( ए.डी.बी. )</b>                                 |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |   |
| वर्ष के अंत तक 708 किमी सड़कों का निर्माण /उन्नयन कार्य किया जावेगा।        | कार्य प्रगति पर है।                 |                               | 60,669.08  | 708          | 57,469.08  | 605           |   | 250.00  | वर्ष के अंत तक 40 किमी सड़कों का निर्माण /उन्नयन कार्य किया जावेगा। |
| <b>7088 सर्वेक्षण कार्य</b>   |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |   |
|   |                                     |                               | 50.00  |              | 12.11  |               |   | 1,000.00  |   |
| <b>7094 जेल सुधारों की योजना अंतर्गत निर्माण कार्य</b>                      |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |   |
| आवश्यकतानुसार व्यय किया जायेगा।   | कार्य प्रगति पर है।                 |                               | 1,250.03   |              | 866.51   |               |   | 78.70   | कार्यों को पूर्ण करने का लक्ष्य है।                                 |
| <b>7874 मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम हेतु अंशपूजी निवेश</b>                  |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |   |
|   |                                     |                               | 100.00   |              | 100.00   |               |   | 100.00  |   |
| <b>8041 लोक निर्माण विभाग के संभागीय /उपसंभागीय कार्यालय भवन का निर्माण</b> |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |   |
| वर्ष के अंत तक विभागीय भवन का निर्माण कार्य किया जाना हे।                   | कार्य प्रगति पर है।                 |                               | 555.00   | 1            | 332.99   |               |   | 950.00  | वर्ष के अंत तक विभागीय भवन का निर्माण कार्य किया जाना हे।           |
| <b>8069 वाणिज्यिक कर</b>  |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |   |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित  | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |   |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|---|
|   |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य  |
| 1   | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10  |
| <b>विभाग - 19 लोक निर्माण विभाग</b>   |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |   |
| <b>विभागाध्यक्ष - 1902 प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग</b>                  |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |   |
| वर्ष के अंत तक 19<br>चौकियों का निर्माण कार्य<br>किया जाना है।                |                                     |                               | 200.00   | 19           | 1.22   | 2             | निर्माण प्रक्रिया जारी है।                        | 300.00  | वर्ष के अंत तक चौकियों<br>का निर्माण निर्माण कार्य<br>किया जाना है।           |
| <b>9002 अनु.जा. बाहुल्य क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण</b>                   |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |   |
| वर्ष के अंत तक 218 किमी<br>सड़कों का निर्माण<br>/उन्नयन कार्य किया<br>जावेगा। | कार्य प्रगति पर है।                 |                               | 8,339.40   | 218 किमी     | 5,740.75   | 110 किमी      |   | 5,886.00  | वर्ष के अंत तक 218 किमी<br>सड़कों का निर्माण<br>/उन्नयन कार्य किया<br>जावेगा। |
| <b>9227 जेल सुधारो की योजना</b>   |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |   |
| आवश्यकतानुसार व्यय<br>किया जायेगा।  | कार्य प्रगति पर है।                 |                               | 350.00   |              | 35.51  |               |   | 0.00  | स्वीकृति अनुसार कार्यों को<br>पूर्ण करने का लक्ष्य है।                        |
| <b>9276 खनिज अन्वेषण एवं विकास हेतु भवन निर्माण</b>                           |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |   |
|   |                                     |                               | 101.00   |              | 0.00   |               | स्वीकृति प्राप्त नहीं                             | 1.00  |   |
| <b>विभागाध्यक्ष योग</b>   |                                     |                               | 2,01,816.32  |              | 1,46,052.06  |               |   | 1,99,540.25   |   |
| <b>विभाग</b>  |                                     |                               | 2,01,816.32  |              | 1,46,052.06  |               |   | 1,99,540.25   |   |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित   | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय   | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |   | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |                         |
|--|---|-------------------------------|--|---|--|---------------|---|---|-------------------------|
|  |   |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य  | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य            |
| 1  | 2   | 3                             | 4  | 5   | 6  | 7             | 8   | 9   | 10                      |
| <b>विभाग - 20 स्कूल शिक्षा विभाग</b>   |   |                               |  |   |  |               |   |   |                         |
| <b>विभागाध्यक्ष - 2003 आयुक्त, लोक शिक्षण</b>                                    |   |                               |  |   |  |               |   |   |                         |
| <b>2267 निःशुल्क पाठ्य सामग्री का प्रदाय</b>                                     |   |                               |  |   |  |               |   |   |                         |
| 115000 छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य सामग्री प्रदाय का लक्ष्य रखा गया है।     | माह सितम्बर 2009 तक समस्त विद्यार्थियों हेतु पाठ्य पुस्तकों का कय कर लिया गया है। पुस्तक वितरण का कार्य प्रगति पर है।   |                               | 1,143.32   | 115000 छात्र-छात्राएं                                   | 1,212.98   |               |   | 1,547.23  | 120000 छात्र-छात्राएं   |
| <b>2414 निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें</b>  |   |                               |  |   |  |               |   |   |                         |
| 200000 छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के प्रदाय का लक्ष्य रखा गया है। | माह सितम्बर 2009 तक समस्त विद्यार्थियों हेतु पाठ्य पुस्तकों का कय कर लिया गया है। पुस्तक वितरण का कार्य प्रगति पर है।   |                               | 2,000.00   | 200000 छात्र-छात्राएं                                   | 85.90  |               |   | 1,952.77  | 190000 छात्र-छात्राएं   |
| <b>3746 राष्ट्रीय दक्षता दल</b>  |   |                               |  |   |  |               |   |   |                         |
| वेतन भत्तों के भुगतान हेतु।  | नियमित वेतन का भुगतान किया जाना है।   |                               | 12.54  |   | 3.92   |               |   | 9.34  |                         |
| <b>5047 हाई/हा. से. भवन निर्माण</b>  |   |                               |  |   |  |               |   |   |                         |
| 36 शाला भवनों के निर्माण की तीसरी किश्त का भुगतान।                               | वर्ष 2006-07 में निर्मित शाला भवनों के लंबित भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।  |                               | 1,250.00   | 30 शाला भवनों को भुगतान                                 | 0.00   |               |   | 586.91  | 28 भवन हेतु प्रथम किश्त |
| <b>5196 योग नीति का क्रियान्वयन</b>  |   |                               |  |   |  |               |   |   |                         |
| समस्त शालाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को योग शिक्षा का प्रशिक्षण देने बावत्।  | शालाओं में कार्यरत शिक्षकों एवं अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को योग शिक्षा प्रदान करके स्वस्थ रहने के गुण सिखाये जा रहे हैं। |                               | 50.00  | शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया | 0.00   |               |   | 0.00  |                         |
| <b>5275 बालरंग महोत्सव</b>   |   |                               |  |   |  |               |   |   |                         |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित                    | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय   | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम   | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |   | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |   |
|---|---|---|--|---|--|---------------|---|---|---|
|   |   |   | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य  | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य  |
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7             | 8   | 9   | 10  |
| <b>विभाग - 20 स्कूल शिक्षा विभाग</b>          |   |   |  |   |  |               |   |   |   |
| <b>विभागाध्यक्ष - 2003 आयुक्त, लोक शिक्षण</b> |   |   |  |   |  |               |   |   |   |
|   | अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बालरंग महोत्सव का आयोजन किया जाना है।                                | प्रदेश के विद्यार्थियों में देश विदेश की वेश भूषा एवं संस्कृति से अवगत कराना।   | 30.00  |   | 0.00   |               |   | 0.00  |   |
| <b>5276</b>                                   | <b>अध्यापक / संविदा शाला शिक्षक के वेतन के लिये अनुदान</b>                                  |   |  |   |  |               |   |   |   |
|   | अध्यापकों के नियमित वेतन भुगतान हेतु।   | नियमित भुगतान किये जा रहे हैं।  | 1,805.59   | नियमित भुगतान किये जा रहे हैं।                      | 550.00   |               |   | 404.00  |   |
| <b>5539</b>                                   | <b>ग्रंथालयों का सुदृढीकरण</b>  |   |  |   |  |               |   |   |   |
|   | 6 क्षेत्रीय ग्रंथालयों का सुदृढीकरण किया जाना है।   | प्रदेश के संभागीय स्तर के क्षेत्रीय ग्रंथालयों के भवनों को निर्माण एवं उच्च स्तर के ज्ञान बढ़ाने हेतु पाठ्य सामग्री क्रय किया जाना है।          | 90.00  | 5 क्षेत्रीय ग्रंथालयों का सुदृढीकरण किया जा रहा है। | 0.00   |               |   | 50.00   | स्वामी विवेकानंद पुस्तकालय, 5 क्षेत्रीय ग्रंथालयों का सुदृढीकरण |
| <b>5541</b>                                   | <b>शिक्षक अभ्युत्थान</b>  |   |  |   |  |               |   |   |   |
|   | शिक्षा के स्तर में गुणवत्ता प्रदान करने हेतु  | गत वर्ष उक्त योजना को प्रारंभ करने के उपरांत परीक्षा परिणाम में व्यापक सुधार किया जा रहा है।  | 200.00   | अप्रैल मई माह में बोर्ड परिणाम उपरांत               | 48.49  |               |   | 100.00  | बोर्ड परीक्षा परिणाम में 5 प्रतिशत की वृद्धि                    |
| <b>5542</b>                                   | <b>शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद का सुदृढीकरण</b>   |   |  |   |  |               |   |   |   |
|   | टी.टी.कॉलेज शिवपुरी में छात्राओं हेतु छात्रावास की व्यवस्था एवं खेलकूद मैदानों का अनुरक्षण। | टी.टी.कॉलेज शिवपुरी में छात्राओं हेतु छात्रावास की स्थापना के पश्चात् प्रदेश की छात्राओं को खेलकूद गतिविधियों में रुचि उत्पन्न करायी जा रही है। | 230.00   | 7 खेलकूद मैदानों का निर्माण                         | 0.00   |               |   | 200.00  | 7 खेलकूद मैदानों का निर्माण हेतु द्वितीय किश्त का भुगतान        |
| <b>5543</b>                                   | <b>मोगली उत्सव</b>  |   |  |   |  |               |   |   |   |
|   | छात्र-छात्राओं को मोगली उत्सव के दौरान पर्यावरण में रुचि उत्पन्न करायी                      | छात्र-छात्राओं को मोगली उत्सव के दौरान पर्यावरण में रुचि उत्पन्न करायी जा   | 10.00  |   | 0.32   |               |   | 0.00  |   |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित   | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय   | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |                | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |                             |
|--|---|-------------------------------|--|----------------|--|---------------|---|---|-----------------------------|
|  |   |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य   | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य                |
| 1  | 2   | 3                             | 4  | 5              | 6  | 7             | 8   | 9   | 10                          |
| <b>विभाग - 20 स्कूल शिक्षा विभाग</b>   |   |                               |  |                |  |               |   |   |                             |
| <b>विभागाध्यक्ष - 2003 आयुक्त, लोक शिक्षण</b>  |   |                               |  |                |  |               |   |   |                             |
| जाना।  |   | रही है।                       |  |                |  |               |   |   |                             |
| <b>5545 महर्षि पतंजली संस्कृत संस्थान</b>  |   |                               |  |                |  |               |   |   |                             |
|  |   |                               | 10.00  |                | 0.00   |               |   | 30.00   |                             |
| <b>5627 निधन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां एवं वृत्तियां</b>   |   |                               |  |                |  |               |   |   |                             |
| प्रदेश के निर्धन वर्ग के छात्र-छात्राओं को निरन्तर शिक्षा प्रदान करने हेतु छात्रवृत्ति का प्रदाय करना। | प्रदेश के निर्धन वर्ग के छात्र-छात्राओं को निरन्तर शिक्षा प्रदान करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदाय करने से बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों द्वारा निरन्तर शिक्षा जारी रखी जा रही है। |                               | 200.00   |                | 19.69  |               |   | 200.00  |                             |
| <b>5704 सक्सेस योजना अन्तर्गत हाईस्कूलों का सुदृढ़ीकरण तथा मिडिल स्कूलों का हाईस्कूल में उन्नयन</b>    |   |                               |  |                |  |               |   |   |                             |
| उन्नयन किये गये हाईस्कूलों में प्राचार्यों के वेतन भुगतान हेतु।  | प्रदेश के 1548 माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूलों में उन्नयन किये गये विद्यालयों में पदस्थ प्राचार्यों के वेतन भुगतान किया जा रहा है।  |                               | 4,035.43   |                | 1,063.98   |               |   | 4,724.74  | वेतन भत्तों के भुगतान हेतु। |
| <b>6344 मदरसा आधुनिकीकरण</b>   |   |                               |  |                |  |               |   |   |                             |
| मदरसा शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु।  | प्रदेश के 889 मदरसों में उर्दू शिक्षा का विस्तार कर मदरसों के भवनों का अनुरक्षण एवं अध्यापकों के वेतन भुगतान किया जा रहा है।  |                               | 1,200.00   |                | 0.00   |               |   | 1,200.00  | 889 मदरसों को अनुदान देना।  |
| <b>6717 छात्राओं को निःशुल्क साईकिल का प्रदाय</b>  |   |                               |  |                |  |               |   |   |                             |
| निःशुल्क सायकिलों का प्रदाय करना।  | निःशुल्क सायकिलों का प्रदाय किया गया।   |                               | 1,476.51   | 61520 छात्राएं | 955.90   |               |   | 3,048.00  | 127000 छात्राएं             |



परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित   | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय   | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |                 | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |  |
|--|---|-------------------------------|--|-----------------|--|---------------|---|---|--|
|  |   |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य    | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य                           |
| 1  | 2   | 3                             | 4  | 5               | 6  | 7             | 8   | 9   | 10                                     |
| <b>विभाग - 20 स्कूल शिक्षा विभाग</b>   |   |                               |  |                 |  |               |   |   |  |
| <b>विभागाध्यक्ष - 2003 आयुक्त, लोक शिक्षण</b>  |   |                               |  |                 |  |               |   |   |  |
| <b>6813 साइकिलों का प्रदाय</b>   |   |                               |  |                 |  |               |   |   |  |
| ग्रामीण छात्राओं को निरन्तर पढ़ाई जारी रखने हेतु सायकिलों का प्रदाय करना।            | प्रदेश की 130600 ग्रामीण छात्राओं को निरन्तर पढ़ाई जारी रखने हेतु सायकिलों का प्रदाय किया जा रहा है।        |                               | 2,005.49   | 130600 छात्राएं | 1,873.27   |               |   | 0.00  |  |
| <b>6918 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विद्यालय</b>                                    |   |                               |  |                 |  |               |   |   |  |
| विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदाय करने हेतु।                                    | विद्यालयों में कम्प्यूटर कर छात्र-छात्राओं को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान की जा रही है।                         |                               | 6,300.00   |                 | 0.00   |               |   | 4,100.00  |  |
| <b>6967 माध्यमिक शालाओं का हाई स्कूलों में उन्नयन</b>                                |   |                               |  |                 |  |               |   |   |  |
| माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूलों में उन्नयन करना।                                       | माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूलों में उन्नयन किया जा रहा है।  |                               | 1,000.00   |                 | 332.79   |               |   | 2,254.00  |  |
| <b>6968 हाई स्कूलों का हायर सेकण्डरी स्कूलों में उन्नयन</b>                          |   |                               |  |                 |  |               |   |   |  |
| शिक्षा का स्तर बढ़ाने हेतु हाईस्कूलों का हायर सेकण्डरी स्कूलों में उन्नयन किया जाना। | प्रदेश के 348 हाईस्कूलों का हायर सेकण्डरी स्कूलों में उन्नयन किया गया है।                                   |                               | 2,508.59   |                 | 1,019.16   |               |   | 2,675.26  | पूर्व में स्वीकृत भवनों की तृतीय किश्त |
| <b>6970 हायर सेकण्डरी स्कूलों के भवनों का निर्माण</b>                                |   |                               |  |                 |  |               |   |   |  |
| वर्ष 2006-07 में निर्मित शाला भवनों की तीसरी किश्त के भुगतान हेतु।                   | प्रदेश के 241 शाला भवनों जो कि वर्ष 2006-07 में निर्मित किये गये हैं की तीसरी किश्त का भुगतान किया जाना है। |                               | 1,750.00   |                 | 0.00   |               |   | 663.09  | नवीन भवन की प्रथम किश्त                |
| <b>7036 संस्कृत विकास योजना</b>  |   |                               |  |                 |  |               |   |   |  |
|  |   |                               | 800.00   |                 | 0.00   |               |   | 0.00  |  |
| <b>विभागाध्यक्ष योग</b>  |   |                               | 28,107.47  |                 | 7,166.40   |               |   | 23,745.34   |  |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 20 स्कूल शिक्षा विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 2004 आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र**

**1502 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था -मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए**

|   |  |          |  |          |      |  |          |                         |
|---|--|----------|--|----------|------|--|----------|-------------------------|
| जिलों में प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित समस्त अकादमिक कार्य यथा शोध प्रशिक्षण निर्देशिका मूल्यांकन इत्यादि कार्यों के साथ संस्था में पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण। | 1. दो वर्षीय नियमित पाठ्यक्रम संचालित करना तथा समय-समय पर आवश्यकतानुसार विभिन्न स्तर के प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं।<br>2. जिलो के समस्त शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जावेगा।<br>3. संस्थानों की मांग अनुसार राशि उपलब्ध कराई जाना है। | 6,877.45 | प्रशिक्षणार्थियों द्वारा सत्रारंभ में प्रवेश लेने पर संख्या कम हो सकती है। | 2,238.98 | 1938 |  | 3,501.20 | 2500 छात्रों को प्रवेश। |
|---|--|----------|--|----------|------|--|----------|-------------------------|

**2267 निःशुल्क पाठ्य सामग्री का प्रदाय**

|  |  |          |        |          |       |  |          |        |
|--|--|----------|--------|----------|-------|--|----------|--------|
| सर्वशिक्षा अभियान के अलावा अन्य हितग्राहियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान करना। | अप्रैल 2009 में प्रथम सप्ताह तक उपलब्ध कराना है। | 1,570.22 | 17 लाख | 1,570.22 | पूर्ण |  | 1,500.00 | 35 लाख |
|--|--|----------|--------|----------|-------|--|----------|--------|

**3504 आईड**

|   |  |          |   |      |                                   |  |      |  |
|---|--|----------|---|------|-----------------------------------|--|------|--|
| सभी प्रकार के विकलांग विद्यार्थियों को सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ अध्ययन करने की सुविधा उपलब्ध कराना। | 1. जुलाई 2009<br>2. 30 सितम्बर 2009<br>3. मई एवं जून 2009<br>4. जुलाई 2009 से मार्च 2010 | 1,987.90 | भारत सरकार से अनुदान उपलब्ध होने में क्रियान्वयन में विलंब होना।<br>नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण होने पर | 0.00 | आयुक्त लोक शिक्षण को स्थानान्तरित |  | 0.00 |  |
|---|--|----------|---|------|-----------------------------------|--|------|--|

**4402 सरकारी शिक्षा महाविद्यालय**

|  |   |       |      |      |      |  |       |                                     |
|--|---|-------|------|------|------|--|-------|-------------------------------------|
| प्रदेश में शालेय शिक्षा से संबंधित अकादमिक कार्य यथा शोध प्रशिक्षण निर्देशिका, मूल्यांकन इत्यादि कार्यों के साथ संस्था में पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण विज्ञान | 3. जुलाई 2009<br>4. सितम्बर 2009<br>5. जुलाई 2009 | 80.00 | 1405 | 7.24 | 1400 |  | 80.71 | विभिन्न स्तरों पर शिक्षक प्रशिक्षण। |
|--|---|-------|------|------|------|--|-------|-------------------------------------|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 20 स्कूल शिक्षा विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 2004 आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र**

शिक्षण।

**5481 शासकीय शिक्षा महाविद्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों में अतिरिक्त निर्माण**

100.00

0.00

100.00

**5627 निधन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां एवं वृत्तियां**

कक्षा 6 से 8 तक अध्ययन करने वाले सामान्य वर्ग के निधन परिवार के बालक तथा बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्रदाय करना। बालक को रु0 200.00 तथा बालिकाओं को रु0 300.00 प्रतिवर्ष पीटीए के माध्यम से उपलब्ध कराना।

लगभग 1.30 लाख छात्र छात्रायें पालक शिक्षक संघों के माध्यम से छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जावेगी।

400.00

अक्टूबर 09 नवंबर 09

312.00

1.25 लाख

पूर्ण

400.00

1.30 लाख

**5776 सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत अपूर्ण शाला भवनों को पूर्ण किया जाना**

सर्वशिक्षा आणियान के पूर्व वर्षों के अधूरे शाला भवनों का निर्माण पूर्ण करना

दिसम्बर 2009

200.00

200.00

200

निर्माण कार्य पूर्ण

128.50

2400 निर्माण प्रस्तावित

**5789 संपूर्ण ग्राम शिक्षित योजना**

ग्राम के शाला में अध्ययन करने वाले सभी छात्र छात्राओं को प्रवेश तथा मूल्यांकन में 'ए' ग्रेड तथा 'बी' ग्रेड लाने पर ग्राम पंचायत एवं पढ़ाने वाले शिक्षक को पुरस्कृत किया जावेगा।

15 अप्रैल 2010 तक मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त की जाना है।

265.00

मूल्यांकन रिपोर्ट के मिलने पर निर्भर

0.00

सत्रांत रिपोर्ट पर

500.00

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित  | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय   | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |   | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |                       | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |                                     |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|--|---|--|-----------------------|---|---|-------------------------------------|
|   |                                       |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य                                  | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि         |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य                        |
| 1   | 2                                     | 3                             | 4  | 5   | 6  | 7                     | 8   | 9   | 10                                  |
| <b>विभाग - 20 स्कूल शिक्षा विभाग</b>  |                                       |                               |  |   |  |                       |   |   |                                     |
| <b>विभागाध्यक्ष - 2004 आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र</b>  |                                       |                               |  |   |  |                       |   |   |                                     |
| <b>6716 बालिकाओं को निःशुल्क गणवेश प्रदाय</b>   |                                       |                               |  |   |  |                       |   |   |                                     |
| एन.पी.जी.ई.एल. के<br>विकासखंडों में स्वीकृत<br>हितग्राहियों के अलावा अन्य<br>हितग्राहियों को निःशुल्क<br>गणवेश प्रदान करना।   | 30.09.2009                            |                               | 6,485.28   | 9.50 लाख                                      | 6,485.28   | 9.50 लाख              |   | 8,003.44  | 11.00 लाख                           |
| <b>6717 छात्राओं को निःशुल्क साइकिल का प्रदाय</b>   |                                       |                               |  |   |  |                       |   |   |                                     |
| कक्षा 6 में प्रवेश पाने वाले<br>मिडिल कक्षा में प्रवेश पाने<br>वाली सभी बालिकाओं को<br>स्कूल तक जाने के लिये<br>निःशुल्क साइकिल प्रदाय<br>की जावेगी।                                | 15 अगस्त 2009                         |                               | 1,404.10   | 61048   | 1,404.10   | 61048                 |   | 4,500.00  | 120000                              |
| <b>6809 कस्तूरबा गांधी ग्राम बालिका विद्यालय</b>  |                                       |                               |  |   |  |                       |   |   |                                     |
| बालिकाओं को माध्यमिक<br>स्तर की शिक्षा पूर्ण करने<br>के लिये प्रेरित करने हेतु<br>चयनित विकासखंडों की<br>माध्यमिक शालाओं में<br>बालिकाओं के लिये<br>आवासीय व्यवस्था प्रदान<br>करना। | 1. अप्रैल 2009<br>2. 31 मार्च 2010    |                               | 3,265.18   | 200 बालिका छात्रावास                          | 2,938.66   | 200 बालिका छात्रावास  |   | 2,824.17  | 200 बालिका छात्रावास                |
| <b>7419 बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम ( एन.पी.ई.जी.ई.एल. ) हेतु राजीव गांधी मिशन को अनुदान</b>   |                                       |                               |  |   |  |                       |   |   |                                     |
| सभी बालिकायें अपनी<br>प्रारंभिक स्तर की शिक्षा पूर्ण<br>करें।   | 1. 15 अगस्त 2009<br>2. 01 अप्रैल 2009 |                               | 2,260.01   | संलग्न ब                                      | 2,034.01   | संलग्न ब              |   | 3,524.91  | परिशिष्ट                            |
| <b>8799 छात्रावास भवन निर्माण</b>   |                                       |                               |  |   |  |                       |   |   |                                     |
| बालिका छात्रावास विकलांग<br>के लिये एवं पलायन करने<br>वाले परिवार के छात्रों के   | दिसम्बर 2009 तक                       |                               | 5,500.00   | कलेक्टर द्वारा भूमि<br>उपलब्ध कराने पर निर्भर | 2,750.00   | 120 छात्रावास निर्माण | निर्माण कार्य जारी                                | 3,000.00  | 160 छात्रावास निर्माण<br>प्रस्तावित |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 20 स्कूल शिक्षा विभाग**  
**विभागाध्यक्ष - 2004 आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र**

लिये छात्रावास निर्माण पूर्ण  
करना।

**8810 सर्वशिक्षा अभियान**

|   |   |             |   |           |              |             |  |
|---|---|-------------|---|-----------|--------------|-------------|--|
| 1. 5-14 वर्ष के सभी बच्चों को नामांकन सुनिश्चित करना।   | 1. नवंबर 2009 तक  | 74,474.82   | कतिपय प्रकरणों में परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होना, बच्चों के शाला न जाने का मुख्य कारण है। इस कारण अनियमित उपस्थिति हो सकती है। | 55,856.12 | परिशिष्ट 'अ' | 79,966.32   | परिशिष्ट 'अ'   |
| 2. सभी दर्ज बच्चों का शाला में ठहराव सुनिश्चित करना।  | 2. सितम्बर 2009 तक<br>3. जुलाई-अगस्त 2009   |             |   |           |              |             |  |
| 3. प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना।  | 4. अप्रैल 2009 प्रथम सप्ताह तक उपलब्ध कराना।  |             |   |           |              |             |  |
| 4. शाला भवन निर्माण।  | 5. अप्रैल 2009 तक<br>6 जून 2009<br>7 मार्च 2010 तक<br>8. मार्च 2010 तक<br>9. मार्च 2010 तक<br>10. मार्च 2010 तक |             |   |           |              |             |  |
| कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों को प्रोत्साहन राशि दी जावेगी जिनके परीक्षा परिणाम में 80 प्रतिशत विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो।  | मार्च 2011 के परीक्षा परिणाम पर   | 0.00        |   | 0.00      |              | 250.00      | 8000 शिक्षक  |
| 15 वर्ष से अधिक आयु समूह के व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान की जावेगी। इसमें 80 प्रतिशत महिलायें तथा 20 प्रतिशत पुरुषों निरक्षरों को साक्षर बनाया जाने का लक्ष्य है। |   | 0.00        |   | 0.00      |              | 200.00      | 80 प्रतिशत महिलाओं तथा 20 प्रतिशत पुरुष निरक्षरों को साक्षर बनाना। |
| <b>विभागाध्यक्ष योग</b>   |   | 1,04,869.96 |   | 75,796.61 |              | 1,08,479.25 |  |
| <b>विभाग</b>  |   | 1,32,977.43 |   | 82,963.01 |              | 1,32,224.59 |  |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित   | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |   | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |   |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|--|---|--|---------------|---|---|---|
|  |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य  | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य  |
| 1  | 2                                   | 3                             | 4  | 5   | 6  | 7             | 8   | 9   | 10  |
| <b>विभाग - 21 विधि एवं विधायी कार्य विभाग</b>                        |                                     |                               |  |   |  |               |   |   |   |
| <b>विभागाध्यक्ष - 2101 सचिव, म. प्र. शासन, विधि विभाग</b>            |                                     |                               |  |   |  |               |   |   |   |
| <b>3255 म.प्र. विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड को सहायक अनुदान</b> |                                     |                               |  |   |  |               |   |   |   |
| गरीबों को मुफ्त कानूनी<br>सहायता उपलब्ध कराना                        |                                     |                               | 250.00   | 110000 गरीबों को मुफ्त<br>कानूनी सहायता उपलब्ध<br>कराना | 197.92   | 553038        |   | 265.00  | 115000 गरीबों को मुफ्त<br>कानूनी सहायता उपलब्ध<br>कराना |
|  |                                     | <b>विभागाध्यक्ष योग</b>       | 250.00   |   | 197.92   |               |   | 265.00  |   |
|  |                                     | <b>विभाग</b>                  | 250.00   |   | 197.92   |               |   | 265.00  |   |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 22 पंचायत**

**विभागाध्यक्ष - 2203 संचालक, पंचायत**

**2467 पंचायत संचालनालय**

|  |   |        |  |        |  |                             |        |  |
|--|---|--------|--|--------|--|-----------------------------|--------|--|
| मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के प्रावधान अनुसार पंचायत राज संचालनालय का गठन किया गया है। जो प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में केन्द्र/राज्य की योजनाओं का क्रियान्वयन, मूल्यांकन, नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण। | निर्धारित प्रदेय के लिए किये जाने वाले कार्य निरंतर एवं आवश्यक स्वरूप के हैं। | 269.00 |  | 100.00 |  | कर्मचारियों के पद रिक्त है। | 279.59 |  |
|--|---|--------|--|--------|--|-----------------------------|--------|--|

**2725 प्रशिक्षण**

|  |   |        |   |        |   |   |       |   |
|--|---|--------|---|--------|---|---|-------|---|
| त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के कृत्य कार्यों को शासन की निति अनुसार उनके निर्वाचन के पश्चात एवं 1 वर्ष की अवधि में प्रशिक्षित किये जाने को निर्णय है। प्रदेश में इन कृत्य कार्यों का मूलभूत प्रशिक्षण संख्या अधिक होने के कारण 1 वर्ष से अधिक तक निरंतर जारी रहेगा। पदाधिकारियों को मूलभूत प्रशिक्षण के 2 वर्ष बाद प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण प्रतिवर्ष आयोजित किया जाना। | निर्धारित प्रदेय के लिए किये जाने वाले कार्य निरंतर एवं आवश्यक स्वरूप के हैं। | 235.43 | — | 235.43 | — | — | 10.32 | — |
|--|---|--------|---|--------|---|---|-------|---|

**5166 राष्ट्रीय पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना**

|   |  |        |                       |      |   |                                    |        |                      |
|---|--|--------|-----------------------|------|---|------------------------------------|--------|----------------------|
| नवनिर्वाचित त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु प्रदेश में राज्य स्तर पर एक प्रशिक्षण भवन का निर्माण किया |  | 200.00 | 1 संस्थान की स्थापना। | 0.00 | — | व्यय हेतु संस्था से मांग नहीं हुई। | 100.00 | 1 संस्थान का उन्नयन। |
|---|--|--------|-----------------------|------|---|------------------------------------|--------|----------------------|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 22 पंचायत**

**विभागाध्यक्ष - 2203 संचालक, पंचायत**

जाना।

**5185 मूलभूत सेवाओं के लिये एक मुश्त अनुदान**

|  |   |           |   |           |       |  |      |   |
|--|---|-----------|---|-----------|-------|--|------|---|
| ग्राम पंचायतों के उत्तरदायित्वों के तहत मूलभूत सेवाओं जो जनस्वास्थ्य एवं जन कार्य से संबंधित हैं, को उपलब्ध कराना है। ग्राम और मजले टोले में स्वच्छ जल प्रदाय पेय जल व्यवस्था, निस्तारी तलाबों का जीर्णोद्धार, प्राथमिक माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण स्वास्थ्य केन्द्र/प्रसूतिग्रह निर्माण और उपकरण इत्यादि। | निर्धारित प्रदेय के लिए किये जाने वाले कार्य निरंतर एवं आवश्यक स्वरूप के हैं। | 19,474.00 | — | 10,408.20 | 46115 | पुनरीक्षित बजट में अतिरिक्त राशि जारी होने से। | 0.00 | — |
|--|---|-----------|---|-----------|-------|--|------|---|

**6905 स्थानीय निकायों का वित्त पोषण**

|   |  |          |  |          |       |  |      |  |
|---|--|----------|--|----------|-------|--|------|--|
| पंचायतों में वित्त की स्थिति को नियमित रूप से संग्रहित करने, संकलित करने तथा मॉनिटर करने लेखों के रख-रखाव के साथ-साथ डाटाबेस का कम्प्यूटर में संकलन भी आवश्यक है। जिले की समस्त जनपद पंचायत को इस व्यवस्था से जोड़ा गया है। | प्रदेश की समस्त 313 जनपद पंचायतों में नियमित रूप से डाटावेश का कम्प्यूटर में संकलन किया जा रहा है। | 1,922.72 |  | 1,706.10 | 23040 |  | 0.00 |  |
|---|--|----------|--|----------|-------|--|------|--|

**6906 जलपूर्ति तथा स्वच्छता के संदर्भ में स्त्रोतों का सुधार**

|  |   |           |  |           |       |  |      |  |
|--|---|-----------|--|-----------|-------|--|------|--|
| नल जल योजनाएं, बिजली कटने से बंद योजनाओं को प्रारंभ करना, बंद योजनाओं के पंप सुधार हेतु पंप के टूटे प्लेटफार्म मरम्मत, हितग्राही भागीदारी पर | निर्धारित प्रदेय के लिए किये जाने वाले कार्य निरंतर एवं आवश्यक स्वरूप के हैं। | 21,473.33 |  | 16,158.07 | 67046 |  | 0.00 |  |
|--|---|-----------|--|-----------|-------|--|------|--|



परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 22 पंचायत**

**विभागाध्यक्ष - 2203 संचालक, पंचायत**

शौचालय निर्माण व मानव  
अपशिष्ट पर आधारित  
शौचालय स्थापना संबंधी  
कार्य पंचायतों द्वारा लिया  
जाना ।

**6907 ग्राम पंचायतों को न्यूनतम मौलिक आवश्यकता हेतु**

|   |  |           |  |           |       |  |      |  |
|---|--|-----------|--|-----------|-------|--|------|--|
| बहु उद्देश्यीय ग्राम स्वराज<br>भवन का निर्माण, पंचायतों<br>के नियंत्रण तथा स्वामित्व<br>के भवनों का रख-रखाव<br>एवं मरम्मत, पंचायत क्षेत्रों में<br>स्थित पुरातत्व व<br>ऐतिहासिक महत्व के<br>असंरक्षित स्थानों/स्मारको<br>का रख-रखाव अनुसूचित<br>जाति एवं अनुसूचित जन<br>जाति के मोहल्ले में आंतरिक<br>मार्ग एवं नाली का निर्माण<br>शासकीय भूमि पर<br>वृक्षारोपण ग्रामीण क्षेत्रों में<br>गोदामों को निर्माण हाट<br>बजार का निर्माण किया<br>जाना है। | निर्धारित प्रदेय के लिए<br>किये जाने वाले कार्य<br>निरंतर एवं आवश्यक<br>स्वरूप है। | 21,022.96 |  | 15,723.53 | 77194 |  | 0.00 |  |
|---|--|-----------|--|-----------|-------|--|------|--|

**7100 पंचायत पदाधिकारियों का प्रशिक्षण**

|   |  |        |       |      |   |  |   |      |   |
|---|--|--------|-------|------|---|--|---|------|---|
| निर्वाचित पंचायत<br>पदाधिकारियों को उनके<br>कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों<br>के प्रति जागरूक बनाने हेतु<br>उनके प्रशिक्षण के व्यवस्था<br>की जाना है। | प्रशासन अकादमी भोपाल<br>एवं पंचायत सचिव<br>प्रशिक्षण केन्द्रों में<br>नवनिर्वाचित पदाधिकारियों<br>को प्रशिक्षित किया जाता<br>है। | 264.57 | 13000 | 0.00 | — |  | केन्द्रीय मद की राशि रूपये<br>200 लाख जारी नहीं होने से<br>राज्यांश की राशि आहरण नहीं<br>हुआ। | 0.00 | — |
|---|--|--------|-------|------|---|--|---|------|---|

**7668 स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान ( राज्य करों में हिस्सा )**

|  |  |           |   |           |       |  |   |           |   |
|--|--|-----------|---|-----------|-------|--|---|-----------|---|
| ग्राम पंचायतों के<br>उत्तरदायित्वों के तहत<br>मूलभूत सेवाओं जो | निर्धारित प्रदेय के लिए<br>किये जाने वाले कार्य<br>निरंतर एवं आवश्यक | 17,949.50 | — | 11,061.08 | 50377 |  | पुनरीक्षित बजट में अतिरिक्त<br>राशि जारी होने से। | 49,142.00 | — |
|--|--|-----------|---|-----------|-------|--|---|-----------|---|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित  | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|   |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1   | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |
| <b>विभाग - 22 पंचायत</b>  |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| <b>विभागाध्यक्ष - 2203 संचालक, पंचायत</b>   |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| जनस्वास्थ्य एवं जन कार्य स्वरूप के हैं।<br>से संबंधित हैं, को उपलब्ध कराना है। ग्राम और मजले टोले में स्वच्छ जल प्रदाय पेय जल व्यवस्था, निस्तारी तलाबों का जीर्णोद्धार, प्राथमिक माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण स्वास्थ्य केन्द्र/प्रसूतिग्रह निर्माण और उपकरण इत्यादि। |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| <b>8816 ग्राम सभाओ का सुदृढीकरण एवं सोशल आडिट</b>   |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| प्रदेश की समस्त ग्राम सभाओं में विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन किया गया है, ये समितियां आपने विषय से संबंधित कार्य का निर्णय स्वयं लेती हैं। ग्राम सभा की प्रतिमाह बैठक का आयोजन किया जाता है। जिसमें समस्त प्रकार की जानकारी दी जाती है।                            |                                     |                               | निर्धारित प्रदेय के लिए किये जाने वाले कार्य निरंतर एवं आवश्यक स्वरूप के हैं।    | 25.00        | 23040  | 25.00         | —   | 210.00  | 23012        |
| <b>विभागाध्यक्ष योग</b>   |                                     |                               | 82,836.51  |              | 55,417.41  |               | 49,741.91   |   |              |
| <b>विभाग</b>  |                                     |                               | 82,836.51  |              | 55,417.41  |               | 49,741.91   |   |              |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 23 योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 2315 संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी, विंध्याचल भवन, भोपाल**

**5110 बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण**

|  |  |        |  |        |                                       |   |        |  |
|--|--|--------|--|--------|---------------------------------------|---|--------|--|
| वेतन भत्ते एवं जिलों के विकास के लिए लघु निर्माण कार्य | वेतन भत्ते एवं जिलों के विकास के लिए लघु निर्माण कार्य | 500.00 | बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण अंतर्गत जिलों का अधोसंरचना गत विकास करना । | 331.14 | विकास कार्य स्वीकृत किये जा रहे हैं । | दिनांक 31-3-2010 तक कार्य पूर्ण कर लिये जावेंगे । | 428.70 | बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण अंतर्गत जिलों का अधोसंरचना गत विकास करना । |
|--|--|--------|--|--------|---------------------------------------|---|--------|--|

**5774 महाकौशल विकास प्राधिकरण**

|  |  |        |   |        |                                       |  |        |   |
|--|--|--------|---|--------|---------------------------------------|--|--------|---|
| वेतन भत्ते एवं जिलों के विकास के लिए लघु निर्माण कार्य | वेतन भत्ते एवं जिलों के विकास के लिए लघु निर्माण कार्य | 300.00 | महाकौशल विकास प्राधिकरण अंतर्गत जिलों का अधोसंरचनागत विकास करना । | 273.63 | विकास कार्य स्वीकृत किये जा रहे हैं । | दिनांक 31-03-2010 तक कार्य पूर्ण कर लिये जावेंगे । | 299.80 | महाकौशल विकास प्राधिकरण अंतर्गत जिलों का अधोसंरचनागत विकास करना । |
|--|--|--------|---|--------|---------------------------------------|--|--------|---|

**5775 विन्ध्य विकास प्राधिकरण**

|  |  |        |   |      |   |                                      |        |   |
|--|--|--------|---|------|---|--------------------------------------|--------|---|
| वेतन भत्ते एवं जिलों के विकास के लिए लघु निर्माण कार्य | वेतन भत्ते एवं जिलों के विकास के लिए लघु निर्माण कार्य | 300.00 | विन्ध्य विकास प्राधिकरण अंतर्गत जिलों का अधोसंरचनागत विकास करना । | 0.00 | — | डी.डी.ओ. कोड आवंटित न होने के कारण । | 300.74 | विन्ध्य विकास प्राधिकरण अंतर्गत जिलों का अधोसंरचनागत विकास करना । |
|--|--|--------|---|------|---|--------------------------------------|--------|---|

**6270 जनअभियान परिषद का गठन**

|   |   |          |   |        |   |  |          |   |
|---|---|----------|---|--------|---|--|----------|---|
| वेतन भत्ते एवं गैर शासकीय संस्थाओं के माध्यम से ग्रामों का विकास करना । | वेतन भत्ते एवं गैर शासकीय संस्थाओं के माध्यम से ग्रामों का विकास करना । | 1,900.00 | गैर शासकीय संस्थाओं के माध्यम से विकास करना । | 589.00 | — | दिनांक 31-3-2010 तक कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा । | 2,626.50 | गैर शासकीय संस्थाओं के माध्यम से विकास करना । |
|---|---|----------|---|--------|---|--|----------|---|

**6562 जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 का प्रभावी कार्यान्वयन**

|  |  |       |  |       |   |  |        |  |
|--|--|-------|--|-------|---|--|--------|--|
| जन्म-मृत्यु संबंधी अभिलेखों का हस्तांतरण | जन्म-मृत्यु संबंधी अभिलेखों का हस्तांतरण | 38.00 | रिकार्डों की बाइंडिंग एवं हस्तांतरण (जन्म-मृत्यु अभिलेख) | 31.30 | जिलों को रिकार्डों की बाइंडिंग एवं हस्तांतरण कार्य हेतु राशि उपलब्ध कराई गई । | दिनांक 31-03-2010 तक रिकार्डों की बाइंडिंग एवं हस्तांतरण का कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा । | 100.00 | मानकीकृत प्रपत्रों का मुद्रण (जन्म-मृत्यु प्रपत्र) |
|--|--|-------|--|-------|---|--|--------|--|

**6564 संभागीय एवं जिला सांख्यिकी क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण**

|                                       |                                       |       |                                       |      |                                    |  |       |                                      |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|------|------------------------------------|--|-------|--------------------------------------|
| जिलों की अधोसंरचना विकसित करने हेतु ई | जिलों की अधोसंरचना विकसित करने हेतु ई | 12.00 | जिलों की अधोसंरचना विकसित करने हेतु ई | 7.00 | ई उपकरण हेतु राशि उपलब्ध कराई गई । | दिनांक 31-03-2010 तक ई उपकरण उपलब्ध करा दिया | 12.00 | नवीन संभाग/जिलों की अधोसंरचना विकसित |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|------|------------------------------------|--|-------|--------------------------------------|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित  | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |   | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |  | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण   | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |   |  |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|--|---|--|--|---|---|---|--|
|   |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य  | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि  |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य  |  |
| 1   | 2                                   | 3                             | 4  | 5   | 6  | 7  | 8   | 9   | 10  |  |
| <b>विभाग - 23 योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग</b>                           |                                     |                               |  |   |  |  |   |   |   |  |
| <b>विभागाध्यक्ष - 2315 संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी, विंध्याचल भवन, भोपाल</b> |                                     |                               |  |   |  |  |   |   |   |  |
| उपकरण उपलब्ध कराना ।  |                                     |                               | उपकरण उपलब्ध कराना ।   |   |  | जावेगा ।   |   | करना ।  |   |  |
| 7560 अनुसूचित जाति उपयोजना के लिये एकमुश्त प्रावधान                           |                                     |                               | 1,020.83   |   | 0.00   |  |   | 0.00  |   |  |
| <b>8284 म.प्र. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना</b>                     |                                     |                               |  |   |  |  |   |   |   |  |
| विधायक द्वारा अनुशंसा<br>उपरांत विकास कार्य किया<br>जाना ।                    |                                     |                               | 14,579.27  | विधायक द्वारा अनुशंसा<br>उपरांत विकास कार्य किया<br>जाना ।                | 7,118.49   | मान. विधायक द्वारा अनुशंसा<br>उपरांत निर्माण कार्य किये जाने<br>हेतु राशि उपलब्ध कराई गई । | मान. विधायक द्वारा अनुशंसा<br>उपरांत निर्माण कार्य किये<br>जावेंगे ।                      | 17,787.00   | मान. विधायक द्वारा<br>अनुशंसा उपरांत निर्माण<br>कार्य किया जाना ।   |  |
| <b>8808 सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य</b>                                   |                                     |                               |  |   |  |  |   |   |   |  |
| ई उपकरण उपलब्ध/क्रय<br>करने हेतु  |                                     |                               | 10.00  | लेपटॉप/कम्प्यूटर क्रय<br>किया जाना ।                                      | 10.00  | ई-उपकरण क्रय किये जा रहे<br>हैं ।  | दिनांक 31-03-2010 तक<br>क्रय कर लिया जावेगा ।   | 5.00  | संचालनालय में समस्त<br>संयुक्त संचालक को<br>इलेक्ट्रानिक उपकरण क्रय<br>करना एवं एक लेपटॉप<br>प्रदाय करना एवं रखरखाव<br>करना । |  |
| <b>8849 आदिवासी क्षेत्रों की योजना के लिये एकमुश्त प्रावधान</b>               |                                     |                               |  |   |  |  |   |   |   |  |
| योजना का नाम : 8740<br>जीवनांक संभाग का<br>सुदृढीकरण                          |                                     |                               | 2,186.90   | जनपद पंचायतों को टीन<br>बाक्स रिकार्ड सुरक्षित<br>रखने हेतु प्रदाय करना । | 2.00   | ग्राम पंचायतों की टीन<br>बाक्स रिकार्ड सुरक्षित<br>रखने हेतु प्रदाय करना ।                 | जन्म-मृत्यु संबंधी रिकार्डों को<br>सुरक्षित रखने हेतु टीन बाक्स<br>क्रय किये जा रहे हैं । | 31-03-2010 तक कार्य<br>पूर्ण कर लिया जावेगा ।                           | 250.00  | ग्राम पंचायतों की टीन<br>बाक्स रिकार्ड सुरक्षित<br>रखने हेतु प्रदाय करना । |
| जनपद पंचायतों को टीन<br>बाक्स रिकार्ड सुरक्षित रखने<br>हेतु प्रदाय करना ।     |                                     |                               | 0.00   |   | 0.00   |  |   | 9,609.50  | स्थानीय स्तर के लघु<br>निर्माण कार्य कर क्षेत्रों का<br>विकास करना ।  |  |
| योजना का नाम :<br>जनभागीदारी<br>6378<br>8817                                  |                                     |                               | 0.00   |   | 0.00   |  |   |   |   |  |
| <b>विभागाध्यक्ष योग</b>   |                                     |                               | <b>20,849.00</b>   |   | <b>8,362.56</b>  |  |   | <b>31,419.24</b>  |   |  |

विभागाध्यक्ष - 2316 सदस्य सचिव, राज्य योजना मंडल

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित   | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम                   | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |                            | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |  | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण              | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |                                     |
|--|-------------------------------------|---|--|----------------------------|--|--|--|---|-------------------------------------|
|  |                                     |   | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य               | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि                                  |  | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य                        |
| 1  | 2                                   | 3   | 4  | 5                          | 6  | 7  | 8  | 9   | 10                                  |
| <b>विभाग - 23 योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग</b>                    |                                     |   |  |                            |  |  |  |   |                                     |
| <b>विभागाध्यक्ष - 2316 सदस्य सचिव, राज्य योजना मंडल</b>                |                                     |   |  |                            |  |  |  |   |                                     |
| <b>5111 नवाचार को प्रोत्साहन</b>                                       |                                     |   |  |                            |  |  |  |   |                                     |
| सृजनात्मक कार्य हेतु प्रस्ताव  |                                     | प्रस्ताव विचाराधीन                              | 400.00   | लक्ष्य निर्धारित नहीं है । | 0.82   |  | विचाराधीन प्रस्ताव पर कार्यवाही उपरान्त परिणाम प्राप्त होंगे । | 200.00  | लक्ष्य निर्धारित नहीं है ।          |
| <b>5569 सूचना प्रौद्योगिकी एवं राज्य योजना आयोग का सुदृढ़ीकरण</b>      |                                     |   |  |                            |  |  |  |   |                                     |
| प्रस्ताव लंबित है  |                                     |   | 300.00   | लक्ष्य निर्धारित नहीं है । | 0.00   |  |  | 0.00  |                                     |
| <b>5612 विकेन्द्रीकृत योजना का सुदृढ़ीकरण</b>                          |                                     |   |  |                            |  |  |  |   |                                     |
| योजना में गुणात्मक सुधार ।   |                                     | प्रारम्भिक कार्यवाहिया जारी है ।                | 1,000.00   | लक्ष्य निर्धारित नहीं है । | 0.00   | कार्यवाही पूर्ण होने पर परिणाम प्राप्त होंगे । |  | 900.00  | लक्ष्य निर्धारित नहीं है ।          |
| <b>6378 जन भागीदारी से क्रियान्वित जिला योजनाओं में शासन का अंशदान</b> |                                     |   |  |                            |  |  |  |   |                                     |
| शासन अंशदान एवं जन सहयोग के अंशदान से योजना क्रियान्वित है ।           |                                     | जिलों में जन भागीदारी योजना से सम्पादित कार्य । | 3,989.00   | 409 स्वीकृत कार्य          | 1,704.88   | 305  | वित्तीय वर्ष के अंत तक बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे ।            | 0.00  | योजना बीसीओ 2315 को हस्तांतरित ।    |
| <b>8817 जन भागीदारी योजना</b>  |                                     |   |  |                            |  |  |  |   |                                     |
| शासन अंशदान एवं जन सहयोग के अंशदान से योजना क्रियान्वित है ।           |                                     | जिलों में जन भागीदारी योजना से सम्पादित कार्य । | 5,033.00   | 385 स्वीकृत कार्य          | 2,753.93   | 355  | वित्तीय वर्ष के अंत तक बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे ।            | 0.00  | योजना बीसीओ 2315 को हस्तांतरित है । |
| <b>विभागाध्यक्ष योग</b>  |                                     |   | 10,722.00  |                            | 4,459.63   |  |  | 1,100.00  |                                     |
| <b>विभाग</b>   |                                     |   | 31,571.00  |                            | 12,822.19  |  |  | 32,519.24   |                                     |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 25 आदिम जाति कल्याण विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 2502 संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं**

**5084 अनु. जाति/जनजाति के कृषकों के कुओं तक विद्युत लाइन का विकास**

|   |  |  |          |      |          |      |  |          |      |
|---|--|--|----------|------|----------|------|--|----------|------|
| अनुसूचित जनजाति कृषकों के कुओं तक विद्युत लाईन का विकास |  |  | 1,545.00 | 1500 | 1,545.00 | 1500 |  | 1,592.96 | 1500 |
|---|--|--|----------|------|----------|------|--|----------|------|

**5155 योजनाओं का अनुश्रवण और मूल्यांकन अनुच्छेद 275(1)**

|                                       |  |  |        |  |        |  |                                       |        |   |
|---------------------------------------|--|--|--------|--|--------|--|---------------------------------------|--------|---|
| हितग्राही मूलक योजनाओं का मूल्यांकन । |  |  | 132.00 | भारत सरकार से अनुच्छेद 275(1) की केन्द्र क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत राशि अप्राप्त । | 132.00 |  | भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं हुई । | 132.00 | अनुश्रवण मूल्यांकन कार्य का सुदृढीकरण । |
|---------------------------------------|--|--|--------|--|--------|--|---------------------------------------|--------|---|

**5211 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं में स्थानीय विकास कार्यक्रम**

|   |   |  |           |       |      |   |  |           |                 |
|---|---|--|-----------|-------|------|---|--|-----------|-----------------|
| हितग्राही मूलक योजनाओं में आदिवासी हितग्राहियों को लाभान्वित करना । | 80 प्रतिशत राशि लगभग 42205 हितग्राही एवं 20 प्रतिशत राशि से अधोसंरचना कार्य । |  | 10,676.13 | 44652 | 0.00 | 0 |  | 12,806.89 | 44652 हितग्राही |
|---|---|--|-----------|-------|------|---|--|-----------|-----------------|

**5212 माड़ा क्षेत्रों में स्थानीय विकास कार्यक्रम**

|   |  |  |          |      |        |      |  |          |                |
|---|--|--|----------|------|--------|------|--|----------|----------------|
| हितग्राही मूलक योजनाओं में आदिवासी हितग्राहियों को लाभान्वित करना । |  |  | 1,007.34 | 4230 | 654.82 | 4230 |  | 1,208.81 | 4230 हितग्राही |
|---|--|--|----------|------|--------|------|--|----------|----------------|

**5214 अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियों में एकबत्ती कनेक्शन/ स्ट्रीटलाइट विद्युत लाइन का विकास**

|  |  |  |        |     |        |     |  |        |     |
|--|--|--|--------|-----|--------|-----|--|--------|-----|
| गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले । |  |  | 300.00 | 800 | 233.18 | 800 |  | 276.16 | 800 |
|--|--|--|--------|-----|--------|-----|--|--------|-----|

**5230 मजरे/टोलो का विद्युतीकरण**

|  |  |  |          |     |          |     |  |          |     |
|--|--|--|----------|-----|----------|-----|--|----------|-----|
| आदिवासी मजरे /टोलों में विद्युतीकरण । विद्युतमंडल के प्रस्ताव अनुसार । |  |  | 2,320.00 | 500 | 2,320.00 | 500 |  | 2,607.50 | 510 |
|--|--|--|----------|-----|----------|-----|--|----------|-----|

**5313 आदिवासी अंचलो में स्थानीय विकास कार्यक्रम**

|   |  |  |       |     |       |     |  |       |     |
|---|--|--|-------|-----|-------|-----|--|-------|-----|
| आदिवासी हितग्राही मूलक योजनाओं से रोजगार हेतु । |  |  | 64.79 | 272 | 42.11 | 172 |  | 77.75 | 388 |
|---|--|--|-------|-----|-------|-----|--|-------|-----|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 25 आदिम जाति कल्याण विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 2502 संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं**

**6500 विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास**

|  |   |          |       |          |       |          |       |
|--|---|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| केन्द्र क्षेत्रीय योजना<br>अन्तर्गत अभिकरण क्षेत्र की<br>अवश्यकता अनुसार<br>प्रस्तावित राशि अनुसार । | स्वीकृत योजनाओं द्वारा<br>विशेष पिछड़ी जनजाति<br>सहरिया ,बैगा तथा भारिया<br>समूहों को लाभान्वित<br>करना । | 3,704.90 | 26000 | 2,534.00 | 15000 | 4,896.30 | 30000 |
|--|---|----------|-------|----------|-------|----------|-------|

**6902 जनश्री जीवन बीमा योजना**

|              |  |       |              |       |              |        |              |
|--------------|--|-------|--------------|-------|--------------|--------|--------------|
| 10000 परिवार | 10000 परिवारों का बीमा<br>प्रीमियम प्रति परिवार रु,<br>500/- के मान से । | 50.00 | 10000 परिवार | 50.00 | 10000 परिवार | 200.00 | 40000 परिवार |
|--------------|--|-------|--------------|-------|--------------|--------|--------------|

**7881 आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में विविध विकास कार्य अनुच्छेद 275( 1 )**

|  |           |           |          |           |           |                            |
|--|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|
| आदिवासी उपयोजना क्षेत्र<br>में अधोसंरचना विकास<br>जनसंख्या के मान से । | 11,538.00 | 837 कार्य | 6,435.00 | 426 कार्य | 11,759.00 | 900 विविध विकास कार्य<br>। |
|--|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|

**8906 प्रायवेट एजेन्सियों द्वारा योजनाओं का अनुश्रवण / मूल्यांकन / सर्वेक्षण**

|  |       |                    |      |       |
|--|-------|--------------------|------|-------|
| सभी परियोजनाओं को<br>योजनाओं का मूल्यांकन<br>/अनुश्रवण । | 13.01 | 2500 (सी.एस.सी.डी) | 0.00 | 14.31 |
|--|-------|--------------------|------|-------|

**9208 बाड़ी परियोजना**

|      |      |        |
|------|------|--------|
| 0.00 | 0.00 | 150.00 |
|------|------|--------|

**9819 विशेष पिछड़े आदिवासी समूह अभिकरण**

|   |   |          |                |        |      |          |     |
|---|---|----------|----------------|--------|------|----------|-----|
| चिन्हांकित ग्रामों की<br>जनासंख्या के आधार पर । | विभिन्न योजनाओं के<br>अन्तर्गत विशेष पिछड़ी<br>जनजाति समूह के<br>हितग्रहियों को रोजगार<br>मूलक, परिवार मूलक तथा<br>समुदाय मूलक योजनाओं<br>से लाभान्वित । अभिकरण<br>स्तर पर स्वीकृत अमले | 1,255.00 | 7218 हितग्राही | 614.00 | 3215 | 1,455.00 | 815 |
|---|---|----------|----------------|--------|------|----------|-----|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 25 आदिम जाति कल्याण विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 2502 संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं**

का वेतन तथा अन्य भत्ते  
।

**विभागाध्यक्ष योग**

32,606.17

14,560.11

37,176.68

**विभागाध्यक्ष - 2505 संचालक, आदिम जाति अनुसंधान**

**3728 आदिवासी संस्कृति का संवर्धन, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विकास**

28 मूल्यांकन अध्ययन, 10 सत्र पुनरध्ययन, 10 प्रमाण-पत्र, 10, आश्रम/छात्रावास अधीक्षकों का प्रशिक्षण, 08 अत्याचार निवारण प्रशिक्षण सत्र, 200 पुस्तकें एवं 10 जनर्स का क्रय, 28 मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन का प्रकाशन, उत्सव / प्रदर्शनी एवं संगोष्ठी 30 सत्र, 06 फोटो डाक्यूमेंटेशन, विविध जनजातीय आयामों पर आधारित 2000 चित्रों का छायांकन।

कार्य निरन्तर जारी है।

100.56

8 अत्याचार निवारण प्रशिक्षण सत्र, 200 पुस्तकें एवं 10 जनर्स का क्रय, 28 मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन का प्रकाशन, उत्सव / प्रदर्शनी एवं संगोष्ठी 30 सत्र, 06 फोटो डाक्यूमेंटेशन, विविध जनजातीय आयामों पर आधारित 2000 चित्रों का छायांकन।

43.52

05 सत्र पुनरध्ययन, 05 सत्र जाति प्रमाण-पत्र, 04 सत्र आश्रम / छात्रावास अधीक्षकों के प्रशिक्षण सम्पन्न, 02 अत्याचार निवारण सत्र सम्पन्न, 100 पुस्तकें एवं 04 जनर्स क्रय किये गये, 07 व्याख्यान, 03 वर्कशॉप एवं 15 प्रदर्शनी सम्पन्न, विविध जनजातीय आयामों पर केन्द्रित 500 चित्रों का छायांकन सम्पन्न।

कार्य निरन्तर जारी है।

370.03

पुनरध्ययन के 10 सत्र, 300 प्रशिक्षणार्थी, जाति प्रमाण-पत्र 10 सत्र 300 प्रशिक्षणार्थी, छात्रावास/आश्रम अधीक्षकों 10 सत्र 400 प्रशिक्षणार्थी एवं अपृषयता निवारण प्रशिक्षण 10 सत्र 300 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षित होंगे। 200 पुस्तकें एवं 10 जनर्स क्रय किये गये। अनुसंधान मूल्यांकन के 200 बुलेटिनों के प्रकाशन किया जायेगा। 12000 फोलियो का मुद्रण, 50 प्रतिवेदनों का प्रकाशन, 01 राष्ट्रीय स्तर की फिल्म/छायाचित्र प्रदर्शनी, 5000 पुराने छायाचित्रों का अनुरक्षण, 02 फिल्म डाक्यूमेंटेशन, 3000 छायाचित्रों का डाक्यूमेंटेशन, 01 संस्था परिसर में नया प्रशिक्षण ब्लाक बनाना। आदिवासी उत्सव 04 सेमिनार/वर्कशॉप/व्याख्यान 30 सत्र।

**6521 आदिवासी संग्रहालय - भवन**



परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित   | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय  | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |  | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये)  |              |
|--|--|-------------------------------|--|--------------|--|--|---|--|--------------|
|  |  |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि  |   | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य |
| 1  | 2  | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7  | 8   | 9  | 10           |
| <b>विभाग - 25 आदिम जाति कल्याण विभाग</b>   |  |                               |  |              |  |  |   |  |              |
| <b>विभागाध्यक्ष - 2505 संचालक, आदिम जाति अनुसंधान</b>  |  |                               |  |              |  |  |   |  |              |
| जनजातीय संग्रहालय में<br>विद्युत व्यवस्था, सुरक्षा,<br>साफ-सफाई व्यवस्था,<br>आर्टिफेक्ट का संकलन<br>कार्य आंतरिक साज-सज्जा | निर्माण एजेन्सी द्वारा<br>वित्तीय वर्ष 2009-2010<br>में आधिपत्य संस्था को<br>सौंपने की उम्मीद। | 451.56                        | निर्माण एजेन्सी द्वारा<br>आधिपत्य संस्था को अभी<br>तक नहीं सौंपा गया है।         | 0.00         | निर्माण एजेन्सी द्वारा आधिपत्य<br>संस्था को अभी तक नहीं सौंपा<br>गया है।                 | निर्माण एजेन्सी द्वारा आधिपत्य<br>संस्था को अभी तक नहीं सौंपा<br>गया है। | 8.10  | जनजातीय संग्रहालय में<br>विद्युत व्यवस्था, सुरक्षा,<br>साफ-सफाई व्यवस्था,<br>आर्टिफेक्ट का संकलन<br>कार्य आंतरिक<br>साज-सज्जा । संग्रहालय<br>से संबंधित पुस्तकें<br>पत्रिकायें क्रय एवं मुद्रण<br>एवं प्रकाशन। |              |
| <b>विभागाध्यक्ष योग</b>  |  |                               | 552.12   |              | 43.52  |  | 378.13  |  |              |
| <b>विभागाध्यक्ष - 2506 आयुक्त, आदिवासी विकास</b>   |  |                               |  |              |  |  |   |  |              |
| <b>0364 आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय</b>   |  |                               |  |              |  |  |   |  |              |
| 8 संस्थाएँ   | निरंक  | 302.86                        | 8 संस्थाएँ   | 242.76       | 8 संस्थाएँ   | निरंक  | 341.86  | 8 संस्थाएँ   |              |
| <b>0494 आश्रम</b>  |  |                               |  |              |  |  |   |  |              |
| 930 संस्थाएँ   | निरंक  | 3,921.63                      | 930 संस्थाएँ   | 3,189.32     | 930 संस्थाएँ   | निरंक  | 4,219.73  | 950 संस्थाएँ   |              |
| <b>0581 उच्चतर माध्यमिक शालाएं</b>   |  |                               |  |              |  |  |   |  |              |
| 528 संस्थाएँ एवं स्थापना<br>व्यय   | निरंक  | 6,646.95                      | 523 संस्थाएँ स्थापना<br>व्यय एवं 36 हाई स्कूल एवं<br>10 उ.मा.शा. भवन निर्माण     | 3,793.96     | 523 संस्थाएँ स्थापना व्यय<br>एवं 36 हाई स्कूल एवं 10<br>उ.मा.शा. भवन निर्माण             | निरंक  | 7,742.25  | 523 संस्थाएँ स्थापना<br>व्यय एवं 20 हाई स्कूल<br>एवं 10 उ.मा.शा. भवन<br>निर्माण  |              |
| <b>0584 माध्यमिक शिक्षा मण्डल को शुल्क की प्रतिपूर्ति</b>  |  |                               |  |              |  |  |   |  |              |
| 24000 विद्यार्थी   | निरंक  | 120.00                        | निरंक  | 0.00         | निरंक  | अंकेक्षण उपरांत बोर्ड के दावों<br>का भुगतान किया जावेगा।                 | 132.00  |  |              |
| <b>0671 एच्छिक संस्थाओं को शैक्षणिक और अन्य कल्याणकारी प्रवृत्तियों के लिए अनुदान</b>                                      |  |                               |  |              |  |  |   |  |              |
| 35 संस्थाएँ स्थापना व्यय   | निरंक  | 519.75                        | 35 संस्थाएँ स्थापना व्यय   | 203.03       | 35 संस्थाएँ स्थापना व्यय   | जिला कलेक्टर के प्रतिवेदन<br>की अनुशंसा के आधार पर<br>व्यय किया जाता है। | 416.25  | 35 संस्थाएँ स्थापना व्यय   |              |
| <b>0762 कन्या शिक्षा परिसर</b>   |  |                               |  |              |  |  |   |  |              |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित                       | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय  | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |   | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |                           | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |                        |
|--|--|-------------------------------|--|---|--|---------------------------|---|---|------------------------|
|  |  |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य                                | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि             |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य           |
| 1  | 2  | 3                             | 4  | 5   | 6  | 7                         | 8   | 9   | 10                     |
| <b>विभाग - 25 आदिम जाति कल्याण विभाग</b>         |  |                               |  |   |  |                           |   |   |                        |
| <b>विभागाध्यक्ष - 2506 आयुक्त, आदिवासी विकास</b> |  |                               |  |   |  |                           |   |   |                        |
| 2  | कन्या शिक्षा परिसर   | निरंक                         | 30.33  | 2 कन्या शिक्षा परिसर                        | 23.34  | 2 कन्या शिक्षा परिसर      | निरंक   | 33.83   | 2 कन्या शिक्षा परिसर   |
| <b>0978</b>                                      | <b>क्रीडा परिसर</b>  |                               |  |   |  |                           |   |   |                        |
| 17   | क्रीडा परिसर   | निरंक                         | 395.00   | 17 क्रीडा परिसर                             | 179.93   | 17 क्रीडा परिसर           | निरंक   | 502.26  | 17 क्रीडा परिसर        |
| <b>1032</b>                                      | <b>कार्यालय भवनों के निर्माण / विद्युतीकरण आदि</b>   |                               |  |   |  |                           |   |   |                        |
| 1385   | कार्यालय भवनों का निर्माण / विद्युतीकरण  | निरंक                         | 250.00   | 6 जिलों को भवन निर्माण / विद्युतीकरण        | 0.00   | निरंक                     | नये भवन हेतु प्रक्रिया प्रारंभ है                 | 250.00  | कार्य पूर्ण करना       |
| <b>1385</b>                                      | <b>छात्र गृह योजना</b>   |                               |  |   |  |                           |   |   |                        |
| 1392   | पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में स्थान के अभाव में 5 या उससे अधिक छात्रों के समूह को किराये के भवन में रहने पर किराया तथा शिष्यवृत्ति | निरंक                         | 80.45  | 9000 विद्यार्थी                             | 24.22  | 8100 विद्यार्थी           | निरंक   | 107.75  | 8500 विद्यार्थी        |
| <b>1392</b>                                      | <b>छात्रवृत्तियां और वृत्तियां</b>   |                               |  |   |  |                           |   |   |                        |
| 1398   | कक्षा 6 से 10 तक के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान  | निरंक                         | 3,323.35   | 450000 विद्यार्थी                           | 2,663.83   | 430000 विद्यार्थी         | निरंक   | 3,324.15  | 460000 विद्यार्थी      |
| <b>1398</b>                                      | <b>छात्रावास/ आश्रमों का संचालन</b>  |                               |  |   |  |                           |   |   |                        |
| 1868   | 178 संस्थाएँ एवं 49574 विद्यार्थी  | निरंक                         | 2,442.76   | 49574 विद्यार्थी                            | 1,956.10   | 45329 विद्यार्थी          | निरंक   | 2,490.83  | 52974 विद्यार्थी       |
| <b>1868</b>                                      | <b>तकनीकी शिक्षा मण्डल ( मेपसेट )</b>  |                               |  |   |  |                           |   |   |                        |
| 2501   | स्थापना व्यय   | निरंक                         | 50.00  | स्थापना व्यय                                | 25.00  | स्थापना व्यय              | निरंक   | 70.00   | एक संस्था स्थापना व्यय |
| <b>2501</b>                                      | <b>परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण</b>   |                               |  |   |  |                           |   |   |                        |
|  | बालक बालिकाओं को व्यावसायिक प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के पूर्व प्रशिक्षण  | निरंक                         | 30.00  | 1200 छात्र छात्राओं को तीन माह का प्रशिक्षण | 5.58   | 1200 छात्रों का प्रशिक्षण | निरंक   | 50.00   | 700 छात्र छात्राएँ     |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित   | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |                       | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |                   | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |                       |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------|--|-------------------|---|---|-----------------------|
|  |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य          | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि     |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य          |
| 1  | 2                                   | 3                             | 4  | 5                     | 6  | 7                 | 8   | 9   | 10                    |
| <b>विभाग - 25 आदिम जाति कल्याण विभाग</b>   |                                     |                               |  |                       |  |                   |   |   |                       |
| <b>विभागाध्यक्ष - 2506 आयुक्त, आदिवासी विकास</b>   |                                     |                               |  |                       |  |                   |   |   |                       |
| <b>2676 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां</b>   |                                     |                               |  |                       |  |                   |   |   |                       |
| निर्धन छात्र/छात्राओं को<br>उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु<br>सहायता  | निरंक                               |                               | 3,544.80   | 75000 विद्यार्थी      | 2,207.50   | 65000 छात्र       | निरंक   | 4,657.00  | 96000 हजार छात्र      |
| <b>2697 प्रचार इकाईया</b>  |                                     |                               |  |                       |  |                   |   |   |                       |
| विभागीय योजनाओं का<br>प्रचार-प्रसार  | निरंक                               |                               | 20.00  | प्रचार-प्रसार         | 0.19   | प्रचार प्रसार     | निरंक   | 20.00   | प्रचार प्रसार         |
| <b>2773 प्राथमिक शालाएं</b>  |                                     |                               |  |                       |  |                   |   |   |                       |
| 3200 संस्थाएँ  | निरंक                               |                               | 11,660.98  | 3200 संस्थाएँ संचालित | 9,318.74   | 3200 संस्थाएँ     | निरंक   | 14,234.46   | 3200 संस्थाएँ संचालित |
| <b>2949 गणवेश का प्रदाय</b>  |                                     |                               |  |                       |  |                   |   |   |                       |
| छात्र छात्राओं को गणवेश<br>स्वेटर,जूते, मोजू आदि का<br>प्रदाय  | निरंक                               |                               | 1,071.40   | 240000 विद्यार्थी     | 743.22   | 238000 विद्यार्थी | निरंक   | 1,134.50  | 245000 विद्यार्थी     |
| <b>3496 माध्यमिक शालाएं</b>  |                                     |                               |  |                       |  |                   |   |   |                       |
| 2420 संस्थाएँ  | निरंक                               |                               | 6,253.74   | 2420 संस्थाएँ         | 4,812.38   | 2420 संस्थाएँ     | निरंक   | 7,694.55  | 2420 संस्थाएँ         |
| <b>3997 विद्यार्थी कल्याण</b>  |                                     |                               |  |                       |  |                   |   |   |                       |
| आर्थिक रूप से कमजोर<br>अनुसूचिता जनजातियों के<br>विद्यार्थियों को आकस्मिक<br>सहायता उपलब्ध कराने हेतु<br>। | निरंक                               |                               | 57.80  | 5300 विद्यार्थी       | 16.93  | 2100 विद्यार्थी   | निरंक   | 190.00  | 5500 विद्यार्थी       |
| <b>4691 कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजनाएं ( कक्षा छठी )</b>  |                                     |                               |  |                       |  |                   |   |   |                       |
| कन्याओं को शिक्षण हेतु<br>प्रोत्साहित किया जाना  | निरंक                               |                               | 587.57   | 80000 छात्राएँ        | 505.36   | 124566 छात्राएँ   | निरंक   | 632.75  | 130000 छात्राएँ       |
| <b>4722 अनुसूचित जाति / जनजाति की बस्तियों का विकास</b>  |                                     |                               |  |                       |  |                   |   |   |                       |
| अनुसूचित जनजातियों की  | निरंक                               |                               | 1,285.10   | 45 जिले               | 372.79   | 45 जिले           | निरंक   | 3,191.00  | 45 जिले               |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 25 आदिम जाति कल्याण विभाग**  
**विभागाध्यक्ष - 2506 आयुक्त, आदिवासी विकास**

बस्तियों का विकास

**4980 जिला उत्कृष्ट विद्यालयों को प्रबंधन हेतु सहायता**

|   |       |        |             |       |             |       |        |             |
|---|-------|--------|-------------|-------|-------------|-------|--------|-------------|
| शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करने, शाला त्याग की वृत्ति पर रोक लगाने के उद्देश्य से जिला एवं विकास खण्ड स्तर पर उत्कृष्ट विद्यालय की स्थापना | निरंक | 264.00 | 87 संस्थाएँ | 59.35 | 87 संस्थाएँ | निरंक | 275.00 | 87 संस्थाएँ |
|---|-------|--------|-------------|-------|-------------|-------|--------|-------------|

**5156 आदिवासी वित्त एवं विकास निगम**

|  |       |        |              |        |              |       |        |                          |
|--|-------|--------|--------------|--------|--------------|-------|--------|--------------------------|
| स्थापना व्यय एवं अंशपूजी में धन वेष्टन | निरंक | 238.00 | स्थापना व्यय | 146.00 | स्थापना व्यय | निरंक | 338.00 | स्थापना व्यय एवं अंशपूजी |
|--|-------|--------|--------------|--------|--------------|-------|--------|--------------------------|

**5169 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम**

|   |       |          |               |          |               |       |          |                   |
|---|-------|----------|---------------|----------|---------------|-------|----------|-------------------|
| शाला त्याग की दर कम करने एवं प्राथमिक माध्यमिक शाला में पोष्टिक आहार उपलब्ध कराने | निरंक | 2,759.10 | 2272930 छात्र | 1,930.46 | 1800000 छात्र | निरंक | 2,635.69 | 2500000 लाख छात्र |
|---|-------|----------|---------------|----------|---------------|-------|----------|-------------------|

**5191 अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अन्तर्गत सहायता/पुनर्वास सहायता**

|  |       |        |                |        |               |       |        |                       |
|--|-------|--------|----------------|--------|---------------|-------|--------|-----------------------|
| अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के पिड़ित परिवारों / व्यक्तियों के उपर अत्याचार संबंधी प्रकरणों में तत्काल राहत / सहायता पहुंचाना। | निरंक | 420.00 | निर्धारित नहीं | 141.42 | 600 लाभान्वित | निरंक | 420.00 | लक्ष्य निर्धारित नहीं |
|--|-------|--------|----------------|--------|---------------|-------|--------|-----------------------|

**5202 व्यावसायिक परीक्षा मण्डल को शुल्क की प्रतिपूर्ति**

|  |       |       |                 |       |                |       |       |                 |
|--|-------|-------|-----------------|-------|----------------|-------|-------|-----------------|
| प्रतियोगि परीक्षाओं में शामिल अनुसूचित जनजाति वर्ग छात्रों के शुल्क की प्रतिपूर्ति | निरंक | 27.00 | 1068 विद्यार्थी | 18.00 | 867 विद्यार्थी | निरंक | 30.00 | 1200 विद्यार्थी |
|--|-------|-------|-----------------|-------|----------------|-------|-------|-----------------|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 25 आदिम जाति कल्याण विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 2506 आयुक्त, आदिवासी विकास**

**5204 अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र छात्रों के प्रावीण्य में उन्नयन**

|   |       |  |       |                |       |                |       |       |                |
|---|-------|--|-------|----------------|-------|----------------|-------|-------|----------------|
| सर्वोच्च अंक प्राप्त करने<br>वाले विद्यार्थियों को<br>प्रोत्साहित करना। | निरंक |  | 33.54 | 172 विद्यार्थी | 19.64 | 172 विद्यार्थी | निरंक | 33.54 | 172 विद्यार्थी |
|---|-------|--|-------|----------------|-------|----------------|-------|-------|----------------|

**5209 मुख्य कार्यपालन अधिकारीयो का वेतन**

|              |       |  |        |              |        |              |       |        |              |
|--------------|-------|--|--------|--------------|--------|--------------|-------|--------|--------------|
| स्थापना व्यय | निरंक |  | 236.55 | स्थापना व्यय | 171.30 | स्थापना व्यय | निरंक | 260.07 | स्थापना व्यय |
|--------------|-------|--|--------|--------------|--------|--------------|-------|--------|--------------|

**5216 हाई स्कूल**

|              |       |  |          |              |          |              |       |          |              |
|--------------|-------|--|----------|--------------|----------|--------------|-------|----------|--------------|
| 692 संस्थाएँ | निरंक |  | 2,591.50 | 692 संस्थाएँ | 1,676.85 | 692 संस्थाएँ | निरंक | 2,854.35 | 870 संस्थाएँ |
|--------------|-------|--|----------|--------------|----------|--------------|-------|----------|--------------|

**5218 उद्यमी विकास संस्थान को अनुदान**

|   |       |  |       |              |       |              |       |       |              |
|---|-------|--|-------|--------------|-------|--------------|-------|-------|--------------|
| अनुसूचित जनजाति वर्ग के<br>युवक युवतियों को<br>रोजगारोन्मुखी नवीन<br>पाठ्यक्रमा प्रशिक्षण | निरंक |  | 36.25 | स्थापना व्यय | 36.25 | स्थापना व्यय | निरंक | 60.00 | स्थापना व्यय |
|---|-------|--|-------|--------------|-------|--------------|-------|-------|--------------|

**5228 कम्प्यूटर / अंग्रेजी प्रशिक्षण**

|   |       |  |        |                |       |                |       |        |                |
|---|-------|--|--------|----------------|-------|----------------|-------|--------|----------------|
| अनुसूचित जनजाति के<br>छात्र छात्राओं को रोजगार<br>के अवसर उपलब्ध कराने<br>के उद्देश्य से प्री-मैट्रिक<br>तथा पोस्ट मैट्रिक<br>छात्रावासों में निवासरत<br>छात्रों को कम्प्यूटर का<br>विशेष प्रशिक्षण | निरंक |  | 115.20 | 300 विद्यार्थी | 12.98 | 200 विद्यार्थी | निरंक | 100.00 | 1000विद्यार्थी |
|---|-------|--|--------|----------------|-------|----------------|-------|--------|----------------|

**5232 म. प्र. आवासीय विद्यालय समिति को अनुदान ( अनुच्छेद 275(1) )**

|              |       |  |          |             |      |             |       |      |       |
|--------------|-------|--|----------|-------------|------|-------------|-------|------|-------|
| स्थापना व्यय | निरंक |  | 1,200.00 | 12 संस्थाएँ | 0.00 | 12 संस्थाएँ | निरंक | 0.00 | निरंक |
|--------------|-------|--|----------|-------------|------|-------------|-------|------|-------|

**5233 राजीव गांधी खाद्यान्न सुरक्षा मिशन**

|              |       |  |       |              |       |              |       |       |              |
|--------------|-------|--|-------|--------------|-------|--------------|-------|-------|--------------|
| स्थापना व्यय | निरंक |  | 31.46 | स्थापना व्यय | 21.63 | स्थापना व्यय | निरंक | 33.87 | स्थापना व्यय |
|--------------|-------|--|-------|--------------|-------|--------------|-------|-------|--------------|

**5325 व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षा**

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित  | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |                            | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |                             | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |                            |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|--|-----------------------------|---|---|----------------------------|
|   |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य               | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि               |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य               |
| 1   | 2                                   | 3                             | 4  | 5                          | 6  | 7                           | 8   | 9   | 10                         |
| <b>विभाग - 25 आदिम जाति कल्याण विभाग</b>                            |                                     |                               |  |                            |  |                             |   |   |                            |
| <b>विभागाध्यक्ष - 2506 आयुक्त, आदिवासी विकास</b>                    |                                     |                               |  |                            |  |                             |   |   |                            |
| अनुसूचित जनजाति<br>युवकों को व्यवसायिक<br>प्रशिक्षण                 | जनजाति                              | निरंक                         | 135.00   | 10 केन्द्र 1000 विद्यार्थी | 33.82  | 10 केन्द्र 1000 विद्यार्थी  | निरंक   | 135.00  | 10 केन्द्र 1000 विद्यार्थी |
| <b>5362 आदिवासी सेवा पुरस्कार, पारितोषिक एवं सम्मान</b>             |                                     |                               |  |                            |  |                             |   |   |                            |
| रानी दुर्गावति एवं शंहर<br>शाह, टंटया भील पुरस्कार                  |                                     | निरंक                         | 10.00  | 9 पुरस्कार                 | 0.00   | —                           | निरंक   | 110.50  | पुरस्कार                   |
| <b>5875 विशेष पिछड़ी जनजाति के बच्चों के लिये आश्रम एवं स्कूल</b>   |                                     |                               |  |                            |  |                             |   |   |                            |
| विशेष पिछड़ी जनजाति के<br>छात्रों को शिष्यवृत्ति                    |                                     | निरंक                         | 252.98   |                            | 0.00   |                             |   | 0.00  |                            |
| <b>6502 पोस्ट मेट्रिक छात्रावास</b>                                 |                                     |                               |  |                            |  |                             |   |   |                            |
| पोस्ट मेट्रिक छात्रावास की<br>स्थापना व्यय एवं आगमन<br>भत्ता        |                                     | निरंक                         | 126.60   | 5400 विद्यार्थी            | 83.33  | 5065 छात्र                  | निरंक   | 165.41  | 5600 विद्यार्थी            |
| <b>7562 उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्रों की स्थापना</b>                    |                                     |                               |  |                            |  |                             |   |   |                            |
| विद्यार्थियों की प्रावीण्यता<br>बढ़ाना                              |                                     | निरंक                         | 617.17   | 88 संस्थाएँ                | 286.68   | 88 संस्थाएँ                 | निरंक   | 618.17  | 88 संस्थाएँ                |
| <b>7621 कर्मचारियों /अधिकारियों का प्रशिक्षण</b>                    |                                     |                               |  |                            |  |                             |   |   |                            |
| कर्मचारी / अधिकारियों के<br>कार्य में गुणवत्ता हेतु<br>प्रशिक्षण    |                                     | निरंक                         | 60.00  | 2000 अधिकारी /<br>कर्मचारी | 16.98  | 1500 कर्मचारी /<br>कर्मचारी | निरंक   | 50.00   | 3000 अधिकारी /<br>कर्मचारी |
| <b>7851 युवाओं के लिये रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना</b> |                                     |                               |  |                            |  |                             |   |   |                            |
| युवाओं के लिये रोगारोन्मुखी<br>व्यवसायिक प्रशिक्षण                  |                                     | निरंक                         | 200.00   | 600 युवाओं को प्रशिक्षण    | 0.00   |                             | निरंक   | 100.00  | 600 युवाओं को प्रशिक्षण    |
| <b>8003 सेटलाइट के माध्यम से शिक्षा</b>                             |                                     |                               |  |                            |  |                             |   |   |                            |
| उच्च तकनीकी माध्यमिक<br>प्राथमिक शिक्षा का संचालन                   |                                     | निरंक                         | 30.00  | 50 टर्मिनल स्थापित<br>करना | 0.61   |                             | निरंक   | 25.00   | 50 स्कूल में संचालन        |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित   | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |  | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |  | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |  |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|---|---|--|
|  |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य                             | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि                                      |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य                             |
| 1  | 2                                   | 3                             | 4  | 5  | 6  | 7  | 8   | 9   | 10                                       |
| <b>विभाग - 25 आदिम जाति कल्याण विभाग</b>   |                                     |                               |  |  |  |  |   |   |  |
| <b>विभागाध्यक्ष - 2506 आयुक्त, आदिवासी विकास</b>   |                                     |                               |  |  |  |  |   |   |  |
| <b>8011 सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओ को प्रोत्साहन</b>  |                                     |                               |  |  |  |  |   |   |  |
| अखिल भारतीय , राज्य<br>प्रशासनिक सेवा के<br>उम्मीदवारों को प्रोत्साहन  | निरंक                               |                               | 50.00  | 750 हितग्राही                            | 9.15   | 30 हितग्राही                                       | निरंक   | 50.00   | 600 हितग्राही                            |
| <b>8012 शैक्षणिक संस्थाओ, आश्रम, छात्रावासो हेतु उत्कृष्टता पुरस्कार</b>   |                                     |                               |  |  |  |  |   |   |  |
| सर्वश्रेष्ठ छात्रावास आश्रम<br>उ.मा.वि. हाईस्कूल को<br>पुरस्कृत करना   | निरंक                               |                               | 32.75  | 353 संस्थाएँ                             | 6.57   | 40 संस्थाएँ  | निरंक   | 36.05   | 360 संस्थाएँ                             |
| <b>8735 अनुसूचित जाति / जनजाति के छात्र / छात्राओं को स्थाई जाति प्रमाण पत्र का प्रदाय</b>                                   |                                     |                               |  |  |  |  |   |   |  |
| अनुसूचित जाति जनजाति<br>के छात्रों को स्थायी जाति<br>प्रमाण पत्र/लेमिनेशन का<br>प्रदाय                                       | निरंक                               |                               | 26.05  | 5000 छात्र                               | 10.56  | 3000 छात्र   | निरंक   | 34.70   | 7000 छात्र                               |
| <b>8799 छात्रावास भवन निर्माण</b>  |                                     |                               |  |  |  |  |   |   |  |
| भवन विहिन छात्रावासों का<br>निर्माण  | निरंक                               |                               | 1,600.00   | 50 अपूर्ण भवन एवं 40<br>नवीन भवन निर्माण | 80.00  | 50 अपूर्ण भवन एवं 20<br>छात्रावास नवीन भवन निर्माण | निरंक   | 1,887.91  | 50 अपूर्ण भवन एवं 40<br>नवीन भवन निर्माण |
| <b>8801 सैनिक स्कूल / निजी संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति / जनजाति के विद्यार्थियों के शुल्क की प्रतिपूर्ति</b>         |                                     |                               |  |  |  |  |   |   |  |
| सैनिक स्कूल/निजी<br>संस्थाओं में अध्ययनरत<br>अनुसूचिता जनजाति के<br>विद्यार्थियों को प्रवेश ,<br>शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति | निरंक                               |                               | 112.25   | 60 विद्यार्थी                            | 49.87  | 60 विद्यार्थी                                      | निरंक   | 126.00  | 80 विद्यार्थी                            |
| <b>8804 राहत योजना</b>   |                                     |                               |  |  |  |  |   |   |  |
| अनुसूचित जनजाति के<br>छात्रों को प्राकृतिक<br>विपदाओं/ बीमार गरीब<br>बच्चों को तुरन्त सहायता<br>पहुंचाना                     | निरंक                               |                               | 45.70  | लक्ष्य निर्धारित नहीं                    | 7.61   | 50 हितग्राही                                       | निरंक   | 62.30   | लक्ष्य निर्धारित नहीं                    |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 25 आदिम जाति कल्याण विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 2506 आयुक्त, आदिवासी विकास**

**8805 प्राथमिक स्तर में बालिकाओं एवं बालको को छात्रवृत्ति**

|   |       |          |                   |          |                    |       |          |                    |
|---|-------|----------|-------------------|----------|--------------------|-------|----------|--------------------|
| प्राथमिक कक्षाओं में<br>अध्ययनरत समस्त छात्र<br>छात्राओं को छात्रवृत्ति | निरंक | 2,291.95 | 15 लाख विद्यार्थी | 1,816.77 | 1389000 विद्यार्थी | निरंक | 2,486.00 | 1680000 विद्यार्थी |
|---|-------|----------|-------------------|----------|--------------------|-------|----------|--------------------|

**8808 सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य**

|  |       |       |                   |      |  |       |       |                          |
|--|-------|-------|-------------------|------|--|-------|-------|--------------------------|
| अनुसूचित जनजाति के<br>शैक्षणिक आर्थिक विकास<br>तथा सामाजिक उत्थान के<br>लिये क्रियान्वित योजनाओं<br>का लाभ सीधे प्राप्त हो सके<br>इस हेतु सूचना प्रौद्योगिकी<br>के माध्यम से योजनाओं को<br>गतिशील बनाना। | निरंक | 60.00 | निर्धारित नहीं है | 0.00 |  | निरंक | 60.00 | लक्ष्य निर्धारित नहीं है |
|--|-------|-------|-------------------|------|--|-------|-------|--------------------------|

**8828 आश्रम शाला भवन निर्माण**

|                                 |       |          |  |        |  |       |          |  |
|---------------------------------|-------|----------|--|--------|--|-------|----------|--|
| भवन विहिन आश्रमों का<br>निर्माण | निरंक | 1,400.00 | 155 अपूर्ण भवन पूर्ण<br>करना एवं 60 नवीन भवन | 125.18 | 155 अपूर्ण भवन पूर्ण करना<br>एवं 60 नवीन भवन | निरंक | 4,187.50 | 155 अपूर्ण भवन पूर्ण<br>करना एवं 40 नवीन भवन |
|---------------------------------|-------|----------|--|--------|--|-------|----------|--|

**8832 आश्रमों / छात्रावासों का सुदृढ़ीकरण**

|   |       |          |                                 |          |                              |  |          |   |
|---|-------|----------|---------------------------------|----------|------------------------------|--|----------|---|
| छात्रावास आश्रमों में विशेष<br>मरम्मत एवं मूलभूत सुविधाएँ<br>उपलब्ध कराना | निरंक | 3,237.08 | 1262 छात्रावास एवं 930<br>आश्रम | 1,220.08 | 1262 छात्रावास एवं 930 आश्रम |  | 1,665.01 | 1262 छात्रावास एवं 930<br>आश्रम एवं 20 नवीन<br>संस्थाएँ |
|---|-------|----------|---------------------------------|----------|------------------------------|--|----------|---|

**8842 विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जाति /जनजाति के अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति**

|  |       |        |                     |       |                    |       |        |                     |
|--|-------|--------|---------------------|-------|--------------------|-------|--------|---------------------|
| विदेश अध्ययन हेतु आवास<br>एवं छात्रवृत्ति शिक्षण<br>शुल्क की प्रतिपूर्ति | निरंक | 100.00 | 10 छात्र / छात्राएँ | 23.17 | 5 छात्र / छात्राएँ | निरंक | 100.00 | 10 छात्र / छात्राएँ |
|--|-------|--------|---------------------|-------|--------------------|-------|--------|---------------------|

**8843 शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु ग्राम पंचायतों को पुरस्कार**

|  |       |       |                 |      |                |       |       |                 |
|--|-------|-------|-----------------|------|----------------|-------|-------|-----------------|
| ग्राम पंचायत क्षेत्र अन्तर्गत<br>शाला जाने योग्य छात्रों का<br>प्रवेश सुरिश्चित कराने हेतु<br>एवं शाला त्याग दर बढ़ाने | निरंक | 22.25 | 89 ग्राम पंचायत | 1.00 | 4 ग्राम पंचायत | निरंक | 22.25 | 89 ग्राम पंचायत |
|--|-------|-------|-----------------|------|----------------|-------|-------|-----------------|



परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 25 आदिम जाति कल्याण विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 2506 आयुक्त, आदिवासी विकास**

हेतु पुरस्कार

**8844 कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजनाएं ( कक्षा नवमी एवं कक्षा ग्यारहवी )**

|   |       |        |                |        |   |       |        |   |
|---|-------|--------|----------------|--------|---|-------|--------|---|
| हायर सेकेण्डरी स्तर तक छात्राओं को अध्ययन हेतु प्रोत्साहन | निरंक | 607.95 | 20000 छात्राएँ | 577.35 | 38572 कक्षा नवमी, 12892 कक्षा ग्यारहवीं | निरंक | 712.61 | 37000 कक्षा नवमी, 11500 कक्षा ग्यारहवीं |
|---|-------|--------|----------------|--------|---|-------|--------|---|

**9817 व्यवसायिक शिक्षा**

|  |       |        |              |        |              |       |        |              |
|--|-------|--------|--------------|--------|--------------|-------|--------|--------------|
| हायर सेकेण्डरी स्कूलों में छात्रों को विभिन्न व्यवसाय अन्तर्गत शिक्षा का प्रशिक्षण | निरंक | 182.35 | स्थापना व्यय | 224.78 | स्थापना व्यय | निरंक | 330.83 | स्थापना व्यय |
|--|-------|--------|--------------|--------|--------------|-------|--------|--------------|

**9818 उच्चतर माध्यमिक शालाओं में पुस्तकालय की स्थापना**

|  |       |       |              |       |              |       |        |              |
|--|-------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------|--------------|
| उ.मा.वि. संस्थाओं में पाठ्यक्रम संबंधी पुस्तकें उपलब्ध कराना । | निरंक | 91.65 | 523 उ.मा.वि. | 51.33 | 523 उ.मा.वि. | निरंक | 104.50 | 543 उ.मा.वि. |
|--|-------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------|--------------|

**9829 संदिग्ध दायित्व निवारण निधि**

|   |       |       |                |      |           |       |       |                |
|---|-------|-------|----------------|------|-----------|-------|-------|----------------|
| आदिवासी क्षेत्रों में विवादास्पद आर्थिक अनुदान संबंधी प्रकरणों में सहायता | निरंक | 11.62 | निर्धारित नहीं | 0.52 | 10 प्रकरण | निरंक | 29.77 | निर्धारित नहीं |
|---|-------|-------|----------------|------|-----------|-------|-------|----------------|

**9846 स्काउट गाईड**

|                                  |       |       |                 |       |                |       |       |                 |
|----------------------------------|-------|-------|-----------------|-------|----------------|-------|-------|-----------------|
| छात्रछात्राओं के सर्वांगीण विकास | निरंक | 60.10 | 1000 विद्यार्थी | 31.34 | 800 विद्यार्थी | निरंक | 48.25 | 1000 विद्यार्थी |
|----------------------------------|-------|-------|-----------------|-------|----------------|-------|-------|-----------------|

**9853 आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास**

|  |       |       |              |       |              |       |       |              |
|--|-------|-------|--------------|-------|--------------|-------|-------|--------------|
| आदिवासियों की मौलिक संस्कृति से जुड़ी लोक कलावस्तुओं को संरक्षित करने हेतु | निरंक | 60.00 | स्थापना व्यय | 10.67 | स्थापना व्यय | निरंक | 60.00 | स्थापना व्यय |
|--|-------|-------|--------------|-------|--------------|-------|-------|--------------|

**9855 वन्या प्रकाशन**

|                                       |       |        |              |      |                                |       |        |                                |
|---------------------------------------|-------|--------|--------------|------|--------------------------------|-------|--------|--------------------------------|
| आदिवासी जनजीवन तथा संस्कृत से संबंधित | निरंक | 346.00 | स्थापना व्यय | 0.00 | स्थापना व्यय एवं फिल्म निर्माण | निरंक | 346.00 | स्थापना व्यय एवं फिल्म निर्माण |
|---------------------------------------|-------|--------|--------------|------|--------------------------------|-------|--------|--------------------------------|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित   | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|  |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1  | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |
| <b>विभाग - 25 आदिम जाति कल्याण विभाग</b>                               |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| <b>विभागाध्यक्ष - 2506 आयुक्त, आदिवासी विकास</b>                       |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| साहित्यों का प्रकाशन तथा<br>स्वशासी संस्था वन्या<br>प्रकाशन की स्थापना |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| <b>विभागाध्यक्ष योग</b>  |                                     |                               | 62,316.52  |              | 39,185.43  |               |   | 72,029.45   |              |
| <b>विभाग</b>   |                                     |                               | 95,474.81  |              | 53,789.06  |               |   | 1,09,584.26   |              |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 26 सामाजिक न्याय विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 2602 संचालक, समाज कल्याण**

**0073 अंध मूक बधिर शालाओं को अनुदान**

|   |  |        |       |        |     |   |        |       |
|---|--|--------|-------|--------|-----|---|--------|-------|
| विभागीय मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाओं को शिक्षण प्रशिक्षण एवं पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराना। | अशासकीय संस्थाओं में निशक्त मूक बधिर दृष्टि बाधित, निशक्त बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं की सहभागिता हेतु अनुदान उपलब्ध कराया गया। | 589.94 | 27175 | 125.83 | 739 | वर्षान्त तक उपलब्धि में कोई कमी नहीं रहेगी। | 933.29 | 21000 |
|---|--|--------|-------|--------|-----|---|--------|-------|

|                               |   |        |       |        |     |                                      |          |       |
|-------------------------------|---|--------|-------|--------|-----|--------------------------------------|----------|-------|
| अंध मूक बधिर शालाओं को अनुदान | 0 | 674.74 | 20000 | 200.00 | 700 | वर्षान्त तक उपलब्धि पूर्ण की जायेगी। | 2,014.89 | 55110 |
|-------------------------------|---|--------|-------|--------|-----|--------------------------------------|----------|-------|

**0075 अंध मूक बधिरों को वृत्तियां**

|   |  |        |      |        |      |                                     |      |   |
|---|--|--------|------|--------|------|-------------------------------------|------|---|
| कक्षा 1 से उच्च शिक्षा तक अध्ययनरत निशक्त नियमित छात्र छात्राओं को शिक्षण/प्रशिक्षण/व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु पात्रतानुसार छात्रवृत्ति प्रदान करना | अध्ययनरत निशक्त नियमित छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है | 472.00 | 2000 | 139.16 | 3215 | वर्षान्त तक उपलब्धि पूर्ण की जायेगी | 0.00 | 0 |
|---|--|--------|------|--------|------|-------------------------------------|------|---|

**0829 किशोर न्याय अधिनियम 1986 का क्रियान्वयन - बालिका किशोर गृह की स्थापना**

|  |                                      |       |   |      |   |                                      |       |   |
|--|--------------------------------------|-------|---|------|---|--------------------------------------|-------|---|
| प्रदेश में संचालित सम्प्रेक्षण गृह के नवीन भवन /अधीक्षक हेतु भवन निर्माण | भवन निर्माण की कार्यवाही प्रचलन में। | 18.00 | 0 | 0.00 | 0 | वर्षान्त तक उपलब्धि पूर्ण की जायेगी। | 70.00 | 0 |
|--|--------------------------------------|-------|---|------|---|--------------------------------------|-------|---|

**0830 किशोर न्याय अधिनियम 1986 के अन्तर्गत किशोर कल्याण बोर्ड का गठन**

|  |   |       |   |      |   |  |        |    |
|--|---|-------|---|------|---|--|--------|----|
| किशोरों के प्रकरणों पर विचार कर निराकरण करने हेतु किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति | प्रदेश के समस्त जिलों में बाल कल्याण समिति/बाल कल्याण बोर्ड का गठन किया गया | 22.00 | 0 | 3.45 | 0 | वर्षान्त तक उपलब्धि पूर्ण कर ली जायेगी | 100.00 | 50 |
|--|---|-------|---|------|---|--|--------|----|

**0831 किशोर न्याय अधिनियम 1986 के क्रियान्वयन हेतु मुख्यालय के लिए कर्मचारीवृंद**

|  |               |       |   |       |   |   |       |   |
|--|---------------|-------|---|-------|---|---|-------|---|
| सुधारात्मक सेवा के योजना के संचालन एवं प्रभावी | कर्मचारी अमला | 14.90 | 0 | 14.68 | 0 | - | 21.41 | 0 |
|--|---------------|-------|---|-------|---|---|-------|---|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेश | निर्धारित प्रदेश<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेश के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेश के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 26 सामाजिक न्याय विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 2602 संचालक, समाज कल्याण**

क्रियान्वयन हेतु मुख्यालय  
स्तर पर कर्मचारी अमला

**0834 किशोर सम्प्रेक्षण गृह विशेष गृह एवं किशोर गृह का उन्नयन**

प्रदेश में संचालित सम्प्रेक्षण  
गृह के भवनों के उन्नयन  
हेतु

उन्नयन की कार्यवाही  
प्रचलन में

30.00 2

0.00 0

वर्षान्त तक भवनों का उन्नयन  
पूर्ण कर लिया जायेगा।

30.00 2

**3923 विकलांगों तथा अपंगों की सहायता के लिए योजना**

कक्षा पहली से उच्च शिक्षा  
तक अध्ययन रत निशक्त  
नियमित छात्र छात्राओं को  
शिक्षण/ प्रशिक्षण/  
व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु  
पात्रतानुसार छात्रवृत्ति एवं  
अनुदान प्रदान करना

अध्ययनरत निशक्त  
नियमित छात्र छात्राओं को  
छात्रवृत्ति प्रदान की जाती  
है

1,002.74 9500

139.16 3215

वर्षान्त तक उपलब्धि पूर्ण कर  
ली जायेगी

792.37 29151

**4114 विश्व विकलांग वर्ष**

विश्व विकलांग सप्ताह के  
रूप में निशक्तजनो के  
शारीरिक मानसिक एवं  
सामर्थ्य प्रदर्शन हेतु

प्रतिवर्ष 3 दिसम्बर को  
निशक्तजनो के सामर्थ्य  
हेतु पेशन हेतु विश्व  
विकलांग वर्ष मनाया जाता  
है

10.00 4875

8.00 4230

—

10.00 5125

**5247 आम आदमी बीमा योजना**

शासन द्वारा स्वाम  
विवेकानंद बीमा योजना  
समाप्त किये जाने के कारण  
यह योजना प्रारंभ की गई  
है

जनकल्याणकारी योजना

1,499.95 1364232

174.96 170237

वर्षान्त तक उपलब्धि पूर्ण की  
जायेगी

0.00 0

**5442 मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना 2007**

इस योजना अतग्रत समस्त  
खेतीहर मजदूर जिनके  
परिवार के किसी सदस्य के  
नाम खेती की भूमि न हो

जनकल्याणकारी योजना

1,000.00 100000

678.08 67808

वर्षान्त तक उपलब्धि पूर्ण की  
जायेगी

2,000.00 200000

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 26 सामाजिक न्याय विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 2602 संचालक, समाज कल्याण**

उनपर लागू की गई है

**5614 जनश्री बीमा योजना**

गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करने वाले शहरी एव ग्रामीण लोग जो म0प्र0 के अन्य योजना मे शामिल नही हे उनके लिये यह योजना लागू की गई है

जनकल्याणकारी योजना

500.00 1000

0.00 0

अन्य विभाग को हस्तान्तरित हो चुकी है

0.00 0

**5758 कुशाभाउ अंशदायी पेंशन योजना**

यह योजना संस्थागत वित्त संचालनालय से स्थानान्तरित हुई है

जनकल्याणकारी योजना

40.00 5000

0.00 0

वर्षान्त तक उपलब्धि पूर्ण की जायेगी

1,955.32 195532

**5772 कुशाभाऊ अंशदायी पेंशन योजना**

यह योजना संस्थागत वित्त संचालनालय से स्थानान्तरित हुई है

जनकल्याणकारी योजना

60.00 5000

0.00 0

वर्षान्त तक उपलब्धि पूर्ण की जायेगी

2,000.00 200000

**5859 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन**

18 से 64 वर्ष के निशक्तजनो को रूपये 200 प्रतिमाह के मान से पेंशन दिये जाने का प्रावधान रखा गया है

पात्रतानुसार पेंशन राशि हितग्राहियो को उपलब्ध कराई जाती है

3,500.00 1750000

255.82 10659

वर्षान्त तक उपलब्धि पूर्ण की जायेगी

3,225.30 134385

**5863 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन**

40 से 64 वष की विधवा महिला को रूपये 200 प्रतिमाह के मान से पेंशन दिये जाने का प्रावधान रखा गया है

पात्रतानुसार पेशन राशि हितग्राहियो को उपलब्ध कराई जाती है

4,500.35 2250000

269.76 11240

वर्षान्त तक उपलब्धि पूर्ण की जायेगी

4,079.10 169960

**6306 आयुक्त निःशक्तजन के कार्यालय की स्थापना**

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 26 सामाजिक न्याय विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 2602 संचालक, समाज कल्याण**

|   |   |           |         |           |        |                                     |           |         |
|---|---|-----------|---------|-----------|--------|-------------------------------------|-----------|---------|
| निशक्तजनो को प्रदाय की गई सुविधाओं का अनुसरण एवं मूल्यांकन  | जनकल्याणकारी योजना  | 12.00     | 0       | 4.99      | 0      | वर्षान्त तक उपलब्धि पूर्ण की जायेगी | 24.42     | 0       |
| <b>6710 दीनदयाल अन्वोदय मिशन को आर्थिक सहायता</b>   |   |           |         |           |        |                                     |           |         |
| प्रदेश में निराश्रित /निर्धन परिवार की कन्याओं के विवाह आयोजन हेतु आर्थिक सहायता  | पात्रतानुसार निर्धन कन्याओं के विवाह आयोजन किये जाते हैं    | 2,500.10  | 33334   | 1,089.53  | 15560  | वर्षान्त तक उपलब्धि पूर्ण की जायेगी | 2,801.15  | 37335   |
| <b>7084 राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना</b>   |   |           |         |           |        |                                     |           |         |
| गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 18 से 65 वर्ष के आयु के कमाउ सदस्य की मृत्यु होने पर राशि रूपये 10000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है | पात्रतानुसार व्यक्तियों को सहायता प्रदान की गई              | 5,300.00  | 53000   | 2,559.40  | 25594  | वर्षान्त तक उपलब्धि पूर्ण की जायेगी | 5,724.52  | 57245   |
| <b>8160 किशोर न्याय अधिनियम 1986 के अंतर्गत संप्रेक्षण गृहों के भवन निर्माण हेतु</b>  |   |           |         |           |        |                                     |           |         |
| प्रदेश में संचालित सम्प्रेक्षण गृह के नवीन भवन के निर्माण हेतु  | भवन निर्माण की कार्यवाही प्रचलन में                         | 10.00     | 2       | 0.00      | 0      | वर्षान्त तक उपलब्धि पूर्ण की जायेगी | 0.00      | 0       |
| <b>8786 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन</b>  |   |           |         |           |        |                                     |           |         |
| निराश्रित वृद्ध व्यक्तियों को 65 वर्ष से अधिक आयु के जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को जीवोपार्जन हेतु सहायता   | निराश्रित/गरीब वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन दी जाती है         | 34,641.67 | 1034440 | 16,871.15 | 702964 | वर्षान्त तक उपलब्धि पूर्ण की जायेगी | 33,645.08 | 1401870 |
| <b>9142 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण</b>   |   |           |         |           |        |                                     |           |         |
| 6 से 14, 14 से अधिक के निशक्तजनो एवं 18 से 64 वर्ष की विधवा /परित्यक्ता महिलाओं तथा 60 से 65  | पात्रतानुसार पेंशन राशि हितग्राहियों को उपलब्ध कराई जाती है | 21,919.98 | 801812  | 9,127.83  | 507100 | वर्षान्त तक उपलब्धि पूर्ण की जायेगी | 31,000.00 | 2423150 |

**परिणामी बजट 2010-2011**

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित   | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|  |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1  | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |
| <b>विभाग - 26 सामाजिक न्याय विभाग</b>  |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| <b>विभागाध्यक्ष - 2602 संचालक, समाज कल्याण</b>                                 |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| वर्ष के निराश्रित वृद्ध<br>व्यक्तियों को रुपये 150 के<br>मान से पेंशन का वितरण |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |
|  |                                     |                               | 78,318.37  |              | 31,661.80  |               |   | 90,426.85   |              |
|  |                                     |                               | 78,318.37  |              | 31,661.80  |               |   | 90,426.85   |              |
|  |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 27 नर्मदा घाटी विकास विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 2702 अध्यक्ष, नर्मदा विकास प्राधिकरण**

**1580 मेक्रोमेनेजमेन्ट योजना**

|  |                                  |          |                                  |        |  |   |          |                                   |
|--|----------------------------------|----------|----------------------------------|--------|--|---|----------|-----------------------------------|
| जल ग्रहण उपचार कार्यो<br>द्वारा मिट्टी के कटाव को<br>रोकना | 2000 हेक्टेयर में उपचार<br>कार्य | 1,472.93 | 6000 हेक्टेयर में उपचार<br>कार्य | 225.80 | 2000 हेक्टेयर में उपचार कार्य<br>प्रगति पर है। | 4000 हेक्टेयर वन क्षेत्र में<br>उपचार कार्य प्रगति पर है। | 1,101.01 | 10000 हेक्टेयर में उपचार<br>कार्य |
|--|----------------------------------|----------|----------------------------------|--------|--|---|----------|-----------------------------------|

**2344 निर्माण कार्य**

|                         |                              |        |                           |        |                           |                     |       |             |
|-------------------------|------------------------------|--------|---------------------------|--------|---------------------------|---------------------|-------|-------------|
| स्थापना एवं उपचार कार्य | उपचार कार्य 1985<br>हेक्टेयर | 652.85 | उपचार कार्य 3000 हेक्टेयर | 281.13 | उपचार कार्य 1985 हेक्टेयर | कार्य प्रगति पर है। | 50.00 | उपचार कार्य |
|-------------------------|------------------------------|--------|---------------------------|--------|---------------------------|---------------------|-------|-------------|

**2422 निष्पादन स्थापना( मुख्य अभियंता निचली नर्मदा परियोजना )**

|   |         |        |                           |      |                           |  |        |         |
|---|---------|--------|---------------------------|------|---------------------------|--|--------|---------|
| वेतन भत्ते एवं मुख्यालय<br>स्थापना हेतु | स्थापना | 100.00 | लक्ष्य निर्धारित नहीं है। | 0.00 | लक्ष्य निर्धारित नहीं है। |  | 100.00 | स्थापना |
|---|---------|--------|---------------------------|------|---------------------------|--|--------|---------|

**2428 निष्पादन स्थापना ( यूनिट- एक एवं यूनिट-दो )**

|   |                         |          |                  |          |                |  |          |                           |
|---|-------------------------|----------|------------------|----------|----------------|--|----------|---------------------------|
| बांध के हाइड्रोमेकेनिकल<br>संचालन के लिए<br>अतिआवश्यक<br>कार्य/कार्यभारित<br>कर्मचारियों के वेतन<br>भत्ते/विद्युत | स्थापना , वि./या. कार्य | 4,307.30 | कोई लक्ष्य नहीं। | 2,268.01 | निर्धारित नहीं |  | 4,224.87 | स्थापना एवं वि./या. कार्य |
|---|-------------------------|----------|------------------|----------|----------------|--|----------|---------------------------|

**2433 निष्पादन स्थापना**

|         |         |        |                           |        |               |  |        |                   |
|---------|---------|--------|---------------------------|--------|---------------|--|--------|-------------------|
| स्थापना | स्थापना | 191.32 | कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं | 103.65 | वास्तविक व्यय |  | 195.19 | स्थापना व्यय हेतु |
|---------|---------|--------|---------------------------|--------|---------------|--|--------|-------------------|

**2872 बरगी नहर व्यपवर्तन योजना**

|  |                                  |           |               |           |               |  |           |                                   |
|--|----------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|--|-----------|-----------------------------------|
| सिंचाई सुविधा, केनाल के<br>ऊपर विद्युत लाईन शिपिंग | 2500 हेक्टेयर , वि./या.<br>कार्य | 13,761.35 | 5000 हेक्टेयर | 11,743.55 | 2500 हेक्टेयर |  | 13,537.57 | 16661 हेक्टेयर , वि./या.<br>कार्य |
|--|----------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|--|-----------|-----------------------------------|

**2884 नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य**

|  |   |           |              |          |              |   |           |   |
|--|---|-----------|--------------|----------|--------------|---|-----------|---|
| सिंचाई सुविधा एवं विद्युत<br>उत्पादन, इ.सा.परि. के<br>अंतर्गत खण्डवा, पुनासा ,<br>नर्मदा नगर कालोनी के<br>जल प्रदाय /विद्युतिकरण | 480 हेक्टेयर , 14<br>कालोनी एवं 8 निरीक्षण<br>गृहों के कालोनियों के<br>विद्युत एवं जल प्रदाय<br>कार्य का रख-रखाव। | 17,796.98 | 480 हेक्टेयर | 8,941.99 | 480 हेक्टेयर | मान.उच्च न्यायालय जबलपुर<br>द्वारा स्थगन होने से कमी। | 21,196.26 | 21395 हेक्टेयर , कालोनी<br>एवं निरीक्षण गृह के<br>(वि./या) पेयजल संबंधी<br>रख-रखाव। |
|--|---|-----------|--------------|----------|--------------|---|-----------|---|



परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित   | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम  | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |                            | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |  | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |                                |
|--|-------------------------------------|--|--|----------------------------|--|--|---|---|--------------------------------|
|  |                                     |  | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य               | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि  |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य                   |
| 1  | 2                                   | 3  | 4  | 5                          | 6  | 7  | 8   | 9   | 10                             |
| <b>विभाग - 27 नर्मदा घाटी विकास विभाग</b>  |                                     |  |  |                            |  |  |   |   |                                |
| <b>विभागाध्यक्ष - 2702 अध्यक्ष, नर्मदा विकास प्राधिकरण</b>   |                                     |  |  |                            |  |  |   |   |                                |
| /कन्ट्रोल स्ट्रक्चर /कार्य<br>का रखरखाव एवं<br>कार्यभारित कर्मचारियों के<br>वेतन भत्ते   |                                     |  |  |                            |  |  |   |   |                                |
| <b>3264 मण्डल स्थापना</b>  |                                     |  |  |                            |  |  |   |   |                                |
| मण्डल स्थापना  |                                     | स्थापना व्यय   | 196.98   | निर्धारित नहीं।            | 118.00   | कार्यालय में कार्यरत<br>अधिकारी/कर्मचारियों के व्यय<br>अनुसार। | —   | 204.86  | स्थापना व्यय।                  |
| <b>3277 मंडल स्थापना ( मुख्य अभियंता निचली नर्मदा परियोजना )</b>   |                                     |  |  |                            |  |  |   |   |                                |
| स्थापना  |                                     | स्थापना  | 162.58   | कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं  | 9.45   | वास्तविक व्यय  |   | 185.32  | स्थापना व्यय हेतु              |
| <b>3296 मण्डल की स्थापना का व्यय ( रा.आ.बा.सा.परि. )</b>   |                                     |  |  |                            |  |  |   |   |                                |
| स्थापना  |                                     | स्थापना  | 106.75   | कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं। | 68.97  | वास्तविक व्यय  |   | 131.68  | स्थापना व्यय हेतु              |
| <b>3313 मत्स्यपालन प्रसार</b>  |                                     |  |  |                            |  |  |   |   |                                |
| जलाशयों में मत्स्य पालन  |                                     | 451 मछुवारों को प्रशिक्षण  | 355.50   | 751 मछुवारों को प्रशिक्षण  | 4.90   | 451 मछुवारों को प्रशिक्षण                                      | नाबार्ड से स्वीकृति प्राप्त नहीं<br>होने के कारण  | 130.04  | 600 मछुवारों को प्रशिक्षण      |
| <b>3556 मुख्यालय स्थापना यूनिट - एक</b>  |                                     |  |  |                            |  |  |   |   |                                |
| स्थापना  |                                     | स्थापना  | 187.45   | कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं  | 103.13   | वास्तविक व्यय  |   | 193.23  | स्थापना व्यय हेतु              |
| <b>3557 मुख्यालय स्थापना</b>   |                                     |  |  |                            |  |  |   |   |                                |
| स्थापना  |                                     | स्थापना  | 288.95   | कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं। | 207.85   | वास्तविक व्यय  |   | 316.91  | स्थापना व्यय हेतु              |
| <b>3561 मुख्यालय स्थापना</b>   |                                     |  |  |                            |  |  |   |   |                                |
| मुख्यालय स्थापना , जल<br>विद्युत परियोजनाओं के<br>सर्वेक्षण निर्माण , संचालन<br>एवं संधारण कार्यों से जुड़े<br>अमले के वेतन भत्तों के<br>भुगतान हेतु राशि<br>प्रावधानित की गई है |                                     | घाटी में उपलब्ध विद्युत<br>क्षमता के आंकलन ,<br>दोहन का कार्य एवं<br>अंतरराज्यीय परियोजनाओं<br>में राज्य हित के संरक्षण<br>का कार्य। | 1,062.66   | सतत प्रक्रिया              | 856.76   | स्थापना मद की राशि   |   | 1,236.81  | स्थापना मद सतत प्रक्रिया<br>है |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 27 नर्मदा घाटी विकास विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 2702 अध्यक्ष, नर्मदा विकास प्राधिकरण**

**4406 सरदार सरोवर के डुबान से प्रभावित क्षेत्र का भू अर्जन तथा अन्य कार्यों पर खर्च**

|  |   |           |   |          |   |   |           |   |
|--|---|-----------|---|----------|---|---|-----------|---|
| मिट्टी के कटाव को रोकना, कठोरा उद्वहन सिंचाई योजना के वि./या. कार्य /कसरावद कालोनी का विद्युत/जल प्रदाय पुनर्वास स्थलों का बाह्य विद्युतिकरण कार्य , मुख्यालय पर स्थित कम्प्यूटर, दूरभाष एवं ई-पीबीएक्स के संधारण कार्य हेतु प्रावधान रखा गया है। विभिन्न पुनर्वास स्थलों पर भवन,मार्ग , पुल-पुलियाओं आंतरित एवं पहुंच मार्ग का डामरीकरण , डिमार्केशन, आवासीय, गैर आवासीय भवनों का रखरखाव, नाली निर्माण, आकस्मिक कार्य योजना , सामाजिक वानिकी वृक्षा रोपण कार्य , कंसलटेंसी एफ.एस.आई., समग्र नर्मदा वेसिन, प्रोजेक्ट कार्य हेल्थ प्लान | 1 सील्ट मानिटरिंग स्टेशन का निर्माण , वि./या. कार्य पुनर्वास स्थलों का बाह्य विद्युतिकरण कार्य , कार्यालयीन , सांख्यिकीय ,शासकीय अभिलेख एवं पुनर्वास तथा जल ग्रहण तथा पुनर्वास संबंधी कार्य योजना तैयार करना, विभिन्न पुनर्वास स्थलों पर विकास कार्य को 29 प्रतिशत करना। कंसलटेंसी एफ.एस.आई., कार्य जारी है समग्र नर्मदा वेसिन कार्य जारी है। प्रोजेक्ट कार्य हेल्थ प्लान कार्य प्रगति पर है। | 13,669.83 | 1 सील्ट मानिटरिंग स्टेशन , कठोरा उद्वहन सिंचाई योजना संबंधी कार्य, पुनर्वास स्थलों का बाह्य विद्युतिकरण कार्य ,विभिन्न पुनर्वास स्थलों पर विकास कार्य को 80 प्रतिशत करना। सामाजिक वानिकी वृक्षा रोपण कार्य , कंसलटेंसी एफ.एस.आई., समग्र नर्मदा वेसिन, प्रोजेक्ट कार्य हेल्थ प्लान | 2,947.34 | 1 सील्ट मानिटरिंग स्टेशन, कठोरा उद्वहन सिंचाई योजना संबंधी कार्य, पुनर्वास स्थलों का बाह्य विद्युतिकरण कार्य ,विभिन्न पुनर्वास स्थलों पर विकास कार्य 18.11 प्रतिशत, कंसलटेंसी एफ.एस.आई., कार्य जारी है समग्र नर्मदा वेसिन कार्य जारी है। प्रोजेक्ट कार्य जारी है। हेल्थ प्लान | निजी भूमि का अधिग्रहण नहीं हो पाने एवं चल रहे कार्यों में ठेकेदारों द्वारा वांछित प्रगति नहीं दिये जाने के कारण पुनर्वास स्थलों के विकास कार्य में कमी। | 10,135.82 | 964 हेक्टेयर में मिट्टी कटाव रोकने हेतु जल ग्रहण क्षेत्र उपचार कार्य, वि./या. कार्य , कार्यालयीन , सांख्यिकीय ,शासकीय अभिलेख एवं पुनर्वास तथा जल ग्रहण तथा पुनर्वास संबंधी कार्य योजना तैयार करना , विभिन्न पुनर्वास ,स्थलों का निर्माण, आंतरिक पहुँच मार्ग का निर्माण, नाली निर्माण, पुल-पुलियाओं, भवनों एवं मार्गों का रख-रखाव. 14.680 हेक्टेयर मे वृक्षारोपण कार्य |
|--|---|-----------|---|----------|---|---|-----------|---|

**4407 सरदार सरोवर परामर्श दात्री समिति राज्य का हिस्सा**

|                                |                                |       |                      |      |                     |       |                      |
|--------------------------------|--------------------------------|-------|----------------------|------|---------------------|-------|----------------------|
| राज्य हिस्से का भुगतान शेष है। | राज्य हिस्से का भुगतान शेष है। | 10.00 | वास्तविक व्यय अनुसार | 0.00 | भुगतान किया जावेगा। | 10.00 | वास्तविक व्यय अनुसार |
|--------------------------------|--------------------------------|-------|----------------------|------|---------------------|-------|----------------------|

**4492 सामान्य व्यय ( विशेष पुलिस )**

|         |         |        |                           |        |               |        |                   |
|---------|---------|--------|---------------------------|--------|---------------|--------|-------------------|
| स्थापना | स्थापना | 334.32 | कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं | 329.52 | वास्तविक व्यय | 648.68 | स्थापना व्यय हेतु |
|---------|---------|--------|---------------------------|--------|---------------|--------|-------------------|

**4641 स्थापना**

|               |                      |       |                      |      |                      |       |                      |
|---------------|----------------------|-------|----------------------|------|----------------------|-------|----------------------|
| डिक्रीधन हेतु | डिक्रीधन का वास्तविक | 40.00 | वास्तविक व्यय अनुसार | 6.95 | वास्तविक व्यय अनुसार | 40.00 | वास्तविक व्यय अनुसार |
|---------------|----------------------|-------|----------------------|------|----------------------|-------|----------------------|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित                                 | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय   | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम   | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |   | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |   | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण   | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |  |
|--|---|---|--|---|--|---|---|---|--|
|  |   |   | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य  | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि   |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य                               |
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   | 8   | 9   | 10   |
| <b>विभाग - 27 नर्मदा घाटी विकास विभाग</b>                  |   |   |  |   |  |   |   |   |  |
| <b>विभागाध्यक्ष - 2702 अध्यक्ष, नर्मदा विकास प्राधिकरण</b> |   |   |  |   |  |   |   |   |  |
| भुगतान   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |
| <b>4647</b>  | <b>जोबट परियोजना ( नाबार्ड )</b>  |   |  |   |  |   |   |   |  |
|  | सिंचाई सुविधा ,<br>गेट/गैलरी/विद्युत एवं<br>कालोनी के वि./या. कार्य   | 9848 हेक्टेयर वि./या.<br>कार्य एवं उनका रखरखाव  | 1,570.00   | 9848 हेक्टेयर   | 647.70   | 9848 हेक्टेयर   |   | 822.24  | वि./या. कार्य , लाईनिंग<br>कार्य           |
| <b>4653</b>  | <b>स्थापना ( मान परियोजना )</b>   |   |  |   |  |   |   |   |  |
|  | स्थापना   | स्थापना   | 39.22  | कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं   | 10.27  | वास्तविक व्यय अनुसार  |   | 20.72   | स्थापना व्यय हेतु                          |
| <b>4654</b>  | <b>स्थापना ( वन प्रकोष्ठ )</b>  |   |  |   |  |   |   |   |  |
|  | स्थापना   | स्थापना   | 718.83   | काई लक्ष्य निर्धारित नहीं।  | 481.88   | वास्तविक व्यय अनुसार  |   | 879.56  | स्थापना व्यय हेतु                          |
| <b>5010</b>  | <b>नर्मदा-क्षिप्रा लिंक परियोजना</b>  |   |  |   |  |   |   |   |  |
|  | सर्वेक्षणाधीन   | सर्वेक्षणाधीन   | 300.00   | सर्वेक्षणाधीन   | 0.00   | सर्वेक्षणाधीन   |   | 400.00  | सर्वेक्षण कार्य हेतु                       |
| <b>5011</b>  | <b>शेयर मछेरेवा शक्कर परियोजना</b>  |   |  |   |  |   |   |   |  |
|  | सर्वेक्षण कार्य योजना<br>अनुमोदन  | सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर   | 200.00   | सर्वेक्षण कार्य   | 30.01  | कार्य प्रगति पर है।   |   | 627.38  | सर्वे कार्य हेतु                           |
| <b>5012</b>  | <b>दूधी परियोजना</b>  |   |  |   |  |   |   |   |  |
|  | सर्वेक्षण कार्य योजना<br>अनुमोदन  | सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर<br>है।  | 100.00   | सर्वेक्षण कार्य   | 50.59  | सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।                                       |   | 186.00  | सर्वे कार्य हेतु                           |
| <b>5013</b>  | <b>मोरान्ड गंजाल परियोजना</b>   |   |  |   |  |   |   |   |  |
|  | सर्वेक्षणाधीन   | सर्वेक्षणाधीन   | 100.00   | सर्वेक्षणाधीन   | 15.33  | सर्वेक्षणाधीन   |   | 480.00  | 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण<br>होना संभावित है |
| <b>5015</b>  | <b>चिन्नी हिरनपुर परियोजना</b>  |   |  |   |  |   |   |   |  |
|  | परियोजना को बहुउद्देशीय<br>परियोजना के रूप में<br>क्रियान्वयन करने का निर्णय<br>लिया गया। परियोजना के<br>डी.पी.आर. बनाने का कार्य | प्रदेश की स्थापित विद्युत<br>उत्पादन क्षमता में 25<br>मेंगावाट की वृद्धि करना<br>एवं कृषि हेतु सिंचाई<br>सुविधा उपलब्ध कराना। | 100.00   | परियोजना की डी.पी.आर.<br>फरवरी 2010 में तैयार होने<br>का लक्ष्य है। | 0.25   | परियोजना की डी.पी.आर.<br>फरवरी 2010 में तैयार होने का<br>लक्ष्य है। | परियोजना की डी.पी.आर.<br>फरवरी 2010 में प्राप्त होने के<br>कारण पूर्ण राशि का उपयोग<br>नहीं हो सकेगा मात्र 67 लाख<br>रु. ही व्यय किया जा सकेगा। | 28.00   | सर्वे कार्य हेतु                           |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 27 नर्मदा घाटी विकास विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 2702 अध्यक्ष, नर्मदा विकास प्राधिकरण**

प्रगति पर है

**5017 सीतारवा परियोजना**

|   |  |       |  |      |   |   |      |   |
|---|--|-------|--|------|---|---|------|---|
| 15 मंगावाट क्षमता के विद्युत गृह का निर्माण निजी क्षेत्र के माध्यम से करना। | राज्य के विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। | 15.00 | परियोजना निजी क्षेत्र को क्रियान्वयन हेतु सौपना। | 0.00 | परियोजना निजी क्षेत्र को क्रियान्वयन हेतु सौप दी गई है। लक्ष्य पूर्ण। | परियोजना निजी क्षेत्र को क्रियान्वयन हेतु सौपने के कारण राशि व्यय नहीं की जा सकी। | 1.20 | निजी क्षेत्र के माध्यम से क्रियान्वयन के कार्यों की मात्र मानीटिरिंग के कार्यों के लिए प्रशासनिक व्यय हेतु राशि प्रावधानित की गयी है। |
|---|--|-------|--|------|---|---|------|---|

**5018 बरगी केनाल बेडपावर हाऊस के परिचालन एवं संधारण व्यय**

|   |  |       |                |      |   |   |       |               |
|---|--|-------|----------------|------|---|---|-------|---------------|
| 10 मंगावाट क्षमता के विद्युत गृह से विद्युत उत्पादन करना। | मानसून की सक्रियता एवं सिंचाई हेतु आवश्यक जल की मात्रा के अनुसार विद्युत उत्पादन करना जो लगभग 50 लाख यूनिट होगा। | 90.00 | सतत प्रक्रिया। | 0.00 | परियोजना से 2.8 मिलियन यूनिट उत्पादन किया गया है। | परियोजना के संचालन एवं संधारण के कार्य एम.पी. जैन से कराए जा रहे हैं। इस कार्यों का एम.ओ.यू.हस्ताक्षरित न होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका। | 90.00 | सतत प्रक्रिया |
|---|--|-------|----------------|------|---|---|-------|---------------|

**5023 इंदिरा सागर केनाल बेडपावर हाऊस के निष्पादन स्थापना**

|  |  |       |  |       |               |  |       |               |
|--|--|-------|--|-------|---------------|--|-------|---------------|
| 15 मंगावाट क्षमता के विद्युत गृह निर्माण हेतु स्थापना व्यय करने के लिए इस मद में राशि प्रावधानित है। | परियोजना के पूर्ण होने से विद्युत उत्पादन में 15 मंगावाट की वृद्धि होगी। | 24.53 | परियोजना को मार्च 2010 तक पूर्ण करना है। | 18.26 | सतत प्रक्रिया |  | 33.50 | स्थापना मद है |
|--|--|-------|--|-------|---------------|--|-------|---------------|

**5090 अपर वेदा परियोजना**

|  |   |          |   |          |   |                      |          |   |
|--|---|----------|---|----------|---|----------------------|----------|---|
| सिंचाई सुविधा, गेट/गैलरी एवं विद्युत व्यवस्था तथा उनका रखरखाव पुनर्वास स्थल पिपल्याबुर्जग के आंतरिक एवं पहुंच मार्ग का निर्माण पुनर्वास स्थल पाल्याखुर्द, सिवना-आभापुरी का उमरीकरण, खेड़ीघाट पर घाट निर्माण, खोई बेटानिया मार्ग का निर्माण | 2600 हेक्टेयर, विद्युत यांत्रिकी कार्यों का निर्माण एवं उनका रखरखाव पुनर्वास स्थल पाल्याखुर्द, सिवना-आभापुरी का डामलीकरण, खेड़ीघाट पर घाट निर्माण, खोई बेटानिया मार्ग का निर्माण कार्य को छोड़कर पुनर्वास स्थल का विकास कार्य | 3,255.01 | 2600 हेक्टेयर, पुनर्वास स्थल पाल्याखुर्द, सिवना-आभापुरी का डामलीकरण, खेड़ीघाट पर घाट निर्माण, खोई बेटानिया मार्ग का निर्माण कार्य को छोड़कर पुनर्वास स्थल का विकास कार्य पूर्ण। | 2,138.82 | 2600 हेक्टेयर, पुनर्वास स्थल पाल्याखुर्द, सिवना-आभापुरी का डामलीकरण, खेड़ीघाट पर घाट निर्माण, खोई बेटानिया मार्ग का निर्माण कार्य को छोड़कर पुनर्वास स्थल का विकास कार्य पूर्ण। | कार्य की प्रगति धीमी | 2,472.24 | 4959 हेक्टेयर, पुनर्वास स्थल पाल्याखुर्द, सिवना-आभापुरी का डामलीकरण, खेड़ीघाट पर घाट निर्माण, खोई बेटानिया मार्ग का निर्माण कार्य |
|--|---|----------|---|----------|---|----------------------|----------|---|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 27 नर्मदा घाटी विकास विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 2702 अध्यक्ष, नर्मदा विकास प्राधिकरण**

कार्य , 100 प्रतिशत।

**5091 लोअर गोई परियोजना**

|   |  |                 |  |                 |   |                                   |                 |   |
|---|--|-----------------|--|-----------------|---|-----------------------------------|-----------------|---|
| <p>मिट्टी के कटाव रोकना , सिंचाई सुविधा/बाह्य विद्युतिकरण, पुनर्वास स्थल पांचपुला (दक्षिण) में आंतरिक मार्ग, पुलियां समतलीकरण, स्टोन फिक्सिंग का कार्य। विभिन्न शासकीय भवनों का निर्माण कार्य। ई.आई.ए./ई.एम.पी., समग्र नर्मदा वेसिन , प्रोजेक्ट कार्य, संबंधी स्वास्थ्य कार्य</p> | <p>विद्युत कार्य, पुनर्वास स्थल पांचपुला (दक्षिण) में आंतरिक मार्ग, पुलियां समतलीकरण, स्टोन फिक्सिंग का कार्य। विभिन्न शासकीय भवनों का निर्माण कार्य। ई.आई.ए./ई.एम.पी., समग्र नर्मदा वेसिन , प्रोजेक्ट कार्य, संबंधी स्वास्थ्य कार्य</p> | <p>7,726.68</p> | <p>25 प्रतिशत (पुनर्वास स्थल का विकास कार्य), ई.आई.ए./ई.एम.पी., समग्र नर्मदा वेसिन , प्रोजेक्ट कार्य, संबंधी स्वास्थ्य कार्य</p> | <p>1,390.47</p> | <p>ई.आई.ए./ई.एम.पी., समग्र नर्मदा वेसिन , प्रोजेक्ट कार्य, संबंधी स्वास्थ्य कार्य प्रगति पर है।</p> | <p>पर्यावरण स्वीकृति अपेक्षित</p> | <p>5,136.68</p> | <p>5000 हेक्टेयर में सिंचाई एवं 6500 हेक्टेयर में उपचार कार्य एन.आर.ई.जी.एस./परियो जना लागत पर स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त, पुनर्वास स्थल पांचपुला (दक्षिण) में आंतरिक मार्ग, पुलियां समतलीकरण, स्टोन फिक्सिंग का कार्य। विभिन्न शासकीय भवनों का निर्माण कार्य। स्वास्थ्य संबंधी कार्य हेतु रु. 3000 लाख ।</p> |
|---|--|-----------------|--|-----------------|---|-----------------------------------|-----------------|---|

**5152 हालोन परियोजना**

|  |   |                 |  |               |  |               |  |
|--|---|-----------------|--|---------------|--|---------------|--|
| <p>ई.आई.ए./ई.एम.पी. , समग्र नर्मदा वेसिन, प्रोजेक्ट कार्य संबंधी स्वास्थ्य कार्य , सर्वेक्षण कार्य योजना अनुमोदन</p> | <p>ई.आई.ए./ई.एम.पी. , समग्र नर्मदा वेसिन, प्रोजेक्ट कार्य संबंधी स्वास्थ्य कार्य , सर्वेक्षण कार्य अंतर्गत हाइड्रोलोजी कास्ट एस्टीमेट एवं पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।</p> | <p>7,470.76</p> | <p>ई.आई.ए./ई.एम.पी. , समग्र नर्मदा वेसिन, प्रोजेक्ट कार्य संबंधी स्वास्थ्य कार्य , परियोजना का सर्वेक्षण कार्य</p> | <p>270.10</p> | <p>ई.आई.ए./ई.एम.पी. , समग्र नर्मदा वेसिन, प्रोजेक्ट कार्य संबंधी स्वास्थ्य कार्य प्रगति पर है। सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।</p> | <p>570.76</p> | <p>स्वास्थ्य संबंधी कार्य रु. 1500 लाख , बांध एवं नहर का निर्माण कार्य एवं भवन निर्माण कार्य ।</p> |
|--|---|-----------------|--|---------------|--|---------------|--|

**5177 परियोजना का हिस्सा एन.एच.डी.सी. को भुगतान**

|                                    |                             |               |                             |             |  |              |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|--|--------------|-----------------------------|
| <p>एन.एच.डी.सी. को भुगतान करना</p> | <p>वास्तविक व्यय अनुसार</p> | <p>200.00</p> | <p>वास्तविक व्यय अनुसार</p> | <p>0.00</p> | <p>वास्तविक व्यय अनुसार लेन-देन में समायोजन किया जावेगा।</p> | <p>43.15</p> | <p>वास्तविक व्यय अनुसार</p> |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|--|--------------|-----------------------------|

**5223 मान परियोजना ( नाबाई )**

|   |  |               |                       |               |                       |               |  |
|---|--|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--|
| <p>सिंचाई सुविधा , बांध के हाइड्रोमैक स्ट्रक्चर विद्युत</p> | <p>15000 हेक्टेयर , वि./या. कार्य / रखरखाव</p> | <p>860.00</p> | <p>15000 हेक्टेयर</p> | <p>430.04</p> | <p>15000 हेक्टेयर</p> | <p>604.00</p> | <p>वि./या. कार्य एवं लाईनिंग कार्य</p> |
|---|--|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित   | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय  | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम   | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |  | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |                                   | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण                                  | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |   |
|--|--|---|--|--|--|-----------------------------------|--|---|---|
|  |  |   | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य   | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि                     |  | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य  |
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5  | 6  | 7                                 | 8  | 9   | 10  |
| <b>विभाग - 27 नर्मदा घाटी विकास विभाग</b>                            |  |   |  |  |  |                                   |  |   |   |
| <b>विभागाध्यक्ष - 2702 अध्यक्ष, नर्मदा विकास प्राधिकरण</b>           |  |   |  |  |  |                                   |  |   |   |
| व्यवस्था , चालन एवं रखरखाव तथा कार्यभारित कर्मचारियों के वेतन भत्ते, |  |   |  |  |  |                                   |  |   |   |
| <b>5287</b>  | <b>संचालक पुनर्वास, खण्डवा तथा अधीनस्थ अधिकारी-जी.आर.ए. इ.सा.प./ऑ.सा.प. तथा आई.टी.आई. की स्थापना</b> |   |  |  |  |                                   |  |   |   |
|  | स्थापना  | स्थापना   | 91.31  | कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं।   | 51.33  | वास्तविक व्यय                     |  | 99.51   | स्थापना व्यय हेतु   |
| <b>5506</b>  | <b>अटेरिया परियोजना</b>  |   |  |  |  |                                   |  |   |   |
|  | सर्वेक्षणाधीन  | सर्वेक्षणाधीन   | 250.00   | सर्वेक्षणाधीन  | 141.10   | सर्वेक्षणाधीन                     |  | 4.00  | सर्वेक्षणाधीन   |
| <b>5709</b>  | <b>नर्मदा नदी के परिक्रमा पथ का निर्माण</b>  |   |  |  |  |                                   |  |   |   |
|  | सर्वेक्षण , योजना प्रतिवेदन  | विस्तृत योजना प्रतिवेदन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जा चुका है।           | 500.00   | सर्वेक्षण कार्य  | 53.87  | सर्वेक्षण कार्य पूर्ण             |  | 0.00  | कार्य पूर्ण   |
| <b>5781</b>  | <b>अपर बुढनेर परियोजना का सर्वे कार्य</b>  |   |  |  |  |                                   |  |   |   |
|  | सर्वेक्षण कार्य , योजना प्रतिवेदन  | सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।   | 75.00  | सर्वेक्षण कार्य  | 33.26  | कार्य प्रगति पर है।               |  | 40.00   | सर्वे कार्य   |
| <b>5782</b>  | <b>राघवपुर, रोसरा, बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना</b>  |   |  |  |  |                                   |  |   |   |
|  | सर्वेक्षण , योजना प्रतिवेदन  | विस्तृत योजना परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत                                 | 50.00  | सर्वेक्षण कार्य  | 0.00   | कार्य प्रगति पर                   |  | 20.00   | सर्वे कार्य   |
| <b>5783</b>  | <b>इन्द्रा बेसिक, एम.एन.आई. स्टेडी</b>   |   |  |  |  |                                   |  |   |   |
|  | सर्वे कार्य  | सर्वे कार्य   | 50.00  | सर्वे कार्य  | 0.00   | कार्य प्रगति पर                   |  | 20.00   | सर्वे कार्य   |
| <b>5784</b>  | <b>सिंचाई परियोजना का सर्वेक्षण</b>  |   |  |  |  |                                   |  |   |   |
|  | सर्वे कार्य  | सर्वे कार्य   | 50.00  | सर्वे कार्य  | 0.00   | कार्य प्रगति पर                   |  | 10.00   | सर्वे कार्य   |
| <b>5785</b>  | <b>गोपालपुर बहुउद्देशीय परियोजना</b>   |   |  |  |  |                                   |  |   |   |
|  | परियोजना के सर्वे शोध कार्य एवं डी.पी.आर तैयार करना  | परियोजना के क्रियान्वयन से विद्युत उत्पादन में 25 मॅगावाट की वृद्धि होगी। | 50.00  | परियोजना के सर्वे शोध कार्य डी.पी.आर. तैयार करने हेतु निविदाकार का | 0.00   | सर्वे एवं शोध कार्य प्रगति पर है। | प्रकृयागत विलम्ब के कारण आपेक्षित लक्ष्यो को प्राप्त नहीं किया जा सका मात्र 15 लाख | 52.00   | परियोजना की डी.पी.आर. तैयार कर आवश्यक स्वीकृतिया प्राप्त कर |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 27 नर्मदा घाटी विकास विभाग

विभागाध्यक्ष - 2702 अध्यक्ष, नर्मदा विकास प्राधिकरण

|             |  |   |           |  |           |   |  |           |   |
|-------------|--|---|-----------|--|-----------|---|--|-----------|---|
|             |  |   |           | चयन करना।                                |           |   | ही व्यय किये जा सकेंगे   |           | निर्माण कार्य प्रारंभ करना                  |
| <b>5786</b> | गोपालपुर से हाण्डिया तक रन आपू रिबर का सर्वे कार्य               |   |           |  |           |   |  |           |   |
|             | सर्वे कार्य  | सर्वे कार्य   | 50.00     | सर्वे कार्य                              | 0.00      | कार्य प्रगति पर   |  | 40.00     | सर्वे कार्य हेतु                            |
| <b>5869</b> | नर्मदा कछार के विकास हेतु मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनायें       |   |           |  |           |   |  |           |   |
|             | सर्वेक्षणाधीन  | सर्वेक्षणाधीन   | 150.01    | सर्वेक्षणाधीन                            | 0.00      | कार्य प्रगति पर   |  | 2,371.00  | 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण होना संभावित         |
| <b>6398</b> | पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना                                       |   |           |  |           |   |  |           |   |
|             | सिंचाई सुविधा  | कार्य प्रगति पर   | 10,000.00 | कार्य प्रगति के आधार पर                  | 12,347.35 | कार्य प्रगति पर   |  | 12,967.15 | 12000 हेक्टेयर                              |
| <b>6399</b> | इंदिरा सागर परियोजना ( यूनिट 1 )                                 |   |           |  |           |   |  |           |   |
|             | एन.एच.डी.सी. को भुगतान हेतु                                      | वास्तविक व्यय अनुसार  | 2,500.00  | वास्तविक व्यय अनुसार                     | 0.00      | वास्तविक व्यय अनुसार लेन-देन में समायोजन द्वारा             |  | 2,500.00  | वास्तविक व्यय अनुसार                        |
| <b>6401</b> | इंदिरा सागर कैनाल बेडपावर हाउस                                   |   |           |  |           |   |  |           |   |
|             | 5 मेंगावाट क्षमता के तीनों इकाईयों को क्रियाशील करना ।           | परियोजना के पूर्ण होने से विद्युत उत्पादन में 15 मेंगावाट की वृद्धि होगी। | 1,350.00  | मार्च 2010 तक पूर्ण करना ।               | 401.32    | 5 मेंगावाट की प्रथम इकाई दिसम्बर 2009 में क्रियाशील की गई । | परियोजना की तीनों इकाईयों को मार्च 2010 तक क्रियाशील किया जाना संभावित है। अतः इकाईयों के क्रियाशील होने के उपरांत भुगतान के दायित्व अगले वित्त वर्ष में देय होंगे इस कारण पूर्ण राशि का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। | 381.49    | परियोजना के संचालन संधारण के कार्य करना।    |
| <b>6402</b> | बरगी कैनाल बेडपावर हाउस  |   |           |  |           |   |  |           |   |
|             | विद्युत उत्पादन करना   | राज्य के विद्युत उत्पादन क्षमता में 10 मेंगावाट की वृद्धि होगी।           | 20.00     | सतत प्रक्रिया कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं। | 8.43      | वास्तविक व्यय अनुसार  | राशि का पूर्ण उपयोग कर लिया जावेगा   | 45.72     | परियोजना के संचालन एवं संधारण के कार्य करना |
| <b>6403</b> | इंदिरा सागर परियोजना यूनिट 1 का हिस्सा एन. एच. डी. सी. को भुगतान |   |           |  |           |   |  |           |   |
|             | एन.एच.डी.सी. को भुगतान हेतु                                      | वास्तविक व्यय अनुसार  | 2,700.00  | वास्तविक व्यय के आधार पर                 | 0.00      | वास्तविक व्यय अनुसार लेन-देन में समायोजन बावत्।             |  | 2,700.00  | वास्तविक व्यय के आधार पर                    |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित  | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय  | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10)  |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां  |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये)  |                   |
|---|--|-------------------------------|---|--------------|---|---------------|---|--|-------------------|
|   |  |                               | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि   | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य      |
| 1   | 2  | 3                             | 4   | 5            | 6   | 7             | 8   | 9  | 10                |
| <b>विभाग - 27 नर्मदा घाटी विकास विभाग</b>   |  |                               |   |              |   |               |   |  |                   |
| <b>विभागाध्यक्ष - 2702 अध्यक्ष, नर्मदा विकास प्राधिकरण</b>  |  |                               |   |              |   |               |   |  |                   |
| <b>6715 जोबट परियोजना</b>   |  |                               |   |              |   |               |   |  |                   |
| स्थापना   | स्थापना  |                               | 104.91  | निरन्तर      | 60.27   | वास्तविक व्यय |   | 96.20  | स्थापना व्यय हेतु |
| <b>6797 केचमेंट एरियाट्रीटमेंट</b>  |  |                               |   |              |   |               |   |  |                   |
| मिट्टी का कटाव रोकना ,<br>इंदिरा सागर परियोजना<br>कालोनी नर्मदा नगर में जल<br>प्रदाय संबंधी व्यवस्था का<br>रखरखाव/कार्यभारित<br>कर्मचारियों के वेतन भत्ते ,<br>गत वर्षों के रोपण क्षेत्रों का<br>रखरखाव कार्य 2937.083<br>हेक्टेयर में, कैड प्लांट<br>कंसरटैंसी , समग्र नर्मदा<br>वेसिन , हेल्थ प्लान<br>,एन.सी.ए.ई.आर. कंसरटैंसी | नर्मदा नगर की पेय जल<br>व्यवस्था , 1 सील्ट<br>मानीटिरिंग स्टेशन , रोपण<br>क्षेत्रों का रखरखाव कार्य<br>2937.083 में कराया जा<br>रहा है , कैड प्लान<br>कंसरटैंसी का कार्य जारी<br>है, समग्र नर्मदा वेसिन<br>कार्य जारी है, हेल्थ प्लान<br>कार्य प्रगति पर है ,<br>एन.सी.ए.ई.आर.कंसरटैंसी<br>कार्य प्रगति पर है। | 951.70                        | 1 सील्ट मानीटिरिंग<br>स्टेशन, गत वर्षों के रोपण<br>क्षेत्रों का रखरखाव कार्य<br>2937.083 हेक्टेयर में , कैड<br>प्लान कंसरटैंसी , समग्र<br>नर्मदा वेसिन, हेल्थ<br>प्लान,एन.सी.ए.ई.आर.कंसर<br>टैंसी | 614.29       | 1 सील्ट मानीटिरिंग स्टेशन<br>,गत वर्षों के रोपण क्षेत्रों का<br>रखरखाव कार्य 2937.083<br>हेक्टेयर में, कैड प्लान<br>कंसरटैंसी ,समग्र नर्मदा वेसिन,<br>हेल्थ<br>प्लान,एन.सी.ए.ई.आर.कंसरटैंसी |               | 900.00  | 650 हेक्टेयर में उपचार<br>कार्य (एन.एच.डी.सी.<br>डिपॉजिट कार्य), 312.153<br>हेक्टेयर में रोपण क्षेत्रों का<br>रखरखाव |                   |
| <b>6818 सरदार सरोवर परियोजना के परिचालन एवं संधारण व्यय</b>   |  |                               |   |              |   |               |   |  |                   |
| परियोजना से उत्पादित<br>विद्युत से राज्य अंश 826.5<br>मेंगावाट प्राप्त करना   | राज्य को अपने हिस्से की<br>विद्युत उपलब्ध होगी।  | 900.00                        | सतत प्रक्रिया   | 0.00         | राज्य को अपने हिस्से की<br>विद्युत उपलब्ध हो रही है।  |               | 900.00  | परियोजना के संचालन एवं<br>संधारण के कार्य करना।  |                   |
| <b>6942 ओंकारेश्वर नहर शीर्ष विद्युत गृह</b>  |  |                               |   |              |   |               |   |  |                   |
| परियोजना के एक मुश्त<br>क्रियान्वयन हेतु निविदाकार<br>का चयन कर कार्य प्रारंभ<br>करना   | प्रदेश की विद्युत उत्पादन<br>क्षमता में 3.5 मेंगावाट की<br>वृद्धि करना   | 400.00                        | परियोजना के एकमुश्त<br>क्रियान्वयन हेतु निविदाकार<br>चयन के लिये निविदायें<br>आमंत्रित करना।  | 0.00         | परियोजना के एकमुश्त<br>क्रियान्वयन हेतु निविदाकार<br>चयन के लिये निविदायें<br>2010 में आमंत्रित की जा रही<br>है।  |               | 160.00  | परियोजना के डिजाइन<br>इंजीनियारिंग कार्य पूर्ण कर<br>परियोजना का सिविल<br>कार्य प्रारंभ करना।                        |                   |
| <b>7053 मुख्य अभियंता ( वि./यां ) मुख्यालय स्थापना</b>  |  |                               |   |              |   |               |   |  |                   |
| अधिकारी /कर्मचारियों का<br>वेतन भत्ते एवं कार्यालयीन<br>व्यय  | स्थापना व्यय   | 71.51                         | कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं।  | 0.00         | वास्तविक व्यय   |               | 76.71   | स्थापना संबंधी व्यय हेतु   |                   |



परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित   | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय   | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |  | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |                                | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण                               | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |   |
|--|---|-------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|---|---|
|  |   |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य   | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि                  |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य  |
| 1  | 2   | 3                             | 4  | 5  | 6  | 7                              | 8   | 9   | 10  |
| <b>विभाग - 27 नर्मदा घाटी विकास विभाग</b>  |   |                               |  |  |  |                                |   |   |   |
| <b>विभागाध्यक्ष - 2702 अध्यक्ष, नर्मदा विकास प्राधिकरण</b>   |   |                               |  |  |  |                                |   |   |   |
| <b>7434 नर्मदा नदी के के जलाशयों में जल मार्ग परिवहन व्यवस्था</b>  |   |                               |  |  |  |                                |   |   |   |
| केन्द्र प्रवर्तित योजना  | केन्द्र शासन से राशि प्राप्त नहीं हुई ।   |                               | 100.00   | घाटों का निर्माण करना।   | 0.00   | केन्द्र से राशि प्राप्त नहीं।  | केन्द्र से राशि प्राप्त नहीं।   | 4.00  | जल मार्ग परिवहन व्यवस्था हेतु   |
| <b>7444 गारलैंडिंग योजना</b>   |   |                               |  |  |  |                                |   |   |   |
| इंदिरा सागर जलाशय की परिधि पर खण्डवा जिले में स्थित 128 ग्रामों के कृषकों को सिंचाई हेतु विद्युत उपलब्ध कराना , हरदा जिले में स्थित 73 ग्रामों के कृषकों को सिंचाई हेतु 2600 हेक्टेयर में विद्युत उपलब्ध कराना । | 19000 हेक्टेयर में सिंचाई हेतु विद्युत उपलब्ध होगी। योजना पूर्ण होने पर हरदा जिले के 73 ग्रामों को कृषकों को सिंचाई हेतु उच्च गुणवत्त की विद्युत उपलब्ध होगी। |                               | 2,022.28   | परियोजना 31 मार्च 2010 तक पूर्ण करना। हरदा जिले की योजना क्रियान्वयन हेतु निविदाकार का चयन करना। | 0.11   | परियोजना लगभग 90 प्रतिशत पूर्ण |   | 930.11  | हरदा जिले में क्रियान्वयन हेतु प्रतिष्ठान का चयन कर लगभग 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण करना।   |
| <b>7445 जल विद्युत परियोजनाओं के सर्वेक्षण कार्य</b>   |   |                               |  |  |  |                                |   |   |   |
| मास्टर प्लान के तहत चिन्हित परियोजनाओं के सर्वेक्षण एवं डी.पी.आर. बनाने के कार्य करना।   | नवीन मास्टर प्लान के अंतर्गत 182 परियोजना स्थलों का चयन किया गया जिनकी विद्युत उत्पादन क्षमता 186 मेंगावाट आंकलित की गई ।                                     |                               | 20.00  | बरगी दाई तट नहर शीर्ष विद्युत गृह के सर्वेक्षण एवं डी.पी.आर. बनाने हेतु निविदाएं आमंत्रित करना।  | 0.32   | सर्वे कार्य                    | प्रशासन एवं निर्देशन कार्य हेतु प्रावधान रखा गया था जिसको पूर्ण कर लिया जावेगा। | 45.00   | नवीन मास्टर प्लान के अंतर्गत 182 परियोजना स्थलों का चयन किया गया जिनकी विद्युत उत्पादन क्षमता 186 मेंगावाट आंकलित की गई इन परियोजना स्थलों के सर्वे एवं शोध कार्य |
| <b>8151 नर्मदा नियंत्रण मंडल</b>   |   |                               |  |  |  |                                |   |   |   |
| स्थापना  | स्थापना   |                               | 14.68  | निरन्तर  | 8.48   | वास्तविक व्यय                  |   | 10.97   | स्थापना व्यय हेतु   |
| <b>8155 निचली नर्मदा परियोजना</b>  |   |                               |  |  |  |                                |   |   |   |
| स्थापना  | स्थापना   |                               | 266.53   | निरन्तर  | 189.69   | वास्तविक व्यय                  |   | 246.08  | स्थापना व्यय हेतु   |
| <b>8191 निष्पादन स्थापना ( यूनिट - दो )</b>  |   |                               |  |  |  |                                |   |   |   |
| रानी अबंती बाई लोधी सागर परियोजना के   | स्थापना संबंधी व्यय   |                               | 1,518.59   | कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं।   | 1,044.55   | वास्तविक व्यय                  |   | 1,585.49  | स्थापना व्यय हेतु   |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 27 नर्मदा घाटी विकास विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 2702 अध्यक्ष, नर्मदा विकास प्राधिकरण**

अधीनस्थ संभागों में कार्यरत  
अधिकारी / कर्मचारी के  
वेतन भत्ते एवं कार्यालयीन  
व्यय

**8822 अपर नर्मदा परियोजना**

ई.आई.ए./ई एम पी, समग्र  
नर्मदा वेसिन, प्रोजेक्ट कार्य  
संबंधी स्वास्थ्य कार्य,  
सर्वेक्षण कार्य योजना  
अनुमोदन

ई.आई.ए./ई एम पी,  
समग्र नर्मदा वेसिन,  
प्रोजेक्ट कार्य संबंधी  
स्वास्थ्य कार्य, हाइड्रोलोजी  
एवं कास्ट एस्टीमेट का  
कार्य प्रगति पर है।

8,500.00

ई.आई.ए./ई एम पी, समग्र  
नर्मदा वेसिन, प्रोजेक्ट कार्य  
संबंधी स्वास्थ्य कार्य, एवं  
सर्वेक्षण कार्य

6.78

ई.आई.ए./ई एम पी, समग्र  
नर्मदा वेसिन, प्रोजेक्ट कार्य  
संबंधी स्वास्थ्य कार्य, प्रगति पर  
है। सर्वेक्षण कार्य भी प्रगति पर  
है।

104.00

स्वास्थ्य संबंधी कार्य हेतु  
रु. 1500 लाख , बांध एवं  
नहर का निर्माण कार्य

**8824 राघवपुर परियोजना**

परियोजना को बहुउद्देशीय  
परियोजना के रूप में  
क्रियान्वयन हेतु डी.पी.आर.  
तैयार कराई गई है  
डी.पी.आर. प्राप्त हो चुकी है  
परियोजना के क्रियान्वयन  
हेतु कार्यवाही प्रारंभ की जा  
रही है।

परियोजना के पूर्ण होने से  
राज्य के विद्युत उत्पादन  
क्षमता में 18 मेगावाट की  
वृद्धि होगी।

15.00

परियोजना को  
बहुउद्देशीय परियोजना के  
रूप में क्रियान्वयन हेतु  
डी.पी.आर. तैयार करना।

5.00

बहुउद्देशीय परियोजना के रूप  
में क्रियान्वयन हेतु डी.पी.आर.  
तैयार हो गई है।

परियोजना की डीपीआर प्राप्त  
होने के उपरान्त 60 प्रतिशत  
राशि का भुगतान कर दिया  
गया है। शेष भुगतान डीपीआर  
के भारत शासन के विभिन्न  
मंत्रालयों से स्वीकृति प्राप्त  
करने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

2.40

परियोजना की डीपीआर  
तैयार कर निर्माण कार्य  
प्रारंभ करना।

**8825 बसानिया परियोजना**

परियोजना को बहुउद्देशीय  
परियोजना के रूप में  
क्रियान्वयन हेतु डी.पी.आर.  
तैयार कराई गई है  
डी.पी.आर. प्राप्त हो चुकी है  
परियोजना के क्रियान्वयन  
हेतु कार्यवाही प्रारंभ की जा  
रही है।

परियोजना के पूर्ण होने से  
राज्य के विद्युत उत्पादन  
क्षमता में 18 मेगावाट की  
वृद्धि होगी।

15.00

परियोजना को  
बहुउद्देशीय परियोजना के  
रूप में क्रियान्वयन हेतु  
डी.पी.आर. तैयार करना।

5.00

बहुउद्देशीय परियोजना के रूप  
में क्रियान्वयन हेतु डी.पी.आर.  
तैयार हो गई है।

परियोजना की डीपीआर प्राप्त  
होने के उपरान्त 60 प्रतिशत  
राशि का भुगतान कर दिया  
गया है। शेष भुगतान डीपीआर  
के भारत शासन के विभिन्न  
मंत्रालयों से स्वीकृति प्राप्त  
करने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

2.40

परियोजना की डीपीआर  
तैयार कर निर्माण कार्य  
प्रारंभ करना।

**8826 रोसरा परियोजना**

परियोजना को बहुउद्देशीय  
परियोजना के रूप में

परियोजना के पूर्ण होने से  
राज्य के विद्युत उत्पादन

15.00

परियोजना को  
बहुउद्देशीय परियोजना के

5.00

बहुउद्देशीय परियोजना के रूप  
में क्रियान्वयन हेतु डी.पी.आर.

परियोजना की डीपीआर प्राप्त  
होने के उपरान्त 60 प्रतिशत

2.40

परियोजना की डीपीआर  
तैयार कर निर्माण कार्य

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित                                  | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय  | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम   | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |  | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |  | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण   | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |   |
|---|--|---|--|--|--|--|---|---|---|
|   |  |   | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य   | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि  |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य  |
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  | 8   | 9   | 10  |
| <b>विभाग - 27 नर्मदा घाटी विकास विभाग</b>                   |  |   |  |  |  |  |   |   |   |
| <b>विभागाध्यक्ष - 2702 अध्यक्ष, नर्मदा विकास प्राधिकरण</b>  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |
|   | क्रियान्वयन हेतु डी.पी.आर.<br>तैयार कराई गई है<br>डी.पी.आर. प्राप्त हो चुकी है<br>परियोजना के क्रियान्वयन<br>हेतु कार्यवाही प्रारंभ की जा<br>रही है। | क्षमता में 18 मेंगावाट की<br>वृद्धि होगी।   |  | रूप में क्रियान्वयन हेतु<br>डी.पी.आर. तैयार करना।  |  | तैयार हो गई है।  | राशि का भुगतान कर दिया<br>गया है। शेष भुगतान डीपीआर<br>के भारत शासन के विभिन्न<br>मंत्रालयों से स्वीकृति प्राप्त<br>करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। |   | प्रारंभ करना।   |
| <b>9000 रानी अवन्ती बाई सागर परियोजना जबलपुर - युनिट-दो</b> |  |   |  |  |  |  |   |   |   |
|   | केनाल में विद्युत लाईन<br>शिफ्टिंग तथा केनाल गेट<br>मरम्मत, सिंचाई क्षमता<br>बढ़ाना  | इकाई 2 के विद्युत<br>यांत्रिकी संबंधी कार्य,<br>3880 हेक्टेयर में सिंचाई<br>क्षमता बढ़ाई  | 4,008.10   | 9959 हेक्टेयर  | 2,325.31   | 3880 हेक्टेयर  | कार्य की धीमी गति।  | 3,969.37  | इकाई 2 के विद्युत<br>यांत्रिकी संबंधी कार्य,<br>3500 हेक्टेयर में सिंचाई<br>क्षमता बढ़ाना                         |
| <b>9091 औंकारेश्वर परियोजना</b>                             |  |   |  |  |  |  |   |   |   |
|   | सिंचाई सुविधा, मिट्टी का<br>कटाव रोकना, विद्युत<br>यांत्रिकी कार्य, गत वर्षों के<br>रोपण क्षेत्रों का रखरखाव<br>कार्य 1707.819 हेक्टेयर,             | 9000 हेक्टेयर, 1 सील्ट<br>मानिटिरिंग स्टेशन, गत<br>वर्षों के रोपण क्षेत्रों का<br>रखरखाव कार्य 1707.819<br>हेक्टेयर में कराया जा रहा<br>है। | 28,375.69  | 20000 हेक्टेयर सिंचाई<br>सुविधा, 100 हेक्टेयर<br>उपचार कार्य, 1 सील्ट<br>मानिटिरिंग स्टेशन, गत<br>वर्षों के रोपण क्षेत्रों का<br>रखरखाव कार्य 1707.819<br>हेक्टेयर | 6,134.91   | 9000 हेक्टेयर सिंचाई सुविधा,<br>1 सील्ट मानिटिरिंग स्टेशन<br>, गत वर्षों के रोपण क्षेत्रों का<br>रखरखाव कार्य 1707.819<br>हेक्टेयर | मान. न्यायालय द्वारा स्थगन,   | 25,846.60   | 55460 हेक्टेयर मान.<br>न्यायालय द्वारा स्थगन<br>हटाने पर ही संभव है,<br>1655 हेक्टेयर रोपण क्षेत्रों<br>का रखरखाव |
| <b>9133 सरदार सरोवर परियोजना</b>                            |  |   |  |  |  |  |   |   |   |
|   | म.प्र. राज्य का हिस्सा<br>गुजरात शासन को देय   | वास्तविक व्यय अनुसार  | 105.97   | वास्तविक व्यय के आधार<br>पर  | 0.00   | वास्तविक व्यय के आधार पर<br>लेन-देन में समायोजन बावत्।   |   | 86.31   | वास्तविक व्यय अनुसार  |
| <b>विभागाध्यक्ष योग</b>                                     |  |   | 1,42,759.06  |  | 57,137.09  |  |   | 1,22,252.59   |   |
| <b>विभाग</b>  |  |   | 1,42,759.06  |  | 57,137.09  |  |   | 1,22,252.59   |   |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित   | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |  | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |  | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |  |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|---|---|--|
|  |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य   | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि  |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य   |
| 1  | 2                                   | 3                             | 4  | 5  | 6  | 7  | 8   | 9   | 10   |
| <b>विभाग - 29 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग</b>   |                                     |                               |  |  |  |  |   |   |  |
| <b>विभागाध्यक्ष - 2902 संचालक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति</b>  |                                     |                               |  |  |  |  |   |   |  |
| <b>6242 मिट्टी तेल के सार्वजनिक वितरण के लिये सार्वजनिक क्षेत्रों के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता</b> |                                     |                               |  |  |  |  |   |   |  |
|  |                                     |                               | 205.27   | 50 जिलों में मिट्टी तेल के<br>वितरण संग्रहण एवं<br>भंडारण के लिये टंकी क्रय<br>करना। | 205.27   | सभी संबंधित जिलों को<br>आवश्यकतानुसार आवंटन<br>उपलब्ध करा दिया गया है। |   | 300.00  | 50 जिलों में मिट्टी तेल<br>के वितरण संग्रहण एवं<br>भंडारण के लिये टंकी क्रय<br>करना। |
| <b>9214</b>  | <b>आयोडीनयुक्त नमक का वितरण</b>     |                               | 306.15   |  | 0.00   |  |   | 0.00  |  |
|  | <b>विभागाध्यक्ष योग</b>             |                               | 511.42   |  | 205.27   |  |   | 300.00  |  |
|  | <b>विभाग</b>                        |                               | 511.42   |  | 205.27   |  |   | 300.00  |  |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 30 संस्कृति विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 3004 संचालक, राजभाषा एवं संस्कृति**

**0285 अर्थाभावग्रस्त ख्याति प्राप्त साहित्यकारों/कलाकारों को वित्तीय सहायता**

|  |  |      |  |      |  |  |       |  |
|--|--|------|--|------|--|--|-------|--|
| प्रदेश के ऐसे ख्यातिप्राप्त साहित्यकार/कलाकारों को योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारी के इलाज हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। |  | 8.00 |  | 0.00 |  |  | 11.00 |  |
|--|--|------|--|------|--|--|-------|--|

**3747 राष्ट्रीय पुरस्कार**

|   |  |        |  |      |  |  |        |  |
|---|--|--------|--|------|--|--|--------|--|
| म.प्र. शासन द्वारा स्थापित 15 राष्ट्रीय एवं 3 राज्य स्तरीय सम्मान/पुरस्कार दिये जाते हैं। |  | 100.05 |  | 0.00 |  |  | 105.00 |  |
|---|--|--------|--|------|--|--|--------|--|

**5494 रामपथ विकास**

|   |  |      |  |      |  |  |       |  |
|---|--|------|--|------|--|--|-------|--|
| देश के वरिष्ठ साहित्यकारों को सृजन के लिये निश्चित एवं उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिये सृजनपीठ की स्थापना। |  | 1.00 |  | 0.00 |  |  | 10.00 |  |
|---|--|------|--|------|--|--|-------|--|

**5753 समारोह के आयोजन हेतु अनुदान**

|  |  |       |  |      |  |  |       |  |
|--|--|-------|--|------|--|--|-------|--|
| प्रदेश की कला एवं संस्कृति के साथ ही भारतीय संस्कृति से परिचित कराने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। इसमें जनता को देश तथा प्रदेश कला एवं संस्कृति का ज्ञान होता है। |  | 20.00 |  | 0.00 |  |  | 20.00 |  |
|--|--|-------|--|------|--|--|-------|--|

**6042 रवीन्द्र भवन का स्थापना व्यय**

|                        |  |       |  |      |  |  |       |  |
|------------------------|--|-------|--|------|--|--|-------|--|
| रवीन्द्र भवन सभागृह को |  | 20.00 |  | 0.00 |  |  | 20.00 |  |
|------------------------|--|-------|--|------|--|--|-------|--|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 30 संस्कृति विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 3004 संचालक, राजभाषा एवं संस्कृति**

वर्ष भर  
सांस्कृतिक/साहित्यिक  
आयोजनों के लिये उपलब्ध  
कराना।

**6368 अशासकीय संस्थाओं को पोषण अनुदान**

साहित्यिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के विकास में संलग्न प्रदेश की गैर शासकीय संस्थाओं की गतिविधियों को प्रोत्साहित, विकसित करने के उद्देश्य से संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

|       |      |        |
|-------|------|--------|
| 80.00 | 0.00 | 100.00 |
|-------|------|--------|

**6377 भारत भवन को विकास अनुदान**

भारत भवन की बहुआयामी गतिविधियों के लिये समकालीन चित्रों, मूर्ति, शिल्पों, शास्त्रीय संगीत एवं नृत्यों साहित्यिक गतिविधियों, नाटकों और आदिवासी लोक विधाओं की गतिविधियों हेतु।

|       |      |      |
|-------|------|------|
| 50.00 | 0.00 | 0.00 |
|-------|------|------|

**7073 म.प्र. संस्कृति परिषद -विकास अनुदान**

संस्कृति परिषद के अंतर्गत कालिदास, उस्ताद अलाउद्दीन खॉ संगीत एवं कला, आदिवासी लोक कला, साहित्य, इस प्रकार कुल चार अकादमियां कार्यरत हैं। परिषद द्वारा हिन्दी,संस्कृत सिंधी,कालिदास,तुलसी एवं इकबाल साहित्य,शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य समकालीन

|        |      |        |
|--------|------|--------|
| 147.00 | 0.00 | 151.00 |
|--------|------|--------|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 30 संस्कृति विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 3004 संचालक, राजभाषा एवं संस्कृति**

रंगकर्म एवं रूपंकर कलाओं तथा आदिवासी एवं लोक कलाओं के संरक्षण और विकास के कार्य किये जाते हे।

**8835 मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद**

आदिवासी एवं लोक संस्कृति और परम्पराओं की लुप्त हो रही कलाओं को संरक्षित, विकसित, प्रोत्साहित एवं परिमार्जित करने और भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करने का प्रयास।

199.57

0.00

205.00

**विभागाध्यक्ष योग**

625.62

0.00

622.00

**विभागाध्यक्ष - 3005 आयुक्त, पुरातत्व एवं संग्रहालय**

**0758 कंजर्वेशन एवं संवर्धन**

संरक्षित स्मारकों का अनुरक्षण एवं रसायनिक संरक्षण कार्य।

स्मारकों के अनुरक्षण, रसायनिक संरक्षण कार्य से स्मारकों की सुरक्षा व्यवस्था बनी रहेगी।

57.00

25 स्मारकों का अनुरक्षण कार्य, 6 स्मारकों एवं 1000 पुरावशेषों का रसायनीकरण कार्य।

3.96

6 स्मारकों पर अनुरक्षण कार्य 3 स्मारकों का रसायनीकरण कार्य।

49.70

11 स्मारकों में अनुरक्षण तथा 3 स्मारकों एवं 500 पुरावशेषों का रसायनिक संरक्षण कार्य।

**2626 पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 पुरावशेषों का पंजीकरण**

पुरावशेषों का पंजीकरण।

पुरावशेषों का पंजीकरण किया जाना।

18.62

वेतन भत्तों का भुगतान। 120 पुरावशेषों का पंजीयन।

11.06

80 पुरावशेषों का पंजीयन।

19.62

अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान। 120 पुरावशेषों का पंजीयन।

**3675 राज्य पुरालेख संचालनालय**

इस योजना के अंतर्गत देश विदेश के शोध छात्रों का अभिलेख उपलब्ध कराना तथा शासन एवं व्यक्तिगत

इस योजना के अंतर्गत देश विदेश के शोध छात्रों को अभिलेख उपलब्ध कराना तथा शासन एवं

8.00

2 अभिलेख प्रदर्शनियों का आयोजन, 8000 अभिलेखों का वैज्ञानिक ढंग से दुरुस्तीकरण, 30000

6.60

2 प्रदर्शनियों का आयोजन, 8175 अभिलेखों का वैज्ञानिक ढंग से दुरुस्तीकरण, जबलपुर डिवीजन के रिकार्ड के 7250 अभिलेखों

18.70

8000 अभिलेखों का दुरुस्तीकरण कार्य 30000 अभिलेखों की माइक्रोफिल्म तैयार करना, 1 विभाग के

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 30 संस्कृति विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 3005 आयुक्त, पुरातत्व एवं संग्रहालय**

अभ्यर्थियों से प्राप्त मांग पत्र अनुसार अभिलेख खोज कर उपलब्ध कराना एवं अभिलेखों को सुरक्षित रखने हेतु उनकी माइक्रोफिल्मिंग एवं दुरुस्तीकरण कार्य किये जाते हैं।

व्यक्तिगत अभ्यर्थियों से प्राप्त मांग पत्रानुसार अभिलेख खोजकर उपलब्ध कराना एवं अभिलेखों को सुरक्षित रखने हेतु उनकी माइक्रोफिल्मिंग एवं दुरुस्तीकरण कार्य किये जाते हैं। जिससे पुरासम्पदा की रक्षा होगी।

अभिलेखों की माइक्रोफिल्मिंग, मध्य भारत राज्य के 2 विभागों की नस्तियों का रिफरेंस मीडिया के अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण कार्य।

की माइक्रोफिल्म तैयार की गई 1 विभाग की नस्तियों का कम्प्यूटरीकरण कार्य।

अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण कार्य, 2 अभिलेख प्रदर्शनियों का आयोजन कार्य।

**4283 संग्रहालय**

प्रदेश के संग्रहालयों का उन्नयन, विकास कार्य एवं जिला पुरातत्व संघों को अनुदान दिया जाना।

प्रदेश के संग्रहालयों का उन्नयन एवं विकास कार्य से संग्रहालयों में दर्शकों की संख्या में वृद्धि होगी। जिला पुरातत्व संघों को अनुदान दिया जा सकेगा।

40.88

6 संग्रहालयों का उन्नयन विकास कार्य, 6 संग्रहालयों में अनुरक्षण कार्य एवं 14 जिला पुरातत्व संघों का अनुदान दिया जाना।

13.66

2 संग्रहालयों का उन्नयन विकास कार्य एवं 14 जिला पुरातत्व संघों का अनुदान दिया गया।

44.75

6 संग्रहालयों का उन्नयन, विकास कार्य, 6 संग्रहालयों में अनुरक्षण कार्य एवं 15 जिला पुरातत्व संघों को अनुदान दिया जाना।

**6946 स्मारकों के अनुरक्षण कार्य**

12वें वित्त आयोग के अंतर्गत संरक्षित स्मारकों में अनुरक्षण एवं रसायनीकरण कार्य।

संरक्षित स्मारकों का अनुरक्षण एवं रसायनीकरण कार्य से स्मारकों की सुरक्षा व्यवस्था बनी रहेगी।

356.50

19 स्मारकों का अनुरक्षण, रसायनीकरण कार्य एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीनस्थ जिलों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्य।

27.65

12 स्मारकों का अनुरक्षण, रसायनिक संरक्षण कार्य प्रगति पर।

0.00

**6985 12वें वित्त आयोग के अंतर्गत संग्रहालयों का उन्नयन**

संग्रहालयों का उन्नयन, प्रदर्शन एवं विकास कार्य।

संग्रहालयों का उन्नयन, प्रदर्शन एवं विकास कार्य से जन सामान्य की पुरासंपदा की प्रति अभिरुचि होगी और वे पुरातात्विक धरोहर का अवलोकन कर सकेंगे।

63.50

3 संग्रहालयों में उन्नयन, प्रदर्शन एवं विकास कार्य।

0.00

निविदा कार्यवाही पूर्ण।

0.00

**6999 अभिलेखागार भोपाल के भवन का निर्माण**



परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 30 संस्कृति विभाग

विभागाध्यक्ष - 3005 आयुक्त, पुरातत्व एवं संग्रहालय

|                                      |  |       |  |      |                   |  |      |  |
|--------------------------------------|--|-------|--|------|-------------------|--|------|--|
| अभिलेखागार भोपाल के भवन का निर्माण । | भवन निर्माण से अभिलेखागार सुविधाओं का विस्तार होगा । | 30.00 | अभिलेखागार सुविधाओं का विस्तार के अंतर्गत भवन का निर्माण । | 0.00 | कार्य प्रगति पर । |  | 0.00 |  |
|--------------------------------------|--|-------|--|------|-------------------|--|------|--|

7322 पुरातत्वीय गतिविधियों का प्रचार-प्रसार

|  |   |       |   |      |  |  |       |  |
|--|---|-------|---|------|--|--|-------|--|
| पुरातत्वीय गतिविधियों का प्रचार प्रसार । | पुरासंपदा पर नई नई खोजों पर विचार विनिमय एवं जन सामान्य को प्रदेश की संस्कृतिक विरासत से अवगत कराया जा सकेगा जिससे पुरातत्व के प्रति आम जनता की अभिरुचि बनी रहेगी । | 24.00 | 2 उत्खनन रिपोर्ट का प्रकाशन, 2 संग्रहालयों की मार्गदर्शिकाओं का प्रकाशन, दो फोल्डर्स का प्रकाशन 10 संरक्षित स्मारकों एवं 4 संग्रहालयों का डाक्यूमेंटेशन कार्य, 8 प्रदर्शिनियों का आयोजन एक पुरस्कार वितरण दो संगोष्ठियों एवं दो व्याख्यान मालाओं का आयोजन एवं दो प्रशिक्षण का आयोजन कार्य । | 7.13 | चार प्रदर्शिनियों का आयोजन किया गया, 81 स्मारकों एवं 6 संग्रहालयों में छायांकन कार्य । |  | 27.00 | 2 उत्खनन रिपोर्ट का प्रकाशन, 2 संग्रहालयों की मार्गदर्शिकाओं का प्रकाशन, दो फोल्डर्स का प्रकाशन 50 संरक्षित स्मारकों एवं 4 संग्रहालयों का डाक्यूमेंटेशन कार्य, 10 प्रदर्शिनियों का आयोजन एक पुरस्कार वितरण 3 संगोष्ठियों एवं दो व्याख्यान मालाओं का आयोजन एवं 4 प्रशिक्षण का आयोजन कार्य । |
|--|---|-------|---|------|--|--|-------|--|

विभागाध्यक्ष योग

598.50

70.06

159.77

विभागाध्यक्ष - 3009 संचालक, स्वराज भवन

5533 रेडियो आजाद हिन्द

|   |  |       |  |      |       |   |       |  |
|---|--|-------|--|------|-------|---|-------|--|
| स्वतंत्रता संग्राम पर पूर्ण रूप से समर्पित सामुदायिक रेडियो/एफएम रेडियो आजाद हिन्द पर स्वाधीनता संग्राम की विविध घटनाओं पर केन्द्रित कार्यक्रम, स्वतंत्रता सेनानियों की रचनाओं का पाठ, नाटकीयकरण, चर्चा, गोष्ठी, देशभक्ति के तराने, कहानियाँ, काव्य पाठ, क्विज़, प्रतियोगिता, संस्कृति पाठ, देशभक्ति पाठशाला, अंताक्षरी तथा | स्वतंत्रता संग्राम पर पूर्ण रूप से समर्पित सामुदायिक रेडियो/एफएम रेडियो आजाद हिन्द पर स्वाधीनता संग्राम की विविध घटनाओं पर केन्द्रित कार्यक्रम, स्वतंत्रता सेनानियों की रचनाओं का पाठ, नाटकीयकरण, चर्चा, गोष्ठी, देशभक्ति के तराने, कहानियाँ, काव्य पाठ, क्विज़, प्रतियोगिता, संस्कृति पाठ, देशभक्ति | 25.00 | स्वाधीनता संग्राम की विविध घटनाओं पर केन्द्रित कार्यक्रम, स्वतंत्रता सेनानियों की रचनाओं का पाठ, नाटकीयकरण, चर्चा, गोष्ठी, देशभक्ति के तराने, कहानियाँ, काव्य पाठ, क्विज़, प्रतियोगिता, संस्कृति पाठ, देशभक्ति पाठशाला, अंताक्षरी तथा विकास चर्चा इत्यादि का निर्माण एवं प्रसारण । स्वाधीनता संग्राम के विभिन्न पहलुओं, शहादतों, | 0.00 | निरंक | सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार से रेडिया स्टेशन के लायसेंस जारी कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण । | 25.00 | स्वाधीनता संग्राम की विविध घटनाओं पर केन्द्रित कार्यक्रम, स्वतंत्रता सेनानियों की रचनाओं का पाठ, नाटकीयकरण, चर्चा, गोष्ठी, देशभक्ति के तराने, कहानियाँ, काव्य पाठ, क्विज़, प्रतियोगिता, संस्कृति पाठ, देशभक्ति पाठशाला, अंताक्षरी तथा विकास चर्चा इत्यादि का निर्माण एवं प्रसारण । स्वाधीनता संग्राम के विभिन्न पहलुओं, शहादतों, |
|---|--|-------|--|------|-------|---|-------|--|

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 30 संस्कृति विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 3009 संचालक, स्वराज भवन**

विकास चर्चा इत्यादि का निर्माण एवं प्रसारण। स्वाधीनता संग्राम के विभिन्न पहलुओं, शहादतों, मूल्यों तथा जनजातीय चेतना, पहल और भागीदारी तथा उनके योगदान की जानकारी सहित शासन द्वारा प्रवर्तित जन कल्याणकारी योजनाओं, लोककला, संस्कृत, साहित्य का जन-जन तक पहुँचाना।

पाठशाला, अंताक्षरी तथा विकास चर्चा इत्यादि का निर्माण एवं प्रसारण। स्वाधीनता संग्राम के विभिन्न पहलुओं, शहादतों, मूल्यों तथा जनजातीय चेतना, पहल और भागीदारी तथा उनके योगदान की जानकारी सहित शासन द्वारा प्रवर्तित जन कल्याणकारी योजनाओं, लोककला, संस्कृत, साहित्य का जन-जन तक पहुँचाना।

मूल्यों तथा जनजातीय चेतना, पहल और भागीदारी तथा उनके योगदान की जानकारी सहित शासन द्वारा प्रवर्तित जन कल्याणकारी योजनाओं, लोककला, संस्कृत, साहित्य का जन-जन तक पहुँचाना।

मूल्यों तथा जनजातीय चेतना, पहल और भागीदारी तथा उनके योगदान की जानकारी सहित शासन द्वारा प्रवर्तित जन कल्याणकारी योजनाओं, लोककला, संस्कृत, साहित्य का जन-जन तक पहुँचाना।

**5690 धर्मपाल शोध पीठ**

आजादी के पूर्व और पश्चात् भारत के व्यापक सांस्कृतिक पुरुषार्थ के इतिहास और उसकी जीवन पद्धतियों का सटीक अध्ययन, शोध एवं अनुशीलन करने एवं भारत को भारतीयों की भाषा में और जीवन शैली के अनुरूप समझने और समझाने के उद्देश्य से भारत की संस्कृत और उसके जीवन्त इतिहास के केन्द्र के रूप में "धर्मपाल शोधपीठ" की स्थापना कर जन सामान्य एवं शोधकर्ताओं को साहित्य प्रकाशित कर उपलब्ध कराना एवं विविध पहलुओं को जन सामान्य तक पहुँचाना।

आजादी के पूर्व और पश्चात् भारत के व्यापक सांस्कृतिक पुरुषार्थ के इतिहास और उसकी जीवन पद्धतियों का सटीक अध्ययन, शोध एवं अनुशीलन करने एवं भारत को भारतीयों की भाषा में और जीवन शैली के अनुरूप समझने और समझाने के उद्देश्य से भारत की संस्कृत और उसके जीवन्त इतिहास को जन सामान्य एवं शोधकर्ताओं के साहित्य प्रकाशित कर उपलब्ध कराना एवं विविध पहलुओं को जन सामान्य तक पहुँचाना।

25.00

आजादी के पूर्व और पश्चात् भारत के व्यापक सांस्कृतिक पुरुषार्थ के इतिहास और उसकी जीवन पद्धतियों का सटीक अध्ययन, शोध एवं अनुशीलन करने एवं भारत को भारतीयों की भाषा में और जीवन शैली के अनुरूप समझने और समझाने के उद्देश्य से भारत की संस्कृत और उसके जीवन्त इतिहास को जन सामान्य एवं शोधकर्ताओं के साहित्य प्रकाशित कर उपलब्ध कराना एवं विविध पहलुओं को जन सामान्य तक पहुँचाना।

0.00 निरंक

धर्मपाल शोधपीठ के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य जारी।

30.00

आजादी के पूर्व और पश्चात् भारत के व्यापक सांस्कृतिक पुरुषार्थ के इतिहास और उसकी जीवन पद्धतियों का सटीक अध्ययन, शोध एवं अनुशीलन करने एवं भारत को भारतीयों की भाषा में और जीवन शैली के अनुरूप समझने और समझाने के उद्देश्य से भारत की संस्कृत और उसके जीवन्त इतिहास को जन सामान्य एवं शोधकर्ताओं के साहित्य प्रकाशित कर उपलब्ध कराना एवं विविध पहलुओं को जन सामान्य तक पहुँचाना।

**5705 विक्रमादित्य शोधपीठ**

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 30 संस्कृति विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 3009 संचालक, स्वराज भवन**

|  |  |       |  |      |       |  |       |  |
|--|--|-------|--|------|-------|--|-------|--|
| महाराजा विक्रमादित्य के व्यक्तित्व एवं कृतित्व आदि पर शोध कार्य कर शोध सामग्रियों को प्रकाशन के माध्यम से जनसामान्य तक पहुँचाना। | शोध कार्यों का पुस्तकों के रूप में प्रकाशन कर जनसामान्य तक पहुँचाना तथा शोधार्थियों को महाराजा विक्रमादित्य के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से अवगत कराना। | 20.00 | शोध कार्यों का पुस्तकों के रूप में प्रकाशन कर जनसामान्य तक पहुँचाना तथा शोधार्थियों को महाराजा विक्रमादित्य के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से अवगत कराना। | 0.00 | निरंक | शोधपीठ के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य जारी। | 25.00 | शोध कार्यों का पुस्तकों के रूप में प्रकाशन कर जनसामान्य तक पहुँचाना तथा शोधार्थियों को महाराजा विक्रमादित्य के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से अवगत कराना। |
|--|--|-------|--|------|-------|--|-------|--|

**6756 शहीद भवन**

|  |  |       |  |      |  |       |       |  |
|--|--|-------|--|------|--|-------|-------|--|
| स्वाधीनता संग्राम पर केन्द्रित विभिन्न आयोजनों को जनोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से शहीद भवन, भोपाल के उन्नयन एवं विकास अंतर्गत भवन का जीर्णोद्धार कर लगभग 260 बैठक क्षमता का सभागार विकसित किया गया है। परिसर में मुक्ताकाश प्रदर्शनी तथा सौंदर्यीकरण, लैंडस्केपिंग का कार्य जारी है। सभागार के संचालन/रखरखाव का कार्य आऊटसोर्सिंग के माध्यम से कराया जा रहा है। | स्वाधीनता संग्राम पर केन्द्रित विभिन्न आयोजनों को जनोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से शहीद भवन, भोपाल के उन्नयन एवं विकास अंतर्गत भवन का जीर्णोद्धार कर लगभग 260 बैठक क्षमता का सभागार विकसित किया गया है। परिसर में मुक्ताकाश प्रदर्शनी तथा सौंदर्यीकरण, लैंडस्केपिंग का कार्य जारी है। सभागार के संचालन/रखरखाव का कार्य आऊटसोर्सिंग के माध्यम से कराया जा रहा है। | 30.00 | स्वाधीनता संग्राम पर केन्द्रित विभिन्न आयोजनों को जनोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से शहीद भवन, भोपाल को जन सामान्य के लिये उपलब्ध कराना। | 4.49 | स्वाधीनता संग्राम पर केन्द्रित विभिन्न आयोजनों को जनोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से शहीद भवन, भोपाल को जन सामान्य के लिये उपलब्ध कराया जा रहा है। | निरंक | 28.00 | स्वाधीनता संग्राम पर केन्द्रित विभिन्न आयोजनों को जनोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से शहीद भवन, भोपाल को जन सामान्य के लिये उपलब्ध कराना। |
|--|--|-------|--|------|--|-------|-------|--|

**7649 डा. शंकरदयाल शर्मा संग्रहालय एवं वाचनालय का संचालन**

|  |  |       |  |       |  |       |       |  |
|--|--|-------|--|-------|--|-------|-------|--|
| स्वाधीनता संग्राम पर केन्द्रित संग्रहालय एवं वाचनालय का जन सामान्य एवं शोधार्थियों के लिये उन्नयन, विकास, जीर्णोद्धार, वीथिकाओं का विस्तार एवं वाचनालय का विस्तार। स्वाधीनता संग्राम | स्वाधीनता संग्राम पर केन्द्रित संग्रहालय एवं वाचनालय का जन सामान्य एवं शोधार्थियों के लिये उन्नयन, विकास, जीर्णोद्धार, वीथिकाओं का विस्तार एवं वाचनालय का विस्तार। स्वाधीनता संग्राम | 82.23 | स्वाधीनता संग्राम पर केन्द्रित संग्रहालय एवं वाचनालय का जन सामान्य एवं शोधार्थियों के लिये उन्नयन, विकास, जीर्णोद्धार, वीथिकाओं का विस्तार एवं वाचनालय का विस्तार। स्वाधीनता संग्राम | 16.53 | स्वाधीनता संग्राम पर केन्द्रित संग्रहालय एवं वाचनालय का जन सामान्य एवं शोधार्थियों के लिये उन्नयन, विकास, जीर्णोद्धार, वीथिकाओं का विस्तार पूर्ण एवं जन सामान्य के लिए प्रदर्शनी हेतु प्रारम्भ। स्वाधीनता संग्राम पर केन्द्रित 1 | निरंक | 92.26 | स्वाधीनता संग्राम पर केन्द्रित संग्रहालय एवं वाचनालय का जन सामान्य एवं शोधार्थियों के लिये उन्नयन, विकास, जीर्णोद्धार, वीथिकाओं का विस्तार एवं वाचनालय का विस्तार। स्वाधीनता संग्राम |
|--|--|-------|--|-------|--|-------|-------|--|



| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित   | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय   | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम  | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10)  |   | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |  |
|--|---|--|---|---|--|---------------|---|---|--------------|--|
|  |   |  | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य  | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |  |
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5   | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |  |
| <b>विभाग - 30 संस्कृति विभाग</b>   |   |  |   |   |  |               |   |   |              |  |
| <b>विभागाध्यक्ष - 3009 संचालक, स्वराज भवन</b>  |   |  |   |   |  |               |   |   |              |  |
| रेडियो कार्यक्रम का निर्माण एवं विविध भारती के 3 तथा आकाशवाणी के 14 केन्द्रों पर प्रसारण।<br>आदिवासी/अनुसूचित जाति के जिलों में 4 वक्त्रचित्रों का निर्माण। 2 से 4 प्रदर्शनियाँ तथा 1 राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन।<br>स्वाधीनता संग्राम के विविध पक्षों, घटनाओं, व्यक्तियों पर केन्द्रित दो शोध कार्य।<br>स्वतंत्रता संग्राम तथा देशभक्ति पर केन्द्रित कला, संगीत, नृत्य, नाटक तथा चित्रों प्रदर्शनियों का प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर "भारत पर्व" का आयोजन।<br>स्वाधीनता संग्राम की महागाथा पर केन्द्रित "हिन्दोस्तां हमार" रेडियो कार्यक्रम का आकाशवाणी तथा विविध भारती पर प्रसारण। | तरानों पर केन्द्रित वतन का राग रेडियो कार्यक्रम का निर्माण एवं विविध भारती के 3 तथा आकाशवाणी के 14 केन्द्रों पर प्रसारण।<br>आदिवासी/अनुसूचित जाति के जिलों में 4 वक्त्रचित्रों का निर्माण। 2 से 4 प्रदर्शनियाँ तथा 1 राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन।<br>स्वाधीनता संग्राम के विविध पक्षों, घटनाओं, व्यक्तियों पर केन्द्रित दो शोध कार्य।<br>स्वतंत्रता संग्राम तथा देशभक्ति पर केन्द्रित कला, संगीत, नृत्य, नाटक तथा चित्रों प्रदर्शनियों का प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर "भारत पर्व" का आयोजन।<br>स्वाधीनता संग्राम की महागाथा पर केन्द्रित "हिन्दोस्तां हमार" रेडियो कार्यक्रम का आकाशवाणी तथा विविध भारती पर प्रसारण। | पर केन्द्रित वतन का राग रेडियो कार्यक्रम का निर्माण एवं विविध भारती के 3 तथा आकाशवाणी के 14 केन्द्रों पर प्रसारण।<br>आदिवासी/अनुसूचित जाति के जिलों में 4 वक्त्रचित्रों का निर्माण। 2 से 4 प्रदर्शनियाँ तथा 1 राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन।<br>स्वाधीनता संग्राम के विविध पक्षों, घटनाओं, व्यक्तियों पर केन्द्रित दो शोध कार्य।<br>स्वतंत्रता संग्राम तथा देशभक्ति पर केन्द्रित कला, संगीत, नृत्य, नाटक तथा चित्रों प्रदर्शनियों का प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर "भारत पर्व" का आयोजन।<br>स्वाधीनता संग्राम की महागाथा पर केन्द्रित "हिन्दोस्तां हमार" रेडियो कार्यक्रम का आकाशवाणी तथा विविध भारती पर प्रसारण। | प्रसारण। 2 प्रदर्शनियों का आयोजन।<br>स्वाधीनता संग्राम की महागाथा पर केन्द्रित "हिन्दोस्तां हमार" रेडियो कार्यक्रम का आकाशवाणी तथा विविध भारती पर 40 एपिसोड का प्रसारण। | तरानों पर केन्द्रित वतन का राग रेडियो कार्यक्रम का निर्माण एवं विविध भारती के 3 तथा आकाशवाणी के 14 केन्द्रों पर प्रसारण।<br>आदिवासी/अनुसूचित जाति के जिलों में 4 वक्त्रचित्रों का निर्माण। 2 से 4 प्रदर्शनियाँ तथा 1 राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन।<br>स्वाधीनता संग्राम के विविध पक्षों, घटनाओं, व्यक्तियों पर केन्द्रित दो शोध कार्य।<br>स्वतंत्रता संग्राम तथा देशभक्ति पर केन्द्रित कला, संगीत, नृत्य, नाटक तथा चित्रों प्रदर्शनियों का प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर "भारत पर्व" का आयोजन।<br>स्वाधीनता संग्राम की महागाथा पर केन्द्रित "हिन्दोस्तां हमार" रेडियो कार्यक्रम का आकाशवाणी तथा विविध भारती पर प्रसारण। |  |               |   |   |              |  |
| <b>विभागाध्यक्ष योग</b>  |   |  | 311.00  |   | 43.45  |               |   | 327.50  |              |  |
| <b>विभाग</b>   |   |  | 1,535.12  |   | 113.51   |               |   | 1,109.27  |              |  |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 31 जल संसाधन विभाग

विभागाध्यक्ष - 3102 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन

0823 कालिया स्रोत

|  |   |       |  |       |  |       |   |
|--|---|-------|--|-------|--|-------|---|
| कालियास्रोत परियोजना<br>(0823)<br>1. योजना से 4500 हेक्टेयर<br>क्षेत्र में सिंचाई निर्मितकी जा<br>चुकी है ।<br>2. शेष कार्य किया जाना<br>प्रस्तावित है । | योजना का शीर्ष कार्य पूर्ण<br>। नहर कार्य 98 प्रतिशत<br>पूर्ण । | 30.00 | शेष अतिरिक्त कार्य पूर्ण<br>किया जाकर लम्बित<br>देनदारियों का पूर्ण किया<br>जाना । | 25.65 | लंबित देनदारियों का निराकरण<br>-<br>किया जा रहा है । | 10.00 | 1. योजना से 4500<br>हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई<br>निर्मितकी जा चुकी है । |
|--|---|-------|--|-------|--|-------|---|

2344 निर्माण कार्य

|  |   |       |   |       |  |          |  |
|--|---|-------|---|-------|--|----------|--|
| । बाह्य सहायता/विश्व<br>बैंक सहायता प्राप्त योजनायें<br><br>राष्ट्रीय जल विज्ञान<br>परियोजना (2344)<br>1. परियोजना के अंतर्गत<br>सतही जल तीन कछार,<br>भू-जल सम्पूर्ण म.प्र. एवं<br>जल गुणवत्ता से संबंधित<br>डाटा बेस तैयार करने के<br>लिये अधोसंरचना का<br>विकास किया जाकर<br>बेलीडेटेड हाइड्रोलॉजी डेटा<br>बेस तैयार किया जाना है ।<br>2. वैनगंगा कछार में जल<br>उपलब्धता, संजय सरोवर<br>जिला सिवनी वैनगंगा<br>कछार में नहर तंत्र के<br>चालन के लिए अनुसंधान<br>एवं विकास कार्य, धसान<br>कछार में भू-जल की<br>उपलब्धता बढ़ाने के लिए<br>हाइड्रो ट्रेफिकिंग,सिंध बेसिन<br>में तकनीकी सहायता,<br>भोपाल की झीलों के जल<br>पर पर्यावरणीय | 1. उपरोक्त सभी कार्य<br>विश्व बैंक के अनुबंध<br>अनुसार पूर्ण किये जावेंगे ।<br>2. जल गुणवत्ता से<br>संबंधित डाटाबेस तैयार<br>करने के लिए अधोसंरचना<br>का विकास किया जाकर<br>वेलिडेटेड हाइड्रोलॉजी<br>डाटा बेस तैयार किया<br>गया । | 60.00 | 1.परियोजना के द्वितीय<br>चरण के अंतर्गत संस्थागत<br>सुदृढीकरण,जिसमें<br>क्रियान्वित की गई<br>हाइड्रोलॉजी परियोजना में<br>स्थापित विभिन्न इकाईयों<br>तथा राज्य जल आंकड़ा<br>केन्द्र जल मापन यंत्र<br>कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं<br>साफ्टवेयर उन्नयनीकरण<br>एवं प्रशिक्षण प्रस्तावित है ।<br>2. जल स्त्रोंतों के संवर्धन<br>का कार्य | 28.15 | 1. हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट प्रथम<br>-<br>चरण के सुदृढीकरण एवं<br>मजबूतीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत<br>प्रोक्योरमेंट की कार्यवाही प्रारंभ<br>की जा चुकी है । हाइड्रोलॉजी<br>प्रोजेक्ट द्वितीय चरण में<br>प्रशिक्षण गतिविधियां क्रियान्वित<br>हो रही है ।<br>2. बैनगंगा कछार में निर्णय<br>समर्थन प्रणाली को विकसित<br>करने हेतु परामर्शी संस्था को<br>कार्य करने हेतु नियुक्त किया<br>जा चुका है । | 1,070.00 | 1. परियोजना के अंतर्गत<br>सतही जल तीन कछार,<br>भू-जल सम्पूर्ण म.प्र. एवं<br>जल गुणवत्ता से संबंधित<br>डाटा बेस तैयार करने के<br>लिये अधोसंरचना का<br>विकास किया जाकर<br>बेलीडेटेड हाइड्रोलॉजी डेटा<br>बेस तैयार किया जाना है ।<br>2. वैनगंगा कछार में जल<br>उपलब्धता, संजय सरोवर<br>जिला सिवनी वैनगंगा<br>कछार में नहर तंत्र के<br>चालन के लिए अनुसंधान<br>एवं विकास कार्य, धसान<br>कछार में भू-जल की<br>उपलब्धता बढ़ाने के लिए<br>हाइड्रो ट्रेफिकिंग,सिंध<br>बेसिन में तकनीकी<br>सहायता, भोपाल की झीलों<br>के जल पर पर्यावरणीय<br>लेखा-जोखा, जबलपुर के<br>शहरी क्षेत्र में बीमारी<br>फैलाने वाले जीवों का<br>अध्ययन एवं सिवनी<br>बालाघाट जिले में भू-जल |
|--|---|-------|---|-------|--|----------|--|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 31 जल संसाधन विभाग

विभागाध्यक्ष - 3102 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन

लेखा-जोखा, जबलपुर के शहरी क्षेत्र में बीमारी फैलाने वाले जीवों का अध्ययन एवं सिवनी बालाघाट जिले में भू-जल के फ्लोराईड, कापर एवं मैगनीज घटकों के आधार पर भू-जलवत्ता का अध्ययन ।

के फ्लोराईड, कापर एवं मैगनीज घटकों के आधार पर भू-जलवत्ता का अध्ययन ।

2823 फील्ड चैनल्स का निर्माण

आयाकट (2823) आयाकट के अंतर्गत चल रही गतिविधियों के संपादन से कृषकों को शिक्षित किया जाकर कृषि उत्पादन बढ़ाना एवं वाटर कोर्स तथा फील्ड चैनल का निर्माण कर, सिंचाई के पानी का सदुपयोग करना ही प्रमुख उद्देश्य है। चार नवीन संरचनायें स्थापित की जा चुकी है ।  
1. कृषक भ्रमण प्रशिक्षण 4800 संख्या  
2. फील्ड चैनल का निर्माण कार्य 12912 हेक्टेयर  
3. करेक्शन आफ सिस्टम डेफिशिएंसी 10050 हेक्टेयर  
4. पी.आई.एम. 2112 हेक्टेयर

1. कृषक भ्रमण प्रशिक्षण 14197 संख्या  
2. फील्ड चैनल का निर्माण कार्य 169844 हेक्टेयर  
3. पी आई एम 30597 हेक्टेयर  
4. करेक्शन आफ सिस्टम डेफिशिएंसी निरंक

2,000.00

1. कृषक भ्रमण प्रशिक्षण 3200 संख्या  
2. फील्ड चैनल का निर्माण कार्य 10361 हेक्टेयर  
3. करेक्शन आफ सिस्टम डेफिशिएंसी 5833 हेक्टेयर  
4. पी.आई.एम. 1889 हेक्टेयर

864.30

फील्ड चैनल का निर्माण कार्य - 6460 है में किया गया ।  
कृषक भ्रमण - 2000  
फील्ड चैनल- 7000 हेक्टर  
करेक्शन आफ सिस्टम डेफिशिएंसी- 2000 हेक्टर  
पी.आई.एम- 1000 हेक्टर

2,000.00

आयाकट के अंतर्गत चल रही गतिविधियों के संपादन से कृषकों को शिक्षित किया जाकर कृषि उत्पादन बढ़ाना एवं वाटर कोर्स तथा फील्ड चैनल का निर्माण कर, सिंचाई के पानी का सदुपयोग करना ही प्रमुख उद्देश्य है। चार नवीन संरचनायें स्थापित की जा चुकी है ।  
1. कृषक भ्रमण प्रशिक्षण 4160 संख्या  
2. फील्ड चैनल का निर्माण कार्य 13470 हेक्टेयर  
3. करेक्शन आफ सिस्टम डेफिशिएंसी 7533 हेक्टेयर  
4. पी.आई.एम. 2445 हेक्टेयर

2884 नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य

ए.आई.बी.पी. परियोजनाए(वृहद एवं मध्यम) बाण सागर नहर परियोजना

1. योजना से 80,077 है. क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी है ।

2,278.94

1. परियोजना पूर्ण कर रीवा, सीधी, शहडोल जिलों के 1.54 लाख हैक्टर क्षेत्र में रूपांकित सिंचाई क्षमता

4,849.48

4590 है सिंचाई क्षमता निर्मित की गई

5,072.65

1. परियोजना पूर्ण कर रीवा, सीधी, शहडोल जिलों के 1.54 लाख हैक्टर क्षेत्र में रूपांकित सिंचाई क्षमता

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 31 जल संसाधन विभाग

विभागाध्यक्ष - 3102 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन

|  |  |          |  |   |          |  |  |          |  |
|--|--|----------|--|---|----------|--|--|----------|--|
| यूनिट- II (2884)<br>1. परियोजना पूर्ण कर रीवा, सीधी, शहडोल जिलों के 1.54 लाख हेक्टर क्षेत्र में रूपांकित सिंचाई क्षमता निर्मित की जाना है।   | 2. वर्ष 2006-07 तक 37982 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी है।<br>3. वर्ष 2007-08 में 42095 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित की गई।  |          |  | निर्मित की जाना है।<br>2. वर्ष 2009-10 में शंष 26000 क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित किया जाना प्रस्तावित है  |          |  |  |          | निर्मित की जाना है।<br>2. वर्ष 2010-11 में 164560 है. क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित किया जाना लक्ष्य है।   |
| बरियारपुर बायी नहर परियोजना (2884)<br>1. केन नदी पर पिकअप वियर बनाकर बरियारपुर नहर प्रस्तावित की गई है। परियोजना से छतरपुर जिले में 43850 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित की जाना है।   | 1. कुल 13155 है. क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित की गई।<br>2. वर्ष 2006-07 तक 2650 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी है।<br>3. वर्ष 2007-08 तक 6650 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी है।<br>4. वर्ष 2008-09 तक 3855 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी है। | 2,086.76 |  | 1. बचे निर्माण कार्य पूर्ण कर 12550 है. क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित किया जाना प्रस्तावित है।<br>2. परियोजना से छतरपुर जिले में 43850 है. क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। | 1,155.08 | शेष निर्माण कार्य प्रगति पर है। -<br>12/09 तक 4250 है. सिंचाई क्षमता निर्मित की गई। वर्षान्त तक कुल 10030 है. सिंचाई क्षमता तक निर्मित होना संभावित है।  |  | 1,615.62 | 1. केन नदी पर पिकअप वियर बनाकर बरियारपुर नहर प्रस्तावित की गई है। परियोजना से छतरपुर जिले में 43850 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित की जाना है।<br>2. वर्ष 2010-11 में 8150 है. क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित की जाना लक्षित है।  |
| राजीव सागर (बावनथडी) परियोजना (2884)<br>1. यह परियोजना बालाघाट जिले में निर्माणाधीन है। योजना के शीर्ष कार्यों के परिल्यय का 50: भाग महाराष्ट्र राज्य द्वारा वहन किया जावेगा। नहरों का निर्माण कार्य दोनो राज्यों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के निर्माण अनुसार वहन किया जावेगा। परियोजना से म.प्र. के बालाघाट में 29412 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित की जाना है।<br>2. इस वर्ष 6000 हेक्टर क्षे. | 6000 है. क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित करने का लक्ष्य 10294 है. क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित। वर्ष 2007-08 में 2000 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी है।   | 5,950.59 |  | बाँध - मिट्टी का कार्य, पक्के कार्य, गेट का कार्य, वन, सीपना, नहर-भूमि का मुआवजा, मिट्टी का कार्य (मुख्य नहर, डिस्ट्रीब्यूटरी पक्के कार्य)  | 3,107.94 | कार्य प्रगति पर है। शीर्ष कार्य 95 प्रतिशत एवं नहर कार्य 85 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। बांध का कार्य 6/10 तक तथा नहर कार्य 3/10 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। नाला क्लोसर का कार्य वन प्रकरण स्वीकृति के अभाव में लम्बित है। |  | 2,126.96 | 1. यह परियोजना बालाघाट जिले में निर्माणाधीन है। योजना के शीर्ष कार्यों के परिल्यय का 50: भाग महाराष्ट्र राज्य द्वारा वहन किया जावेगा। नहरों का निर्माण कार्य दोनो राज्यों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के निर्माण अनुसार वहन किया जावेगा। परियोजना से म.प्र. के बालाघाट में 29412 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित की जाना है।<br>2. इस वर्ष 6000 हेक्टर |



परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 31 जल संसाधन विभाग

विभागाध्यक्ष - 3102 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन

में सिंचाई क्षमता का सृजन  
किया जाना है ।

क्षे. में सिंचाई क्षमता का  
सृजन किया जाना है ।  
3. वर्ष 2010-11 में 6400  
हेक्टर क्षे. में सिंचाई क्षमता  
निर्मित किया जाना लक्ष्य  
है।

|  |  |          |  |          |   |   |          |  |
|--|--|----------|--|----------|---|---|----------|--|
| सिंध परियोजना (प्रथम चरण)(2884)<br>1. परियोजना के अंतर्गत मोहनी पिकअप वियर, हरसी फिडर केनाल, रिमाडलिंग आफ हरसी केनाल सिस्टम, दोआब केनाल, ककैटो टिगरा फिडर केनाल, ककैटो-पहसारी केनाल ,पहसारी डेम, पहसारी साख केनाल, रहट लिफ्ट इरिगेशन स्किम, साख स्वर्णरेखा लिंक केनाल, साख पिकअप वियर, साख नून केनाल, नून पिकअप वियर, हिम्मतगढ़ तालाब और जलालपुर पिकअप वियर आदि कार्य शामिल हैं।<br>2. परियोजना में कुल 13617 हेक्टर क्षे. में सिंचाई क्षमता निर्मित किया जाना है। | 1.परियोजना में मार्च 2009 तक रु. 61.34 करोड़ व्यय कर पेहसारी व हिम्मतगढ़ बाँध का कार्य पूर्ण किया गया ।<br>2. मार्च 2007 तक 8262 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी है।<br>3. वर्ष 2007-08 में मार्च 2008 तक 5365 है. के विरुद्ध 5212 है. क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी है । | 500.00   | 1.शेष कार्यों को पूर्ण किया जावेगा एवं पेंडिंग लायबिलिटीस का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।<br>2.ग्वालियर तथा शिवपुरी जिलों में कुल 13617 है. क्षेत्र में पूर्ण सिंचाई क्षमता विकसित किया जाना प्रस्तावित है। | 82.80    | शेष कार्यों को पूर्ण करने एवं पेंडिंग लायबिलिटीस का भुगतान किये जाने का कार्य प्रगति पर है।                     | - | 500.00   | 1.शेष कार्यों को पूर्ण किया जावेगा एवं पेंडिंग लायबिलिटीस का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। |
| सिंध परियोजना द्वितीय चरण(2884)<br>1. परियोजना के अंतर्गत मणीखेड़ा बांध तथा नहर प्रणाली एवं उकायला नहर प्रणाली प्रस्तावित है । परियोजना से ग्वालियर, शिवपुरी भिण्ड तथा दतिया जिले में रूपांकित सिंचाई  | वर्ष 2008-09 में 13171 है. क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित हुई ।   | 4,349.25 | 1. शेष 11829 है. क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित किया जाना प्रस्तावित।<br>2. शेष निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना प्रस्तावित।<br>3. 60 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य।   | 2,983.23 | 12/2009 तक 2750 है. क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित की गई एवं 60 मेगावाट बिजली क्षमता निर्मित की गई। | - | 3,201.70 | 1. शेष 11829 है. क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित किया जाना प्रस्तावित।                     |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 31 जल संसाधन विभाग

विभागाध्यक्ष - 3102 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन

क्षमता 87450 हेक्टर क्षेत्र निर्मित की जाना है ।  
2. मुख्य बांध क्रैस्ट स्तर तक पूर्ण । स्पिलवे गेट्स का कार्य प्रगति पर । नहर कार्य प्रगति पर ।  
3. वर्ष 2006-07 तक 50642 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी है ।  
4. वर्ष 2007-08 तक 9808 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित करने का लक्ष्य है, जिसमें से जून 2007 तक 2000 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी है ।  
5. वर्ष 2008-09 में 10000 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित की जाना प्रस्तावित है ।

बांडिया नाला (आर.आई.डी.एफ. बारहवां चरण)(2884)  
1. योजना अगस्त 2006 में नाबार्ड ऋण सहायतार्थ स्वीकृत हुई है । योजना से 2000 हे. में सिंचाई क्षमता निर्मित किया जाना प्रस्तावित है ।

रेतम बैराज (आर.आई.डी.एफ. बारहवां चरण)(2884)  
1. योजना सितंबर 2006 में नाबार्ड ऋण सहायतार्थ स्वीकृत हुई है । योजना से 3350 हे. में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित किया

1 शीर्ष कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण ।  
2. योजना अंतर्गत लाइनिंग कार्य प्रगति पर है ।

कार्य 85 प्रतिशत पूर्ण ।

50.00

475.00

परियोजना का 65 प्रतिशत कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य ।

बैराज का शेष कार्य पूर्ण कर योजना से 3350 हे. में सिंचाई क्षमता निर्मित किया जाना प्रस्तावित है ।

15.53

475.56

योजना के अन्तर्गत लाइनिंग कार्य 65 प्रतिशत पूर्ण ।

परियोजना का कार्य प्रगति पर है तथा 12/09 तक 1000 हे. क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित की गई ।

-

-

20.00

100.00

परियोजना के शेष बचे कार्य को पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है ।

परियोजना के शेष बचे कार्य को पूर्ण कर रूपांकित सिंचाई क्षमता को निर्मित किया जाना प्रस्तावित है ।

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 31 जल संसाधन विभाग

विभागाध्यक्ष - 3102 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन

जाना प्रस्तावित है ।

|   |  |          |  |          |   |        |  |
|---|--|----------|--|----------|---|--------|--|
| 7. अन्य वृहद एवं मध्यम परियोजनाएँ<br>राजघाट नहर परियोजना (2884)<br>1. राजघाट परियोजना उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की एक अंतर्राज्यीय वृहद परियोजना है जिसमें दोनों राज्यों को बांध निर्माण में 50रू 50 के अनुपात में वित्तीय भार वहन किया जाना अनुबंधित है ।<br>2. दोनों राज्यों द्वारा अपने अपने हिस्सों के 22 टीएमसी जल के उपयोग हेतु नहर प्रणाली का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ।<br>3. परियोजना की पेंडिंग लाइबिलिटीज पूर्ण किया जाना शेष है । | नहरों का निर्माण कार्य पूर्ण ।   | 1,449.67 | शेष बचे निर्माण कार्यों एवं पेंडिंग लायबिलिटीस को पूर्ण किया जाना प्रस्तावित । योजना से 121450 है. क्षेत्र में सिंचाई होगी | 1,065.90 | शेष निर्माण कार्य प्रगति पर है । -              | 818.57 | शेष बचे निर्माण कार्यों एवं पेंडिंग लायबिलिटीस को पूर्ण किया जाना प्रस्तावित । योजना से 121450 है. क्षेत्र में सिंचाई होगी |
| अपर वैन गंगा (संजय सरोवर परियोजना, अलोनी खापा नहर सहित)(2884)<br>1. सिधनी एवं बालाघाट जिले के 105253 हेक्टेयर क्षेत्र में पूर्ण रूपांकित सिंचाई क्षमता निर्मित हो चुकी है ।<br>2. शेष कार्य एवं लंबित देनदारियां पूर्ण की जाना है ।   | योजना पूर्ण  | 10.00    | डेम सेफ्टी पैनल के अनुसार कार्य किया जाना प्रस्तावित ।   | 8.94     | डेम सेफ्टी पेनल के अनुसार कार्य प्रगति पर हैं - | 10.00  | डेम सेफ्टी पैनल के अनुसार कार्य पूर्ण किया जाना प्रस्तावित ।   |
| चंबल उद्सिंचन (कनेरा परियोजना) (2884)<br>1. यह योजना चंबल नहर का एक हिस्सा है । जिसमें चंबल नदी से पानी उठाकर अम्बा शाखा नहर में डालने  | 1. प्रारंभिक कार्य प्रारंभ कर दिये है ।<br>2.परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति हो चुकी है। प्रारंभिक कार्य शुरू किया जाना है । | 200.00   | योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अम्बा शाखा नहर से सिंचाई किया जाना प्रस्तावित ।                                       | 63.33    | योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है । -         | 236.50 | योजना का निर्माण कार्य पूर्ण कर अम्बा शाखा नहर से सिंचाई किया जाना प्रस्तावित ।  |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 31 जल संसाधन विभाग

विभागाध्यक्ष - 3102 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन

हेतु एकल श्रेणी पम्पिंग  
प्रस्तावित है।

सम्राट अशोक सागर  
परियोजना (द्वितीय चरण)  
(2884)  
परियोजना रायसेन जिले के  
खोवा ग्राम के समीप  
हलाली नदी पर स्थित है।  
परियोजना में उच्च स्तरीय  
नहर का निर्माण कार्य किया  
जाना है।

1. प्रारंभिक कार्य प्रारंभ  
कर दिये हैं।  
2. योजना का प्रारंभिक  
कार्य प्रगति पर है।

50.00

योजना का निर्माण कार्य  
प्रगति पर है। नहर से  
सिंचाई कार्य किया जाना  
प्रस्तावित है।

48.53

निर्माण कार्य प्रगति पर है।

-

150.00 योजना का निर्माण कार्य  
पूर्ण कर नहर से सिंचाई  
किया जाना प्रस्तावित।

भीतरी मुतगुरु  
योजनायें वर्तमान में  
प्रारंभिक स्तर पर होने के  
कारण वर्ष 2008-09 में  
प्रारंभिक कार्यों पर व्यय  
किये जाने का प्रावधान है।

प्रारंभिक कार्य शुरू किये  
गये।

20.00

मध्यम योजनाओं के कार्य  
उपलब्ध आवंटन अनुसार  
किया जाना प्रस्तावित है।

2.00

प्रारंभिक स्तर पर होने के  
कारण सिंचाई क्षमता का लक्ष्य  
निर्धारित करना संभव नहीं है  
।

-

20.00 सिंचाई क्षमता 7970 हैक्टर

गणेशपुरा पिकअप वियर  
योजनायें वर्तमान में  
प्रारंभिक स्तर पर होने के  
कारण वर्ष 2009-10 में  
प्रारंभिक कार्यों पर व्यय  
किये जाने का प्रावधान है।

प्रारंभिक कार्य शुरू किये  
गये।

50.00

योजनाओं के कार्य उपलब्ध  
आवंटन अनुसार किया  
जाना प्रस्तावित है।

1.17

प्रारंभिक स्तर पर होने के  
कारण सिंचाई क्षमता का लक्ष्य  
निर्धारित करना संभव नहीं है  
।

-

50.00 सिंचाई क्षमता 12000  
हैक्टर

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 31 जल संसाधन विभाग

विभागाध्यक्ष - 3102 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन

|  |                                    |       |   |      |  |   |       |                               |
|--|------------------------------------|-------|---|------|--|---|-------|-------------------------------|
| वानसुजारा<br>योजनायें वर्तमान में<br>प्रारंभिक स्तर पर होने के<br>कारण वर्ष 2009-10 में<br>प्रारंभिक कार्यों पर व्यय<br>किये जाने का प्रावधान है । | प्रारंभिक कार्य शुरू किये<br>गये । | 50.00 | योजनाओं के कार्य उपलब्ध<br>आवंटन अनुसार किया<br>जाना प्रसतावित है । | 3.16 | प्रारंभिक स्तर पर होने के<br>कारण सिंचाई क्षमता का लक्ष्य<br>निर्धारित करना संभवन नहीं है<br>। | — | 50.00 | सिंचाई क्षमता 51000<br>हैक्टर |
|--|------------------------------------|-------|---|------|--|---|-------|-------------------------------|

|   |                                    |       |  |       |   |   |       |                               |
|---|------------------------------------|-------|--|-------|---|---|-------|-------------------------------|
| मिडासन डायवरीन<br>परियोजना<br>योजनायें वर्तमान में<br>प्रारंभिक स्तर पर होने के | प्रारंभिक कार्य शुरू किये<br>गये । | 20.00 | योजनाओं के प्रारंभिक कार्य<br>किया जाना प्रसतावित है । | 19.94 | स्तर पर होने के कारण सिंचाई<br>क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करना<br>संभवन नहीं है । | — | 20.00 | सिंचाई क्षमता 11500<br>हैक्टर |
|---|------------------------------------|-------|--|-------|---|---|-------|-------------------------------|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 31 जल संसाधन विभाग

विभागाध्यक्ष - 3102 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन

कारण वर्ष 2009-10 में  
प्रारंभिक कार्यों पर व्यय  
किये जाने का प्रावधान है ।

2897 बांध तथा संलग्न कार्य

।। ए.आई.बी.पी.  
परियोजनाए(वृहद एवं  
मध्यम)  
बाण सागर बांध यूनिट-।  
(2897)  
1. यह एक अंतर्राज्यीय  
परियोजना है। इसके शीर्ष  
कार्य (बांध, भू-अर्जन एवं  
पुनर्वास) का कार्य मध्य  
प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं  
बिहार राज्यों द्वारा संयुक्त  
रूप से क्रियान्वित किया जा  
रहा है ।  
2. बांध का निर्माण सोन  
नदी पर शहडोल जिले के  
समीप किया गया है। बांध  
का मुख्य कार्य गेट इरेक्शन  
सहित पूर्ण किया जा चुका  
है ।  
3. अन्य संलग्न शेष कार्यों  
को पूर्ण किया जाना है तथा

1. योजना के शेष कार्यों  
को एवं पेंडिंग  
लायबिलिटीस का  
निराकरण किया गया ।  
2. परियोजना से विद्युत  
उत्पादन प्रारंभ ।

1,637.57

शेष कार्य एवं पेंडिंग  
लायबिलिटीस पूर्ण की  
जावेगी । शेष कार्यों में  
कुटेश्वर चुना पत्थर बचाव  
योजना एवं छोटी महानदी  
पर उच्च स्तरीय पुल एवं  
पहुंच मार्ग के कार्य प्रगति  
पर है

969.80

शेष कार्यों को पूर्ण किया जा  
रहा है तथा पेंडिंग  
लायबिलिटीस का निराकरण  
किया जायेगा ।

-

1,598.44

1. यह एक अंतर्राज्यीय  
परियोजना है। इसके शीर्ष  
कार्य (बांध, भू-अर्जन एवं  
पुनर्वास) का कार्य मध्य  
प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं  
बिहार राज्यों द्वारा संयुक्त  
रूप से क्रियान्वित किया  
जा रहा है ।  
2. बांध का निर्माण सोन  
नदी पर शहडोल जिले के  
समीप किया गया है। बांध  
का मुख्य कार्य गेट  
इरेक्शन सहित पूर्ण किया  
जा चुका है ।  
3. अन्य संलग्न शेष कार्यों  
(कुटेश्वर चुना पत्थर बचाव  
योजना एवं छोटी महानदी  
पर उच्च स्तरीय पुल एवं  
पहुंच मार्ग के कार्य) को  
पूर्ण किया जाना है तथा  
पेंडिंग लाइबिलिटी का

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित   | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय   | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10)  |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां                         |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |                        |
|--|---|-------------------------------|---|--------------|--|---------------|---|---|------------------------|
|  |   |                               | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य           |
| 1  | 2   | 3                             | 4   | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10                     |
| <b>विभाग - 31 जल संसाधन विभाग</b>  |   |                               |   |              |  |               |   |   |                        |
| <b>विभागाध्यक्ष - 3102 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन</b>   |   |                               |   |              |  |               |   |   |                        |
| पेंडिंग लाइबिलटी का<br>निराकरण किया जाना है ।  |   |                               |   |              |  |               |   |   | निराकरण किया जाना है । |
| कुशलपुरा<br>परियोजना(आर.आई.डी.एफ.<br>नवम चरण)(2897)<br>परियोजना का निर्माण कार्य<br>जिसके पूर्ण होने पर 7540<br>हे. क्षेत्र में सिंचाई क्षमता<br>निर्मित की जावेगी ।   | परियोजना का शीर्ष कार्य<br>50 प्रतिशत पूर्ण एवं नहर<br>कार्य 30 प्रतिशत पूर्ण<br>किया गया । कार्य प्रगति<br>पर ।  | 400.00                        | परियोजना के शेष बचे<br>कार्य को पूर्ण किया जाना<br>प्रस्तावित है ।  | 297.38       | कुल (क्युमुलेटिव ) 60 प्रति.<br>भौतिक शीर्ष कार्य पूर्ण<br>कुल (क्युमुलेटिव ) 50 प्रति.<br>भौतिक नहर कार्य पूर्ण | —             | 100.00  | परियोजना के शेष बचे<br>कार्य को पूर्ण किया<br>जाएगा ।                   |                        |
| संजय सागर (बाह<br>परियोजना)<br>(आर.आई.डी.एफ. ग्यारहवा<br>चरण)(2897)<br>1. परियोजना का निर्माण<br>कार्य जिसके पूर्ण होने पर<br>17807 हे. क्षेत्र में सिंचाई<br>क्षमता निर्मित की जावेगी ।   | 1.बांध का निर्माण कार्य 40<br>प्रतिशत पूर्ण ।<br>2. शीर्ष कार्य लगभग 40<br>प्रतिशत पूर्ण ।  | 400.00                        | शेष लगभग 50 प्रतिशत<br>भौतिक शीर्ष कार्य पूर्ण<br>करने का लक्ष्य ।  | 1,940.46     | शीर्ष कार्य लगभग 45 प्रतिशत<br>कार्य पूर्ण कर लिया गया है ।  | —             | 1,950.00  | परियोजना के शेष बचे<br>कार्य को पूर्ण किया<br>जाएगा ।                   |                        |
| पेंच परियोजना (2897)<br>1. पेंच बहुउद्देशीय<br>परियोजना से छिंदवाडा एवं<br>सिवनी जिले में 89378<br>हैक्टर क्षेत्र में सिंचाई के<br>साथ ही 2— 250 मेगावाट<br>ताप विद्युत संयंत्रों एवं<br>पेयजल आपूर्ति के लिये<br>61.68 मि.क्यू.मी. जल प्रदाय<br>किया जाना प्रस्तावित है । | 1 कार्य प्रगति पर है ।<br>शीर्ष कार्य 5 प्रतिशत एवं<br>नहर कार्य 20 प्रतिशत<br>पूर्ण किया जा चुका है ।<br>2. बांध एवं नहर के लिए<br>भू-अर्जन हेतु रू. 532.50<br>लाख का भुगतान वर्ष<br>2006 में किया जा चुका है<br>। 3. बांध का प्रारंभिक<br>कार्य शुरू किया जा चुका<br>है । | 3,006.00                      | परियोजना का निर्माण कार्य<br>प्रगति पर है । शीर्ष कार्य<br>20 प्रतिशत एवं नहर कार्य<br>40 प्रतिशत पूर्ण करने का<br>लक्ष्य । | 1,927.78     | कार्य प्रगति पर है । शीर्ष कार्य<br>5 प्रतिशत एवं नहर कार्य 30<br>प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है                  | —             | 3,000.00  | परियोजना का शेष कार्य<br>2013 तक पूर्ण जाएगा ।                          |                        |
| सिंध रिमौआ लिंक (2897)<br>नहर का आधुनिकरण कार्य<br>किया जाना है ।  | 1.नहर आधुनिकीकरण का<br>कार्य प्रारंभ ।<br>2. कार्य प्रगति पर है ।   | 200.00                        | नहर का आधुनिकरण का<br>कार्य शत प्रतिशत पूर्ण<br>किया जाना प्रस्तावित है ।   | 73.77        | सिंध रिमौआ लिंक योजना का<br>कार्य 50 प्रतिशत पूर्ण   | —             | 50.00   | नहर का आधुनिकरण कार्य<br>किया जाना है ।                                 |                        |
| महुअर परियोजना (2897)<br>योजना शिवपुरी जिले में<br>प्रस्तावित है । जिसकी   | 1. बांध का कार्य 5<br>प्रतिशत एवं नहर 30<br>प्रतिशत पूर्ण ।   | 200.00                        | बाँध का कार्य 15 प्रतिशत<br>एवं नहर का कार्य 50<br>प्रतिशत पूर्ण किया जाना  | 107.84       | बांध का कार्य 7 प्रतिशत एवं<br>बायी शाखा नहर का कार्य 30<br>प्रतिशत पूर्ण किया गया है ।                          | —             | 792.80  | शेष कार्य पूर्ण किया<br>जाएगा ।   |                        |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 31 जल संसाधन विभाग

विभागाध्यक्ष - 3102 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन

|  |   |       |  |      |  |   |  |       |                               |
|--|---|-------|--|------|--|---|--|-------|-------------------------------|
| रूपांकित सिंचाई क्षमता<br>13775 हेक्टेयर निर्मित की<br>जाना है ।   | 2. वन प्रभावित भूमि की<br>स्वीकृति भारत शासन से<br>प्राप्त ।<br>3. त्वरित सिंचाई लाभ<br>कार्यक्रम के अंतर्गत<br>योजना का प्रस्ताव केन्द्रीय<br>जल आयोग को प्रस्तुत ।<br>उनके द्वारा ली गई<br>आपत्तियों का निराकरण<br>किया जा रहा है । |       | प्रस्तावित ।   |      |  |   |  |       |                               |
| ऐसाहा उ.सिं.यो.<br>योजनायें वर्तमान में<br>प्रारंभिक स्तर पर होने के<br>कारण वर्ष 2009-10 में<br>प्रारंभिक कार्यों पर व्यय<br>किये जाने का प्रावधान है । | प्रारंभिक कार्य शुरू किये<br>गये ।  | 20.00 | योजनाओं के कार्य उपलब्ध<br>आवंटन अनुसार किया<br>जाना प्रस्तावित है । | 0.00 | प्रारंभिक स्तर पर होने के<br>कारण सिंचाई क्षमता का लक्ष्य<br>निर्धारित करना संभव नहीं है । | - |  | 20.00 | सिंचाई क्षमता 28340<br>हेक्टर |

2923 बारना परियोजना

|   |   |       |                                     |        |   |   |  |        |   |
|---|---|-------|-------------------------------------|--------|---|---|--|--------|---|
| 4 ए.आई.बी.पी. ई.आर.एम.<br>परियोजनायें<br>बारना आधुनिकीकरण(2923) | 1.बारना आधुनिकीकरण<br>का 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण<br>।<br>2. योजना का 20 प्रतिशत<br>कार्य किया जा चुका है ।<br>कार्य प्रगति पर है । | 50.00 | शेष कार्य पूर्ण करने का<br>लक्ष्य । | 196.66 | लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण<br>कर लिया गया है । | - |  | 200.00 | शेष कार्य पूर्ण कर वर्तमान<br>निर्मित सिंचाई क्षमता का<br>पूर्ण रूप से उपयोग किया<br>जाना लक्ष्य है । |
| 1. वर्तमान नहर प्रणाली का<br>विस्तार एवं आधुनिकीकरण             |   |       |                                     |        |   |   |  |        |   |



परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 31 जल संसाधन विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 3102 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन**

किया जाकर वर्तमान निर्मित क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग किया जाना है।

**3363 मध्यम परियोजना का सर्वे**

मध्यम परियोजनाओं का सर्वेक्षण (3363) मध्यम परियोजनाओं के अंतर्गत विदिशा जिले की केसरी परियोजना खिरिया खेडी, अहमदपुर, दांगी खेडी, गरेटा, रायसेन जिले की इक्कावन नाल परियोजना, गुना की संजयसागर, बैतूल की देहगुड, जिला सिवनी की धनई, बरबई एवं हालोन, सीहोर की दूधी (कनिया खेडी), सागर की सोनपुर, शाजापुर की कछाल, शहडोल की तिपान एवं धार जिले की घाना परियोजना है। इन योजनाओं के सर्वेक्षण पूर्णकर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जाना प्रस्तावित है। इस वर्ष सूकर, नानी मकडाई मध्यम योजनाओं को सर्वेक्षण हेतु लिया गया है।

गरेटा, इक्यावन नाला, देहगुड, हालोन, कछाल, तिपान परियोजनाओं का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया गया।

120.00 वर्ष 2008-09 की शेष सर्वेक्षणाधीन परियोजनाओं का सर्वेक्षण पूर्ण करना प्रस्तावित है एवं इस वर्ष 10 अन्य मध्यम परियोजनाओं का सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित।

23.06 1.सर्वेक्षित योजना के डी पी आर प्रस्तुत। दूधी (कन्या खेडी)का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। बेगमती, बवनई, ठरं एवं गरकटू योजनाओं के सर्वेक्षण की स्वीकृति प्राप्त।

66.42 मध्यम परियोजनाओं के अंतर्गत विदिशा जिले की केसरी परियोजना खिरिया खेडी, अहमदपुर, दांगी खेडी, गुना की संजयसागर, जिला सिवनी की धनई, बरबई, सीहोर की दूधी (कनिया खेडी), सागर की सोनपुर, एवं धार जिले की घाना परियोजना है। इन योजनाओं के सर्वेक्षण पूर्णकर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जाना प्रस्तावित है। इस वर्ष सूकर, नानी मकडाई मध्यम योजनाओं को सर्वेक्षण हेतु लिया गया है। वर्ष 09-10 की शेष सर्वेक्षणाधीन योजनाओं को पूर्ण करना एवं परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने का लक्ष्य है।

**3366 मध्यम परियोजनाओं निर्माण कार्य**

गोपद परियोजना 1. योजना सीधी जिलें की देवसर विकास खंड में

योजना का शीर्ष कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण। नहर का कार्य 98 प्रतिशत पूर्ण।

30.00 शेष अतिरिक्त कार्य पूर्ण किया जाकर लम्बित देनदारियों का पूर्ण किया

25.00 शेष कार्यों को पूर्ण किया जाकर देनदारिया पूर्ण की जा रही हैं।

30.00 1. योजना सीधी जिलें की देवसर विकास खंड में निर्माणधीन है। योजना की

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 31 जल संसाधन विभाग

विभागाध्यक्ष - 3102 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन

निर्माणधीन है। योजना की अद्यतन लागत रु. 2113.34 लाख एवं सिंचाई क्षमता 2429 हे. खरीफ तथा 3239 हेक्टेयर रबी कुल 5668 हे. वार्षिक सिंचाई प्रस्तावित है। योजना से 10 ग्राम लाभित होंगे। योजना पूर्ण हो चुकी है।

2. योजना की पूर्ण सिंचाई क्षमता वर्ष 2006-07 तक निर्मित की जा चुकी है।

3. सुनिश्चित सिंचाई हेतु लिपिटंग व्यवस्था (हेडवर्क्स) में अतिरिक्त कार्य की आवश्यकता है तथा शेष कार्य एवं लंबित देनदारियों का भुगतान किया जाना है।

माही परियोजना (3366)  
1. परियोजना के अंतर्गत झाबुआ तथा धार जिले में 26430 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित की जाना है। परियोजना आदिवासी उपयोजना मद के अंतर्गत निर्माणाधीन है।

1. मुख्य बांध के 75 प्रतिशत एवं नहर कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण।  
2. वर्ष 2006-07 तक 7913 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित हो चुकी है।  
3. वर्ष 2007-08 में 9258 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित की गई।  
4. वर्ष 2008-09 में 2500 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित की जाना प्रस्तावित है।

शेष कार्य किये गये।

3,207.00

जाना।

1. परियोजना के शेष बचे मुख्य बाँध तथा इसकी नहर प्रणाली को पूर्ण करना।  
2. इस वर्ष 3000 है. क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित करने का लक्ष्य।

2,092.20

मुख्य बाँध का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

23.53

लंबित देनदारियों का निराकरण किया जा रहा है।

सेन्ट्रल स्पिलवे का कार्य एजेन्सी निर्धारण न होने से एवं आवंटन की कमी।

बजट आवंटन कम प्राप्त हुआ है

3,663.00

अद्यतन लागत रु. 2113.34 लाख एवं सिंचाई क्षमता 2429 हे. खरीफ तथा 3239 हेक्टेयर रबी कुल 5668 हे. वार्षिक सिंचाई प्रस्तावित है। योजना से 10 ग्राम लाभित होंगे। योजना पूर्ण हो चुकी है।

2. योजना की पूर्ण सिंचाई क्षमता वर्ष 2006-07 तक निर्मित की जा चुकी है।

3. सुनिश्चित सिंचाई हेतु लिपिटंग व्यवस्था (हेडवर्क्स) में अतिरिक्त कार्य की आवश्यकता है तथा शेष कार्य एवं लंबित देनदारियों का भुगतान किया जाना है।

1. योजना से 2400 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई निर्मित की जा चुकी है।  
2. परियोजना लगभग पूर्ण हो चुकी है। शेष कार्य

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 31 जल संसाधन विभाग

विभागाध्यक्ष - 3102 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन

हो चुकी है । शेष कार्य  
किया जाना है एवं लंबित  
देन दारियों का भुगतान  
किया जाना है ।

किया जाना है एवं लंबित  
देन दारियों का भुगतान  
किया जाना है ।

3368 मध्यम सिंचाई निर्माण कार्य

|  |  |          |   |          |  |   |          |   |
|--|--|----------|---|----------|--|---|----------|---|
| गुलाब सागर (महान)<br>परियोजना (3368)<br>1. गुलाब सागर वृहद<br>परियोजना जिला सीधी में<br>महान नदी पर सोनकछार<br>में खड़डी ग्राम के समीप<br>प्रस्तावित है । परियोजना<br>से सीधी जिले में 19740<br>हेक्टर रूपांकित सिंचाई<br>क्षमता निर्मित की जाना है<br>। 2. इस वर्ष 3000 हेक्टर<br>क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का<br>सृजन किया जाना<br>प्रस्तावित है । | 1. योजना का शीर्ष कार्य<br>90 प्रतिशत एवं नहर कार्य<br>45 प्रतिशत पूर्ण ।<br>2. वर्ष 2006-07 तक<br>4500 हेक्टर क्षेत्र में<br>सिंचाई क्षमता निर्मित हो<br>चुकी है ।<br>3. वर्ष 2007-08 में 5922<br>हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई<br>क्षमता निर्मित की गई । | 1,200.00 | शेष बचे बाँध एवं नहर<br>कार्यों को पूर्ण किया जाकर<br>वांछित सिंचाई क्षमता<br>निर्मित किया जाना<br>प्रस्तावित । | 1,192.80 | शीर्ष कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण<br>कर लिया गया है तथा पक्के<br>बाँध में 2 नग स्लूस गेट का<br>कार्य प्रगति पर है । |   | 2,100.00 | शेष बचे बाँध एवं नहर<br>कार्यों को पूर्ण किया<br>जाकर वांछित सिंचाई<br>क्षमता निर्मित किया जाना<br>प्रस्तावित । |
| सगड़ परियोजना (3368)<br>1. परियोजना विदिशा जिले<br>के नटेरन विकास खंड के<br>ग्राम पेगवाई के पास सगड़<br>नदी पर है । योजना की<br>अद्यतन लागत रू 8295<br>लाख है एवं नटेरन तथा<br>बासोदा तहसील के 9478<br>हे. क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित<br>है । परियोजना से वन भूमि<br>प्रभावित है ।  | 1. वन प्रकरण मुख्य वन<br>संरक्षक म प्र शासन द्वारा<br>भारत सरकार नई दिल्ली<br>को भेजा गया ।<br>2. वन प्रकरण पर भारत<br>शासन पर्यावरण एवं वन<br>मंत्रालय द्वारा प्रथम चरण<br>स्वीकृति प्रदान कर दी<br>गई है ।   | 100.00   | वन प्रकरण मुख्य वन<br>संरक्षक म प्र शासन द्वारा<br>भारत सरकार नई दिल्ली<br>को भेजा गया ।                        | 182.69   | वन प्रकरण स्वीकृत ।<br>ए.आई.बी.पी. में प्रस्ताव अनुदान<br>माँग हेतु प्रस्तुत                                   | - | 500.00   | परियोजना के कार्यों को<br>शुरू किया जाना ।  |
| खिरकिया नहर<br>योजनायें वर्तमान में<br>प्रारंभिक स्तर पर होने के<br>कारण वर्ष 2008-09 में<br>प्रारंभिक कार्यों पर व्यय   | प्रारंभिक कार्य शुरू किये<br>गये ।   | 40.00    | मध्यम योजनाओं के कार्य<br>उपलब्ध आवंटन अनुसार<br>किया जाना प्रस्तावित है ।                                      | 35.84    | प्रारंभिक स्तर पर होने के<br>कारण सिंचाई क्षमता का लक्ष्य<br>निर्धारित करना संभवन नहीं है<br>।                 | - | 40.00    | सिंचाई क्षमता 2905 हेक्टर   |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 31 जल संसाधन विभाग

विभागाध्यक्ष - 3102 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन

किये जाने का प्रावधान है ।

3803 लघु एवं लघुतम सिंचाई योजनाएं

|  |   |           |  |          |   |   |           |  |
|--|---|-----------|--|----------|---|---|-----------|--|
| अन्य लघु सिंचाई योजनाएं इस वर्ष 195 लघु योजनाएं पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है जिससे लगभग 40120 है. रूपांकित सिंचाई क्षमता निर्मित होगी । | लगभग 18442 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित एवं 162 लघु योजनाएं पूर्ण । | 15,481.02 | कुल 498 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। 151 योजनाएं पूर्ण करने का लक्ष्य। कुल 22283 है. क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित की जावेगी। | 9,944.84 | 7000 है. अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित की गई।                      | — | 17,553.93 | इस वर्ष 28000 है सिंचाई क्षमता निर्मित करने का लक्ष्य।   |
| लघु सिंचाई योजनाओं का सर्वेक्षण (3803) कुल 800 लघु योजनायें सर्वेक्षणाधीन है। इनमें से इस वर्ष 300 योजनाओं के                              | 715 लघु सिंचाई परियोजनाओं का सवेक्षण कार्य पूर्ण                      | 715.00    | वर्ष 2009-10 में शेष तथा 2008-09 की लघु परियोजनाओं का सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया जावेगा एवं इस वर्ष कुल 525 अन्य                                | 166.22   | सर्वेक्षण उपरान्त 220 योजनाओं के परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये गये। | — | 479.00    | कुल 580 लघु योजनायें सर्वेक्षणाधीन है। इनमें से इस वर्ष 300 योजनाओं के विस्तृत परियाजना प्रतिवेदन तैयार कर |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 31 जल संसाधन विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 3102 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन**

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर प्रशासकीय अनुमोदन की कार्यवाही की जाना है ।

योजनाओं का सर्वेक्षण प्रारंभ किया जाकर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जाना

प्रशासकीय अनुमोदन की कार्यवाही की जाना है ।

**3828 लघु सिंचाई योजना**

लघु सिंचाई योजनाओं का सर्वेक्षण (3828) कुल 800 लघु योजनायें सर्वेक्षणाधीन हैं। इनमें से इस वर्ष 300 योजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर प्रशासकीय अनुमोदन की कार्यवाही की जाना है ।

715 लघु सिंचाई परियोजनाओं का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण

715.00

वर्ष 2009-10 में शेष तथा 2008-09 की लघु परियोजनाओं का सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया जावेगा एवं इस वर्ष कुल 525 अन्य योजनाओं का सर्वेक्षण प्रारंभ किया जाकर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जाना

96.58

सर्वेक्षण उपरान्त 220 योजनाओं के परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये गये।

341.00

कुल 580 लघु योजनायें सर्वेक्षणाधीन हैं। इनमें से इस वर्ष 300 योजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर प्रशासकीय अनुमोदन की कार्यवाही की जाना है ।

अन्य लघु सिंचाई योजनाएं इस वर्ष 195 लघु योजनाएं पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है जिससे लगभग 40120 हे. रूपांकित सिंचाई क्षमता निर्मित होगी ।

लगभग 18442 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित एवं 162 लघु योजनाएं पूर्ण ।

15,481.02

कुल 498 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। 151 योजनाएं पूर्ण करने का लक्ष्य। कुल 22283 हे. क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित की जावेगी।

3,139.67

7000 हे. अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित की गई।

9,348.00

इस वर्ष 28000 हे सिंचाई क्षमता निर्मित करने का लक्ष्य।

**4146 वृहद परियोजनाओं का सर्वेक्षण**

वृहद परियोजनाओं का सर्वेक्षण (4146) वृहद परियोजनाओं के अंतर्गत पंचमनगर जिला दमोह, पार्वती रिन्सी जिला राजगढ, बीना एवं केन धसान काम्पलेक्स जिला सागर, बरियारपुर आर.बी.सी जिला छतरपुर आदि परियोजनायें सर्वेक्षणाधीन हैं। इन सभी परियोजनाओं

पंचम नगर एवं बीना परियोजना का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण ।

408.95

वर्ष 2008-09 की शेष सर्वेक्षणाधीन परियोजनाओं का सर्वेक्षण पूर्ण करना प्रस्तावित है एवं इस वर्ष 9 वृहद परियोजनाओं का सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित ।

336.96

बीना काम्पलेक्स एवं पंचम नगर काम्पलेक्स के डी पी आर परीक्षणाधीन, ईस्टर्न बाग अंतर्राज्यीय परि. एवं कन्हान (जामघाट) जल विद्युत परि. के सर्वेक्षण की स्वीकृति प्राप्त

131.04

वृहद परियोजनाओं के अंतर्गत , पार्वती रिन्सी जिला राजगढ, , बरियारपुर आर.बी.सी जिला छतरपुर आदि परियोजनायें सर्वेक्षणाधीन हैं। इन सभी परियोजनाओं के सर्वेक्षण पूर्ण कर डीपीआर तैयार कर प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है तथा इस वर्ष

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित  | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय   | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |                 | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|---|---|-------------------------------|--|--------------|--|-----------------|---|---|--------------|
|   |   |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि   |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1   | 2   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7               | 8   | 9   | 10           |
| <b>विभाग - 31 जल संसाधन विभाग</b>   |   |                               |  |              |  |                 |   |   |              |
| <b>विभागाध्यक्ष - 3102 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन</b>  |   |                               |  |              |  |                 |   |   |              |
| के सर्वेक्षण पूर्ण कर<br>डीपीआर तैयार कर<br>प्रशासकीय स्वीकृति की<br>कार्यवाही की जाना<br>प्रस्तावित है तथा इस वर्ष<br>पवई पतनेह मिदासन,<br>सोनेरा खामखेडा,<br>पटनपुर, बुडलिया एवं<br>मोहनपुरा वृहदपरियोजनाओं<br>का सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ<br>किया जा रहा है । |   |                               |  |              |  |                 |   |   |              |
| पवई पतनेह मिदासन,<br>सोनेरा खामखेडा,<br>पटनपुर, बुडलिया एवं<br>मोहनपुरा वृहदपरियोजनाओं<br>का सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ<br>किया जाएगा ।  |   |                               |  |              |  |                 |   |   |              |
| <b>5570</b>   | <b>सेठानी घाट खोह भराई एवं रतन मंदिर के गोल घाट तक मरम्मत कार्य</b>           |                               |  |              |  |                 |   |   |              |
|   | घाट के मरम्मत कार्य   |                               | 10.00  |              | 0.00   |                 |   | 15.00   |              |
| <b>5573</b>   | <b>जाम नदी पर मुख्यालय पाणदुरना में रिटेरिग वाल का निर्माण ( भाग-1:</b>       |                               |  |              |  |                 |   |   |              |
|   | वाल निर्माण कार्य   |                               | 10.00  |              | 8.33   | कार्य प्रगति पर |   | 5.00  |              |
| <b>5574</b>   | <b>जाम नदी पर मुख्यालय पाणदुरना में रिटेरिग वाल का निर्माण ( भाग-2 )</b>      |                               |  |              |  |                 |   |   |              |
|   | वाल निर्माण कार्य   |                               | 15.00  |              | 4.99   | कार्य प्रगति पर |   | 5.00  |              |
| <b>5575</b>   | <b>रिछोरा घोघराघाट निर्माण</b>  |                               |  |              |  |                 |   |   |              |
|   | घाट निर्माण   |                               | 15.00  |              | 0.00   |                 |   | 1.00  |              |
| <b>5576</b>   | <b>सुदानिया घाट निर्माण</b>   |                               |  |              |  |                 |   |   |              |
|   | घाट निर्माण   |                               | 15.10  |              | 6.06   | कार्य प्रगति पर |   | 5.00  |              |
| <b>5577</b>   | <b>जहांनपुर घाट निर्माण</b>   |                               |  |              |  |                 |   |   |              |
|   | घाट निर्माण   |                               | 15.00  |              | 4.87   | कार्य प्रगति पर |   | 1.00  |              |
| <b>5578</b>   | <b>अवलिया घाट निर्माण</b>   |                               |  |              |  |                 |   |   |              |
|   | घाट निर्माण   |                               | 15.00  |              | 0.07   |                 |   | 5.00  |              |
| <b>5579</b>   | <b>होशंगाबाद में कमिश्नर कार्यालय से विवेकानंद नर्मदा तट तक पिचिंग मरम्मत</b> |                               |  |              |  |                 |   |   |              |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित                           | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय   | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम  | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |                                 | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |   | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |   |
|--|---|--|--|---------------------------------|--|---|---|---|---|
|  |   |  | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य                    | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि   |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य  |
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5                               | 6  | 7   | 8   | 9   | 10  |
| <b>विभाग - 31 जल संसाधन विभाग</b>                    |   |  |  |                                 |  |   |   |   |   |
| <b>विभागाध्यक्ष - 3102 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन</b> |   |  |  |                                 |  |   |   |   |   |
|  | नर्मदा तट पिचिंग मरम्मत   |  | 10.00  |                                 | 7.16   | कार्य प्रगति पर   |   | 25.00   |   |
| <b>5580</b>  | <b>ग्राम रेहट बाढ़ नियंत्रण योजना</b>   |  | 15.00  |                                 | 15.00  |   |   | 50.00   |   |
| <b>5581</b>  | <b>कोलार परियोजना नहर प्रणाली का सुदृढीकरण</b>  |  |  |                                 |  |   |   |   |   |
|  | कोलार नहर प्रणाली का सुदृढीकरण (5581)   | कोलार नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण का कार्य   | 300.00   | शेष कार्य किया जाना प्रस्तावित। | 298.99   | योजना का 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण।  | -   | 200.00  | योजना का शेष कार्य पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है एवं पेंडिंग लायबिलिटीस का निराकरण। |
|  | 1. वर्तमान नहर प्रणाली का विस्तार एवं आधुनिकीकरण किया जाकर वर्तमान निर्मित क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग किया जाना है। | 30 प्रतिशत पूर्ण।  |  |                                 |  |   |   |   |   |
|  | 2. योजना प्रारंभिक स्तर पर है। वर्ष 2008-09 में कार्य किया जाना प्रस्तावित है।  |  |  |                                 |  |   |   |   |   |
| <b>5583</b>  | <b>सेमरी तालाब</b>  |  |  |                                 |  |   |   |   |   |
|  | नवीन मध्यम योजनायें सेमरी तालाब   | योजनायें वर्तमान में प्रारंभिक स्तर पर होने के कारण वर्ष 2008-09 में प्रारंभिक कार्यों पर व्यय किये जाने का प्रावधान है। | 10.00  | प्रारंभिक कार्य शुरू किये गये।  | 3.33   | प्रारंभिक स्तर पर होने के कारण सिंचाई क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करना संभव नहीं है। | -   | 10.00   | सिंचाई क्षमता 5000 हेक्टर   |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 31 जल संसाधन विभाग

विभागाध्यक्ष - 3102 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन

प्रारंभिक कार्य शुरू किये  
गये ।

5584 सिंहपुर बैराज

|   |  |        |   |        |  |   |        |  |
|---|--|--------|---|--------|--|---|--------|--|
| सिंहपुर बैराज (5584)<br>सिंहपुर बैराज छत्तरपुर<br>जिले की मध्यम योजना है<br>। जिसकी कुल लागत रु.<br>9438.00 लाख है एवं<br>10200 हैक्टेयर क्षेत्र में<br>सिंचाई क्षमता निर्मित की<br>जाना है । | 1. योजना निर्माण हेतु<br>निविदा प्राप्त ।<br>2. निविदा स्वीकृति प्रकरण<br>मान. मुख्य न्यायालय में<br>विचाराधीन है ।<br>3. योजना प्रारंभिक चरण<br>में होने के कारण वर्तमान<br>में कुल रूपये 22.00 लाख<br>व्यय किया जा चुका है ।<br>4. वर्ष 2008-09 में कार्य<br>में गति देने हेतु रूपये<br>1400.00 लाख का<br>प्रावधान किया गया है । | 400.00 | मान. न्यायालय के<br>निर्णयोपरान्त कार्य प्रारंभ<br>किया जाना प्रस्तावित । | 315.88 | योजना के प्रारंभिक कार्य शुरू<br>किये गये। | - | 655.00 | योजना का शीर्ष कार्य<br>किया जाना प्रस्तावित । |
|---|--|--------|---|--------|--|---|--------|--|

5585 गरेठा मध्यम परियोजना

|                      |                           |        |                        |       |                                |   |        |                           |
|----------------------|---------------------------|--------|------------------------|-------|--------------------------------|---|--------|---------------------------|
| योजनायें वर्तमान में | प्रारंभिक कार्य शुरू किये | 100.00 | मध्यम योजनाओं के कार्य | 19.09 | योजनायें वर्तमान में प्रारंभिक | - | 100.00 | सिंचाई क्षमता 2730 हैक्टर |
|----------------------|---------------------------|--------|------------------------|-------|--------------------------------|---|--------|---------------------------|



परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 31 जल संसाधन विभाग

विभागाध्यक्ष - 3102 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन

प्रारंभिक स्तर पर होने के  
कारण वर्ष 2008-09 में  
प्रारंभिक कार्यों पर व्यय  
किये जाने का प्रावधान है ।

गये ।

उपलब्ध आवंटन अनुसार  
किया जाना प्रसतावित है ।

स्तर पर होने के कारण सिंचाई  
क्षमता के लक्ष्य का निर्धारण  
करना संभव नहीं है ।

5586 बनेठा मध्यम परियोजना

योजनायें वर्तमान में  
प्रारंभिक स्तर पर होने के  
कारण वर्ष 2008-09 में  
प्रारंभिक कार्यों पर व्यय  
किये जाने का प्रावधान है ।

प्रारंभिक कार्य शुरू किये  
गये ।

1,000.00

मध्यम योजनाओं के कार्य  
उपलब्ध आवंटन अनुसार  
किया जाना प्रसतावित है ।

401.38

प्रारंभिक स्तर पर होने के  
कारण सिंचाई क्षमता का लक्ष्य  
निर्धारित करना संभव नहीं है  
।

—

1,000.00 सिंचाई क्षमता 3740 हैक्टर

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 31 जल संसाधन विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 3102 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन**

**5587 घोघरा मध्यम परियोजना**

|   |                                    |        |  |       |  |   |        |                           |
|---|------------------------------------|--------|--|-------|--|---|--------|---------------------------|
| योजनायें वर्तमान में<br>प्रारंभिक स्तर पर होने के<br>कारण वर्ष 2008-09 में<br>प्रारंभिक कार्यों पर व्यय<br>किये जाने का प्रावधान है । | प्रारंभिक कार्य शुरू किये<br>गये । | 100.00 | मध्यम योजनाओं के कार्य<br>किया जाना है । | 50.07 | प्रारंभिक स्तर पर होने के<br>कारण सिंचाई क्षमता का लक्ष्य<br>निर्धारित करना संभव नहीं है । | - | 100.00 | सिंचाई क्षमता 2400 हैक्टर |
|---|------------------------------------|--------|--|-------|--|---|--------|---------------------------|

**5588 बघरू मध्यम परियोजना**

|   |                                    |        |  |       |  |   |        |                           |
|---|------------------------------------|--------|--|-------|--|---|--------|---------------------------|
| योजनायें वर्तमान में<br>प्रारंभिक स्तर पर होने के<br>कारण वर्ष 2008-09 में<br>प्रारंभिक कार्यों पर व्यय<br>किये जाने का प्रावधान है । | प्रारंभिक कार्य शुरू किये<br>गये । | 100.00 | मध्यम योजनाओं के कार्य<br>किया जाना है । | 96.70 | प्रारंभिक स्तर पर होने के<br>कारण सिंचाई क्षमता का लक्ष्य<br>निर्धारित करना संभव नहीं है । | - | 500.00 | सिंचाई क्षमता 3350 हैक्टर |
|---|------------------------------------|--------|--|-------|--|---|--------|---------------------------|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 31 जल संसाधन विभाग

विभागाध्यक्ष - 3102 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन

5589 रेहटी मध्यम परियोजना

|   |                                    |        |  |       |  |   |        |                           |
|---|------------------------------------|--------|--|-------|--|---|--------|---------------------------|
| योजनायें वर्तमान में<br>प्रारंभिक स्तर पर होने के<br>कारण वर्ष 2008-09 में<br>प्रारंभिक कार्यों पर व्यय<br>किये जाने का प्रावधान है । | प्रारंभिक कार्य शुरू किये<br>गये । | 100.00 | मध्यम योजनाओं के कार्य<br>किया जाना है । | 46.90 | प्रारंभिक स्तर पर होने के<br>कारण सिंचाई क्षमता का लक्ष्य<br>निर्धारित करना संभव नहीं है । | — | 500.00 | सिंचाई क्षमता 2905 हैक्टर |
|---|------------------------------------|--------|--|-------|--|---|--------|---------------------------|

5590 खरसानिया उपनहर योजना

|   |                                    |        |  |       |  |   |        |                           |
|---|------------------------------------|--------|--|-------|--|---|--------|---------------------------|
| योजनायें वर्तमान में<br>प्रारंभिक स्तर पर होने के<br>कारण वर्ष 2008-09 में<br>प्रारंभिक कार्यों पर व्यय<br>किये जाने का प्रावधान है । | प्रारंभिक कार्य शुरू किये<br>गये । | 100.00 | मध्यम योजनाओं के कार्य<br>किया जाना है । | 63.47 | प्रारंभिक स्तर पर होने के<br>कारण सिंचाई क्षमता का लक्ष्य<br>निर्धारित करना संभव नहीं है । | — | 200.00 | सिंचाई क्षमता 4915 हैक्टर |
|---|------------------------------------|--------|--|-------|--|---|--------|---------------------------|

5591 मरदानपुर उद्वहन सिंचाई योजना

|  |                                    |        |  |        |  |   |        |                           |
|--|------------------------------------|--------|--|--------|--|---|--------|---------------------------|
| योजनायें वर्तमान में<br>प्रारंभिक स्तर पर होने के<br>कारण वर्ष 2008-09 में | प्रारंभिक कार्य शुरू किये<br>गये । | 400.00 | मध्यम योजनाओं के कार्य<br>किया जाना है । | 120.32 | प्रारंभिक स्तर पर होने के<br>कारण सिंचाई क्षमता का लक्ष्य<br>निर्धारित करना संभव नहीं है । | — | 200.00 | सिंचाई क्षमता 1500 हैक्टर |
|--|------------------------------------|--------|--|--------|--|---|--------|---------------------------|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 31 जल संसाधन विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 3102 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन**

प्रारंभिक कार्यों पर व्यय  
किये जाने का प्रावधान है ।

**5592 सीप कोलार लिंक व्यपवर्तन योजना**

|   |                                    |        |  |      |  |   |          |                           |
|---|------------------------------------|--------|--|------|--|---|----------|---------------------------|
| योजनायें वर्तमान में<br>प्रारंभिक स्तर पर होने के<br>कारण वर्ष 2008-09 में<br>प्रारंभिक कार्यों पर व्यय<br>किये जाने का प्रावधान है । | प्रारंभिक कार्य शुरू किये<br>गये । | 100.00 | मध्यम योजनाओं के कार्य<br>किया जाना है । | 0.61 | प्रारंभिक स्तर पर होने के<br>कारण सिंचाई क्षमता का लक्ष्य<br>निर्धारित करना संभव नहीं है । | — | 1,000.00 | सिंचाई क्षमता 6100 हैक्टर |
|---|------------------------------------|--------|--|------|--|---|----------|---------------------------|

**5593 मोंगराखेड़ा मध्यम सिंचाई योजना**

|   |                                    |       |  |      |  |   |        |  |
|---|------------------------------------|-------|--|------|--|---|--------|--|
| योजनायें वर्तमान में<br>प्रारंभिक स्तर पर होने के<br>कारण वर्ष 2008-09 में<br>प्रारंभिक कार्यों पर व्यय<br>किये जाने का प्रावधान है । | प्रारंभिक कार्य शुरू किये<br>गये । | 80.31 | मध्यम योजनाओं के कार्य<br>किया जाना है । | 0.00 | प्रारंभिक स्तर पर होने के<br>कारण सिंचाई क्षमता का लक्ष्य<br>निर्धारित करना संभव नहीं है । | — | 100.00 |  |
|---|------------------------------------|-------|--|------|--|---|--------|--|

**5594 तवा बांयी नहर प्रणाली के चार एक्वाडक्ट**

|   |                                    |        |  |       |  |   |        |  |
|---|------------------------------------|--------|--|-------|--|---|--------|--|
| योजनायें वर्तमान में<br>प्रारंभिक स्तर पर होने के<br>कारण वर्ष 2008-09 में<br>प्रारंभिक कार्यों पर व्यय<br>किये जाने का प्रावधान है । | प्रारंभिक कार्य शुरू किये<br>गये । | 100.00 | मध्यम योजनाओं के कार्य<br>किया जाना है । | 51.00 | प्रारंभिक स्तर पर होने के<br>कारण सिंचाई क्षमता का लक्ष्य<br>निर्धारित करना संभव नहीं है । | — | 100.00 |  |
|---|------------------------------------|--------|--|-------|--|---|--------|--|

**5595 अपर ककेटो बांध परियोजना**

|   |  |        |                                   |        |  |   |        |   |
|---|--|--------|-----------------------------------|--------|--|---|--------|---|
| अपर ककेटो (5595)<br>1. अपर ककेटो ग्वालियर<br>जिले की मध्यम परियोजना<br>है । जिसकी कुल लागत<br>रु. 9450.00 लाख है ।<br>जिससे सिंचाई क्षमता 9520<br>हेक्टर क्षेत्र में निर्मित किया | 1. योजना का प्रारंभिक<br>कार्य शुरू किया जा चुका<br>है ।<br>2. योजना प्रारंभिक चरण<br>में होने के कारण कुल<br>रुपये 8.00 लाख व्यय<br>किया जा चुका है । | 200.00 | शेष कार्य पूर्ण किया जाना<br>है । | 164.34 |  | जन आक्रोश के कारण निर्माण<br>स्थल पर कार्य प्रारंभ नहीं हो<br>सका । | 200.00 | 1. अपर ककेटो ग्वालियर<br>जिले की मध्यम परियोजना<br>है । जिसकी कुल लागत<br>रु. 9450.00 लाख है ।<br>जिससे सिंचाई क्षमता<br>9520 हेक्टर क्षेत्र में निर्मित<br>किया जाना प्रस्तावित है । |
|---|--|--------|-----------------------------------|--------|--|---|--------|---|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित                           | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय                                    | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |                 | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|--|--|-------------------------------|--|--------------|--|-----------------|---|---|--------------|
|  |  |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि   |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1  | 2  | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7               | 8   | 9   | 10           |
| <b>विभाग - 31 जल संसाधन विभाग</b>                    |  |                               |  |              |  |                 |   |   |              |
| <b>विभागाध्यक्ष - 3102 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन</b> |  |                               |  |              |  |                 |   |   |              |
| जाना प्रस्तावित है ।                                 |  |                               |  |              |  |                 |   |   |              |
| 2. वर्ष 2008-09 के दौरान                             |  |                               |  |              |  |                 |   |   |              |
| कार्य में गति देने हेतु रूपये                        |  |                               |  |              |  |                 |   |   |              |
| 1300.00 लाख का प्रावधान                              |  |                               |  |              |  |                 |   |   |              |
| किया गया है ।  |  |                               |  |              |  |                 |   |   |              |
| <b>5742</b>  | <b>बाबरी घाट बाढ़ नियंत्रण योजना</b>                                   |                               | 15.00  |              | 15.00  | कार्य प्रगति पर |   | 20.00   |              |
| <b>5743</b>  | <b>डीमावर घाट बाढ़ नियंत्रण योजना</b>                                  |                               | 15.00  |              | 13.97  | कार्य प्रगति पर |   | 20.00   |              |
|  | घाट निर्माण  |                               |  |              |  |                 |   |   |              |
| <b>5744</b>  | <b>मण्डी घाट बाढ़ नियंत्रण योजना</b>                                   |                               | 15.00  |              | 14.00  | कार्य प्रगति पर |   | 20.00   |              |
|  | घाट निर्माण  |                               |  |              |  |                 |   |   |              |
| <b>5745</b>  | <b>नीलकण्ठ घाट बाढ़ नियंत्रण योजना</b>                                 |                               | 15.00  |              | 15.00  | कार्य प्रगति पर |   | 30.00   |              |
|  | घाट निर्माण  |                               |  |              |  |                 |   |   |              |
| <b>5746</b>  | <b>सातदेव घाट बाढ़ नियंत्रण योजना</b>                                  |                               | 15.00  |              | 14.99  | कार्य प्रगति पर |   | 5.00  |              |
|  | घाट निर्माण  |                               |  |              |  |                 |   |   |              |
| <b>5747</b>  | <b>छीपानेर घाट बाढ़ नियंत्रण योजना</b>                                 |                               | 20.00  |              | 12.28  | कार्य प्रगति पर |   | 5.00  |              |
|  | घाट निर्माण  |                               |  |              |  |                 |   |   |              |
| <b>5748</b>  | <b>रमगढ़ा घाट बाढ़ नियंत्रण योजना</b>                                  |                               | 20.00  |              | 19.75  | कार्य प्रगति पर |   | 30.00   |              |
|  | घाट निर्माण  |                               |  |              |  |                 |   |   |              |
| <b>5749</b>  | <b>जमडार नदी के राजघाट पर नदी के कटाव के रोकथाम हेतु सुरक्षा योजना</b> |                               | 20.00  |              | 0.56   | कार्य प्रगति पर |   | 5.00  |              |
|  | घाट निर्माण  |                               |  |              |  |                 |   |   |              |
| <b>5750</b>  | <b>ग्राम जैत में नर्मदा नदी पर घाट एवं तट प्रोटेक्शन फेस-2</b>         |                               | 20.00  |              | 0.00   |                 |   | 40.00   |              |
|  | घाट एवं प्रोटेक्शन   |                               |  |              |  |                 |   |   |              |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 31 जल संसाधन विभाग

विभागाध्यक्ष - 3102 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन

5751 धपेरा मोहगांव बाढ़ नियंत्रण योजना

20.00

0.00

5.00

5769 बारना परियोजना में मुख्य दायी नहर डी-4/एम-2 नहर में सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण

योजनायें वर्तमान में प्रारंभिक स्तर पर होने के कारण वर्ष 2008-09 में प्रारंभिक कार्यों पर व्यय किये जाने का प्रावधान है।

प्रारंभिक कार्य शुरू किये गये।

200.00

मध्यम योजनाओं के कार्य किया जाना है।

122.61

प्रारंभिक स्तर पर होने के कारण सिंचाई क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करना संभव नहीं है।

200.00

6359 स्वर्ण रेखा बाढ़ नियंत्रण योजना चरण-2

300.00

182.39

कार्य प्रगति पर

120.00

6707 पायलट प्रोजेक्ट

पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत लघु सिंचाई योजनाएं (आर.आर.आर.) 1. कृषि से सीधे जुड़े जल निकायों की मरम्मत नवीनीकरण एवं पुनरुद्धार के लिए शिवपुरी जिले के 65 एवं टीकमगढ़ जिले के

1. मरम्मत, नवीनीकरण एवं पुनरुद्धार के कार्य लगभग 45 प्रतिशत पूर्ण किये गये।  
2. टीकमगढ़ जिले में एक योजना पूर्ण की जा चुकी है। शेष में कार्य प्रगति पर है।

20.00

शेष कार्य पूर्ण किये जाएंगे। जल निकायों की भंडारण क्षमता पुनर्स्थापित होगी।

366.08

45 प्रतिशत कार्य पूर्ण

—

1.00

शेष कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य।

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 31 जल संसाधन विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 3102 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन**

5 पुराने सिंचाई तालाबों को पायलट योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त की गयी है। इन परियोजनाओं की कुल लागत रु. 45.20 करोड़ अनुमानित है।

**6708 ए.आई.बी.पी. योजनाएं**

।।। ए.आई.बी.पी. योजनाएं (लघु) लघु योजनायें (6708) ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत 69 लघु सिंचाई योजनाओं का कार्य पूरा किया जाकर 19465 हे. क्षेत्र में रूपांकित सिंचाई क्षमता निर्मित की जाना है।

योजनाओं के प्रारंभिक कार्य शुरू तथा 21 परियोजनाएँ पूर्ण कर 4633 हे. क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित की गई।

26,767.93

ए.आई.बी.पी. की निर्माणाधीन 212 योजनाओं का कार्य प्रगति पर। कुल 64 परियोजनाएँ पूर्ण करने का लक्ष्य। योजनाओं को पूर्ण कर 7100 हे. क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित की जावेगी।

14,453.61

7 योजनाएँ पूर्ण की गई एवं 1244 हे. क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित की गई।

-

27,540.00

ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत 69 लघु सिंचाई योजनाओं का कार्य किया जाकर शेष रूपांकित सिंचाई क्षमता निर्मित की जाना है। इस वर्ष भू-अर्जन एवं बांध व नहर के प्रारंभिक कार्य किये जावेगे।

**7076 माचक नहर विस्तार**

तवा कमाण्ड क्षेत्र का विस्तार (माचक डिस्ट्रीब्यूटरी) (आर.आई.डी.एफ. अष्टम चरण) (7076)  
1. तवा कमाण्ड क्षेत्र में माचक डिस्ट्रीब्यूटरी का निर्माण कार्य, जिससे 12375 हे. क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित की जा सकेगी।  
2. वर्ष 2006-07 तक 520 हे. क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी है एवं वर्ष 2007-08 में 1000 हे. क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित किया जाना लक्षित है।

वर्ष 2008-09 में 1000 हे. क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित की।

10.00

योजना का शेष कार्य पूर्ण किया जाना प्रसतावित है एवं पेंडिंग लायबिलिटीस का निराकरण। योजना से 9900 हे. क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित होगी।

9.52

योजना का 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण।

-

30.00

योजना का शेष कार्य पूर्ण किया जाना प्रसतावित है एवं पेंडिंग लायबिलिटीस का निराकरण।

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित   | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय   | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |  | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |  | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |   |
|--|---|-------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|
|  |   |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य   | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि  |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य  |
| 1  | 2   | 3                             | 4  | 5  | 6  | 7  | 8   | 9   | 10  |
| <b>विभाग - 31 जल संसाधन विभाग</b>  |   |                               |  |  |  |  |   |   |   |
| <b>विभागाध्यक्ष - 3102 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन</b>                                     |   |                               |  |  |  |  |   |   |   |
| 3. वर्ष 2008-09 में योजना पूर्ण कर 10857 है. क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित करना है । |   |                               |  |  |  |  |   |   |   |
| <b>9190</b>  | <b>बान्द्राभान बाढ़ नियंत्रण योजना जिला सीहोर</b>                           |                               | 15.00  |  | 0.00   |  |   | 2.00  |   |
| <b>9191</b>  | <b>शाहगंज बाढ़ नियंत्रण योजना सीहोर</b>                                     |                               | 15.00  |  | 14.50  | कार्य प्रगति पर  |   | 20.00   |   |
| <b>9194</b>  | <b>पायरा बाढ़ नियंत्रण योजना दमोह</b>                                       |                               | 20.00  |  | 88.43  | कार्य प्रगति पर  |   | 400.00  |   |
| <b>9195</b>  | <b>होशंगाबाद शहर के नर्मदा नदी के बाये तट के घाटों पर पाथवें का निर्माण</b> |                               | 20.00  |  | 0.00   |  |   | 15.00   |   |
| <b>9229</b>  | <b>सीहोर जिले की बाढ़ नियंत्रण योजना</b>                                    |                               | 30.00  |  | 14.01  | कार्य प्रगति पर  |   | 10.00   |   |
|  | बुधनी घाट निर्माण   |                               | 10.00  |  | 0.38   | कार्य प्रगति पर  |   | 10.00   |   |
| <b>9243</b>  | <b>सोन नदी पर आंतरिक जलीय परिवहन व्यवस्था</b>                               |                               | 30.00  | योजना के शेष कार्य पूर्ण किये जाना प्रस्तावित। अन्तर्राज्यी जल परिवहन प्रारंभ होगा । | 16.53  | 1. बाण सागर परियोजना का कार्य 85 प्रतिशत पूर्ण।<br>2. गांधी सागर परियोजना का कार्य 75 प्रतिशत पूर्ण। | -   | 20.00   | योजना के शेष कार्य पूर्ण कर अन्तर्राज्यीय जल परिवहन प्रारंभ किया जाना है। |
| <b>9244</b>  | <b>होशंगाबाद जिले की तवा दांयी नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण/सुदृढ़ीकरण</b>     |                               | 200.00   | शेष कार्य पूर्ण करने का  | 196.66   | लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण  | -   | 200.00  | शेष कार्य पूर्ण कर वर्तमान  |



परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 31 जल संसाधन विभाग

विभागाध्यक्ष - 3102 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन

|  |  |  |          |  |                  |  |  |   |
|--|--|--|----------|--|------------------|--|--|---|
| आधुनिकीकरण(9244)<br>1. वर्तमान नहर प्रणाली का<br>विस्तार एवं आधुनिकीकरण<br>किया जाकर वर्तमान निर्मित<br>क्षमता का पूर्ण रूप से<br>उपयोग किया जाना है । | कार्य पूर्ण ।<br>2. योजना का 20 प्रतिशत<br>कार्य किया जा चुका है ।<br>कार्य प्रगति पर है । |  | लक्ष्य । |  | कर लिया गया है । |  |  | निर्मित सिंचाई क्षमता का<br>पूर्ण रूप से उपयोग किया<br>जाना लक्ष्य है । |
|--|--|--|----------|--|------------------|--|--|---|

9469 नाबार्ड से ऋण सहायता के अंतर्गत

|   |  |          |  |          |   |   |  |  |
|---|--|----------|--|----------|---|---|--|--|
| नाबार्ड अंतर्गत लघु सिंचाई<br>योजनाएं कुल 200 योजनाएं<br>(9469)<br>94 निर्माणाधीन योजनाओं<br>के निर्माण कार्य का पूर्ण<br>किया जाकर 35000<br>हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई<br>सुविधा उपलब्ध कराना एवं<br>52 नवीन स्वीकृत योजनाओं<br>का 50 प्रतिशत भौतिक<br>कार्य पूर्ण किया जाना है । | कुल 17 योजनाएँ पूर्ण कर<br>3225 है. क्षेत्र में अतिरिक्त<br>सिंचाई क्षमता निर्मित की<br>गई । | 6,825.00 | कुल 151 योजनाओं का<br>कार्य प्रगति पर है। 64<br>योजनाओं को पूर्ण करने<br>का लक्ष्य । | 4,847.07 | 16 योजनाएं पूर्ण की गईं एवं<br>3378 है. अतिरिक्त सिंचाई<br>क्षमता निर्मित की गई । | - |  | 10,002.00 कुल 151 योजनाओं का<br>कार्य प्रगति पर है। 48<br>योजनाओं को पूर्ण करने<br>का लक्ष्य । |
|---|--|----------|--|----------|---|---|--|--|

विभागाध्यक्ष योग

1,00,920.11

59,669.67

1,02,792.63

विभागाध्यक्ष - 3103 परियोजना संचालक-पाईक्यू, जल संसाधन

6822 जल संसाधन प्रबंधन - संस्थान एवं साधन - स्वारा

|  |   |        |   |       |   |  |   |
|--|---|--------|---|-------|---|--|---|
| प्रदेश में कछारवार जल<br>उपलब्धता का आंकलन,<br>राज्य जल नीति के<br>क्रियान्वयन की कार्य<br>योजना, अंतर्राज्जीय जल<br>प्रबंधन एवं जल संसाधन<br>परियोजनाओं के मुद्दों पर<br>तथा जल संसाधन विकास<br>मुद्दों पर शासन को<br>सहयोग करना एवं सलाह<br>देना । | निर्धारित प्रदेय के लिये<br>किये जाने वाले कार्य<br>निरंतर एवं आवश्यक<br>स्वरूप के है । | 196.92 | सिंध एवं टोंस कछार के<br>समन्वित जल संसाधन<br>प्रबंधन के लिये कार्य<br>योजना तैयार करना, राज्य<br>जल नीति के कार्यान्वयन<br>के लिये विभिन्न विभागों से<br>समन्वय की कार्यवाही<br>करना । | 87.59 | सिंध कछार के समन्वित जल<br>संसाधन प्रबंधन के लिये<br>आंशिक जानकारी प्राप्त की<br>गयी एवं राज्य जल नीति के<br>कार्यान्वयन की दिशा में लगभग<br>16 विभागों द्वारा की गयी<br>कार्यवाही की जानकारी प्राप्त<br>की गयी । | कुछ विभागों द्वारा राज्य जल<br>नीति बाबद् संपूर्ण जानकारी<br>एवं कृषि विभाग द्वारा कोई<br>जानकारी उपलब्ध नहीं करायी<br>गयी । | 126.95 सतत् प्रक्रिया होने के<br>कारण लक्ष्य निर्धारण नहीं<br>किया जा सकता है । |
|--|---|--------|---|-------|---|--|---|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 31 जल संसाधन विभाग

विभागाध्यक्ष - 3103 परियोजना संचालक-पाईकू, जल संसाधन

6823 जल संसाधन प्रबंधन - संस्थान एवं साधन - स्वारडैक

|  |  |       |  |      |  |               |       |  |
|--|--|-------|--|------|--|---------------|-------|--|
| एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन एवं कछार नियोजन के लिये आवश्यक आंकड़े एवं सूचनाओं को एकत्र करना, परीक्षण करना विश्लेषण करना एवं संप्रसार करना । | एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन एवं कछार नियोजन के लिये आवश्यक आंकड़े एकत्रित कर उसका विश्लेषण करने के कार्य को गति देने बावत् संचालक एवं अन्य विशेषज्ञों के रिक्त पदों में नियुक्ति कर दी गई है । उक्त विशेषज्ञों द्वारा स्वारडैक संस्था में कार्य ग्रहण कर कार्य प्रगति पर है । | 35.50 | एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन एवं कछार नियोजन के लिये आवश्यक आंकड़े एवं सूचनाओं को एकत्र करना, परीक्षण करना विश्लेषण करना एवं संप्रसार करना । | 3.09 | स्वारडैक के शेष रिक्त पदों को भरा जाना है एवं उन्नयन कार्यक्रम को गति प्रदान करना है । | लक्ष्य अनुसार | 96.92 | एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन एवं कछार नियोजन के लिये आवश्यक आंकड़े एवं सूचनाओं को एकत्र करना, परीक्षण करना विश्लेषण करना एवं संप्रसार करना । |
|--|--|-------|--|------|--|---------------|-------|--|

6824 जल संसाधन प्रबंधन - संस्थान एवं साधन - स्वारटैक

|   |   |        |   |      |   |  |       |   |
|---|---|--------|---|------|---|--|-------|---|
| जल क्षेत्र के लागत एवं राजस्व की समीक्षा, थोक जल दर का निर्धारण एवं नियामन के लिए एक स्वशासी संस्था का गठन प्रस्तावित है जो स्वशक्ति सुदृढ़ता की ओर अग्रेषित हो । | इस संस्था का गठन करने बावत् प्रारूप विधेयक शासन स्तर पर विचारधीन है । | 134.29 | जल क्षेत्र के लागत एवं राजस्व की समीक्षा, थोक जल दर का निर्धारण एवं नियामन के लिए एक स्वशासी संस्था का गठन प्रस्तावित है जो स्वशक्ति सुदृढ़ता की ओर अग्रेषित हो । | 9.00 | नियामन के लिये एक स्वशासी संस्था का गठन बावत् एक्ट का प्रारूप शासन को प्रस्तुत करना । | भवन निर्माण कार्य 97 प्रतिशत पूरा हो चुका है केवल विद्युतीकरण एवं लिट स्थापित करने का कार्य शेष है । | 41.08 | जल क्षेत्र के लागत एवं राजस्व की समीक्षा, थोक जल दर का निर्धारण एवं नियामन के लिए एक स्वशासी संस्था का गठन प्रस्तावित है जो स्वशक्ति सुदृढ़ता की ओर अग्रेषित हो । |
|---|---|--------|---|------|---|--|-------|---|

6825 सेवा प्रदान करने संबंधी- सिंचाई एवं जल निकास संस्थाएं - जल संसाधन विभाग

|   |  |          |  |        |  |  |          |  |
|---|--|----------|--|--------|--|--|----------|--|
| जल उपभेक्ता संथाओं का सुदृढ़ीकरण जल भागीदारी को बढ़ावा देना एवं जल निकासी योजनाओं के विकेन्द्रीकृत प्रबंधन को क्रियान्वयन करना है, साथ ही जल संसाधन विभाग व अन्य संबंधी विभागों के परियोजना कार्यालयों में तकनीकी एवं प्रबंधन | जल उपभेक्ता संथाओं के सुदृढ़ीकरण के लिये परामर्शी सेवा द्वारा प्रस्तुत इंसेप्शन रिपोर्ट, स्ट्रेटेजी रिपोर्ट एवं प्रशिक्षण मैनुअल का अनुमोदन किया गया है । स्कीम प्रोडक्टीविटीज अंतर्गत एजेसी से कुल 71 योजनाओं के रिस्ट्रक्चरिंग | 1,562.85 | जल उपभेक्ता संथाओं का सुदृढ़ीकरण, जन भागीदारी को बढ़ावा देना एवं जल निकासी योजनाओं के विकेन्द्रीकृत प्रबंधन को क्रियान्वयन करना है, साथ ही जल संसाधन विभाग व अन्य संबंधी विभागों के परियोजना कार्यालयों में तकनीकी एवं प्रबंधन | 332.78 | म.प्र. वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं उसके उद्देश्य एवं परिणाम की पूर्ति के लिये सहायता प्रदान करने हेतु नियुक्त विभिन्न परामर्शी सेवाओं से वर्ष 2010-11 में निम्न विषयों पर प्रस्ताव प्राप्त किया जाएगा ।<br>(अ) जल संसाधन विभाग के वर्तमान कार्य प्रणाली का | राज्य के पांच नदी कछारों में योजना के अंतर्गत प्रस्तावित 505 निर्मित सिंचाई परियोजनाओं के डाटा एकत्रित करने के लिये किये गये सर्वेक्षण में विलम्ब होने के कारण परियोजनाओं के रिस्ट्रक्चरिंग प्रस्ताव तैयार करने में कमी आई है । अन्य परामर्शी सेवाओं के लिये सक्षम | 1,924.94 | जल उपभेक्ता संथाओं का सुदृढ़ीकरण, जन भागीदारी को बढ़ावा देना एवं जल निकासी योजनाओं के विकेन्द्रीकृत प्रबंधन को क्रियान्वयन करना है, साथ ही जल संसाधन विभाग व अन्य संबंधी विभागों के परियोजना कार्यालयों में तकनीकी एवं प्रबंधन |
|---|--|----------|--|--------|--|--|----------|--|

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 31 जल संसाधन विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 3103 परियोजना संचालक-पाईकू, जल संसाधन**

सहायता, सूचना प्रबंधन प्रणाली एवं उपकरण प्रदाय करना है ।

के विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं जो परीक्षणधीन है । टुरिज्म पोटेन्शियल के ऑकलन अंतर्गत संबंधितो से चर्चा कर कंसलटेशन रिपोर्ट प्राप्त हुआ है । जिसका अध्ययन किया जा रहा है ।  
इंसीटीटयूशनल स्ट्रेन्थनिंग के अंतर्गत जल संसाधन विभाग का सुदृढिकरण के लिये वर्तमान अमले का अध्ययन कर वांछित सुधारों का समावेश कर प्रारूप प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है । इसके अतिरिक्त विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारियों को कम्प्यूटर प्रणाली का प्रारंभिक एवं आधुनिक प्रशिक्षण देना, राज्य के विभिन्न कछारों में उपलब्ध जल, निर्मित जलाशय, मिट्टी किस्म, फसलों का क्षेत्रफल आदि का बिन्दुओं का जी.आई.एस. आधारित जानकारी एकत्रित करना एवं उक्त तकनीकि ज्ञान का विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, सिंध कछार का जल का गुणवत्त निर्धारित करना आदि परामर्शी सेवाओं के लिये भी अनुबंध हो चुका है एवं नियुक्त एजेन्सियों द्वारा प्रारंभिक प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है ।

सहायता, सूचना प्रबंधन प्रणाली एवं उपकरण प्रदाय करना है ।

अध्ययन कर तकनीकि एवं जल प्रबंधन के उन्नयन के लिये आवश्यक सुदृढिकरण का प्रस्ताव तैयार करना ।  
(ब) पाँच नदी कछारों में निर्मित 50 सिंचाई योजनाओं का जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण के लिये प्रस्ताव प्राप्त करना ।  
(स) कम्प्यूटर प्रणाली का प्रशिक्षण ।(द) कछार वार उपलब्ध जल का विभिन्न प्रयोजनों के लिये उचित बटवारे का ऑकलन ।  
(इ) सूचना प्रबन्धन प्रणाली को विकसित कर अन्य परामर्शी सेवाओं से प्राप्त आंकड़ों का संयोजन करना ।निम्न परामर्शी सेवाएं भी प्रस्तावित हैं ।  
(ई) परियोजना के क्रयान्वयन में प्रबन्धन, अंकेक्षण एवं अध्ययन के लिए सहायता प्रदान करना ।(फ) जलाशयों में मत्स्य पालन एवं उत्पादन में वृद्धि के लिए अनुसंधान(ग) उन्नत पूरक पशु आहार एवं पोषण के लिए अनुसंधान(घ) ग्लोबल सूचना प्रणाली एवं दूर संवेदी प्रणाली को लागू करना(ङ) योजनाओं के तकनीकी परीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण में सहायता ।

एजेन्सियों की संक्षिप्त सूची (शार्ट लिस्ट), निविदा डाक्यूमेंट आदि की स्वीकृति विश्व बैंक से अपेक्षित है ।

सहायता, सूचना प्रबंधन प्रणाली एवं उपकरण प्रदाय करना है ।

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 31 जल संसाधन विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 3103 परियोजना संचालक-पाईकू, जल संसाधन**

**6826 पांच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार - कृषि विभाग**

|  |   |               |  |             |   |   |                 |  |
|--|---|---------------|--|-------------|---|---|-----------------|--|
| <p>उन्नत कृषि को प्रोत्साहित करना, वैज्ञानिक तरीके से उन्नत बीजों, उर्वरकों एवं कीटनाशकों के प्रयोग का प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन । जैविक खेती का प्रोत्साहन, सिंचाई की सही पद्धति, आधुनिक कृषि तकनीकी एवं कृषि विस्तार सेवाओं का सुदृढीकरण किये जाने का कार्य करना है ।</p> | <p>विभाग के नियमित कार्यों के अतिरिक्त म.प्र.वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र में कृषि उन्नत संबंधी कार्य करने के लिये आवश्यक अमला उपलब्ध न होने के कारण कृषि की विभिन्न गतिविधियां एन.जी.ओ. के माध्यम से किये जाने की वैकल्पिक कार्य योजना विश्व बैंक को प्रेषित की गई है । कार्य योजना की स्वीकृति विश्व बैंक से अपेक्षित रही है ।</p> | <p>820.17</p> | <p>उन्नत कृषि को प्रोत्साहित करना, वैज्ञानिक तरीके से उन्नत बीजों, उर्वरकों एवं कीटनाशकों के प्रयोग का प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन । जैविक खेती का प्रोत्साहन, सिंचाई की सही पद्धति, आधुनिक कृषि तकनीकी एवं कृषि विस्तार सेवाओं का सुदृढीकरण किये जाने का कार्य करना है</p> | <p>0.00</p> | <p>मैदानी स्तर पर कोई कार्य सम्पादित नहीं किया गया है</p> | <p>(1) कमाण्ड एरिया क्षेत्र के कृषकों को प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन के माध्यम से उन्नत कृषि तकनीकी से जोड़ना । द्वि-फसली क्षेत्र में वृद्धि कर फसल सघनता बढ़ाना एवं दलहनी एवं तिलहनी फसलों के क्षेत्र में विस्तार कर उगाई जाने वाली फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना । इसके अंतर्गत लगभग 10000 एकीकृत तत्व प्रबंधन, एकीकृत कीट प्रबंधन इत्यादि प्रदर्शन आयोजित किये जाना प्रस्तावित है ।<br/>(2) उन्नत कृषि यंत्रों के प्रयोगों से निश्चित रूप से उत्पादन में वृद्धि होती है एवं समय पर कृषि कार्य संपन्न होकर समय की बचत भी होती है । इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2010-11 में उन्नत कृषि यंत्रों के 35 प्रदर्शन जल उपभेक्ता संथाओं के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है ।<br/>(3) कृषि की नवीनतम तकनीकी से कृषकों के ज्ञान में वृद्धि के लिये कृषक प्रशिक्षण, कार्यशाला एवं कृषक भ्रमण का आयोजन किया जाना । इय हेतु 07 कार्यशाला, 5000 कृषक प्रशिक्षण एवं 500 कृषक भ्रमण राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर स्थित कृषि अनुसंधान केन्द्रों पर किया जाना प्रस्तावित है ।<br/>(4) विभागीय अधिकारियों को</p> | <p>1,572.90</p> | <p>उन्नत कृषि को प्रोत्साहित करना, वैज्ञानिक तरीके से उन्नत बीजों, उर्वरकों एवं कीटनाशकों के प्रयोग का प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन । जैविक खेती का प्रोत्साहन, सिंचाई की सही पद्धति, आधुनिक कृषि तकनीकी एवं कृषि विस्तार सेवाओं का सुदृढीकरण किये जाने का कार्य करना है</p> |
|--|---|---------------|--|-------------|---|---|-----------------|--|

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 31 जल संसाधन विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 3103 परियोजना संचालक-पाईकू, जल संसाधन**

उन्नत कृषि की नवीनतम तकनीकियों से अवगत कराने के लिये प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रमों का आयोजन करना। इस हेतु 230 अधिकारियों का प्रशिक्षण एवं 115 अधिकारियों का कृषि अनुसंधान केन्द्रों पर भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है। (5) मिट्टी परीक्षण की महत्ता को ध्यान में रखते हुये मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं को मिट्टी नमूनों के परीक्षण हेतु सशक्त करना।

**6827 पांच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार - मत्स्य पालन विभाग**

|  |  |        |  |       |  |   |        |  |
|--|--|--------|--|-------|--|---|--------|--|
| बड़े मत्स्य बीजों का उपयोग, मत्स्य खाद की गुणवत्ता का सुधार एवं नवीन तकनीकी जानकारी और प्रशिक्षण देना है | वर्ष 2009-10 में योजना अंतर्गत 13 जिलों के 22 जलाशय में कुल जल क्षेत्र 1199.00 हेक्टेयर में मत्स्य गतिविधियों का क्रियान्वयन किया गया है। प्रदेश के बाहर विभाग के अधिकारियों का भ्रमण कार्यक्रम अंतर्गत 15 विभागीय अधिकारी सी.आई.एफ.आर.आई. बैरकपुर प्रशिक्षण हेतु भेजे गए थे। योजना के अंतर्गत जिलों के मत्स्य पालकों का प्रशिक्षण बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के माध्यम से संपन्न कराया गया। योजना अंतर्गत सिंचाई जलाशयों में 11.94 लाख फिंगरलिंग मत्स्यबीज का संचयन कराया गया। इन्सुलेटेड | 256.87 | वर्ष 2009-10 में योजना अंतर्गत 13 जिलों के 22 जलाशय में कुल जल क्षेत्र 1199.00 हेक्टेयर में मत्स्य गतिविधियों का क्रियान्वयन किया गया है। प्रदेश के बाहर विभाग के अधिकारियों का भ्रमण कार्यक्रम अंतर्गत 15 विभागीय अधिकारी सी.आई.एफ.आर.आई. बैरकपुर प्रशिक्षण हेतु भेजे गए थे। योजना के अंतर्गत जिलों के मत्स्य पालकों का प्रशिक्षण बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के माध्यम से संपन्न कराया गया। योजना अंतर्गत सिंचाई जलाशयों में 11.94 लाख फिंगरलिंग मत्स्यबीज का संचयन कराया गया। इन्सुलेटेड बाक्स भी मत्स्य | 12.91 | परियोजना व्यय में कमी का प्रमुख कारण योजना अंतर्गत जिलों में अल्प वर्षा होना, मत्स्य पालन विकास हेतु आवश्यक परामर्शी सेवा की नियुक्ति की स्वीकृति विश्व बैंक से अपेक्षित होना एवं नाव एवं जाल का वितरण कृषकों को अभी नहीं कराया जा सका है। | (1) वर्ष 2010-11 में चयनित 10 जलाशय जिनका जल भराव क्षेत्र लगभग 997 हेक्टेयर है एवं उनके कमान्ड क्षेत्र के ग्रामीण तालाबों में लगभग 10 लाख मत्स्य अंगुलिकाएँ (आकार 100-150 एम.एम.) संचय की जावेंगी। (2) चयनित जलाशयों के मछुआरों को 6- दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल में आयोजित किया गया है, जहाँ मत्स्य पालन की आधुनिक तकनीकी का प्रशिक्षण उन्हें दिया जाता है। (3) विभागीय अधिकारियों को जलाशय एवं ग्रामीण तालाब प्रबंधन का प्रशिक्षण भुवनेश्वर एवं बैरकपुर (कलकत्ता) में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। | 960.10 | वर्ष 2009-10 में योजना अंतर्गत 13 जिलों के 22 जलाशय में कुल जल क्षेत्र 1199.00 हेक्टेयर में मत्स्य गतिविधियों का क्रियान्वयन किया गया है। प्रदेश के बाहर विभाग के अधिकारियों का भ्रमण कार्यक्रम अंतर्गत 15 विभागीय अधिकारी सी.आई.एफ.आर.आई. बैरकपुर प्रशिक्षण हेतु भेजे गए थे। योजना के अंतर्गत जिलों के मत्स्य पालकों का प्रशिक्षण बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के माध्यम से संपन्न कराया गया। योजना अंतर्गत सिंचाई जलाशयों में 11.94 लाख फिंगरलिंग मत्स्यबीज का संचयन कराया गया। इन्सुलेटेड बाक्स भी मत्स्य |
|--|--|--------|--|-------|--|---|--------|--|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 31 जल संसाधन विभाग

विभागाध्यक्ष - 3103 परियोजना संचालक-पाईकू, जल संसाधन

बाक्स भी मत्स्य कृषकों  
को वितरित किया गया ।

कृषकों को वितरित किया  
गया ।

कृषकों को वितरित किया  
गया ।

6828 पांच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार - उद्यानिकी विभाग

उद्यानिकी पौध की  
उत्पादकता में वृद्धि, उन्नत  
तकनीकी का ज्ञान एवं  
प्रशिक्षण दिये जाने का कार्य  
करना है । कृषि पौध की  
तुलना अधिक आय देने  
वाली  
फल/सब्जियाँ/औषधिय/  
सुगन्धित पौध का उत्पादन  
करना

उद्देश्य/परिणाम की पूर्ति  
के लिये उद्यानिकी एवं  
तकनीकी प्रशिक्षण फसल  
प्रदर्शन कार्यों का  
क्रियान्वयन वर्ष 2009-10  
में किया गया प्रदर्शन पूर्ति  
-927 प्रशिक्षण पूर्ति 41  
सेमीनार/वर्कशाप पूर्ति  
06 पोलीग्रीन हाउस इन  
नर्सरिज पूर्ति 06

413.40

उद्यानिकी पौध की  
उत्पादकता में वृद्धि, उन्नत  
तकनीकी का ज्ञान एवं  
प्रशिक्षण दिये जाने का  
कार्य करना है । कृषि पौध  
की तुलना अधिक आय देने  
वाली फल / सब्जियाँ /  
औषधिय/सुगन्धित पौध  
का उत्पादन करना

102.03

उद्देश्य/परिणाम की पूर्ति के  
लिये उद्यानिकी एवं तकनीकी  
प्रशिक्षण फसल प्रदर्शन कार्यों  
का क्रियान्वयन वर्ष 2009-10  
में किया गया प्रदर्शन पूर्ति  
-927  
प्रशिक्षण पूर्ति 41  
सेमीनार/वर्कशाप पूर्ति 06  
पोलीग्रीन हाउस इन नर्सरिज  
पूर्ति 06

1) कमन्ड क्षेत्र के कृषकों को  
पारम्परिक कृषि की तुलना में  
अधिक आय देने वाली  
उद्यानिकी फसलें जैसे फल,  
सब्जी, मसाले, पुष्प, औषधि  
आदि फसलों के उत्पादन में  
वृद्धि हेतु कृषकों को प्रोत्साहन,  
प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन के माध्यम  
से उन्हे उद्यानिकी की उन्नत  
तकनीकी से जोड़कर कृषकों  
की आर्थिक एवं सामाजिक  
स्थिति में सुधार करना । इसके  
अंतर्गत लगभग 2400 प्रशिक्षण  
एवं प्रदर्शन आयोजित किये  
जावेंगे ।

578.00

उद्यानिकी पौध की  
उत्पादकता में वृद्धि, उन्नत  
तकनीकी का ज्ञान एवं  
प्रशिक्षण दिये जाने का  
कार्य करना है । कृषि पौध  
की तुलना अधिक आय  
दने वाली फल /  
सब्जियाँ /  
औषधिय/सुगन्धित पौध  
का उत्पादन करना

(2) उद्यानिकी की नवीनतम  
तकनीकी से कृषकों के ज्ञान में  
वृद्धि के लिये कृषक सम्मेलन  
एवं कार्यशाला आयोजित  
करना । इस हेतु लगभग 27  
उद्यानिकी प्रदर्शनी एवं कृषक  
सम्मेलन कार्यशाला आयोजित  
किया जाना प्रस्तावित है ।  
(3) विभागीय अधिकारियों  
को उन्नत तकनीकी का  
प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशिक्षण  
केन्द्र का उन्नयन करना  
प्रस्तावित है ।

6829 पांच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार - जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्व  
विद्यालय

कृषि संबंधी अनुसंधानो का  
कार्य किया जाना है ।

कृषि, उद्यानिकी एवं जल  
संसाधन विभाग विभागीय

94.77

कृषि संबंधी अनुसंधानो का  
कार्य किया जाना है ।

0.00

कृषि, उद्यानिकी एवं जल  
संसाधन विभाग विभागीय

(1) फसलों की उत्पादकता  
बढ़ाने के लिये प्रजनक एवं

269.00

कृषि संबंधी अनुसंधानो का  
कार्य किया जाना है ।

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 31 जल संसाधन विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 3103 परियोजना संचालक-पाईकू, जल संसाधन**

अधिकारियों का प्रशिक्षण:-  
15  
नं.-वर्कशाप/सेमिनार:-  
01 (राष्ट्रीय स्तर) 03  
संगोष्ठी -एडाप्टीव  
रिसर्च ट्रायल (फील्ड  
क्राप्स) 55 नं.  
-एडाप्टीव रिसर्च ट्रायल  
(वेजीटेबल/स्पाइसेस/मे  
डशनल) 18 नं. -  
प्रशिक्षण हेतु कृषि विज्ञान  
केन्द्रों का सुदृढीकरण -  
8 कृषि विज्ञान केन्द्र -  
बीज प्रतिस्थापन दर बढ़ाने  
हेतु प्रजनक एवं आधार  
बीज का उत्पादन - कृषि  
थिमेटिक मेपिंग हेतु  
उपकरणों का क्रय ।

अधिकारियों का प्रशिक्षण:- 15  
नं.-वर्कशाप/सेमिनार:- 01  
(राष्ट्रीय स्तर) 03 संगोष्ठी  
-एडाप्टीव रिसर्च ट्रायल (फील्ड  
क्राप्स) 55 नं. -एडाप्टीव  
रिसर्च  
ट्रायल(वेजीटेबल/स्पाइसेस/मे  
डशनल) 18 नं. - प्रशिक्षण  
हेतु कृषि विज्ञान केन्द्रों का  
सुदृढीकरण - 8 कृषि विज्ञान  
केन्द्र - बीज प्रतिस्थापन दर  
बढ़ाने हेतु प्रजनक एवं आधार  
बीज का उत्पादन । कृषि  
थिमेटिक मेपिंग हेतु उपकरणों  
का क्रय ।

आधार बीज की उत्पादन  
क्षमता को बढ़ाना । (2)  
विश्वविद्यालय के रीजनल कृषि  
अनुसंधान केन्द्रों एवं जोनल  
कृषि अनुसंधान केन्द्रों पर  
एडाप्टिव रिसर्च ट्रायल का  
आयोजन किया जाना । इसके  
अंतर्गत विभिन्न कृषि एवं  
उद्यानिकी फसलों के लगभग  
140 ट्रायल का आयोजन किया  
जाना प्रस्तावित है । (3) कृषि  
की नवीनतम तकनीकी से  
कृषकों एवं विस्तार कार्यकर्ताओं  
को अवगत कराने के लिये  
कृषकों के लिए 20 प्रशिक्षण,  
अधिकारियों के लिये 20  
प्रशिक्षण एवं 6 वर्कशाप तथा  
सेमिनार आयोजित किया जाना  
प्रस्तावित है ।

**6830 पांच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार - पशुपालन विभाग**

पशुओं की नस्ल का सुधार,  
दुग्ध उत्पादन में वृद्धि,  
पशुपालन को रोजगारोन्मुखी  
बनाना, पशुओं का  
टीकाकरण एवं बीमारियों पर  
रोकथाम, पशु चारे का  
विकास एवं अद्यतन  
तकनीकी ज्ञान की  
जानाकारी एवं प्रशिक्षण  
देना ।

20 प्रतिशत दुग्ध उत्पादक  
में वृद्धि प्राप्त की गई ।  
कमाण्ड क्षेत्र में कुल  
फसल क्षेत्र का 1.5  
प्रतिशत क्षेत्र हरा चारा  
उत्पादन हेतु व्यपवर्तित  
कर लिया गया । 30  
प्रतिशत विभागीय संस्थाओं  
का कृत्रिम गर्भाधान कार्य  
हेतु उन्नयनीकरण किया  
गया । 50 प्रतिशत  
पशुपालकों एवं 25 प्रतिशत  
विभागीय अमले का क्षमता  
वर्धन विकास किया गया  
।

471.33 पशुओं की नस्ल का सुधार,  
दुग्ध उत्पादन में वृद्धि,  
पशुपालन को  
रोजगारोन्मुखी बनाना,  
पशुओं का टीकाकरण एवं  
बीमारियों पर रोकथाम, पशु  
चारे का विकास एवं  
अद्यतन तकनीकी ज्ञान की  
जानाकारी एवं प्रशिक्षण देना

17.75 20 प्रतिशत दुग्ध उत्पादक में  
वृद्धि प्राप्त की गई । कमाण्ड  
क्षेत्र में कुल फसल क्षेत्र का 1.5  
प्रतिशत क्षेत्र हरा चारा उत्पादन  
हेतु व्यपवर्तित कर लिया गया  
। 30 प्रतिशत विभागीय  
संस्थाओं का कृत्रिम गर्भाधान  
कार्य हेतु उन्नयनीकरण किया  
गया । 50 प्रतिशत पशुपालकों  
एवं 25 प्रतिशत विभागीय अमले  
का क्षमता वर्धन विकास किया  
गया ।

(1) मध्यप्रदेश वाटर सेक्टर  
रीस्ट्रक्चरिंग कार्यक्रम का  
क्रियान्वयन एवं उसके  
उद्देश्य/परिणाम की पूर्ति के  
लिये सहायता प्रदाय करने हेतु  
जे.के. ग्रामीण विकास ट्रस्ट एवं  
बायफ द्वारा परियोजना क्षेत्र के  
ग्रामों में पशुपालकों को कृत्रिम  
गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध  
कराये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त  
किये गये हैं, विश्व बैंक द्वारा  
अनुमोदन प्राप्त होते ही अनुबंध  
हस्ताक्षरित किये जाकर कार्य  
प्रारंभ किया जावेगा ।  
(2) परियोजना क्षेत्र की  
पशु-चिकित्सा संबंधी संस्थाओं  
का सुदृढीकरण कार्य किया

350.20 पशुओं की नस्ल का सुधार,  
दुग्ध उत्पादन में वृद्धि,  
पशुपालन को  
रोजगारोन्मुखी बनाना,  
पशुओं का टीकाकरण एवं  
बीमारियों पर रोकथाम, पशु  
चारे का विकास एवं  
अद्यतन तकनीकी ज्ञान की  
जानाकारी एवं प्रशिक्षण  
देना

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 31 जल संसाधन विभाग

विभागाध्यक्ष - 3103 परियोजना संचालक-पाईकू, जल संसाधन

जावेंगा।

(3) परियोजना क्षेत्र के ग्रामों में एक दिवसीय पशु-चिकित्सा शिविर, टीकाकरण कार्य, चटी-चारा प्रदर्शन कार्य, फार्मिंग सिस्टम रिसर्च एवं डिमांस्ट्रेशन इकाई की स्थापना, कृषकों के खेतों/नहरों की मेंढो पर प्लांटेशन, हे-मेकिंग प्रदर्शन/उन्नत पशु आहार निर्माण प्रदर्शन कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

(4) ग्राम स्तर पर पशु पालको को उन्नत पशु-पालन तकनीक से अवगत कराये जाने हेतु पशु पालन प्रशिक्षण, तकनीकी अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदाय किये जाना है।

(5) परियोजना क्षेत्र में पशु पालन, नस्ल उन्नतीकरण, पशुधन उत्पादो की बेहतर बाजार व्यवस्था हेतु सूचना प्रबंधन प्रौद्योगिकी का कार्य किया जावेंगा।

6831 पांच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार -जल संसाधन विभाग

जल की उत्पादकता बढ़ाने के लिये वर्ष 1986 के पूर्व निर्मित की गई कुल 505 सिंचाई योजनाओं का नवीनीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य किया जाना है।

1. वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंत तक म.प्र. वाटर रीस्ट्रक्चरिंग योजना के अंतर्गत 85 परियोजना के सुधार एवं आधुनिकीकरण का कार्य विश्व बैंक की सहमति से लिये गये जिसमें मध्यम एवं लघु योजनाओं के अतिरिक्त चंबल नहर प्रणाली एवं हरसी वृहद परियोजना भी सम्मिलित है। मार्च 2009

29,039.90

जल की उत्पादकता बढ़ाने के लिये वर्ष 1986 के पूर्व निर्मित की गई कुल 505 सिंचाई योजनाओं का नवीनीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य किया जाना है।

16,430.35

जल की उत्पादकता बढ़ाने के लिये वर्ष 1986 के पूर्व निर्मित की गई कुल 505 सिंचाई योजनाओं का नवीनीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य किया जाना है।

परियोजना के रिस्ट्रक्चरिंग कार्य में निर्धारित प्रगति में थोड़ी सी कमी निम्न कारणों से हुई। (अ) परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्र की सिंचाई पूर्ण करने के लिये निर्धारित समय के उपरांत भी नहरों को चलाना पडा जिससे नहर प्रणाली कार्य सम्पादन करने हेतु अपेक्षा से कम समय मिला। (ब) रिस्ट्रक्चरिंग का कार्य विशेष प्रकार का है परंतु

27,264.08

जल की उत्पादकता बढ़ाने के लिये वर्ष 1986 के पूर्व निर्मित की गई कुल 505 सिंचाई योजनाओं का नवीनीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य किया जाना है।



परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 31 जल संसाधन विभाग

विभागाध्यक्ष - 3103 परियोजना संचालक-पाईकू, जल संसाधन

तक 4 लघु परियोजनाओं के कार्य वाटर कोर्स प्रणाली को छोड़कर पूर्ण कर लिये गये । हरसी परियोजना के अंतर्गत बॉध, बीयर एवं मुख्य नहरों का कार्य पूरा हो चुका है एवं उपशाखाओं का लगभग 43 प्रतिशत कार्य संपादित किये गये । केथन मध्यम परियोजना का कार्य भी अंतिम चरण में है । ग्वालियर जिले में स्वर्ण रेखा नदी का प्रदूषित जल का गुणवत्ता में आवश्यक सुधार लाने का कार्य भी प्रगति पर है । जिसमें लगभग 53 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया । 2. वित्तीय वर्ष 2008-09 में चंबल लोअर मुख्य नहर के 0 से 50 कि.मी. एवं अन्य 35 परियोजनाओं की निविदायें स्वीकृत कर कार्य प्रारंभ किये गये । 3. मार्च 2009 के अंत तक कुल 170 परियोजनाओं के प्रस्ताव विश्व बैंक को प्रेषित किये गये ।

विभाग का अमला इसके अतिरिक्त विभिन्न अन्य कार्यों के सम्पादन में भी व्यस्त होने के कारण इस कार्य की प्रगति में कमी आई है । (स) परामर्शी सेवाओं के निर्धारण में विलम्ब होने से निर्धारित संख्या में रिस्ट्रक्चरिंग प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं हो सकी । (द) निविदा आमंत्रण से लेकर स्वीकृति करने तक हर स्तर पर विश्व बैंक से स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया जटिल होने के कारण ।

6833 परियोजना क्रियान्वयन समन्वयक इकाई - पाईकू

|  |                                      |                  |  |                  |                                       |                |                  |  |
|--|--------------------------------------|------------------|--|------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|--|
| परियोजना के संचालन के लिये प्रशासनिक व्यवस्था का संपादन किया जाना है । | कंप्यूटर प्रणाली को अद्यतन करना है । | 997.52           | परियोजना के संचालन के लिये प्रशासनिक व्यवस्था का संपादन किया जाना है । | 156.37           | कम्प्यूटर प्रणाली को उद्यतन करना है । | यथा प्रस्तावित | 926.00           | परियोजना के संचालन के लिये प्रशासनिक व्यवस्था का संपादन किया जाना है । |
| <b>विभागाध्यक्ष योग</b>  |                                      | <b>34,023.52</b> |  | <b>17,151.87</b> |                                       |                | <b>34,110.17</b> |  |

**परिणामी बजट 2010-2011**

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |
|                            | <b>विभाग</b>                        |                               | 1,34,943.63  |              | 76,821.54  |               |   | 1,36,902.80   |              |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित                                       | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय          | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम               | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |                             | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |                            | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |                              |
|--|--|---|--|-----------------------------|--|----------------------------|---|---|------------------------------|
|  |  |   | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य                | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि              |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य                 |
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5                           | 6  | 7                          | 8   | 9   | 10                           |
| <b>विभाग - 32 आवास और पर्यावरण विभाग</b>                         |  |   |  |                             |  |                            |   |   |                              |
| <b>विभागाध्यक्ष - 3201 सचिव, म. प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण</b> |  |   |  |                             |  |                            |   |   |                              |
| <b>0513</b>  | इनवायरमेंटल रिसर्च एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग     |   |  |                             |  |                            |   |   |                              |
| 25   |  | —   | 187.50   | 25                          | 104.96   | 25                         | —   | 187.50  | 25                           |
| <b>1444</b>  | जल प्रदाय निकायों का पर्यावरणीय सुधार        |   |  |                             |  |                            |   |   |                              |
| 3  |  | —   | 47.70  | 3                           | 0.00   | —                          | औपचारिकता पूर्ण नहीं होने के कारण।                | 47.70   | 3                            |
| <b>5240</b>  | झील संरक्षण योजना                            |   |  |                             |  |                            |   |   |                              |
| 2  | आंशिक  | —   | 700.03   | 2 आंशिक                     | 17.10  | 2 आंशिक                    | औपचारिकता पूर्ण नहीं होने के कारण।                | 299.90  | 1 आंशिक                      |
| <b>5526</b>  | वन अधिकार अधिनियम                            |   |  |                             |  |                            |   |   |                              |
| 6  |  | —   | 25.00  | 6                           | 0.37   | 2                          | औपचारिकता पूर्ण नहीं होने के कारण।                | 54.00   | 69                           |
| <b>5688</b>  | राज्य पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना  |   |  |                             |  |                            |   |   |                              |
| 24   |  | —   | 37.44  | 24                          | 14.45  | 26                         | —   | 42.95   | 24                           |
| <b>5689</b>  | स्वच्छ पर्यावरण प्रबंधन ( कार्बन रेटिंग )    |   |  |                             |  |                            |   |   |                              |
| 5  |  | —   | 25.07  | 5                           | 0.00   | —                          | औपचारिकता पूर्ण नहीं होने के कारण।                | 101.83  | 2 शोध अध्ययन तथा 8 प्रशिक्षण |
| <b>6072</b>  | आपदा प्रबंध संस्थान को अनुदान                |   |  |                             |  |                            |   |   |                              |
| 35   | प्रशिक्षण, 10 जन जाग्रति                     | 32 प्रशिक्षण कार्यक्रम से 2088 लाभार्थी है। | 120.00   | 35 प्रशिक्षण, 10 जन जाग्रति | 17.50  | 32 प्रशिक्षण, 6 जन जाग्रति | —   | 125.00  | 35 प्रशिक्षण, 10 जन जाग्रति  |
| <b>8049</b>  | म. प्र. प्रदूषण निवारण मंडल हेतु अनुदान      |   |  |                             |  |                            |   |   |                              |
| —  |  |   | 400.00   |                             | 0.00   |                            |   | 425.00  |                              |
| <b>8872</b>  | राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के लिये राश्यांश |   |  |                             |  |                            |   |   |                              |
| 1  | आंशिक  | —   | 53.01  | 1 आंशिक                     | 12.99  | 1 आंशिक                    | औपचारिकता पूर्ण नहीं होने के कारण।                | 41.00   | 1 आंशिक                      |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित                                  | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय  | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |                    | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |                    | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|---|--|-------------------------------|--|--------------------|--|--------------------|---|---|--------------|
|   |  |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य       | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि      |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1   | 2  | 3                             | 4  | 5                  | 6  | 7                  | 8   | 9   | 10           |
| <b>विभागाध्यक्ष योग</b>                                     |  |                               | 1,595.75   |                    | 167.37   |                    |   | 1,324.88  |              |
| <b>विभागाध्यक्ष - 3203 संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश</b>      |  |                               |  |                    |  |                    |   |   |              |
| <b>2621</b>   | विकास योजना बनाना, पुनर्विलोकन एवं उपांतरण करना                                    |                               |  |                    |  |                    |   |   |              |
| 8 नगर   | नगरो की विकास योजना प्रकाशित करना  | 10 नगर                        | 120.00   | 8 नगर              | 75.17  | 10नगर              |   | 281.00  | 12 नगर       |
| <b>6706</b>   | लघु एवं मध्यम शहरी अधोसंरचना विकास योजना हेतु म.प्र. विकास प्राधिकरण संघ को अनुदान |                               |  |                    |  |                    |   |   |              |
| 19 नगर  |  | -                             | 4,035.30   | 19 नगर             | 0.00   | -                  | भारत शासन से राशि मुक्त होना आपेक्षित है।         | 13,817.49   | 15 नगर       |
| <b>विभागाध्यक्ष योग</b>                                     |  |                               | 4,155.30   |                    | 75.17  |                    |   | 14,098.49   |              |
| <b>विभागाध्यक्ष - 3207 अधीक्षण यंत्री, राजधानी परियोजना</b> |  |                               |  |                    |  |                    |   |   |              |
| <b>शौर्य स्मारक का निर्माण</b>                              |  |                               |  |                    |  |                    |   |   |              |
| -   |  | -                             | 200.00   | -                  | 0.00   | -                  |   | 200.00  | 01 नग        |
| <b>1021</b>   | क्षेत्रों का सौन्दर्यकरण आदि   |                               |  |                    |  |                    |   |   |              |
| -   |  | -                             | 200.00   | -                  | 90.46  | -                  |   | 250.00  | 08 नग        |
| -   |  | -                             | 600.00   | -                  | 278.96   | -                  |   | 650.00  | -            |
| <b>1555</b>   | विधान सभा तथा विधायक विश्राम गृह   |                               |  |                    |  |                    |   |   |              |
| -   |  | -                             | 10.00  | -                  | 0.00   | -                  |   | 10.00   | 01 नग        |
| <b>284</b>  | अरिहायशी भवन   |                               |  |                    |  |                    |   |   |              |
| -   |  | -                             | 650.00   | 4                  | 280.00   | 2                  |   | 400.00  | 06 नग        |
| <b>3763</b>   | रिहायशी भवन  |                               |  |                    |  |                    |   |   |              |
| -   |  | -                             | 150.00   | 12                 | 31.89  | -                  | कार्य प्रगति पर है                                | 150.00  | 100 नग       |
| <b>4339</b>   | सड़के और पुल   |                               |  |                    |  |                    |   |   |              |
|   |  |                               | 1,838.24   | 22 <sup>प</sup> 55 | 1,119.67   | 22 <sup>प</sup> 55 | -   | 1,966.00  | 18 कि.मी.    |
| <b>विभागाध्यक्ष योग</b>                                     |  |                               | 3,648.24   |                    | 1,800.98   |                    |   | 3,626.00  |              |
| <b>विभाग</b>  |  |                               | 9,399.29   |                    | 2,043.52   |                    |   | 19,049.37   |              |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित                | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय                                       | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|---|---|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|   |   |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1   | 2   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |
| <b>विभाग - 33 पर्यटन विभाग</b>            |   |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| <b>विभागाध्यक्ष - 3302 आयुक्त, पर्यटन</b> |   |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| <b>0944</b>                               | केन्द्रीय प्रवर्तित योजना में राज्य शासन का अंशदान                        |                               | 200.00   | 10           | 0.00   |               |   | 200.00  |              |
| <b>2529</b>                               | पर्यटन संचालनालय  |                               | 10.00  | 1            | 0.00   |               |   | 9.00  |              |
| <b>3240</b>                               | म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम को पर्यटन मनोरंजन मेला उत्सव के लिए अनुदान |                               | 60.00  | 14           | 20.00  |               |   | 60.00   |              |
| <b>3346</b>                               | मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को सूचना और प्रचार हेतु अनुदान        |                               | 800.00   |              | 400.00   |               |   | 850.00  |              |
| <b>3616</b>                               | युवा एवं साहसिक कार्य हेतु सहायता   |                               | 25.00  | 2            | 0.00   |               |   | 25.00   |              |
| <b>4923</b>                               | पर्यटन परिपथों का विकास   |                               | 79.00  | 3            | 25.00  |               |   | 55.00   |              |
| <b>5524</b>                               | भू-विनिवेश हेतु सेवा प्रभार   |                               | 50.00  |              | 0.00   |               |   | 50.00   |              |
| <b>6128</b>                               | प्रचार एवं प्रसार   |                               | 670.00   |              | 670.00   |               |   | 0.00  |              |
| <b>7002</b>                               | पर्यटन अधोसंरचना के अंतर्गत ईको एवं वन्य क्षेत्र का विकास                 |                               | 100.00   | 1            | 0.00   |               |   | 0.00  |              |
| <b>7004</b>                               | ग्रामीण पर्यटन के अन्तर्गत अधोसंरचना का विकास                             |                               | 100.00   | 1            | 0.00   |               |   | 0.00  |              |
| <b>7005</b>                               | पर्यटन अधोसंरचना का विकास   |                               | 580.00   | 14           | 193.33   |               |   | 0.00  |              |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित                | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय        | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|---|--|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|   |  |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1   | 2  | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |
| <b>विभाग - 33 पर्यटन विभाग</b>            |  |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| <b>विभागाध्यक्ष - 3302 आयुक्त, पर्यटन</b> |  |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| 7006                                      | साहसिक पर्यटन एवं जल क्रीड़ा का विकास      |                               | 200.00   | 4            | 0.00   |               |   | 0.00  |              |
| 7009                                      | प्रत्येक जिले के पर्यटन केन्द्रों का विकास |                               | 400.00   | 9            | 363.47   |               |   | 440.00  |              |
| 7630                                      | पर्यटन अधोसंरचना का निर्माण ( केन्द्रांश ) |                               | 2,500.00   | 11           | 966.76   |               |   | 2,500.00  |              |
|   | <b>विभागाध्यक्ष योग</b>                    |                               | <u>5,774.00</u>  |              | <u>2,638.56</u>  |               |   | <u>4,189.00</u>   |              |
|   | <b>विभाग</b>                               |                               | 5,774.00   |              | 2,638.56   |               |   | 4,189.00  |              |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 34 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी**

**विभागाध्यक्ष - 3402 प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग**

**0009 250 से कम आबादी वाले ग्राम और टोला क्षेत्रों में नलकूपों का खनन**

|                                    |  |          |                              |          |                             |  |          |                              |
|------------------------------------|--|----------|------------------------------|----------|-----------------------------|--|----------|------------------------------|
| ग्रामीण बसाहटों में पेयजल व्यवस्था | ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल प्रदाय करने के उद्देश्य से ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित मानक 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जलप्रदाय करना। | 4,067.56 | 12509 बसाहटे एवं 750 शालाएं। | 2,222.30 | 7523 बसाहटे एवं 491 शालाएं। |  | 4,426.44 | 12000 बसाहटे एवं 400 शालाएं। |
|------------------------------------|--|----------|------------------------------|----------|-----------------------------|--|----------|------------------------------|

**0693 औजार और संयंत्र**

|                                       |   |        |  |       |  |  |          |  |
|---------------------------------------|---|--------|--|-------|--|--|----------|--|
| राज्य क्षेत्र योजनाएं प्रशासनिक व्यय। | राज्य क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत विभाग के कार्यों का क्रियान्वयन के साथ-साथ वेतन भत्ते/स्थापना व्यय एवं मॉनिटरिंग, अन्वेषण तथा मशीनरी एवं जांच पड़ताल तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी। | 377.60 |  | 48.64 |  |  | 1,800.00 |  |
|---------------------------------------|---|--------|--|-------|--|--|----------|--|

**1095 गतिवर्द्धित ग्रामीण जल प्रदाय योजना**

|                         |   |          |  |      |  |  |      |  |
|-------------------------|---|----------|--|------|--|--|------|--|
| केन्द्र क्षेत्रीय योजना | केन्द्र से शत प्रतिशत अनुदान के रूप में प्राप्त राशि के उपयोग हेतु इस राशि का प्रावधान किया गया है। | 4,000.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
|-------------------------|---|----------|--|------|--|--|------|--|

**1194 ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं का संधारण**

|  |  |          |                                    |          |                                    |  |          |                                    |
|--|--|----------|------------------------------------|----------|------------------------------------|--|----------|------------------------------------|
| हैंडपंपों का नियमित रख-रखाव तथा पुराने टूटे-फूटे प्लेटफार्म का निर्माण | नलकूप योजनाओं के स्रोतों की विश्वसनीयता बनाये रखने हेतु आवश्यकतानुसार निर्मित स्रोतों की विशेष मरम्मत एवं रखरखाव तथा | 2,967.20 | समस्त हैंडपंप एवं 27200 प्लेटफार्म | 1,545.30 | समस्त हैंडपंप एवं 11330 प्लेटफार्म |  | 2,887.68 | समस्त हैंडपंप एवं 30000 प्लेटफार्म |
|--|--|----------|------------------------------------|----------|------------------------------------|--|----------|------------------------------------|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 34 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी**

**विभागाध्यक्ष - 3402 प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग**

स्थापित हैण्डपम्प के वृहद्  
सुधार कार्य (भरे/पटे  
नलकूपों की सफाई,  
हाइड्रॉफैक्चरिंग, टूटे/फूटे  
प्लेटफार्म का निर्माण)

**1196 ग्रामीण जल प्रदाय सर्वेक्षण एवं जांच पड़ताल**

|  |  |       |  |       |  |       |
|--|--|-------|--|-------|--|-------|
| कार्यक्रम 693 औजार एवं<br>संयंत्र के अनुसार। | कार्यक्रम 693 औजार एवं<br>संयंत्र के अनुसार। | 50.00 |  | 12.66 |  | 30.00 |
|--|--|-------|--|-------|--|-------|

**1201 ग्रामीण पाइप जलपूर्ति योजना**

|   |  |          |                    |          |                    |          |                   |
|---|--|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|-------------------|
| ग्रामीण नलजल योजनाओं<br>का क्रियान्वयन। | बड़े ग्रामों में नलजल<br>प्रदाय योजना के माध्यम<br>से पेयजल व्यवस्था<br>करना।<br>आंशिकपूर्ण/प्रगतिरत<br>योजनाओं को प्राथमिकता<br>के आधार पर पूर्ण किया<br>जाना तथा ग्रामों की<br>बढ़ती जनसंख्या एवं<br>विकास को दृष्टिगत रखते<br>हुये विद्यमान योजनाओं<br>का आवर्धन एवं प्रगतिरत<br>योजनाओं का क्रियान्वयन | 4,052.74 | 600 नल जल योजनाएं। | 2,344.91 | 183 नल जल योजनाएं। | 4,169.34 | 600 नलजल योजनाएं। |
|---|--|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|-------------------|

**1224 ग्रामीण सर्वेक्षण और जांच पड़ताल**

|  |  |       |  |       |  |       |
|--|--|-------|--|-------|--|-------|
| कार्यक्रम 693 औजार एवं<br>संयंत्र के अनुसार। | कार्यक्रम 693 औजार एवं<br>संयंत्र के अनुसार। | 50.00 |  | 14.33 |  | 30.00 |
|--|--|-------|--|-------|--|-------|

**2181 नगरीय जल प्रदाय योजनाएं**

|                             |   |        |                                |        |                               |                                       |        |                                |
|-----------------------------|---|--------|--------------------------------|--------|-------------------------------|---------------------------------------|--------|--------------------------------|
| नगरीय जल प्रदाय<br>योजनाएं। | इस कार्यक्रम के तहत गत<br>वर्षों से क्रियान्वित की जा<br>रही 35 योजनाओं के<br>अधूरे कार्य पूर्ण करने के<br>परिप्रेक्ष्य में अल्प राशि का<br>प्रावधान किया गया है। | 679.62 | 30 नगरीय जल प्रदाय<br>योजनाएं। | 154.00 | 3 नगरीय जल प्रदाय<br>योजनाएं। | रुपये 479.62 लाख समर्पित<br>किये गये। | 400.00 | 20 नगरीय जल प्रदाय<br>योजनाएं। |
|-----------------------------|---|--------|--------------------------------|--------|-------------------------------|---------------------------------------|--------|--------------------------------|



परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 34 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी**

**विभागाध्यक्ष - 3402 प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग**

इस राशि से योजनाओं के कार्य पूर्ण होना संभावित नहीं हैं।

**2182 नगरीय जल प्रदाय योजनाएं**

|                          |   |        |                           |        |                           |        |                           |
|--------------------------|---|--------|---------------------------|--------|---------------------------|--------|---------------------------|
| नगरीय जल प्रदाय योजनाएं। | इस कार्यक्रम के तहत गत वर्षों से क्रियान्वित की जा रही 35 योजनाओं के अधूरे कार्य पूर्ण करने के परिप्रेक्ष्य में अल्प राशि का प्रावधान किया गया है। इस राशि से योजनाओं के कार्य पूर्ण होना संभावित नहीं हैं। | 335.00 | योजना क्रमांक 2181 अनुसार | 137.77 | योजना क्रमांक 2181 अनुसार | 200.00 | योजना क्रमांक 2181 अनुसार |
|--------------------------|---|--------|---------------------------|--------|---------------------------|--------|---------------------------|

**2219 नलकूपों ( हैण्ड पंपों ) का अनुरक्षण**

|   |             |          |                           |          |                           |          |                           |
|---|-------------|----------|---------------------------|----------|---------------------------|----------|---------------------------|
| हैण्डपंपों का नियमित रख-रखाव तथा पुराने टूटे-फूटे प्लेटफार्म का निर्माण | 1194 अनुसार | 3,012.80 | योजना क्रमांक 1194 अनुसार | 1,099.90 | योजना क्रमांक 1194 अनुसार | 3,297.32 | योजना क्रमांक 1194 अनुसार |
|---|-------------|----------|---------------------------|----------|---------------------------|----------|---------------------------|

**2580 पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना**

|                              |             |           |                           |          |                           |           |                           |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------------------|----------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| ग्रामीण नलजल/स्थलजल योजनाएं। | 1201 अनुसार | 13,485.44 | योजना क्रमांक 1201 अनुसार | 5,942.00 | योजना क्रमांक 1201 अनुसार | 15,789.26 | योजना क्रमांक 1201 अनुसार |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------------------|----------|---------------------------|-----------|---------------------------|

**2658 पेंचव्हेली जल प्रदाय योजना**

|        |       |  |      |
|--------|-------|--|------|
| 200.00 | 96.00 | इस योजना का संचालन संधारण आयोजनेत्तर मद से किया जा रहा है। | 0.00 |
|--------|-------|--|------|

**3174 भोपाल तथा प्रदेश के अन्य बड़े शहरों में पर्यावरण बचाव और प्रदूषण निवारण**

|       |       |      |
|-------|-------|------|
| 10.00 | 10.00 | 0.00 |
|-------|-------|------|

**3396 मेलों के लिए रक्षित जल प्रदाय**

|                        |                        |       |       |       |                        |
|------------------------|------------------------|-------|-------|-------|------------------------|
| प्रदेश में आयोजित होने | प्रदेश में आयोजित होने | 60.00 | 50.00 | 60.00 | प्रदेश में आयोजित होने |
|------------------------|------------------------|-------|-------|-------|------------------------|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 34 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी**

**विभागाध्यक्ष - 3402 प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग**

|  |  |  |           |             |          |             |  |                                      |  |
|--|--|--|-----------|-------------|----------|-------------|--|--------------------------------------|--|
| वाले मेलों में सुरक्षित जल<br>प्रदाय   | वाले मेलों में सुरक्षित जल<br>प्रदाय   |  |           |             |          |             |  | वाले मेलों में सुरक्षित जल<br>प्रदाय |  |
| <b>3862 लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग प्रयोगशालाएं</b>   |  |  | 200.00    |             | 56.23    |             |  | 300.00                               |  |
| <b>4184 शहरी तथा अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में ज.प्र.योजना और बड़े शहरो मे जल निकास यो. का सर्वेक्षण</b> |  |  |           |             |          |             |  |                                      |  |
| शहरी तथा अर्द्ध शहरी क्षेत्रों<br>में पेयजल प्रदाय योजनाओं<br>का सर्वेक्षण                           | शहरी तथा अर्द्ध शहरी<br>क्षेत्रों में पेयजल प्रदाय<br>योजनाओं का सर्वेक्षण   |  | 15.00     |             | 8.93     |             |  | 10.00                                | शहरी तथा अर्द्ध शहरी<br>क्षेत्रों में पेयजल प्रदाय<br>योजनाओं का सर्वेक्षण |
| <b>4368 सफाई सेवाएं</b>  |  |  |           |             |          |             |  |                                      |  |
| ग्वालियर मलजल निकासी<br>योजना हेतु ऋण  | ग्वालियर मलजल निकासी<br>योजना हेतु ऋण  |  | 60.00     |             | 60.00    |             |  | 0.00                                 |  |
| <b>4379 समस्यामूलक ग्रामों में पेय जल प्रदाय योजना</b>   |  |  |           |             |          |             |  |                                      |  |
| ग्रामीण बसाहटों में पेयजल<br>व्यवस्था एवं ग्रामीण<br>शालाओं में पेयजल व्यवस्था<br>।                  | 0009 अनुसार  |  | 11,846.02 | 0009 अनुसार | 7,835.30 | 0009 अनुसार |  | 13,886.08                            | 0009 अनुसार  |
| <b>4867 प्रदेश में खारे पानी से प्रभावित ग्रामों के लिये पेयजल व्यवस्था</b>                          |  |  |           |             |          |             |  |                                      |  |
| खारे पानी का नियंत्रण<br>कार्यक्रम   | पमिशन के अंतर्गत<br>पेयजल गुणवत्ता से<br>प्रभावित ग्रामों में पेयजल<br>व्यवस्था कार्य जिसमें<br>फ्लोराइड, खारापानी,<br>आरसेनिक नाइट्रेट,<br>लोहतत्व की अधिकता से<br>प्रभावित ग्रामों में वैकल्पिक<br>पेयजल व्यवस्था हेतु<br>बनायी गई परियोजनाओं<br>का क्रियान्वयन किया<br>जाता है। |  | 800.00    | 170         | 293.43   | 25          |  | 492.70                               | 100  |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित  | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम   | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण  | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |   |
|---|-------------------------------------|---|--|--------------|--|---------------|--|---|---|
|   |                                     |   | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |  | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य  |
| 1   | 2                                   | 3   | 4  | 5            | 6  | 7             | 8  | 9   | 10  |
| <b>विभाग - 34 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी</b>   |                                     |   |  |              |  |               |  |   |   |
| <b>विभागाध्यक्ष - 3402 प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग</b>                                |                                     |   |  |              |  |               |  |   |   |
| <b>5350 होस्टल / आश्रम में पेयजल व्यवस्था एवं सेनेटरी कार्य</b>   |                                     |   |  |              |  |               |  |   |   |
| अनुसूचित जाति/जनजाति<br>विभाग के छात्रावासों में<br>पेयजल एवं स्वच्छता<br>व्यवस्था                      |                                     | ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ,<br>सुरक्षित एवं पर्याप्त<br>पेयजल प्रदाय करने के<br>उद्देश्य से ग्रामीण जल<br>आपूर्ति कार्यक्रम के<br>अंतर्गत निर्धारित मानक<br>के अनुसार एव <sup>डैज</sup><br>छात्रावासों में पेयजल एवं<br>स्वच्छता व्यवस्था | 1,078.00   | 290          | 295.39   | 133           |  | 1,171.80  | 461   |
| <b>7446 भोपाल नगर हेतु नर्मदा जल आवर्धन योजना</b>   |                                     |   |  |              |  |               |  |   |   |
| भोपाल नगर की नर्मदा<br>आवर्धन जल प्रदाय योजना   |                                     |   | 2,720.38   |              | 1,541.20   |               | भोपाल नगर की नर्मदा आवर्धन<br>जल प्रदाय योजना जे एन एन<br>यू आर एम कार्यक्रम में आने<br>के कारण शेष राशि समर्पित<br>की गई। | 0.00  |   |
| <b>7447 18 पुन. जल प्रदाय योजना</b>   |                                     |   |  |              |  |               |  |   |   |
| केन्द्र प्रवर्तित से सामान्य में<br>परिवर्तित जल प्रदाय<br>योजनाओं के क्रियान्वयन<br>हेतु ऋण एवं अनुदान |                                     |   | 540.00   |              | 87.97  |               |  | 0.00  | केन्द्र प्रवर्तित से सामान्य में<br>परिवर्तित जल प्रदाय<br>योजनाओं के क्रियान्वयन<br>हेतु ऋण एवं अनुदान |
| <b>8219 कम्प्यूटर की स्थापना</b>  |                                     |   |  |              |  |               |  |   |   |
| कम्प्यूटर की स्थापना  |                                     |   | 150.00   |              | 0.00   |               | केन्द्र क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत<br>प्रावधान किया गया था। केन्द्र<br>से राशि प्राप्त न होने के<br>कारण व्यय नहीं हुआ।    | 0.00  |   |
| <b>8415 ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं के संधारण हेतु अनुदान</b>  |                                     |   |  |              |  |               |  |   |   |
| स्रोत सूखने से बन्द<br>नलजल योजनाओं में<br>पेयजल स्रोतों का निर्माण                                     |                                     | नलजल / स्थल जल<br>प्रदाय योजनाओं के स्रोत<br>सूखने पर योजनाओं से<br>पेयजल प्रदाय व्यवस्था   | 1,531.12   | 1060         | 337.71   | 610           | जलप्रदाय योजनाएं   | 2,427.32  | 800   |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 34 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी**

**विभागाध्यक्ष - 3402 प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग**

निरंतरित रखने हेतु  
अतिरिक्त स्रोतों का  
निर्माण

**9207 खारे पानी से प्रभावित ग्रामों के लिये पेयजल व्यवस्था**

|                                    |             |          |                              |        |                           |  |          |                              |
|------------------------------------|-------------|----------|------------------------------|--------|---------------------------|--|----------|------------------------------|
| खारे पानी का नियंत्रण<br>कार्यक्रम | 4867 अनुसार | 1,200.00 | योजना क्रमांक 4867<br>अनुसार | 214.48 | योजना क्रमांक 4867 अनुसार | रु. 5.00 करोड़ फ्लोरोसिस<br>परियोजना हेतु पुनर्विनियोजन<br>किया गया। | 1,170.00 | योजना क्रमांक 4867<br>अनुसार |
|------------------------------------|-------------|----------|------------------------------|--------|---------------------------|--|----------|------------------------------|

**9245 जल गुणवत्ता से संबंधित कार्य ( एच.आर.डी. कार्यक्रम )**

|                                     |  |          |  |       |  |  |      |   |
|-------------------------------------|--|----------|--|-------|--|--|------|---|
| जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं<br>निगरानी |  | 1,000.00 |  | 92.80 |  |  | 0.00 | सहायक गतिविधियों के<br>अंतर्गत सम्मिलित किये<br>जाने के कारण 2010-11<br>में प्रथक से प्रावधान नहीं<br>किया गया। |
|-------------------------------------|--|----------|--|-------|--|--|------|---|

**9489 प्रदेश में फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम**

|                                 |   |          |              |          |             |  |           |             |
|---------------------------------|---|----------|--------------|----------|-------------|--|-----------|-------------|
| फ्लोरोसिस नियंत्रण<br>कार्यक्रम | उपमिशन के अंतर्गत<br>पेयजल गुणवत्ता से<br>प्रभावित ग्रामों में पेयजल<br>व्यवस्था कार्य जिसमें<br>फ्लोराइड, खारापानी,<br>आरसेनिक नाइट्रेट,<br>लोहतत्व की अधिकता से<br>प्रभावित ग्रामों में वैकल्पिक<br>पेयजल व्यवस्था हेतु<br>बनायी गई परियोजनाओं<br>का क्रियान्वयन किया<br>जाता है। | 8,013.52 | 1250 बसाहटे। | 2,304.07 | 216 बसाहटे। |  | 11,700.00 | 600 बसाहटे। |
|---------------------------------|---|----------|--------------|----------|-------------|--|-----------|-------------|

**9938 भूजल स्रोतों का रिचार्जिंग**

|  |  |          |            |          |           |  |          |  |
|--|--|----------|------------|----------|-----------|--|----------|--|
| भूजल संवर्धन एवं पुनर्भरण<br>कार्यक्रम | अल्प वर्षा एवं भूजल स्रोतों<br>के लगातार दोहन के<br>कारण जलस्तर में निरंतर<br>गिरावट परिलक्षित हो रही<br>है। भूजल स्रोतों की | 8,813.96 | 2000 स्रोत | 2,246.00 | 830 स्रोत |  | 5,000.00 |  |
|--|--|----------|------------|----------|-----------|--|----------|--|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित   | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|  |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1  | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |
| <b>विभाग - 34 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी</b>                                |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| <b>विभागाध्यक्ष - 3402 प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग</b> |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| विश्वसनीयता बनाये रखने<br>भूजल संवर्धन के कार्य।                         |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| <b>विभागाध्यक्ष योग</b>  |                                     |                               | 71,315.96  |              | 29,051.32  |               |   | 69,247.94   |              |
| <b>विभाग</b>   |                                     |                               | 71,315.96  |              | 29,051.32  |               |   | 69,247.94   |              |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 35 पशुपालन विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 3502 संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं**

**0844 कुक्कुट पालन परियोजना**

|  |       |      |      |   |                            |       |      |
|--|-------|------|------|---|----------------------------|-------|------|
| कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने के लिये अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को 15 दिवसीय 65 रंगीन चूजें बिना लिंग भेद के प्रदाय किये जाते हैं। योजना से हितग्राही को आय के अतिरिक्त साधन उपलब्ध होते हैं | 27.20 | 2265 | 0.00 | 0 | बैकलॉग की पूर्ति न होने से | 13.36 | 1183 |
|--|-------|------|------|---|----------------------------|-------|------|

**0846 कुक्कुट प्रक्षेत्रों का विस्तार**

|  |       |      |      |   |                                 |       |      |
|--|-------|------|------|---|---------------------------------|-------|------|
| कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने के लिये अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को 15 दिवसीय 65 रंगीन चूजें बिना लिंग भेद के प्रदाय किये जाते हैं। योजना से हितग्राही को आय के अतिरिक्त साधन उपलब्ध होते हैं | 24.11 | 2007 | 0.00 | 0 | बैकलाग की पूर्ति न होने के कारण | 16.38 | 1365 |
|--|-------|------|------|---|---------------------------------|-------|------|

**1108 गहन पशु विकास परियोजना**

|   |                            |        |                            |        |                            |       |        |                            |
|---|----------------------------|--------|----------------------------|--------|----------------------------|-------|--------|----------------------------|
| वेतन भत्ते अन्य व्यय एवं कृत्रिम गर्भाधान से नस्ल सुधार, तरल नत्रजन, तरल नत्रजन पात्र एवं औषधि कय | 05.45 लाख कृत्रिम गर्भाधान | 728.16 | 10.40 लाख कृत्रिम गर्भाधान | 450.19 | 05.45 लाख कृत्रिम गर्भाधान | निरंक | 790.41 | 11.44 लाख कृत्रिम गर्भाधान |
|---|----------------------------|--------|----------------------------|--------|----------------------------|-------|--------|----------------------------|

**1109 गहन पशु विकास परियोजना**

|   |             |        |                             |        |                             |   |        |                             |
|---|-------------|--------|-----------------------------|--------|-----------------------------|---|--------|-----------------------------|
| वेतन भत्ते अन्य व्यय एवं दो गहन पशु विकास परियोजना एवं सात मुख्य ग्राम खण्ड हेतु औषधि प्रदाय। | औषधि प्रदाय | 559.75 | वेतन भत्ते एवं औषधि प्रदाय। | 550.22 | वेतन भत्ते एवं औषधि प्रदाय। | — | 692.00 | वेतन भत्ते एवं औषधि प्रदाय। |
|---|-------------|--------|-----------------------------|--------|-----------------------------|---|--------|-----------------------------|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 35 पशुपालन विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 3502 संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं**

**1154 गोसदन**

|                           |                           |       |   |      |   |   |       |   |
|---------------------------|---------------------------|-------|---|------|---|---|-------|---|
| गौसंवर्धन बोर्ड को सहायता | गौसंवर्धन बोर्ड को सहायता | 10.00 | 1 | 0.00 | 0 | — | 10.00 | 1 |
|---------------------------|---------------------------|-------|---|------|---|---|-------|---|

**1458 महत्वपूर्ण पशुरोगों की विधिवत रोकथाम**

|  |  |        |   |        |  |               |        |  |
|--|--|--------|---|--------|--|---------------|--------|--|
| संक्रामक रोगों के बचाव के लिये प्रतिबंधात्मक टीकाकरण, विकासखण्ड स्तरीय शिविर एवं जिला स्तरीय शिविरों का आयोजन। पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञों का प्रशिक्षण, पैरावेटस का प्रशिक्षण, रोग अनुसंधान प्रयोगशाला का सुदृढीकरण। | 80.49 लाख टीकाकरण, 616 विकास खण्ड स्तरीय शिविर, 96 जिला स्तरीय शिविर आयोजित। | 650.75 | 300 लाख टीकाकरण, 616 विकासखण्ड स्तरीय शिविर, 96 जिला स्तरीय शिविर | 164.31 | 80.39 लाख टीकाकरण, 616 विकासखण्ड स्तरीय शिविर, 96 जिला स्तरीय शिविर आयोजित | कोई कमी नहीं। | 654.51 | 300 लाख टीकाकरण, 616 विकास खण्ड स्तरीय शिविर, 96 जिला स्तरीय शिविर |
|--|--|--------|---|--------|--|---------------|--------|--|

**1971 दुग्ध, अण्डा, ऊन एवं मांस के उपलब्धता के अनुमान**

|            |            |        |            |       |            |   |        |            |
|------------|------------|--------|------------|-------|------------|---|--------|------------|
| वेतन भत्ते | वेतन भत्ते | 100.00 | वेतन भत्ते | 77.62 | वेतन भत्ते | — | 121.80 | वेतन भत्ते |
|------------|------------|--------|------------|-------|------------|---|--------|------------|

**2549 पशु चिकित्सालय**

|   |                           |       |   |      |  |   |        |   |
|---|---------------------------|-------|---|------|--|---|--------|---|
| पशु औषधालयों का पशु चिकित्सालयों में उन्नयन कर पशुपालकों को बेहतर पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। | 2 उन्नयन की स्वीकृती जारी | 96.89 | 2 पशु औषधालयों का उन्नयन एवं औषधि प्रदाय। | 0.00 | 2 पशु औषधालयों का पशु चिकित्सालय में उन्नयन एवं औषधि प्रदाय। | — | 130.71 | 5 पशु औषधालयों का उन्नयन एवं औषधि प्रदाय। |
|---|---------------------------|-------|---|------|--|---|--------|---|

**2563 पशु चिकित्सालयों एवं औषधालयों की स्थापना**

|                 |              |       |                |       |           |   |       |                |
|-----------------|--------------|-------|----------------|-------|-----------|---|-------|----------------|
| औषधि का प्रदाय। | औषधि का क्रय | 31.00 | औषधि का प्रदाय | 16.50 | औषधि क्रय | — | 31.00 | औषधि का प्रदाय |
|-----------------|--------------|-------|----------------|-------|-----------|---|-------|----------------|

**2686 प्रकाशन तथा प्रचार**

|  |   |       |  |      |   |   |       |  |
|--|---|-------|--|------|---|---|-------|--|
| प्रदर्शनी मेलों का आयोजन एवं प्रचार-प्रसार हेतु सामग्री का प्रदाय। | ग्वालियर व्यापार मेला, पशुपालन ,निर्देशिका का मुद्रण एवं डेयरी इंडिया | 15.00 | प्रदर्शनी एवं प्रचार-प्रसार हेतु सामग्री का प्रदाय एवं मेलों का आयोजन। | 1.29 | ग्वालियर व्यापार मेला, पशुपालन ,निर्देशिका का मुद्रण एवं डेयरी इंडिया पुस्तकों का | — | 25.00 | प्रदर्शनी एवं प्रचार-प्रसार हेतु सामग्री का प्रदाय एवं मेलों का आयोजन। |
|--|---|-------|--|------|---|---|-------|--|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित  | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय   | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10)               |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां            |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण   | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|---|---|-------------------------------|--|--------------|---|---------------|---|---|--------------|
|   |   |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि   | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1   | 2   | 3                             | 4  | 5            | 6   | 7             | 8   | 9   | 10           |
| <b>विभाग - 35 पशुपालन विभाग</b>   |   |                               |  |              |   |               |   |   |              |
| <b>विभागाध्यक्ष - 3502 संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं</b>  |   |                               |  |              |   |               |   |   |              |
| पुस्तकों का क्रय  |   |                               |  |              |   |               |   |   |              |
| <b>3786 माता महामारी उन्मूलन</b>  |   |                               |  |              |   |               |   |   |              |
| माता महामारी व उससे मिलते जुलते रोगों का सर्वेक्षण, खोजकार्य, स्टॉक रूट सर्च आदि एवं ग्राम खोज 49616 ग्राम। | रोगों का सर्वेक्षण/खोजकार्य,स्टॉक रूट सर्च 8930 एवं ग्राम खोज 22422 ग्राम एवं डेबुक इन्सपेक्शन 2762 | 60.00                         | रोगों का सर्वेक्षण/खोजकार्य,स्टॉक रूट सर्च 6032 एवं ग्राम खोज 49616 ग्राम एवं डेबुक इन्सपेक्शन | 0.00         | रोगों का सर्वेक्षण/खोजकार्य,स्टॉक रूट सर्च 8930 एवं ग्राम खोज 22422 ग्राम एवं डेबुक इन्सपेक्शन 2762 | 60.00         | रोगों का सर्वेक्षण/खोजकार्य,स्टॉक रूट सर्च 6032 एवं ग्राम खोज 49617 ग्राम एवं डेबुक इन्सपेक्शन 500 जन जागरण शिविरों का आयोजन। |   |              |
| <b>4016 विनिमय के आधार पर नर सुअरों के वितरण हेतु अनुदान</b>  |   |                               |  |              |   |               |   |   |              |
| देशी सूकर के नस्ल में सुधार (एक प्रजनन योग्य उन्नत नस्ल का नर सूकर प्रदाय)                                  | 951 इकाई  | 31.43                         | 1494 इकाई  | 19.99        | 951 इकाई  | 28.54         | 1356 इकाई   |   |              |
| <b>4017 विनिमय के आधार पर बकरों का प्रदाय अनुदान</b>  |   |                               |  |              |   |               |   |   |              |
| देशी बकरियों के नस्ल में सुधार हेतु 1 प्रजनन योग्य उन्नत नस्ल के नर बकरों का प्रदाय (बीमा सहित)             | 2204 बकरे   | 77.60                         | 2418 बकरे  | 70.55        | 2204 बकरे   | 82.70         | 2582 बकरे   |   |              |
| <b>4082 विशेष पशुपालन कार्यक्रम</b>   |   |                               |  |              |   |               |   |   |              |
| संकर एवं देशी मादा वत्स के पालन के प्रति रुचि उत्पन्न करना।   | 1789  | 118.11                        | 3340 हितग्राही   | 62.27        | 1789 हितग्राही  | 123.97        | 3504 हितग्राही  |   |              |
| <b>4293 भारतीय पशु चिकित्सा परिषद की स्थापना</b>  |   |                               |  |              |   |               |   |   |              |
| वेतन भत्ते  | वेतन भत्ते  | 28.00                         | वेतन भत्ते   | 19.94        | वेतन भत्ते  | 33.64         | वेतन भत्ते  |   |              |
| <b>5007 पशु औषधालय</b>  |   |                               |  |              |   |               |   |   |              |
| पशुपालकों को निकटतम दूरी पर पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।   | 4 पशु औषधालयों की स्वीकृति जारी।  | 34.47                         | 4  | 0.00         | 4 पशु औषधालय की स्वीकृति जारी   | 55.71         | 7 पशु औषधालय  |   |              |



परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 35 पशुपालन विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 3502 संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं**

**5076 प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण**

|                         |          |       |                            |      |   |  |       |                            |
|-------------------------|----------|-------|----------------------------|------|---|--|-------|----------------------------|
| प्रक्षेत्रों का सददीकरण | सुददीकरण | 20.00 | 2 प्रक्षेत्रों का सुददीकरण | 0.00 | 0 |  | 20.00 | 2 प्रक्षेत्रों का सुददीकरण |
|-------------------------|----------|-------|----------------------------|------|---|--|-------|----------------------------|

**5077 संभागीय / जिला स्तरीय चलित वाहनों का प्रदाय**

|  |  |       |         |      |   |  |       |        |
|--|--|-------|---------|------|---|--|-------|--------|
| पशुपालकों को द्वार पहुँच<br>पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध<br>कराना। |  | 55.00 | 10 वाहन | 0.00 | 0 |  | 33.00 | 6 वाहन |
|--|--|-------|---------|------|---|--|-------|--------|

**5085 पशु औषधालयों का पशु चिकित्सालयों में उन्नयन**

|   |  |       |   |      |  |  |        |  |
|---|--|-------|---|------|--|--|--------|--|
| पशु औषधालयों का पशु<br>चिकित्सालय में उन्नयन<br>कर पशुपालकों को बेहतर<br>पशु चिकित्सा सुविधा<br>उपलब्ध कराना। | 6 पशु औषधालयों का पशु<br>चिकित्सालय में उन्नयन<br>की स्वीकृती जारी | 92.97 | 6 पशु औषधालयों का<br>पशु चिकित्सालय में<br>उन्नयन | 0.00 | 6 पशु औषधालयों का पशु<br>चिकित्सालय में उन्नयन |  | 190.01 | 19 पशु औषधालयों का<br>पशु चिकित्सालय में<br>उन्नयन |
|---|--|-------|---|------|--|--|--------|--|

**5092 नवीन पशु औषधालयों की स्थापना**

|   |  |       |                                    |      |   |  |        |                                     |
|---|--|-------|------------------------------------|------|---|--|--------|-------------------------------------|
| नवीन पशु औषधालय की<br>स्थापना कर पशुपालकों को<br>निकटतम दूरी पर पशु<br>चिकित्सा सुविधा उपलब्ध<br>कराना। | 8 नवीन पशु औषधालयों<br>की स्थापना की स्वीकृति<br>जारी। | 65.53 | 8 नवीन पशु औषधालयों<br>की स्थापना। | 0.00 | 8 नवीन पशु औषधालयों की<br>स्वीकृति जारी |  | 114.98 | 16 नवीन पशु औषधालयों<br>की स्थापना। |
|---|--|-------|------------------------------------|------|---|--|--------|-------------------------------------|

**5093 पशु चिकित्सालयों का सुदृढीकरण**

|   |  |       |   |      |  |  |        |  |
|---|--|-------|---|------|--|--|--------|--|
| पशु चिकित्सा संस्थाओं का<br>सुददीकरण जिसमें रूपये<br>2.00 लाख का अद्योसंरचना<br>विकास एवं रूपये 1.00<br>लाख के उपकरण,<br>औजारों | 17 पशु चिकित्सा संस्थाओं<br>के सुददीकरण की<br>स्वीकृति जारी। | 51.00 | 17 पशु चिकित्सा<br>संस्थाओं का सुदृढीकरण। | 7.98 | 17 पशु चिकित्सा संस्थाओं<br>का सुदृढीकरण की स्वीकृति<br>जारी |  | 144.00 | 48 पशु चिकित्सा<br>संस्थाओं का सुददीकरण। |
|---|--|-------|---|------|--|--|--------|--|

**5241 अनुदान पर प्रजनन योग्य बकरों का प्रदाय**

|  |            |       |            |       |            |  |       |      |
|--|------------|-------|------------|-------|------------|--|-------|------|
| देशी बकरियों के नस्ल में<br>सुधार हेतु एक प्रजनन<br>योग्य उन्नत नस्ल के नर | 1611 बकरें | 59.98 | 1869 बकरें | 51.57 | 1611 बकरें |  | 78.50 | 2450 |
|--|------------|-------|------------|-------|------------|--|-------|------|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 35 पशुपालन विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 3502 संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं**

बकरों का प्रदाय। (बीमा सहित)

**5246 नवीन संस्था भवनों का निर्माण**

भवन विहीन संस्थाओं हेतु नवीन भवनों का निर्माण

30.00 3 नवीन भवन 0.00 90.00 6 नवीन भवन

**5260 सांडों के क्रय हेतु अनुदान**

प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा नस्ल सुधार हेतु उन्नत नस्ल के सांडों का प्रदाय।

1136 सांड 267.34 1953 सांड 167.50 1136 सांड 358.79 3003 सांड

**5561 पशु चिकित्सा विस्तार कार्यक्रम**

कार्यक्रम अंतर्गत जे.के.ट्रस्ट के माध्यम से 500 केन्द्रों द्वारा नस्ल सुधार एवं पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।

44177 कृत्रिम गर्भाधान, 335 वत्स उत्पादन, 1511 पशु चिकित्सा शिविर एवं पशु चिकित्सा कार्य कराना। 880.78 500 केन्द्र 620.00 500 केन्द्रों के माध्यम से 44177 कृत्रिम गर्भाधान, 335 वत्स उत्पादन, 1511 पशु चिकित्सा शिविर एवं पशु चिकित्सा कार्य 735.56 500 केन्द्रों के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान, वत्स उत्पादन, पशु चिकित्सा शिविर एवं पशु चिकित्सा कार्य

**5563 अनुदान एवं ऋण पर बकरी इकाई का प्रदाय**

बकरी पालन के माध्यम से हितग्राहियों को रोजगार उपलब्ध कराना।

36 इकाई 29.64 468 इकाई 2.33 36 इकाई 28.77 456 इकाई

**5564 अनुदान एवं ऋण पर संकर जर्सी / ग्रेडेड मुरां इकाई का प्रदाय**

डेयरी इकाई के माध्यम से हितग्राहियों को रोजगार उपलब्ध कराना।

81 इकाई 46.01 610 इकाई 6.08 81 इकाई 39.73 528 इकाई

**5598 चल विरुजालय**

आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के पशुपालकों को द्वार पहुँच पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।

33.00 6 वाहन 0.00 0 88.00 16 वाहन

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 35 पशुपालन विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 3502 संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं**

**5599 अनुदान पर सांडो की वितरण**

|  |          |  |       |          |       |          |  |       |          |
|--|----------|--|-------|----------|-------|----------|--|-------|----------|
| प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा<br>नस्ल सुधार हेतु उन्नत<br>नस्ल के सांडो का प्रदाय। | 174 सांड |  | 83.01 | 453 सांड | 42.84 | 174 सांड |  | 86.73 | 601 सांड |
|--|----------|--|-------|----------|-------|----------|--|-------|----------|

**5600 अनुदान एवं ऋण पर बकरी इकाई का प्रदाय**

|   |          |  |       |          |       |          |  |       |          |
|---|----------|--|-------|----------|-------|----------|--|-------|----------|
| बकरी पालन के माध्यम से<br>हितग्राहियों को रोजगार<br>उपलब्ध कराना। | 118 इकाई |  | 86.09 | 674 इकाई | 14.87 | 118 इकाई |  | 75.68 | 599 इकाई |
|---|----------|--|-------|----------|-------|----------|--|-------|----------|

**5601 अनुदान एवं ऋण पर संकर जर्सी / ग्रेडेड मुर्गा इकाई का प्रदाय**

|  |         |  |       |          |      |         |  |       |          |
|--|---------|--|-------|----------|------|---------|--|-------|----------|
| डेयरी इकाई के माध्यम से<br>हितग्राहियों को रोजगार<br>उपलब्ध कराना। | 33 इकाई |  | 46.68 | 464 इकाई | 3.28 | 33 इकाई |  | 22.00 | 220 इकाई |
|--|---------|--|-------|----------|------|---------|--|-------|----------|

**5602 अनुदान एवं ऋण पर कड़कनाथ चूजो का प्रदाय**

|  |          |  |       |           |      |          |  |       |           |
|--|----------|--|-------|-----------|------|----------|--|-------|-----------|
| अनुसूचित जनजाति के<br>हितग्राहियों को 15 दिवसीय<br>55 कड़कनाथ चूजों की 1<br>इकाई का प्रदाय किया<br>जाता है। योजना का<br>उद्देश्य आदिवासी<br>हितग्राहियों को आय के<br>अलावा अतिरिक्त आमदनी<br>तथा पोषण आहार उपलब्ध<br>कराना है। योजना अंतर्गत<br>टीके व औषधियां तथा<br>कुक्कुट आहार का प्रावधान<br>होता है। | 713 इकाई |  | 19.28 | 1605 इकाई | 8.56 | 713 इकाई |  | 16.03 | 1335 इकाई |
|--|----------|--|-------|-----------|------|----------|--|-------|-----------|

**5626 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना**

|  |  |  |          |   |      |   |  |          |   |
|--|--|--|----------|---|------|---|--|----------|---|
| राष्ट्रीय कृषि विकास योजना<br>का मुख्य उद्देश्य कृषि<br>उत्पाद जो वर्तमान में<br>उसको बढ़ाकर 4 प्रतिशत | राष्ट्रीय कृषि विकास<br>योजना में प्राप्त राशि से<br>पशु चिकित्सा संस्थाओं<br>का सुदढीकरण, हितग्राही |  | 2,421.24 | 90 पशु चिकित्सा संस्थाओं<br>का सुदढीकरण, 50000<br>हितग्राहियों को मिनिक्किट<br>वितरण ग्वालियर में दुग्ध | 0.00 | 0 |  | 1,160.00 | संस्थाओं का सुदढीकरण,<br>4 पशु प्रजनन प्रक्षेत्र एवं 1<br>बकरी प्रक्षेत्र का<br>सुदढीकरण, गौ अनुसंधान |
|--|--|--|----------|---|------|---|--|----------|---|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 35 पशुपालन विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 3502 संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं**

करना है।

मूलक योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसके परिणाम 2011-12 में प्रतीत होंगे।

एवं दुग्ध उत्पाद प्रयोगशाला की स्थापना, दमोह में मिल्क विलिंग सेंटर की स्थापना, पशु चिकित्सा महाविद्यालय में एवं जबलपुर की प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण। कीरतपुर में बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना, फीड एनालेसिस प्रयोगशाला का सुदृढीकरण।

केन्द्र की स्थापना, कत्रिम गर्भाधान, पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार एवं डेयरी स्टेट की स्थापना इत्यादि।

**5628 दुग्ध उत्पादन हेतु प्रोत्साहन योजना**

दुधारू नस्ल के गौवंशीय पशुओं के पालन हेतु प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देने एवं दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना। प्रत्येक जनपद पंचायत स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित कर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादित करने वाली देशी गाय/संकर गाय के पशुपालक को पुरस्कार दिया जाता है।

20.00 313 जनपद पंचायत 0.00 0

20.00 313 जनपद पंचायत

**5679 निर्धन वर्ग के लिए आचार्य विद्यासागर गौ-संवर्धन योजना**

ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले निर्धन पशुपालकों के परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, योजना के तहत महिलाओं को भारतीय उन्नत नस्ल की दो गायें, ऋण एवं अनुदान पर प्रदाय।

100.00 1000 100.00 840

200.00 2000

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 35 पशुपालन विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 3502 संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं**

**5692 पशुधन बीमा**

|  |  |       |       |      |                    |       |                     |
|--|--|-------|-------|------|--------------------|-------|---------------------|
| पशुधन बीमा योजना केन्द्र द्वारा संचालित योजना है जिसमें मध्यप्रदेश के 20 जिलों का चयन किया गया है। योजना अंतर्गत पशुपालकों के 2 दुधारु पशुओं का बीमा किया जाता है। इसके अंतर्गत बीमा प्रीमियम की 50 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा एवं 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है एवं शेष राशि का वहन हितग्राही के अंशदान के रूप में किया जाता है। | बीमाकृत पशुओं की मृत्यु हो जाने पर पशुपालकों को नुकसान न हो इसके लिये पशुधन बीमा योजना लागू की गई है। जिन-जिन बीमाकृत पशुओं की मृत्यु हो जाती है उनको बीमा की राशि का भुगतान किया जाता है। | 50.00 | 50000 | 0.00 | 7650 पशुओं का बीमा | 50.00 | 50000 पशुओं का बीमा |
|--|--|-------|-------|------|--------------------|-------|---------------------|

**6625 पशु संगणना की योजना**

|  |  |        |   |      |                                 |        |  |
|--|--|--------|---|------|---------------------------------|--------|--|
| योजना 100 प्रतिशत केन्द्र संचालित है, जिसमें प्रदेश में उपलब्ध पशुओं के नस्लवार, हितग्राहीवार, वर्गवार जानकारी एकत्रित की जाती है। | प्राप्त जानकारी के आधार पर योजना, परियोजना बनाई जाती है। | 400.00 | डाटा एन्ट्री कार्य, स्टेशनरी क्रय, उच्च क्षमता सर्वर का क्रय, मुद्रण एवं कार्यालयीन व्यय। | 2.73 | डिटेल्ड टेबुलेशन कार्य जारी है। | 400.00 | डाटा एन्ट्री कार्य, स्टेशनरी क्रय, मुद्रण एवं कार्यालयीन व्यय। |
|--|--|--------|---|------|---------------------------------|--------|--|

**6995 चारागाह विकास एवं चारा बीज का वितरण**

|  |   |        |  |       |  |        |  |
|--|---|--------|--|-------|--|--------|--|
| चारागाह विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 10 हेक्टेयर भूमि (प्रति यूनिट) में चाराविकास का कार्यक्रम लिया जाता है जिसके अंतर्गत भूमि सुधार, सिंचाई साधन, खाद, बीज, कीटनाशक की व्यवस्था, जुताई बुवाई आदि का कार्य किया जाता | इस कार्यक्रम से बिगड़ी हुई भूमि का सुधार कर चारा उत्पादित किया जाता है, जिससे राज्य के पशुओं को हरा उपलब्ध होता है। | 200.00 |  | 40.00 |  | 200.00 | भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं। |
|--|---|--------|--|-------|--|--------|--|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 35 पशुपालन विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 3502 संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं**

है। जिसके लिये वन विभाग को प्रति यूनिट रूपये 3.50 लाख एवं शा.प्रक्षेत्र एवं गौशाला पर रूपये 5.50 लाख का प्रावधान किया जाता है।

**6998 पशुओं के रोगों की रोकथाम हेतु टीका उत्पादन पर व्यय**

जैविक उत्पाद संस्थान, मँहू 0 का आधुनिकीकरण एवं सुददीकरण।

10.00 1 0.00 0 10.00 1

**7441 केनकाटा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना**

स्थानीय नस्ल केनकाटा का संरक्षण एवं संवर्धन,

10.00 खाद्यान एवं अन्य व्यय। 0.00 10.00 खाद्यान एवं अन्य व्यय।

**7742 ग्रामीण परिवेश में मुक्त परिसर अंतर्गत कुक्कुटपालन परिक्षेत्र**

केन्द्र प्रवर्तित योजना है, जिसमें 80 प्रतिशत् केन्द्रांश एवं 20 प्रतिशत् राज्यांश प्रावधानित है। 20 प्रतिशत् राज्यांश प्रक्षेत्र पर उपलब्ध संसाधनों को मान्य किया गया है जिससे 80 प्रतिशत् के मान से कुक्कुट प्रक्षेत्रों का सुददीकरण किया जाता है।

65.00 2 प्रक्षेत्र का सुददीकरण 0.00 0 65.00 2 प्रक्षेत्र का सुददीकरण  
माह दिसम्बर 2009 में रूपये 29.60 लाख की राशि भारत शासन के द्वारा विमुक्त की गई।

**8808 सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य**

सूचना प्राद्योगिकी कार्य के अंतर्गत संचालनालय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों को कम्प्यूटर हार्डवेयर उपलब्ध कराना एवं उनके रखरखाव की व्यवस्था करना। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण,

उपरोक्त योजनांतर्गत संचालनालय के कम्प्यूटर हार्डवेयर का रखरखाव किया गया तथा संभागीय/जिला कार्यालयों को कम्प्यूटर हार्डवेयर रखरखाव हेतु 25.00 सूचना प्राद्योगिकी कार्य के अंतर्गत संचालनालय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों को कम्प्यूटर हार्डवेयर उपलब्ध कराना एवं उनके रखरखाव की व्यवस्था करना। सूचना प्रौद्योगिकी

7.04 उपरोक्त योजनांतर्गत संचालनालय के कम्प्यूटर हार्डवेयर का रखरखाव किया गया तथा संभागीय/जिला कार्यालयों को कम्प्यूटर हार्डवेयर रखरखाव हेतु राशि आवंटित की गई।

44.91 सूचना प्राद्योगिकी कार्य के अंतर्गत संचालनालय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों को कम्प्यूटर हार्डवेयर उपलब्ध कराना एवं उनके रखरखाव की व्यवस्था करना। सूचना प्रौद्योगिकी

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित   | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |  | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |                           | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये)  |   |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|---------------------------|---|--|---|
|  |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य   | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि             |   | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य  |
| 1  | 2                                   | 3                             | 4  | 5  | 6  | 7                         | 8   | 9  | 10  |
| <b>विभाग - 35 पशुपालन विभाग</b>  |                                     |                               |  |  |  |                           |   |  |   |
| <b>विभागाध्यक्ष - 3502 संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं</b>   |                                     |                               |  |  |  |                           |   |  |   |
| विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को दिया जाना। सॉफ्टवेयर तैयार करना एवं विभागीय बेबसाईट का रखरखाव।   | राशि आवंटित की गई।                  |                               |  | का प्रशिक्षण, विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को दिया जाना। सॉफ्टवेयर तैयार करना एवं विभागीय बेबसाईट का रखरखाव। |  |                           |   | का प्रशिक्षण, विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को दिया जाना। सॉफ्टवेयर तैयार करना एवं विभागीय बेबसाईट का रखरखाव। सेमीनार का आयोजन। |   |
| <b>9181 जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के लिये सहायक अनुदान</b>                          |                                     |                               |  |  |  |                           |   |  |   |
| पशु चिकित्सा महाविद्यालय रीवा हेतु वेतन भत्ते एवं अन्य व्यय।                                       | वेतन भत्ते                          |                               | 120.00   | वेतन भत्ते   | 120.00   | वेतन भत्ते                | —   | 0.00   | 0   |
| <b>9331 नवीन गहन पशु विकास परियोजना की स्थापना</b>   |                                     |                               |  |  |  |                           |   |  |   |
| वेतन भत्ते अन्य व्यय 12 मुख्य ग्राम खण्ड हेतु औषधि प्रदाय, तरल नत्रजन एवं तरल नत्रजन पात्र क्रय।   |                                     |                               | 639.21   | औषधि क्रय, तरल नत्रजन एवं तरल नत्रजन पात्र क्रय।   | 315.22   | वेतन भत्ते एवं औषधि क्रय, | —   | 562.10   | वेतन भत्ते एवं औषधि क्रय, तरल नत्रजन एवं तरल नत्रजन पात्र क्रय। |
| <b>9332 शूकर विकास अनुदान</b>  |                                     |                               |  |  |  |                           |   |  |   |
| अनुसूचित जन जाति के हितग्राहियों को उन्नत नस्ल के एक नर सूकर एवं दो मादा सूकरों की इकाई का प्रदाय। | 77 इकाई                             |                               | 13.56  | 233 इकाई   | 4.48   | 77 इकाई                   |   | 5.57   | 95 इकाई   |
| <b>9333 नस्ल सुधार हेतु बकरों का वितरण अनुदान</b>  |                                     |                               |  |  |  |                           |   |  |   |
| देशी बकरियों के नस्ल में सुधार हेतु एक प्रजनन योग्य उन्नत नस्ल के नर बकरों का प्रदाय। (बीमा सहित)  | 1578 बकरे                           |                               | 64.38  | 2005 बकरें   | 50.81  | 1578 बकरें                |   | 74.96  | 2340 बकरें।   |
| <b>विभागाध्यक्ष योग</b>  |                                     |                               | 8,597.17   |  | 2,998.17   |                           |   | 7,794.05   |   |
| <b>विभाग</b>   |                                     |                               | 8,597.17   |  | 2,998.17   |                           |   | 7,794.05   |   |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित                               | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम  | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |                 | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |                 | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण   | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |                 |
|--|-------------------------------------|--|--|-----------------|--|-----------------|---|---|-----------------|
|  |                                     |  | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य    | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि   |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य    |
| 1  | 2                                   | 3  | 4  | 5               | 6  | 7               | 8   | 9   | 10              |
| <b>विभाग - 36 मछली पालन विभाग</b>                        |                                     |  |  |                 |  |                 |   |   |                 |
| <b>विभागाध्यक्ष - 3602 संचालक, मत्स्योद्योग</b>          |                                     |  |  |                 |  |                 |   |   |                 |
| <b>1450 जलाशयों तथा नदियों में मत्स्योद्योग का विकास</b> |                                     |  |  |                 |  |                 |   |   |                 |
|  | मत्स्योत्पादन मेट्रिक टन में        | वित्तीय वर्ष 2009-10 में<br>44 विभागीय जलाशयों से<br>440 मेट्रिक टन एवं प्रदेश<br>की 17088 कि०मी० बहने<br>वाली नदियों के गहरे दहों<br>से 8500 टन मत्स्योत्पादन | 77.69  | 8940 मेट्रिक टन | 33.28  | 5162 मेट्रिक टन | —   | 80.09   | 8984 मेट्रिक टन |
| <b>2304 निदेशन और प्रशासन</b>                            |                                     |  |  |                 |  |                 |   |   |                 |
|  | रूपयों में                          | जिलों में विभागीय मेला<br>प्रदर्शनी हेतु प्रावधान  | 15.00  | —               | 0.67   | —               | —   | 15.00   | —               |
| <b>3313 मत्स्यपालन प्रसार</b>                            |                                     |  |  |                 |  |                 |   |   |                 |
|  | हितग्राही संख्या                    | मत्स्यपालकों को पट्टा<br>राशि, मत्स्यबीज,<br>नॉव-जाल एवं इनपुट्स<br>के लिये अनुदान   | 28.01  | 940 मछुआ        | 3.50   | 233 मछुआ        | —   | 30.58   | 1020 मछुआ       |
| <b>3314 मत्स्य बीज उत्पादन</b>                           |                                     |  |  |                 |  |                 |   |   |                 |
|  | स्टेण्डर्ड फ्राई लाख में            | राज्य की मत्स्यबीज की<br>मांग पूर्ति करने के<br>उद्देश्य से प्रक्षेत्रों में<br>विभागीय हैचरी एवं<br>संवर्धन जलक्षेत्रों से<br>मत्स्यबीज उत्पादन करना          | 257.57   | 1450 लाख        | 120.99   | 1173 लाख        | सूखा एवं अल्प वर्षा के कारण<br>अर्जित भौतिक उपलब्धि के<br>विपक्ष में व्यय सीमांकित किया<br>गया ।                                | 315.11  | 1523 लाख        |
| <b>3321 मत्स्यालय</b>                                    |                                     |  |  |                 |  |                 |   |   |                 |
|  | रूपयों में                          | मत्स्यालय भवन का<br>उन्नयन कर नवीन<br>आधुनिक उपकरणों से<br>सुसज्जित कर शोभायमान<br>मछलियों का प्रदर्शन   | 25.00  | —               | 0.77   | —               | मत्स्यालय भवन मंत्रिपरिषद के<br>निर्णय अनुसार कन्वेनशन कम<br>ट्रेड सेंटर में परिवर्तित हो जाने<br>के कारण राशि अव्ययित रही<br>। | 20.00   | —               |
| <b>4217 विस्तार और प्रशिक्षण</b>                         |                                     |  |  |                 |  |                 |   |   |                 |



परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 36 मछली पालन विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 3602 संचालक, मत्स्योद्योग**

|                       |  |       |                     |       |                     |   |       |                     |
|-----------------------|--|-------|---------------------|-------|---------------------|---|-------|---------------------|
| प्रशिक्षणार्थी संख्या | प्रदेश के मछुआरों को नवीन मात्स्यकीय तकनीक एवं प्रौद्योगिकी से प्रशिक्षित करना । | 40.48 | 2727 प्रशिक्षणार्थी | 12.73 | 1025 प्रशिक्षणार्थी | — | 77.65 | 3027 प्रशिक्षणार्थी |
|-----------------------|--|-------|---------------------|-------|---------------------|---|-------|---------------------|

**4427 मछुआं सहकारी समितियों को अनुदान**

|              |   |       |           |      |          |   |       |           |
|--------------|---|-------|-----------|------|----------|---|-------|-----------|
| समिति संख्या | मछुआ सहकारी समितियों को अनुदान उपलब्ध कराना । | 47.53 | 574 समिति | 4.13 | 28 समिति | अल्पवर्षा के कारण सूखा होने से पात्र समितियाँ उपलब्ध न होने के कारण । | 40.04 | 463 समिति |
|--------------|---|-------|-----------|------|----------|---|-------|-----------|

**4970 मत्स्य कृषक विकास अभिकरणो को अनुदान**

|                      |   |        |             |       |            |  |        |             |
|----------------------|---|--------|-------------|-------|------------|--|--------|-------------|
| जलक्षेत्र हेक्टर में | भारत शासन की अनुमोदित योजना के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को तालाब पट्टे पर उपलब्ध कराकर बैंको के माध्यम से ऋण/अनुदान उपलब्ध कराया जाना एवं तकनीकी मार्गदर्शन देकर रोजगार उपलब्ध कराना । | 435.44 | 1500 हेक्टर | 75.86 | 793 हेक्टर | सूखा एवं अल्प वर्षा के कारण तालाबों में पानी की कमी होने से बैंको द्वारा ऋण प्रस्ताव स्वीकृत न होने के कारण एवं केन्द्र सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण । | 447.32 | 1500 हेक्टर |
|----------------------|---|--------|-------------|-------|------------|--|--------|-------------|

**5626 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना**

|        |   |          |   |      |   |  |        |   |
|--------|---|----------|---|------|---|--|--------|---|
| संख्या | मछुआ सहकारी समितियों को नाव जाल मत्स्यबीज एवं अधोसंरचना विकास हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाती है । | 1,200.00 | — | 0.00 | — | प्रथम किस्त की राशि रूपये 499.20 लाख की स्वीकृति दिनांक 29.12.2009 द्वारा शासन से प्राप्त हुई है द्वितीय किस्त की राशि आर के व्ही वाई एस एल एस सी की द्वितीय बैटक के उपरांत अग्रिम कार्यवाही की जावेगी इस लिये व्यय न हो सका । | 580.00 | — |
|--------|---|----------|---|------|---|--|--------|---|

**6902 जनश्री जीवन बीमा योजना**

|        |   |       |   |      |   |   |      |   |
|--------|---|-------|---|------|---|---|------|---|
| संख्या | — | 11.26 | — | 0.00 | — | आम आदमी बीमा योजना संस्थागत वित्त द्वारा जिला | 0.00 | — |
|--------|---|-------|---|------|---|---|------|---|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित  | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय   | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|---|---|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|   |   |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1   | 2   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |
| <b>विभाग - 36 मछली पालन विभाग</b>   |   |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| <b>विभागाध्यक्ष - 3602 संचालक, मत्स्योद्योग</b>   |   |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| पंचायतों के माध्यम से लागू किये जाने के कारण योजनान्तर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाना है अतः शासन द्वारा जनश्रीबीमा योजना को बंद कर दिया गया है । |   |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| <b>8269 मछुआरों की राष्ट्रीय कल्याण निधि अन्तर्गत आवास गृहों का निर्माण</b>   |   |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| संख्या  | राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण निधि से मछुओं की आवासीय कालोनियाँ विकसित करना ।   |                               | 45.30  | 100          | 0.00   | —             | —   | 55.30   | 100          |
| <b>8625 बचत सह राहत योजना</b>   |   |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| हितग्राही संख्या  | मछुआ सहकारी समितियों के सदस्यों को बंद ऋतु में उनके द्वारा की गई बचत के समतुल्य आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है । |                               | 66.10  | 14652 मछुआ   | 37.76  | 8391 मछुआ     | —   | 47.10   | 10885 मछुआ   |
| <b>विभागाध्यक्ष योग</b>   |   |                               | 2,249.38   |              | 289.69   |               |   | 1,708.19  |              |
| <b>विभाग</b>  |   |                               | 2,249.38   |              | 289.69   |               |   | 1,708.19  |              |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 38 उच्च शिक्षा विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 3802 आयुक्त, महाविद्यालयीन शिक्षा**

**3446 महाविद्यालयों में खेलकूद प्रोत्साहन**

|  |  |       |  |       |  |       |       |   |
|--|--|-------|--|-------|--|-------|-------|---|
| शासकीय महाविद्यालयों में खेलकूद प्रोत्साहन हेतु प्रतियोगिताओं का आयोजन । | 309 शासकीय महाविद्यालयों को छात्र संख्या के अनुपात में राशि का आवंटन | 50.00 | शासकीय महाविद्यालयों में खेलकूद प्रोत्साहन हेतु प्रतियोगिताओं का आयोजन । | 28.44 | 309 के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् लगभग 300000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे । | निरंक | 82.00 | 309 शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के अनुपात खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन तथा खेल मैदानों का विकास किया जावेगा । |
|--|--|-------|--|-------|--|-------|-------|---|

**3753 राष्ट्रीय सेवा योजना**

|  |   |        |   |        |   |       |        |  |
|--|---|--------|---|--------|---|-------|--------|--|
| सामुदायिक सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व विकास | प्रदेश में 481 महाविद्यालय तथा 601 विद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की 1229 इकाईयां के माध्यम से नियमित गतिविधियों के अंतर्गत शिक्षा स्वास्थ्य पर्यावरण वनरोपण, पोषण आहर आदि कार्य किये जा रहे हैं | 397.33 | प्रदेश में 481 महाविद्यालय तथा 601 विद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की 1229 इकाईयां के माध्यम से नियमित गतिविधियों के अंतर्गत शिक्षा स्वास्थ्य पर्यावरण वनरोपण, पोषण आहर आदि कार्य | 288.07 | प्रदेश में महाविद्यालय तथा विद्यालय में संचालित इकाईयों के माध्यम से निर्धारित लक्ष्य अनुसार कार्य किये जा रहे हैं । योजना में 130000 से अधिक छात्र-छात्राएँ पंजीबद्ध हैं । | निरंक | 340.00 | सामुदायिक सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व विकास । |
|--|---|--------|---|--------|---|-------|--------|--|

**4699 छात्रों के लिए पुस्तकें आदि का प्रदाय**

|   |  |        |  |        |  |       |        |  |
|---|--|--------|--|--------|--|-------|--------|--|
| अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को बुक बैंक योजनान्तर्गत मुफ्त पुस्तकों का वितरण | प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में लगभग 55000 अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को पुस्तकों तथा स्टेशनरी का मुफ्त प्रदाय | 279.00 | 55000 विद्यार्थियों को मुफ्त पुस्तकों तथा स्टेशनरी का प्रदाय | 232.61 | 53000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है । | निरंक | 290.00 | प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के अनुसूचित जाति के 50000 विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर प्रति विद्यार्थी रु 600/- तथा स्नातकोत्तर स्तर पर रु 800/- प्रति विद्यार्थी तथा रु 50/- प्रति विद्यार्थी स्टेशनरी का मुफ्त प्रदाय |
|---|--|--------|--|--------|--|-------|--------|--|

**4934 भोज खुला विश्वविद्यालय**

|   |  |       |  |      |  |       |       |  |
|---|--|-------|--|------|--|-------|-------|--|
| भोज खुला विश्वविद्यालय के माध्यम से अनुसूचित जाति | अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों में मुफ्त | 15.00 | प्रदेश में अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के | 7.50 | 10000 विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई है । | निरंक | 15.00 | प्रदेश में अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के |
|---|--|-------|--|------|--|-------|-------|--|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 38 उच्च शिक्षा विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 3802 आयुक्त, महाविद्यालयीन शिक्षा**

एव जनजाति क्षेत्रों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करना

शिक्षा व्यवस्था की गई ।

अंतर्गत विद्यार्थियों को भोज खुला वि०वि० के अंतर्गत मुफ्त शिक्षा प्रदाय की जावेगी ।

अंतर्गत विद्यार्थियों को भोज खुला वि०वि० के अंतर्गत मुफ्त शिक्षा प्रदाय की जावेगी ।

**5086 महाविद्यालयीन भवनो का निर्माण**

आदिवासी क्षेत्रान्तर्गत शासकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों के पूर्ण निर्माण तथा अतिरिक्त निर्माण कार्य करवाये जावेंगे ।

485.32

आदिवासी क्षेत्र अंतर्गत भवनहीन शा० महाविद्यालयों के भवन निर्माण एवं अतिरिक्त निर्माण कार्य करावें जावेंगे ।

161.77

आदिवासी क्षेत्रान्तर्गत महाविद्यालयों के भवन निर्माण एवं अतिरिक्त निर्माण कार्य के लिए आवश्यकतानुसार राशि जारी की गई है । लगभग 15 महाविद्यालय लाभान्वित होंगे ।

700.00

आदिवासी क्षेत्रान्तर्गत शासकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों के पूर्ण निर्माण तथा अतिरिक्त निर्माण कार्य करवाये जावेंगे । लगभग 17 महावि० लाभान्वित होंगे ।

**5476 प्रतिभा किरण योजना**

शहरी क्षेत्रान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे कक्षा बारवी में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण बालिकाओं को छात्रवृत्त

निर्धारित लक्ष्य पूर्ण ।

50.00

शहरी क्षेत्रान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे कक्षा बारवी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं को 3000/- प्रतिवर्ष स्नातक स्तर पर छात्रवृत्त

41.45

इस योजना के अंतर्गत 1380 छात्राओं को लाभान्वित किया जा चुका है ।

60.00

इस योजना के अंतर्गत लगभग 2000 छात्राओं को लाभान्वित किया जावेगा ।

**5550 पुस्तकालय का विकास**

शासकीय महाविद्यालयों में पुस्तकालयों का आधुनीकरण ।

शासकीय महाविद्यालयों को सेमेस्टर पद्धति अंतर्गत छात्र संख्या के अनुपात में पुस्तकों का प्रदाय

65.00

शासकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालयों के विकास के लिए आवश्यकतानुसार अधिकतम प्रति महाविद्यालय रू० 2.00 लाख का प्रदाय

52.00

309 शासकीय महाविद्यालयों को छात्र संख्या के अनुपात में सेमेस्टर पद्धति संबंधी पुस्तकों के क्रय हेतु राशि का आवंटन दिया गया ।

45.00

शासकीय महाविद्यालयों को पुस्तकालय विकास हेतु आवश्यकतानुसार पुस्तकों तथा संबंधित उपकरणों का प्रदाय ।

**5551 आधुनिक तकनीक से शिक्षण व्यवस्था**

शिक्षा के आधुनीकरण हेतु आवश्यक उपकरणों का प्रदाय

85 शासकीय महाविद्यालयों को कम्प्यूटरों का प्रदाय

92.87

शासकीय महाविद्यालयों में शिक्षा को आधुनीक रूप देने के लिए एलसीडी कम्प्यूटर आदि का प्रदाय ।

45.00

85 शासकीय महाविद्यालयों को कम्प्यूटर हेतु राशि आवंटित की गई है ।

40.00

185 शासकीय महाविद्यालयों को कम्प्यूटर एवं आधुनिक शैक्षणिक उपकरण हेतु राशि दी

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 38 उच्च शिक्षा विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 3802 आयुक्त, महाविद्यालयीन शिक्षा**

जावेगी ।

**5552 पिछड़े जिलों में आदर्श महाविद्यालयों की स्थापना**

|  |  |        |  |        |  |       |        |  |
|--|--|--------|--|--------|--|-------|--------|--|
| सामान्य से कम औसत वाले पिछड़े जिलों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आदर्श महाविद्यालयों की स्थापना । | तीन शासकीय महाविद्यालयों को लाभान्वित किया गया । | 628.13 | सामान्य से कम औसत वाले पिछड़े जिलों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आदर्श महाविद्यालयों की स्थापना । | 300.00 | तीन शासकीय महाविद्यालयों को उक्त ंठता हेतु राशि दी गई है । | निरंक | 100.00 | प्रस्तावित 39 आदर्श महाविद्यालयों का योजनाबद्ध विस्तार किया जावेगा । |
|--|--|--------|--|--------|--|-------|--------|--|

**5553 राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय शोध छात्रवृत्ति**

|   |       |       |  |      |       |                                   |       |   |
|---|-------|-------|--|------|-------|-----------------------------------|-------|---|
| राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर शोध कार्य हेतु छात्रवृत्ति | निरंक | 18.00 | राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर शोध कार्य करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति | 0.00 | निरंक | आवेदन पत्र प्राप्त न होने के कारण | 12.00 | राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर शोध कार्य हेतु छात्रवृत्ति |
|---|-------|-------|--|------|-------|-----------------------------------|-------|---|

**5627 निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां एवं वृत्तियां**

|  |       |        |               |      |       |                |        |               |
|--|-------|--------|---------------|------|-------|----------------|--------|---------------|
| प्रदेश में निम्न आय वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा ऋण हेतु कॉलेटरल सिक्यूरिटी | निरंक | 100.00 | 25 विद्यार्थी | 0.00 | निरंक | आवेदन अप्राप्त | 100.00 | 25 विद्यार्थी |
|--|-------|--------|---------------|------|-------|----------------|--------|---------------|

**5650 प्रिमियम नेशनल इंस्टीट्यूट के समकक्ष उत्कृष्ट महाविद्यालयों की स्थापना**

|  |                         |       |  |      |                         |       |        |  |
|--|-------------------------|-------|--|------|-------------------------|-------|--------|--|
| प्रदेश में प्रिमियम नेशनल इंस्टीट्यूट के समकक्ष महाविद्यालयों की स्थापना । | योजना प्रक्रियाधीन है । | 20.00 | भोपाल, इंदौर एवं ग्वालियर में तीन महाविद्यालयों को प्रिमियम नेशनल इंस्टीट्यूट के समकक्ष विकसित किया जावेगा । | 0.00 | योजना प्रक्रियाधीन है । | निरंक | 250.00 | भोपाल, इंदौर एवं ग्वालियर में तीन महाविद्यालयों को प्रिमियम नेशनल इंस्टीट्यूट के समकक्ष विकसित किया जावेगा । |
|--|-------------------------|-------|--|------|-------------------------|-------|--------|--|

**5674 निर्धन वर्ग के लिए विक्रमादित्य निशुल्क शिक्षा योजना**

|  |  |       |  |       |   |       |       |  |
|--|--|-------|--|-------|---|-------|-------|--|
| सामान्य वर्ग के निर्धन मेधावी विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा | सामान्य वर्ग के निर्धन मेधावी छात्र जिन्होंने 12वीं कक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त हो और अभिभावक की वार्षिक आय 42000/- से कम हो संस्था को शिक्षण | 40.00 | सामान्य वर्ग के निर्धन मेधावी छात्र जिन्होंने 12वीं कक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त हो और अभिभावक की वार्षिक आय 42000/- से कम हो संस्था को शिक्षण शुल्क | 25.02 | 1572 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है । | निरंक | 40.00 | इस योजना के अंतर्गत लगभग 2000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जावेगा । |
|--|--|-------|--|-------|---|-------|-------|--|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 38 उच्च शिक्षा विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 3802 आयुक्त, महाविद्यालयीन शिक्षा**

शुल्क हेतु छात्रवृत्त दी गई ।

हेतु छात्रवृत्त दी जावेगी ।

**5715 प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण**

शासकीय महाविद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण किया जावेगा ।

बजट उपलब्धता पर 06 शासकीय महाविद्यालयों को बजट आवंटन किया गया ।

27.50

शासकीय महाविद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण किया जावेगा ।

27.50

06 शा0 महाविद्यालयों को प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण हेतु राशि का आवंटन किया गया है ।

निरंक

60.00

20 शासकीय महाविद्यालयों को आवश्यकतानुसार प्रयोगशालाओं के लिए आधुनिक उपकरण /उन्नयन हेतु राशि प्रदाय की जावेगी ।

**5719 चिकित्सा अवशिष्टों का विनिष्टीकरण**

शासकीय महाविद्यालयों में स्टाफ रूम का निर्माण ।

55 शासकीय महाविद्यालयों को स्टाफ रूम हेतु राशि का आवंटन ।

391.72

शासकीय महाविद्यालयों में स्टाफ रूम का निर्माण ।

165.00

55 शासकीय महाविद्यालयों को स्टाफ रूम हेतु बजट आवंटन किया गया है ।

निरंक

120.00

प्रावधानित राशि से आवश्यकतानुसार 40 शासकीय महाविद्यालयों में स्टाफ रूम के निर्माण हेतु राशि दी जावेगी ।

**5760 छात्र/छात्राओं को आवागमन सुविधा**

महाविद्यालय से 05 कि0मी0 से अधिक दूरी पर निवास करने वाली छात्राओं को रू0 5/- प्रतिदिन की दर से 200 शैक्षणिक दिवस के अनुमान से राशि का भुगतान

योजना प्रक्रियाधीन है ।

12.50

1,35,000 छात्राएँ लाभान्वित होंगी ।

0.00

योजना प्रक्रियाधीन है ।

निरंक

20.00

योजना के स्वरूप अनुसार लक्ष्य निर्धारित किया जावेगा ।

**5763 असहाय छात्रों को छात्रवृत्ति**

विकलांग अध्ययनरत् विद्यार्थियों को0 सहायता भत्ता ।

निरंक

20.00

शासकीय महाविद्यालयों से अध्ययनरत् विद्यार्थी लाभान्वित होंगे ।

0.00

निरंक

आवंदन अप्राप्त होने के कारण

27.00

शासकीय महाविद्यालयों में विकलांग अध्ययनरत् विद्यार्थियों को0 सहायता भत्ता । योजना के पात्रतानुसार प्राप्त आवेदनों के आधार पर ।

**5764 विकलांग छात्रों को शोध छात्रवृत्ति से पुरस्कृत**

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 38 उच्च शिक्षा विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 3802 आयुक्त, महाविद्यालयीन शिक्षा**

|  |   |       |               |      |               |                  |       |   |
|--|---|-------|---------------|------|---------------|------------------|-------|---|
| विकलांग विद्यार्थियों का उच्च शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ाना | शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत् विकलांग छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने हेतु राशि का प्रदाय | 10.00 | 10 विद्यार्थी | 0.10 | 01 विद्यार्थी | आवेदन कम प्राप्त | 35.00 | 35 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जावेगा । |
|--|---|-------|---------------|------|---------------|------------------|-------|---|

**5765 प्रयोगशाला का उन्नयन**

|   |   |       |   |       |   |       |       |   |
|---|---|-------|---|-------|---|-------|-------|---|
| शासकीय महाविद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनीकीकरण किया जावेगा । | बजट उपलब्धता पर 14 शासकीय महाविद्यालयों को बजट आवंटन किया गया । | 72.50 | शासकीय महाविद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनीकीकरण किया जावेगा । | 72.50 | 14 शासकीय महाविद्यालयों को विज्ञान प्रयोगशालाओं के आधुनीकीकरण हेतु राशि का प्रदाय किया गया है । | निरंक | 40.00 | 20 शासकीय महाविद्यालयों को योजना के उद्देश्यनुसार लाभान्वित किया जावेगा |
|---|---|-------|---|-------|---|-------|-------|---|

**5766 उत्कृष्ट विद्यार्थियों को पुरस्कार**

|  |  |       |  |      |       |                         |       |  |
|--|--|-------|--|------|-------|-------------------------|-------|--|
| कला, विज्ञान तथा वाणिज्य संकाय के प्रत्येक में सर्वाधिक अंक प्राप्त विद्यार्थी को प्रोत्साहन राशि रू0 1.00 लाख पुरस्कार स्वरूप दी जावेगी । | विद्यार्थियों का मेरिट सूची में आने के लिए उच्च शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ेगा । | 10.00 | कला, विज्ञान तथा वाणिज्य संकाय के प्रत्येक में सर्वाधिक अंक प्राप्त विद्यार्थी को प्रोत्साहन राशि रू0 1.00 लाख पुरस्कार स्वरूप दी जावेगी । | 0.00 | निरंक | योजना प्रक्रियाधीन है । | 10.00 | कला, विज्ञान तथा वाणिज्य संकाय के प्रत्येक में सर्वाधिक अंक प्राप्त विद्यार्थी को प्रोत्साहन राशि रू0 1.00 लाख पुरस्कार स्वरूप दी जावेगी । |
|--|--|-------|--|------|-------|-------------------------|-------|--|

**5787 स्टाफ रूम का निर्माण**

|   |   |        |   |        |   |       |       |  |
|---|---|--------|---|--------|---|-------|-------|--|
| शासकीय महाविद्यालयों में स्टाफ रूम का निर्माण । | 73 सामान्य क्षेत्र अंतर्गत शा0 महाविद्यालयों को बजट आवंटन | 219.96 | शासकीय महाविद्यालयों में स्टाफ रूम का निर्माण । | 219.00 | 73 शा0 महाविद्यालयों को स्टाफ रूम के निर्माण हेतु प्रति महाविद्यालय राशि रू0 3.00 लाख का प्रदाय | निरंक | 50.00 | 18 शा0 महाविद्यालयों को आवश्यकतानुसार स्टाफ रूम के निर्माण हेतु राशि का प्रदाय किया जावेगा । |
|---|---|--------|---|--------|---|-------|-------|--|

**5870 उच्च शिक्षा उत्कृष्टता मूलक राज्य संस्थान, भोपाल**

|  |   |       |  |      |  |       |       |  |
|--|---|-------|--|------|--|-------|-------|--|
| उच्च शिक्षा उत्कटता मूलक राज्य संस्थान भोपाल को अनुदान | उच्च शिक्षा उत्कटता मूलक राज्य संस्थान भोपाल को आधारभूत संरचना हेतु अनुदान दिया गया । | 18.00 | उच्च शिक्षा उत्कटता मूलक राज्य संस्थान भोपाल को अनुदान | 9.00 | उच्च शिक्षा उत्कटता मूलक राज्य संस्थान भोपाल को अनुदान | निरंक | 20.00 | उच्च शिक्षा उत्कटता मूलक राज्य संस्थान भोपाल को अनुदान |
|--|---|-------|--|------|--|-------|-------|--|

**6915 स्वामी विवेकानंद केरियर मार्गदर्शन योजना**

|   |                                 |       |  |       |   |       |       |  |
|---|---------------------------------|-------|--|-------|---|-------|-------|--|
| केरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ द्वारा छात्रों को उनकी | विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के | 40.00 | 250000 विद्यार्थियों को केरियर संबंधी मार्गदर्शन | 13.39 | वित्तीय वर्ष 2009-10 में लगभग 347000 विद्यार्थियों को | निरंक | 40.00 | 300000 विद्यार्थियों को केरियर संबंधी मार्गदर्शन |
|---|---------------------------------|-------|--|-------|---|-------|-------|--|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 38 उच्च शिक्षा विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 3802 आयुक्त, महाविद्यालयीन शिक्षा**

|  |  |  |               |  |                            |  |  |               |  |
|--|--|--|---------------|--|----------------------------|--|--|---------------|--|
| अभिरूचि के अनुरूप<br>केरियर तथा रोजगार के<br>अवसरों की जानकारी देना<br>। | विद्यार्थियों को रोजगारों के<br>अवसरों की जानकारी दी<br>गई । |  | दिया जावेगा । |  | प्रशिक्षण दिया जा रहा है । |  |  | दिया जावेगा । |  |
|--|--|--|---------------|--|----------------------------|--|--|---------------|--|

**6916 गांव की बेटी योजना**

|   |  |          |                                    |          |                                     |   |          |  |  |
|---|--|----------|------------------------------------|----------|-------------------------------------|---|----------|--|--|
| ग्रामीण क्षेत्रों में 12वी कक्षा<br>में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण और<br>स्नातक स्तर पर अध्ययनरत्<br>छात्राओं को 5000/-<br>वार्षिक छात्रवृत्त दी<br>जावेगी । | कक्षा 12वी में छात्राओं के<br>प्रथम श्रेणी में अधिक<br>उत्तीर्ण होना एवं<br>महाविद्यालय में प्रवेश । | 1,400.00 | 28000 लड़कियां लाभान्वित<br>होगी । | 1,102.87 | 22057 लड़कियों हेतु आवंटन<br>जारी । | सामान्य मांग<br>संख्या-44-आयोजना में बजट<br>राशि उपलब्ध नहीं है । | 1,650.00 | 32000 लड़कियों को<br>लाभान्वित किया जावेगा । |  |
|---|--|----------|------------------------------------|----------|-------------------------------------|---|----------|--|--|

**7052 शासकीय महाविद्यालयों को उच्च शिक्षा के उत्कृष्ट संस्थानों में विकसित किया जाना**

|   |  |       |   |       |  |       |      |   |  |
|---|--|-------|---|-------|--|-------|------|---|--|
| 08 शा0 महाविद्यालयों को<br>उत्कृष्ट संस्थान के रूप में<br>विकसित करने हेतु<br>अधोसंरचना पर व्यय । | 08 शा0 महाविद्यालयों को<br>आवश्यकतानुसार<br>अधोसंरचना पर राशि दी<br>गई । | 16.00 | 08 शा0 महाविद्यालयों को<br>उत्कृष्ट संस्थान के रूप<br>में विकसित करना | 16.00 | 08 शा0 महाविद्यालयों को<br>उत्कृष्ट संस्थान के रूप में<br>विकसित करने हेतु अधोसंरचना<br>पर राशि व्यय की गई । | निरंक | 8.00 | 08 शा0 महाविद्यालयों को<br>उत्कृष्ट संस्थान के रूप<br>में विकसित करने हेतु<br>अधोसंरचना पर व्यय । |  |
|---|--|-------|---|-------|--|-------|------|---|--|

**7319 महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, उज्जैन**

|   |   |       |   |       |  |       |       |   |  |
|---|---|-------|---|-------|--|-------|-------|---|--|
| संस्कृत वि0वि0 के स्थापना<br>व्यय हेतु अनुदान | महर्षि पाणिनी संस्कृत<br>वि0वि0 उज्जैन को<br>संधारण अनुदान के रूप<br>में राशि आवंटित की गई<br>। | 30.00 | संस्कृत वि0वि0 के<br>स्थापना व्यय हेतु अनुदान | 30.00 | महर्षि पाणिनी संस्कृत वि0वि0<br>उज्जैन को संधारण अनुदान के<br>रूप में राशि आवंटित की गई<br>। | निरंक | 35.00 | महर्षि पाणिनी संस्कृत<br>वि0वि0 उज्जैन को<br>संधारण अनुदान के रूप में<br>राशि आवंटित की जावेगी<br>। |  |
|---|---|-------|---|-------|--|-------|-------|---|--|

**7643 शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण आदि**

|   |  |          |   |        |  |       |          |   |  |
|---|--|----------|---|--------|--|-------|----------|---|--|
| प्रदेश के भवनविहीन शा0<br>महाविद्यालयों के भवनों का<br>निर्माण एवं<br>आवश्यकतानुसार अतिरिक्त<br>निर्माण कार्य | शासकीय महाविद्यालयों<br>को भवन निर्माण एवं<br>अतिरिक्त निर्माण कार्य हेतु<br>राशि प्रदाय की गई । | 1,000.00 | प्रदेश में जिन शा0<br>महाविद्यालयों के भवन<br>निर्माण कार्य प्रगति पर है<br>तथा जिन शा0<br>महाविद्यालयों में अतिरिक्त<br>निर्माण कार्य की<br>आवश्यकता है । उन्हें<br>राशि दी जावेगी । | 947.00 | 63 शासकीय महाविद्यालयों को<br>लक्ष्य अनुसार राशि का आवंटन<br>किया गया है । | निरंक | 1,450.00 | प्रदेश के भवनविहीन शा0<br>महाविद्यालयों के भवनों का<br>निर्माण एवं<br>आवश्यकतानुसार अतिरिक्त<br>निर्माण कार्य |  |
|---|--|----------|---|--------|--|-------|----------|---|--|



परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 38 उच्च शिक्षा विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 3802 आयुक्त, महाविद्यालयीन शिक्षा**

**7851 युवाओं के लिये रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना**

|   |  |       |                   |       |   |       |       |   |
|---|--|-------|-------------------|-------|---|-------|-------|---|
| शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् सामान्य, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति के विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण एवं प्रोजेक्ट निर्माण हेतु प्रशिक्षित किया जावेगा । | 309 शासकीय महाविद्यालयों को छात्र संख्या के अनुपात में राशि का आवंटन किया गया है । | 45.00 | 300000 विद्यार्थी | 45.00 | शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थीगण । | निरंक | 35.00 | शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् सामान्य, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति के विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण एवं प्रोजेक्ट निर्माण हेतु प्रशिक्षित किया जावेगा । |
|---|--|-------|-------------------|-------|---|-------|-------|---|

**8808 सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य**

|  |   |       |  |       |   |       |       |  |
|--|---|-------|--|-------|---|-------|-------|--|
| शासकीय महाविद्यालयों एवं संचालनालय में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य | 190 शासकीय महाविद्यालयों को ब्रांडबैंड कनेक्शन हेतु योजनान्तर्गत एक तिहाई राशि का बजट आवंटन किया गया है । | 15.00 | शासकीय महाविद्यालयों एवं संचालनालय में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य | 10.14 | 190 शासकीय महाविद्यालयों को ब्रांडबैंड कनेक्शन हेतु योजनान्तर्गत एक तिहाई राशि का बजट आवंटन किया गया है । | निरंक | 71.00 | शासकीय महाविद्यालयों एवं संचालनालय में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य । |
|--|---|-------|--|-------|---|-------|-------|--|

**8855 पी. एच. डी. अध्ययनरत विद्यार्थियों को सहायता**

|   |   |        |  |       |   |       |        |  |
|---|---|--------|--|-------|---|-------|--------|--|
| अनु0जाति एवं अनु0जनजाति के पी0एच0डी0 अध्ययनरत विद्यार्थियों को सहायता | पी0एच0डी0 शोधकर्ता विद्यार्थियों को सहायता प्रदान की गई । | 125.00 | अनु0जाति के 40 तथा अनु0जनजाति के 60 पी.एच.डी. अध्ययनरत विद्यार्थियों को सहायता उपलब्ध कराना एवं नवीनीकरण । | 84.62 | निर्धारित लक्ष्य अनुसार राशि का आवंटन किया गया है । | निरंक | 110.00 | अनु0जाति के 40 तथा अनु0जनजाति के 60 पी.एच.डी. अध्ययनरत विद्यार्थियों को सहायता उपलब्ध कराना एवं नवीनीकरण । |
|---|---|--------|--|-------|---|-------|--------|--|

**9016 राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां**

|  |  |       |  |      |  |   |      |  |
|--|--|-------|--|------|--|---|------|--|
|  |  | 31.00 |  | 0.00 |  | आयोजना अंतर्गत यह योजना वित्तीय वर्ष 2008-09 से स्कूल शिक्षा को हस्तांतरित है । | 0.00 |  |
|--|--|-------|--|------|--|---|------|--|

**9380 स्वशासी महाविद्यालय**

|  |  |       |  |       |   |       |       |  |
|--|--|-------|--|-------|---|-------|-------|--|
| 18 स्वशासी महाविद्यालयों को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राशि दी | 18 स्वशासी महाविद्यालयों को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राशि दी | 47.00 | 18 स्वशासी महाविद्यालयों को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राशि दी | 36.00 | 18 स्वशासी महाविद्यालयों को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राशि दी गई । | निरंक | 42.00 | 18 स्वशासी महाविद्यालयों को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राशि दी |
|--|--|-------|--|-------|---|-------|-------|--|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित   | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय   | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां       |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये)   |              |
|--|---|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|  |   |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1  | 2   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |
| <b>विभाग - 38 उच्च शिक्षा विभाग</b>  |   |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| <b>विभागाध्यक्ष - 3802 आयुक्त, महाविद्यालयीन शिक्षा</b>  |   |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| जावेगी ।   | गई ।  |                               |  | जावेगी ।     |  |               |   | जावेगी ।  |              |
| <b>9805 आदिवासी छात्रों को पुस्तक/स्टेशनरी का मुफ्त प्रदाय</b>   |   |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| शा0 महाविद्यालयों में<br>अध्ययनरत् अनु0जनजाति<br>विद्यार्थियों को बुक बैंक<br>योजनान्तर्गत निःशुल्क<br>स्टेशनरी एवं पुस्तकें<br>उपलब्ध कराना । | शा0 महाविद्यालयों में<br>अध्ययनरत् अनु0जनजाति<br>के विद्यार्थियों को<br>योजनान्तर्गत लाभान्वित<br>हेतु राशि दी गई । | 183.00                        | 20000 अनु0जनजाति<br>विद्यार्थियों को मुफ्त<br>स्टेशनरी एवं पुस्तकों का<br>प्रदाय | 147.66       | इस योजनान्तर्गत लगभग<br>22000 अनु0जनजाति के<br>विद्यार्थियों को लाभान्वित किया<br>जा चुका है । | निरंक         | 150.00  | इस योजना के अंतर्गत<br>लगभग 33000<br>अनु0जनजाति विद्यार्थियों<br>को मुफ्त स्टेशनरी एवं<br>पुस्तकों का प्रदाय किया<br>जावेगा । |              |
| <b>विभागाध्यक्ष योग</b>  |   |                               | 5,954.83   |              | 4,107.64   |               |   | 6,047.00  |              |
| <b>विभाग</b>   |   |                               | 5,954.83   |              | 4,107.64   |               |   | 6,047.00  |              |

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 41 विज्ञान और टेक्नालॉजी विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 4101 सचिव, म. प्र. शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग**

**0144 अनुसंधान, योजना तथा विकासीय गतिविधियां**

|   |   |               |   |               |   |               |  |
|---|---|---------------|---|---------------|---|---------------|--|
| <p>प्रदेश की विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं को अनुसंधान हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। विज्ञान से संबंधित कार्यक्रमों/योजनाओं को सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करना। परिषद् के पुस्तकालय द्वारा विज्ञान विषय पर उत्कृष्ट साहित्य उपलब्ध कराना एवं पुस्तकालय का आधुनिकिकरण करना। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रदेश के प्राकृतिक एवं जैविक संसाधनों का अक्षय दोहन करते हुए प्रदेश का सर्वांगीण विकास करना।</p> | <p>1. अनुसंधान परियोजनाएँ (20 परियोजनाएँ)<br/>2. सेमीनारस ,सिम्पोजिया, वर्कशाप(35 कार्यक्रम),<br/>3. यात्रा अनुदान (विदेश एवं अन्य प्रदेश)(50 शोधार्थी),<br/>4. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास अध्ययन केन्द्र(5 विषय, अन्य कार्य), युवा वैज्ञानिक हेतु योजना / युवा<br/>5. वैज्ञानिक सम्मेलन एवं प्रशिक्षण (200 युवा वैज्ञानिक की भागीदारी),<br/>6. भोपाल केन्द्रीय प्रयोगशाला/गुणवत्ता आश्वासन प्रयोगशाला,<br/>7. क्षेत्रिय समन्वित अनुसंधान प्रकल्प योजनाएँ (05 परियोजनाएँ)<br/>8. प्रलेखन एवं संचार(1500 किताबें, 150 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स)<br/>9. रजत जयंती - रिसर्च फ़ैलो परियोजना (04 प्रस्तावों का लक्ष्य)</p> | <p>200.00</p> | <p>1. प्रथम तिमाही - वर्ष 2009-10 में स्वीकृत परियोजनाओं का आंकलन एवं द्वितीय किश्त विमुक्त करना।<br/>द्वितीय तिमाही- नवीन परियोजनाओं के प्रस्ताव प्राप्त करना। 15 परियोजनाओं को वित्तीय सहयोग प्रदान करना।<br/>तृतीय तिमाही- 05 प्रस्तावों चतुर्थ तिमाही- स्वीकृत परियोजनाओं की समीक्षा एवं निरंतरता निर्धारित करना<br/>2. प्रथम तिमाही - नवीन प्रस्ताव प्राप्त करना एवं 10 कार्यक्रमों हेतु वित्तीय सहयोग देना।<br/>द्वितीय तिमाही - 05 कार्यक्रमों हेतु वित्तीय सहयोग।<br/>तृतीय तिमाही - 10 -"-<br/>चतुर्थ तिमाही - 10 -"-<br/>3. प्रथम तिमाही - 10 शोधार्थी<br/>द्वितीय तिमाही - 10-"-<br/>तृतीय तिमाही - 15 -"-<br/>चतुर्थ तिमाही - 15 -"-<br/>4. प्रथम तिमाही- अध्ययन क्षेत्रों की पहचान<br/>द्वितीय तिमाही - 5 विषयों का अध्ययन एवं कार्ययोजना<br/>तृतीय तिमाही - 5 -"-</p> | <p>121.01</p> | <p>1. 10 चालू एवं नवीन परियोजनाओं को वित्तीय सहयोग प्रदान किया गया।<br/>- सरोजनी नायडू कन्या महाविद्यालय भोपाल की प्राध्यापक को तृतीय वर्ष, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के प्राध्यापक को द्वितीय वर्ष का, एनआरआई इन्स्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एण्ड टेक्नॉलाजी भोपाल एवं एम.ए.एन.आई.टी. के प्राध्यापक को प्रथम वर्ष का अनुदान दिया गया।<br/>-शोध परियोजना के अंतर्गत भौतिक विज्ञान विषय में भोपाल के महाविद्यालयों के 2 प्राध्यापकों को द्वितीय वर्ष का एवं बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल के प्राध्यापक को तृतीय वर्ष का अनुदान स्वीकृत किया गया।<br/>2. दिनांक 26.5.09 को बैठक आयोजित।<br/>-6 कार्यक्रमों को वित्तीय सहयोग प्रदान किया गया।<br/>-परिषद् की आंतरिक कार्यदल समूह की बैठक दिनांक 8 अक्टूबर 2009 को आयोजित की गई जिसमें 8 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।<br/>-सेमीनार/ सिम्पोजियम/ वर्कशाप के अंतर्गत ग्वालियर की एक संस्था, भोपाल की चार संस्थायें एवं जबलपुर की एक संस्था को आर्थिक सहाययोग</p> | <p>200.00</p> | <p>अनुसंधान परियोजनाएँ (नवीन 10 परियोजनाएँ एवं पूर्व से चल रही 30 परियोजनाएँ), सेमीनारस, सिम्पोजिया, वर्कशाप (40 कार्यक्रम), यात्रा अनुदान (विदेश एवं अन्य प्रदेश)(60 शोधार्थी), युवा वैज्ञानिक कांग्रेस (150 युवा वैज्ञानिकों का शोध पत्र हेतु प्रस्तुत करने हेतु लक्ष्य) एवंयुवा वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण छात्रवृत्ति, भोपाल केन्द्रीय प्रयोगशाला/गुणवत्ता आश्वासन प्रयोगशाला, 8 क्षेत्रिय समन्वित अनुसंधान प्रकल्प योजनाएँ (03 परियोजनाएँ), प्रलेखन एवं संचार(1500 किताबें, 150 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स),रजत जयंती - रिसर्च फ़ैलो परियोजना (03 प्रस्तावों का लक्ष्य)</p> |
|---|---|---------------|---|---------------|---|---------------|--|

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 41 विज्ञान और टेक्नालॉजी विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 4101 सचिव, म. प्र. शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग**

चतुर्थ तिमाही - अनुशासक  
विकास विभागों को भेजना।  
5. प्रथम तिमाही - संस्था  
का चुनाव।  
द्वितीय तिमाही- शोध पत्रों  
का आमंत्रण एवं शोधपत्रों  
की छानबीन।  
तृतीय तिमाही - शोध पत्रों  
का चयन एवं कार्यक्रम के  
आयोजन की तैयारी। च  
तुर्थ तिमाही - युवा  
वैज्ञानिक कांग्रेस का  
आयोजन, पुरस्कृत युवा  
वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण के  
लिए चयन (उपयोगिता  
प्रमाण पत्र रिपोर्ट आदि  
तैयार करना)।  
6. प्रथम तिमाही- 2  
प्रशिक्षण + 1 जागरूकता  
कार्यक्रम  
द्वितीय तिमाही - 2  
प्रशिक्षण + 1 जागरूकता  
कार्यक्रम  
तृतीय तिमाही - 3  
प्रशिक्षण + 2 जागरूकता  
कार्यक्रम  
चतुर्थ तिमाही - 3  
प्रशिक्षण + 2 जागरूकता  
कार्यक्रम  
उपकरण क्रय एवं गुणवत्ता  
परीक्षण- 12 माह।  
7. प्रथम तिमाही- विज्ञापन  
+ आवेदन प्राप्त करना।  
द्वितीय तिमाही - नवीन  
प्रस्तावों का परीक्षण  
वित्तीय सहयोग (08  
परियोजनाएं)।  
तृतीय तिमाही - 02

प्रदान किया गया।  
3. दिनांक 26.5.09 को बैठक  
आयोजित।  
-23 शोधार्थियों/वैज्ञानिकों को  
वित्तीय सहयोग प्रदाय किया  
गया।  
-परिषद् की आंतरिक कार्यदल  
समूह की बैठक दिनांक 8  
अक्टूबर 2009 को आयोजित  
की गई जिसमें यात्रा अनुदान  
के 11 प्रस्तावों को स्वीकृति  
प्रदान की गई।  
5. एक युवा वैज्ञानिक को  
छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई।  
-युवा वैज्ञानिक कांग्रेस का  
आयोजन फरवरी माह में भोपाल  
में किया जा रहा है।  
6. दिनांक 31.8.09 से 02.9.09  
तक "जल गुणवत्ता जांच एवं  
विधियां" विषय पर आयोजित  
प्रशिक्षण कार्यक्रम में 11  
प्रतिभागी लाभान्वित हुये।  
-201 जल,मृदा,, 35 खाद्य एवं  
कृषि उत्पाद के 24 हर्बल  
उत्पाद के नमूनों का परीक्षण  
किया गया।  
-09 विद्यार्थियों को लघुशोध  
कार्य (डिजिटेशन कार्य) हेतु  
सहयोग प्रदान किया गया।  
-स्नात्कोत्तर महाविद्यालयों के  
11 विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन  
लघु शोध कार्य हेतु किया  
गया।  
-सितम्बर माह में गुणवत्ता  
आश्वासन प्रयोगशाला में  
जल,मिट्टी,खाद,कृषि तथा  
हर्बल के 94 नमूनों का परीक्षण  
किया गया।

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 41 विज्ञान और टेक्नालॉजी विभाग

विभागाध्यक्ष - 4101 सचिव, म. प्र. शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

परियोजनाओं को सहयोग एवं मानीटरिंग।  
चतुर्थ तिमाही - प्रगति कार्य की समीक्षा एवं सहयोग।  
8. प्रथम तिमाही- किताबें, जर्नल्स क्रय हेतु कार्यवाही।  
द्वितीय तिमाही - सामग्री क्रय करना।  
तृतीय तिमाही - 04 पुस्तकालयों के साथ नेटवर्किंग।  
चतुर्थ तिमाही - प्रदर्शनी का आयोजन।  
9. प्रथम तिमाही- विज्ञापन, प्रस्तावों का परीक्षण, 01 प्रस्ताव को सहयोग।  
द्वितीय तिमाही - 01 प्रस्ताव को सहयोग।  
तृतीय तिमाही - 01 प्रस्ताव को सहयोग, मानीटरिंग कार्य।  
चतुर्थ तिमाही - 01 प्रस्ताव को सहयोग एवं प्रगति आंकलन हेतु बैठक का आयोजन।

-भोपाल के 13 शासकीय विद्यालयों के जल परीक्षण का कार्य सम्पन्न किया गया।  
-नवम्बर माह में प्रयोगशाला में आयोजित प्रशिक्षण / जागरूकता कार्यक्रम में कुल 85 विद्यार्थी लाभान्वित हुये जिसमें 30 छात्राये थी।  
-प्रयोगशाला में जल के 13, ए.ए.एस. के 02नमूने, एफ.टी.आई.आर. के 08 नमूनों का परिक्षण किया गया।  
-प्रयोगशाला में एनालिटिकल सर्विसेज का प्रसार किया गया है इसके अंतर्गत 6 माह के परियोजना कार्य हेतु 04 विद्यार्थियों का पंजीयन किया गया।  
-प्रयोगशाला द्वारा भोपाल के 19 शासकीय पाठशालाओं में उपलब्ध जल का गुणवत्ता परीक्षण किया गया।  
-दिसम्बर माह में आयोजित प्रशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रम में कुल 10 विद्यार्थी लाभान्वित हुये। प्रयोगशाला द्वारा भोपाल के 13 शासकीय पाठशालाओं में उपलब्ध जल का गुणवत्ता परीक्षण किया गया एवं जल एवं मृदा के 16 नमूने, औषधी के 02 नमूने तथा इन्टरमिडिएट कम्पाउड के 02 नमूनों का परीक्षण किया गया।  
7. एक परियोजना को द्वितीय वर्ष का अनुदान स्वीकृत किया गया।  
8. पुस्तकालय को देश के महत्वपूर्ण लायब्रेरी नेटवर्क

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 41 विज्ञान और टेक्नालॉजी विभाग

विभागाध्यक्ष - 4101 सचिव, म. प्र. शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

डेलनेट (वमसदमज) नई दिल्ली से जोड़ा गया है  
 -लायब्रेरी के अतर्गत बारकोड का कार्य चल रहा है। डेलनेट सुविधा बावत् भी वैज्ञानिकों को गार्ड लाईन की जानकारी दी गई।  
 -माह सितम्बर में केन्द्र द्वारा 120 नई पुस्तकें, 70 भारतीय जर्नल्स, एवं 13 अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स का क्रय किया गया।  
 -माह नवम्बर में केन्द्र द्वारा 11 पुस्तकों का क्रय किया गया।  
 -16 नवंबर 2009 को एक दिवसीय "ब्रेन स्ट्रूमिंग सेशन आन लायब्रेरी आटोमेशन एंड नेटवर्किंग ऑफ साइंस लायब्रेरीज इन एम.पी." का आयोजन किया गया।  
 -माह दिसम्बर में केन्द्र द्वारा विज्ञान संबंधित 11 पुस्तकों का क्रय, 17 विदेशी तथा 92 भारतीय जर्नल्स का सब्सक्रिप्शन - निरंतर, परिषद प्रकाशनों का विद्यार्थियों/शासकीय/अशासकीय संस्थाओं को 8 पुस्तकों का विक्रय एवं 22 पुस्तकों का वितरण किया गया।  
 -विज्ञान मंथन यात्रा 2009 के प्रतिभागियों हेतु विज्ञान विषय की रोचक पुस्तकें एवं पत्रिकायें क्रय कर वितरित की गईं।  
 9. प्रथम वर्ष की रिपोर्ट प्राप्त हुई।

0371 आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए योजना

-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अ. ग्रामीण विकास हेतु 100.00 अ. प्रथम तिमाही - 48.22 अ. शाजापुर में खाद्य प्रसंस्करण 100.00 अ. ग्रामीण विकास हेतु

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 41 विज्ञान और टेक्नालॉजी विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 4101 सचिव, म. प्र. शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग**

आधारित संस्थाओं को सुदृढ़ करना।  
-योजनाओं में आदिवासी एवं अनुसूचित जनजाति की भागीदारी बढ़ाना।  
-कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम।  
-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निवेश हेतु स्थानीय आवश्यकताओं, क्षेत्रों की पहचान करना।  
-शोध, डिजाइन, कम लागत की तकनीक, नवीन तकनीकी के विकास हेतु सहयोग।  
-ग्रामीण उद्योगों से संबंधित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को सहयोग प्रदान करना।  
-अनुसूचित एवं आदिवासी क्षेत्र हेतु क्लस्टर विकसित करना।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग-कार्यशाला/जागरूकता कार्यक्रम/शोधकार्य-15-प्रशिक्षण/प्रदर्शन-15-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नेटवर्क  
ब. महिलाओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-सेमिनार/कार्यशाला/केम्प- 20 कार्यक्रम-प्रशिक्षण/तकनीकी प्रदर्शन/ शोध कार्य-20 कार्यक्रम स. कमजोर वर्गों हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग -सेमिनार/कार्यशाला/केम्प- 10 कार्यक्रम-प्रशिक्षण/तकनीकी प्रदर्शन/ शोध कार्य-20 कार्यक्रम द. चयनित क्लस्टरों में लक्ष्य समूहों के लिए तकनीकी प्रदर्शन-06 क्लस्टर का लक्ष्य

विज्ञापन जारी कर प्रस्ताव प्राप्त करना पूर्व वर्ष की योजनाओं का मूल्यांकन एवं नेटवर्क की बैठक का आयोजन।  
द्वितीय तिमाही - प्राप्त प्रस्तावों पर विशेषज्ञों के साथ बैठक, 20 प्रस्तावों को वित्तीय सहयोग, मॉनीटरिंग कार्य।  
तृतीय तिमाही - 20 प्रस्तावों को वित्तीय सहयोग एवं मूल्यांकन कार्य।  
चतुर्थ तिमाही - रिपोर्ट से संबंधित कार्य, दूरगामी प्रभाव हेतु कार्य योजना तैयार करना।  
ब. प्रथम तिमाही - विज्ञापन जारी कर प्रस्ताव प्राप्त करना पूर्व वर्ष की योजनाओं का मूल्यांकन।  
द्वितीय तिमाही - प्राप्त प्रस्तावों पर विशेषज्ञों के साथ बैठक, 20 प्रस्तावों को वित्तीय सहयोग, मॉनीटरिंग कार्य।  
तृतीय तिमाही - 20 प्रस्तावों को वित्तीय सहयोग, मूल्यांकन कार्य।  
चतुर्थ तिमाही - रिपोर्ट से संबंधित कार्य, दूरगामी प्रभाव हेतु कार्य योजना तैयार करना।  
स. प्रथम तिमाही - विज्ञापन जारी कर प्रस्ताव प्राप्त करना पूर्व वर्ष की योजनाओं का मूल्यांकन

पर 03 कार्यक्रम आयोजित किये गये।  
-हुयमन वेजफेयर सोसायटी उज्जैन को स्वीकृत खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण कार्यक्रम की रिपोर्ट प्राप्त हुई एवं संस्था को परियोजना की शेष राशि विमुक्त की गई।  
-जल ग्रहण क्षेत्र के तहत भूजल संवर्धन एवं संरक्षण विषय पर ग्राम मोहनपुर, जारगा एवं सोंसा जिला ग्वालियर में तीन सेमिनार आयोजित किये गये। जिनमें 1380 प्रतिभागियों ने भाग लिया।  
-विपाक्षा बहुउद्येशीय समिति द्वारा वर्षा जल संरक्षण विषय पर कार्यशाला का आयोजन शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना में किया गया था, संस्था द्वारा प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिला रायसेन में जैविक कृषि विषय पर प्रशिक्षण एवं कार्यशाला आयोजित करने, पाम्परिक बकरी पालनों के कौशल उन्नयन पर कार्यशाला तथा जिला भोपाल के फंदा ब्लॉक में जल संरक्षण एवं जागृति अभियान हेतु वित्तीय सहयोग प्रदान किया गया।  
-जिला सीहोर में जल संरक्षण चेतना कार्यक्रम, प्रवृत्ति परिवर्तन कार्यशाला व पौध वितरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान किया गया।  
ब. शहडोल जिले में क्रियान्वित परियोजना को द्वितीय वर्ष का

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग-कार्यशाला/जागरूकता कार्यक्रम/शोधकार्यप्रशिक्षण/प्रदर्शन-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नेटवर्क30 कार्यक्रम  
ब. महिलाओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-सेमिनार/कार्यशाला/केम्प- कार्यक्रम-प्रशिक्षण/तकनीकी प्रदर्शन/ शोध कार्य कार्यक्रम 40 कार्यक्रम स. कमजोर वर्गों हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग -सेमिनार/कार्यशाला/केम्प- प्रशिक्षण/ तकनीकी प्रदर्शन/ शोध कार्य20 कार्यक्रम द. चयनित क्लस्टरों में लक्ष्य समूहों के लिए तकनीकी प्रदर्शन 07 क्लस्टर -02 क्लस्टर का लक्ष्य

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 41 विज्ञान और टेक्नालॉजी विभाग

विभागाध्यक्ष - 4101 सचिव, म. प्र. शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

एवं कारीगर प्रकोष्ठ समिति एवं नेटवर्क की बैठक।  
द्वितीय तिमाही - प्राप्त प्रस्तावों पर विशेषज्ञों के साथ बैठक, 20कार्यक्रमों को वित्तीय सहयोग, मॉनीटरिंग कार्य (कारीगर प्रकोष्ठ के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन)।  
तृतीय तिमाही - 20 कार्यक्रमों को सहयोग मूल्यांकन कार्य।  
चतुर्थ तिमाही - रिपोर्ट से संबंधित कार्य, दूरगामी प्रभाव हेतु कार्य योजना तैयार करना।  
द. प्रथम तिमाही - विज्ञापन जारी कर प्रस्ताव प्राप्त करना पूर्व वर्ष की योजनाओं का मूल्यांकन एवं निरंतरता।  
द्वितीय तिमाही - प्रस्तावों पर विशेषज्ञों के साथ बैठक, 03 प्रस्ताव को वित्तीय सहयोग, मॉनीटरिंग कार्य।  
तृतीय तिमाही - 03 प्रस्ताव को वित्तीय सहयोग एवं मॉनीटरिंग कार्य।  
चतुर्थ तिमाही - रिपोर्ट से संबंधित कार्य, दूरगामी प्रभाव हेतु कार्य योजना तैयार करना।

अनुदान प्रदाय किया गया।  
-बैतूल जिले में बॉस शिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की गयी।  
-मण्डला जिले में जूट प्रशिक्षण हेतु सहयोग प्रदान किया गया।  
-20 महिलाओं को कलमकारी का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।  
-बैरसिया, भोपाल में महिलाओं को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित योजनाओं की जानकारी के प्रशिक्षण हेतु एक अशासकीय संस्था को वित्तीय सहयोग प्रदान किया गया।  
-जिला राजगढ़ में ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषाहार एवं उनके अधिकारों से संबंधित जागरूकता अभियान हेतु वित्तीय सहयोग प्रदान किया गया।  
स. 29 मई 2009 को कारीगरों/किसानों हेतु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें कुल 14 संस्थओं ने भाग लिया। इस प्रदर्शनी में बॉस उद्यम, मिट्टी शिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, लाख उत्पादन, प्राकृतिक रेशा, मधु मक्खी पालन, जैविक खाद एवं जूट हस्तकला के उत्पाद प्रदर्शित किये गये।  
-जबलपुर में क्रियान्वित बॉस कारीगरों की परियोजना को द्वितीय वर्ष का अनुदान किया गया।  
-परिषद द्वारा जबलपुर में क्रियान्वित किये जा रहे बॉस क्लस्टर की वर्ष 2009-10 हेतु



परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 41 विज्ञान और टेक्नालॉजी विभाग

विभागाध्यक्ष - 4101 सचिव, म. प्र. शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

कार्ययोजना प्राप्त हुई।  
-बैतूल के बॉस कारीगरों को प्रोत्साहित करने हेतु उनके द्वारा उत्पादित सामग्री परिषद् द्वारा आयोजित कार्यक्रमों हेतु क्रय की गई।  
-परिषद् द्वारा दिनांक 17-18 सितम्बर 09 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर ग्रामीण प्रौद्योगिकी पर्व का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 53 उद्यमों का प्रदर्शन स्टाल के माध्यम से किया गया। इस कार्यक्रम में परिषद् द्वारा विभिन्न जिलों के कारीगरों को उत्पादो, मशीनों सहित प्रदर्शन करने हेतु आमंत्रित किया गया था। इन स्टाल में प्रमुख रूप से बॉस, जूट, पेपर मिशी, शहद, टेराकोटा/मिट्टी शिल्प, जैविक खाद, वेजिटेबल डॉय ब्लाक प्रॉटिंग, मशरूम, सुपारी हस्तशिल्प, औषधिय पौधे, सोयाबीन उत्पाद, प्राकृतिक रेशा, घास शिल्प, लकड़ी के खिलोने, खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित विभिन्न उत्पादो का प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शनी में विज्ञान लोकव्यापीकरण से संबंधित जल परीक्षण किट एवं अन्य मॉडल भी प्रदर्शन हेतु संस्थाओं द्वारा रखे गये। दिनांक 17 सितम्बर को एक विचार मंथन सत्र का आयोजन भी किया गया। जिसका विषय "म.प्र. में ग्रामीण प्रौद्योगिकी दशा एवं दिशा" था। इस सत्र में

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 41 विज्ञान और टेक्नालॉजी विभाग

विभागाध्यक्ष - 4101 सचिव, म. प्र. शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

आईआईटी के प्रोफेसर, चयनित एनजीओ एवं अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।  
-परिषद् द्वारा दिनांक 18 सितम्बर 09 को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसका विषय ग्रामीण प्रौद्योगिकी हेतु शिल्पी-विशेषज्ञ परस्पर संबंध था।  
-परिषद् के सहयोग से डॉ. राम प्रसाद रिसर्च सेंटर, भोपाल द्वारा लघु वनोपजों का सतत पोषणीय विदोहन, संवर्धन, प्रसंस्करण और रोजगार सृजन विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का 6 माह का प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। यह कार्यक्रम जिला मंडला एवं डिंडोरी में आयोजित किया गया था, इस कार्यक्रम में कुल 177 प्रतिभागियों ने भाग लिया।  
-दिनांक 27 नवम्बर 2009 से इंदौर में आयोजित भारतीय विज्ञान सम्मेलन में विज्ञान एक्सपो के अंतर्गत मध्यप्रदेश एवं अन्य राज्यों के कारीगरों के उत्पाद / नवाचार प्रदर्शन हेतु 42 स्टॉल लगाये गये इसमें 119 प्रतिभागियों ने भाग लिया।  
द. प्रस्ताव प्राप्त कर प्रथम चरण का विश्लेषण पूर्ण किया गया।  
-पूर्व वर्षों की स्वीकृत परियोजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण, शहद निर्माण, बॉस शिल्प पर प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी है।  
-होशंगाबाद जिले में महालक्ष्मी

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 41 विज्ञान और टेक्नालॉजी विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 4101 सचिव, म. प्र. शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग**

कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र एवं युवा चेतना मण्डल द्वारा सिरैमिक / टेराकोटा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन परिषद् के वित्तीय सहयोग से पूर्ण किया गया।

**3950 विज्ञान को लोकप्रिय करना, विज्ञान के प्रसार हेतु सहायता**

|   |   |        |  |       |   |        |  |
|---|---|--------|--|-------|---|--------|--|
| मध्यप्रदेश में विज्ञान का लोकव्यापी करण करना। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु पुरस्कार एवं प्रोत्साहन कार्यक्रम। | 1. पृथ्वी ग्रह अभियान (10 जनजागरूकता कार्यक्रम)<br>2. एस.आई.एस.ई. जबलपुर एवं शिक्षा विभाग के साथ संयुक्त कार्यक्रम - विज्ञान पहेली प्रतियोगिता, गणित ओलम्पियाड, नवाचारी विज्ञान शिक्षक पुरस्कार, - पश्चिम भारत विज्ञान मेला, राज्य स्तरीय सेमिनार, विज्ञान क्लबों का विस्तार करना, लोकप्रिय विज्ञान वाचनालयों का विस्तार (07 कार्यक्रम)<br>3. विज्ञान लोकव्यापीकरण विविध योजनाएं 1-खगोल विज्ञान से संबंधित गतिविधियां 2-विभिन्न विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम 3- नवचारी कार्यक्रम 4- प्रशिक्षण कार्यक्रम<br>4. मध्यप्रदेश विज्ञान प्रसार नेटवर्क (विस्तार एवं जन जागरूकता कार्यक्रम)<br>5. वज्ञान प्रसार जनसंपर्क - न्यूज लेटर, गतिविधियों की पुस्तिका, परिषद की | 125.00 | 1. प्रथम तिमाही - विषय से संबंधित संस्थाओं का चयन एवं प्रस्ताव प्राप्त करना<br>द्वितीय तिमाही - समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण एवं वित्तीय सहयोग<br>तृतीय तिमाही - कार्यक्रम आयोजन एवं मॉनिटरिंग।<br>चतुर्थ तिमाही - रिपोर्ट एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र<br>2. प्रथम तिमाही - परिषद् एवं एसआईएसई जबलपुर के संयुक्त तत्वाधान में कार्ययोजना तैयार करना।<br>द्वितीय तिमाही - समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण, एमओयू हस्ताक्षर एवं वित्तीय सहयोग।<br>तृतीय तिमाही - कार्यक्रम आयोजन मॉनिटरिंग एवं रिपोर्ट<br>चतुर्थ तिमाही - कार्यक्रम आयोजन मॉनिटरिंग एवं रिपोर्ट<br>3. प्रथम तिमाही - 25 संस्थाओं का चयन एवं प्रस्ताव प्राप्त करना।<br>द्वितीय तिमाही - समिति | 46.36 | 1. पृथ्वी ग्रह से संबंधित 04 कार्यशाला, सेमीनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।<br>- ग्वालियर, भोपाल, मुरैना, रायसेन, सीधी, गुना आदि जिलों में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन, जल साक्षरता, जल संरक्षण पर जानकारी एवं जागरूकता कार्यक्रम हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।<br>2. वर्ष 2009-10 हेतु विज्ञान लोकव्यापीकरण योजनाओं के लिए कार्ययोजना तैयार की गई।<br>- परिषद् एवं राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, जबलपुर द्वारा जबलपुर में राज्य स्तरीय पश्चिम भारत विज्ञान मेला 2009 का आयोजन 12 नवम्बर 09 से 13 नवम्बर 09 तक सम्पन्न किया गया। इसमें प्रदेश के 8 शैक्षिक जोन 46 व्यक्तिगत प्रोजेक्ट, 27 टीम प्रोजेक्ट एवं 14 शिक्षण सहायक सामग्री सहित के प्रतिभागियों ने भाग लिया। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 8 वीं से 12 वीं तक के | 125.00 | राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, जबलपुर एवं शिक्षा विभाग के साथ संयुक्त कार्यक्रम 1. विज्ञान पहेली प्रतियोगिता 2. गणित ओलम्पियाड, 3. नवाचारी विज्ञान शिक्षक पुरस्कार, 4. पश्चिम भारत विज्ञान मेला, 5. राज्य स्तरीय सेमिनार, 6. विज्ञान क्लबों का विस्तार करना, 7. लोकप्रिय विज्ञान वाचनालयों का विस्तार (07 कार्यक्रम) 8. फिजीक्स कैमेस्ट्री एवं बायोलॉजी ओलम्पियाड विज्ञान लोकव्यापीकरण विविध योजनाएं 1. खगोल विज्ञान से संबंधित गतिविधियां 2. विभिन्न विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम 3- नवचारी कार्यक्रम 4- प्रशिक्षण कार्यक्रम<br>मध्यप्रदेश विज्ञान प्रसार नेटवर्क (विस्तार एवं जन जागरूकता कार्यक्रम) - विज्ञान प्रसार जनसंपर्क - न्यूज लेटर, गतिविधियों की पुस्तिका, परिषद की |
|---|---|--------|--|-------|---|--------|--|

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 41 विज्ञान और टेक्नालॉजी विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 4101 सचिव, म. प्र. शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग**

डॉयरी कैलेंडर का प्रकाशन करना एवं विज्ञान के प्रचार प्रसार करने से संबंधित प्रकाशन—परिषद् में मध्यप्रदेश विज्ञान लोकव्यापीकरण सेल को सुदृढ़ करना एवं विज्ञान लोकव्यापीकरण के अन्य क्षेत्रों में गतिविधियों का विस्तार करना  
6. राष्ट्रीय विज्ञान दिवस एवं प्रौद्योगिकी दिवस (सम्पूर्ण मध्यप्रदेश)  
7. प्रकृति विज्ञान मेला तथा आरोग्य ज्ञान प्रतियोगिता(1.50 लाख प्रतिभागियों का लक्ष्य)  
8. विज्ञान प्रसार/प्रोत्साहन हेतु पुरस्कारअ. ग्रामीण क्षेत्रों में गैर संस्थागत अन्वेषणों को पुरस्कार (03 पुरस्कार)ब. राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के पुरस्कार (03 पुरस्कार)

के समक्ष प्रस्तुतिकरण एवं वित्तीय सहयोग  
तृतीय तिमाही — कार्यक्रम आयोजन एवं मॉनिटरिंग  
चतुर्थ तिमाही — रिपोर्ट एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र परिक्षण  
4. प्रथम तिमाही — संस्थाओं के साथ बैठक का आयोजन।  
द्वितीय तिमाही — बैठक की अनुशंसाओं पर कार्यवाही एवं कार्यक्रमों का निर्धारण।  
तृतीय तिमाही — मॉनीटरिंग कार्य।  
चतुर्थ तिमाही — नेटवर्क की समीक्षा बैठक।  
5. 12 माह  
6. प्रथम तिमाही — मई माह में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का आयोजन।  
द्वितीय तिमाही — विगत वर्षों की रिपोर्ट  
तृतीय तिमाही — कार्यक्रम का प्रस्ताव तैयार करना एवं नई दिल्ली भेजना।  
चतुर्थ तिमाही — 1000 विद्यालयों/ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम आयोजन।  
7. प्रथम तिमाही — प्रस्ताव प्राप्त करना।  
द्वितीय तिमाही — आयोजन हेतु कार्यवाही।  
तृतीय तिमाही — मॉनीटरिंग कार्य।  
चतुर्थ तिमाही — रिपोर्ट से संबंधित कार्य।

प्रतियोगियों द्वारा निर्मित 6 सर्वश्रेष्ठ प्रादर्श ( 3 व्यक्तिगत एवं 3 टीम प्रोजेक्ट) का चयन किया गया एवं शिक्षकों द्वारा निर्मित 3 शिक्षण सहायक सामग्री का चयन किया।  
3. खगोल विज्ञान से संबंधित 06 कार्यक्रम आयोजित किये गये।  
—म.प्र.विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में ईको वाटर लिट्रेसी कैम्पेन—(जन साक्षरता अभियान-09) के तहत भोपाल, बैरसिया, सतना, सिवनी, परसवाड़ा, बैहर, वारासिवनी, सीहोर, रीवा, धार, उज्जैन जिलों के अग्रणी महाविद्यालय एवं ग्रामीण क्षेत्र के महाविद्यालयों को कार्यक्रम आयोजन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।  
—शासकीय उत्कृष्ट उ.मा.विद्यालय केसला के एक्टिवटी कार्नर के सहयोग से बाल सुधारग्रह "मुस्कान" इटारसी के बच्चों में विज्ञान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु एक माह तक विविध वैज्ञानिक गतिविधियों का आयोजन किया गया।  
—नवीन प्रस्तावों पर निर्णय लेने हेतु विशेषज्ञ समिति की बैठक का आयोजन 9 जुलाई 2009 को किया गया।  
—म.प्र. विज्ञान प्रतिभा सम्मान समारोह दिनांक 5 सितम्बर

डॉयरी कैलेंडर का प्रकाशन करना एवं विज्ञान के प्रचार प्रसार करने से संबंधित प्रकाशन—परिषद् में मध्यप्रदेश विज्ञान लोकव्यापीकरण सेल को सुदृढ़ करना एवं विज्ञान लोकव्यापीकरण के अन्य क्षेत्रों में गतिविधियों का विस्तार करना  
—राष्ट्रीय विज्ञान दिवस एवं प्रौद्योगिकी दिवस (सम्पूर्ण मध्यप्रदेश)  
—प्रकृति विज्ञान मेला तथा आरोग्य ज्ञान प्रतियोगिता(1.50 लाख प्रतिभागियों का लक्ष्य)  
—विज्ञान प्रसार/प्रोत्साहन हेतु पुरस्कारअ. ग्रामीण क्षेत्रों में गैर संस्थागत अन्वेषणों को पुरस्कार (03 पुरस्कार)ब. राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के पुरस्कार (03 पुरस्कार)

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 41 विज्ञान और टेक्नालॉजी विभाग

विभागाध्यक्ष - 4101 सचिव, म. प्र. शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

8. प्रथम तिमाही - आवेदन  
आंमत्रित करना एवं  
सलाहकार समिति का  
गठन।  
द्वितीय एवं तृतीय तिमाही  
- चयन हेतु सलाहकार  
समिति की बैठक एवं  
पुरस्कार वितरण हेतु  
आयोजन।  
चतुर्थ तिमाही - रिपोर्ट से  
संबंधित कार्य।

2009 को विज्ञान एवं  
प्रौद्योगिकी विभाग के मा. मंत्री  
श्री कैलाश विजयवर्गीय के  
मुख्य अतिथ्य में सम्पन्न हुआ।  
इस अवसर पर म.प्र. में  
आयोजित विज्ञान पहेली  
प्रतियोगिता, गणित ओलम्पियाड  
प्रतियोगिता में चयनीत विद्यार्थी,  
म.प्र. के चयनीत नवाचारी  
विज्ञान शिक्षकों को पुरस्कृत एवं  
पूर्व वर्षों के नवाचारी विज्ञान  
शिक्षकों का सम्मान किया  
गया।  
-23 सितम्बर 09 को अमित  
स्मृति संस्था द्वारा परिषद् के  
सहयोग से दो दिवसीय स्टेट  
लेवल एस्ट्रॉनामी वर्कशाप  
आयोजित की गई। इसमें 18  
शिक्षक-शिक्षिकाओं, 13  
महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं  
तथा 34 स्कूली छात्र-छात्राओं  
ने भाग लिया।  
-अक्टूबर माह में विज्ञान  
स्वच्छता माह के आयोजन हेतु  
29 कन्या महाविद्यालयों एवं  
कन्या विद्यालयों को कार्यक्रम  
आयोजित करने हेतु स्वीकृति  
प्रदान की गई।  
-“जल साक्षरता अभियान  
2009” कार्यक्रम के अंतर्गत  
शासकीय स्नातकोत्तर  
महाविद्यालय, बडवानी को  
कार्यक्रम आयोजन हेतु स्वीकृति  
प्रदान की गई। 15 विज्ञान  
भारती, म.प्र. द्वारा दिनांक 27  
अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2009  
तक प्रकृति क्रियाकलाप पर  
कार्यशाला का आयोजन किया

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 41 विज्ञान और टेक्नालॉजी विभाग

विभागाध्यक्ष - 4101 सचिव, म. प्र. शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

गया।

—आदिवासी जिला बालाघाट में वार्षिक कैलेण्डर के तहत आदिवासी जन विज्ञान उत्सव-09 के रूप में वैज्ञानिक गतिविधियों आयोजित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। आदिवासी जिला बालाघाट में आयोजित किये जा रहे आदिवासी जन विज्ञान उत्सव 2009 के अंतर्गत 20 कार्यक्रमों की श्रृंखला में तीसरे वैज्ञानिक जागरूकता कैम्प का आयोजन दिनांक 21 से 23 अक्टूबर 2009 को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय परसवाड़ा में सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम में आदिवासी अंचल के लगभग 460 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया।

—द्वितीय भारतीय विज्ञान सम्मेलन (विज्ञान एक्सपो 2009) - द्वितीय भारतीय विज्ञान सम्मेलन में विज्ञान एक्सपो का आयोजन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर में दिनांक 27/11/09 से दिनांक 3/12/09 तक किया गया था। इस सम्मेलन में बैंगलौर के विशेषज्ञों (व्ही.एस.एस.शास्त्री एवं उनके सहपाठी) द्वारा प्रदेश के 25 जिलों से आये शिक्षकों को निम्न गतिविधियों पर प्रशिक्षण दिया गया। 1 मैथ्स थू आरीगेमी 2 आरीगेमी प्लेन्स एवं साइंस ऑफ एरोडायनेमिक्स 3 पेपर प्लेन्स एवं साइंस ऑफ एरोडायनेमिक्स 4 किरिगेमी

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 41 विज्ञान और टेक्नालॉजी विभाग

विभागाध्यक्ष - 4101 सचिव, म. प्र. शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

पेपर इन्सेक्ट फॉर क्लास रुम इस कार्यक्रम में लगभग 3000 प्रतिभागी लाभान्वित हुय -क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय भोपाल में दिनांक 4 से 6 दिसम्बर, 2009 को राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2009 का राज्य स्तरीय आयोजन किया गया जिसमें करीब 300 विद्यार्थियों एवं 50 शिक्षकों ने भाग लिया । उनके द्वारा "पृथ्वी ग्रह आइये इसे समझे और बचाये" विषय पर परियोजनाओं की प्रस्तुति की गई । परिषद् द्वारा प्रतिभागियों के मार्ग व्यय के रूप में सहयोग प्रदान किया गया एवं राष्ट्रीय स्तर के लिये चयनित 30 परियोजनाओं के बेहतर प्रस्तुतिकरण के लिये प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई । परिषद् द्वारा आंचलिक विज्ञान केन्द्र योजना को लेकसिटी मॉडल प्रदर्शनी हेतु सहयोग प्रदान किया गया था । इस कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 3 दिसम्बर 2009 को किया गया -परिषद् द्वारा शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, बैहर जिला बालाघाट को आदिवासी जन विज्ञान उत्सव 2009-2010 के अंतर्गत विज्ञान मॉडल निर्माण कार्यशाला हेतु सहयोग प्रदान किया गया था । यह कार्यक्रम दिनांक 7-8 दिसम्बर 2009 को आयोजित किया गया । -अमित स्मृति द्वारा 20 दिसम्बर, 09 को प्रोजेक्ट

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 41 विज्ञान और टेक्नालॉजी विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 4101 सचिव, म. प्र. शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग**

आर्यभट्ट - एस्ट्रानामी विवज  
2009 - 10 के तहत पुरस्कार  
वितरण समारोह का आयोजन  
गया ।  
4. कार्यशालाओं / प्रदर्शनी के  
माध्यम से नवीन संस्थाओं को  
शामिल किया गया ।  
5. न्यूज लेटर, विज्ञान  
प्रचार-प्रसार सामग्री का  
प्रकाशन किया गया ।  
6. राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के  
अवसर पर 311 कार्यक्रमों का  
आयोजन किया गया ।  
7. प्रक्रिया जारी है ।  
8. समिति का गठन किया  
गया ।  
-प्रक्रिया जारी है ।

**4556 सुदूर संवेदन केन्द्र तकनीक के लिए वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण**

|   |   |        |   |        |   |        |   |
|---|---|--------|---|--------|---|--------|---|
| सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र<br>का मुख्य उद्देश्य<br>उपयोगकर्ता विभागों के<br>लिए सुदूर संवेदन एवं<br>भौगोलिक सूचना प्रणाली<br>द्वारा प्रदेश के प्राकृतिक<br>संसाधनों के मानचित्रण एवं<br>प्रबंधन का कार्य किया<br>जाना है । इस केंद्र द्वारा<br>शासन के अधिकारियों,<br>विश्वविद्यालय<br>/महाविद्यालय के शिक्षक<br>एवं विद्यार्थियों को सुदूर<br>संवेदन एवं भौगोलिक<br>सूचना प्रणाली में प्रशिक्षण<br>भी प्रदान किया जाना है । | 1. एजूसेट48 जिले<br>2. फसल क्षेत्र एवं<br>उत्पादन आकलन<br>परियोजना1-फसल कटाई<br>से पूर्व फसल क्षेत्र एवं<br>उत्पादन आंकलन<br>परियोजना के अंतर्गत गेहूं<br>38 जिले, कपास के 6<br>जिले एवं सरसों के 4<br>जिलों का कार्य<br>3. राष्ट्रीय शहरी सूचना<br>प्रणाली (एन.यू.आई.एस.)<br>परियोजना<br>4. राष्ट्रीय पड़त भूमि<br>अद्यतन परियोजना के<br>अंतर्गत प्रदेश के 24 जिलों<br>के पड़त भूमि मानचित्रों<br>का अद्यतन<br>कार्य।-चयनित जिलों के | 350.00 | 1. S प्रथम तिमाही - 2<br>कार्यक्रम मल्टीकास्ट<br>करना ।<br>द्वितीय तिमाही - 2<br>-----,<br>तृतीय तिमाही - 2<br>कार्यक्रम मल्टीकास्ट<br>करना ।<br>चतुर्थ तिमाही - 2<br>कार्यक्रम मल्टीकास्ट<br>करना ।<br>2. 12 माह<br>3. 12 माह<br>4. भूक्षरण मैपिंग 35 जिलों<br>के लिए मैपिंग करना 31<br>मार्च 2009 तक<br>5. 12 माह<br>6. 12 माह<br>7. 12 माह | 188.82 | 1. नई दिल्ली से प्रसारित 35<br>कार्यक्रम विद्यार्थियों हेतु<br>मल्टीकास्ट किये गये ।<br>2. फसल (एन.आर.एस.सी.)<br>परियोजना के लिए गेहूं के 22<br>फसल क्षेत्र आंकलन का कार्य<br>किया गया । जिले स्तर पर गेहूं<br>क्षेत्र आंकलन हेतु प्राप्त उपग्रह<br>चित्रों के विश्लेषण का कार्य<br>किया गया तथा आंकड़े<br>अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र<br>अहमदाबाद को प्रेषित किये<br>गये । परियोजना के लिए<br>मौसम संबंधी आंकड़े (15 जून<br>से 15 जुलाई) एकत्र कर<br>कम्प्यूटरीकृत करने का कार्य<br>किया गया । फसल<br>एनआरएससी परियोजना हेतु<br>जुल14इक ोपै उपग्रह चित्र | 350.00 | - एजूसेट48 जिले<br>- फसल क्षेत्र एवं उत्पादन<br>आकलन परियोजनाS फ<br>सल कटाई से पूर्व फसल<br>क्षेत्र एवं उत्पादन आंकलन<br>परियोजना के अंतर्गत गेहूं<br>38 जिले, कपास के 6<br>जिले एवं सरसों के 4<br>जिलों का कार्य<br>- राष्ट्रीय शहरी सूचना<br>प्रणाली (एन.यू.आई.एस.)<br>परियोजना<br>- राष्ट्रीय पड़त भूमि<br>अद्यतन परियोजना के<br>अंतर्गत प्रदेश के 24 जिलों<br>के पड़त भूमि मानचित्रों का<br>अद्यतन कार्य ।<br>- चयनित जिलों के<br>प्राकृतिक संसाधन एटलस |
|---|---|--------|---|--------|---|--------|---|



| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 41 विज्ञान और टेक्नालॉजी विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 4101 सचिव, म. प्र. शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग**

प्राकृतिक संसाधन एटलस तैयार करने का कार्य / सभी जिले  
5. सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रयोगशाला का अपग्रेडेशन 'राज्य स्थानिक डाटा अधोसंरचना'  
6. प्राकृतिक संसाधनों का सेन्सेस परियोजना के अंतर्गत 1:50000 मापक पर 35 जिलों का भूक्षरण स्थिति का मानचित्रण।  
7. रेशम क्षेत्र में सुदूर संवेदन तकनीक एवं जीआईएस की सहायता से रेशम उत्पादन क्षेत्र एवं उत्पादन बढ़ाने हेतु नामक परियोजना  
8. बायोडायवर्सिटी एटलस" परियोजना  
9. सरदार सरोवर कोरिडोर मैपिंग परियोजना  
10. म. प्र. में टेलिमेडिसिन नेटवर्कअ. 10 जिला अस्पताल, 03 मेडिकल कॉलेज, 02 ट्रस्ट अस्पतालों में टेलिमेडिसिन नोड की स्थापना एवं संबंधित कार्य प्रारंभ करना।ब. परिषद में मुख्य नियंत्रण हब की स्थापना  
11. "नेशनल वेटलैण्ड्स इन्वेन्ट्री एण्ड अॅसिस्मेंट (एन.डब्ल्यू.आई.ए.)"  
12. उज्जैन जिले में जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम

8. 12 माह  
9. 12 माह  
10. प्रथम तिमाही - 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम।  
द्वितीय तिमाही - 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम।  
तृतीय तिमाही - 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम।  
चतुर्थ तिमाही - 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम।  
11. 12 माह  
12. 12 माह

के लिए फारेस्ट वेक्टर बनाने का कार्य किया गया।  
-फसल सेक परियोजना के लिए मौसम संबंधी आंकड़े (28 अगस्त से 15 सितम्बर) एकत्र कर कम्प्यूटरीकृत करने का कार्य किया गया। फसल एनआरएससी परियोजना हेतु जउ20 षपै उपग्रह चित्र के लिए फारेस्ट वेक्टर सही करने का कार्य किया गया।  
परियोजना के लिए मौसम संबंधी आंकड़े (16 सितम्बर से 30 सितम्बर) एकत्र कर कम्प्यूटरीकृत करने का कार्य किया गया। फसल एनआरएससी परियोजना हेतु जउ14इक षपै उपग्रह चित्र के लिए फारेस्ट वेक्टर सही करने का कार्य किया गया।  
-परियोजना के अंतर्गत कपास फसल हेतु क्षेत्र सत्यापन के आंकड़े एकत्र करने का कार्य म.प्र. के कपास उगाये जाने वाले जिलों के लिए किया गया तथा प्राप्त उपग्रह चित्रों का विश्लेषण कर कपास क्षेत्र एवं उत्पादन आंकलन कर अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र अहमदाबाद को भेजा गया।  
3. "राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली (एन.यू.आई.एस.)" परियोजना के अन्तर्गत सागर शहर का 1:10,000 मापक पर भू-आवरण/भूमि उपयोग, मृदा, यातायात नोड्स, भू आकृति, प्रवाह तंत्र, भू स्थलाकृति, सड़क, रेल एवं वृक्ष आवरण के

तैयार करने का कार्य / सभी जिले  
- प्राकृतिक संसाधनों का सेन्सेस परियोजना के अंतर्गत 1:50000 मापक पर 35 जिलों का भूक्षरण स्थिति का मानचित्रण।  
- रेशम क्षेत्र में सुदूर संवेदन तकनीक एवं जीआईएस की सहायता से रेशम उत्पादन क्षेत्र एवं उत्पादन बढ़ाने हेतु नामक परियोजना  
- बायोडायवर्सिटी एटलस" परियोजना  
- म. प्र. में टेलिमेडिसिन नेटवर्कअ. 10 जिला अस्पताल, 03 मेडिकल कॉलेज, 02 ट्रस्ट अस्पतालों में टेलिमेडिसिन नोड की स्थापना एवं संबंधित कार्य प्रारंभ करना।ब. परिषद में मुख्य नियंत्रण हब की स्थापना  
- राज्य स्थानिक डाटा अधोसंरचना, प्रशिक्षण कार्यक्रम

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 41 विज्ञान और टेक्नालॉजी विभाग

विभागाध्यक्ष - 4101 सचिव, म. प्र. शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

विषयवार मानचित्रण का कार्य पूर्ण किया गया। मानचित्रों की गुणवत्ता हेतु राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र, हैदराबाद द्वारा सभी विषयवार मानचित्रों की गुणवत्ता जाँच की गयी।  
—जबलपुर शहर का 1:10,000 मापक पर भू-आवरण/भूमि उपयोग, यातायात नोड्स, भू आकृति, प्रवाह तंत्र, भू स्थलाकृति, सड़क, रेल एवं वृक्ष आवरण के विषयवार मानचित्रण एवं स्थल निरीक्षण का कार्य पूर्ण किया गया।  
4. राष्ट्रीय पड़तभूमि अद्यतन परियोजना 2006 के अंतर्गत मध्यप्रदेश के पड़तभूमि मानचित्र 2003 को 2006 के उपग्रह चित्रों का उपयोग कर 34 जिलों के अद्यतन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।  
5. "राज्य स्थानिक डाटा अधोसंरचना" के अंतर्गत डाटा माईग्रेशन का कार्य पूर्ण कर बनेजवउप्रमके वज्जितम निमार्ण का कार्य किया गया।  
—"राज्य स्थानिक डाटा अधोसंरचना" के अंतर्गत हार्डवेयर एवं साटवेयर स्थापित करने तथा नेटवर्किंग का कार्य पूर्ण कर डाटा माईग्रेशन का कार्य किया गया।  
—"राज्य स्थानिक डाटा अधोसंरचना" के अंतर्गत प्रथम वीटा वर्जन का प्रदर्शन परिषद् अधिकारियों को किया गया।  
1200 मेगावाट कोयला आधारित ताप बिजली घर क्षेत्र नरसिंहपुर

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 41 विज्ञान और टेक्नालॉजी विभाग

विभागाध्यक्ष - 4101 सचिव, म. प्र. शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

का विस्तृत भूमि उपयोग नक्शा तैयार किया गया। - "राज्य स्थानिक डाटा अधोसंरचना" के अंतर्गत ड्रैफ्ट टपमूमत का निमार्ण किया गया।

6. नेचरल रिसोर्स सेन्सस - लेण्ड डिग्रेडेशन" परियोजना में 20 टोपोशीट के लिए फण्ड में सुझाये गये संशोधन किये गये तथा 15 टोपोशीट के लिए प्राथमिक इन्टरप्रिटेसन करने का कार्य किया गया।

- "नेचरल रिसोर्स सेन्सस - लेण्ड डिग्रेडेशन" परियोजना में 50 टोपोशीट के लिए फण्ड में सुझाये गये संशोधन किये गये तथा 04 जिलों में क्षेत्र सत्यापन के आकड़े एकत्र करने का कार्य किया गया।

7. म.प्र. रेशम विभाग, म.प्र. शासन से डेटा प्राप्त करने का प्रयास प्रगति पर है तथा उत्तर पूर्वी आंतरिक्ष उपयोग केन्द्र से परियोजना स्वीकृत कर रु.8 लाख 35 हजार का बजट प्राप्त किया गया।

8. "बायोडायवर्सिटी एटलस" परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न बायोडायवर्सिटी पर प्राप्त डेटा के अंग्रेजी तथा वैज्ञानिक नामों के वेरीफिकेशन के साथ डेटा सेट तैयार करने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। डेटा की स्कैनिंग एवं एट्री का कार्य प्रगति पर है।

9. सरदार सरोवर बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत सरदार सरोवर डेम के वेक वॉटर के

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 41 विज्ञान और टेक्नालॉजी विभाग

विभागाध्यक्ष - 4101 सचिव, म. प्र. शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

कारण मध्यप्रदेश में होने वाले डूब क्षेत्र के प्रस्तावित 20 कि.मी. से 20 कि.मी. क्षेत्र का भूमि उपयोग मानचित्र का कार्य पूर्ण कर एन.सी.ए. को प्रेषित किया गया। सरदार सरोवर विस्थापन क्षेत्र का शेष कार्य राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र, हैदराबाद में पूर्ण किया जाकर 2800 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का भूमि उपयोग मानचित्र का प्रथम प्रारूप राष्ट्रीय नर्मदा प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। यह कार्य भी राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र, के मार्गदर्शन में हैदराबाद में संपन्न किया जा रहा है।

10. म.प्र. में टेलीमेडिसिन नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत 15 केन्द्रों को आपस में जोड़ दिया गया है व सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं। नियम बनाने की प्रक्रिया चल रही है।

11. "नेशनल वेटलैण्ड्स इन्वेन्ट्री एण्ड अॅसिस्मेंट (एन.डब्ल्यू.आई.ए.)" परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश के लगभग एक-तिहाई जलाशयों के मानसून-पूर्व एवं मानसून-पश्चात् सतही जल क्षेत्रों में प्रदूषण स्तर के मानचित्रण का कार्य किया गया।

— "नेशनल वेटलैण्ड्स इन्वेन्ट्री एण्ड अॅसिस्मेंट (एन.डब्ल्यू.आई.ए.)" परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश के लगभग दो तिहाई जलाशयों के मानसून-पूर्व एवं

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 41 विज्ञान और टेक्नालॉजी विभाग

विभागाध्यक्ष - 4101 सचिव, म. प्र. शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मानसून-पश्चात् सतही जल क्षेत्रों का जलीय वनस्पति क्षेत्रों के मानचित्रण का कार्य किया गया।

-परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश के लगभग 21 जिलों की प्राइमरी एवं रिफरेंस लेयर्स में गुणवत्ता शुद्धिकरण का कार्य किया गया।

12. उज्जैन जिले के नरवर विकास खंड में जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के आंकलन का कार्य सुदूर संवेदन तकनीकी की सहायता से पूर्ण किया गया एवं प्रदेश के अन्य विकास खंडों में इसी प्रकार के कार्य हेतु परियोजना प्रस्ताव तैयार किया गया।

5197 मिशन एक्सीलेंस ऑफ़ एम.पी. ह्यूमेन रिसोर्स

58.00

0.00

0.00

5234 पारंपरिक ज्ञान का प्रलेखीकरण एवं वैज्ञानिक सत्यापन

33.62

0.00

0.00

5248 पारंपरिक ज्ञान का प्रलेखीकरण एवं वैज्ञानिक सत्यापन

ग्रामीण स्तर पर सर्वे एवं जागरूकता, डाटा एकत्रीकरण एवं प्रलेखन। विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के नेटवर्क से वैज्ञानिक सत्यापन हेतु अनुसंधान कार्य।

16.38

प्रथम तिमाही - विज्ञापन के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त करना।  
द्वितीय तिमाही - प्रस्ताव परीक्षण एवं विशेषज्ञ समूह द्वारा चयन।  
तृतीय तिमाही - परियोजनाओं का मूल्यांकन एवं नवीन प्रस्ताव प्राप्त करना।  
चतुर्थ तिमाही -

21.52

-6 नवीन योजनायें वित्तीय सहायता हेतु स्वीकृत की गई।  
-इस योजना के अंतर्गत 03 परियोजनाओं को वित्तीय सहयोग प्रदान किया गया।  
-इस योजना के अन्तर्गत माह दिसम्बर में स्थान्तरण सामाजिक एवं जन कल्याण संस्था उज्जैन को बपमदजपपिब अंसपकंजपवद विदबपमदज पदकपंद कपेमेंम कपवहदवेपे

50.00

-ग्रामीण स्तर पर सर्वे एवं जागरूकता कार्यक्रम।  
-डाटा एकत्रीकरण।  
-प्रलेखन।  
-विश्वविद्यालय एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के नेटवर्क से वैज्ञानिक सत्यापन।)5 नवीन प्रस्ताव, पूर्व वर्षों के प्रस्ताव)

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 41 विज्ञान और टेक्नालॉजी विभाग

विभागाध्यक्ष - 4101 सचिव, म. प्र. शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

परियोजनाओं की  
मानिट्रिंग एवं निरंतरता।

लेजमउ नेपदह ीनउंद  
मदमतहल पिमसक ंनतद्धे  
विषय पर शोध परियोजना  
स्वीकृत की गई।

5255 मिशन एक्सीलेन्स आफ एम.पी. ह्यूमन रिसोर्स

प्रस्ताव यह कि बदलती  
जरूरतों को ध्यान में रखते  
हुये और नये आर्थिक  
परिदृश्य में मध्यप्रदेश की  
प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित  
करने के लिये राज्य के  
छात्र-छात्राओं तथा शहरी  
एवं ग्रामीण युवाओं जिनमें  
किसान, कारीगर एवं  
महिलाएँ बड़ी संख्या में  
होंगी, इन सबको वैज्ञानिक  
एवं तकनीकी दृष्टि से नई  
कुशलताओं एवं क्षमताओं से  
सुसज्जित करना होगा।  
प्रतिवर्ष 2 लाख युवाओं को  
चयनित कर अपने अपने  
क्षेत्र में उत्कृष्टता लाने का  
प्रयास किया जायेगा।

छात्रों, युवाओं, महिलाओं,  
कारीगर, श्रमिक एवं  
किसानों को उत्कृष्ट बनाने  
हेतु विशेष प्रशिक्षण एवं  
प्रोत्साहन नेटवर्क के  
माध्यम से सक्रिय करना।

32.00

प्रथम तिमाही - 02 लाख  
उत्कृष्ट अभ्यर्थियों का  
चयन एवं विभिन्न  
उत्कृष्टता के क्षेत्रों में  
क्रियान्वयन करना, बौद्धिक  
पोषण कार्यक्रम जारी।  
द्वितीय तिमाही - विशेष  
प्रशिक्षण एवं  
कुशलता/दक्षता कार्यक्रम  
का क्रियान्वयन। यात्रा  
आयोजन।  
तृतीय तिमाही - विशेष  
प्रशिक्षण, साइट विजिट,  
विभिन्न प्रयोगशाला का  
अवलोकन एवं कार्यक्रमों  
का मूल्यांकन।  
चतुर्थ तिमाही - परिणाम  
एवं मूल्यांकन।

33.76

मध्यप्रदेश उत्कृष्टता मिशन के  
अंतर्गत परिषद् द्वारा चयनित  
मेधावी विद्यार्थियों एवं विज्ञान के  
शिक्षकों ने चार विभिन्न समूहों  
में विज्ञान मंथन यात्रा कार्यक्रम  
में भाग लिया। इस कार्यक्रम में  
623 विद्यार्थी एवं शिक्षक  
सम्मिलित हुये। इस यात्रा के  
अंतर्गत दिनांक 18.12.09 से  
25.12.09 तक चैन्नई, देहरादून,  
कोलकाता एवं मुम्बई शहरों में  
स्थित ख्याती प्राप्त प्रयोगशाला  
व संस्थानों का अवलोकन किया  
गया। इस यात्रा में विज्ञान  
मंथन यात्रा 2008-09 के  
छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थी भी  
मोनीटर के रूप में शामिल हुये।  
देवी अहिल्या बाई  
विश्वविद्यालय, इन्दौर के विज्ञान  
पत्रकारिता के विद्यार्थी एवं  
माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता  
विश्वविद्यालय भोपाल के  
विद्यार्थियों ने चार समूह में भाग  
लिया।

90.00

-छात्रों, युवाओं, महिलाओं,  
कारीगर, श्रमिक एवं  
किसानों को उत्कृष्ट बनाने  
हेतु विशेष प्रशिक्षण एवं  
प्रोत्साहन नेटवर्क के  
माध्यम से सक्रिय करना।

5261 परिषद् के भवन निर्माण हेतु

- परिषद् भवन का द्वितीय  
तल, आवासगृह, टिश्यू  
कल्चर प्रयोगशाला प्रथम  
तल।  
- औषधीय एवं सुगंधित

निर्माण कार्य से संबंधित  
प्रक्रियाओं का क्रियान्वयन  
करना।

200.00

परिषद् भवन एवं अन्य शेष  
निर्माण कार्य पूरा करना-  
12 माह

80.61

प्रक्रिया जारी है।

75.00

-निर्माण कार्य से संबंधित  
प्रक्रियाओं का क्रियान्वयन  
करना।

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 41 विज्ञान और टेक्नालॉजी विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 4101 सचिव, म. प्र. शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग**

पौध केन्द्र, औबेदुल्लागंज  
परिसर में प्रयोगशाला एवं  
प्रशिक्षण सुविधायें

**5293 विश्व विद्यालय चिकित्सा महाविद्यालय में प्रकोष्ठ तथा परिषद् की स्थापना**

—प्रकोष्ठों की स्थापना।  
—मध्यप्रदेश के  
विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग  
एवं चिकित्सा महाविद्यालय,  
स्वयं सेवी संस्थाएं आदि के  
साथ मिलकर विज्ञान एवं  
प्रौद्योगिकी की गतिविधियों  
को आगे बढ़ाना एवं उनका  
मॉनिटरिंग करना।  
—अन्तर विभागीय संबंध  
स्थापित करना।  
—राज्य के विकास में  
योगदान के लिए उपयुक्त  
विकास परियोजनाओं और  
नई तकनीक की अनुशंसा  
करना।  
—स्वयं सेवी संस्थाओं,  
कमजोर वर्ग की महिलाओं  
शिल्पी एवं कारीगर आदि  
के साथ बेहतर समन्वय  
स्थापित कर उन्हें विज्ञान  
की मुख्य धारा में जोड़ना।  
—परिषद् की गतिविधियों से  
जुड़े कार्यक्लाप।

अ. 06 जिलों में प्रकोष्ठ  
की स्थापना।  
ब. परिषद् द्वारा स्थापित  
05 विस्तार केन्द्रों के  
अधोसंरचना विकास एवं  
मॉनीटरिंग कार्य तथा  
कार्यक्रमों का आयोजन।

150.00

प्रथम तिमाही — समन्वयकों  
के लक्ष्य निर्धारण।  
द्वितीय तिमाही — समन्वय  
प्रकोष्ठों में बैठक का  
आयोजन एवं राशि वितरण  
करना। नए समन्वयकों की  
नियुक्ति हेतु कुलपति से  
परामर्श भोपाल में  
समन्वयकों की बैठक।

115.39

3 विस्तार केन्द्र इन्दौर,  
ग्वालियर एवं जबलपुर में  
काय्यरत है।

150.00

अ. 06 जिलों में प्रकोष्ठ  
की स्थापना।  
ब. परिषद् द्वारा स्थापित  
03 विस्तार केन्द्रों के  
अधोसंरचना विकास एवं  
मॉनीटरिंग कार्य तथा  
कार्यक्रमों का आयोजन।

**5525 विज्ञान पार्क की स्थापना**

खगोल संबंधी विभिन्न  
पहलुओं तथा घटनाओं का  
अध्ययन करना एवं  
जनसामान्य को खगोलीय  
विज्ञान की जानकारी देना।

उज्जैन जिले में एक  
तारामंडल एवं विज्ञान पार्क  
की स्थापना।

250.00

12 माह, विज्ञान प्रादर्शों  
का चयन, तारामंडल एवं  
विज्ञान पार्क की स्थापना।

11.14

प्रक्रिया जारी है।

250.00

—उज्जैन जिले में एक  
तारामंडल एवं विज्ञान पार्क  
की स्थापना।

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 41 विज्ञान और टेक्नालाजी विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 4101 सचिव, म. प्र. शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग**

**5883 ग्रामीण तकनीक प्रयोग केन्द्र की स्थापना**

|   |   |        |        |  |      |   |  |        |   |
|---|---|--------|--------|--|------|---|--|--------|---|
|   |   |        | 200.00 |  |      | 0.00  |  | 0.00   |   |
| ग्रामीण नवाचारियों एवं प्रक्रियाओं की पहचान, संरक्षण करना एवं प्रोत्साहन देना, वैज्ञानिक तरीके से समाज के हित हेतु इनका उपयोग करना। | ग्रामीण तकनीक प्रयोग केन्द्र की स्थापना | 12 माह | 200.00 |  | 0.00 | परिषद द्वारा दिनांक 17 सितम्बर 2009 को आयोजित ग्रामीण प्रौद्योगिकी पर्व के अवसर पर प्रदेश के मा.मुख्यमंत्री जी द्वारा रूरल टेक्नोलाजी एप्लीकेशन सेन्टर स्थापित करने की घोषणा की गई। |  | 160.00 | ग्रामीण नवाचारियों एवं प्रक्रियाओं की पहचान, संरक्षण करना एवं प्रोत्साहन देना, वैज्ञानिक तरीके से समाज के हित हेतु इनका उपयोग करना। |

**5884 एटलस परियोजना**

|   |  |        |        |  |      |  |  |        |   |
|---|--|--------|--------|--|------|--|--|--------|---|
| राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर विभिन्न संसाधनों को दर्शाते हुये एटलस तैयार करना है। प्रदेश के संसाधनों का क्षेत्रीय / जिला स्तर पर विशिष्टताओं को चिन्हित करना है। | म.प्र.संसाधन एटलस कार्यक्रम की पृथक वेवसाइट का निर्माण कार्य जारी है-जिला सीधी एवं सिंगरोली के जिला एटलस तैयार करना। | 12 माह | 100.00 |  | 0.00 | — “मध्यप्रदेश के संसाधन-एटलस” कार्यक्रम के अंतर्गत जिलेवार एटलस हेतु कुल 40 जिलों के 11 थीम के मानचित्र तैयार किये गये एवं वर्ष 2008 की 16 जिलों की जिला सांख्यिकी पुस्तिका का संग्रहण किया गया।<br>—“मध्यप्रदेश के संसाधन-एटलस” कार्यक्रम के अंतर्गत जिलेवार एटलस हेतु कुल 45 जिलों के 11 थीम के मानचित्र तैयार किये गये। वर्ष 2008 की कुल 35 जिलों की जिला सांख्यिकी पुस्तिका का संग्रहण किया गया।<br>— सीधी जिला संसाधन-एटलस कम्पोशिन का कार्य अंतिम चरण में है।<br>— मध्यप्रदेश के संसाधन-एटलस” कार्यक्रम के अंतर्गत जिलेवार एटलस हेतु के 32 जिलों के 11 थीम के मानचित्र तैयार किये गये। |  | 100.00 | —06 जिला संसाधन एटलस-वेबसाइट का लोकार्पण करना |
|---|--|--------|--------|--|------|--|--|--------|---|



परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 41 विज्ञान और टेक्नालॉजी विभाग

विभागाध्यक्ष - 4101 सचिव, म. प्र. शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

जनगणना 2001 के आँकड़ों पर आधारित सभी थीम की सारणियां एवं चार्ट तैयार किये गये।

6634 जैव प्रौद्योगिकी उपयोगिता केन्द्र

|  |  |        |  |       |   |        |  |
|--|--|--------|--|-------|---|--------|--|
| जैव प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिकी करण को प्रोत्साहित करना एवं लुप्त होती जैव संपदा को सुरक्षित रखना। | <ol style="list-style-type: none"> <li>स्नातक स्तर के विद्यार्थियों हेतु ऊतक संवर्द्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम -स्नातकोत्तर स्तर हेतु ऊतक संवर्द्धन प्रशिक्षण</li> <li>ऊतक संवर्द्धन जागरूकता कार्यशाला</li> <li>परिषद् की शोध विकास परियोजनाओं का विस्तार</li> <li>टी.एस. मूर्ति उद्यान (औबेदुल्लागंज,जिला, रायसेन)औषधीय एवं सुगंध पौधा ऊतक संवर्द्धन शोध कार्यक्रम</li> <li>जैव विविधता संरक्षण खेतों की तैयारी (उद्यान)</li> <li>जैविक कृषि विकास</li> <li>जैव प्रौद्योगिकी आधारित परियोजनायें</li> </ol> | 190.00 | <ol style="list-style-type: none"> <li>प्रथम तिमाही - द्वितीय तिमाही - 02 कार्यक्रम (30 लाभार्थी)<br/>तृतीय तिमाही - चतुर्थ तिमाही 04 कार्यक्रम (60 लाभार्थी)<br/>-प्रथम तिमाही - द्वितीय तिमाही 02 कार्यक्रम (30 लाभार्थी)<br/>तृतीय तिमाही - चतुर्थ तिमाही 04 कार्यक्रम (40 लाभार्थी)</li> <li>प्रथम तिमाही - 01 कार्यक्रम (50 लाभार्थी)<br/>द्वितीय तिमाही - 01 कार्यक्रम (100 लाभार्थी)<br/>तृतीय तिमाही - 01 कार्यक्रम (100 लाभार्थी)<br/>चतुर्थ तिमाही - 01 कार्यक्रम (100 लाभार्थी)</li> <li>पूर्व वर्ष की शोध परियोजनाओं का आँकलन एवं नवीन परियोजना हेतु विज्ञापन जारी करना।<br/>-वित्तीय सहयोग हेतु कार्यवाही एवं मॉनीटरिंग कार्य।<br/>-समीक्षा एवं निरंतरता निर्धारित करना।</li> <li>प्रथम तिमाही - पूर्व परियोजनाओं पर कार्य निरंतर।</li> </ol> | 39.41 | <p>-ऊतक संवर्द्धन तकनीक पर प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में 27 छात्र/छात्राओं को 5 दिवसीय 2 प्रशिक्षण प्रदान किये गये।<br/>-म.प्र.के विभिन्न महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर की 16 छात्राओं एवं छात्रों को जैविक स्रोतों, औषधीय पौधों की खेती, मशरूम उत्पादन एवं टिशूकल्चर तकनीक द्वारा स्वरोजगार स्थापना हेतु 2 माह का कार्यस्थल प्रशिक्षण प्रदान किया गया।<br/>-परिषद् के औबेदुल्लागंज स्थित प्रो.टी.एस.मूर्ति उद्यान में दो माह के रोजगार उन्मुखी इन्टरशिप कोर्स हेतु 22 छात्र/छात्राओं को चयनित किया गया, जो टिशूकल्चर, मशरूम, जैविक खेती एवं औषधीय पौधों पर कार्य कर रहें थे।<br/>-एम.एस.सी. माइकोबॉयलाजी के दो विद्यार्थियों का लघुशोध पूर्ण हुआ।<br/>-बी.टेक (जैव प्रौद्योगिकी) के एक विद्यार्थी का परियोजना कार्य पूर्ण हुआ।<br/>-इन्टर नेशनल जर्नल्स ऑफ इन्टीग्रेटिव बायोलॉजी में एक शोध पत्र प्रकाशित करने हेतु</p> | 150.00 | <p>परिषद् की शोध विकास परियोजनाओं का विस्तार -स्नातक स्तर के विद्यार्थियों हेतु ऊतक संवर्द्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम -स्नातकोत्तर स्तर हेतु ऊतक संवर्द्धन प्रशिक्षण -ऊतक संवर्द्धन जागरूकता कार्यशाला -प्रो.टी.एस. मूर्ति उद्यान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी स्टेशन,औबेदुल्लागंज,जिला - रायसेन(अ) औषधीय एवं सुगंध पौधा ऊतक संवर्द्धन शोध कार्यक्रम (ब) प्रशिक्षण एवं लघुशोध कार्यऽ स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर में छात्रों हेतु पौधा ऊतक संवर्द्धन पर प्रशिक्षणऽ लघुशोध कार्य (अ) जैव विविधता संरक्षण उद्यान विकास (ब) औषधीय एवं सुगंध पौधों के संरक्षण एवं संवर्द्धन पर कार्यशाला/ जागरूकता कार्यक्रम (अ) जैविक कृषि विकास(ब) जैविक कृषि पर जागरूकता कार्यशाला /कार्यक्रम(स) जैविक कृषि</p> |
|--|--|--------|--|-------|---|--------|--|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 41 विज्ञान और टेक्नालॉजी विभाग

विभागाध्यक्ष - 4101 सचिव, म. प्र. शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

द्वितीय तिमाही - 2 पौधों की ऊतक संवर्द्धन के शोध का विकास कार्य शुभारंभ  
तृतीय तिमाही - शोध विकास कार्य जारी  
चतुर्थ तिमाही - 2 अन्य पौधों का ऊतक संवर्द्धन व शोध विकास जारी  
5. प्रथम तिमाही - रख-रखाव व संरक्षण कार्य निरंतर।  
द्वितीय तिमाही -  
-----  
तृतीय तिमाही -  
-----  
चतुर्थ तिमाही -  
-----  
6. परियोजना विकास कृषि उपयोग कार्यक्रम निरंतर।  
-वर्मीकल्चर, खाद निर्माण निरंतर। खाद व कीटनाशक निर्माण/परीक्षण निरंतर।  
-कृषि उपयोग कार्यक्रम निरंतर  
7. 2 परियोजनाओं।

भेजा गया है जोकि मत्सय ;।वतपबीजीले ममदहीसंद्ध की म.प्र. में विविधता पर आधारित है।  
-दो माह के प्रोजेक्ट कार्य हेतु 08 छात्रों को चुना गया जो माइक्रोवायलोजी एवं बायोटेक्नॉलोजी में अपना लघुशोध कार्य कर रहे हैं।  
-दालों की 13 विभिन्न प्रजातियों में एचपीटीएलसी द्वारा एण्टीआक्सीडेंट प्रोपर्टी का अध्ययन किया गया।  
-6 छात्र/छात्राओं द्वारा औषधीय पौधों पर 3 दिवसीय प्रोजेक्ट कार्य किया गया।  
-25 प्रजातियों में 15 हजार औषधीय पौधे बीज एवं कटिंग द्वारा तैयार किये गये।  
-सूखें मेवों में एन्टीआक्सीडेंट गुण का आंकलन हाई पफार्मेन्स थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी (एचपीटीएलसी) द्वारा किया गया।  
-जैविक कृषि संबंधी जागरूकता हेतु 413 कृषकों / महिलायें / कृषि अधिकारियों / छात्रों को प्रदर्शन प्रक्षेत्र का भ्रमण कराया गया।  
-रेन्डम एम्पीफइड पॉलीमार्फिक डी.एन.ए. मॉलिक्यूलर मार्कर विधि द्वारा मछलियों की विभिन्न प्रजातियों में अन्तर ज्ञात किया गया।  
-एचपीटीएलसी के उपयोग से वनस्पति में उपलब्ध क्वेरीसीटीन के आकलन हेतु विधी विकसित की गई।

पर किसानों को प्रशिक्षण / भ्रमण (अ) टिशूकल्चर प्रयोगशाला, प्रशिक्षण केन्द्र उद्यान परिसर निर्माण एवं विकास

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 41 विज्ञान और टेक्नालॉजी विभाग

विभागाध्यक्ष - 4101 सचिव, म. प्र. शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

—महत्वपूर्ण औषधीय पौधे  
आर्टीमिशिया के टिशूकल्चर  
तकनीक से पौधे तैयार किये  
गये। साथ ही उसके  
आर्टीमिशिनिंग कंटेन्ट की  
उपलब्धता का प्रयोगशाला में  
परीक्षण किया गया।  
—परिषद् के ओबेदुल्लागंज केन्द्र  
जिला रायसेन द्वारा 50  
प्रजातियों के बीज एवं कलम  
विधी से पौधे तैयार किये गये।  
—उद्यान क्षेत्र में हरियाली  
अभियान के अंतर्गत 100  
फलदार पौधों का वृक्षारोपण  
किया गया।  
—60 अनु.जाति/जनजाति  
महिलाओं को उद्यान क्षेत्र का  
भ्रमण करा कर जैविक खेती,  
मशरूम, केचुआ खाद निर्माण  
एवं औषधीय पौधों की खेती  
द्वारा स्वरोजगार के बारे में  
विस्तृत जानकारी दी गई।  
—जैविक कीटनाशकों (पांच  
पत्तीकाढा) जीवामृत वर्मीवाश  
का निर्माण कर औषधीय पौधों  
व जैविक खेती में उपयोग कर  
प्रदर्शन किया गया।  
—जैविक खेती प्रदर्शन के  
अंतर्गत खरीफ फसलों में  
सोयाबीन एवं धान पर प्रयोग  
किये गये।  
—08 विद्यार्थियों द्वारा दो माह  
का प्रायोगिक कार्य सम्पन्न  
किया गया।  
—इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ  
जुलोजिकल रिसर्च में एक शोध  
पत्र प्रकाशित हुआ।  
—अनु.जाति./अ.ज.जाति एवं

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित  | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण  | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|--|---|--------------|
|   |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |  | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1   | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8  | 9   | 10           |
| <b>विभाग - 41 विज्ञान और टेक्नालॉजी विभाग</b>                                 |                                     |                               |  |              |  |               |  |   |              |
| <b>विभागाध्यक्ष - 4101 सचिव, म. प्र. शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग</b> |                                     |                               |  |              |  |               |  |   |              |
|   |                                     |                               |  |              |  |               | पिछड़ा वर्ग की 18 महिलाओं एवं चार पुरुषों को स्वरोजगार हेतु मशरूम उत्पादन का तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया। -जैविक खेती प्रदर्शन अन्तर्गत रबी फसल में गेहूँ फसल का प्रदर्शन प्लाट स्थापित किया गया।<br>-टिशू कल्चर तकनीकी द्वारा केले के 200 पौधे तैयार किये गये।<br>-उद्यान क्षेत्र में हरियाली अभियान के अंतर्गत 100 फलदार पौधों का वृक्षारोपण किया गया।<br>-जैविक कचरे से 22 विघन्टल वर्मीकम्पोस्ट का उत्पादन किया गया।<br>-जैविक कीटनाशक एवं जैविक खाद का निर्माण कर खरीफ फसलों, औषधीय पौधो पर प्रयोग किया गया।<br>-जैविक कचरे से 10 विघन्टल केचुआ खाद तैयार की गई।<br>-उद्यान क्षेत्र में जैविक कचरे से 402 विघन्टल केचुआ खाद का उत्पादन किया गया।<br>-2 परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई एवं नवीन प्रस्तावों पर प्रक्रिया जारी है। |   |              |
|   |                                     |                               | 2,205.00   |              | 706.24   |               |  | 1,800.00  |              |
|   |                                     |                               | 2,205.00   |              | 706.24   |               |  | 1,800.00  |              |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित  | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय   | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |   | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण  | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|---|---|-------------------------------|--|---|--|---------------|--|---|--------------|
|   |   |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य  | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |  | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1   | 2   | 3                             | 4  | 5   | 6  | 7             | 8  | 9   | 10           |
| <b>विभाग - 42 जन शक्ति नियोजन विभाग</b>   |   |                               |  |   |  |               |  |   |              |
| <b>विभागाध्यक्ष - 4203 संचालक, तकनीकी शिक्षा</b>                                    |   |                               |  |   |  |               |  |   |              |
| <b>0436 छात्रों के लिए विशेष कोचिंग कक्षाएं</b>                                     |   |                               |  |   |  |               |  |   |              |
|   |   |                               | 20.00  |   | 0.00   |               |  | 0.00  |              |
| <b>0437 आदिवासी/अनुसूचित जाति के छात्रों को ड्राइंग व स्टेशनरी का प्रदाय</b>        |   |                               |  |   |  |               |  |   |              |
| छात्रों के लिये विशेष<br>कोचिंग   | अनुसूचित जनजाति के<br>छात्र/छात्राओं को<br>निःशुल्क विशेष कोचिंग<br>की व्यवस्था   |                               | 45.00  |   | 10.52  |               | इंजीनियरिंग एवं पोलिटेकनिक<br>में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं<br>को निःशुल्क विशेष कोचिंग<br>व्यवस्था । | 20.00   |              |
| <b>1853 ड्राइंग सामग्री की प्रदाय</b>   |   |                               |  |   |  |               |  |   |              |
| ड्राइंग सामग्री का प्रदाय   | आठ इंजीनियरिंग<br>महाविद्यालय तथा 44<br>पोलीटेकनिक महाविद्यालय<br>में अध्ययनरत अनुसूचित<br>जाति/जनजाति<br>विद्यार्थियों को ड्राइंग एवं<br>स्टेशनरी सामग्री उपलब्ध<br>करना । |                               | 75.00  | आठ इंजीनियरिंग<br>महाविद्यालय एवं 44<br>पोलीटेकनिक महाविद्यालय<br>में अध्ययनरत अनुसूचित<br>जाति/जनजाति के छात्र<br>एवं छात्राओं को ड्राइंग एवं<br>स्टेशनरी के पदाय में होने<br>वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु<br>प्रावधान रखा गया है । | 28.18  | 51            |  | 75.00   |              |
| <b>1869 तकनीकी शिक्षा संचालनालय</b>   |   |                               |  |   |  |               |  |   |              |
| तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत<br>आनेवाली संस्थाओं को<br>नेटवर्किंग के माध्यम से<br>जोडना | तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत<br>आनेवाली संस्थाओं को<br>नेटवर्किंग के माध्यम से<br>जोडना   |                               | 50.00  | तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत<br>आनेवाली संस्थाओं को<br>नेटवर्किंग के माध्यम से<br>जोडना   | 0.50   | 1             |  | 50.00   |              |
| <b>2667 पोलीटेकनिक संस्थाएं</b>   |   |                               |  |   |  |               |  |   |              |
| तकनीकी शिक्षा<br>संचालनालय के अंतर्गत<br>पोलीटेकनिक संस्थाएं                        | तकनीकी शिक्षा<br>संचालनालय के अंतर्गत<br>पोलीटेकनिक संस्थाएं  |                               | 1,254.94   | तकनीकी शिक्षा<br>संचालनालय के अंतर्गत<br>पोलीटेकनिक संस्थाएं  | 117.03   | 51            |  | 51.00   |              |
| <b>2993 बुक बैंक की स्थापना</b>   |   |                               |  |   |  |               |  |   |              |
| बुक बैंक की स्थापना   | इस कार्यक्रम के अंतर्गत<br>संस्थाओं में बुक बैंक की   |                               | 40.00  | पोलीटेकनिक महाविद्यालय<br>में अध्ययनरत् अनुसूचित  | 10.00  |               |  | 40.00   | 51           |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित                       | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय  | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम  | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |   | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|--|--|--|--|---|--|---------------|---|---|--------------|
|  |  |  | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य  | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5   | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |
| <b>विभाग - 42 जन शक्ति नियोजन विभाग</b>          |  |  |  |   |  |               |   |   |              |
| <b>विभागाध्यक्ष - 4203 संचालक, तकनीकी शिक्षा</b> |  |  |  |   |  |               |   |   |              |
|  |  | स्थापना की गई है जिनमें<br>उपयोगी पुस्तकों की<br>व्यवस्था करना ।   |  | जाति/जनजाति के छात्र<br>एवं छात्राओं में बुक बैंक<br>योजना के अंतर्गत उपयोगी<br>पुस्तकों की व्यवस्था में<br>होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति<br>हेतु प्रावधान किया गया है<br>। |  |               |   |   |              |
| <b>4068</b>                                      | <b>विशेष कोचिंग व्यवस्था</b>   |  |  |   |  |               |   |   |              |
|  | विशेष कोचिंग व्यवस्था  | विशेष कोचिंग व्यवस्था  | 125.00   | विशेष कोचिंग व्यवस्था   | 37.23  | 2             |   | 195.00  | 2            |
| <b>4945</b>                                      | <b>तकनीकी शिक्षा के भवन निर्माण</b>  |  |  |   |  |               |   |   |              |
|  | पोलीटेकनिक बडवानी के<br>भवन निर्माण हेतु राशि<br>उपलब्ध कराना  | पोलीटेकनिक बडवानी के<br>भवन निर्माण हेतु राशि<br>उपलब्ध कराना  | 277.95   | पोलीटेकनिक बडवानी के<br>भवन निर्माण हेतु राशि<br>उपलब्ध कराना   | 217.47   |               |   | 205.00  | 5            |
| <b>5175</b>                                      | <b>इमारतों का अनुरक्षण कार्य</b>   |  |  |   |  |               |   |   |              |
|  |  |  | 60.00  |   | 22.52  |               |   | 55.00   |              |
| <b>5423</b>                                      | <b>विश्व बैंक पोषित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम-स्टेट प्रोग्राम</b>                                       |  |  |   |  |               |   |   |              |
|  | तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता<br>सुधार कार्यक्रम शैक्षणिक<br>उत्कृष्टता उन्नयन करना<br>तथा प्रबंधन क्षमता का<br>विकास कराना | तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता<br>सुधार कार्यक्रम शैक्षणिक<br>उत्कृष्टता उन्नयन करना<br>तथा प्रबंधन क्षमता का<br>विकास कराना | 25.98  | तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता<br>सुधार कार्यक्रम शैक्षणिक<br>उत्कृष्टता उन्नयन करना<br>तथा प्रबंधन क्षमता का<br>विकास कराना  | 13.41  |               |   | 1.70  |              |
| <b>5627</b>                                      | <b>निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां एवं वृत्तियां</b>  |  |  |   |  |               |   |   |              |
|  | निर्धन वर्ग के छात्रों को<br>छात्रवृत्तिय का प्रदाय  | निर्धन वर्ग के छात्रों को<br>छात्रवृत्तिय का प्रदाय  | 100.00   | निर्धन वर्ग के छात्रों को<br>छात्रवृत्तिय का प्रदाय   | 12.00  |               |   | 0.00  |              |
| <b>5674</b>                                      | <b>निर्धन वर्ग के लिए विक्रमादित्य निशुल्क शिक्षा योजना</b>  |  |  |   |  |               |   |   |              |
|  |  |  | 200.00   |   | 43.00  |               |   | 200.00  |              |
| <b>5700</b>                                      | <b>प्रदेश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फेशन टेक्नॉलाजी की स्थापना</b>  |  |  |   |  |               |   |   |              |
|  | नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ   | नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ   | 3,000.00   | नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ  | 0.00   |               |   | 1,000.00  | 1            |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित                       | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय  | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम   | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |                               | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|--|--|---|--|-------------------------------|--|---------------|---|---|--------------|
|  |  |   | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य                  | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5                             | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |
| <b>विभाग - 42 जन शक्ति नियोजन विभाग</b>          |  |   |  |                               |  |               |   |   |              |
| <b>विभागाध्यक्ष - 4203 संचालक, तकनीकी शिक्षा</b> |  |   |  |                               |  |               |   |   |              |
|  | फैशन टेक्नालॉजी  | फैशन टेक्नालॉजी की<br>स्थापना   |  | फैशन टेक्नालॉजी की<br>स्थापना |  |               |   |   |              |
| <b>5885</b>                                      | आई.आई.टी. इंदौर की स्थापना   |   | 458.00   |                               | 0.00   |               |   | 0.00  |              |
| <b>6215</b>                                      | शिक्षा, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय   |   | 162.00   |                               | 62.00  |               |   | 0.00  |              |
| <b>8274</b>                                      | इन्डों जर्मन प्रोजेक्ट के अन्तर्गत पोलिटेक्निक का उन्नयन   |   | 75.00  |                               | 50.00  |               |   | 75.00   |              |
| <b>8354</b>                                      | इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्फरमेशन टेक्नालॉजी एंड मेनेजमेंट ग्वालियर को अनुदान   |   | 100.00   |                               | 30.00  |               |   | 100.00  |              |
| <b>8808</b>                                      | सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य  |   | 25.00  |                               | 0.00   |               |   | 50.00   |              |
|  | संस्थाओं के अमले को<br>प्रशिक्षित किया जाना  | संस्थाओं के अमले को<br>प्रशिक्षित किया जाना   |  |                               |  |               |   |   |              |
| <b>8884</b>                                      | राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्व विद्यालय को अनुदान  |   | 45.00  |                               | 0.00   |               |   | 45.00   |              |
|  | आरजीपीव्ही की स्थाना के<br>समय एवं तकनीकी शिक्षा<br>मण्डल के आरजीपीव्ही में<br>हुए विलय के फलस्वरूप<br>हुए करार के अनुसार<br>अधिकारियों एवं कर्मचारियों<br>के वेतन भत्ते हेतु राशि<br>उपलब्ध कराई गई | आरजीपीव्ही की स्थाना के<br>समय एवं तकनीकी शिक्षा<br>मण्डल के आरजीपीव्ही में<br>हुए विलय के फलस्वरूप<br>हुए करार के अनुसार<br>अधिकारियों एवं<br>कर्मचारियों के वेतन भत्ते<br>हेतु राशि उपलब्ध कराई<br>गई |  |                               |  |               |   |   |              |
| <b>8885</b>                                      | स्वशासी तकनीकी संस्थाओं को सहायता  |   | 955.02   |                               | 358.00   | 51            |   | 840.00  |              |
|  | स्वशासी संस्थाओं को उनके<br>द्वारा नियुक्त कर्मचारियों का<br>वेतन की व्यवस्था  | स्वशासी संस्थाओं को<br>उनके द्वारा नियुक्त<br>कर्मचारियों का वेतन की<br>व्यवस्था  |  |                               |  |               |   |   |              |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित                              | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय   | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम                     | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |   | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|---|---|---|--|---|--|---------------|---|---|--------------|
|   |   |   | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य                                      | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |
| <b>विभाग - 42 जन शक्ति नियोजन विभाग</b>                 |   |   |  |   |  |               |   |   |              |
| <b>विभागाध्यक्ष - 4203 संचालक, तकनीकी शिक्षा</b>        |   |   |  |   |  |               |   |   |              |
| <b>9143</b>   | गैर सरकारी तकनीकी कालेज ओर संस्थाओं को सहायता                                 |   | 10.00  |   | 0.00   |               |   | 20.00   |              |
| <b>9236</b>   | एकलव्य पोलीटेकनिक संस्थाएं  |   |  |   |  |               |   |   |              |
|   | एकलव्य पोलीटेकनिक संस्थाएं  | एकलव्य पोलीटेकनिक संस्थाएं                        | 497.10   | एकलव्य पोलीटेकनिक संस्थाएं                        | 285.63   | 2             |   | 195.00  | 2            |
| <b>9237</b>   | अनुसूचित जाति /जनजाति उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण प्रोत्साहन योजना                 |   |  |   |  |               |   |   |              |
|   | अनुसूचित जाति /जनजाति उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण प्रो                             | अनुसूचित जाति /जनजाति उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण प्रो | 50.00  | अनुसूचित जाति /जनजाति उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण प्रो | 0.00   |               |   | 75.00   |              |
| <b>9238</b>   | डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर पोलीटेकनिक संस्थाएं                                     |   |  |   |  |               |   |   |              |
|   | डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर पोलीटेकनिक संस्थाएं                                     | डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर पोलीटेकनिक संस्थाएं         | 700.00   | डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर पोलीटेकनिक संस्थाएं         | 433.97   | 2             |   | 640.00  | 2            |
| <b>9978</b>   | इमारतों का पुनर्निर्माण   |   |  |   |  |               |   |   |              |
|   | पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के भवनों के अनुरक्षण कार्य                           |   | 45.00  |   | 37.07  |               |   | 45.00   |              |
| <b>विभागाध्यक्ष योग</b>                                 |   |   | <b>8,395.99</b>  |   | <b>1,768.53</b>  |               |   | <b>3,977.70</b>   |              |
| <b>विभागाध्यक्ष - 4206 संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण</b> |   |   |  |   |  |               |   |   |              |
| <b>5088</b>   | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का भवन निर्माण /उन्नयन                            |   | 73.20  |   | 0.00   |               |   | 0.00  |              |
| <b>5176</b>   | मिनी आई. टी. आई. की स्थापना   |   | 245.00   |   | 0.00   |               |   | 0.00  |              |
| <b>5228</b>   | कम्प्यूटर / अंग्रेजी प्रशिक्षण  |   | 80.00  |   | 0.00   |               |   | 0.00  |              |
| <b>6951</b>   | शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को उत्कृष्ट संस्थानों में विकसित किया जाना |   |  |   |  |               |   |   |              |



परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित                              | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय                     | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|---|---|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|   |   |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1   | 2   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |
| <b>विभाग - 42 जन शक्ति नियोजन विभाग</b>                 |   |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| <b>विभागाध्यक्ष - 4206 संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण</b> |   |                               |  |              |  |               |   |   |              |
|   |   |                               | 1,600.00   |              | 0.00   |               |   | 0.00  |              |
| <b>6952</b>   | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का भवन निर्माण              |                               | 80.00  |              | 0.00   |               |   | 0.00  |              |
| <b>717</b>  | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं                             |                               | 908.50   |              | 0.00   |               |   | 0.00  |              |
| <b>7850</b>   | ग्रामीण इंजीनियर योजना                                  |                               | 138.80   |              | 0.00   |               |   | 0.00  |              |
| <b>7851</b>   | युवाओं के लिये रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना |                               | 120.00   |              | 0.00   |               |   | 0.00  |              |
|   | <b>विभागाध्यक्ष योग</b>                                 |                               | <u>3,245.50</u>  |              | <u>0.00</u>  |               |   | <u>0.00</u>   |              |
|   | <b>विभाग</b>  |                               | 11,641.49  |              | 1,768.53   |               |   | 3,977.70  |              |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित   | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय   | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |  | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण           | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|--|---|-------------------------------|--|--------------|--|--|---|---|--------------|
|  |   |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि                          |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1  | 2   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7                                      | 8   | 9   | 10           |
| <b>विभाग - 45 विमानन विभाग</b>   |   |                               |  |              |  |  |   |   |              |
| <b>विभागाध्यक्ष - 4502 संचालक, विमानन</b>  |   |                               |  |              |  |  |   |   |              |
| <b>5348 एयरहोस्टेज एवं फ्लाईट स्टीवर्ड का प्रशिक्षण</b>  |   |                               |  |              |  |  |   |   |              |
| उड्डयन के क्षेत्र में<br>अनुसूचित जाति, अनुसूचित<br>जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग<br>के उम्मीदवारों को मानक<br>संस्था के माध्यम से एयर<br>होस्टेस एवं फ्लाईट स्टीवर्ड<br>का प्रशिक्षण दिया जाना । | अनुसूचित जाति, अनुसूचित<br>जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग<br>के उम्मीदवारों को रोजगार<br>के समुचित अवसर<br>उपलब्ध कराना । |                               | 90.38  | 90           | 0.00   | अभ्यर्थियों का चयन किया जा<br>चुका है। | माह मार्च, 2010 में राशि व्यय<br>की जायेगी।                 | 90.00   | 90           |
| <b>5527 हेलीकाप्टर का क्रय</b>   |   |                               |  |              |  |  |   |   |              |
| अतिविशिष्ट व्यक्तियों के<br>लिए नये हेलीकॉप्टर का<br>क्रय किया जाना ।  | अतिविशिष्ट व्यक्तियों के<br>लिए नये हेलीकॉप्टर का<br>क्रय किया जाना प्रस्तावित<br>है ।                            |                               | 110.00   | 01           | 0.00   | निरंक                                  | शासन स्तर पर निर्णय न होन<br>के कारण क्रय नहीं किया<br>गया। | 10.00   | 01           |
| <b>विभागाध्यक्ष योग</b>  |   |                               | 200.38   |              | 0.00   |  |   | 100.00  |              |
| <b>विभाग</b>   |   |                               | 200.38   |              | 0.00   |  |   | 100.00  |              |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 50 महिला एवं बाल विकास विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 5002 आयुक्त, महिला एवं बाल विकास**

**0658 एकीकृत बाल विकास सेवा योजना**

|  |  |        |  |        |  |        |
|--|--|--------|--|--------|--|--------|
| 453 बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से 78929 आंगनवाड़ी एवं 12070 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन | 453 बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से 78929 आंगनवाड़ी एवं 12070 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन किया गया। | 476.31 | 453 बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से 78929 आंगनवाड़ी एवं 12070 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन किया गया। | 264.08 | 453 बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से 78929 आंगनवाड़ी एवं 12070 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन किया गया। | 445.26 |
|--|--|--------|--|--------|--|--------|

**3457 महिला कल्याण कोष के अन्तर्गत योजनाएं**

|  |                             |       |  |       |                       |        |
|--|-----------------------------|-------|--|-------|-----------------------|--------|
| प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण एवं सर्वांगीण विकास के लिये कार्य करने तथा इस हेतु समय-समय पर आवश्यकतानुसार विशेष गतिविधियों के निर्धारण करके उनके लिये इस कोष से धनराशि उपलब्ध कराना। | 3 सामूहिक प्रशिक्षण सम्मेलन | 81.00 |  | 37.41 | 1 प्रशिक्षण 1 सम्मेलन | 260.00 |
|--|-----------------------------|-------|--|-------|-----------------------|--------|

**5033 वेश्या उन्मूलन योजना**

|  |  |       |  |       |               |       |                     |
|--|--|-------|--|-------|---------------|-------|---------------------|
| महिला यौनकर्मी के बच्चों को उक्त कुप्रथा से बचाने तथा उन्हें शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराने वाले संस्थाओं को अनुदान। | महिला यौनकर्मी के बच्चों के हित में कार्य करने वाली 14 अशासकीय संस्थाओं को अनुदान/1400 हितग्राही | 74.72 | महिला यौनकर्मी के बच्चों के हित में कार्य करने वाली 14 अशासकीय संस्थाओं को अनुदान/1400 हितग्राही | 37.07 | 700 हितग्राही | 91.40 | 18 / 1800 हितग्राही |
|--|--|-------|--|-------|---------------|-------|---------------------|

**5060 बाल भवन की स्थापना**

|  |   |        |                    |       |  |        |                    |
|--|---|--------|--------------------|-------|--|--------|--------------------|
| बच्चों के नैसर्गिक, कलात्मक रचनात्मक एवं सांस्कृतिक क्षमता का विकास। | प्रदेश के सभी संभाग स्तर पर नये बाल भवन खोलना/1200.00 | 174.00 | 6 / 1200 हितग्राही | 38.24 |  | 156.19 | 6 / 1200 हितग्राही |
|--|---|--------|--------------------|-------|--|--------|--------------------|

**5063 घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं को सुरक्षा एवं सहायता केन्द्र**

|                   |                     |        |                             |       |                          |        |                           |
|-------------------|---------------------|--------|-----------------------------|-------|--------------------------|--------|---------------------------|
| पीड़ित महिलाओं को | सभी 48 जिलों में 48 | 250.00 | भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं | 16.02 | 3379 शिकायतों के विरुद्ध | 309.98 | लक्ष्य निर्धारित नहीं है। |
|-------------------|---------------------|--------|-----------------------------|-------|--------------------------|--------|---------------------------|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 50 महिला एवं बाल विकास विभाग**  
**विभागाध्यक्ष - 5002 आयुक्त, महिला एवं बाल विकास**

सहायता एवं सलाह केन्द्र संचालित किये जायेंगे । है 1198 प्रकरण निराकृत किये गये

**5067 लाड़ली लक्ष्मी योजना**

राज्य में लिंगानुपात में सुधार, बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच, बालिकाओं का शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशीला रखना । प्रदेश की लगभग 419848 हितग्राहियों को योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है । 27,600.00 419848 हितग्राही 9,446.71 419848 हितग्राही 30,297.15 639848 हितग्राही

**5094 मंगल दिवस**

प्रदेश में संचालित 59324 आंगनबाड़ी केन्द्रों में हितग्राहियों की उपस्थिति बढ़ाने के लिये कमशः जन्म दिवस, अन्न प्राशन, गोदभराई एवं किशोरी योजना के तहत समारोह का आयोजन । प्रदेश में कुल 87.00 लाख हितग्राही जिनमें 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलायें, धात्री मातायें, किशोरी बालिकाएँ सम्मिलित है । 1,297.63 1667 आंगनबाड़ी 932.99 औसतन 7.00 लाख हितग्राही प्रतिमाह 1,912.65 18943 आंगनबाड़ी

**5360 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण**

प्रदेश में संचालित 367 बाल विकास परियोजनाओं के 59324 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से भवन विहिन आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण वर्षान्त तक कुल 1750 आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण 400.00 1750 आंगनबाड़ी भवन 33.60 14 आंगनबाड़ी भवन 1.00

**5548 प्रोजेक्ट शक्तिमान**

आदिवासी बाहुल्य ग्रामों एवं कुपोषण ग्रस्त बच्चों तथा महिलाओं में व्यक्त कुपोषण में तीव्र गति से कमी लाना । 20 जिलों के 39 विकासखण्डों जिनमें लगभग 1050 गाँवों के लगभग 60000 हितग्राहि शामिल है को लाभान्वित 247.42 भारत शासन द्वारा पोषण आहार की दर वृद्धि एवं मानदेय में वृद्धि होने से इस मद में राशि व्यय नहीं हुई । योजना के स्वरूप में 20.93 1,000.00

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित  | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय  | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |   | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |  |
|---|--|-------------------------------|--|--------------|--|---|---|---|--|
|   |  |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि                                   |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य   |
| 1   | 2  | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7   | 8   | 9   | 10   |
| <b>विभाग - 50 महिला एवं बाल विकास विभाग</b>   |  |                               |  |              |  |   |   |   |  |
| <b>विभागाध्यक्ष - 5002 आयुक्त, महिला एवं बाल विकास</b>  |  |                               |  |              |  |   |   |   |  |
| किया जायेगा।  |  |                               | संशोधन किया जा रहा है।   |              |  |   |   |   |  |
| <b>5608 महिला विश्रामालय का भवन निर्माण</b>   |  |                               |  |              |  |   |   |   |  |
| प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत कार्यरत महिला अधिकारी/कर्मचारीयों को ठहरने के लिये विश्राम भवन की सुविधा उपलब्ध कराना | विश्रामालय भवन का निर्माण जिससे प्रदेश में कार्यरत महिला अधिकारी, कर्मचारी आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराना | 100.40                        | 01 भवन   | 0.00         |  |   |   | 10.00   |  |
| <b>5643 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय</b>   |  |                               |  |              |  |   |   |   |  |
| प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को रुपये 1000/- प्रतिमाह एवं सहायिकाओं को प्रतिमाह रुपये 500/- के मान से अतिरिक्त मानदेय            | प्रदेश के कुल 78929 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय का प्रदाय  | 7,500.00                      | 157858 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय का प्रदाय           | 5,701.57     | 157858 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय का प्रदाय                   | पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिये प्रावधान उपलब्ध नहीं |   | 14,207.22   | 157858 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय का प्रदाय |
| <b>5827 बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन</b>  |  |                               |  |              |  |   |   |   |  |
|   |  |                               | 52.25  |              | 0.12   |   |   | 146.77  |  |
| <b>5871 म.प्र. महिला वित्त विकास निगम की अंशपूजी में धनवेष्टन</b>   |  |                               |  |              |  |   |   |   |  |
|   |  |                               | 100.00   |              | 100.00   |   |   | 200.00  |  |
| <b>6791 संचालनालय महिला बाल विकास का भवन निर्माण</b>  |  |                               |  |              |  |   |   |   |  |
| महिला एवं बाल विकास विभाग के मुख्यालय कार्यालय का भवन निर्माण   | भवन का निर्माण   | 90.00                         | 01 संचालनालय का भवन निर्माण भोपाल में  | 90.00        | 01 संचालनालय का भवन निर्माण भोपाल में प्रगती पर  |   |   | 150.00  | 01 संचालनालय का भवन निर्माण भोपाल में पूर्ण करना                       |
| <b>6847 महिला एवं बाल कल्याण हेतु विविध अनुदान</b>  |  |                               |  |              |  |   |   |   |  |
| स्वैच्छिक संस्थाओं को महिलाओं एवं बच्चों की कल्याणार्थ विभिन्न गतिविधि संचालित करने हेतु  | महिलाओं एवं बच्चों के हितार्थ कार्य करने वाली अशासकीय संस्थाओं को अनुदान दिया जा रहा है  | 193.86                        | 430 अशासकीय संस्थाएँ/8800 हितग्राही  | 40.93        | 1800 हितग्राही   |   |   | 209.70  | 450 / 9200 हितग्राही   |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित  | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय   | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10)    |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |  |
|---|---|-------------------------------|---|--------------|--|---------------|---|---|--|
|   |   |                               | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य                             |
| 1   | 2   | 3                             | 4   | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10                                       |
| <b>विभाग - 50 महिला एवं बाल विकास विभाग</b>   |   |                               |   |              |  |               |   |   |  |
| <b>विभागाध्यक्ष - 5002 आयुक्त, महिला एवं बाल विकास</b>  |   |                               |   |              |  |               |   |   |  |
| प्रोत्साहन   वर्षान्त तक 430 अशासकीय संस्थाओं से विभिन्न गतिविधियों के लिये अनुदान/8800 हितग्राही   |   |                               |   |              |  |               |   |   |  |
| <b>6955 बाल संजीवनी अभियान योजना</b>  |   |                               |   |              |  |               |   |   |  |
| 1. कुपोषण की पहचान<br>2. कुपोषित बच्चों की स्वास्थ्य जांच एवं देखभाल<br>3. विशेष कर ग्रेड-3 एवं<br>4. कुपोषित बच्चों की   | बाल संजीवनी अभियान का आयोजन कर बच्चों का वजन लेना तथा ग्रेड-3 एवं ग्रेड-4 के कुपोषित बच्चों का उपचार कर गंभीर कुपोषण कम करना  | 650.00                        | नवीन ग्रोथ स्टैंडर्ड के अनुसार बच्चों का लिये जाने के कारण योजना में व्यय नहीं हुआ। | 8.05         |  |               |   | 200.00  |  |
| <b>7098 राष्ट्रीय पूरक पोषण आहार मिशन</b>   |   |                               |   |              |  |               |   |   |  |
| प्रदेश में महिला एवं बच्चों में व्याप्त कुपोषण को दूर करने हेतु बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से छः माह से छः वर्ष तक के बच्चों गर्भवती महिलाओं धात्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराना     | सागर एवं दमोह जिले अन्तर्गत कुल 1.06 लाख हितग्राहियों को पोषण आहार का प्रतिदिन निरन्तर प्रदाय   | 648.00                        | भारत शासन से गेहूँ का कोटा विलम्ब से प्राप्त होने से कम व्यय हुआ।                   | 27.37        |  |               |   | 358.00  |  |
| <b>9050 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना</b>  |   |                               |   |              |  |               |   |   |  |
| प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों में व्याप्त कुपोषण का व्यय करने हेतु बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से छः माह से छः वर्ष तक के बच्चों गर्भवती महिलाओं धात्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराना। | लगभग 87.00 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। कुपोषण को प्रतिवर्ष 1 प्रतिशत बिन्दु से कम करना। कुपोषित बच्चों की संख्या में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की कमी करना। आदिवासी क्षेत्रों में 10000 गांवों में अतिकुपोषण को समाप्त करना | 64,735.81                     | लगभग 87.00 लाख हितग्राही (औसतन हितग्राही)   | 26,946.45    | लगभग 87.00 लाख हितग्राही (औसतन प्रतिदिन)   |               |   | 70,443.76   | लगभग 87.00 लाख हितग्राही (औसतन प्रतिदिन) |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 50 महिला एवं बाल विकास विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 5002 आयुक्त, महिला एवं बाल विकास**

**9130 एकीकृत बाल विकास सेवाओं का पर्यवेक्षण**

|  |  |        |  |        |  |          |
|--|--|--------|--|--------|--|----------|
| एक राज्य स्तरीय एवं 41 जिला स्तरीय आई.सी.डी.एस. सेल का क्रियान्वयन | एक राज्य स्तरीय एवं 41 जिला स्तरीय आई.सी.डी.एस. सेल का क्रियान्वयन | 797.05 | एक राज्य स्तरीय एवं 41 जिला स्तरीय आई.सी.डी.एस. सेल का क्रियान्वयन | 422.50 |  | 1,013.99 |
|--|--|--------|--|--------|--|----------|

**9131 एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत आंगन वाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण**

|  |  |        |   |        |        |   |
|--|--|--------|---|--------|--------|---|
| 1. आईसीडीएस योजना के क्रियान्वयन की गुणवत्ता में सुधार<br>2.आईसीडीएस मैदानी अमले की क्षमता का विकास<br>3.स्वास्थ्य विकास की योजना में सक्रिय सहयोग हेतु मैदानी अमले को प्रशिक्षण | 1. 10000 नवीन एकीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं परियाजनाओं के संपूर्ण मैदानी अमले के मूलभूत प्रशिक्षण । 2. पूर्व से संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों के गुणवत्ता सुधार हेतु शेष सम्पूर्ण अमले को प्रशिक्षण 3. जिन कर्मियों का पूर्ण में प्रशिक्षण हो चुका है उनको प्रत्यास्मरण | 492.98 | जिन नवीन जिलो/परियोजनाओं में भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है वहां की कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को मूलभूत प्रशिक्षण | 171.65 | 712.34 | जिन नवीन जिलो/परियोजनाओं में भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है वहां की कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को मूलभूत प्रशिक्षण जिन कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को प्रशिक्षण लिये 2 वर्षों में चुके हैं उन को प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण |
|--|--|--------|---|--------|--------|---|

**9223 तेजस्वनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण परियोजना**

|   |  |        |  |        |        |
|---|--|--------|--|--------|--------|
| स्वसहायता समूहों का गठन करना, उसका अपेक्स संगठन तैयार करना तथा महिलाओं की माईक्रो फाईनेन्स सेवाओं तक पहुंच बनाना तथा महिलाओं को बेहतर जीविका उपाजन के अवसर उपलब्ध कराना | प्रदेश के 6 जिलों के 2400 ग्रामों में 8 वर्ष में 12000 महिला स्वसहायकता समूहों का सुदृढीकरण करना जिससे 180000 महिलाओं को लाभान्वित किया जावेगा । प्रथम त्रैमास में 2000 समूह , द्वितीय त्रैमास में 3000 समूह, तृतीय त्रैमास में 3500 समूह एवं चतुर्थ त्रैमास में शेष 3500 समूह । | 920.00 |  | 920.00 | 943.00 |
|---|--|--------|--|--------|--------|

**9248 किशोरी शक्ति योजना**

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित   | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |  |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--|
|  |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य                               |
| 1  | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10   |
| <b>विभाग - 50 महिला एवं बाल विकास विभाग</b>  |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |  |
| <b>विभागाध्यक्ष - 5002 आयुक्त, महिला एवं बाल विकास</b>   |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |  |
| योजना के तहत प्रदेश के समस्त 453 बाल विकास परियोजना के माध्यम से योजनान्तर्गत चयनित किशोरी बालिकाओं को विकासखण्ड स्तर पर एक दिवसीय पंचायत स्तर पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण एक माह के अन्तर से उपलब्ध कराना । |                                     |                               | 498.30   |              | 276.35   |               |   | 498.30  | निरंक ( प्रस्तावित सबला योजना में समायोजन) |
| <b>9944 जागृति शिविर की स्थापना</b>  |                                     |                               |  |              |  |               |   |   |  |
| महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों तथा उनके हित में चलाई जा रही शासकीय योजनाओं की जानकारी देना  |                                     |                               | 712 जागृति शिविर / 69800 हितग्राही   | 73.22        | 712 जागृति शिविर / 69800 हितग्राही   | 32.78         | 34000 हितग्राही                                   | 212.59  | 350 शिविर / 4185850 हितग्राही              |
| <b>विभागाध्यक्ष योग</b>  |                                     |                               | 1,07,452.95  |              | 45,564.82  |               |   | 1,23,779.30   |  |
| <b>विभाग</b>   |                                     |                               | 1,07,452.95  |              | 45,564.82  |               |   | 1,23,779.30   |  |



परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित  | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय  | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम                         | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |                  | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |                | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण   | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |                |
|---|--|---|--|------------------|--|----------------|---|---|----------------|
|   |  |   | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य     | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि  |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य   |
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5                | 6  | 7              | 8   | 9   | 10             |
| <b>विभाग - 52 ग्रामोद्योग विभाग</b>   |  |   |  |                  |  |                |   |   |                |
| <b>विभागाध्यक्ष - 5202 आयुक्त, हाथ करघा, भोपाल</b>                          |  |   |  |                  |  |                |   |   |                |
| <b>1068 खादी बोर्ड के स्थापना व्यय हेतु अनुदान</b>                          |  |   |  |                  |  |                |   |   |                |
|   | अधिकारी / कर्मचारियों का वेतन  |   | 169.71   | वेतन मद          | 127.47   |                |   | 76.54   | वेतन मद        |
| <b>1069 खादी वस्त्र उत्पादन पर रिबेट</b>                                    |  |   |  |                  |  |                |   |   |                |
|   | हितग्राही / रोजगार   | सांख्यात्मक   | 17.00  | 100 बुनकर        | 0.00   | —              | विगत वर्षों की राशि शेष होने के कारण आलोच्य वर्ष में प्रावधानित राशि विमुक्त नहीं की गई । | 3.60  |                |
| <b>4748 हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम को विभिन्न योजनाओं हेतु अनुदान</b> |  |   |  |                  |  |                |   |   |                |
|   | नवीन रूपांकन/बाजार अध्ययन/जॉबवर्क संग्रहण/राज्य स्तरीय पुरस्कार/शिल्पी कल्याण योजना/विपणन सवर्धन |   | 216.49   | 9047 हितग्राही । | 177.97   | 7060 हितग्राही | वर्षान्त तक उपयोग कर लिया जावेगा ।  | 154.01  | 6485 हितग्राही |
| <b>4787 हाथकरघा संचालनालय के अधिनस्थ प्रशासनिक एवं सहायी अतिरिक्त अमला</b>  |  |   |  |                  |  |                |   |   |                |
|   | अधि./कर्म. के वेतन भत्ते   |   | 60.00  |                  | 45.59  |                |   | 75.00   |                |
| <b>5020 विकास केन्द्रों के संचालन हेतु हस्तशिल्प विकास निगम को अनुदान</b>   |  |   |  |                  |  |                |   |   |                |
|   | विकास केन्द्र  | विकासात्मक एवं प्रोत्साहनात्मक योजनाओं का क्रियान्वयन | 100.00   | निरंक            | 80.00  | निरंक          |   | 0.00  |                |
| <b>5034 हस्त शिल्पियों के प्रशिक्षण हेतु हस्त शिल्प निगम को अनुदान</b>      |  |   |  |                  |  |                |   |   |                |
|   | विभिन्न काफ्टो मे प्रशिक्षण  | रोजगार युवाओं को बुनियादी प्रशिक्षण / उन्नत प्रशिक्षण | 12.00  | 200 हितग्राही    | 10.00  | 200 हितग्राही  |   | 39.55   | 740 हितग्राही  |
| <b>5102 म.प्र. के खादी बोर्ड के कारीगरो को प्रशिक्षण</b>                    |  |   |  |                  |  |                |   |   |                |
|   | हितग्राही  | सांख्यात्मक   | 18.00  | 745 हितग्राही    | 18.00  | 675 हितग्राही  | —   | 22.28   | 1200 हितग्राही |
| <b>5638 हाथकरघा विकास योजना</b>   |  |   |  |                  |  |                |   |   |                |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित  | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |                                | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |                            | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |   |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|---|---|---|
|   |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य                   | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि              |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य                                  |
| 1   | 2                                   | 3                             | 4  | 5                              | 6  | 7                          | 8   | 9   | 10  |
| <b>विभाग - 52 ग्रामोद्योग विभाग</b>   |                                     |                               |  |                                |  |                            |   |   |   |
| <b>विभागाध्यक्ष - 5202 आयुक्त, हाथ करघा, भोपाल</b>  |                                     |                               |  |                                |  |                            |   |   |   |
| लाभान्वित<br>हितग्राही/समिति/समूह/<br>उद्यमी  |                                     | संख्यात्मक                    | 48.66  | 1229 हितग्राही                 | 17.58  | 440 हितग्राही              | वर्षान्त तक राशि का उपयोग<br>कर लिया जावेगा ।     | 71.83   | 1546 हितग्राही                                |
| <b>5639 कुटिर उद्योग विकास योजना</b>  |                                     |                               |  |                                |  |                            |   |   |   |
| लाभान्वित हितग्राही/<br>समिति/ समूह/उद्यमी  |                                     | संख्यात्मक                    | 227.15   | 3218 हितग्राही                 | 52.58  | 775 हितग्राही              | वर्षान्त तक व्यय कर लिया<br>जावेगा ।              | 276.02  | 3610 हितग्राही                                |
| <b>5698 एकीकृत हाथकरघा विकास योजना</b>  |                                     |                               |  |                                |  |                            |   |   |   |
| लाभान्वित समिति/समूह/<br>उद्यमी   |                                     | संख्यात्मक                    | 275.60   | 57 सहकारी संस्थाएं , 1<br>निगम | 10.32  | 1 निगम                     | वर्षान्त तक राशि का उपयोग<br>कर लिया जावेगा ।     | 460.00  | 13 प्रोजेक्ट, 48 सोसायटी,<br>1 निगम एवं 2 संघ |
| <b>5877 औद्योगिक अधोसंरचना उन्नयन योजनान्तर्गत चंदेरी परियोजना हेतु सहायता ( राज्यांश )</b> |                                     |                               |  |                                |  |                            |   |   |   |
| चन्देरी परियोजना  |                                     | संख्यात्मक                    | 250.00   | 1 चन्देरी क्लस्टर              | 0.00   |                            | वर्षान्त तक राशि का उपयोग<br>कर लिया जावेगा ।     | 0.00  |   |
| <b>6128 प्रचार एवं प्रसार</b>   |                                     |                               |  |                                |  |                            |   |   |   |
| आयोजन की संख्या   |                                     | संख्यात्मक ।                  | 14.00  | 50 प्रदर्शनी /शिविर            | 4.39   | 30 आयोजन                   | —   | 2.88  |   |
| <b>6192 खादी बोर्ड को अधोसंरचना विकास हेतु सहायता</b>                                       |                                     |                               |  |                                |  |                            |   |   |   |
| उत्पादन केन्द्र का उन्नयन   |                                     | संख्यात्मक                    | 60.00  | 4 केन्द्र                      | 18.00  | 1 केन्द्र                  | वर्षान्त तक उपयोग कर लिया<br>जावेगा ।             | 0.00  |   |
| <b>6193 खादी बोर्ड को विपणन हेतु सहायता</b>   |                                     |                               |  |                                |  |                            |   |   |   |
| हितग्राही ।   |                                     | संख्यात्मक ।                  | 29.50  | 275 हितग्राही                  | 29.50  | 587 हितग्राही              |   | 43.72   | 850 हितग्राही                                 |
| <b>6778 एकीकृत कलस्टर विकास कार्यक्रम योजना</b>   |                                     |                               |  |                                |  |                            |   |   |   |
| लाभान्वित हितग्राही<br>/समिति /समूह/उद्यमी  |                                     | संख्यात्मक                    | 151.00   | 815 हितग्राही                  | 73.00  | 2 निगम एवं 300 हितग्राही । | वर्षान्त तक राशि का उपयोग<br>कर लिया जावेगा ।     | 122.84  | 750 हितग्राही                                 |
| <b>6794 उद्यमियों /स्व सहायता समूहों एवं अशासकीय संस्थाओं को सहयोग</b>                      |                                     |                               |  |                                |  |                            |   |   |   |
| हितग्राही   |                                     | संख्यात्मक                    | 15.00  | 300 हितग्राही                  | 0.00   |                            | वर्षान्त तक उपयोग कर<br>लिया जावेगा ।             | 0.00  |   |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 52 ग्रामोद्योग विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 5202 आयुक्त, हाथ करघा, भोपाल**

**6897 म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को अनुसंधान एवं विकास हेतु सहायता**

|           |            |  |       |     |           |      |   |                                       |      |   |
|-----------|------------|--|-------|-----|-----------|------|---|---------------------------------------|------|---|
| हितग्राही | संख्यात्मक |  | 21.40 | 250 | हितग्राही | 0.00 | — | वर्षान्त तक उपयोग कर<br>लिया जावेगा । | 0.00 | — |
|-----------|------------|--|-------|-----|-----------|------|---|---------------------------------------|------|---|

**6922 विन्ध्य वैली - विशेष परियोजना**

|           |            |  |       |      |           |      |   |  |      |   |
|-----------|------------|--|-------|------|-----------|------|---|--|------|---|
| हितग्राही | संख्यात्मक |  | 75.00 | 1800 | हितग्राही | 0.00 | — | विगत वर्ष की राशि शेष होने<br>से आलौच्य वर्ष में प्रावधानित<br>राशि विमुक्त नहीं की गई । | 0.00 | — |
|-----------|------------|--|-------|------|-----------|------|---|--|------|---|

**8110 विकास सह संग्रहण केन्द्रों की स्थापना**

|               |  |  |        |  |       |      |  |  |        |       |
|---------------|--|--|--------|--|-------|------|--|--|--------|-------|
| विकास केन्द्र | विकासात्मक एवं<br>प्रोसाहनात्मक योजनाओं<br>क्रियान्वयन |  | 104.68 |  | निरंक | 0.00 |  |  | 244.64 | निरंक |
|---------------|--|--|--------|--|-------|------|--|--|--------|-------|

**8252 हाथकरघा आरक्षण अधिनियम 1985 को लागू करने हेतु कार्यालय की स्थापना**

|            |  |  |       |  |  |      |            |  |       |            |
|------------|--|--|-------|--|--|------|------------|--|-------|------------|
| वेतन भत्ते |  |  | 15.22 |  |  | 8.00 | वेतन भत्ते |  | 15.02 | वेतन भत्ते |
|------------|--|--|-------|--|--|------|------------|--|-------|------------|

**9062 हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम को स्थापना हेतु अनुदान**

|            |  |  |       |            |  |       |  |  |        |            |
|------------|--|--|-------|------------|--|-------|--|--|--------|------------|
| वेतन भत्ते |  |  | 99.15 | वेतन भत्ते |  | 75.00 |  |  | 111.20 | वेतन भत्ते |
|------------|--|--|-------|------------|--|-------|--|--|--------|------------|

**9201 प्रदर्शनी, प्रचार एवं प्रसार**

|   |              |  |       |              |  |       |              |  |       |                |
|---|--------------|--|-------|--------------|--|-------|--------------|--|-------|----------------|
| शिल्पियों को उत्पादन<br>विपणन के लिये बाजार<br>उपलब्ध कराना । | 11 प्रदर्शनी |  | 34.30 | 45 प्रदर्शनी |  | 33.82 | 27 प्रदर्शनी |  | 56.00 | 3000 हितग्राही |
|---|--------------|--|-------|--------------|--|-------|--------------|--|-------|----------------|

**9213 वेलफेयर स्कीम पैकेज**

|               |            |  |       |             |  |      |            |   |       |             |
|---------------|------------|--|-------|-------------|--|------|------------|---|-------|-------------|
| हाथकरघा बुनकर | संख्यात्मक |  | 17.72 | 25314 बुनकर |  | 3.14 | 4486 बुनकर | शेष माहों में राशि का उपयोग<br>कर लिया जावेगा । | 25.90 | 13547 बुनकर |
|---------------|------------|--|-------|-------------|--|------|------------|---|-------|-------------|

**9307 म. प्र. खादी बोर्ड को कच्चा माल की सुविधा हेतु सहायता**

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित                         | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय                                     | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |                    | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |                    | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |                    |
|--|---|-------------------------------|--|--------------------|--|--------------------|---|---|--------------------|
|  |   |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य       | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि      |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य       |
| 1  | 2   | 3                             | 4  | 5                  | 6  | 7                  | 8   | 9   | 10                 |
| <b>विभाग - 52 ग्रामोद्योग विभाग</b>                |   |                               |  |                    |  |                    |   |   |                    |
| <b>विभागाध्यक्ष - 5202 आयुक्त, हाथ करघा, भोपाल</b> |   |                               |  |                    |  |                    |   |   |                    |
| बुनकर / कत्तिन                                     | संख्यात्मक  |                               | 75.30  | 950 कत्तिन बुनकर । | 75.30  | 608 कत्तिन बुनकर । |   | 138.11  | 900 कत्तिन बुनकर । |
| <b>9310</b>  | <b>म. प्र. खादी बोर्ड को परिवार मूलक इकाईयों की स्थापना हेतु सहायता</b> |                               |  |                    |  |                    |   |   |                    |
| हितग्राही  | संख्यात्मक  |                               | 191.26   | 730 हितग्राही      | 191.26   | 349 हितग्राही      | वर्षान्त तक उपयोग कर लिया जावेगा ।                | 236.35  | 957 हितग्राही      |
| <b>9311</b>  | <b>म. प्र. खादी बोर्ड के कारीगरों को प्रशिक्षण</b>                      |                               |  |                    |  |                    |   |   |                    |
| हितग्राही  | संख्यात्मक  |                               | 15.00  | 600 हितग्राही      | 15.00  | 443 हितग्राही      |   | 17.74   | 800 हितग्राही      |
| <b>9535</b>  | <b>खादी ग्रामों उद्योग बोर्ड को कच्चा माल सहायता</b>                    |                               |  |                    |  |                    |   |   |                    |
| हितग्राही  | संख्यात्मक  |                               | 18.00  | 150 हितग्राही      | 18.00  | 130 हितग्राही      |   | 74.97   | 200 हितग्राही      |
| <b>9536</b>  | <b>खादी बोर्ड को परिवार मूलक इकाईयों की स्थापना हेतु सहायता</b>         |                               |  |                    |  |                    |   |   |                    |
| हितग्राही  | संख्यात्मक  |                               | 165.90   | 700 हितग्राही      | 55.30  | 282 हितग्राही      |   | 361.41  | 1435 हितग्राही     |
| <b>9881</b>  | <b>हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण अनुदान</b>                                |                               |  |                    |  |                    |   |   |                    |
| विभिन्न काफटो में प्रशिक्षण                        | विभिन्न काफटों में प्रशिक्षण  |                               | 32.22  | 600 हितग्राही      | 0.00   |                    |   | 0.00  |                    |
| <b>विभागाध्यक्ष योग</b>                            |   |                               | <b>2,529.26</b>  |                    | <b>1,139.22</b>  |                    |   | <b>2,629.61</b>   |                    |
| <b>विभागाध्यक्ष - 5203 आयुक्त, रेशम भोपाल</b>      |   |                               |  |                    |  |                    |   |   |                    |
| <b>2731</b>  | <b>प्रशिक्षण एवं अनुसंधान</b>   |                               |  |                    |  |                    |   |   |                    |
| 1.हितग्राही/कर्मचारी का क्षमता विकास               |   |                               | 255.69   | 1. 7350            | 160.45   | 1. 2500            |   | 276.43  | 1. 7350            |
| 2.फील्ड ट्रायल एकड में                             |   |                               |  | 2. 125             |  | 2. 73              |   |   | 2. 140             |
| 3.उन्नत प्रजाति का स्वस्थ समूह कय (लाख में)        |   |                               |  | 3. 17.00           |  | 3. 6.67            |   |   | 3. 28.57           |
| <b>3777</b>  | <b>रेशम उद्योग का विकास कार्य</b>                                       |                               |  |                    |  |                    |   |   |                    |
| 1.मलबरी ककून उत्पादन कि.ग्रा.में                   |   |                               | 1,067.49   | 1. 7.52            | 741.45   | 1. 2.82            |   | 1,157.24  | 1. 7.86            |
|  |   |                               |  | 2. 10000           |  | 2. 5307            |   |   | 2. 10000           |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित  | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय                                     | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |                    | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |                       | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण  | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |                    |
|---|---|-------------------------------|--|--------------------|--|-----------------------|--|---|--------------------|
|   |   |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य       | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि         |  | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य       |
| 1   | 2   | 3                             | 4  | 5                  | 6  | 7                     | 8  | 9   | 10                 |
| <b>विभाग - 52 ग्रामोद्योग विभाग</b>   |   |                               |  |                    |  |                       |  |   |                    |
| <b>विभागाध्यक्ष - 5203 आयुक्त, रेशम भोपाल</b>   |   |                               |  |                    |  |                       |  |   |                    |
|   | 2.लाभान्वित हितग्राही संख्या<br>3.निजी क्षेत्र में पौधारोपण<br>एकड़ में |                               |  | 3. 900             |  | 3. 594                |  |   | 3. 747             |
| <b>5146 टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम</b>  |   |                               |  |                    |  |                       |  |   |                    |
|   | 1.टसर ककून उत्पादन<br>लाख संख्या में<br>2.लाभान्वित हितग्राही संख्या    |                               | 645.00   | 1. 500<br>2. 19000 | 426.72   | 1. 558.65<br>2. 18319 |  | 742.83  | 1. 600<br>2. 18000 |
| <b>5850 मलबरी स्वावलंबन योजना के अन्तर्गत हितग्राहियों को रिवाल्विंग फण्ड के रूप में अनुदान</b> |   |                               |  |                    |  |                       |  |   |                    |
|   |   |                               | 41.67  |                    | 41.67  |                       |  | 41.16   |                    |
| <b>6328 उद्येरण विकास कार्यक्रम</b>   |   |                               |  |                    |  |                       |  |   |                    |
|   |   |                               | 600.00   |                    | 195.03   |                       | केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा लक्ष्यो<br>में कमी तथा परिणामस्वरूप<br>केन्द्रांश कम प्राप्त होने से | 287.77  |                    |
| <b>6336 रेशम केन्द्रों पर सिंचाई सुविधाएं एवं अन्य निर्माण कार्य</b>                            |   |                               |  |                    |  |                       |  |   |                    |
|   |   |                               | 185.56   |                    | 160.25   |                       |  | 218.27  |                    |
| <b>6778 एकीकृत कलस्टर विकास कार्यक्रम योजना</b>   |   |                               |  |                    |  |                       |  |   |                    |
|   | लाभान्वित हितग्राही संख्या  |                               | 167.00   | 1500               | 165.00   | 902                   |  | 570.49  | 1500               |
| <b>6779 प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण</b>  |   |                               |  |                    |  |                       |  |   |                    |
|   |   |                               | 50.00  |                    | 6.00   |                       |  | 10.00   |                    |
| <b>6794 उद्यमियों /स्व सहायता समूहों एवं अशासकीय संस्थाओं को सहयोग</b>                          |   |                               |  |                    |  |                       |  |   |                    |
|   | लाभान्वित हितग्राही   |                               | 93.00  | 655                | 90.36  | 650                   |  | 91.40   | 650                |
| <b>6795 स्पेशल प्रोजेक्ट स्कीम</b>  |   |                               |  |                    |  |                       |  |   |                    |
|   |   |                               | 19.74  |                    | 0.00   |                       |  | 4.00  |                    |
| <b>6875 इपी रेशम विकास एवं विस्तार</b>  |   |                               |  |                    |  |                       |  |   |                    |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित                    | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय    | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|---|--|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|   |  |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1   | 2                                      | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |
| <b>विभाग - 52 ग्रामोद्योग विभाग</b>           |  |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| <b>विभागाध्यक्ष - 5203 आयुक्त, रेशम भोपाल</b> |  |                               |  |              |  |               |   |   |              |
|   | 1.अरण्डी पौधारोण एकड में               |                               | 63.63  | 1. 400       | 60.15  | 1. 400        |   | 47.91   | 1.425        |
|   | 2.लाभान्वित हितग्राही संख्या           |                               |  | 2. 400       |  | 2. 273        |   |   | 2.425        |
| <b>8808</b>                                   | <b>सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य</b> |                               |  |              |  |               |   |   |              |
|   |  |                               | 50.00  |              | 7.30   |               |   | 25.00   |              |
|   | <b>विभागाध्यक्ष योग</b>                |                               | <u>3,238.78</u>  |              | <u>2,054.38</u>  |               |   | <u>3,472.50</u>   |              |
|   | <b>विभाग</b>                           |                               | 5,768.04   |              | 3,193.60   |               |   | 6,102.11  |              |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित   | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम                                 | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |                  | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |                   | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण                             | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |                                 |
|--|-------------------------------------|---|--|------------------|--|-------------------|---|---|---------------------------------|
|  |                                     |   | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य     | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि     |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य                    |
| 1  | 2                                   | 3   | 4  | 5                | 6  | 7                 | 8   | 9   | 10                              |
| <b>विभाग - 53 चिकित्सा शिक्षा विभाग</b>  |                                     |   |  |                  |  |                   |   |   |                                 |
| <b>विभागाध्यक्ष - 5302 संचालक चिकित्सा शिक्षा</b>  |                                     |   |  |                  |  |                   |   |   |                                 |
| <b>1353 चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय</b>   |                                     |   |  |                  |  |                   |   |   |                                 |
| एम.सी.आई. की आपत्ति<br>अनुसार उपकरणों का क्रय।   | -                                   |   | 200.00   | -                | 51.86  | उपकरणों का क्रय।  |   | 50.00   | उपकरणों का क्रय किया<br>जाना।   |
| <b>4220 शिक्षा - चिकित्सा महाविद्यालय</b>  |                                     |   |  |                  |  |                   |   |   |                                 |
| एम.सी.आई. की आपत्ति के<br>तहत छात्रावासों का<br>निर्माण।   |                                     | निर्माण कार्य प्रारंभ है। 60<br>प्रतिशत पूर्ण।                | 1,263.59   | 60 प्रतिशत पूर्ण | 244.00   | 30 प्रतिशत पूर्ण। |   | 1,004.00  | 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण<br>करना। |
| <b>4968 चिकित्सा महाविद्यालय</b>   |                                     |   |  |                  |  |                   |   |   |                                 |
| चिकित्सा महाविद्यालयों में<br>अध्ययनरत् अनुसूचित<br>जनजाति के छात्रों को<br>छात्रवृत्ति प्रदान करना। |                                     | अनुसूचित जनजाति के<br>छात्रों को छात्रवृत्ति दी<br>जा रही है। | 350.00   | 179 छात्र।       | 246.07   | 217 छात्र।        | -   | 410.00  | 180 छात्र।                      |
| चिकित्सा महाविद्यालयों में<br>अध्ययनरत् छात्रों को<br>छात्रवृत्ति।                                   |                                     | छात्रवृत्ति दी जा रही है।                                     | 246.13   | 214 छात्र।       | 208.56   | 193 छात्र।        | -   | 350.00  | 215 छात्र।                      |
| <b>5627 निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां एवं वृत्तियां</b>                                     |                                     |   |  |                  |  |                   |   |   |                                 |
|  |                                     |   | 20.09  |                  | 0.00   |                   |   | 0.00  |                                 |
| <b>5674 निर्धन वर्ग के लिए विक्रमादित्य निशुल्क शिक्षा योजना</b>                                     |                                     |   |  |                  |  |                   |   |   |                                 |
|  |                                     |   | 10.00  |                  | 0.00   |                   |   | 0.00  |                                 |
| <b>5790 चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर कार्डियोलॉजी विभाग की स्थापना</b>                              |                                     |   |  |                  |  |                   |   |   |                                 |
| मेडिसिन विभाग से<br>कार्डियोलॉजी विभाग को<br>पृथक करना।  |                                     | शासन आदेश जारी।   | 472.78   | उपकरणों का क्रय। | 0.00   | -                 | निर्माण कार्य प्रक्रिया प्रारंभ।<br>उपकरण क्रय की कार्यवाही<br>प्रचलन में है। | 20.20   | उपकरणों का क्रय किया<br>जाना।   |
| <b>5793 चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में न्यूरोसर्जरी विभाग का उन्नयन</b>                           |                                     |   |  |                  |  |                   |   |   |                                 |
| सर्जरी विभाग से न्यूरोसर्जरी<br>विभाग को पृथक करना।  |                                     | शासन आदेश जारी।   | 50.00  | उपकरणों का क्रय। | 0.00   | -                 | -   | 70.90   | उपकरणों का क्रय किया<br>जाना।   |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित   | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय                           | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |                                      | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |                        | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |   |
|--|---|-------------------------------|--|--------------------------------------|--|------------------------|---|---|---|
|  |   |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य                         | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि          |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य  |
| 1  | 2   | 3                             | 4  | 5                                    | 6  | 7                      | 8   | 9   | 10  |
| <b>विभाग - 53 चिकित्सा शिक्षा विभाग</b>  |   |                               |  |                                      |  |                        |   |   |   |
| <b>विभागाध्यक्ष - 5302 संचालक चिकित्सा शिक्षा</b>  |   |                               |  |                                      |  |                        |   |   |   |
| <b>5799 चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में कार्डियोलॉजी विभाग की स्थापना</b>                                       |   |                               |  |                                      |  |                        |   |   |   |
| मेडिसिन विभाग से<br>कार्डियोलॉजी विभाग को<br>पृथक करना।  | शासन आदेश जारी।   |                               | 203.95   | उपकरणों का क्रय                      | 0.00   | —                      | उपकरणों के क्रय की प्रक्रिया<br>जारी है।          | 36.33   | उपकरणों का क्रय किया<br>जाना।   |
| <b>5800 चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में उदर रोग विभाग की स्थापना</b>  |   |                               |  |                                      |  |                        |   |   |   |
| मेडिसिन विभाग से उदररोग<br>विभाग को पृथक करना।   | शासन आदेश जारी।   |                               | 30.00  | उपकरणों का क्रय।                     | 0.00   | —                      | उपकरण क्रय प्रक्रिया जारी है।                     | 169.10  | उपकरण क्रय किया<br>जाना।  |
| <b>5891 ग्रीन कार्ड धारी योजना</b>   |   |                               |  |                                      |  |                        |   |   |   |
| ग्रीन कार्ड धारियों की<br>संतानों को शिक्षण शुल्क से<br>छूट।   | बजट प्रावधान करा लिया<br>गया है।                              |                               | 150.00   | 35 छात्र।                            | 0.00   | —                      | —   | 96.47   | 50 छात्र।   |
| <b>5901</b>  |   |                               |  |                                      |  |                        |   |   |   |
| क्षतिग्रस्त सीवेज लाईन का<br>पुनर्निर्माण।   | निर्माण कार्य प्रारंभ।  |                               | 20.00  | सीवेज लाईन का निर्माण।               | 0.00   | निर्माण कार्य प्रारंभ। | —   | 95.00   | वर्ष 2010-11 में कार्य पूर्ण<br>करना।                                 |
| <b>6974 सागर चिकित्सा महाविद्यालय</b>  |   |                               |  |                                      |  |                        |   |   |   |
| सागर चिकित्सा<br>महाविद्यालय का निर्माण<br>कार्य प्रारंभ कराना एवं<br>एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम<br>प्रारंभ कराना। | 100 सीट्स पर प्रवेश<br>दिया जाना।                             |                               | 120.00   | 100 सीट्स पर प्रवेश।                 | 219.23   | 100 सीट्स।             | —   | 0.00  | योजना वर्ष 2010-11 में<br>मांग संख्या-64 में प्रावधान<br>किया गया है। |
| सागर में एम.बी.बी.एस.<br>पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु<br>चिकित्सा महाविद्यालय की<br>स्थापना करना।               | निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।                                  |                               | 300.00   | उपकरणों का क्रय एवं<br>निर्माण कार्य | 0.00   | —                      | —   | 2,696.17  | उपकरणों का क्रय एवं<br>निर्माण कार्य                                  |
| <b>6988 चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालयों में आकस्मिक चिकित्सा सेवाओं का उन्नयन-ट्रामा यूनिट</b>     |   |                               |  |                                      |  |                        |   |   |   |
| सड़क दुर्घटना में घायल<br>गंभीर रोगियों को आधुनिक<br>ईलाज की सुविधा।   | चिकित्सा महाविद्यालय<br>भोपाल में ट्रामा यूनिट<br>संचालित है। |                               | 50.00  | उपकरणों का क्रय।                     | 0.00   | —                      | उपकरणों के क्रय की प्रक्रिया<br>प्रचलन में है।    | 150.00  | उपकरणों का क्रय।  |
| <b>विभागाध्यक्ष योग</b>  |   |                               | 3,486.54   |                                      | 969.72   |                        |   | 5,148.17  |   |



परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |
| <b>विभाग</b>               |                                     |                               | 3,486.54   |              | 969.72   |               |   | 5,148.17  |              |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 54 पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 5401 सचिव म. प्र. शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण विभाग**

**2676 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां**

|  |  |          |                  |        |                 |   |          |                  |
|--|--|----------|------------------|--------|-----------------|---|----------|------------------|
| अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। | वित्तीय वर्ष 2009-10 में 2964 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति स्वीकृत करने हेतु केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना अंतर्गत भारत सरकार को प्रस्ताव भेजकर स्वीकृति प्राप्त की गई। | 1,300.00 | 16170 विद्यार्थी | 101.32 | 2960 विद्यार्थी | विद्यार्थियों से आवेदन कम प्राप्त होना। | 1,291.50 | 16170 विद्यार्थी |
|--|--|----------|------------------|--------|-----------------|---|----------|------------------|

**5557 मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना**

|   |  |        |                 |        |                |   |        |                |
|---|--|--------|-----------------|--------|----------------|---|--------|----------------|
| भारत सरकार की केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम में शैक्षणिक उत्थान हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। | वित्तीय वर्ष 2009-10 में 615 विद्यार्थी लाभाविप्त। | 380.29 | 1200 विद्यार्थी | 114.72 | 496 विद्यार्थी | विद्यार्थियों से आवेदन कम प्राप्त होना। | 350.00 | 462 विद्यार्थी |
|---|--|--------|-----------------|--------|----------------|---|--------|----------------|

**5617 अल्प संख्यक बाहुल्य जिलों में विकास कार्यक्रम**

|  |  |        |                     |      |   |  |        |                     |
|--|--|--------|---------------------|------|---|--|--------|---------------------|
| भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा चिन्हांकित भोपाल जिले में अल्पसंख्यक वर्ग की जनसंख्या 25 प्रतिशत या 5.00 लाख से अधिक हो, के अधोसंरचना विकास हेतु। | भोपाल जिले के विकास हेतु परियोजना के लिए उच्च स्तरीय समिति के समक्ष परियोजना प्रस्ताव रखा गया है। अनुमोदन पश्चात् भारत सरकार को भेजा जावेगा। | 300.00 | भोपाल जिले का विकास | 0.00 | — | भोपाल जिले के विकास हेतु परियोजना के लिए उच्च स्तरीय समिति के समक्ष परियोजना प्रस्ताव रखा गया है। अनुमोदन पश्चात् भारत सरकार को भेजा जावेगा। | 700.00 | भोपाल जिले का विकास |
|--|--|--------|---------------------|------|---|--|--------|---------------------|

**5619 म.प्र. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम का सुदृढ़ीकरण**

|  |  |       |  |      |   |   |       |                        |
|--|--|-------|--|------|---|---|-------|------------------------|
| मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम को सुदृढ़ करने हेतु भारत सरकार के राष्ट्रीय | वित्तीय वर्ष 2009-10 में कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई। | 40.00 | हितग्राहीमूलक योजना न होने से लक्ष्य निर्धारित नहीं। | 0.00 | — | — | 40.00 | लक्ष्य निर्धारित नहीं। |
|--|--|-------|--|------|---|---|-------|------------------------|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेश | निर्धारित प्रदेश<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेश के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेश के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 54 पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 5401 सचिव म. प्र. शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण विभाग**

अल्पसंख्यक निगम से  
आर्थिक सहायता प्राप्त  
होना।

**6175 राज्य छात्रवृत्तियां**

|   |  |          |                  |        |                  |  |          |                  |
|---|--|----------|------------------|--------|------------------|--|----------|------------------|
| भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के निर्धन परिवार के कक्षा 1लीं से 10वीं तक के विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। | वित्तीय वर्ष 2009-10 में 10870 विद्यार्थियों को भारत सरकार द्वारा यह छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है। | 1,365.00 | 50820 विद्यार्थी | 135.83 | 10870 विद्यार्थी | विद्यार्थियों से आवेदन पत्र कम प्राप्त होना। | 1,539.88 | 50820 विद्यार्थी |
|---|--|----------|------------------|--------|------------------|--|----------|------------------|

**8808 सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य**

|   |   |       |  |      |   |   |       |                        |
|---|---|-------|--|------|---|---|-------|------------------------|
| भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक की विभिन्न योजनाओं के संचालन हेतु आई.टी. प्रकोष्ठ का गठन। | आई.टी. प्रकोष्ठ के गठन के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। | 10.00 | हितग्राहीमूलक योजना न होने से लक्ष्य निर्धारित नहीं। | 0.00 | — | — | 10.00 | लक्ष्य निर्धारित नहीं। |
|---|---|-------|--|------|---|---|-------|------------------------|

**विभागाध्यक्ष योग**

3,395.29

351.87

3,931.38

**विभागाध्यक्ष - 5403 संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण**

**0496 आश्रम और छात्रावास**

|  |   |        |                     |       |                             |   |        |                               |
|--|---|--------|---------------------|-------|-----------------------------|---|--------|-------------------------------|
| पोस्टमैट्रिक कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए 8 संभागीय मुख्यालयों पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 100 सीटर छात्रावासों का संचालन। | प्रदेश के 7 संभागीय मुख्यालयों में छात्रावास संचालित। | 115.00 | 8 संभागीय छात्रावास | 16.21 | 7 संभागीय छात्रावास संचालित | मुरैना संभाग का छात्रावास भवन पूर्ण न होने के कारण। | 101.63 | 8 संभागीय छात्रावास का संचालन |
|--|---|--------|---------------------|-------|-----------------------------|---|--------|-------------------------------|

**1385 छात्र गृह योजना**

|  |       |       |             |      |   |  |       |              |
|--|-------|-------|-------------|------|---|--|-------|--------------|
| पोस्टमैट्रिक कक्षाओं में अध्ययनरत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को आवासीय | निरंक | 50.00 | 96 छात्रगृह | 0.00 | 0 | किसी भी जिले द्वारा राशि की मांग न किए जाने के कारण। | 25.00 | 100 छात्रगृह |
|--|-------|-------|-------------|------|---|--|-------|--------------|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 54 पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 5403 संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण**

सुविधा उपलब्ध कराना।

**2676 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां**

|   |   |           |                     |           |                     |       |           |                     |
|---|---|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-------|-----------|---------------------|
| पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को शैक्षणिक उत्थान हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। | प्रदेश के कक्षा 11वीं से लेकर महाविद्यालयीन स्तर तक अध्ययनरत 4.25 लाख विद्यार्थियों को लाभांवित किया जा रहा है। | 14,449.50 | 4.25 लाख विद्यार्थी | 10,312.50 | 4.25 लाख विद्यार्थी | निरंक | 16,229.91 | 4.50 लाख विद्यार्थी |
|---|---|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-------|-----------|---------------------|

**5180 बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण**

|  |  |        |   |      |   |                                 |        |               |
|--|--|--------|---|------|---|---------------------------------|--------|---------------|
| पिछड़े वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना। | पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2009-10 में नोडल एजेन्सी मेपसेड के साथ-साथ म0प्र0 पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से 500 हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिलाया जावेगा। | 300.00 | — | 0.00 | — | नोडल एजेन्सी बदले जाने के कारण। | 300.00 | 500 हितग्राही |
|--|--|--------|---|------|---|---------------------------------|--------|---------------|

**5181 उच्च शिक्षा के लिये विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति**

|   |  |       |              |       |              |   |        |              |
|---|--|-------|--------------|-------|--------------|---|--------|--------------|
| पिछड़े वर्ग के उच्च शिक्षा के लिए विदेश में अध्ययन करने हेतु प्रदेश के 5 विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। | वित्तीय वर्ष 2009-10 में 6 विद्यार्थियों को राशि स्वीकृत की गई है। | 75.00 | 5 विद्यार्थी | 55.45 | 6 विद्यार्थी | — | 150.00 | 5 विद्यार्थी |
|---|--|-------|--------------|-------|--------------|---|--------|--------------|

**5282 पी.एम.टी./पी.ए.टी./ पी.ई.टी.( सेल्फ स्कोरर एवं व्याख्याताओं के मानदेय भुगतान )**

|   |   |        |                       |       |           |   |        |                       |
|---|---|--------|-----------------------|-------|-----------|---|--------|-----------------------|
| तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए | वित्तीय वर्ष 2009-10 में नोडल एजेन्सी एमपीकॉन | 100.00 | 480 पीईटी, 480 पीएमटी | 73.92 | 503 पीईटी | — | 100.00 | 480 पीईटी, 480 पीएमटी |
|---|---|--------|-----------------------|-------|-----------|---|--------|-----------------------|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित  | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम  | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |   | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |   | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |   |
|---|-------------------------------------|--|--|---|--|---|---|---|---|
|   |                                     |  | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य  | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि   |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य  |
| 1   | 2                                   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   | 8   | 9   | 10  |
| <b>विभाग - 54 पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग</b>  |                                     |  |  |   |  |   |   |   |   |
| <b>विभागाध्यक्ष - 5403 संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण</b>   |                                     |  |  |   |  |   |   |   |   |
| परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करना।  |                                     | के माध्यम से पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। |  |   |  |   |   |   |   |
| <b>5296 मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम</b>  |                                     |  |  |   |  |   |   |   |   |
| अंशपूजी   |                                     | वित्तीय वर्ष 2008-09 में रूपये 50.00 लाख निगम को अंशपूजी प्रदाय।         | 50.00  | अंशपूजी   | 50.00  | अंशपूजी   | —   | 50.00   | अंशपूजी   |
| <b>5511 छात्रवृत्ति फर्मों का मुद्रण</b>  |                                     |  |  |   |  |   |   |   |   |
| पिछड़ा वर्ग राज्य छात्रवृत्ति पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति फार्मों का प्रदाय।   |                                     | हितग्राही मूलक योजना नहीं होने से केवल छात्रवृत्ति फार्मों का मुद्रण।    | 10.00  | लक्ष्य निर्धारित नहीं।                                | 0.00   | छात्रवृत्ति फार्मों का मुद्रण कार्य कराया गया है, किन्तु भुगतान हेतु देयक अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। | —   | 100.00  | लक्ष्य निर्धारित नहीं।                                |
| <b>5512 जिला स्तरीय बालक छात्रावासों का का भवन निर्माण</b>  |                                     |  |  |   |  |   |   |   |   |
| प्रदेश के 5 जिलों में 50 सीटर बालक पोस्टमैट्रिक छात्रावास भवन निर्माण।  |                                     | 5 जिलों में भवन निर्माण कार्य प्रारंभ।                                   | 400.00   | 5 भवन निर्माण   | 400.00   | 5 भवन निर्माण   | —   | 1,000.00  | 5 भवन निर्माण   |
| <b>5515 विभागीय कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार</b>  |                                     |  |  |   |  |   |   |   |   |
| हितग्राही मूलक योजना न होने से कोई मापनीय प्रदेय नहीं।  |                                     | —  | 20.00  | हितग्राही मूलक योजना न होने से लक्ष्य निर्धारित नहीं। | 0.00   | —   | —   | 15.00   | हितग्राही मूलक योजना न होने से लक्ष्य निर्धारित नहीं। |
| <b>5516 पिछड़ा वर्ग समुदायों का अनुसंधान एवं मूल्यांकन</b>  |                                     |  |  |   |  |   |   |   |   |
| पिछड़े वर्ग की सूचियों में शामिल पिछड़े वर्ग की जाति/उपजाति को सम्मिलित/विलोपित करने हेतु अनुसंधान एवं मूल्यांकन। |                                     | वित्तीय वर्ष 2009-10 में कोई भी अनुसंधान/मूल्यांकन कार्य नहीं कराया गया। | 20.00  | लक्ष्य निर्धारित नहीं।                                | 0.00   | —   | —   | 0.01  | लक्ष्य निर्धारित नहीं।                                |
| <b>5756 मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना</b>   |                                     |  |  |   |  |   |   |   |   |
| प्रदेश में पिछड़े वर्ग के   |                                     | योजना अंतर्गत 2 वर्ष तक  | 500.00   | 500 हितग्राही   | 0.00   | —   | —   | 600.00  | 500 हितग्राही   |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 54 पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 5403 संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण**

व्यक्तियों को रोजगार के रूप में कृषि, उद्योग व्यवसाय स्थापित करने हेतु बैंक के माध्यम से ऋण व अनुदान उपलब्ध कराना।  
कोई पूंजी अनुदान एवं ब्याज अनुदान दिए जाने का प्रावधान न होने के कारण वर्ष 2008-09 में कोई हितग्राही लाभान्वित नहीं।

**6175 राज्य छात्रवृत्तियां**

|   |  |          |                      |          |                      |   |          |                      |
|---|--|----------|----------------------|----------|----------------------|---|----------|----------------------|
| पिछड़े वर्ग के कक्षा 6वीं से 10वीं तक के विद्यार्थियों को शैक्षणिक उत्थान हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। | वित्तीय वर्ष 2009-10 में 16.00 लाख विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जानी थी, जबकि 17.65 लाख विद्यार्थी लाभान्वित। | 6,100.00 | 16.00 लाख विद्यार्थी | 5,406.94 | 17.65 लाख विद्यार्थी | — | 5,050.00 | 17.00 लाख विद्यार्थी |
|---|--|----------|----------------------|----------|----------------------|---|----------|----------------------|

**6889 जिला स्तरीय कन्या छात्रावास भवनों का निर्माण**

|   |  |        |                |        |                |   |        |  |
|---|--|--------|----------------|--------|----------------|---|--------|--|
| पिछड़े वर्ग की कन्याओं को जिला स्तर पर आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाना। | 16 जिलों में 50 सीटर पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावास भवन निर्माण कार्य प्रारंभ। | 200.00 | 16 भवन निर्माण | 182.03 | 16 भवन निर्माण | — | 160.00 | छात्रावास भवनों का अतिरिक्त निर्माण कार्य। |
|---|--|--------|----------------|--------|----------------|---|--------|--|

**6890 जिला स्तरीय कन्या छात्रावास की स्थापना**

|  |              |        |              |       |              |   |        |                        |
|--|--------------|--------|--------------|-------|--------------|---|--------|------------------------|
| जिला स्तरीय कन्या छात्रावासों का संचालन। | स्थापना व्यय | 404.00 | स्थापना व्यय | 75.99 | स्थापना व्यय | — | 307.10 | छात्रावास संचालन व्यय। |
|--|--------------|--------|--------------|-------|--------------|---|--------|------------------------|

**7059 विद्यार्थी कल्याण योजना / आर्थिक सहायता अनुदान**

|   |   |       |                 |      |                |   |       |                        |
|---|---|-------|-----------------|------|----------------|---|-------|------------------------|
| पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को आपातकालीन स्थितियों में जैसे-बीमारी इत्यादि के इलाज हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। | — | 10.00 | निर्धारित नहीं। | 0.70 | 150 विद्यार्थी | — | 14.00 | लक्ष्य निर्धारित नहीं। |
|---|---|-------|-----------------|------|----------------|---|-------|------------------------|

**7065 संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग से परीक्षा**

|   |  |       |                       |       |              |   |       |                        |
|---|--|-------|-----------------------|-------|--------------|---|-------|------------------------|
| संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन | वित्तीय वर्ष 2009-10 में 200 विद्यार्थियों को राशि रुपये 40.45 लाख व्यय। | 50.00 | लक्ष्य निर्धारित नहीं | 40.45 | 200 अभ्यर्थी | — | 60.00 | लक्ष्य निर्धारित नहीं। |
|---|--|-------|-----------------------|-------|--------------|---|-------|------------------------|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित  | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय  | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |   | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|---|--|-------------------------------|--|--------------|--|---|---|---|--------------|
|   |  |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि   |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1   | 2  | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7   | 8   | 9   | 10           |
| <b>विभाग - 54 पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग</b>                |  |                               |  |              |  |   |   |   |              |
| <b>विभागाध्यक्ष - 5403 संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण</b>                     |  |                               |  |              |  |   |   |   |              |
| राशि का प्रदाय।   |  |                               |  |              |  |   |   |   |              |
| <b>8707 छात्रावास भवनों का निर्माण</b>                                    |  |                               |  |              |  |   |   |   |              |
| संभाग स्तर पर पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना। | नवगठित संभाग शहडोल में 100 सीटर पोस्टमैट्रिक बालक छात्रावास भवन निर्माण की स्वीकृति विचाराधीन। | 200.00                        | 1 भवन निर्माण  | 0.00         | —  | केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत भारत सरकार के हिस्से की राशि रुपये 100.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त न होना। | 160.00  | भवनों का अतिरिक्त निर्माण कार्य।  |              |
| <b>विभागाध्यक्ष योग</b>   |  |                               | 23,053.50  |              | 16,614.19  |   | 24,422.65   |   |              |
| <b>विभाग</b>  |  |                               | 26,448.79  |              | 16,966.06  |   | 28,354.03   |   |              |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 55 अनुसूचित जाति कल्याण विभाग**  
**विभागाध्यक्ष - 5504 आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास**

**0326 अस्पृश्यता निवारणार्थ आयोजन**

|  |                        |        |  |        |  |        |   |
|--|------------------------|--------|--|--------|--|--------|---|
| अस्पृश्यता निवारणार्थ आयोजन हेतु सदभावना शिविर, अन्तर्जातीय विवाह, एवं ग्रा पंचायतों को पुरस्कार | अस्पृश्यता समाप्त करना | 180.00 | प्रति शिविर व्यय 30,000/- वर्ष में कुल 48 शिविर आयोजित किये जायेंगे। | 130.00 | 45 शिविर<br>50 अन्तर्जातीय विवाह एवं<br>30 ग्राम पंचायत पुरस्कार | 180.00 | अस्पृश्यता निवारणार्थ आयोजन हेतु 50 सदभावना शिविर, 100 अन्तर्जातीय विवाह, एवं 50 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार |
|--|------------------------|--------|--|--------|--|--------|---|

**0327 अस्वच्छ धंधे में लगे लोगों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति**

|  |                        |        |  |        |  |        |  |
|--|------------------------|--------|--|--------|--|--------|--|
| अस्वच्छ धंधों में लगे लोगों के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना। | साक्षरता दर में वृद्धि | 794.57 | 25000 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदाय की जायेगी। | 499.60 | 22557 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गयी | 794.57 | 25000 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदाय की जायेगी। |
|--|------------------------|--------|--|--------|--|--------|--|

**0538 शिक्षित युवकों को स्व - रोजगार हेतु प्रशिक्षण एवं अधोसंरचना निर्माण हेतु अनुदान**

|   |                        |        |  |        |                                    |        |  |
|---|------------------------|--------|--|--------|------------------------------------|--------|--|
| कम्प्यूटर एवं आई. टी. क्षेत्र में रोजगार मूलक विषयों हेतु प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। | स्वरोजगार उपलब्ध कराना | 760.00 | 6000 कम्प्यूटर एवं आई. टी. क्षेत्र में रोजगार मूलक विषयों हेतु प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। | 175.76 | 1500 युवकों को प्रशिक्षण दिया गया। | 760.00 | 6000 कम्प्यूटर एवं आई. टी. क्षेत्र में रोजगार मूलक विषयों हेतु प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। |
|---|------------------------|--------|--|--------|------------------------------------|--------|--|

**0584 माध्यमिक शिक्षा मण्डल को शुल्क की प्रतिपूर्ति**

|  |                        |        |  |        |                                 |        |  |
|--|------------------------|--------|--|--------|---------------------------------|--------|--|
| 1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल को बोर्ड शुल्क की प्रतिपूर्ति     | साक्षरता दर में वृद्धि | 200.00 | माध्यमिक शिक्षा मण्डल को शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है | 140.62 | 35000 विद्यार्थी लाभान्वित हुये | 200.00 | माध्यमिक शिक्षा मण्डल को शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है |
| 2. व्यवसायिक परीक्षा मण्डल को परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति |                        |        | 50,000 विद्यार्थी  |        |                                 |        | 50,000 विद्यार्थी  |

**0671 ऐच्छिक संस्थाओं को शैक्षणिक और अन्य कल्याणकारी प्रवृत्तियों के लिए अनुदान**

|   |                        |        |  |        |                                     |        |  |
|---|------------------------|--------|--|--------|-------------------------------------|--------|--|
| अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों हेतु शैक्षणिक आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों के संचालन हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं को आर्थिक सहायता | साक्षरता दर में वृद्धि | 534.79 | विभिन्न जिलों में 45 कार्यरत ऐच्छिक संस्थाओं को सहायता उपलब्ध कराना। | 361.01 | 45 संस्थाओं को राशि उपलब्ध कराई गयी | 645.94 | विभिन्न जिलों में 45 कार्यरत ऐच्छिक संस्थाओं को सहायता उपलब्ध कराना। |
|---|------------------------|--------|--|--------|-------------------------------------|--------|--|

**1032 कार्यालय भवनों के निर्माण / विद्युतिकरण आदि**



परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 55 अनुसूचित जाति कल्याण विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 5504 आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास**

|  |  |        |                                       |       |   |  |       |                                       |
|--|--|--------|---------------------------------------|-------|---|--|-------|---------------------------------------|
| भवन विहीन जिला<br>कार्यालयों को भवन उपलब्ध<br>कराना। |  | 100.00 | 10 कार्यालय भवनों के<br>रख-रखाव हेतु। | 24.53 | 10 कार्यालय भवनों का निर्माण<br>कार्य प्रारम्भ किया गया |  | 50.00 | 10 कार्यालय भवनों के<br>रख-रखाव हेतु। |
|--|--|--------|---------------------------------------|-------|---|--|-------|---------------------------------------|

**1084 खेल कूद तथा गतिविधियों पर व्यय**

|   |   |       |  |       |   |  |       |  |
|---|---|-------|--|-------|---|--|-------|--|
| विभागीय आवासीय संस्थाओं<br>में निवासरत् विद्यार्थियों को<br>खेलकूद/सांस्कृतिक<br>गतिविधियों में भाग लेने के<br>लिये प्रोत्साहित करना एवं<br>राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में<br>भाग लेने हेतु प्रोत्साहित<br>करना। | खेल कूद गतिविधियों को<br>प्रोत्साहित करना | 40.00 | 4000 खिलाड़ियों को<br>लाभान्वित किया जायेगा। | 17.38 | 1800 खिलाड़ियों को लाभान्वित<br>किया गया। |  | 40.00 | 4000 खिलाड़ियों को<br>लाभान्वित किया जायेगा। |
|---|---|-------|--|-------|---|--|-------|--|

**1384 छात्र वृत्ति फार्मों की छपाई**

|  |                        |        |  |        |   |  |        |  |
|--|------------------------|--------|--|--------|---|--|--------|--|
| छात्रवृत्ति प्रदाय हेतु फार्मों<br>का मुद्रण कर शैक्षणिक<br>संस्थाओं को उपलब्ध<br>कराना। | सारक्षता दर में वृद्धि | 300.00 | आवश्यकता अनुसार<br>छात्रवृत्ति फार्मों के मुद्रण<br>हेतु धनराशि उपलब्ध<br>कराई जावेगी। | 157.30 | छात्रवृत्ति फार्मों के मुद्रण हेतु<br>धनराशि उपलब्ध कराई गई |  | 100.00 | आवश्यकता अनुसार<br>छात्रवृत्ति फार्मों के मुद्रण<br>हेतु धनराशि उपलब्ध<br>कराई जावेगी। |
|--|------------------------|--------|--|--------|---|--|--------|--|

**1400 आश्रम तथा छात्रावास भवन**

|   |                        |          |  |        |                             |  |          |                                  |
|---|------------------------|----------|--|--------|-----------------------------|--|----------|----------------------------------|
| अनुसूचित जाति/विमुक्त<br>जाति के छात्र-छात्राओं को<br>अनिवार्य सुविधाओं से युक्त<br>आवासीय भवन उपलब्ध<br>कराना। | सारक्षता दर में वृद्धि | 1,824.00 | 05 नये छात्रावास भवन।<br>100 अपूर्ण भवनों को पूर्ण<br>किया जायेगा। | 948.15 | भवन निर्माण कार्य प्रगति पर |  | 2,978.13 | 40 छात्रावास भवनों का<br>निर्माण |
|---|------------------------|----------|--|--------|-----------------------------|--|----------|----------------------------------|

**2526 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र**

|   |                               |       |  |       |  |  |       |  |
|---|-------------------------------|-------|--|-------|--|--|-------|--|
| विभिन्न परीक्षाओं के लिये<br>विद्यार्थियों को प्रशिक्षण<br>दिया जायेगा। | रोजगार के अवसर<br>उपलब्ध करना | 42.65 | 200 विद्यार्थियों को<br>प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु पूर्व<br>प्रशिक्षण देना व स्थापना<br>व्यय | 17.21 | 80 विद्यार्थियों को प्रतियोगी<br>परीक्षाओं हेतु पूर्व प्रशिक्षण दिया<br>गया व स्थापना व्यय |  | 40.09 | 200 विद्यार्थियों को<br>प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु पूर्व<br>प्रशिक्षण देना व स्थापना<br>व्यय |
|---|-------------------------------|-------|--|-------|--|--|-------|--|

**2676 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां**

|                     |                        |          |                        |          |                               |  |           |                        |
|---------------------|------------------------|----------|------------------------|----------|-------------------------------|--|-----------|------------------------|
| अनुसूचित जातियों के | साक्षरता दर में वृद्धि | 9,663.12 | विभिन्न प्रकार के उच्च | 7,837.54 | 1,53,829 विद्यार्थी लाभान्वित |  | 11,435.00 | विभिन्न प्रकार के उच्च |
|---------------------|------------------------|----------|------------------------|----------|-------------------------------|--|-----------|------------------------|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 55 अनुसूचित जाति कल्याण विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 5504 आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास**

विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा  
अध्ययन हेतु आर्थिक  
सहायता उपलब्ध कराना।

अध्ययन हेतु छात्रावासी  
तथा गैर छात्रावास  
विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति  
का भुगतान किया जायेगा।  
इसके अन्तर्गत लगभग  
1,60,000 विद्यार्थी लाभ  
प्राप्त करेंगे।

किये गये।

अध्ययन हेतु छात्रावासी  
तथा गैर छात्रावास  
विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति  
का भुगतान किया जायेगा।  
इसके अन्तर्गत लगभग  
1,60,000 विद्यार्थी लाभ  
प्राप्त करेंगे।

**2947 बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय संस्थान, महू की स्थापना**

अनुसूचित जाति संवर्ग के  
उत्थान हेतु संचालित  
डाक्टर बाबा साहेब  
अम्बेडकर संस्थान के  
संचालन हेतु पदस्थ  
कर्मचारियों को वेतन भत्तों  
का भुगतान।

132.00 अनुसूचित जाति संवर्ग के  
उत्थान हेतु संचालित  
डाक्टर बाबा साहेब  
अम्बेडकर संस्थान के  
संचालन हेतु पदस्थ  
कर्मचारियों को वेतन भत्तों  
का भुगतान।

132.00 अनुसूचित जाति संवर्ग के  
उत्थान हेतु संचालित डाक्टर  
बाबा साहेब अम्बेडकर संस्थान  
के संचालन हेतु पदस्थ  
कर्मचारियों को वेतन भत्तों का  
भुगतान किया गया

232.00 अनुसूचित जाति संवर्ग के  
उत्थान हेतु संचालित  
डाक्टर बाबा साहेब  
अम्बेडकर संस्थान के  
संचालन हेतु पदस्थ  
कर्मचारियों को वेतन भत्तों  
का भुगतान।

**3185 म. प्र. अनुसूचित जाति सहकारी वित्त एवं विकास निगम**

स्थापना व्यय  
स्वरोजगार के अवसर  
उपलब्ध कराना

550.00 स्थापना व्यय

450.00 स्थापना व्यय

550.00 स्थापना व्यय

**3997 विद्यार्थी कल्याण**

अनुसूचित जाति के कमजोर  
विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा,  
चिकित्सा, खेलकूद,  
मानसिक, बौद्धिक क्षमताओं  
के विकास एवं अन्य  
गतिविधियों हेतु आकस्मि  
सहायता प्रदान करना।

51.00 35,000 विद्यार्थियों को  
सहायता प्रदान की  
जायेगी।

13.30 21500 विद्यार्थियों को सहायता  
प्रदान की गई।

50.00 35,000 विद्यार्थियों को  
सहायता प्रदान की  
जायेगी।

**4675 स्वरोजगार योजना**

अनुसूचित जाति वित्त एवं  
विकास निगम को  
स्वरोजगार मूलक योजनाओं  
हेतु अनुदान।

1,250.00 8120 हितग्राहियों को  
स्वरोजगार हेतु ऋण देकर  
आर्थिक सशक्त किया  
जायेगा।

1,250.00 8120 हितग्राहियों को  
स्वरोजगार हेतु ऋण दिया  
गया।

1,250.00 8120 हितग्राहियों को  
स्वरोजगार हेतु ऋण देकर  
आर्थिक सशक्त किया  
जायेगा।

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित   | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |  | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |  | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |   |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|
|  |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य   | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि  |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य  |
| 1  | 2                                   | 3                             | 4  | 5  | 6  | 7  | 8   | 9   | 10  |
| <b>विभाग - 55 अनुसूचित जाति कल्याण विभाग</b>   |                                     |                               |  |  |  |  |   |   |   |
| <b>विभागाध्यक्ष - 5504 आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास</b>   |                                     |                               |  |  |  |  |   |   |   |
| <b>4691 कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजनाएं (कक्षा छठी)</b>  |                                     |                               |  |  |  |  |   |   |   |
| अनुसूचित जाति की<br>कन्याओं को निरन्तर शिक्षा<br>जारी रखने हेतु प्रोत्साहित<br>करना।   | साक्षरता दर में वृद्धि              |                               | 655.00   | 1,10,000 कन्याओं को<br>प्रोत्साहन राशि प्रदान<br>करना।             | 606.23   | 1,01,200 कन्याओं को प्रोत्साहन<br>राशि प्रदान की गई।                     |   | 710.66  | 1,42,000 कन्याओं को<br>प्रोत्साहन राशि प्रदान<br>करना।  |
| <b>4717 अनुसूचित जाति छात्रावास</b>  |                                     |                               |  |  |  |  |   |   |   |
| अनुसूचित जाति के<br>विद्यार्थियों को आवासीय<br>सुविधा उपलब्ध कराना।  | साक्षरता दर में वृद्धि              |                               | 7,692.29   | छात्रावासों का स्थापना<br>व्यय, भोजन व्यय एवं अन्य<br>आकस्मिक व्यय | 5,222.11   | छात्रावासों का स्थापना व्यय,<br>भोजन व्यय एवं अन्य<br>आकस्मिक व्यय       |   | 8,113.00  | छात्रावासों का स्थापना<br>व्यय व 52500 विद्यार्थियों<br>का भोजन व्यय एवं अन्य<br>आकस्मिक व्यय |
| <b>4719 अनुसूचित जातियों के लिए सहायता योजना</b>   |                                     |                               |  |  |  |  |   |   |   |
| आर्थिक रूप से कमजोर<br>वर्ग को आकस्मिक विपदा<br>हेतु सहायता  | आकस्मिक सहायता<br>उपलब्ध कराना      |                               | 52.70  | 4,000 हितग्राहियों को<br>लाभान्वित करना।                           | 13.76  | 1800 हितग्राहियों को लाभान्वित<br>किया गया।                              |   | 67.60   | 4,000 हितग्राहियों को<br>लाभान्वित करना।  |
| <b>4722 अनुसूचित जाति / जनजाति की बस्तियों का विकास</b>  |                                     |                               |  |  |  |  |   |   |   |
| अनुसूचित जाति की<br>बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं<br>उपलब्ध कराना।  | जीवन स्तर उच्च उठाना                |                               | 3,345.65   | 800 बस्तियों में मूलभूत<br>सुविधा उपलब्ध कराई<br>जायेगी।           | 2,207.60   | 527 बस्तियों में मूलभूत सुविधा<br>उपलब्ध कराई गई।                        |   | 3,388.85  | 800 बस्तियों में मूलभूत<br>सुविधा उपलब्ध कराई<br>जायेगी।                                      |
| <b>4986 विमुक्त घुमकड़ जातियों हेतु विशेष प्राधिकरण को अनुदान</b>  |                                     |                               |  |  |  |  |   |   |   |
| म.प्र. राज्य की आर्थिक<br>दृष्टि से कमजोर विमुक्त<br>घुमकड़ जातियों अर्द्ध<br>घुमकड़ जातियों का<br>आर्थिक, सामाजिक एवं<br>शैक्षणिक विकास करना। | जीवन स्तर उच्च उठाना                |                               | 636.32   | 160 जातियों को लाभान्वित<br>किया जायेगा।                           | 0.00   | —  |   | 636.32  | 160 जातियों को<br>लाभान्वित किया जायेगा।  |
| <b>5084 अनु. जाति/जनजाति के कृषकों के कुओ तक विद्युत लाइन का विकास</b>   |                                     |                               |  |  |  |  |   |   |   |
| अनुसूचित जाति की ऐसी<br>बस्ती/ग्राम जहां अनुसूचित<br>जाति की जनसंख्या 50   | जीवन स्तर उच्च उठाना                |                               | 800.00   | अनुसूचित जाति की ऐसी<br>बस्ती/ग्राम जहां<br>अनुसूचित जाति की       | 307.15   | अनुसूचित जाति की ऐसी<br>बस्ती/ग्राम जहां अनुसूचित<br>जाति की जनसंख्या 50 |   | 800.00  | अनुसूचित जाति की ऐसी<br>बस्ती/ग्राम जहां<br>अनुसूचित जाति की                                  |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित   | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय   | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |  | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |   | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण  | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |  |
|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|---|--|
|  |   |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य   | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि   |  | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य   |
| 1  | 2   | 3                             | 4  | 5  | 6  | 7   | 8  | 9   | 10   |
| <b>विभाग - 55 अनुसूचित जाति कल्याण विभाग</b>   |   |                               |  |  |  |   |  |   |  |
| <b>विभागाध्यक्ष - 5504 आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास</b>                                     |   |                               |  |  |  |   |  |   |  |
|  | प्रतिशत या उससे अधिक हो और जहां विद्युत लाईन नहीं पहुँची हो वहां विद्युत लाईन का विस्तार करना।  |                               |  | जनसंख्या 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो और जहां विद्युत लाईन नहीं पहुँची हो वहां विद्युत लाईन का विस्तार करना। |  |   | प्रतिशत या उससे अधिक हो और जहां विद्युत लाईन नहीं पहुँची हो वहां विद्युत लाईन का विस्तार किया गया। |   | जनसंख्या 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो और जहां विद्युत लाईन नहीं पहुँची हो वहां विद्युत लाईन का विस्तार करना। |
| <b>5133 अन्य छात्रवृत्तियां</b>  |   |                               |  |  |  |   |  |   |  |
|  | कक्षा 6 से 10वीं तक के अनुसूचित जाति वर्ग के एवं 1 से 10 तक के विमुक्त जाति वर्ग के बालक-बालिकाओं को शैक्षणिक प्रोत्साहन एवं उनकी शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। | साक्षरता दर में वृद्धि        | 3,242.32   | 11,00,000 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भुगतान  | 2,922.07   | 10,10,430 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भुगतान किया गया। |  | 3,853.83  | 11,00,000 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भुगतान  |
| <b>5171 विशेष न्यायालयों की स्थापना</b>  |   |                               |  |  |  |   |  |   |  |
|  | त्वरित न्याय उपलब्ध कराना   | समरसता समाज की स्थापना        | 1,700.00   | 49 विशेष न्यायालयों का संचालन  | 794.14   | 49 विशेष न्यायालयों का संचालन                           |  | 1,278.00  | 49 विशेष न्यायालयों का संचालन  |
| <b>5172 अनुसूचित जाति / जनजाति के थानों की स्थापना</b>                                     |   |                               |  |  |  |   |  |   |  |
|  | अनुसूचित जाति / जनजाति के व्यक्तियों की शिकायत पर तत्काल कार्यवाही  | समरसता समाज की स्थापना        | 1,860.00   | 48 थानों का संचालन   | 1,507.75   | 48 थानों का संचालन                                      |  | 2,505.09  | 48 थानों का संचालन   |
| <b>5191 अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अन्तर्गत सहायता/पुनर्वास सहायता</b> |   |                               |  |  |  |   |  |   |  |
|  | अनुसूचित जाति के अत्याचार से पीड़ितों को सहायता एवं पुनर्वास  | समरसता समाज की स्थापना        | 1,200.00   | अनुमानित 8500 हितग्राहियों को सहायता प्रदान करना।  | 387.94   | अनुमानित 2749 हितग्राहियों को सहायता प्रदान की गई।      |  | 950.00  | अनुमानित 8500 हितग्राहियों को सहायता प्रदान करना।  |
| <b>5218 उद्यमी विकास संस्थान को अनुदान</b>   |   |                               |  |  |  |   |  |   |  |
|  | स्थापना अनुदान  | स्वरोजगार के अवसर में वृद्धि  | 10.01  | स्थापना अनुदान   | 10.00  | स्थापना अनुदान  |  | 10.00   | स्थापना अनुदान   |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित   | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |   | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |   | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |   |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|--|---|--|---|---|---|---|
|  |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य  | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि   |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य  |
| 1  | 2                                   | 3                             | 4  | 5   | 6  | 7   | 8   | 9   | 10  |
| <b>विभाग - 55 अनुसूचित जाति कल्याण विभाग</b>   |                                     |                               |  |   |  |   |   |   |   |
| <b>विभागाध्यक्ष - 5504 आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास</b>   |                                     |                               |  |   |  |   |   |   |   |
| <b>5230 मजरे/टोलो का विद्युतीकरण</b>   |                                     |                               |  |   |  |   |   |   |   |
| अनुसूचित जाति की बस्तियों में एकबत्ती कनेक्शन/स्ट्रीटलाइट विद्युत लाईन का विकास करना।  | जीवन स्तर ऊर्चो उठाना               |                               | 897.00   | अनुसूचित जाति की बस्तियों में एकबत्ती कनेक्शन/स्ट्रीटलाइट विद्युत लाईन का विकास करना। | 854.00   | अनुसूचित जाति की बस्तियों में एकबत्ती कनेक्शन/स्ट्रीटलाइट विद्युत लाईन का विकास किया गया। |   | 1,108.30  | अनुसूचित जाति की बस्तियों में एकबत्ती कनेक्शन/स्ट्रीटलाइट विद्युत लाईन का विकास करना। |
| <b>5253 अभिनव स्वरोजगार योजनाएं</b>  |                                     |                               |  |   |  |   |   |   |   |
| स्वरोजगार का सजन/प्रदाय  | स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना      |                               | 100.00   | 1200 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराना।   | 50.00  | 600 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया।  |   | 100.00  | 1200 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराना।   |
| <b>5635 बाबू जगजीवनराम छात्रावास योजना</b>   |                                     |                               |  |   |  |   |   |   |   |
| कन्या छात्रावास का निर्माण   | साक्षरता दर में वृद्धि              |                               | 400.00   | 5 कन्या छात्रावास का निर्माण  | 0.00   | —   |   | 356.00  | 5 कन्या छात्रावास का निर्माण  |
| <b>5861 सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण केन्द्र</b>  |                                     |                               |  |   |  |   |   |   |   |
| सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण केन्द्र  | समरसता समाज की स्थापना              |                               | 124.00   | सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण केन्द्र   | 0.00   | —   | भारत शासन द्वारा योजना अमान्य                     | 100.00  | सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण केन्द्र   |
| <b>6838 केरियर काउन्सिलिंग</b>   |                                     |                               |  |   |  |   |   |   |   |
| कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केरियर काउन्सिलिंग के माध्यम से भविष्य हेतु भविष्य हेतु विविध क्षेत्रों की जानकारी व प्रशिक्षण देना | रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना         |                               | 30.00  | 2000 विद्यार्थियों को जानकारी एवं प्रशिक्षण   | 29.50  | 1962 विद्यार्थियों को जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया गया                                      |   | 30.00   | 2000 विद्यार्थियों को जानकारी एवं प्रशिक्षण   |
| <b>6839 नेतृत्व विकास शिविर</b>  |                                     |                               |  |   |  |   |   |   |   |
| अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विकास हेतु शिविर।  | व्यक्तित्व विकास                    |                               | 15.00  | 96 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विकास हेतु शिविर                   | 4.17   | 100 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विकास हेतु शिविर आयोजित किया गया।     |   | 15.00   | 96 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विकास हेतु शिविर                   |
| <b>6992 संत रविदास पुरस्कार</b>  |                                     |                               |  |   |  |   |   |   |   |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित   | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय                          | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |   | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |   | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |   |
|--|--|-------------------------------|--|---|--|---|---|---|---|
|  |  |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य  | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि   |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य  |
| 1  | 2  | 3                             | 4  | 5   | 6  | 7   | 8   | 9   | 10  |
| <b>विभाग - 55 अनुसूचित जाति कल्याण विभाग</b>   |  |                               |  |   |  |   |   |   |   |
| <b>विभागाध्यक्ष - 5504 आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास</b>   |  |                               |  |   |  |   |   |   |   |
| पुरस्कार वितरण करना  | —  |                               | 10.00  | पात्रता अनुसार पुरस्कार का वितरण कराना।                         | 3.50   | 01 पुरस्कार दिया गया।   |   | 10.00   | पात्रता अनुसार पुरस्कार का वितरण कराना।                         |
| <b>7562 उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्रों की स्थापना</b>   |  |                               |  |   |  |   |   |   |   |
| 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करना उन्हें कोचिंग व उचित शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना एवं विभिन्न शैक्षणिक प्रतियोगी परीक्षा हेतु तैयार करना। | साक्षरता दर में वृद्धि व गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान कराना। |                               | 950.00   | 15,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा।                  | 618.44   | 15,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।                       |   | 950.00  | 15,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा।                  |
| <b>7851 युवाओं के लिये रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना</b>  |  |                               |  |   |  |   |   |   |   |
| युवाओं के लिये रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना  | रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना                                  |                               | 400.00   | युवाओं के लिये रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है  | 0.00   | —   |   | 300.00  | युवाओं के लिये रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है  |
| <b>8011 सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन</b>   |  |                               |  |   |  |   |   |   |   |
| अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को संघ लोक सेवा आयोग एवं मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित करना।  | रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना                                  |                               | 200.00   | 400 प्रतियोगियों को लाभान्वित करना                              | 53.40  | 334 प्रतियोगियों को लाभान्वित किया गया।                           |   | 100.00  | 400 प्रतियोगियों को लाभान्वित करना                              |
| <b>8735 अनुसूचित जाति / जनजाति के छात्र / छात्राओं को स्थाई जाति प्रमाण पत्र का प्रदाय</b>   |  |                               |  |   |  |   |   |   |   |
| अनुसूचित जाति / जनजाति के छात्र-छात्राओं को स्थाई जाति प्रमाण-पत्र का प्रदाय   | —  |                               | 25.00  | 1,00,000 छात्र-छात्राओं को स्थाई जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना। | 4.41   | 17,640 छात्र-छात्राओं को स्थाई जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध करायी गयी। |   | 30.00   | 1,00,000 छात्र-छात्राओं को स्थाई जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना। |
| <b>8801 सैनिक स्कूल / निजी संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति / जनजाति के विद्यार्थियों के शुल्क की प्रतिपूर्ति</b>   |  |                               |  |   |  |   |   |   |   |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित  | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय                        | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |   | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |   | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |  |
|---|--|-------------------------------|--|---|--|---|---|---|--|
|   |  |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य  | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि   |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य   |
| 1   | 2  | 3                             | 4  | 5   | 6  | 7   | 8   | 9   | 10   |
| <b>विभाग - 55 अनुसूचित जाति कल्याण विभाग</b>  |  |                               |  |   |  |   |   |   |  |
| <b>विभागाध्यक्ष - 5504 आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास</b>  |  |                               |  |   |  |   |   |   |  |
| अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं की अच्छी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु पब्लिक स्कूल व सैनिक स्कूल में प्रवेश दिल्ली में रहने हेतु छात्रगृह की व्यवस्था एवं विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति पदान करना। | साक्षरता दर में वृद्धि व गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करना |                               | 350.00   | 307 विद्यार्थियों को लाभान्वित करना।  | 204.32   | 307 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।  |   | 350.00  | 310 विद्यार्थियों को लाभान्वित करना।   |
| <b>8805 प्राथमिक स्तर में बालिकाओं एवं बालको को छात्रवृत्ति</b>   |  |                               |  |   |  |   |   |   |  |
| प्राथमिक स्तर की बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्रदान कर शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना।  | साक्षरता दर में वृद्धि                                     |                               | 1,650.00   | 8,31,526 छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदाय की जायेगी।  | 13,543.20  | 8,31,526 छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदाय की गई।  |   | 1,800.00  | 8,55,000 छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदाय की जायेगी।   |
| <b>8807 छात्रावासो एवं आश्रमों के भवनो का उन्नयन</b>  |  |                               |  |   |  |   |   |   |  |
| अनुसूचित जाति के छात्रावास/आश्रम भवनों के उन्नयन हेतु   | साक्षरता दर में वृद्धि                                     |                               | 1,500.00   | 997 छात्रावास/आश्रम भवनों का उन्नयन किया जायेगा।  | 902.61   | 997 छात्रावास/आश्रम भवनों का उन्नयन किया गया।   |   | 2,034.46  | 997 छात्रावास/आश्रम भवनों का उन्नयन किया जायेगा।   |
| <b>8808 सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य</b>   |  |                               |  |   |  |   |   |   |  |
| जिला कार्यालयों को कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ना।   | ---  |                               | 10.00  | जिला कार्यालयों को कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ना व सामग्री प्रदाय   | 2.36   | आवश्यक कम्प्यूटर सामग्री उपलब्ध कराई गई।  |   | 20.00   | जिला कार्यालयों को कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ना व सामग्री प्रदाय  |
| <b>8829 अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालय</b>  |  |                               |  |   |  |   |   |   |  |
| अनुसूचित जाति के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को एक ही स्थान पर आवास व शिक्षा की उचित व्यवस्था उपलब्ध कराना व शिक्षण की उच्च व्यवस्था करना।  | साक्षरता दर में वृद्धि व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना |                               | 1,156.44   | 1960 विद्यार्थियों को स्कूल/छात्रावास की सुविधा, शिष्यवृत्ति, पुस्तकें एवं स्टेशनरी उपलब्ध कराना व स्थापना व्यय | 708.37   | 1960 विद्यार्थियों को स्कूल/छात्रावास की सुविधा, शिष्यवृत्ति, पुस्तकें एवं स्टेशनरी उपलब्ध कराई गई व स्थापना व्यय |   | 992.86  | 960 विद्यार्थियों को स्कूल/छात्रावास की सुविधा, शिष्यवृत्ति, पुस्तकें एवं स्टेशनरी उपलब्ध कराना व स्थापना व्यय |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित  | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |  | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |   | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |  |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|---|---|---|--|
|   |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य   | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि   |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य   |
| 1   | 2                                   | 3                             | 4  | 5  | 6  | 7   | 8   | 9   | 10   |
| <b>विभाग - 55 अनुसूचित जाति कल्याण विभाग</b>  |                                     |                               |  |  |  |   |   |   |  |
| <b>विभागाध्यक्ष - 5504 आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास</b>  |                                     |                               |  |  |  |   |   |   |  |
| <b>8844 कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजनाएं ( कक्षा नवमी एवं कक्षा ग्यारहवी )</b>                           |                                     |                               |  |  |  |   |   |   |  |
| कक्षा 9 वीं में प्रवेश लेने पर<br>रूपये 2000 एवं कक्षा 11वीं<br>में प्रवेश लेने पर रूपये<br>3000 एक मुश्त भुगतान। | साक्षरता दर में वृद्धि              |                               | 1,000.00   | कक्षा 9 वीं में प्रवेश लेने<br>पर रूपये 1000 एवं कक्षा<br>11वीं में प्रवेश लेने पर<br>रूपये 3000 एक मुश्त<br>भुगतान। (40,000 छात्राओं<br>लाभान्वित किया जाता है) | 971.26   | 63,132 छात्राओं को लाभान्वित<br>किया गया                                |   | 1,300.00  | कक्षा 9 वीं में प्रवेश लेने<br>पर रूपये 2000 एवं कक्षा<br>11वीं में प्रवेश लेने पर<br>रूपये 3000 एक मुश्त<br>भुगतान। (64,000 छात्राओं<br>को लाभान्वित किया जाता<br>है) |
| <b>9550 नागरिक अधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ</b>  |                                     |                               |  |  |  |   |   |   |  |
| स्थापना अनुदान  | समरसता समाज की<br>स्थापना           |                               | 60.00  | स्थापना अनुदान   | 37.88  | स्थापना अनुदान  |   | 57.20   | स्थापना अनुदान   |
| <b>9829 संदिग्ध दायित्व निवारण निधि</b>   |                                     |                               |  |  |  |   |   |   |  |
| अनुसूचित जाति के संदिग्ध<br>दायित्वों के प्रकरणों का<br>निराकरण करना।   | —                                   |                               | 10.00  | —  | 0.00   | —   |   | 10.00   | अनुसूचित जाति के संदिग्ध<br>दायित्वों के प्रकरणों का<br>निराकरण करना।  |
| <b>9846 स्काउट गाईड</b>   |                                     |                               |  |  |  |   |   |   |  |
| छात्र-छात्राओं में अनुशासन<br>एवं प्राथमिक सैनिक<br>प्रशिक्षण   | बौद्धिक विकास                       |                               | 25.00  | छात्र-छात्राओं में अनुशासन<br>एवं प्राथमिक सैनिक<br>प्रशिक्षण  | 25.00  | छात्र-छात्राओं में अनुशासन एवं<br>प्राथमिक सैनिक प्रशिक्षण दिया<br>गया। |   | 25.00   | छात्र-छात्राओं में<br>अनुशासन एवं प्राथमिक<br>सैनिक प्रशिक्षण  |
| <b>विभागाध्यक्ष योग</b>   |                                     |                               | 46,528.86  |  | 44,145.57  |   |   | 51,307.90   |  |
| <b>विभाग</b>  |                                     |                               | 46,528.86  |  | 44,145.57  |   |   | 51,307.90   |  |



परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 56 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 5601 सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी**

**5125 मैप-आई.टी में जी.आई.एस. लैब की स्थापना**

|   |  |       |                                     |      |   |          |      |                          |
|---|--|-------|-------------------------------------|------|---|----------|------|--------------------------|
| मैप-आईटी में एक पूर्ण जी.आई.एस. लैब की स्थापना की जाना है। जिसमें मैप सर्वर, वर्क स्टेशन, स्केनर, प्लॉटर एवं मैप डेटा उपलब्ध रहेगा। | मैप-आईटी में एक पूर्ण जी.आई.एस. लैब की स्थापना की जाना है। जिसमें मैप सर्वर, वर्क स्टेशन, स्केनर, प्लॉटर एवं मैप डेटा उपलब्ध रहेगा। विभागों द्वारा अपने अपने स्तर पर उपरोक्त गतिविधि करने के कारण राशि का अपव्यय हो रहा है। उपरोक्त सेन्टर प्रारम्भ होने पर प्रदेश के लिये प्राकृतिक संसाधन प्रबंध प्रणाली विकसित हो जायेगी। | 33.00 | जी.आई.एस. लैब की स्थापना की जाना है | 0.00 | 0 | कुछ नहीं | 1.00 | जी.आई.एस. लैब की स्थापना |
|---|--|-------|-------------------------------------|------|---|----------|------|--------------------------|

**5722 कॉल सेन्टर की स्थापना**

|  |  |        |   |        |  |          |        |   |
|--|--|--------|---|--------|--|----------|--------|---|
| कॉल सेन्टर के संचालन हेतु प्रति वर्ष 2.00 करोड़ की राशि व्यय की जाना है। | नागरिकों की समस्याओं का समाधान काल सेन्टर के माध्यम से किया जाना है। | 200.00 | कॉल सेन्टर के संचालन संबंधी व्यय किया जाना है | 200.00 | कॉल सेन्टर के संचालन संबंधी व्यय किया गया है | कुछ नहीं | 200.00 | कॉल सेन्टर के संचालन संबंधी व्यय किया जाना है |
|--|--|--------|---|--------|--|----------|--------|---|

**5818 डाटा सेन्टर बिल्डिंग का निर्माण**

|  |   |        |  |        |   |          |        |   |
|--|---|--------|--|--------|---|----------|--------|---|
| स्टेट डाटा सेन्टर की स्थापना की जाना है। | स्टेट डाटा सेन्टर राज्य सरकार की सेवाओं को संघटित करने, दक्ष इलैक्ट्रॉनिक सर्विस -जी 2 जी, जी 2 सी एवं जी 2 बी प्रदान करने के लिए आवेदनों और अधोसंरचना को जुटायेगा। | 400.00 | सेन्टर की स्थापना के लिए भवन निर्माण कार्य पर व्यय किया जाना है। | 400.00 | सेन्टर की स्थापना के लिए भवन निर्माण कार्य पर व्यय किया गया है। | कुछ नहीं | 600.00 | डाटा सेन्टर की स्थापना के लिए आवश्यक भवन एवं विद्युत व्यवस्था डाटा सेन्टर से स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क की कनेक्टिविटी डाटा सेन्टर से डिजास्टर रिकवरी सेन्टर की कनेक्टिविटी |
|--|---|--------|--|--------|---|----------|--------|---|

**6760 नई तकनीक हेतु मैपिंट अथवा अन्य संस्थाओं को सहायता**

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 56 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 5601 सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी**

|   |  |        |   |      |   |          |        |  |
|---|--|--------|---|------|---|----------|--------|--|
| सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित नवीन परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जाता है। | सूचना प्रौद्योगिकी में हो रहे नित नई तकनीकों के प्रयोगों के पोषण हेतु शासकीय विभागों एवं संस्थाओं को इस योजना से सहायता दी जायेगी। | 100.00 | मंत्रालय पुस्ताकालय के कम्प्यूटरीकरण, इन्दौर में नेटवर्क / साटवेयर ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना तथा मंत्रालय के अधिकारियों / कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने हेतु बायोमेट्रिक प्रणाली आरएसआईडी संबंधी व्यय इस योजनान्तर्गत किया जायेगा। | 5.68 | मंत्रालय पुस्ताकालय के कम्प्यूटरीकरण हेतु | कुछ नहीं | 132.00 | सूचना प्रौद्योगिकी में हो रहे नित नई तकनीकों के प्रयोगों के पोषण हेतु शासकीय विभागों एवं संस्थाओं को इस योजना से सहायता दी जायेगी। |
|---|--|--------|---|------|---|----------|--------|--|

**6873 राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्लान**

|   |  |          |   |          |  |   |          |   |
|---|--|----------|---|----------|--|---|----------|---|
| एनईजीपी अंतर्गत भा/स से एसीए के तहत राशि की स्वीकृति प्राप्त होने पर संबंधित योजना पर व्यय किया जायेगा। | नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान के तहत चयनित विभागों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण तथा कॅंपासिटी बिल्डिंग / स्वान/सीएससी/एसड ीसी के तहत व्यय किया जायेगा। | 2,602.00 | एनईजीपी अंतर्गत भा/स से एसीए के तहत राशि की स्वीकृति प्राप्त होने पर संबंधित योजना पर व्यय किया जायेगा। | 1,407.00 | रुपये 1220 लाख कॉमन सर्विस सेन्टर की संपर्कता पर व्यय किया गया तथा वित्त विभाग के निर्देश अनुसार राशि रुपये 187.00 लाख समर्पित किये गये। | कुछ नहीं। एनईजीपी अंतर्गत भा/स से एसीए के तहत राशि की स्वीकृति प्राप्त होने पर संबंधित योजना पर व्यय किया जायेगा। | 1,982.00 | एनईजीपी अंतर्गत भा/स से एसीए के तहत राशि की स्वीकृति प्राप्त होने पर संबंधित योजना पर व्यय किया जायेगा। |
|---|--|----------|---|----------|--|---|----------|---|

**6874 स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क की स्थापना**

|  |  |        |   |      |   |   |        |   |
|--|--|--------|---|------|---|---|--------|---|
| परियोजना के अंतर्गत ब्लाक जिले से, जिले संभाग से तथा संभाग से भोपाल हाई स्पीड डेटा कनेक्टिविटी नेटवर्क के माध्यम से जोड़े जायेंगे। | उपरोक्त नेटवर्क स्थापित होने के बाद सभी विभागों को कनेक्टिविटी एवं सीमित डेटासेन्टर सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।<br>अलग-अलग नेटवर्क बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राज्य में प्रस्तावित उत्कृष्ट नेटवर्क का उपयोग राज्य शासन की परियोजना के डाटा ट्रांसफर के लिए किया जावेगा। | 700.00 | इस राशि का उपयोग बैण्डविड्थ क्य एवं लास्ट माईल कनेक्टिविटी हेतु होगा। | 0.00 | — | राशि रू0 7.00करोड़ का व्यय बैण्डविड्थ क्य एवं लास्ट माईल कनेक्टिविटी पर किये जाने हेतु म0प्र0राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम को वित्त विभाग के अनुमोदन उपरान्त दि0 26-02-2010 स्वीकृति प्रदान की गयी। | 500.00 | इस राशि का उपयोग बैण्डविड्थ क्य एवं लास्ट माईल कनेक्टिविटी हेतु होगा। |
|--|--|--------|---|------|---|---|--------|---|

**8808 सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य**

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित  | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय  | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10)  |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां   |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये)  |              |
|---|--|-------------------------------|---|--------------|--|---------------|---|--|--------------|
|   |  |                               | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य |
| 1   | 2  | 3                             | 4   | 5            | 6  | 7             | 8   | 9  | 10           |
| <b>विभाग - 56 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग</b>  |  |                               |   |              |  |               |   |  |              |
| <b>विभागाध्यक्ष - 5601 सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी</b>   |  |                               |   |              |  |               |   |  |              |
| सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधी नवीन तकनीकी के प्रशिक्षण /सूचना प्रौद्योगिकी के बारे जानकारी देने के लिए सेमीनार आयोजित किये जाने तथा मैप-आईटी के प्रशासनिक व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी। | मद में उपलब्ध राशि से विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों/सीआईओ. को सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रशिक्षण दिया जायेगा। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में गतिविधियों में हुई वृद्धि को देखते हुए एवं इस क्षेत्र में प्रदेश की पहचान बढ़ाने के लिए देश में आयोजित बड़े आयोजनों में भाग लिया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्यों हेतु सहायक अनुदान तथा मैप-आईटी के प्रशासनिक व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी। | 105.00                        | सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधी नवीन तकनीकी के प्रशिक्षण /सूचना प्रौद्योगिकी के बारे जानकारी देने के लिए सेमीनार आयोजित किये जाने तथा मैप-आईटी के प्रशासनिक व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी। | 105.00       | एमपीएसईडीसी में सिसको के साथ ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना पर व्यय किया गया। भारतीय विज्ञान सम्मेलन, प्रवासी भारतीय दिवस, बैंगलौर आईटी डट कॉम आईटी डेस्टीनेशन सम्मेलन में भाग लिया गया। इंडिया इन्टरनेशनल ट्रेडफेयर हेतु वेबसाईट बनाने एवं मैपिट के कार्यों व आईटी पुरस्कार हेतु राशि का व्यय | कुछ नहीं      | 105.00  | सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधी नवीन तकनीकी के प्रशिक्षण पर व्यय किया जायेगा<br><br>सूचना प्रौद्योगिकी के बारे जानकारी देने के लिए पूरे वर्ष में सेमीनार आयोजित किये जायेंगे तथा राष्ट्रीय सेमिनारों में भाग लिया जायेगा।<br><br>इस मद में प्रावधानित राशि को मैप-आईटी के कार्यों तथा आईटी पुरस्कार के लिए दी जाना प्रस्तावित है। |              |
| <b>विभागाध्यक्ष योग</b>   |  |                               | 4,140.00  |              | 2,117.68   |               | 3,520.00  |  |              |
| <b>विभाग</b>  |  |                               | 4,140.00  |              | 2,117.68   |               | 3,520.00  |  |              |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 57 जैव विविधता विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 5701 सचिव, जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी**

**6426 जैव विज्ञान संस्थान की स्थापना**

|   |   |       |   |  |      |   |  |       |   |
|---|---|-------|---|--|------|---|--|-------|---|
| प्रदेश में जैव विज्ञान संस्थान के लिये पी.पी.पी. मॉडल के अंतर्गत डीपीआर बनाना तथा ट्रांसेक्शनल सलाहकार का चयन | प्रदेश में जैव विज्ञान संस्थान की स्थापना के लिये डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने हेतु कार्यवाही की जा रही है। | 15.00 | 1 |  | 0.00 | 0 | जैव विज्ञान संस्थान की स्थापना हेतु शासन द्वारा आवंटित भूमि का प्रकरण मान. उच्च न्यायालय में विचारधीन होने के कारण स्थापना संभव नहीं हो पाई। | 50.00 | 1 |
|---|---|-------|---|--|------|---|--|-------|---|

**6427 जैव प्रौद्योगिकी इकाईयों की स्थापना एवं विकास हेतु सहायता**

|   |                              |       |    |  |       |    |          |       |    |
|---|------------------------------|-------|----|--|-------|----|----------|-------|----|
| बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना हेतु व्यय, एक्सप्रेसन ऑफ इंट्रेस्ट का प्रकाशन, प्रचार-प्रसार एवं डी.पी.आर. तैयार करने पर होने वाला व्यय तथा ट्रांसेक्शनल सलाहकार पर व्यय। | ट्रांसेक्शनल सलाहकार का चयन। | 75.01 | 01 |  | 50.00 | 01 | कुछ नहीं | 14.00 | 01 |
|---|------------------------------|-------|----|--|-------|----|----------|-------|----|

**7672 जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित परियोजनाओं का पोषण**

|  |  |       |   |  |      |  |   |       |   |
|--|--|-------|---|--|------|--|---|-------|---|
| जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित शोध/अधोसंरचना विकास की परियोजनाओं का वित्तीय पोषण किया जावेगा। | इस मद में उपलब्ध राशि से जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित पांच शोध परियोजनाओं का वित्तीय पोषण किया गया। | 30.40 | 4 |  | 0.00 |  | परियोजनाओं का संचालक मण्डल की बैठक न होने के कारण क्रियान्वित नहीं हो सकी। मार्च 2010 के पूर्व क्रियान्वित की जा सकेगी। | 86.00 | 9 |
|--|--|-------|---|--|------|--|---|-------|---|

**7855 जैव प्रौद्योगिकी परिषद संबंधी व्यय**

|  |  |       |    |  |       |   |  |       |    |
|--|--|-------|----|--|-------|---|--|-------|----|
| जैव प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी के विकास एवं प्रचार-प्रसार हेतु जैव प्रौद्योगिकी की नीति के अनुरूप गतिविधियां संचालित की जावेगी तथा परिषद प्रशासनीक स्थापना व्यय इस मद से किये | जैव प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी के विकास एवं प्रचार-प्रसार हेतु जैव प्रौद्योगिकी की नीति के अनुरूप गतिविधियां संचालित की जा रही है तथा परिषद प्रशासनीक | 45.30 | 13 |  | 24.00 | 9 | निर्धारित पद रिक्त रहने के कारण स्थापना व्यय में कमी | 83.00 | 14 |
|--|--|-------|----|--|-------|---|--|-------|----|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित  | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय   | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|---|---|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|   |   |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1   | 2   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |
| <b>विभाग - 57 जैव विविधता विभाग</b>   |   |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| <b>विभागाध्यक्ष - 5701 सचिव, जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी</b>   |   |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| जायेगें।  |   |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| स्थापना व्यय इस मद से किये जा रहे।  |   |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| <b>7856 जैव विविधता बोर्ड संबंधी व्यय</b>   |   |                               |  |              |  |               |   |   |              |
| 10 अध्ययन परियोजना हेतु संबंधित संस्थाओं को अनुदान, 1100 ग्रामों की जैव विविधता पंजियों के निर्माण हेतु वन विभाग को अनुदान एवं अन्य गतिविधियों के अतिरिक्त बोर्ड कार्यालय की स्थापना संबंधी कार्य | 10 अध्ययन परियोजनाओं हेतु संबंधित संस्थाओं को अनुदान, 600 ग्रामों की जैव विविधता पंजियों के निर्माण हेतु वन विभाग को अनुदान एवं अन्य गतिविधियों के अतिरिक्त बोर्ड कार्यालय की स्थापना संबंधी व्यय |                               | 182.29   |              | 46.00  |               |   |   | 132.00       |
| <b>विभागाध्यक्ष योग</b>   |   |                               | 348.00   |              | 120.00   |               |   | 365.00  |              |
| <b>विभाग</b>  |   |                               | 348.00   |              | 120.00   |               |   | 365.00  |              |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित   | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |  | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |  |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|---------------|---|---|--|
|  |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य                           | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य                           |
| 1  | 2                                   | 3                             | 4  | 5                                      | 6  | 7             | 8   | 9   | 10                                     |
| <b>विभाग - 58 ग्रामीण विकास विभाग</b>  |                                     |                               |  |  |  |               |   |   |  |
| <b>विभागाध्यक्ष - 5802 विकास आयुक्त</b>  |                                     |                               |  |  |  |               |   |   |  |
| <b>1032 कार्यालय भवनों के निर्माण / विद्युतिकरण आदि</b>  |                                     |                               |  |  |  |               |   |   |  |
| विभागीय भवनों के निर्माण एवं उसमें विद्युतीकरण   | -                                   |                               | 50.00  | निर्धारित नहीं                         | 21.81  | -             | मांग न आने के कारण                                | 50.00   | -                                      |
| <b>1033 विकास खण्ड कार्यालय</b>  |                                     |                               |  |  |  |               |   |   |  |
| वेतन भत्तों को छोड़कर, वकीलों की फीस, परिवहन एवं कम्प्यूटर क्रय हेतु मांग होने पर आवंटित की जाती है।   | -                                   |                               | 2,358.62   | -                                      | 0.33   | -             | मांग न आने के कारण                                | 11.00   | -                                      |
| <b>1208 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा</b>   |                                     |                               |  |  |  |               |   |   |  |
| अभिभाषकों को फीस, सफाई, परिवहन व्यवस्था एवं मशीनों स्थाई संपत्तियों का अनुरक्षण एवं संयंत्र का प्रदाय  |                                     |                               | 3,500.42   |  | 83.80  |               |   | 108.80  |  |
| <b>2725 प्रशिक्षण</b>  |                                     |                               |  |  |  |               |   |   |  |
| मदा एवं नमी संरक्षण भूजल संवर्धन कृषि उत्पादन में वृद्धि एवं आजीविका के अवसर का सजन।   | -                                   |                               | 499.98   | 0.80 हैक्टेयर                          | 321.35   | 0.39          | -   | 468.72  | 1.20 हैक्टेयर                          |
| <b>5127 स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना ( राज्य )</b>  |                                     |                               |  |  |  |               |   |   |  |
| योजनान्तर्गत स्वसहायता समूहों की गतिविधिवार तथा भौगोलिक आधार पर स्वसहायता समूहों का परिसंघ बनाये जाने का लक्ष्य रखा गया है ताकि आजीविका के संसाधनों का सशक्तिकरण हो सके। | -                                   |                               | 100.00   | 25 समूहों के गठन का लक्ष्य रखा गया है। | 0.00   | -             | -   | 200.00  | 25 समूहों के गठन का लक्ष्य रखा गया है। |
| <b>5128 जल संग्रहण कार्ययोजना का निरूपण</b>  |                                     |                               |  |  |  |               |   |   |  |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 58 ग्रामीण विकास विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 5802 विकास आयुक्त**

|  |   |        |   |        |  |   |        |   |
|--|---|--------|---|--------|--|---|--------|---|
| प्रदेश के प्रत्येक जिले में जल ग्रहण क्षेत्रों के आधार पर सर्वेक्षण के माध्यम से क्षेत्र की टोपोग्राफी, प्रवाह क्षेत्र, पानी की गति, बहाव की दिशा, आदि को ध्यान में रखकर ऐसे स्थानों की पहचान कर एक मास्टर प्लान बनाने का उद्देश्य रखा गया है। | — | 10.00  | 12 कार्यों का लक्ष्य रखा गया है।                                  | 0.00   | —  | — | 10.00  | 12 कार्यों का लक्ष्य रखा गया है।  |
| <b>5129 राज्य ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी</b>   |   |        |   |        |  |   |        |   |
| प्रदेश के ऐसे ग्राम जो मुख्य मार्ग से 500 मी. के दूरी से कम है एवं ऐसे पुल/पूलियां जो अधूरे अथवा छूट गये हैं को पूर्ण कर बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाना है।   | — | 250.00 | 78 किमी. लम्बी सड़कों के कनेक्टिविटी का लक्ष्य रखा गया।           | 250.00 | —  | — | 250.00 | 50 किमी लम्बी सड़कों के कनेक्टिविटी का लक्ष्य रखा गया।                                    |
| <b>5130 गोकुल ग्राम - गोदान योजना</b>  |   |        |   |        |  |   |        |   |
| ग्रामीण महिलाओं को गौ-पालन हेतु प्रोत्साहन एवं योजना से संबंधित अद्योसंरचना के कार्य।  | — | 10.00  | 500 महिलाओं को गौ-पालन हेतु प्रोत्साहन देने का लक्ष्य रखा गया है। | 0.00   | —  | — | 10.00  | 150 महिलाओं को गौ-पालन हेतु प्रोत्साहन देने का लक्ष्य रखा गया है।                         |
| <b>5131 मुख्य मंत्री आवास योजना</b>  |   |        |   |        |  |   |        |   |
| ऐसे मा.मुख्यमंत्री, म.प्र.शासन की घोषणानुसार प्रदेश के आदिवासी/अनु.जा. बाहुल्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले आवासहीन को आवास उपलब्ध कराना।  | — | 510.00 | 2040 आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।                      | 510.00 | 464 आवासों का निर्माण किया गया जिसमें 162 महिलायें भी लाभान्वित हुई हैं। | — | 525.00 | 1500 आवास कुटीरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें 450 महिलायें भी लाभान्वित होगी। |
| <b>5198 इंद्रा आवास योजना</b>  |   |        |   |        |  |   |        |   |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित   | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |   | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |   | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |   |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|--|---|--|---|---|---|---|
|  |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य  | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि   |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य  |
| 1  | 2                                   | 3                             | 4  | 5   | 6  | 7   | 8   | 9   | 10  |
| <b>विभाग - 58 ग्रामीण विकास विभाग</b>  |                                     |                               |  |   |  |   |   |   |   |
| <b>विभागाध्यक्ष - 5802 विकास आयुक्त</b>  |                                     |                               |  |   |  |   |   |   |   |
| ग्रामीण बीपीएल परिवारों को<br>आवास निर्माण हेतु<br>शत-प्रतिशत आर्थिक<br>सहायता उपलब्ध कराना।   | -                                   |                               | 7,370.00   | 60000 आवास कुटीरों के<br>निर्माण का लक्ष्य रखा गया<br>है। जिसमें 18000 महिलायें<br>भी लाभान्वित होगी। | 4,567.37   | 44673 आवास कुटीरों का<br>निर्माण किया गया जिसमें<br>19070 महिलायें भी लाभान्वित<br>हुई हैं। | -   | 8,746.32  | 99000 आवासों के निर्माण<br>का लक्ष्य रखा गया है।<br>जिसमें 29700 महिलायें भी<br>लाभान्वित होगी। |
| <b>5206 समग्र स्वच्छता अभियान</b>  |                                     |                               |  |   |  |   |   |   |   |
| ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को<br>बढ़ावा देने के उद्देश्य से<br>बीपीएल परिवारों, स्कूलों<br>तथा आंगनवाडियों के लिये<br>शौचालय का निर्माण एवं<br>सार्वजनिक सेनेट्री कम्प्लेक्स<br>बनाने का मूल उद्देश्य<br>रखा गया है। | -                                   |                               | 3,172.30   | 629000 शौचालयों के<br>निर्माण का लक्ष्य रखा गया<br>है।  | 3,172.30   | 287377 शौचालयों का निर्माण<br>कराया गया।  | -   | 5,354.83  | 1359088 शौचालयों के<br>निर्माण का लक्ष्य रखा गया<br>है।   |
| <b>5484 समन्वित आजीविका कार्यक्रम अन्तर्गत जनसहयोग से व्यवसायिक प्रशिक्षण</b>  |                                     |                               |  |   |  |   |   |   |   |
| योजना का क्रियान्वयन<br>राज्य आजीविका फोरम,<br>जिला स्तर पर जिला<br>आजीविका फोरम एवं<br>उपखण्ड स्तर पर संकुल<br>इकाईयों के माध्यम से<br>किया जावेगा। यह योजना<br>संपूर्ण प्रदेश में लागू होगी।                           | -                                   |                               | 200.00   | 50 समूहों के सुदृढीकरण<br>का लक्ष्य रखा गया है।   | 0.00   | -   | -   | 200.00  | 50 समूहों के सुदृढीकरण<br>का लक्ष्य रखा गया है।   |
| <b>5567 जैविक ईंधन मिशन</b>  |                                     |                               |  |   |  |   |   |   |   |
| -  | -                                   |                               | 10.00  | -   | 10.00  | -   | -   | 10.00   | -   |
| <b>5568 आर.जी.एम. परिषद</b>  |                                     |                               |  |   |  |   |   |   |   |
| परिषद के संचालन पर होने<br>वाले व्यय की पूर्ति   | -                                   |                               | 25.00  | -   | 25.00  | -   | -   | 25.00   | -   |
| <b>5770 इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम</b>  |                                     |                               |  |   |  |   |   |   |   |
| भारत सरकार की नवीन<br>गाईडलाइन अनुसार<br>मध्यप्रदेश के 1 लाख   | -                                   |                               | 75.00  | यह नवीन योजना है।<br>लक्ष्यों का निर्धारण किया<br>जा रहा है।  | 201.10   | -   | -   | 1,500.00  | यह नवीन योजना है।<br>लक्ष्यों का निर्धारण किया<br>जा रहा है।                                    |



परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 58 ग्रामीण विकास विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 5802 विकास आयुक्त**

हैक्टियर क्षेत्र में नवीन वाटरशेड विकास का उददेश्य रखा गया है। यह परियोजना 12000रु.प्रति हैक्टियर के मान से 5 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत की जावेगी।

**5853 डी. पी. आई. पी. योजनायें**

योजना का मूल उददेश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का उददेश्य रखा गया है।

14,900.00 9000 परिवारों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें 2700 महिलायें भी लाभान्वित होगी।

0.00 - -

10,000.00 12000 परिवारों के स्तर को ऊंचा उठाने का लक्ष्य रखा गया है।

**6027 एकीकृत पड़त भूमि विकास योजना**

मदा एवं नमी संरक्षण भूजल संवर्धन कृषि उत्पादन में वृद्धि एवं आजीविका के अवसर सजन।

731.00 1.32 हैक्टियर की योजनाओं का लक्ष्य रखा गया है।

243.98 0.25 हैक्टियर के लक्ष्य की उपलब्धि रही।

300.00 0.70 हैक्टियर की योजनाओं का लक्ष्य रखा गया है।

**6079 सुधार, सुदृढ़ीकरण, पुनर्स्थापना ( आर.आर.आर. )**

आरआरडब्ल्यूडीएस जल संसाधनों का पुनर्स्थापन

0.00 -

0.00 -

1,000.00 -

**6084 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना**

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना गैर बीआरजीएफ जिलों में पुल-पुलियों का निर्माण

0.00 -

0.00 -

20,000.00 -

**6099 मध्याह्न भोजन - किचन शेड का निर्माण**

मध्याह्न भोजन - किचन शेड का निर्माण (राज्यांश) प्रदेश में भारत सरकार की नीति निर्देश के अनुसार मध्याह्न भोजन हेतु किचन शेडों का निर्माण किया जाना है।

0.00 -

0.00 -

760.00 -

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित  | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |  | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |   | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |   |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|
|   |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य   | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि   |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य  |
| 1   | 2                                   | 3                             | 4  | 5  | 6  | 7   | 8   | 9   | 10  |
| <b>विभाग - 58 ग्रामीण विकास विभाग</b>   |                                     |                               |  |  |  |   |   |   |   |
| <b>विभागाध्यक्ष - 5802 विकास आयुक्त</b>   |                                     |                               |  |  |  |   |   |   |   |
| मध्याह्न भोजन कार्यक्रम<br>अंतर्गत किचन शेडो का<br>निर्माण (केन्द्रांश)   | -                                   |                               | 0.00   | -  | 0.00   | -   | -   | 2,280.00  | -   |
| <b>6550 निर्माण सामग्री परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना</b>   |                                     |                               |  |  |  |   |   |   |   |
| निर्माण सामग्रियों की<br>गुणवत्ता के परीक्षण हेतु<br>ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के<br>अधीन प्रयोगशालाओं की<br>स्थापना की जाती है।   | -                                   |                               | 50.00  | मांग आने पर।   | 26.42  | -   | -   | 60.00   | -   |
| <b>6655 मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को अनुदान</b>  |                                     |                               |  |  |  |   |   |   |   |
| प्रधानमंत्री सड़क योजना के<br>अंतर्गत 500 से अधिक<br>आबादी के सभी ग्रामों के<br>बारहमासी सड़कों से<br>जोड़ना। इस योजना पर<br>लगे अमले के वेतन भत्ते के<br>भुगतान एवं डीपीआर<br>कन्सलटेन्सी पर होने वाला<br>व्यय राज्य शासन को वहन<br>करना है। | -                                   |                               | 15,000.00  | 6000 किमी लम्बी सड़कों<br>का निर्माण का लक्ष्य रखा<br>गया है।  | 10,708.00  | 3253 किमी लम्बी सड़कों का<br>निर्माण किया गया।  | -   | 20,000.00   | 10000 किमी लंबी सड़को<br>के निर्माण का लक्ष्य रखा<br>गया।   |
| <b>6858 गोकुल ग्राम योजना</b>   |                                     |                               |  |  |  |   |   |   |   |
| गोकुल ग्राम योजनान्तर्गत<br>अधोसंरचना के कार्यों का<br>लक्ष्य रखा गया है।   | -                                   |                               | 23.00  | 500 अधोसंरचना कार्यों का<br>लक्ष्य रखा गया है।   | 23.00  | -   | -   | 22.50   | 25 अधोसंरचना कार्यों का<br>लक्ष्य रखा गया है।   |
| <b>6923 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना</b>   |                                     |                               |  |  |  |   |   |   |   |
| राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार<br>गारण्टी योजना अंतर्गत 90<br>प्रतिशत राशि भारत शासन<br>द्वारा सीधे जिला पंचायतों<br>को उपलब्ध कराई जावेगी<br>तथा 10 प्रतिशत राज्यांश<br>की राशि बजट में  | -                                   |                               | 49,710.41  | 2800 लाख मानव दिवस<br>का लक्ष्य रखा गया था।<br>जिसमें 1208 लाख मानव<br>दिवस का लाभ महिलाओं<br>को भी प्रदत्त होंगे। | 30,500.18  | 1204 लाख मानव दिवस की<br>पूर्ति हुई जिसमें 530 लाख<br>मानव दिवस का रोजगार<br>महिलाओं को भी प्रदत्त किया<br>गया। | -   | 58,453.00   | 3200 लाख मानव दिवस<br>के रोजगार सजन का<br>लक्ष्य रखा गया है जिसमें<br>960 महिलाये भी<br>लाभान्वित होगी। |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

**विभाग - 58 ग्रामीण विकास विभाग**

**विभागाध्यक्ष - 5802 विकास आयुक्त**

प्रावधानित कराई जावेगी।  
इस योजना के अंतर्गत  
ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत  
ग्रामीण परिवार भी  
लाभान्वित होंगे।

**6931 मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम**

प्राथमिक शिक्षा का लोक  
व्यापीकरण एवं बच्चों के  
पोषण के स्तर में सुधार।

7,485.00

80.30 लाख छात्र-छात्राओं  
को मध्यान्ह भोजन उपलब्ध  
कराये जाने का लक्ष्य रखा  
गया है जिसमें 32.12 लाख  
छात्रायें भी लाभान्वित होंगे।

5,613.13

64.23 लाख छात्र-छात्राओं को  
मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया  
गया जिसमें 25.69 लाख  
छात्रायें भी लाभान्वित हुईं।

16,885.00

84.32 लाख छात्र-छात्राओं  
को भोजन उपलब्ध कराने  
का लक्ष्य रखा गया है।  
जिसमें 33.73 लाख  
छात्राओं को भी लाभान्वित  
किया जावेगा।

**7755 म.प्र. ग्रामीण आजीविका परियोजना**

यह योजना प्रदेश के  
आदिवासी क्षेत्रों आजीविका  
के संसाधनों में वृद्धि करने  
हेतु बनायी गई है। यह  
योजना कुल सात वर्ष की  
अवधि के दो चरणों में  
क्रियान्वित होगी।

9,553.00

125000 परिवारों को  
आजीविका के संसाधनों को  
उपलब्ध कराये जाने का  
लक्ष्य रखा गया है।  
जिसमें 37500 महिलाओं  
को भी लाभान्वित किया  
जावेगा।

9,553.00

42991 परिवारों को आजीविका  
के संसाधनों को उपलब्ध  
कराया गया जिसमें 9458  
महिलायें भी लाभान्वित हुईं।

7,335.00

55625 परिवारों को  
आजीविका के संसाधनों  
का लक्ष्य रखा गया है  
जिसमें 18356 महिलायें भी  
लाभान्वित होंगी।

**7886 मध्यान्ह भोजन सामग्री परिवहन**

भारत सरकार द्वारा खद्यान्न  
परिवहन एवं भोजन पकाने  
पर होने वाले व्यय की पूर्ति  
हेतु केन्द्रांश के रूप में  
राज्य को केन्द्रांश के रूप में  
सहायता प्रदान की जाती है  
।

60,000.00

—

28,030.17

—

—

99,200.00

—

**8701 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना**

गरीबी रेखा से नीचे जीवन  
यापन करने वाले ग्रामीणों  
धारणीय स्वरोजगार मुहैया

5,100.00

125000 समूहों के गठन  
का लक्ष्य रखा गया है  
जिसमें 50000 महिला

3,031.00

21981 का गठन किया गया  
जिसमें 9787 महिला समूह भी  
लाभान्वित हुईं।

4,949.02

111385 समूहों का गठन  
कर 55600 महिला समूहों  
को भी लाभान्वित करने

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित              | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय  | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |   | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |  | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |  |
|---|--|-------------------------------|--|---|--|--|---|---|--|
|   |  |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य  | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि  |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य   |
| 1                                       | 2  | 3                             | 4  | 5   | 6  | 7  | 8   | 9   | 10   |
| <b>विभाग - 58 ग्रामीण विकास विभाग</b>   |  |                               |  |   |  |  |   |   |  |
| <b>विभागाध्यक्ष - 5802 विकास आयुक्त</b> |  |                               |  |   |  |  |   |   |  |
|   | कराये जाने का उद्देश्य<br>रखा गया है ।   |                               |  | समूहों को भी लाभान्वित<br>किया जावेगा ।                             |  |  |   | का लक्ष्य रखा गया है ।  |  |
| <b>8774</b>                             | <b>राज्य स्तर का अमला</b>  |                               |  |   |  |  |   |   |  |
|   | वेतन भत्ता मदों को<br>छोड़कर वकीलों की फीस,<br>परिवहन व्यवस्था, एवं<br>आरजीएम को आर्थिक<br>सहायता इत्यादि का व्यय<br>किया जाता है ।  | —                             | 275.25   | —   | 80.45  | —  | —   | 81.75   | —  |
| <b>9216</b>                             | <b>प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण व अनुदान</b>  |                               |  |   |  |  |   |   |  |
|   | प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क<br>योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों<br>के अनुरक्ष पर होने वाले<br>व्यय का भार राज्य षासन<br>को वहन करना है । यह<br>कार्य 5 वर्ष की अवधि में<br>किया जावेगा । | —                             | 500.00   | 1800 किलोमीटर लम्बी<br>सड़कों के नवीनीकरण का<br>लक्ष्य रखा गया है । | 500.00   | 1085 किलोमीटर लम्बी सड़कों<br>का नवीनीकरण कार्य कराया<br>गया । | —   | 500.00  | 25110 किलोमीटर लम्बी<br>सड़कों के अनुरक्षण एवं<br>नवीनीकरण का लक्ष्य रखा<br>गया है । |
| <b>9249</b>                             | <b>बेकवर्ड रिजन ग्राण्ड फण्ड योजना</b>   |                               |  |   |  |  |   |   |  |
|   | मध्यप्रदेश के 24 जिलो के<br>पिछड़े क्षेत्रों को उन्नत<br>करने के उद्देश्य से एक<br>कोस के निर्माण का<br>उद्देश्य रखा गया है ।  | —                             | 54,624.00  | 22000 निर्माण कार्यो का<br>लक्ष्य रखा गया है ।                      | 26,458.86  | 2702 के निर्माण कार्यो का<br>लक्ष्य पूरा किया गया ।            | —   | 47,502.00   | 20282 निर्माण कार्यो का<br>लक्ष्य रखा गया है ।                                       |
| <b>9464</b>                             | <b>जल ग्रहण उपचार / विकास कार्य / गतिविधि</b>  |                               |  |   |  |  |   |   |  |
|   |  |                               | 499.98   |   | 221.33   |  |   | 468.72  |  |
| <b>9465</b>                             | <b>जल ग्रहण सामुदायिक संगठन</b>  |                               |  |   |  |  |   |   |  |
|   |  |                               | 500.02   |   | 221.29   |  |   | 468.72  |  |
| <b>विभागाध्यक्ष योग</b>                 |  |                               | 2,37,092.98  |   | 1,24,373.87  |  |   | 3,07,735.38   |  |
| <b>विभाग</b>                            |  |                               | 2,37,092.98  |   | 1,24,373.87  |  |   | 3,07,735.38   |  |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित                                    | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय                           | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |                   | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |                   | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण  | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |                 |
|---|---|-------------------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|---|-----------------|
|   |   |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य      | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि     |  | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य    |
| 1   | 2   | 3                             | 4  | 5                 | 6  | 7                 | 8  | 9   | 10              |
| <b>विभाग - 59 उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग</b>        |   |                               |  |                   |  |                   |  |   |                 |
| <b>विभागाध्यक्ष - 5902 संचालक, उद्यानिकी</b>                  |   |                               |  |                   |  |                   |  |   |                 |
| <b>0482 आलू विकास योजना</b>                                   |   |                               |  |                   |  |                   |  |   |                 |
| कृषकों के यंहा उन्नत<br>किस्म के आलू बीज का<br>प्रदर्शन       | कृषकों के यंहा उन्नत<br>किस्म के आलू बीज का<br>प्रदर्शन       |                               | 188.31   | 37662<br>संख्या   | 122.72   | 33741<br>संख्या   | मार्च 2010 तक पूर्ण राशि व्यय<br>होगी।   | 265.05  | 53010<br>संख्या |
| <b>0655 संचालनालय एवं अधीनस्थ कार्यालय</b>                    |   |                               |  |                   |  |                   |  |   |                 |
| वेतन भत्तों का समायोजन<br>होना है।                            | वेतन भत्तों का समायोजन<br>होना है।                            |                               | 45.00  | 0                 | 0.00   | 0                 | वेतन भत्तों की राशि का<br>समायोजन होना है।   | 0.00  | 0               |
| <b>0869 कृषक प्रशिक्षण तथा भ्रमण कार्यक्रम</b>                |   |                               |  |                   |  |                   |  |   |                 |
| कृषक प्रशिक्षण तथा भ्रमण<br>कार्यक्रम आयोजित किये<br>जायेंगे। | कृषक प्रशिक्षण तथा<br>भ्रमण कार्यक्रम आयोजित<br>किये जायेंगे। |                               | 65.70  | 8903<br>संख्या    | 27.55  | 1446<br>संख्या    | मार्च 2010 तक पूर्ण राशि व्यय<br>होगी।   | 89.24   | 44508<br>संख्या |
| <b>0964 केला उत्पादन का सघन कार्यक्रम ( बागवानी )</b>         |   |                               |  |                   |  |                   |  |   |                 |
| कृषकों के यंहा उन्नत<br>किस्म के केला कंदों का<br>प्रदर्शन।   | कृषकों के यंहा उन्नत<br>किस्म के केला कंदों का<br>प्रदर्शन।   |                               | 19.98  | 888<br>संख्या     | 17.69  | 622<br>संख्या     | मार्च 2010 तक पूर्ण राशि व्यय<br>होगी।   | 31.89   | 1416<br>संख्या  |
| <b>2202 नये उद्यानो तथा पौध शालाओं का संचालन</b>              |   |                               |  |                   |  |                   |  |   |                 |
| सामान्य/आदिवासी विकास<br>खण्ड स्तरीय रोपणियां।                | सामान्य/आदिवासी<br>विकास खण्ड स्तरीय<br>रोपणियां।             |                               | 285.99   | 0                 | 114.23   | 0                 | वेतन भत्तों की राशि का<br>समायोजन होना है।   | 0.00  | 0               |
| <b>2806 फल पौध रोपण हेतु अनुदान</b>                           |   |                               |  |                   |  |                   |  |   |                 |
| कृषकों के यंहा फल पौध<br>रोपण पर अनुदान।                      | कृषकों के यंहा फल पौध<br>रोपण पर अनुदान।                      |                               | 547.19   | 6413<br>हैक्टर    | 242.09   | 5980.20<br>हैक्टर | मार्च 2010 तक पूर्ण राशि व्यय<br>होगी।   | 520.18  | 6975<br>हैक्टर  |
| <b>2807 फल पौधरोपण योजना</b>                                  |   |                               |  |                   |  |                   |  |   |                 |
| कृषकों के यंहा फल पौध<br>रोपण पर अनुदान।                      | कृषकों के यंहा फल पौध<br>रोपण पर अनुदान।                      |                               | 224.56   | 1684.50<br>हैक्टर | 151.03   | 1512.10<br>हैक्टर | मार्च 2010 तक पूर्ण राशि व्यय<br>होगी। इस राशि में 99.08<br>लाख वेतन भत्तों की राशि<br>शामिल है। | 109.72  | 1493<br>हैक्टर  |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित   | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय  | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |                 | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |                 | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण                            | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |                 |
|--|--|-------------------------------|--|-----------------|--|-----------------|--|---|-----------------|
|  |  |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य    | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि   |  | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य    |
| 1  | 2  | 3                             | 4  | 5               | 6  | 7               | 8  | 9   | 10              |
| <b>विभाग - 59 उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग</b>                         |  |                               |  |                 |  |                 |  |   |                 |
| <b>विभागाध्यक्ष - 5902 संचालक, उद्यानिकी</b>                                   |  |                               |  |                 |  |                 |  |   |                 |
| <b>2856 बड़े शहरों के आसपास साग सब्जी उत्पादन की योजना</b>                     |  |                               |  |                 |  |                 |  |   |                 |
| कृषकों के यंहा उन्नत एवं शंकर किस्म के बीजों का प्रदाय।                        | कृषकों के यंहा उन्नत एवं शंकर किस्म के बीजों का प्रदाय।                        |                               | 328.34   | 17682.64 हैक्टर | 169.57   | 10381.01 हैक्टर | मार्च 2010 तक पूर्ण राशि व्यय होगी।  | 361.37  | 19581.77 हैक्टर |
| <b>4326 सघन फलोद्यान विकास योजना</b>   |  |                               |  |                 |  |                 |  |   |                 |
| कृषकों के यंहा फल पौध रोपण पर अनुदान।  | कृषकों के यंहा फल पौध रोपण पर अनुदान।  |                               | 296.92   | 1979 हैक्टर     | 203.95   | 1804.30 हैक्टर  | मार्च 2010 तक पूर्ण राशि व्यय होगी। 134.14 लाख वेतन भत्तों की राशि शामिल है। | 140.22  | 1855 हैक्टर     |
| <b>5008 अंगूर की खेती की योजना</b>   |  |                               |  |                 |  |                 |  |   |                 |
| अंगूर की खेती को बढ़ावा देने हेतु रोपण पर अनुदान।                              | अंगूर की खेती को बढ़ावा देने हेतु रोपण पर अनुदान।                              |                               | 66.47  | 60.734 हैक्टर   | 0.00   | 19.77 हैक्टर    | मार्च 2010 तक पूर्ण राशि व्यय होगी।  | 87.34   | 8141 हैक्टर     |
| <b>5115 निजी रोपणियों की स्थापना से उद्यमिता विकास</b>                         |  |                               |  |                 |  |                 |  |   |                 |
| निजी रोपणी की स्थापना से उद्यमिता विकास।                                       | निजी रोपणी की स्थापना से उद्यमिता विकास।                                       |                               | 37.50  | 19 संख्या       | 0.00   | 2 संख्या        | मार्च 2010 तक पूर्ण राशि व्यय होगी।  | 37.50   | 19 संख्या       |
| <b>5116 राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन</b>   |  |                               |  |                 |  |                 |  |   |                 |
| इस योजना के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कषकों का लाभांवित करना।       | इस योजना के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कषकों का लाभांवित करना।       |                               | 1,663.00   | 47412 हैक्टर    | 106.66   | 24002 हैक्टर    | मार्च 2010 तक पूर्ण राशि व्यय होगी।  | 1,663.00 हैक्टर   | 47412 हैक्टर    |
|  |  |                               |  | 12602 संख्या    |  | 88246 संख्या    |  |   | 12602 संख्या    |
| <b>5137 औषधि एवं सुगंध फसल कार्यक्रम</b>                                       |  |                               |  |                 |  |                 |  |   |                 |
| कषकों के यंहा उन्नत किस्म के औषधि एवं सुगंधित फसलों के बीजों के मिनिफिट वितरण। | कषकों के यंहा उन्नत किस्म के औषधि एवं सुगंधित फसलों के बीजों के मिनिफिट वितरण। |                               | 72.81  | 72810 संख्या    | 49.59  | 64244 संख्या    | मार्च 2010 तक पूर्ण राशि व्यय होगी।  | 65.01   | 65010 संख्या    |
| <b>5138 मसाले की योजना</b>   |  |                               |  |                 |  |                 |  |   |                 |
| कृषकों के यंहा उन्नत किस्म के मसाला बीजों का                                   | कृषकों के यंहा उन्नत किस्म के मसाला बीजों का                                   |                               | 99.45  | 81825 संख्या    | 81.03  | 81825 संख्या    | मार्च 2010 तक पूर्ण राशि व्यय होगी।  | 121.81  | 102945 संख्या   |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित  | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम   | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये)                          |              |               |
|---|-------------------------------------|---|--|--------------|--|---------------|---|--|--------------|---------------|
|   |                                     |   | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य |               |
| 1   | 2                                   | 3   | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9  | 10           |               |
| <b>विभाग - 59 उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग</b>  |                                     |   |  |              |  |               |   |  |              |               |
| <b>विभागाध्यक्ष - 5902 संचालक, उद्यानिकी</b>  |                                     |   |  |              |  |               |   |  |              |               |
| मिनिक्किट वितरण।  |                                     | का मिनिक्किट वितरण।   |  |              |  |               |   |  |              |               |
| <b>5144 उद्यानिकी प्रशिक्षण</b>   |                                     |   |  |              |  |               |   |  |              |               |
| अधिकारी / कर्मचारी को<br>उद्यानिकी प्रशिक्षण प्रदान<br>करना।  |                                     | अधिकारी / कर्मचारी को<br>उद्यानिकी प्रशिक्षण प्रदान<br>करना।  |  | 19.25        | 296<br>संख्या  | 8.79          | 116<br>संख्या                                     | मार्च 2010 तक पूर्ण राशि व्यय<br>होगी।   | 22.19        | 300<br>संख्या |
| <b>5145 खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु प्रचार प्रसार योजना</b>  |                                     |   |  |              |  |               |   |  |              |               |
| खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु<br>प्रचार प्रसार करना।   |                                     | खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों<br>हेतु प्रचार प्रसार करना।   |  | 29.00        | 29   | 6.00          | 1<br>कार्यशाला                                    | मार्च 2010 तक पूर्ण राशि व्यय<br>होगी।   | 29.00        | 29            |
| <b>5147 खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु उद्यमिता विकास कार्यक्रम</b>   |                                     |   |  |              |  |               |   |  |              |               |
| खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को<br>बढ़ावा देना।  |                                     | खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों<br>को बढ़ावा देना।  |  | 26.00        | 26   | 5.70          | 2<br>प्रशिक्षण                                    | मार्च 2010 तक पूर्ण राशि व्यय<br>होगी।   | 26.00        | 26            |
| <b>5148 खाद्य प्रसंस्करण हेतु निर्धारित नोडल एजेन्सी का सुदृढिकरण</b>   |                                     |   |  |              |  |               |   |  |              |               |
| खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को<br>बढ़ावा देने हेतु कृषि उद्योग<br>विकास निगम के<br>सुदृढिकरण हेतु राशि<br>उपलब्ध कराना। |                                     | खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों<br>को बढ़ावा देने हेतु कृषि<br>उद्योग विकास निगम के<br>सुदृढिकरण हेतु राशि<br>उपलब्ध कराना। |  | 40.90        | 1  | 8.40          | 1   | मार्च 2010 तक पूर्ण राशि व्यय<br>होगी।   | 40.90        | 1             |
| <b>5149 प्रदेश में फल आधारित वाईन पार्क की स्थापना</b>  |                                     |   |  |              |  |               |   |  |              |               |
| प्रदेश में फल आधारित<br>वाईन पार्क की स्थापना।  |                                     | प्रदेश में फल आधारित<br>वाईन पार्क की स्थापना।  |  | 72.00        | 3  | 15.00         | 3   | मार्च 2010 तक पूर्ण राशि व्यय<br>होगी।   | 72.00        | 3             |
| <b>5150 कृषि निर्यात क्षेत्रों में कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति योजना</b>                 |                                     |   |  |              |  |               |   |  |              |               |
| कृषि निर्यात क्षेत्रों में कृषि<br>उत्पादों के निर्यात हेतु<br>परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति<br>करना।                    |                                     | कृषि निर्यात क्षेत्रों में कृषि<br>उत्पादों के निर्यात हेतु<br>परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति<br>करना।                    |  | 27.00        | 0  | 0.00          | 0   | निर्यातकों द्वारा सहायता प्राप्त<br>करने हेतु प्रकण प्रस्तुत न<br>करने से राशि व्यय न हो<br>सकी। | 27.00        | 0             |
| <b>5153 उद्योग संवर्धन नीति अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास की योजना</b>                                    |                                     |   |  |              |  |               |   |  |              |               |
| खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की<br>स्थापना करने वाले   |                                     | खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों<br>की स्थापना करने वाले   |  | 68.00        | 3  | 0.03          | 0   | उद्योग विभाग से अनुसूचित<br>जाति/जन जाति के प्रकरण   | 68.00        | 3             |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित                                       | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम                                    | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |                              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |                              | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण                                 | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |                              |
|--|-------------------------------------|--|--|------------------------------|--|------------------------------|---|---|------------------------------|
|  |                                     |  | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य                 | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि                |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य                 |
| 1  | 2                                   | 3  | 4  | 5                            | 6  | 7                            | 8   | 9   | 10                           |
| <b>विभाग - 59 उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग</b>           |                                     |  |  |                              |  |                              |   |   |                              |
| <b>विभागाध्यक्ष - 5902 संचालक, उद्यानिकी</b>                     |                                     |  |  |                              |  |                              |   |   |                              |
| उद्यमियों को सहायता<br>करना।                                     |                                     | उद्यमियों को सहायता<br>करना।                                     |  |                              |  |                              | प्राप्त न होने से राशि व्यय<br>नहीं होगी।   |   |                              |
| <b>5626 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना</b>                           |                                     |  |  |                              |  |                              |   |   |                              |
| विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम<br>से कृषकों को लाभान्वित<br>करना। |                                     | विभिन्न कार्यक्रमों के<br>माध्यम से कृषकों को<br>लाभान्वित करना। | 2,400.00   | 510.20 हैक्टर                | 0.00   | 72070 संख्या                 | भारत सरकार से रीलिज प्राप्त<br>न होने के कारण 668 लाख<br>राशि व्यय नहीं हो सकेगी। | 1,160.00  | 560 हैक्टर<br>79000 संख्या   |
| <b>5858 हाट बाजार</b>  |                                     |  |  |                              |  |                              |   |   |                              |
| आदिवासी क्षेत्र में हाट<br>बाजारों का निर्माण।                   |                                     | आदिवासी क्षेत्र में हाट<br>बाजारों का निर्माण।                   | 800.00   | 53<br>हाट बाजार              | 0.00   | 0                            | मार्च 2010 तक पूर्ण राशि व्यय<br>होगी।  | 800.00  | 53<br>हाट बाजार              |
| <b>7339 मध्य प्रदेश में घरेलू बागवानी के लिये आदर्श योजना</b>    |                                     |  |  |                              |  |                              |   |   |                              |
| मध्य प्रदेश में घरेलू<br>बागवानी के लिये आदर्श<br>योजना।         |                                     | मध्य प्रदेश में घरेलू<br>बागवानी के लिये आदर्श<br>योजना।         | 83.33  | 166660<br>सब्जी पैकेट संख्या | 67.90  | 151043<br>सब्जी पैकेट संख्या | मार्च 2010 तक पूर्ण राशि व्यय<br>होगी।  | 85.80   | 171600<br>सब्जी पैकेट संख्या |
| <b>7910 माईक्रो इरीगेशन की केन्द्र प्रवर्तित योजना</b>           |                                     |  |  |                              |  |                              |   |   |                              |
| 50 प्रतिशत अनुदान पर<br>ड्रिप/स्प्रिंकलर प्रदाय<br>करना।         |                                     | 50 प्रतिशत अनुदान पर<br>ड्रिप/स्प्रिंकलर प्रदाय<br>करना।         | 3,749.00   | 33308<br>हैक्टर              | 1,945.41   | 24724.94<br>हैक्टर           | मार्च 2010 तक पूर्ण राशि व्यय<br>होगी।  | 4,786.98  | 45000<br>हैक्टर              |
| <b>8008 शंकर मिर्च उत्पादन योजना</b>                             |                                     |  |  |                              |  |                              |   |   |                              |
| कृषकों के यंहा शंकर मिर्च<br>उत्पादन हेतु अनुदान दिया<br>जाना।   |                                     | कृषकों के यंहा शंकर मिर्च<br>उत्पादन हेतु अनुदान<br>दिया जाना।   | 355.41   | 2538.589<br>हैक्टर           | 302.10   | 2343.203<br>हैक्टर           | मार्च 2010 तक पूर्ण राशि व्यय<br>होगी।  | 476.80  | 3405.71<br>हैक्टर            |
| <b>8731 घरेलू बागवानी की आदर्श योजना</b>                         |                                     |  |  |                              |  |                              |   |   |                              |
| मध्य प्रदेश में घरेलू<br>बागवानी की आदर्श<br>योजना।              |                                     | मध्य प्रदेश में घरेलू<br>बागवानी की आदर्श<br>योजना।              | 73.02  | 146040<br>संख्या             | 58.19  | 132896<br>संख्या             | मार्च 2010 तक पूर्ण राशि व्यय<br>होगी।  | 89.83   | 179660<br>संख्या             |
| <b>9172 प्रदर्शनी मेला तथा प्रचार (बागवानी)</b>                  |                                     |  |  |                              |  |                              |   |   |                              |
| उद्यानिकी फसलों के प्रचार<br>प्रसार हेतु मेला/प्रदर्शनी          |                                     | उद्यानिकी फसलों के<br>प्रचार प्रसार हेतु                         | 80.81  | 229<br>संख्या                | 34.76  | 73<br>संख्या                 | मार्च 2010 तक पूर्ण राशि व्यय<br>होगी।  | 83.26   | 230<br>संख्या                |



परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित   | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम                                      | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |                |
|--|-------------------------------------|--|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|----------------|
|  |                                     |  | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |                |
| 1  | 2                                   | 3  | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |                |
| <b>विभाग - 59 उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग</b>             |                                     |  |  |              |  |               |   |   |              |                |
| <b>विभागाध्यक्ष - 5902 संचालक, उद्यानिकी</b>                       |                                     |  |  |              |  |               |   |   |              |                |
| का आयोजन।  |                                     | मेला/प्रदर्शनी का आयोजन।   |  |              |  |               |   |   |              |                |
| <b>9987 पुष्प विकास योजना</b>                                      |                                     |  |  |              |  |               |   |   |              |                |
| कषकों के यंहा उन्नत<br>किस्मों के पुष्प बीज का<br>प्रदर्शन डलवाना। |                                     | कषकों के यंहा उन्नत<br>किस्मों के पुष्प बीज का<br>प्रदर्शन डलवाना। |  | 154.85       | 5162<br>संख्या   | 131.90        | 4539<br>संख्या                                    | मार्च 2010 तक पूर्ण राशि व्यय<br>होगी।                                  | 186.58       | 6218<br>संख्या |
| <b>विभागाध्यक्ष योग</b>  |                                     |  | 11,919.79  |              | 3,870.29   |               |   |   | 11,446.67    |                |
| <b>विभाग</b>   |                                     |  | 11,919.79  |              | 3,870.29   |               |   |   | 11,446.67    |                |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |              | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |              |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|---|---|--------------|
|                            |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य |
| 1                          | 2                                   | 3                             | 4  | 5            | 6  | 7             | 8   | 9   | 10           |

विभाग - 60 आयुष विभाग

विभागाध्यक्ष - 6002 आयुक्त, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी

0461 आयुर्वेद प्रशासन का सुदृढीकरण

|                                  |   |        |                              |        |  |  |       |   |
|----------------------------------|---|--------|------------------------------|--------|--|--|-------|---|
| नवीन 6 जिला कार्यालयों का संचालन | जिलों में संचालित औषधालयों एवं चिकित्सालयों पर नियंत्रण एवं कार्य में गति एवं गुणवत्ता लाने हेतु। | 204.00 | नवीन 6 जिला कार्या.का संचालन | 130.00 | जिलों में संचा. औष.एवं चिकि.पर नियंत्रण एवं कार्य में गति एवं गुणवत्ता | औषधालयों में पदों की पूर्ति प्रक्रियाधीन | 97.40 | जिलों में संचा. औष.एवं चिकि.पर नियंत्रण एवं कार्य में गति एवं गुणवत्ता लाने हेतु। |
|----------------------------------|---|--------|------------------------------|--------|--|--|-------|---|

0465 आयुर्वेदिक एवं अन्य औषधालय

|  |  |       |  |       |  |                              |       |  |
|--|--|-------|--|-------|--|------------------------------|-------|--|
| 26 औषधालय संचालित हैं। औष. का उन्नयन तथा कम्पां. एवं दाई के पद नार्मस के अनुसार न होने से उन पदों का सृजन किया जाना। | आयुष के संचालित औष. द्वारा ग्रामीण जनता को चिकित्सा लाभ देने हेतु नार्मस के अनुसार पदों का सृजन एवं औष. का उन्नयन। | 44.53 | आयुष के संचालित औष. द्वारा ग्रामीण जनता को चिकित्सा लाभ देने हेतु नार्मस के अनुसार पदों का सृजन एवं औष. का उन्नयन। | 15.00 | 26 औष. का उन्नयन कम्पां. एवं दाई के पद नार्मस के अनुसार पदों का सृजन | पदों की पूर्ति प्रक्रियाधीन। | 55.00 | आयुष के संचालित औष. द्वारा ग्रामीण जनता को चिकित्सा लाभ देने हेतु नार्मस के अनुसार पदों का सृजन एवं औष. का उन्नयन। |
|--|--|-------|--|-------|--|------------------------------|-------|--|

0469 आयुर्वेदिक महाविद्यालय

|   |   |        |   |        |  |                                       |        |   |
|---|---|--------|---|--------|--|---------------------------------------|--------|---|
| 1. 7 आयुर्वेद महाविद्यालयों में सी.सी.आई.एम. के नार्मस अनुसार शैक्षणिक पदों का सृजन<br>2. 7 आयुर्वेद महाविद्यालयों में सी.सी.आई.एम. के नार्मस अनुसार पैरामेडिकल एवं चिकित्सालयीन पदों का सृजन | 1. 7 आयुर्वेद महाविद्यालयों में सी.सी.आई.एम. के नार्मस अनुसार शैक्षणिक पदों का सृजन<br>2. 7 आयुर्वेद महाविद्यालयों में सी.सी.आई.एम. के नार्मस अनुसार पैरामेडिकल एवं चिकित्सालयीन पदों का सृजन | 420.22 | आयुर्वेद महाविद्यालयों में सी.सी.आई.एम. के नार्मस अनुसार शैक्षणिक, पैरामेडिकल एवं चिकित्सालयीन पदों का सृजन किया जाना है। | 315.00 | पदों का सृजन करा कर पद पूर्ति की कार्यवाही प्रारंभ है। | सृजित पदों की कार्यवाही प्रक्रियाधीन। | 678.35 | सृजित पदों की पूर्ण रूप से पूर्ति करना। |
|---|---|--------|---|--------|--|---------------------------------------|--------|---|

4286 संचालक आयुर्वेद एवं प्रशासन

|  |  |       |   |       |  |   |       |  |
|--|--|-------|---|-------|--|---|-------|--|
| संचालनालय एवं 48 जिला कार्यालयों में कम्प्यूटर, दूरभाष एवं वाहन व्यावस्था। | जिला कार्या. के अधीन संचालित औष./चिकि. पर नियंत्रण एवं कार्य में गति एवं गुणवत्ता। | 45.90 | संचालनालय एवं 48 जिला कार्यालयों में कम्प्यूटर, दूरभाष एवं वाहन व्यावस्था | 15.00 | संचालनालय एवं 48 जिला कार्यालयों में कम्प्यूटर, दूरभाष एवं वाहन व्यावस्था एवं संभागीय कार्यालयों का खुलना। | - | 71.00 | जिला कार्या. के अधीन संचालित औष./चिकि. पर नियंत्रण एवं कार्य में गति एवं गुणवत्ता लाई जावेगी एवं संचा. तथा संभागीय |
|--|--|-------|---|-------|--|---|-------|--|

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित   | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय   | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम   | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |   | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |   | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |  |
|--|---|---|--|---|--|---|---|---|--|
|  |   |   | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य  | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि   |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य                                       |
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   | 8   | 9   | 10   |
| <b>विभाग - 60 आयुष विभाग</b>   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |
| <b>विभागाध्यक्ष - 6002 आयुक्त, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी</b> |   |   |  |   |  |   |   |   |  |
|  |   |   |  |   |  |   |   |   | कार्या. के नवीन पदों की पूर्ति                     |
| <b>5558</b>  | <b>आयुष अकादमी की स्थापना</b>   |   |  |   |  |   |   |   |  |
|  | आयुष अकादमी की स्थापना।   | आयुष अकादमी की स्थापना।   | 20.00  | आयुष अकादमी की स्थापना।   | 0.00   | निरंक   | पदों के सृजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।           | 20.00   | आयुष अकादमी की स्थापना।                            |
| <b>5559</b>  | <b>ड्रग कंट्रोलर ( आयुष ) कार्यालय की स्थापना</b>   |   |  |   |  |   |   |   |  |
|  | औष. का गुणवत्ता नियंत्रण  | औष. का गुणवत्ता नियंत्रण  | 28.00  | औष. का गुणवत्ता नियंत्रण  | 15.00  | औष. का गुणवत्ता नियंत्रण  | निरंक   | 25.00   | औष. का गुणवत्ता नियंत्रण                           |
| <b>5560</b>  | <b>महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र</b>   |   |  |   |  |   |   |   |  |
|  | महिला को स्वा. कार्य. प्रशि. देना।  | महिला को स्वा. कार्य. प्रशिक्षण।  | 20.00  | महिला को स्वा. कार्य. प्रशि. देना।  | 0.00   | निरंक   | पदों की पूर्ति प्रक्रियाधीन।                      | 25.00   | महिला को स्वा. कार्य. प्रशि. देना।                 |
| <b>6204</b>  | <b>अशासकीय होम्योपैथिक महाविद्यालयों को अनुदान</b>  |   |  |   |  |   |   |   |  |
|  | परिषदों द्वारा चिकि. का पंजियन कार्य किया जाना।   | परिषदों द्वारा चिकि. का पंजियन कार्य किया गया।  | 15.00  | परिषदों द्वारा चिकि. का पंजियन कार्य किया जाना।   | 15.00  | चिकित्सकों का पंजियन।   | निरंक   | 20.00   | चिकित्सकों का पंजियन।                              |
| <b>8068</b>  | <b>शासकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय</b>   |   |  |   |  |   |   |   |  |
|  | शास. होम्योपैथिक महा. में शैक्षणिक पदों का सृजन।  | शास. होम्योपैथिक महा. में शैक्षणिक पदों का सृजन   | 40.00  | शास. होम्योपैथिक महा. में शैक्षणिक पदों का सृजन   | 0.00   | निरंक   | पद पूर्ति प्रक्रियाधीन।                           | 75.00   | शास. होम्योपैथिक महा. में शैक्षणिक पदों की पूर्ति। |
| <b>8564</b>  | <b>भोपाल यूनानी महाविद्यालय</b>   |   |  |   |  |   |   |   |  |
|  | शा. यूनानी महाविद्यालय भोपाल में सी.सी.आई.एम. के नार्मस अनुसार शैक्षणिक पदों का सृजन एवं चिकित्सालय की स्थापना। | शा. यूनानी महाविद्यालय भोपाल में सी.सी.आई.एम. के नार्मस अनुसार शैक्षणिक पदों का सृजन एवं चिकित्सालय की स्थापना। | 80.00  | शा. यूनानी महाविद्यालय भोपाल में सी.सी.आई.एम. के नार्मस अनुसार शैक्षणिक पदों का सृजन एवं चिकित्सालय की स्थापना। | 42.00  | शा. यूनानी महाविद्यालय भोपाल में सी.सी.आई.एम. के नार्मस अनुसार शैक्षणिक पदों का सृजन एवं चिकित्सालय की स्थापना। | पदों की पूर्ति प्रक्रियाधीन।                      | 159.00  | पदों की पूर्ति।                                    |
| <b>9361</b>  | <b>आयुर्वेदिक औषधालयों की स्थापना</b>   |   |  |   |  |   |   |   |  |
|  | आयुर्वेदिक औषधालयों की स्थापना।   | आयुर्वेदिक औषधालयों की स्थापना।   | 291.80   | अनु. जाति एवं जन जाति संवर्ग के लोगों को चिकि. उपलब्ध कराना।  | 0.00   | निरंक   | पदों की प्रक्रियाधीन।                             | 291.80  | आयुर्वेदिक औषधालयों की स्थापना।                    |

परिणामी बजट 2010-2011

(राशि लाखों में)

| योजना का नाम<br>शीर्ष सहित   | निर्धारित किये गये<br>मापनीय प्रदेय | निर्धारित प्रदेय<br>का परिणाम | कालम-2 अनुसार प्रदेय के लिये निर्धारित<br>वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (2009-10) |  | दिसम्बर, 2009 तक निर्धारित (कालम 4 एवं 5 अनुसार)<br>वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां |               | उपलब्धियों में यदि<br>कोई कमी रह<br>गई हो तो कारण | वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित लक्ष्य<br>(कालम 2 अनुसार प्रदेय के लिये) |                           |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|---------------|---|---|---------------------------|
|  |                                     |                               | प्रावधानित राशि  | भौतिक लक्ष्य   | व्यय राशि  | भौतिक उपलब्धि |   | प्रावधानित राशि   | भौतिक लक्ष्य              |
| 1  | 2                                   | 3                             | 4  | 5  | 6  | 7             | 8   | 9   | 10                        |
| <b>विभाग - 60 आयुष विभाग</b>   |                                     |                               |  |  |  |               |   |   |                           |
| <b>विभागाध्यक्ष - 6002 आयुक्त, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी</b> |                                     |                               |  |  |  |               |   |   |                           |
| <b>9362 होम्योपैथी चिकित्सालय</b>  |                                     |                               |  |  |  |               |   |   |                           |
|  | होम्यो. चिकि. की स्थापना।           | होम्यो. चिकि. की स्थापना।     | 57.45  | अनु. जाति एवं जन जाति संवर्ग के लोगों को चिकि. उपलब्ध कराना। | 0.00   | निरंक         | पदों की प्रक्रियाधीन।                             | 57.45   | होम्यो. चिकि. की स्थापना। |
|  | <b>विभागाध्यक्ष योग</b>             |                               | 1,266.90   |  | 547.00   |               |   | 1,575.00  |                           |
|  | <b>विभाग</b>                        |                               | 1,266.90   |  | 547.00   |               |   | 1,575.00  |                           |